यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking

**संदर्भ Ref.:नि.से.वि. ISD/118/2023-24** **दिनांक Date : July 06, 2023**

| | |
|---|---|
| **बीएसई लिमिटेड BSE Ltd.**<br>**बीएसई लिस्टिंग सेंटर BSE Listing Centre**<br>**स्क्रिप कोड Scrip Code - 532 477** | **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड**<br>**National Stock Exchange of India Ltd.**<br>**निप्स NEAPS**<br>**स्क्रिप कोड Scrip Symbol-UNIONBANK-EQ**<br>**सिक्योरिटी Security – UBI-AT/BB** |

महोदया Madam / महोदय Sir,

**विषय Subject : Integrated Annual Report of the Bank for FY 2022-23.**
संदर्भ Ref. : Our earlier Ref. letter no. ISD/90/2023-24 dated June 20, 2023.

In compliance with Regulation 34 (1) (a) and 53 (2) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith the Annual Report (including Notice of 21st Annual General Meeting) of the Bank for the FY 2022-23.

The Integrated Annual Report of the Bank for the FY 2022-23 has also been published on the Bank's website :-

https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-investor-annualreports.aspx
or to:

**Scan QR Code for the Integrated Annual Report 2022-23:**

The 21st Annual General Meeting of the Bank is scheduled to be held on August 4, 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

Thanking you.

भवदीय Yours faithfully,

SANTANU KUMAR DASH

Digitally signed by SANTANU KUMAR DASH
DN: st=MAHARASHTRA, serialNumber=7c36f6788802f9aa7cac171177b255dcd52774dad34f583a1833e266fdc74d39, postalCode=400021, ou=BOARD SEC, o=Union Bank of India, c=IN, cn=SANTANU KUMAR DASH
Date: 2023.07.06 22:22:30 +05'30'

**(सीएस एस. के. दाश CS S. K. Dash)**
**कंपनी सचिव Company Secretary**
**एफ़सीएस FCS - 4085**

संलग्न Encl.: यथोक्त As above
Copy to: 1. IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai. (Pursuant to Regulation 53(2) of the SEBI (LODR) Regulations,2015, Please click on above link or scan QR code to get Annual Report 2022-23)

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

# डिजिटल कौशल के माध्यम से
# संवहनीयता
## हेतु प्रतिबद्ध

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking

# रिपोर्ट के बारे में

यह एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट जिसका अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि को कवर करती है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वित्त वर्ष 2022-23 की एकीकृत रिपोर्ट को 20 जून 2023 को बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गई और अध्यक्ष की ओर से हस्ताक्षरित की गई है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वित्त वर्ष 2023 की एकीकृत रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता प्रदान करना है: हम किस प्रकार से अपने ग्राहकों के जीवन और समाज की भलाई में अपना योगदान देकर अपने उद्देश्य को पूरा करें.

वित्त वर्ष 2023 की रिपोर्ट हमारी पहली एकीकृत रिपोर्ट है और हमने इसे इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल (आईआईआरसी), लंदन के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया है. इसके अतिरिक्त, हमने ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव स्टैंडर्ड्स' कोर ऑप्शन, का अनुपालन करने का प्रयास किया है, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित सामान्य जानकारियों के साथ-साथ विषय-विशिष्ट भी शामिल हैं.

## फ्रेमवर्क संरेखण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एकीकृत रिपोर्टिंग (आईआर) फ्रेमवर्क 2021 में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा बनाए रखने का प्रयास किया है. ये सिद्धांत एकीकृत रिपोर्ट की विषय-वस्तु को सूचित करते हैं और निर्धारित करते हैं कि जानकारी कैसे प्रस्तुत की जाती है:

1. **कार्यनीतिक फोकस और भविष्य का अभिविन्यास:** रिपोर्ट बैंक की कार्यनीति और यह लघु, मध्यम और दीर्घकालिक अवधि में मूल्य बनाने की क्षमता से कैसे संबंधित है, और यह पूंजी के विभिन्न रूपों को कैसे प्रभावित करती है इस बारे में स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करती है.

2. **सूचना की कनेक्टिविटी:** रिपोर्ट उन परस्पर संबंधित कारकों की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती है जो समय के साथ मूल्य बनाने की बैंक की क्षमता को प्रभावित करते हैं. यह चित्रण बैंक की विभिन्न गतिविधियों, उसकी पूंजी और उसके समग्र मूल्य सृजन के बीच संबंध प्रदर्शित करके किया गया है.

3. **हितधारक संबंध:** एकीकृत रिपोर्ट अपने प्रमुख हितधारकों के साथ बैंक के संबंधों की गुणवत्ता में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है. यह बताती है कि बैंक उनकी वैध जरूरतों और हितों को कैसे समझता है, प्रतिक्रिया देता है और ध्यान में रखता है.

4. **तात्विक:** रिपोर्ट उन मामलों के बारे में जानकारी का खुलासा करती है जो लघु, मध्यम और दीर्घकालिक अवधि में मूल्य बनाने की बैंक की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं. यह मूल्य निर्माण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की उनकी क्षमता के आधार पर तात्विक मामलों की पहचान करती है.

5. **संक्षिप्तता:** बैंक एकीकृत रिपोर्ट को तार्किक रूप से संरचित, अच्छी तरह से व्यक्त और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करके इसकी समग्र उपयोगिता सुनिश्चित करता है. इसमें उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रभावी नेविगेशन डिवाइस शामिल हैं.

6. **विश्वसनीयता और पूर्णता:** रिपोर्ट विश्वसनीय और पूर्ण दोनों है. इसमें सभी प्रासंगिक और तात्विक जानकारी शामिल है, इसलिए यह बैंक के निष्पादन और संभावनाओं की एक व्यापक तस्वीर पेश करती है.

7. **संगतता और तुलनीयता:** रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी समय के साथ सुसंगत है और उसी उद्योग या क्षेत्र के अन्य संगठनों के साथ तुलनीय है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और उपयोगिता बढ़ जाती है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एकीकृत रिपोर्ट मोटे तौर पर में आईआर फ्रेमवर्क के मार्गदर्शक सिद्धांतों के सभी पहलुओं को शामिल करती है. यह विभिन्न कारकों की अन्योन्याश्रितताओं को दर्शाती है जो मूल्य सृजन को प्रभावित करते हैं, बैंक के कार्यनीतिक अभिविन्यास को चित्रित करती है, और हितधारक संबंधों को सूचित करती है. अपनी संक्षिप्त लेकिन व्यापक प्रस्तुति के माध्यम से, यह विश्वसनीयता और तुलनीयता सुनिश्चित करती है, जिससे एकीकृत रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के सिद्धांतों और दिशानिर्देशों का पालन होता है.

इस रिपोर्ट में चर्चा किए गए लक्ष्य आकांक्षी हैं. हालाँकि हम उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम इसकी गारंटी या वादा नहीं कर सकते कि ये लक्ष्य पूरे होंगे. इन खुलासों में सांख्यिकी और मेट्रिक्स में अनुमान शामिल हैं और ये धारणाओं पर आधारित हो सकते हैं. इसके अलावा, एकीकृत रिपोर्ट 2022-23 / कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट के सिद्धांत 6 का हिस्सा बनने वाली प्राकृतिक पूंजी में गैर-वित्तीय प्रकटीकरण के स्वतंत्र निर्धारण/मूल्यांकन/आश्वासन को महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ सूचीबद्ध मेसर्स एएआर कंसल्टिंग एंड सर्विसेज, क्लास ए एनर्जी ऑडिटर्स द्वारा तैयार किया गया है. यह रिपोर्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और हमारे हितधारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रतिबिंबित करने के लिए "तात्विक" विषयों सहित कुछ पदों का उपयोग करती है. इस संदर्भ में प्रयुक्त, ये पद "तात्विक" और "तात्विक" शब्दों से भ्रमित नहीं होना चाहिए और इन्हें प्रतिभूति कानूनों या वित्तीय विवरणों और रिपोर्टिंग के संदर्भ में जैसा उपयोग किया जाता है, के अनुसार परिभाषित या अर्थित नहीं किया जाना चाहिए.

यह रिपोर्ट केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूतियों की पेशकश या बिक्री से संबंधित नहीं है. इस रिपोर्ट की सभी जानकारी प्रकाशन की तारीख तक अद्यतन है. हम इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी को अद्यतन करने या अन्यथा, यदि इस रिपोर्ट में बताए गए किसी भी विचार, राय या तथ्य में होनेवाले किसी बदलाव या बाद में ग़लत पाए जाने के बारे में आपको सूचित करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेते हैं. वैधानिक प्रकटीकरणों के अलावा, इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण ईएसजी विषयों पर स्वैच्छिक खुलासे भी शामिल हैं. इस रिपोर्ट को हमारी वित्तीय वर्ष 2022 ईएसजी रिपोर्ट के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, (विशेष रूप से "भविष्य उन्मुख वक्तव्य" और "जोखिम कारक" खंड), ये सभी हमारी वेबसाइट के निवेशक संबंध पृष्ठों पर देखे जा सकते हैं.

विशिष्ट गैर-वित्तीय और वित्तीय प्रकटीकरणों के अलावा वित्तीय वर्ष 2023 के लिए एकीकृत रिपोर्ट पूरी तरह से इन-हाउस तैयार की गई है, किसी तीसरे पक्ष एजेंसी द्वारा इसका बाहरी सत्यापन नहीं किया गया है. इस रिपोर्ट में शामिल अंतर्दृष्टि, आंकड़े और आकलन हमारे संचालन, प्रभावों और मूल्य निर्माण के हमारे मार्ग के बारे में हमारी समझ को दर्शाते हैं. सभी ऊर्जा खपत और पानी के उपयोग जैसे गैर-वित्तीय प्रकटीकरण, जैसा कि बीआरएसआर के सिद्धांत 6 और प्राकृतिक पूंजी पर अध्याय में उजागर किया गया है, का मूल्यांकन बैंक द्वारा नियुक्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है. इसके अतिरिक्त, सभी वित्तीय प्रकटीकरणों की लेखा-परीक्षा हमारे वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है, जैसा कि रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में प्रमाणित है. यह जानते हुए कि एकीकृत रिपोर्ट बाहरी सत्यापन के बिना तैयार की गयी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें प्रस्तुत की गई जानकारी की सटीकता, पूर्णता और समयसीमा के लिए एकमात्र जवाबदेही रखता है. वित्तीय वर्ष 2024 से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एकीकृत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सत्यापन हेतु एक प्रतिष्ठित बाहरी एजेंसी को शामिल करने की योजना बना रहा है. यह हमारी रिपोर्टों की विश्वसनीयता बढ़ाकर हमारे हितधारक संबंधों को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है.

**www.unionbankofindia.co.in**

***भविष्योन्मुखी कथन***

*इस रिपोर्ट में संस्थान के संबंध में कुछ भविष्योन्मुखी विवरण शामिल हैं.यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पाठकों को सावधान करता है कि कोई भी भविष्योन्मुखी बयान भविष्य के कार्यनिष्पादन की गारंटी नहीं है और वास्तविक परिणाम या अन्य वित्तीय स्थिति या प्रदर्शन भविष्योन्मुखी बयानों से भिन्न हो सकते हैं.इन भविष्योन्मुखी कथनों को इस तथ्य से पहचाना जा सकता है कि वे केवल ऐतिहासिक या वर्तमान तथ्यों से संबंधित नहीं हैं. भविष्योन्मुखी बयानों में कभी-कभी 'हो सकता है', 'होगा', 'खोजना', 'जारी रखना', 'लक्ष्य करना', 'अनुमान लगाना', 'लक्ष्य', 'अनुमानित', 'उम्मीद करना', 'अनुमान लगाना', 'अभिप्रेत', 'योजना बनाना', 'लक्ष्य', 'विश्वास' 'प्राप्त करना' या समान अर्थ वाले अन्य शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है. अपनी प्रकृति के कारण, भविष्योन्मुखी कथन जोखिम और अनिश्चितता को शामिल करते हैं क्योंकि वे भविष्य की घटनाओं और परिस्थितियों से संबंधित होते हैं. भविष्योन्मुखी कथन केवल उसी तिथि से संबंधित हैं जिस तिथि को बनाए गए थे.भविष्योन्मुखी कथन लेखांकन, उद्योग में बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं; पर्यावरण परिवर्तन के प्रभावों और पर्यावरणीय, सामाजिक और भू-राजनीतिक जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करें और नियामक मानकों की व्याख्या और अनुप्रयोग के संबंध में ईएसजी रिपोर्टिंग में विकसित प्रथाओं सहित मानकों और व्याख्याओं का विकास; सरकार और अन्य हितधारकों के साथ संस्थान की क्षमता प्रबंधन करती है. इनमें से कई प्रभाव और कारक संस्थान के नियंत्रण से परे हैं. ये कथन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन के तथा प्रत्याशित जोखिम एवं अनिश्चितताएं वर्तमान मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित हैं.*

*वास्तविक परिणाम भविष्योन्मुखी कथनों में व्यक्त परिणामों से भिन्न हो सकते हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भविष्य की वित्तीय स्थिति और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारणों की पहचान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2022-23 में लागू नियमों और किसी भी प्रासंगिक क्षेत्राधिकार की आवश्यकताओं के अंतर्गत दायित्वों के अधीन की गई है जो www.unionbankofindia.co.in पर उपलब्ध है. प्रकटीकरण एवं विद्यमान जानकारी के संबंध में, हम सार्वजनिक रूप से अद्यतन करने या किसी भी भविष्योन्मुखी कथन को संशोधित करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, चाहे नई जानकारी के परिणाम, भविष्य की घटनाएं कुछ भी हो.*

अधिक जानकारी हेतु
www.unionbankofindia.co.in पर जाएं

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2022-23
डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

# *डिजिटल कौशल के माध्यम से* संवहनीयता हेतु प्रतिबद्ध

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम एक डिजिटल और महत्वाकांक्षी भारत के विकास के योगदान में अग्रणी बनने की आकांक्षा रखते हैं, साथ ही देश की शुद्ध शून्य उत्सर्जन की यात्रा का समर्थन भी करते हैं. हमारा लक्ष्य स्थिरता, जिम्मेदार बैंकिंग और अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करके भारत की प्रगति और समग्र सामाजिक विकास में सकारात्मक योगदान देना है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल, आकांक्षी और पर्यावरण के प्रति जागरूक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है.स्थिरता और डिजिटल क्षमता को अपने मूल मूल्यों में एकीकृत करके, हम न केवल इसके हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बना रहे हैं, बल्कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन देश बनने की दिशा में देश की यात्रा में भी योगदान दे रहे हैं.

भारत ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में वैश्विक नेतृत्व किया है, जो एक हरित और अधिक न्यायसंगत भविष्य के निर्माण के प्रति अपने समर्पण को दर्शाता है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं, वित्तीय समावेशन और हरित बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस दृष्टिकोण के समर्थन में मजबूती से खड़ा है. हम बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधा वाले वर्गों तक पहुंचने, उन्हें वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाने और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के महत्व को स्वीकार करते हैं.

*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हम, उज्जवल, हरा-भरा और अधिक समृद्ध भारत में विश्वास करते हैं, जहां हर कोई समृद्ध हो सकता है और नवाचार एवं वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सकता है.*

डिजिटल प्रौद्योगिकियां हमारे जीने और काम करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं, तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस परिवर्तन में पूरी तरह से सहयोग प्रदान कर रहा है. ब्लॉकचेन, एआई और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में बैंक का निवेश हमें निर्बाध और सुरक्षित ग्राहक अनुभव प्रदान करने, हमारी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य के अनुकूल होने में सक्षम बनाता है.इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान समाधान जैसी डिजिटल बैंकिंग पहलों के साथ, हम अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, सुलभ और सुरक्षित बना रहे हैं.

डिजिटल इंडिया का विकास और स्थायी भविष्य के लिए देश की आकांक्षाएं साथ-साथ चलती हैं. संवहनीयता और डिजिटल कौशल के प्रति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता भारत को स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक नेता और डिजिटल क्षेत्र में नवाचार का केंद्र बनने के लक्ष्य की ओर ले जाने में सार्थक भूमिका निभाएगी. वित्तीय समावेशन और हरित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देकर, हमारा लक्ष्य देश को समृद्ध, धारणीय और डिजिटल रूप से सशक्त भविष्य की ओर ले जाना भी है.

# अंदर के पन्नों में

## इस रिपोर्ट को नेविगेट करना

हमने पूरी रिपोर्ट में आइकन की एक श्रृंखला शामिल की है, जो प्रासंगिक विषयों को आपस में जोड़ने और हमारी मूल्य निर्माण प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए दृश्य संकेतों के रूप में काम करती है. प्रत्येक आइकन और संबंधित तात्विक विषय संख्या रिपोर्ट के भीतर क्रॉस-रेफरेंसिंग प्रदान करती है, जिससे चर्चा के तहत विषयों के संदर्भ और तर्क की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है. रिपोर्ट में सहजता से नेविगेट करने और हमारे निष्पादन के पूर्ण चित्रण को समझने के लिए इन मार्गदर्शक तत्वों का उपयोग करें.

» *यूएनएसडीजी*

» *कारोबार मॉडल घटक*

1 प्रमुख भागीदार
2 प्रमुख गतिविधि
3 प्रमुख संसाधन
4 मूल्य कथन
5 ग्राहक संबंध
6 चैनल
7 ग्राहक वर्ग
8 प्रमुख इनपुट
9 राजस्व के स्रोत

» *कार्यनीति ब्लूप्रिंट*

1. हमारे ग्राहकों के वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाना
2. *संवहनीय भविष्य की दिशा में हमारे ग्राहकों के परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना*
3. *हमारी ग्राहक पहुँच का विस्तार करना*
4. *परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना*
5. *एक गतिशील और समर्पित टीम को तैयार करना*
6. *डिजिटल दक्षता बढ़ाना*
7. *संवहनीयता को बढ़ावा देना*
8. *सक्रिय विनियामक अनुपालन*

» *तात्विक विषय:*

11 सामाजिक पूंजी- ग्राहक गोपनीयता
12 सामाजिक पूंजी- डाटा सुरक्षा
13 सामाजिक पूंजी- ग्राहकों की संवहनीयता
14 सामाजिक पूंजी- उत्पाद गुणवत्ता एवं सुरक्षा
15 सामाजिक पूंजी- ग्राहक कल्याण
19 मानव पूंजी- प्रशिक्षण और कौशल विकास
20 मानव पूंजी- कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा
23 बिजनेस मॉडल और इनोवेशन - उत्पाद डिजाइन और इनोवेशन का महत्व
29 नेतृत्व और शासन- कारोबार नैतिकता और भ्रष्टाचार निवारण उपाय
33 नेतृत्व एवं शासन- जोखिम प्रबंधन
34 नेतृत्व एवं शासन - हितधारकों का शिकायत निवारण
36 नेतृत्व और शासन- प्रतिष्ठा, संप्रेषण और जागरूकता
43 अर्थव्यवस्था- व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन

# विषय सूची


| कार्यनीति, मॉडल और पूंजी | 08 -135 |
|---|---|
| कॉर्पोरेट सूचना | 08 |
| संगठन संरचना -यथा 05.06.2023 | 09 |
| निदेशक मंडल | 10 |
| मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य महाप्रबंधक - यथा 31.03.2023 | 16 |
| महाप्रबंधक - यथा 31.03.2023 | 17 |
| अध्यक्ष का संदेश | 20 |
| प्रबंध निदेशक का संदेश | 22 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 की विशेषताएं - प्राकृतिक, सामाजिक और मानव पूंजी | 24 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 की विशेषताएं - विनिर्मित और वित्तीय पूंजी | 25 |
| कॉर्पोरेट और आर्थिक प्रोफाइल | 26 |
| बाजार की गतिशीलता को समझना - संवहनीयता की सफलता हेतु जिम्मेदारीपूर्ण प्रत्युत्तर | 28 |
| कार्यनीति ब्लूप्रिंट - डिजिटल नवाचार द्वारा संचालित, परिवेशी प्रबंधन हेतु प्रतिबद्ध | 32 |
| तात्विकता मूल्यांकन एवं हितधारक सहभागिता | 36 |
| हमारा गतिशील कारोबार मॉडल | 42 |
| वित्तीय वर्ष 2023: सृजन - एकीकृत मूल्यों का | 44 |
| संवहनीयता के प्रति हमारा दृष्टिकोण | 46 |
| नैतिक उत्कृष्टता - जिम्मेदार बैंकिंग के प्रति हमारा दृष्टिकोण | 48 |
| उपयुक्त उत्पाद - वृद्धि एवं समावेशपूर्ण वर्ष | 50 |
| पुरस्कार और सम्मान - प्रतिष्ठा वित्तीय वर्ष 2023 | 58 |
| जिम्मेदारीपूर्ण विनिर्मित पूंजी - मूल्य सृजन के लिए प्रगामी वित्तीय समाधान | 62 |
| वित्तीय पूंजी को मजबूत करना - संवहनीयता और डिजिटल उन्नति का आधार | 70 |
| प्रभावी बौद्धिक पूंजी - संवहनीयता के लिए प्रतिबद्ध, डिजिटल कौशल से प्रेरित | 82 |
| प्राकृतिक पूंजी का विकास - पर्यावरण प्रबंधन के प्रति यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता | 90 |
| प्राकृतिक पूंजी का विकास - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में परिचालन संवहनीयता | 98 |
| सामाजिक एवं संबंध पूंजी - टिकाऊ संबंधों का निर्माण | 104 |
| मानव पूंजी को प्रभावी बनाना - डिजिटल, संवहनीय भविष्य की दिशा में | 120 |
| जीआरआई सूचकांक तालिका | 130 |

| सूचना | 136 - 152 |
|---|---|
| 21वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना | 136 |

| सांविधिक रिपोर्ट | 153 - 242 |
|---|---|
| निदेशकों की रिपोर्ट | 153 |
| प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण | 165 |
| कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट | 198 |

| वित्तीय विवरण | 243-354 |
|---|---|
| स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन) | 243 |
| स्टैंडअलोन तुलन-पत्र | 252 |
| स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता | 253 |
| स्टैंडअलोन अनुसूचियाँ 1 से 18 | 254 |
| स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण | 313 |
| स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित) | 315 |
| समेकित तुलन-पत्र | 322 |
| समेकित लाभ एवं हानि खाता | 323 |
| समेकित अनुसूचियाँ 1 से 18 | 324 |
| समेकित नकदी प्रवाह विवरण | 353 |

| | |
|---|---|
| बेसल III पूंजी विनियम के तहत प्रकटीकरण | 355 |
| कारोबारी उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट | 356 |
| हरित पहल - शेयरधारकों से अपील | 357 |

# कॉर्पोरेट सूचना

## प्रधान कार्यालय & केंद्रीय कार्यालय
यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

## ग्लोबल लोकेशन नंबर (जीएलएन)
8904368511166

## निवेशक सेवाएं प्रभाग
यूनियन बैंक भवन, 12वाँ तल
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

## रजिस्ट्रार & शेयर अंतरण एजेंट
**केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड**
इकाई: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31 & 32
वित्तीय जिला,
नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500032

## डिबेंचर ट्रस्टी
**आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड**
एशियन बिल्डिंग, भू तल,
17, आर. कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट,
मुंबई - 400 001

## कंपनी सचिव
एस. के. दाश

## सचिवीय लेखापरीक्षक
**रागिनी चोकसी & कं.**
कंपनी सचिव

## सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक
**मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं**
सनदी लेखाकार

**मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**मेसर्स सी आर सागदेव & कं.**
सनदी लेखाकार

**मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

**मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.**
सनदी लेखाकार

**मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार

# संगठनात्मक संरचना

दिनांक 05.06.2023 से प्रभावी

**निदेशक मंडल**

**अध्यक्ष**

**प्रबंध निदेशक एवं सीईओ**

मुख्य सतर्कता अधिकारी

स्टाफ प्रमुख (एमडी & सीईओ कार्यालय)

मुख्य अनुपालन अधिकारी

मुख्य जोखिम अधिकारी

प्रमुख अर्थशास्त्री

---

**ईडी - आरएवी, कृषि, एमएसएमई, परिचालन, स्ट्रेटजी, डिजिटाईजेशन, सीआर एवं एमआईएस, एसीओई, आईटी. रिकोन, स्वर्ण ऋण**

***खुदरा आस्ति वर्टिकल***
- » आरएलपी, आवास एवं बंधक ऋण
- » वाहन ऋण, अन्य ऋण
- » शिक्षा ऋण
- » खुदरा नीति एवं उत्पाद

***कृषि कारोबार विभाग***

***एमएसएमई***
- » एमएसएमई ऋण पॉइंट परिचालन
- » एमएसएमई सरकारी योजनाएं & रिपोर्टिंग
- » यूनियन एमएसएमई फ़र्स्ट ब्रांच
- » क्लस्टर वित्तपोषण

***परिचालन***
- » शाखा पहल एवं नेटवर्क स्ट्रेटजी
- » ग्राहक सेवा (सीसी) & शिकायत

***स्ट्रेटजी***
- » कारोबार प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग
- » स्ट्रेटजिक योजना एवं समीक्षा
- » बैंकिंग & मैक्रो रिसर्च

***डिजिटाइजेशन***
- » डिजिटल जर्नी, एमबी, आईबी, क्रेडिट कार्ड, व्यापारी अधिग्रहण, नेशनल पोर्टल, आरबीआई के साथ पार्टनरशिप, नवाचार हब/डीएफ़एस/एलएएस
- » डिजिटल रूपांतरण परियोजना & डिजिटल कारोबार प्लेटफ़ॉर्म का कार्यान्वयन, फिनटेक, डिजिटल इंटरेक्शन & मार्केटिंग सहित ई-इकोसिस्टम पार्टनरशिप, सीआरएम कार्यान्वयन, लोयल्टी रिवार्ड्स, टीपीपी खाता एग्रीगेटर का डिजिटाइजेशन, ओसीईएन, ओएनडीसी, नई टेक पहल, डीबीयू
- » डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन

***सेंट्रल रिपॉजिटरी और एमआईएस***

***एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सिलेंस***

***सूचना प्रौद्योगिकी***
- » कोर एप्लिकेशन
- » गैर-कोर एप्लिकेशन
- » इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, क्लाउड

***समाधान विभाग***
- » केंद्रीकृत समाधान
- » सभी डिलीवरी चैनल के लिए केंद्रीकृत डैशबोर्ड

***स्वर्ण ऋण***

---

**ईडी - ट्रेजरी और आईबीडी, लेखापरीक्षा और निरीक्षण, एसएएमवी, मानव संसाधन, जमा संग्रहण, टी एवं एफ़एम, सीसो, एसएसडी एवं कॉर्पोरेट संप्रेषण, संपदा प्रबंधन**

***ट्रेजरी & अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग***
- » घरेलू & विदेशी मुद्रा कारोबार
- » अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग
- » फ़ॉरेक्स परिचालन, बैक ऑफिस
- » ट्रेजरी सेवाएं & ग्राहक विकास
- » ट्रेजरी रिसर्च & सेल्स

***लेखापरीक्षा और निरीक्षण***

***दवाब आस्ति प्रबंधन वर्टिकल***
- » वसूली
- » कठिन आस्ति समाधान टीम (डीएआरटी)
- » विधिक सेवाएं
- » मुकदमेबाजी प्रबंधन

***मानव संसाधन***
- » प्रशासनिक
- » ज्ञानार्जन& विकास
- » राजभाषा

***जमा संग्रहण***
- » जमा संग्रहण
- » खुदरा रिलेशनशिप कक्ष-लीड प्रबंधन प्रणाली
- » सरकारी कारोबार और रिलेशनशिप

***सीसो***

***एसएसडी कॉर्पोरेट संप्रेषण***
- » सहायक सेवाएं
- » परिसर संपत्ति, व्यय & बजट
- » कॉर्पोरेट संप्रेषण
- » सुरक्षा सेवाएं

***संपदा प्रबंधन***
- » तृतीय पक्ष उत्पाद विपणन
- » आईपीओ प्रबंधन
- » पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं
- » व्यापारी बैंकिंग परिचालन, पूंजी बाजार& डिपॉजिटरी सेवाएं

***संव्यवहार अनुश्रवण और धोखाधड़ी प्रबंधन***
- » ईएफ़आरएमएस समाधान
- » पूर्व चेतावनी प्रणाली
- » धोखाधड़ी प्रबंधन
- » एंटी मनी लॉन्ड्रिंग/सीएफ़टी
- » ऑफ-साइट संव्यवहार अनुश्रवण प्रणाली

---

**ईडी - लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट, वित्त एवं लेखा संयुक्त उपक्रम और सहायक, सीसीएम, राष्ट्रीय प्रसंस्करण कक्ष, बोर्ड सचिवालय, एफ़आई**

***लार्ज कॉर्पोरेट***
- » स्ट्रक्चर्ड फ़ाइनेंस & एलसी
  - कारोबार विकास
  - ऋण सिंडिकेशन
  - अनुश्रवण
  - को-लेंडिंग और पूल बायआउट
- » वित्तीय संस्थान
  - कारोबार विकास
  - सलाहकार सेवाएं
- » संव्यवहार बैंकिंग
- » कॉर्पोरेट रिलेशनशिप कक्ष

***मिड कॉर्पोरेट***

***वित्त & लेखा संयुक्त उपक्रम & सहायक***
- » पूंजी उगाही
- » निवेशक संबंध
- » ईज

***ऋण अनुपालन & अनुश्रवण***
- » टीईवी कक्ष

***राष्ट्रीय प्रसंस्करण कक्ष***
- » केंद्रीकृत खाता खोलना
- » केंद्रीकृत केवाईसी विडियो केवाईसी

**बोर्ड सचिवालय**

**वित्तीय समावेशन**

# निदेशक मंडल

**श्री श्रीनिवासन वरदराजन**
*गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक*

श्री श्रीनिवासन वरदराजन दिनांक 07 नवंबर, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रुप में नियुक्त हुए है. आपके पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है. वर्ष 2019 में अपनी सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने से पूर्व आपने एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं.

वित्तीय सलाहकार के रूप में, आपने एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परामर्श फ़र्म, एक सॉवरेन वेल्थ फ़ंड, एक बड़े कॉर्पोरेट समूह, एक एनबीएफ़सी समूह और एक निजी क्षेत्र के बैंक में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं. श्री श्रीनिवासन वरदराजन जेपी मॉर्गन, इंडिया के प्रबंध निदेशक और बाज़ार प्रमुख रहे हैं. आप भारत में जेपी मॉर्गन चेस बैंक के सीईओ भी रहे हैं.

आपने भारतीय रिज़र्व बैंक की विभिन्न समितियों में कार्य किया, जिसमें तकनीकी सलाहकार समिति, रेपो हेतु समिति और पंजीकृत ब्याज और मूल प्रतिभूतियों के अलग कारोबार के लिए समिति (स्ट्रिप्स) शामिल हैं. आप फ़िक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. आप इंडो- यू. के. फाइनेंशियल पार्टनरशिप फोरम के सदस्य भी रहे हैं.

आप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई से इंजीनियरिंग में स्नातक हैं तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता से प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा किया है.

**सुश्री ए मणिमेखलै**
*प्रबंध निदेशक एवं सीईओ*

सुश्री ए. मणिमेखलै तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक दक्ष बैंकर हैं. आपने 1988 में तत्कालीन विजया बैंक में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और सफलतापूर्वक प्रोन्नत होकर क्रमश: शाखा प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख और कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों के कार्यात्मक प्रमुख के तौर पर कार्य किया. आपने योजना बनाने, संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित करने, विकास, कार्य योजनाओं, अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण आदि प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाली कार्यनीतिक नीतियों को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सुश्री ए. मणिमेखलै केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक थीं, जहां आपने कार्यनीतिक अयोजना, ऋण और संबंधित मामले, निरीक्षण, विपणन और वित्तीय समावेशन, राज्य स्तरीय अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्रियाकलापों का नेतृत्व किया. आपने केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के सफल समामेलन को प्रभावी रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

आपको पांच अन्य कंपनियों के बोर्ड पर निदेशक के रूप में व्यापक अनुभव है, इनमें कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड, कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं. आप केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की ट्रस्टी भी रह चुकी हैं.

भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों और कार्य समूहों में एक सदस्य के रूप में आपने नीति निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दिया है, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भविष्य के रोड मैप को तैयार करना, वित्तीय समावेशन, कृषि मूल्य-शृंखला वित्तपोषण, बैंकिंग संवाददाता मुद्दे और हेल्थ केयर और शिक्षा के लिए निर्बाध ऋण प्रवाह के लिए तालमेल बनाना शामिल है.

सुश्री ए. मणिमेखलै ने बेंगलूरु विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (विपणन) और नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस), मुंबई से मानव संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा किया है. आपने देश की प्रमुख संस्थानों में आयोजित विभिन्न कार्यपालक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है और साथ ही आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से एक प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं.

**श्री नितेश रंजन**
*कार्यपालक निदेशक*

श्री नितेश रंजन ने वर्ष 2021 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का पदभार संभाला है. आप एक बेहतर ग्राहक अनुभव, कर्मचारी जुड़ाव और सशक्त तुलन पत्र की दिशा में बैंक में डिजिटल रूपांतरण का नेतृत्व कर रहे हैं. कारोबार के परिणाम को बढ़ाते हुए, आप बैंक में जोखिम और अनुपालन मानकों को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

श्री रंजन सन 2008 से बैंक से जुड़े हुए हैं जहां आपने ट्रेजरी परिचालन एवं बिज़नेस स्ट्रेटजी प्रमुख, मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी, मुख्य अर्थशास्त्री तथा क्षेत्र प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों को संभाला है.

आप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक प्राइवेट लिमिटेड; तथा पीएसबी सुधार पर आईबीए संचालन समिति के सदस्य भी हैं. आप इससे पूर्व एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड, एफ़आईएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ) और यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड के बोर्ड पर थे. आप भारतीय विदेशी मुद्रा समिति (आईएफ़एक्ससी) के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं.

श्री नितेश रंजन अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं. आपने आईबीए एवं एगोन जेंहडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श में तथा बैंक बोर्ड ब्यूरो (अब एफ़एसआईबी) द्वारा विकसित आईआईएम बेंगलूरु से नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी पूर्ण किया है. आपने टीच इंडिया पहल के तहत, वंचित वर्ग के युवाओं हेतु 'स्पोकेन इंग्लिश प्रोग्राम' के लिए 100 दिन समर्पित किया है.

**श्री रजनीश कर्नाटक**
*कार्यपालक निदेशक (28.04.2023 तक)*

श्री रजनीश कर्नाटक पंजाब नैशनल बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक पद पर कार्यरत थे. आपने वाणिज्य (एम.कॉम) में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की तथा आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं.

आपको बैंकिंग क्षेत्र में 27 वर्ष का गहन कार्यानुभव है और आपने अनेक शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों का भी कार्यभार संभाला है. पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के महाप्रबंधक के रूप में, आप लार्ज कॉर्पोरेट क्रेडिट शाखाओं तथा वर्टिकल जैसे ऋण अनुश्रवण, डिजिटल बैंकिंग और मिड कॉर्पोरेट ऋण के प्रभारी थे. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पंजाब नैशनल बैंक में समामेलन के पश्चात, आप पंजाब नैशनल बैंक में ऋण अनुश्रवण प्रभाग और कॉर्पोरेट क्रेडिट प्रभाग के प्रमुख रहे हैं.

आपने आईआईएम-कोझिकोड और जेएनआईडीबी हैदराबाद द्वारा आयोजित विविध प्रशिक्षण तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

साथ ही, आप आईएमआई (अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान) दिल्ली के अग्रिम प्रबंधन कार्यक्रम में सहभागी रहे हैं. आईआईएम बैंगलोर एवं ईगोन जेंडर के नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए एफ़एसआईबी (पूर्व बीबीबी) द्वारा चयनित वरिष्ठ अधिकारियों के प्रथम बैच में आपका चयन हुआ था. आप परियोजना निधिकरण तथा कार्यशील पूंजी निधिकरण, ऋण जोखिम की विशेष योग्यता के साथ जोखिम प्रबंधन व ऋण मूल्यांकन कौशल में दक्ष हैं.

श्री कर्नाटक ने पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पीएनबी हाउसिंग फ़ाइनेंस लिमिटेड तथा इंडिया एसएमई एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं. आपने आईएएमसीएल (आईआईएफ़सीएल एसेट प्रबंधन कंपनी लिमिटेड) में पंजाब नैशनल बैंक की ओर से बोर्ड ट्रस्टी के रूप में भी कार्य किया है.

आप वर्तमान में यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड के नामित निदेशक के पद पर कार्यरत हैं. आपने लंदन स्थित बैंक की सहायक कंपनी यूबीआई (यूके) लिमिटेड के बोर्ड में गैर स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में भी कार्य किया है तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (आईआईबीएम) गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के भी आप सदस्य हैं.

**श्री निधु सक्सेना**
*कार्यपालक निदेशक*

श्री निधु सक्सेना ने दिनांक 01.02.2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है.

54 वर्षीय श्री निधु सक्सेना वाणिज्य स्नातक हैं और आपने सीएआईआईबी योग्यता के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर भी किया है. आपने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा से की थी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने यूको बैंक में भी कार्य किया है.

आप यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज लिमिटेड में निदेशक हैं. आप एनआईबीएम अकादमिक काउंसिल के भी सदस्य हैं तथा आपको यूपीएससी सलाहकार पैनल में विषय विशेषज्ञ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. पेशेवर सदस्यता के बीच, आप खुदरा बैंकिंग एवं एमएसएमई पर भारतीय बैंकिंग संघ की स्थायी समितियों के पूर्व सदस्य रहे हैं.

आपने अपने पूरे बैंकिंग करियर के दौरान एनआरआई विशेषीकृत शाखा, केंद्रीयकृत रिटेल हब तथा केंद्रीय कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर कार्य किया है. आपने यूको बैंक में शाखा प्रमुख तथा अंचल प्रमुख सहित विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया है. आप रिटेल ऋण, एमएसएमई तथा बैंक-बीमा कारोबार के शाखा प्रमुख, अंचल प्रमुख के रूप में कार्यरत थे.

**श्री रामसुब्रमणियन एस.**
*कार्यपालक निदेशक*

श्री रामसुब्रमणियन एस. ने दिनांक 21 नवंबर, 2022 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ने से पहले, आप केनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे. आपको बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई, खुदरा ऋण, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एवं फॉरेक्स में 25 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है. आप विज्ञान में स्नातक हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से एक प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) अर्हता प्राप्त हैं.

आपने अपने पूरे बैंकिंग करियर के दौरान विभिन्न क्षमताओं के तहत परिचालन एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व किया है. आपने केनरा बैंक की हाँगकाँग शाखा में एक कार्यकाल सहित प्राइम कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग, लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट शाखाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाई है. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने क्रेडिट में आपकी विशेषज्ञता और अमूल्य अंतर्दृष्टि को मान्यता दी है; आप पूर्व में कॉर्पोरेट ऋण की स्थायी समिति के भी सदस्य है. आपको कोविड संबंधी ऋण पुनर्रचना पर कामत समिति में भी नामित किया गया है.

**श्री समीर शुक्ला**
*सरकार द्वारा नामित निदेशक*

श्री समीर शुक्ला, कर्नाटक कैडर के 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं.

वर्तमान में, आप वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में आपको दिनांक 08.11.2021 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक किया है.

**भारत सरकार में आपका कार्यानुभव**

इससे पूर्व, आपने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार में भी कार्य किया है

**कर्नाटक सरकार में आपका कार्यानुभव**

» बीदर, धारवाड़ एवं बल्लारी जिले में उपायुक्त एवं जिलाधिकारी

» ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत, रायचूर

» उद्योग विभाग में मैसूर मिनीरल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक

» ग्रामीण विकास में मिशन निदेशक

» कौशल विकास, उद्यमिता एवं आजीविका विभाग में आयुक्त

आपने आईएएस के रूप में सरकारी सेवा में नियुक्त होने से पूर्व एचसीएल इंफोसिस्टम, निजी क्षेत्र में नेटवर्क इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया है.

**श्री अरुण कुमार सिंह**
*आरबीआई द्वारा नामित निदेशक*

श्री अरुण कुमार सिंह वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय मुंबई के प्रमुख है, जो बैंक में तकनीकी विकास, विशेष रूप से मुद्रा प्रबंधन, सरकारी बैंकिंग भुगतान प्रणाली, साइबर सुरक्षा, डाटा सेंटर उन्नयन, आंतरिक अनुप्रयोग, आईटी अवसंरचना आदि क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे हैं.

आपको भारतीय रिजर्व बैंक में सरकारी बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, गैर-बैंकिंग एवं बैंकिंग पर्यवेक्षण, बैंकिंग विनियमन, मौद्रिक नीति, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करने का समृद्ध अनुभव है. आप गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य से लंबी अवधि तक जुड़े रहे हैं. आपने विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों हेतु प्रधान निरीक्षक अधिकारी / वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक के रूप में कार्य किया है तथा आप प्रक्रिया एवं विकास से संबंधित जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के साथ-साथ बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से जुड़े रहे हैं. आप बैंकों की नियामक नीति तैयार करने में विभिन्न क्षमताओं से शामिल रहे हैं. आपने एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नामित निदेशक के रूप में भी सेवाएँ प्रदान की हैं तथा आपने मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया के तहत नियामक एवं विकास मामलों में सहायता प्रदान की है. आप अपने मौजूदा कार्यभार से पूर्व तीन वर्षों [2019-22] के लिए राजस्थान में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत थे तथा राजस्थान राज्य में मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग / गैर-बैंकिंग विकास, सरकारी बैंकिंग आदि के क्षेत्र में केंद्रीय बैंकिंग का निर्वहन किया है.

श्री अरुण कुमार सिंह ने अर्थशास्त्र में स्नातक तथा वित्त एवं मानव संसाधन में एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है. आप भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीआईआईबी) भी हैं.

# निदेशक मंडल

**श्री सूरज श्रीवास्तव**
*अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक*

श्री सूरज श्रीवास्तव भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सह सदस्य हैं तथा विधि स्नातक (एलएलबी) भी हैं.

श्री श्रीवास्तव को कराधान एवं लेखा परीक्षा में चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में 16 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव रहा है और आपने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य कंपनियों में वैधानिक ऑडिट, समवर्ती ऑडिट और शाखा ऑडिट किए हैं.

श्री श्रीवास्तव ने आईसीएआई से सूचना प्रणाली ऑडिट (आईएसए) मूल्यांकन परीक्षण भी पूर्ण किया है.

**श्री लक्ष्मण एस उप्पर**
*अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक*

श्री लक्ष्मण एस उप्पर ने 21 मार्च, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है.

श्री उप्पर इंजीनियरिंग में स्नातक हैं. आप एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, जनहितैषी और कर्नाटक क्लासिक एज्यूकेशन प्राइवेट लिमिटेड, धारवाड़ के संस्थापक है. आपने वर्ष 2012 से स्पर्धा स्फूर्ति पब्लिशर्स एवं प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, धारवाड़ की भी शुरुआत की है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है.

वर्तमान में आप क्लासिक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और क्लासिक लिटिल बड्स, क्लासिक पीयू एवं डिग्री कॉलेज, धारवाड़ के अध्यक्ष हैं.

श्री उप्पर अनाथालय केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों एवं धार्मिक संगठनों को दान प्रदान करने के साथ ग्रामीण एवं गरीब तबके के छात्रों को भी मदद कर रहे हैं.

श्री उप्पर को शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उनकी सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है

**डॉ. जयदेव मदुगुला**
*शेयरधारक निदेशक*

डॉ. जयदेव मदुगुला को दिनांक 28 जून, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. आपने कॉमर्स में स्नातकोत्तर और बिजनेस मैनेजमेंट में पीएचडी किया हैं. वर्तमान में, आप आईआईएम बेंगलूरु में वित्त एवं लेखांकन के प्रोफेसर हैं.

डॉ. जयदेव को न केवल भारत की प्रमुख संस्थाओं में बल्कि विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का पर्याप्त अनुभव है. आपने विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन किया है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपने शोध संबंधी लेखों का प्रकाशन किया है तथा आपने वित्त एवं बैंकिंग के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार एवं प्रशंसा अर्जित की है. आप 28 जून, 2018 से 27 जून, 2021 तक बैंक के शेयरधारक निदेशक के पद पर कार्यरत थे.

**श्रीमती प्रीति जय राव**
*शेयरधारक निदेशक*

श्रीमती प्रीति जय राव कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ आईआईटी मुंबई से एमएससी (गणित) हैं. आप व्यावसायिक मूल्य के साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ाने की समर्थक रही हैं और मानव संसाधन और मुख्य रूप से लिंग पर केंद्रित विविधता, इक्विटी और समावेशन को बढ़ाने पर ज़ोर देती हैं.

आपको सभी पाँच महाद्वीपों में स्थित ग्राहकों को विभिन्न आईटी सेवाएं प्रदान करने में 24 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. इंफ़ोसिस में प्रबंधन परिषद सदस्य और पुणे प्रमुख में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस (आईएमएस) व्यवसाय और सॉफ्टवेयर सेवाएं सुपुर्दगी और बड़े पैमाने पर भर्ती, प्रशिक्षण और व्यापक कर्मचारी आधार को आत्मसात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

आप एक डायनमिक उद्यमी हैं, जिन्होनें एक ऐसा संगठन बनाया है, जो भारत में गुणवत्तापूर्ण चाइल्डकेयर की कमी को पूरा करता है, आपके पास उन अनुभवी महिलाओं के लिए अवसर हैं, जो घर और करियर के बीच संतुलन बनाना चाहती हैं.

आप वंचित पृष्ठभूमि से योग्य प्रतिभाशाली युवा लड़कियों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, परामर्श, अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के मिशन के साथ विभिन्न सीएसआर गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है ताकि उन्हें मजबूत मूल्यों के साथ सशक्त, आत्मविश्वासी पेशेवरों के रूप में विकसित किया जा सके साथ ही आप आत्मजा फाउंडेशन की चेयरपर्सन और संस्थापक भी है. वर्तमान में यह फाउंडेशन 300 अनाथ लड़कियों को पेशेवर शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान कर रही है.

आप पिछले कई वर्षों से प्रौद्योगिकी सेवाओं और उत्पादों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सार्वजनिक और निजी कंपनियों के निदेशक मंडल की सदस्य हैं.

# मुख्य सर्तकता अधिकारी एवं मुख्य महाप्रबंधक

यथा 31.03.2023

## मुख्य सर्तकता अधिकारी

श्री विष्णु कुमार गुप्ता

## मुख्य महाप्रबंधक

श्री एस. के. महापात्रा

श्री के. भास्कर राव

श्री एम. वी. बालासुब्रमण्यम

श्री ए. के. विनोद

श्री लाल सिंह

श्री सी. एम. मिनोचा

श्री प्रवीण शर्मा

श्री वी. बी. रेड्डी

श्री अभिजीत बसाक

श्री शैलेश कुमार सिंह

श्री राजीव मिश्रा

श्री योगेन्द्र सिंह

श्री प्रफुल्ल कुमार सामल

श्री एस. सी. तेली

# महाप्रबंधक

यथा 31.03.2023

डॉ. के. एल. राजु

श्री प्रमोद कुमार गुप्ता

श्री के.एस.डी.एस.वी. प्रसाद

श्री ए. आर. राघवेन्द्र

श्री एस. वी. बीजू

श्रीमती एस. अन्नपूर्णा

श्री टाटा वेंकट वेणुगोपाल

श्री एम. एच. पद्मनाभम

श्री आर. प्रधान

श्रीमती बीना वाहिद

श्री अनिल कुरील

श्री आर. रतीश

श्री प्रमोद कुमार सोनी

श्री अमरेन्द्र कुमार

श्री अरूण कुमार

श्री एम. वेंकटेश्वर स्वामी

श्री सुदर्शन भट

श्री बिनोद कुमार पटनायक

## महाप्रबंधक
यथा 31.03.2023

श्री ज्ञान रंजन सारंगी

श्री कबीर भट्टाचार्य

श्री राम कुमार जगलान

श्री संजय नारायण

श्री एस.के. दाश

श्री जी. के. सुधाकर

श्री आर.एल. पट्टनायक

श्री नवनीत कुमार

श्री नवीन जैन

श्री आर. विश्वेश्वरन

श्री एम. बाबू रवींद्र

श्री सी. वी. मंजुनाथ

श्री भालचंद्र रमन राव अकोलकर

श्री सर्वेश रंजन

श्री सुमित श्रीवास्तव

श्री बी. जानकी राम

श्री आलोक कुमार

श्री विकास कुमार

श्री विपन सिंह

श्री रुप लाल मीणा

श्री राजीव कुमार झा

श्री मनोज कुमार

श्री जितेंद्र मणिराम

श्री गोकुलानंद दास

श्री धीरेंद्र जैन

श्री राजीव शर्मा

श्री जगन्नाथ शेट्टी

श्री अरुण कुमार

श्री गुगुलोतू शंकरलाल

श्री विट्ठल बनशंकरी

श्री एस. शक्तिवेल

श्री विपिन कुमार शुक्ला

श्री गिरिजा भूषण मिश्रा

श्री गिरीश चंद्र जोशी

श्री मनोज कुमार नंदा

श्री ओमप्रकाश श्रीनिवास करवा

श्री पी. कृष्णन

# अध्यक्ष का संदेश

*हमारी डिजिटल यात्रा में हमने भविष्य हेतु तकनीकी नवाचारों को निरंतर अपनाते हुए ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि की है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और हमारे 21 मिलीयन से अधिक ग्राहकों को 350+ डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान की हैं.—*

**श्रीनिवासन वरदराजन**
**अध्यक्ष**

***प्रिय शेयरधारकों,***

हमारी प्रथम एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, जो पारदर्शिता एवं संवहनीयता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रगति है. यह रिपोर्ट बैंक के वित्तीय डेटा के साथ-साथ हमारी सामाजिक, पर्यावरण और सुशासन पहलों का विवरण देती है. इस प्रकार, यह वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य, हमारे समाज और पर्यावरण में हमारे योगदान की समग्र तस्वीर प्रदान करता है. एकीकृत रिपोर्टिंग की दिशा में हमारा कदम ईएसजी प्रथाओं को हमारी मुख्य कारोबारी कार्यनीतियों में शामिल करने के हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हम न केवल अपने शेयरधारकों के लिए, बल्कि अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, समुदायों और पर्यावरण के लिए भी स्थायी मूल्य बनाते हैं. आपका निरंतर विश्वास जिम्मेदार बैंकिंग और समावेशी विकास की हमारी खोज को प्रेरित करता है.

वैश्विक परिवेश में महत्वपूर्ण चुनौतियों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में आर्थिक गतिविधियों में निरंतर सुधार देखा गया है.वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समग्र आर्थिक वृद्धि 7.2 प्रतिशत पर सुदृढ़ बनी हुई है, और इसे सरकार के पूंजीगत व्यय एवं निजी खपत द्वारा सुदृढ़ निवेश गतिविधि से बल मिला.तथापि, वित्त वर्ष 22-23 में मुद्रास्फीति लगभग 6.7 प्रतिशत के औसत के साथ उच्च बनी रही और वित्तीय वर्ष के अंत तक इसमें कमी आनी शुरू हो गई. आगे, बाह्य मांग में कमी, अल-नीनो स्थिति के विकास और परिवर्तनशील वैश्विक वित्तीय स्थितियों सहित कारकों के संयोजन के कारण चालू वित्तीय वर्ष 23-24 में वृद्धि थोड़ी मंद होने की उम्मीद है.विकास में कमी के बावजूद, भारत को विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने की उम्मीद है.

विगत कुछ वर्षों में, भारतीय बैंकिंग उद्योग ने महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं, जैसे कि यूपीआई के नेतृत्व वाले डिजिटल भुगतान में अचानक वृद्धि, सार्वजनिक भुगतान बुनियादी ढांचे का सार्थक विस्तार, नवोदित फिनटेक इको सिस्टम और उपभोक्ता व्यवहार में प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले बदलाव. विगत पांच वर्षों में पीएसयू बैंकों के बीच हुए एकीकरण के पश्चात, अब हम सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का अपने समूह के एक बैंक के साथ विलय देख रहे हैं, जिससे दिग्गज बैंकिंग का निर्माण हो रहा है. जैसे-जैसे समेकन अधिक गति पकड़ता है, आने वाले वर्षों में भारत के शीर्ष 5 बैंकों के पास भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बहुमत बाजार हिस्सेदारी देखना अकल्पनीय नहीं है. बड़े, मजबूत और कुशल बैंकों के निर्माण से बैंकिंग प्रणाली और अधिक मजबूत होगी और सभी हितधारकों को बड़े पैमाने पर लाभ भी होगा. ग्राहकों को बेहतर उत्पादों और उच्च प्रौद्योगिकी निवेश द्वारा सक्षम निर्बाध सेवा के माध्यम से इस तरह के एकीकरण से लाभ होने की संभावना है. बड़े बैंक भी तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को अधिक कुशल तरीके से पूरा करने में सक्षम होंगे. आपका बैंक आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को अपने में विलय करने वाले समामेलन बैंकों में से एक है. यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली में

समामेलन के लाभार्थियों में से अच्छी स्थिति में है और आने वाले अवसरों को भुनाने के लिए सभी आवश्यक निवेश करेगा.

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सराहनीय वित्तीय कार्यनिष्पादन किया है.हमने प्रमुख वित्तीय संकेतकों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो हमारी स्वीकार्यता और विवेकपूर्ण कारोबारी निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है.हमारे लाभ में मजबूत वृद्धि, एक स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात, और डिजिटलीकरण और डिलीजेंट जोखिम प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान देने के साथ-साथ आस्ति गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार से हमारे हितधारकों को आकर्षक रिटर्न सुनिश्चित हुआ है.बैंक तीव्र गति से 'भविष्य के लिए तैयार' क्षमताओं का निर्माण भी कर रहा है. स्वर्ण ऋण, शिक्षा ऋण, चालू और वेतन खाते, नकदी प्रबंधन, संव्यवहार और धोखाधड़ी अनुश्रवण आदि के लिए विशेष वर्टिकल का निर्माण, विशिष्ट उत्पादों/सेवाएं पर समर्पित रूप में ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जिससे बेहतर ग्राहक मूल्य और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान किया जाता है. बैंक ने समयबद्ध तरीके से सुधारात्मक कार्रवाई और प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए ऋण और संव्यवहार अनुश्रवण, धोखाधड़ी का पता लगाने और डेटा माइनिंग में अपनी प्रक्रियाओं को मजबूत किया है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ग्राहक प्रसन्नता हमारे हर कार्य के केंद्र में रहती है. 155 मिलियन से अधिक ग्राहक आधार के साथ, हम अपने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने पर अत्यधिक महत्व देते हैं. 8,580 शाखाओं और 10,835 एटीएम, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और अन्य ग्राहक संपर्क बिंदुओं के हमारे व्यापक नेटवर्क के माध्यम से, हमने बेहतर सेवाएं, अनुकूलित वित्तीय समाधान और एक असाधारण बैंकिंग अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया है.

प्रौद्योगिकी हमारे कार्य करने के तरीके को फिर से परिभाषित कर रही है, और हम आगे रहने के लिए नवाचार और डिजिटलीकरण को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमें अपनी डिजिटल यात्रा में हुई प्रगति पर गर्व है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ी है और जुड़ाव मजबूत हुआ है. डिजिटलीकरण पर इस फोकस ने हमारे शेयरधारकों के लिए हमें आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और संसाधन आबंटन को अनुकूल करने, मूल्य बनाने की अनुमति प्रदान की है. हमारे व्योम प्लेटफॉर्म पर अब 21 मिलियन से अधिक ग्राहक पंजीकृत हैं और डिजिटल रूप से 200+ बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिसमें उधार, जमा, भुगतान और बहुत कुछ शामिल है. इसके साथ ही, बैंक ने आस्ति एवं देयता उत्पाद श्रृंखला दोनों को कवर करते हुए 20+ डिजिटल यात्राएं शुरू की हैं. हमने एक सीआरएम प्रणाली कार्यान्वित की है जो ग्राहक को 360 डिग्री कुशल एवं प्रभावी ग्राहक सेवा के लिए एक डिजिटल संपर्क केंद्र के रूप में सक्षम बनाती है. ये पहल वैयक्तिक और सक्रिय सेवा की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि, वफादारी और प्रतिधारण में वृद्धि होगी. जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम बैंकिंग क्षेत्र की लगातार बदलती गतिशीलता को सफलतापूर्वक नेविगेट करने प्रति आश्वस्त हैं.

इसके अतिरिक्त, हमारा दृढ़ विश्वास है कि एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, सतत विकास में योगदान देना और पर्यावरणीय एवं सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना हमारा कर्तव्य है. हमारे बैंक ने वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप, हमारी कारोबारी कार्यनीतियों में पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) प्रथाओं को एकीकृत किया है. हमने नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक विकास से संबंधित पहलों का समर्थन किया है. कॉर्पोरेट सुशासन और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है. हमने लागू कानूनों, विनियमों और नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने सुशासन ढांचे को मजबूत करना जारी रखा है. हितधारकों के साथ हमारा जुड़ाव हमारे कार्यनीतिक निर्णयों को आकार देने और विश्वास एवं पारस्परिक लाभ पर आधारित टिकाऊ संबंधों को बढ़ावा देने में सहायक रहा है.

*अपने सम्मानित ग्राहकों और शेयरधारकों को उनके अविचल विश्वास एवं समर्थन के लिए आभार प्रकट करते हैं जो 75000+ के जनबल और सामुदायिक विकास के नवीकरणीय उर्जा पहल से संभव हुआ है।*

मैं अपने समर्पित 75,500+ कर्मचारियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं जिनके अथक प्रयास और प्रतिबद्धता बैंक की सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में रहे हैं. मैं अपने मूल्यवान ग्राहकों के निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए उनकी सराहना करता हूं. मैं अपने सम्मानित शेयरधारकों को हमारे बैंक के दृष्टिकोण में उनके अटूट विश्वास और भरोसे के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं.

अंत में, मुझे वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान हमारे बैंक की उपलब्धियों पर गर्व है. हमने बदलते परिचालन कारोबारी माहौल में विकास, लचीलापन, नवाचार और सामाजिक एवं पर्यावरणीय जागरूकता का प्रदर्शन किया है. भविष्य में भी, हम ग्राहक मूल्य बढ़ाने, तकनीकी प्रगति को अपनाने और हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

शुभकामनाओं सहित,

**श्रीनिवासन वरदराजन**
अध्यक्ष

# प्रबंध निदेशक का संदेश

> हमारी आघात सहनीयता, अनुकूलनशीलता एवं कोर मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मजबूत और अधिक सुदृढ़ इकाई बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो कि बैंकिंग क्षेत्र में समग्र प्रगति को दर्शाता है.

**ए. मणिमेखलै**
*प्रबंध निदेशक एवं सीईओ*

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक की उपलब्धियों और वित्तीय कार्यनिष्पादन का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है. महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों के सामने, वित्तीय वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था और बड़े पैमाने पर बैंकिंग क्षेत्र दोनों के लिए अवसरों का मौसम साबित हुआ है. बैंक का लचीलापन, अनुकूलनशीलता और मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एक मजबूत और अधिक सुदृढ़ इकाई के रूप में आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो बैंकिंग क्षेत्र में समग्र उन्नति को दर्शाता है.

हमें रु. 19.28 ट्रिलियन के वैश्विक कारोबार आंकड़े को प्राप्त करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें रु. 11.18 ट्रिलियन जमा और रु. 8.10 ट्रिलियन अग्रिम शामिल है. हमने वित्तीय वर्ष 2022-2023 में क्रमश: रु. 25,467 करोड़ और रु. 8,433 करोड़ का उच्चतम परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ भी हासिल किया है. आस्ति की गुणवत्ता सुदृढ़ रही, सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए अनुपात दोनों घटकर क्रमश: 7.53% और 1.70% हो गए. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31 मार्च, 2023 तक सुधरकर 90.34% हो गया. 16.04% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ, हम 11.5% की विनियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है. कासा और खुदरा सावधि जमा सहित खुदरा जमा के साथ, जो कुल जमा का 74% है, हमने जमा की एक स्थिर फ्रेंचाइजी और एक सुदृढ़ अग्रिम बही तैयार की है, जहां रैम पोर्टफोलियो बैंक के कुल घरेलू अग्रिमों का 56% है.

डिजिटल परिवर्तन में प्रगति महत्वपूर्ण रही है. इससे हमें ग्राहक अनुभव को समृद्ध करने, परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने और नए राजस्व स्रोत उत्पन्न करने की अनुमति मिली है. नवोन्मेष कई खंडों में फैला हुआ है, विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च कर रहा है, जैसे, व्योम मोबाइल ऐप-सभी ग्राहकों के बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए एक वन-स्टॉप समाधान; शिशु, किशोर और तरूण

के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी); मुद्रा एमएसएमई ऋण के लिए एक व्यापक डिजिटल समाधान; खुदरा उधारकर्ताओं के लिए पूर्व-अनुमोदित वैयक्तिक ऋण (पीएपीएल); और कृषि क्षेत्र के लिए केसीसी का शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण. हम खाता एग्रीगेटर इकोसिस्टम और मेटावर्स प्लेटफॉर्म में उद्यम करने वाले पहले पीएसबी में से एक थे और अब भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) फ्रेमवर्क के अधीन लाइव हैं. बैंक की डिजिटल पहुंच बढ़ाने के प्रयास में, हमने देश के 6 जिलों में 7 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) सक्रिय की है. हमने फिनटेक कंपनियों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और अन्य इकोसिस्टम प्रतिभागियों के साथ सहयोग के माध्यम से अपनी पहुंच एवं पेशकश को और मजबूत किया है.

हमने अपने कारोबार की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव रखी है. हमने ऋण केंद्रीकरण और वर्टिकलाइजेशन को परिचालित किया है, जिससे स्वर्ण ऋण, शिक्षा ऋण, नकदी प्रबंधन और टीईवी सेल सहित अन्य क्षेत्रों में नए वर्टिकल तैयार हो रहे हैं. कुशल अनुश्रवण के लिए, हमने संव्यवहार और धोखाधड़ी अनुश्रवण सेल की स्थापना की है. एनपीए खातों के समाधान और वसूली में तेजी लाने के लिए, हमने देश भर में एआरबी और एसएएम शाखाएं परिचालित की हैं.

देश में पांचवें सबसे बड़े पीएसबी के रूप में, हम वित्तीय समावेशन और ऋण सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं. हमारी 59% शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं और 17,600 से अधिक सक्रिय बीसी के साथ, हम ग्रामीण आबादी की सेवा के लिए समर्पित हैं. हम देश भर में अपने 30 आरसेटी और वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं सहित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखे हुए हैं. हम पर्यावरणीय संवहनीयता और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के महत्व की पूरी तरह से सराहना करते हैं. हम अपनी कार्यनीतियों में पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) कारकों को शामिल करने, समावेशी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और संवहनीय विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

*जैसा कि हम अब एक नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत कर रहे हैं तो हमें ये विश्वास है कि वैश्विक महामारी के पश्चात की दुनिया में किसी भी चुनौती को जीतने की और प्रत्येक अवसर को प्राप्त करने हेतु सही कार्यनीति, क्षमता तथा संस्कृति हमारे पास है.*

बैंकिंग उद्योग के तेजी से विकास को समझते हुए, हम कौशल आधारित प्रशिक्षण और लीडरशिप विकास के माध्यम से अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं. हमने विभिन्न कार्यों में एक विशेष कार्यबल को विकसित करने के उद्देश्य से देश भर में 9 यूनियन लर्निंग अकादमियाँ (यूएलए) स्थापित की हैं. हमारी अनूठी पहल, 'एम्पावर हर' और 'एम्पावर हिम', हमारे कार्यबल को समर्थन, परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तैयार हैं.

जैसा कि हम एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि हमारे पास किसी भी चुनौती से निपटने और महामारी के बाद की दुनिया में किसी भी अवसर का लाभ उठाने के लिए सही कार्यनीति, क्षमताएं और संस्कृति है. हम अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने और भारत का सबसे पसंदीदा बैंक बनने के अपने दृष्टिकोण की दिशा में आगे बढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ हैं.

मैं हमारे निदेशक मंडल को उनके अमूल्य मार्गदर्शन और अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूं. हमारे शेयरधारकों, ग्राहकों, विनियामकों और अन्य हितधारकों ने हम पर जो भरोसा और विश्वास दिखाया है, उसके लिए धन्यवाद देती हूं. मैं अपने कर्मचारियों की उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और लचीलेपन के लिए सराहना करना चाहूंगी. उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में आश्चर्यजनक साहस दिखाया है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं हमारी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

**ए. मणिमेखलै**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

## वित्तीय वर्ष 2022-23 की मुख्य विशेषताएं

# प्राकृतिक, सामाजिक एवं मानवीय पूंजी

**₹23.38 करोड़**
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत अनुमोदित

**75,594**
वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्कफोर्स

**28.82%**
हमारी वर्कफोर्स में महिलाएं हैं

**₹215 करोड़**
वित्तीय वर्ष 2022-23 में यूनियन ग्रीन माइल्स हेतु स्वीकृत

**₹10,370 करोड़**
वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में क्रेडिट सुविधा में वृद्धि

**₹3,233 करोड़**
दिनांक 31.03.2023 तक यूनियन नारी शक्ति योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण

**₹1,35,430 करोड़**
दिनांक 31.03.2023 तक कृषि क्षेत्र को संवितरित ऋण में वर्ष दर वर्ष 6.35% की वृद्धि हुई.

**₹1,25,022 करोड़**
दिनांक 31.03.2023 तक एमएसएमई अग्रिम को संवितरित ऋण में वर्ष दर वर्ष 13.12% की वृद्धि हुई.

**₹1,05,954 करोड़**
दिनांक 31.03.2023 तक महिला लाभार्थियों को संवितरित ऋण में वर्ष दर वर्ष 18.9% की वृद्धि हुई.

**>66,000 करोड़**
यूनियन लर्निंग एकेडमी के द्वारा कार्मिकों हेतु घंटे का प्रशिक्षण

**₹16.42 करोड़**
वित्तीय वर्ष 2022-23 में यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफ़टी) द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सामुदायिक विकास, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण के तहत 38 परियोजनाओं पर सीएसआर व्यय

**₹3,02,006 करोड़**
दिनांक 31.03.2023 तक बहुसंख्यक क्षेत्रों को दी गई अग्रिम राशि, पीएसएलसी के विक्रय को छोड़कर और आरआईडीएफ़/सिडबी/मुद्रा/एनएचबी में निवेश को शामिल करने के बाद 10.91% तक वृद्धि

## वित्तीय वर्ष 2022-23 की मुख्य विशेषताएं

# विनिर्मित एवं वित्तीय पूंजी

**वैश्विक कारोबार**

₹19,27,621 करोड़

दिनांक 31.03.2023 तक वर्ष दर वर्ष 10.23% की वृद्धि

**सकल वैश्विक जमा**

₹11,17,716 करोड़

दिनांक 31.03.2023 तक वर्ष दर वर्ष 8.26% की वृद्धि

**सकल वैश्विक अग्रिम**

₹8,09,905 करोड़

दिनांक 31.03.2023 तक वर्ष दर वर्ष 13.05% की वृद्धि

**कासा जमा**

₹3,94,055 करोड़

दिनांक 31.03.2023 तक वर्ष दर वर्ष 10.23%की वृद्धि

**शुद्ध ब्याज आय**

₹32,765 करोड़

दिनांक 31.03.2023 तक वर्ष दर वर्ष 17.92% की वृद्धि

**परिचालन लाभ**

₹25,467 करोड़

दिनांक 31.03.2023 तक वर्ष दर वर्ष 16.43%की वृद्धि

**घरेलू निवल ब्याज मार्जिन**

3.07%

दिनांक 31.03.2023 तक वर्ष दर वर्ष 13 बीपीएस की वृद्धि

**अग्रिम पर आय**

7.68%

दिनांक 31.03.2023 तक वर्ष दर वर्ष 54 बीपीएस की वृद्धि

**प्रावधान कवरेज अनुपात**

90.34%

दिनांक 31.03.2023 तक वर्ष दर वर्ष 673 बीपीएस की वृद्धि

**आय अनुपात मूल्य**

46.27%

दिनांक 31.03.2023 तक वर्ष दर वर्ष 53 बीपीएस की वृद्धि

**शुद्ध आनुपातिक एनपीए**

1.70%

दिनांक 31.03.2023 तक वर्ष दर वर्ष 198 बीपीएस की वृद्धि

**ग्राहक**

21.67 करोड़

दिनांक 31.03.2023 तक

**घरेलू शाखाएं**

8,577

दिनांक 31.03.2023 तक

**एटीएम**

10,835

दिनांक 31.03.2023 तक

**बैंक मित्र पॉइंट**

17,000+

दिनांक 31.03.2023 तक

## कॉर्पोरेट एवं आर्थिक:

# प्रोफाइल

### बैंक के बारे में:

हम 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग समाधान लागू करने वाले देश के पहले बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं. बैंक को प्रौद्योगिकी, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, एमएसएमई और मानव संसाधनों के विकास में अपने कौशल के लिए कई पुरस्कार और पहचान प्राप्त हुई है.

आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में से एक है, जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है. 1919 में स्थापित बैंक की कुल शेयर पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 83.49% है, हमारे पास अपने हितधारकों की सेवा करने की एक लंबी विरासत है.

**कर्मचारी**

75,594

**वैश्विक जमा**

₹11,17,716 करोड़

दिनांक 31.03.2023 को

**वैश्विक सकल अग्रिम**

₹8,09,905 करोड़

दिनांक 31.03.2023 को

### हमारी उत्पत्ति:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर, 1919 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है. इसकी स्थापना सेठ सीताराम पोद्दार ने की थी. मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय भवन का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वर्ष 1921 में किया था. उनके दूरदर्शितापूर्ण शब्दों ने आगामी दशकों में बैंक की संवृद्धि की भविष्यवाणी की थी.

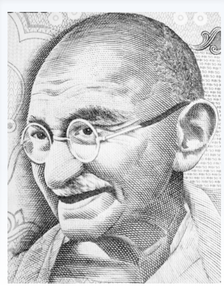

“

*हमारे पास अपनी राष्ट्रीय गतिविधियों के दौरान करोड़ो रुपये का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए एक बड़े बैंक के संचालन की क्षमता होनी चाहिए. यद्यपि हमारे बीच अनेक बैंक नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम करोड़ो और अरबों रुपए का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सक्षम नहीं है.” महात्मा गांधी (1921)*

*महात्मा गांधी (1921)*

### सेवाएँ एवं समाधान:

हमारे बैंक द्वारा चार मुख्य खंडों के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएँ एवं समाधान प्रदान किए जाते हैं:

*ट्रेजरी परिचालन*

*रिटेल बैंकिंग परिचालन*

*कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग*

*अन्य बैंकिंग परिचालन*

हम खाता खोलने के विकल्पों की एक शृंखला प्रदान करते हैं जिसमें बचत खाता एवं चालू खाता, मियादी जमा एवं आवर्ती खाता के साथ-साथ डीमैट खाता एवं ऑनलाइन ट्रेडिंग खातें शामिल है. हमारी खुदरा ऋण पेशकशों में गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण व्यक्तिगत ऋण एवं संपत्ति के बदले ऋण आदि शामिल हैं. हम आवश्यकता अनुरूप उत्पादों और ऋणों के साथ पेंशनभोगियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की जरूरत को भी पूरा करते हैं.

हमारी सेवाएँ निवेश और बीमा क्षेत्रों तक भी विस्तारित हैं जहां हम म्यूचुअल फंड और जीवन गैर-जीवन, स्वास्थ्य , बीमा और सामान्य बीमा जैसे विभिन्न बीमा उत्पाद पेश करते हैं. हम कर बचत जमा, सरकारी बचत योजनाएँ और पेंशन उत्पाद प्रदान करते हैं. हमारा बैंक कर संग्रहण सेवाओं और विभागीय मंत्रालयों खातों की भी सेवाएँ प्रदान करते हैं. कृषि, एसएसआई एंड तृतीयक क्षेत्र हमारी अल्पकालिक, दीर्घकालिक एवं अन्य अनुकूलित ऋण सुविधाओं से लाभान्वित हो सकते हैं. अतिरिक्त सुविधा एवं सुरक्षा के लिए, हम सेफ जमा लॉकर एवं चेक संग्रहण सेवाएँ प्रदान करते हैं.

कॉर्पोरेट क्षेत्र में, हम सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला जिसमें व्यापार वित्त, कार्यशील पूंजी, ऋण व्यवस्था, परियोजना वित्तपोषण एवं शृंखलाबद्ध वित्तपोषण शामिल हैं. हम ऋण संरचना/पुनर्रचना, ऋण समूहन, संरचित वित्त, विलय और अधिग्रहण सलाहकार और निजी इक्विटी सेवाओं में भी सहायता करते हैं. हमारे कॉर्पोरेट ग्राहक नकदी प्रबंधन, निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम कवर, विदेशी विनिमय सेवाओं और डेरिवेटिव का भी लाभ उठा सकते हैं. हम अपनी आयात और निर्यात वित्त सेवाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए व्यापक सहायता प्रदान करते हैं.

हमारी सेवाएँ घरेलू ग्राहकों तक ही सीमित नहीं है क्योंकि हम ट्रेजरी और विप्रेषण सेवाओं के साथ-साथ व्यापक एनआरआई बैंकिंग सेवाएँ भी प्रदान करते हैं. हमारी डिजिटल क्षमताओं में एप बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग, स्व सहायता बैंकिंग, एटीएम सेवाएँ और एसएमएस बैंकिंग शामिल हैं. अपने सेवा पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए हम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल और तत्काल भुगतान सेवाएँ प्रदान करते हैं. हम कॉम्बो कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उपहार कार्ड, प्रीपेड कार्ड और पेरोल कार्ड सहित कार्ड विकल्पों का वर्गीकरण भी प्रदान करते हैं.

बाजार गतिशीलता को समझना

# संवहनीयता की सफलता हेतु जिम्मेदारीपूर्ण प्रत्युत्तर

## बैंकिंग उद्योग संरचना

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को मोटे तौर पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों में वर्गीकृत किया गया है. अनुसूचित बैंकों को आगे वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों में विभाजित किया गया है. वाणिज्यिक बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और लघु वित्त बैंक शामिल हैं. सहकारी बैंकों में शहरी और ग्रामीण सहकारी समितियाँ शामिल हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है. भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आपके बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत में सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों में से एक है. वर्ष 2020 में विलय के पश्चात, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलित किया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र में इसकी स्थिति और सुदृढ़ हो गई. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का एक व्यापक सेट प्रदान करता है, जिसमें नियमित बचत और ऋण, बीमा और निवेश सेवाओं जैसी अधिक जटिल खातों की जांच शामिल हैं. इसकी उपस्थिति केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि कई ग्रामीण क्षेत्रों तक फैली हुई है, इस प्रकार यह ग्रामीण विकास का समर्थन प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वैश्विक वित्तीय परिवर्तनों के बीच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मजबूत बना हुआ है और भारत के आर्थिक सुधार में योगदान दे रहा है. हमारी संतुलित ऋण वृद्धि और बेहतर संपत्ति गुणवत्ता लगातार विकसित हो रही बैंकिंग में हमारी अनुकूलन क्षमता को प्रमाणित करती है

## बैंकिंग उद्योग गतिकी

वित्त वर्ष 2022-23 भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए महत्वपूर्ण ट्रांसफॉरमेशन और लचीलेपन की अवधि है. मौद्रिक नीति समिति की नीतिगत बदलावों और चुनौतीपूर्ण वैश्विक वित्तीय स्थितियों के बावजूद इस क्षेत्र ने सराहनीय अनुकूलनशीलता दर्शाई है. इस वर्ष आपके बैंकिंग उद्योग में इन बदलावों को देखा गया है, सभी प्रमुख क्षेत्रों में सुदृढ़ ऋण वृद्धि, मध्यम गैर-निष्पादित ऋण और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता के साथ ये बदलाव देखने को मिले हैं. इसके अतिरिक्त, पॉलिसी रेपो दर में वृद्धि के बावजूद, आपका बैंकिंग उद्योग खुदरा और थोक जमा दरों के परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से प्रसारित करते हुए सशक्त जमा वृद्धि बनाए रखने में कामयाब रहा है. यह रुझान एक स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र की ओर इशारा करते हैं, जो भारत की आर्थिक सुधार और वृद्धि का समर्थन करने में सक्षम है और आगामी वित्तीय वर्षों में और प्रगति के लिए तैयार है.

*वैश्विक वित्तीय परिवर्तनों के बीच युनियन बैंक ऑफ इंडिया स्थिर बना हुआ है और भारत के आर्थिक सुधार में योगदान दे रहा है. हमारी स्थिर ऋण वृध्दि और उन्नत सम्पत्ति गुणवत्ता लगातार विकसित हो रहे बैंकिंग उद्योग में हमारी अनुकूल क्षमता को प्रमाणित करती है.*

**वर्ष 2022-23 में आरबीआई की मौद्रिक नीति में बदलाव:** वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मुद्रास्फीति से निपटने और विकास का समर्थन करने के लिए आक्रामक रुख अपनाया है. इसने मई, 2022 से फरवरी, 2023 तक पॉलिसी रेपो दर में 250 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की है. इस कार्यनीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य के साथ संरेखित करना तथा विकास के लिए एक स्थिर आर्थिक वातावरण प्रदान करना है.

**मुद्रा बाजार प्रतिक्रियाएं और रेपो दर संचरण:** वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में, विभिन्न परिपक्वताओं के लिए मुद्रा बाजार दरों में पॉलिसी रेपो दर में वृद्धि हुई, जो प्रचलित अधिशेष तरलता को दर्शाती है. इस विलोपन का प्रभाव भारित औसत कॉल मनी दर (डब्ल्यूएसीआर) में स्पष्ट था, जो रेपो दर के साथ संरेखित हुआ. इसके अलावा, ऋणों के लिए बाहरी बेंचमार्क व्यवस्था, आपके बैंकिंग सिस्टम में अधिशेष तरलता में कमी और जमा वृद्धि की तुलना में ऋण वृद्धि की निरंतरता के कारण, नीतिगत रेपो दर को बैंकों की ऋण और जमा दरों में स्थानांतरित करने की गति बढ़ गई है.

**प्रतिकूल वैश्विक वित्तीय स्थिति में लचीलापन:** वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में चुनौतीपूर्ण वैश्विक वित्तीय परिदृश्य के समक्ष, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का लचीलेपन कार्यनिष्पादन रहा. इसने पर्याप्त पूंजी बफर और गैर-निष्पादित ऋणों का मध्यम स्तर बनाए रखा. बैंक उच्च शुद्ध ब्याज आय के माध्यम से अपनी लाभप्रदता में सुधार करने में कामयाब रहे क्योंकि निवेश पोर्टफोलियो पर बढ़ती ब्याज दरों का प्रभाव सीमित रहा.

**बैंक ऋण वृद्धि में तेजी:** आर्थिक गतिविधियों में सुधार के प्रतिउत्तर में, बैंक ऋण वृद्धि, खासकर गैर-खाद्य क्षेत्र में तेजी देखी गई. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने सितंबर 2022 तक गैर-खाद्य ऋण वृद्धि में 16.7% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो मार्च 2022 के अंत में 9.7% थी. यह मजबूत ऋण वृद्धि वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में बनी रही, जो अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान की मांग से प्रेरित थी.

**क्षेत्र-वार ऋण विस्तार:** वित्त वर्ष 2022-23 में, सभी प्रमुख क्षेत्रों में बैंक क्रेडिट में सुधार, ध्यान देने योग्य था. कृषि क्षेत्र में ऋण वृद्धि का अनुभव हुआ, जिसका मुख्य कारण मानसून की अच्छी स्थिति और कृषि ऋण के लिए बढ़ा हुआ लक्ष्य था. बड़े उद्योगों और एमएसएमई खंड दोनों के योगदान के कारण औद्योगिक क्षेत्र में भी ऋण वृद्धि में सुधार देखा गया. वर्ष के दौरान खुदरा ऋण, ऋण वृद्धि का एक महत्वपूर्ण चालक बना रहा.

**जमा राशि में वृद्धि और आस्ति गुणवत्ता सुधार:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी कुल जमा में तेजी से वृद्धि देखी, जो कि ब्याज दरों में काफी वृद्धि के कारण हुई. हालाँकि, यह जमा वृद्धि वर्ष के लिए ऋण वृद्धि से पिछड़ गई. आस्ति गुणवत्ता के मामले में, एससीबी ने समग्र गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) अनुपात में गिरावट के साथ पर्याप्त सुधार दर्ज किया है.

**बैंकों की उधार और जमा दरों का समायोजन:** मई 2022 से पॉलिसी रेपो दर में बढ़ोतरी के प्रत्युत्तर में, 2022-23 की पहली छमाही के दौरान बैंकों की जमा और उधार दरों में भी वृद्धि हुई. मजबूत ऋण वृद्धि को वित्तपोषित करने के लिए खुदरा जमा राशि बढ़ाने के प्रयासों से, विशेष रूप से वर्ष की दूसरी छमाही में, खुदरा जमा दरों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया.

**भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर में बदलाव:** फ्रेश जमा (खुदरा और थोक सहित) पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डबल्यूएडीटीडीआर) में मई 2022 से फरवरी 2023 तक 222 बीपीएस की वृद्धि देखी गई. प्रारंभ में, बैंकों ने थोक जमा जुटाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में नए खुदरा जमा दरों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया. इस बदलाव के परिणामस्वरूप सावधि जमा दरों में समग्र वृद्धि हुई, जिससे जमाकर्ताओं की ओर से स्थिर निधियों की बढ़ती मांग उजागर हुई.

## खतरा, जोखिम और चिंताएँ

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, अपने उल्लेखनीय विकास पथ और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अभिन्न भूमिका निभाने के साथ-साथ, डिजिटल रूप से प्रभावी और स्थिरता के प्रति जागरूक दुनिया में खतरें, जोखिमों और चिंताओं के एक अद्वितीय सम्मिश्रण का सामना कर रहा है.

1. **डिजिटल व्यवधान और साइबर सुरक्षा जोखिम:**

   विकास के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हुए, डिजिटल क्रांति एक दोधारी तलवार है. डेटा उल्लंघनों, फ़िशिंग और रैंसमवेयर हमलों जैसे साइबर खतरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ गई है. डिजिटल बैंकिंग के विस्फोट ने अपराधियों के हमले की तीव्रता को बढ़ा दिया है जिसके कारण बैंकों को वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित खतरा पैदा हो गया है.

2. **परिचालन जोखिम:**

   प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में वृद्धि के साथ, सिस्टम आउटरेज, आईटी विफलताओं, या लोग और प्रणाली जैसी आंतरिक प्रक्रियाओं में खराबी के कारण परिचालन जोखिम में वृद्धि हुई है.

3. **नियामक अनुपालन:**

   नियामक परिदृश्य और शर्तें तेजी से सख्त होते जा रहे हैं, जिससे धन शोधन निवारण (एएमएल) कानूनों से लेकर अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) प्रोटोकॉल सहित बैंकों को विभिन्न नियमों का पालन करना आवश्यक हो गया है. गैर-अनुपालन से महत्वपूर्ण वित्तीय दंड और प्रतिष्ठा की क्षति का सामना करना पड़ सकता है.

4. **आस्ति की गुणवत्ता और ऋण जोखिम**

   भारतीय बैंकों को मुख्य रूप से उच्च कॉर्पोरेट और कृषि क्षेत्र ऋण के कारण गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) संबंधी समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभावों ने ऋण जोखिम की स्थिति को और अधिक बढ़ा दिया है.

5. **स्थिरता संबंधी चिंताएँ:**

   वैश्विक जलवायु परिवर्तन के समक्ष, बैंकों पर हितधारकों की ओर से अधिक स्थिर परिचालन में परिवर्तन करने और यह सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ रहा है कि उनके ऋण पोर्टफोलियो जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं के साथ संरेखित हों.

*हम साइबर सुरक्षा उपायों को और आगे बढ़ाकर, डिजिटल क्षमताओं में सुधार और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर जोखिमों को सक्रिय रूप से कम करते हैं. हमारी बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन प्रणालियाँ आस्ति की गुणवत्ता की सुरक्षा करती हैं, जबकि स्थिरता पर हमारा ध्यान हमारे परिचालन में ईएसजी मानदंडों को शामिल करने से स्पष्ट होता है.*

## प्राथमिकता आधार पर संवहनीयता के साथ डिजिटल दुनिया में सफलता हेतु कार्यनीतियाँ

आपको बैंकिंग क्षेत्र के गतिशील परिदृश्य को पहचानकर और इन कार्यनीतियों को लागू करके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, कार्यनिष्पादन को अनुकूलित कर सकता है और डिजिटल और स्थिरता के प्रति जागरूक दुनिया में सफल हो सकता है. बहरहाल, इसके लिए तकनीकी अपनाने, नियामक को समझने, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन एवं नवाचार और अनुकूलनशीलता की संस्कृति द्वारा समर्थित स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के नाजुक संतुलन की आवश्यकता है. इसकी प्रमुख कार्यनीतियाँ निम्नानुसार होंगी:

| संबंधित मुख्य विषय | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया | जीआरआई से संबंधित | अधिक जानकारी | स्ट्रेटजी आईकन |
|---|---|---|---|---|
| डिजिटल व्यवधान और साइबर सुरक्षा जोखिम | डेटा एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण और एआई-आधारित खतरे का पता लगाने जैसी उन्नत तकनीकों को लागू करके साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करें. नवीनतम साइबर खतरों से अपडेट रहने और सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा ऑडिट और कर्मचारी प्रशिक्षण आयोजित करें. | जीआरआई 418: ग्राहक गोपनीयता और जीआरआई 419: सामाजिक आर्थिक अनुपालन | बौद्धिक पूंजी पर अध्याय, पृष्ठ 82 | |
| परिचालन जोखिम | फिनटेक और बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाएं. उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप्स विकसित करें, वैयक्तिकृत सेवाओं के लिए एआई, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स को अपनाएं, संचालन को सुव्यवस्थित करें और सुरक्षित लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करें. | जीआरआई 419: सामाजिक आर्थिक अनुपालन | बौद्धिक पूंजी पर अध्याय, पृष्ठ 82 | |
| नियामक अनुपालन | नियामक जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए एक मजबूत अनुपालन रेगटेक सोल्यूशन को अपनाएं. अनुपालन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और विकसित नियमों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए रेगटेक समाधान अपनाएं | जीआरआई 419: सामाजिक आर्थिक अनुपालन | जोखिम ढांचा पर अध्याय पृष्ठ 91 | |
| आस्ति गुणवत्ता एवं ऋण जोखिम | ऋण मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करें और ऋण देने के लिए समुचित सावधानी बरतें. संभावित एनपीए की पहचान करने और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उन्नत विश्लेषण में निवेश करें. | जीआरआई 201: आर्थिक कार्यनिष्पादन | विनिर्मित पूंजी पर अध्याय, पृष्ठ 62 | |
| संवहनीयता चिंताएँ | ऋण संबंधी निर्णयों और परिचालन कार्यनीतियों में ईएसजी मानदंड शामिल करें. स्थायी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हरित ऋण, हरित बंधक और हरित बांड जैसे हरित बैंकिंग उत्पाद पेश करें | जीआरआई 201: आर्थिक कार्यनिष्पादन, जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव, और जीआरआई 300: पर्यावरणीय. | सामाजिक व संबंध पूंजी पर अध्याय, पृष्ठ 104; प्राकृतिक पूंजी, पृष्ठ 90; कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, पृष्ठ 198 | |

कार्यनीति ब्लूप्रिंट

# डिजिटल नवाचार द्वारा संचालित परिवेशी प्रबंधन हेतु प्रतिबद्ध

## कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ

उभरते हुए बैंकिंग परिदृश्य के आलोक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत को सतत विकास की ओर अग्रसर करते हुए डिजिटल उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है. बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी संचालित व्यवधान की व्यापक प्रवृत्ति हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को नया आकार दे रही है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हम इन बदलावों का सामना करने में कुशल बने रहें.

संवहनीयता के चैंपियन के रूप में, हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की तात्कालिकता को पहचानते हैं. यह जागरूकता अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने और 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने की हमारी खोज के केंद्र में है, यह एक यात्रा है जो महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन और सभी क्षेत्रों में गैर-कार्बन प्रौद्योगिकियों की बड़े पैमाने पर तैनाती की मांग करती है.

हमारे कार्यनीतिक एजेंडे को रेखांकित करते हुए हमारा मिशन है, "डिजिटल कौशल के माध्यम से संवहनीयता हेतु प्रतिबद्ध" हमारी महत्वाकांक्षा हर किसी के लिए अवसर का युग बनाने के लिए तकनीकी नवाचार और डिजिटल कौशल का उपयोग करना है. हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे ग्राहकों को हमारे उत्पादों, सलाह और समाधानों की एक शृंखला तक पहुंच हो जो उन्हें अवगत वित्तीय निर्णय लेने और उनके जीवन और कारोबार आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाती है.

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया संवहनीयता हेतु डिजिटल नवाचार का लाभ उठाता है. हम डिजिटल, अवगत वित्तीय निर्णयों के साथ ग्राहकों को सशक्त बनाते हुए 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ रहे हैं.**

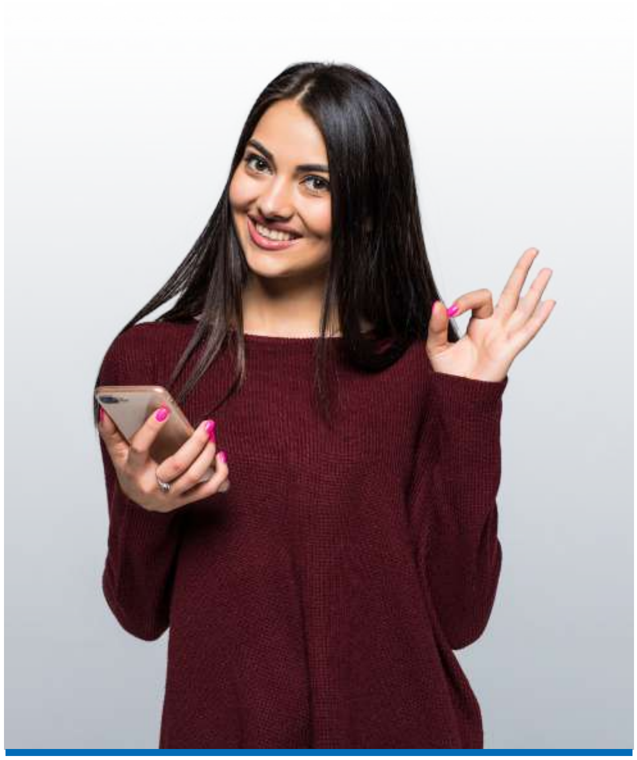

हमारी कार्यनीति आठ प्रमुख प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित है:

| कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ | विवरण | संकेत |
|---|---|---|
| 1. हमारे ग्राहकों के वित्तीय स्थिति में सुधार करना | एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में, हम अपनी डिजिटल दक्षता और डेटा अंतर्दृष्टि द्वारा संचालित व्यक्तिगत सलाह से अपने ग्राहकों की वित्तीय सहायता में सुधार करने का प्रयास करते हैं. | |
| 2. एक संवहनीय भविष्य की ओर हमारे ग्राहकों के परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना | संवहनीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, हम स्थायी वित्त और नवीन समाधानों का उपयोग करके अपने ग्राहकों को हरित भविष्य की राह पर ले जाने में सहायता करते हैं. | |
| 3. हमारी ग्राहक पहुंच का विस्तार करना | पैमाने की शक्ति पर ध्यान देने के साथ, हमारा लक्ष्य अपने डिजिटल और भौतिक चैनलों पर अपने ग्राहक आधार का विस्तार करके सतत विकास में तेजी लाना है. | |
| 4. परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना | अपनी डिजिटल क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, हम सरलीकृत प्रक्रियाओं और मूल्य केंद्रित लेनदेन मॉडल के माध्यम से एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान करना चाहते हैं. | |
| 5. एक गतिशील और समर्पित टीम को तैयार करना | संवहनीयता और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से निर्देशित हमारी टीम एक कार्यनीतिक प्राथमिकता रखती है. हम एक समावेशी और वैविध्यपूर्ण संस्कृति को बढ़ावा देते हैं जो सभी के लिए प्रतिभा संवर्धन और विकास के अवसरों को बढ़ावा देती है | |
| 6. डिजिटल क्षमता बढ़ाना | हमारी कार्यनीति के केंद्र में प्राथमिक चालकों के रूप में डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर हमारा जोर है. हमारा उन्नत डेटा विश्लेषण और सुरक्षित प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा हमें बेहतर निर्माण करने में सक्षम बनाता है ताकि हम ग्राहकों की समस्याओं का समाधान कर सकें. | |
| 7. संवहनीयता को बढ़ावा देना | हम अपने परिचालन में संवहनीयता को शामिल करने और हितधारकों के बीच इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए समर्पित हैं. अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और टिकाऊ प्रथाओं को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के माध्यम से, हमारा लक्ष्य एक लचीले, टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करना है. | |
| 8. सक्रिय विनियामक अनुपालन | ईमानदारी के साथ सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए, हम सक्रिय रूप से विनियामक मानदंडों का पालन करने और अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देते हैं. अपने सशक्त अनुपालन ढांचे के माध्यम से, हम उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और विनियमों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हैं | |

कार्यनीति ब्लूप्रिंट

## *डिजिटल कौशल के माध्यम से संवहनीयता हेतु प्रतिबद्ध*

हमारी प्रगति को ट्रैक करने के लिए, हमने प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक (केपीआई) के एक सेट की पहचान की है, जो वित्तीय और गैर-वित्तीय पहलुओं दोनों की निगरानी करता है. संवहनीयता और डिजिटल कौशल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ जुड़े ये कार्यनीतिक केपीआई, योजना और बजट से लेकर संसाधन आवंटन, निवेश प्राथमिकता, और कार्यनिष्पादन-आधारित पारिश्रमिक तक हमारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं. नीचे एक सारणीबद्ध प्रतिनिधित्व है जो हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को संबंधित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजीए) वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) मानक, और स्थिरता लेखा मानक बोर्ड (एसएएसबी) मानक से जोड़ता है:

| कार्यनीति प्राथमिकता | यूएनएसडीजी | जीआरआई मानक | एसएएसबी मानक |
|---|---|---|---|
| 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कार्यनीतिक प्राथमिकताएं | 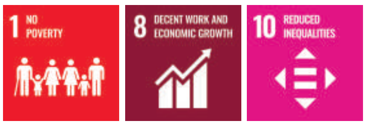  | जीआरआई 203 (अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव), जीआरआई 404 (प्रशिक्षण एवं शिक्षा) | एफ़एन-सीबी-270ए 1 (वित्तीय समावेशन एवं क्षमता निर्माण), एफ़एन-सीबी-270ए 2. (ग्राहक गोपनीयता एवं डाटा सुरक्षा) |
| 2. संवहनीय भविष्य की ओर हमारे ग्राहकों के परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना | | जीआरआई 201 (आर्थिक कार्यनिष्पादन), जीआरआई 305 (उत्सर्जन) | एफ़एन-सीबी-410ए.1 (जलवायु जोखिम प्रबंधन), ए. फएन-सीबी-410ए.2 (जलवायु परिवर्तन कारोबार व्यवधान घटनाएं) |
| 3. ग्राहक आउटरीच का विस्तार करना | | जीआरआई 203 (अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव), जीआरआई 417 (विपणन एवं लेबलिंग) | एफ़एन-सीबी-270ए.3 (ग्राहक गोपनीयता एवं डाटा सुरक्षा), ए. फएन-सीबी -550ए.1 (बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच) |
| 4. परिचालनात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करना | | जीआरआई 302 (ऊर्जा), जीआरआई 305 (उत्सर्जन), जीआरआई 416 (ग्राहक स्वास्थ्य और सुरक्षा) | एफ़एन-सीबी-000.बी (प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन), एफ़एन-सीबी-510ए.1 (डाटा सुरक्षा) |
| 5. गतिशील एंड समर्पित टीम को तैयार करना | 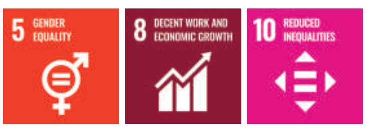  | जीआरआई 401 (रोजगार), जीआरआई 404 (प्रशिक्षण एवं शिक्षा), जीआरआई 405 (विविधता एवं समान अवसर) | एफ़एन-सीबी-30ए.1 (श्रम अभ्यास), एफ़एन-सीबी-330ए.2 (रोजगार विविधता) |

| कार्यनीति प्राथमिकता | यूएनएसडीजी | जीआरआई मानक | एसएएसबी मानक |
|---|---|---|---|
| 6. डिजीटल दक्षता बढ़ाना | 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE; 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS | जीआरआई 418 (ग्राहक गोपनियता), जीआरआई 306 (प्रवाह और अपशिष्ट) | एफ़एन-सीबी-230ए.1 (प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन), एफ़एन-सीबी-550ए.2 (डाटा सुरक्षा), एफ़एन-सीबी-510ए. 1 (ग्राहक गोपनीयता एवं डाटा सुरक्षा) |
| 7. संवहनीयता को बढ़ावा देना | 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION; 13 CLIMATE ACTION | जीआरआई 301 (सामग्री), जीआरआई 302 (ऊर्जा), जीआरआई 305 (उत्सर्जन) | एफ़एन-सीबी-410ए.1 (जलवायु परिवर्तन कारोबार व्यवधान घटनाएं), एफ़एन-सीबी-410ए.3 (जलवायु जोखिम प्रबंधन) |
| 8. सक्रिय विनियामक अनुपालन | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS | जीआरआई 307 (पर्यावरण अनुपालन), जीआरआई 419 (सामाजिक अनुपालन) | एफ़एन-सीबी-510ए. 2 (विधि एवं विनियामक पर्यावरण का प्रबंधन), एफ़एन-सीबी-510ए.3 (गंभीर घटना जोखिम प्रबंधन) |

तात्विक मूल्यांकन

# हितधारक सहभागिता

## तात्विक सर्वेक्षण

वित्तीय वर्ष 2023 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित कार्यनीतिक प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक तात्विक विश्लेषण सर्वेक्षण शुरू किया. इस विश्लेषण ने हमारे आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए बैंक के तात्विक मुद्दों पर एक व्यापक आंतरिक और बाह्य परिप्रेक्ष्य प्रदान किया. इस प्रक्रिया को अपनाकर, हम अपने विभिन्न हितधारकों के समूह और संगठन के संवहनीय विकास के लिए अत्यंत प्रासंगिक विषयों की पहचान करने और उन पर ज़ोर देने में सक्षम हुए हैं. इस अभ्यास के नतीजे हमारे कारोबारी उद्देश्यों को हमारे हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के साथ संतुलित करने और जिम्मेदार, समावेशी विकास को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं.

**यूनियन बैंक और हमारे बाह्य हितधारकों के लिए भौतिक ईएसजी फैक्टर**

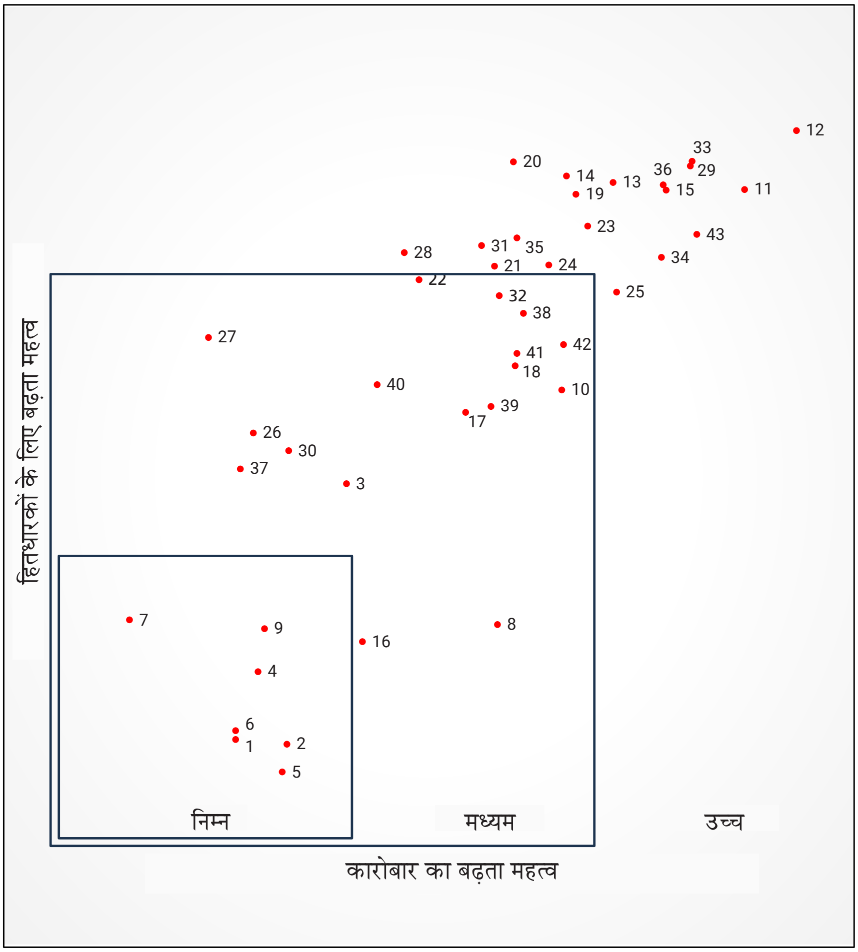


बैंक ने तीसरे पक्ष के सलाहकार का उपयोग करके बाह्य और आंतरिक हितधारकों पर अपना पहला औपचारिक तात्विक मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित किया. हम आंतरिक और बाह्य हितधारकों के साथ जुड़े रहे, जिनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कई लीडर और कंपनी के विभिन्न विषय विशेषज्ञ शामिल थे. हम अपने ग्राहकों और कर्मचारियों, ईएसजी निवेशकों, सरकार, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और वित्तीय साथियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कई बाहरी हितधारकों तक पहुंचे.

इस एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए, बैंक ने निम्नलिखित विषयों की पहचान की है जो हमारे आंतरिक और अनौपचारिक तात्विक मूल्यांकन में हमारे आंतरिक और बाह्य हितधारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं.

| मुद्दे # | अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे: |
|---|---|
| 11 | सामाजिक पूंजी-ग्राहक गोपनीयता |
| 12 | सामाजिक पूंजी-डाटा सुरक्षा |
| 13 | सामाजिक पूंजी-ग्राहक संवहनीयता |
| 14 | सामाजिक पूंजी-उत्पाद गुणवत्ता एवं सुरक्षा |
| 15 | सामाजिक पूंजी-ग्राहक कल्याण |
| 19 | मानव पूंजी-प्रशिक्षण और कौशल विकास |
| 20 | मानव पूंजी-कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा |
| 23 | कारोबार मॉडल और नवाचार - उत्पाद डिजाइन और नवाचार का महत्व |
| 29 | नेतृत्व और सुशासन-कारोबार नैतिकता और भ्रष्टाचार निवारण उपाय |
| 33 | नेतृत्व एवं सुशासन-जोखिम प्रबंधन |
| 34 | नेतृत्व एवं सुशासन - हितधारकों का शिकायत निवारण |
| 36 | नेतृत्व और सुशासन-प्रतिष्ठा, संप्रेषण और जागरूकता |
| 43 | अर्थव्यवस्था-व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन |

*उच्च*
*मध्यम*
*निम्न*

| एक सर्वेक्षण के माध्यम से आंतरिक और बाह्य हितधारकों द्वारा क्रमबद्ध मुद्दे | | | औसत रेटिंग (100 से) | |
|---|---|---|---|---|
| मुद्दा सं. | तात्विक मुद्दे | मुद्दा सं. | कारोबार के लिए बढ़ती महत्व | हितधारकों के लिए बढ़ती महत्व |
| 1 | पर्यावरण-जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अंगीकरण | 1 | 55 | 66 |
| 2 | पर्यावरण- वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं विषाक्त उत्सर्जन प्रबंधन | 2 | 57 | 65 |
| 3 | पर्यावरण-ऊर्जा प्रबंधन एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग | 3 | 60 | 69 |
| 4 | पर्यावरण-जल प्रबंधन | 4 | 56 | 66 |
| 5 | पर्यावरण-प्रवाह/अपशिष्ट जल प्रबंधन | 5 | 57 | 65 |
| 6 | पर्यावरण-अपशिष्ट प्रबंधन | 6 | 55 | 66 |
| 7 | पर्यावरण-जैव विविधता प्रबंधन | 7 | 51 | 67 |
| 8 | पर्यावरण-पर्यावरण अनुपालन | 8 | 66 | 67 |
| 9 | पर्यावरण-प्रकृतिक संसाधन संरक्षण (मिट्टी, हवा और जल) | 9 | 56 | 67 |
| 10 | सामाजिक पूंजी- मानवाधिकार | 10 | 69 | 70 |
| 11 | सामाजिक पूंजी- ग्राहक गोपनीयता | 11 | 76 | 73 |
| 12 | सामाजिक पूंजी- डाटा सुरक्षा | 12 | 78 | 74 |
| 13 | सामाजिक पूंजी- ग्राहकों की संवहनीयता | 13 | 71 | 73 |

तात्विक मूल्यांकन

## हितधारक सहभागिता

| एक सर्वेक्षण के माध्यम से आंतरिक और बाह्य हितधारकों द्वारा क्रमबद्ध मुद्दे | | | औसत रेटिंग (100 से) | |
|---|---|---|---|---|
| मुद्दा सं. | तात्विक मुद्दे | मुद्दा सं. | कारोबार के लिए बढ़ती महत्व | हितधारकों के लिए बढ़ती महत्व |
| 14 | सामाजिक पूंजी- उत्पाद गुणवत्ता एवं सुरक्षा | 14 | 69 | 73 |
| 15 | सामाजिक पूंजी- ग्राहक कल्याण | 15 | 73 | 73 |
| 16 | सामाजिक पूंजी- धर्मार्थ दान | 16 | 60 | 67 |
| 17 | सामाजिक पूंजी - सामाजिक विकास & सामुदायिक भागीदारी | 17 | 65 | 70 |
| 18 | मानव पूंजी - श्रम कार्य एवं रोज़गार | 18 | 67 | 71 |
| 19 | मानव पूंजी - प्रशिक्षण और कौशल विकास | 19 | 69 | 73 |
| 20 | मानव पूंजी - कर्मचारी स्वास्थ्य & सुरक्षा | 20 | 67 | 74 |
| 21 | मानव पूंजी - कर्मचारी उत्तरधिकारी योजना का महत्व | 21 | 66 | 72 |
| 22 | मानव पूंजी - कर्मचारी जुड़ाव, विविधता और समावेशन | 22 | 63 | 72 |
| 23 | कारोबार मॉडल और नवाचार - उत्पाद डिज़ाइन और नवाचार का महत्व | 23 | 70 | 73 |
| 24 | कारोबार मॉडल और नवाचार - लचीलापन कारोबार मॉडल की आवश्यकता | 24 | 68 | 72 |
| 25 | कारोबार मॉडल और नवाचार - पूंजी और ग्राहकों तक पहुँच | 25 | 71 | 72 |
| 26 | कारोबार मॉडल और नवाचार -आपूति शृंखला प्रबंधन की भूमिका | 26 | 56 | 70 |
| 27 | कारोबार मॉडल और नवाचार - सामग्री सौर्सिंग में दक्षता | 27 | 54 | 71 |
| 28 | कारोबार मॉडल और नवाचार - दीर्घकालीन आस्ति प्रबंधन | 28 | 62 | 72 |
| 29 | नेतृत्व और गवर्नेंस - कारोबारिक नैतिकता और भ्रष्टाचार रोधी उपाय | 29 | 74 | 73 |
| 30 | नेतृत्व और गवर्नेंस - नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा | 30 | 57 | 70 |
| 31 | नेतृत्व और गवर्नेंस - प्रतिस्पर्धी आचरण | 31 | 65 | 72 |
| 32 | नेतृत्व और गवर्नेंस - कानूनी और विनियामक वातावरण का प्रबंधन | 32 | 66 | 72 |
| 33 | नेतृत्व और गवर्नेंस - जोखिम प्रबंधन | 33 | 74 | 74 |
| 34 | नेतृत्व और गवर्नेंस - हितधारकों के शिकायतों का निवारण | 34 | 73 | 72 |
| 35 | नेतृत्व और गवर्नेंस - जिम्मेदार निवेश | 35 | 67 | 72 |
| 36 | नेतृत्व और गवर्नेंस - प्रतिष्ठा संचार और जागरूकता | 36 | 73 | 73 |
| 37 | अर्थव्यवस्था - वस्तु मूल्य अस्थिरता | 37 | 55 | 69 |
| 38 | अर्थव्यवस्था - आर्थिक/वित्तीय संकट | 38 | 67 | 71 |
| 39 | अर्थव्यवस्था - स्थानीय समुदाय पर प्रभाव | 39 | 66 | 70 |
| 40 | अर्थव्यवस्था - जिम्मेदार आपूर्ति शृंखला | 40 | 61 | 70 |
| 41 | अर्थव्यवस्था - रोजगार रुझान/ विविधिकरण | 41 | 67 | 71 |
| 42 | अर्थव्यवस्था - टैक्स गवर्नेंस | 42 | 69 | 71 |
| 43 | अर्थव्यवस्था - प्रणालीगत/ सर्वांगी जोखिम प्रबंधन | 43 | 74 | 73 |

## स्कैटर आरेख

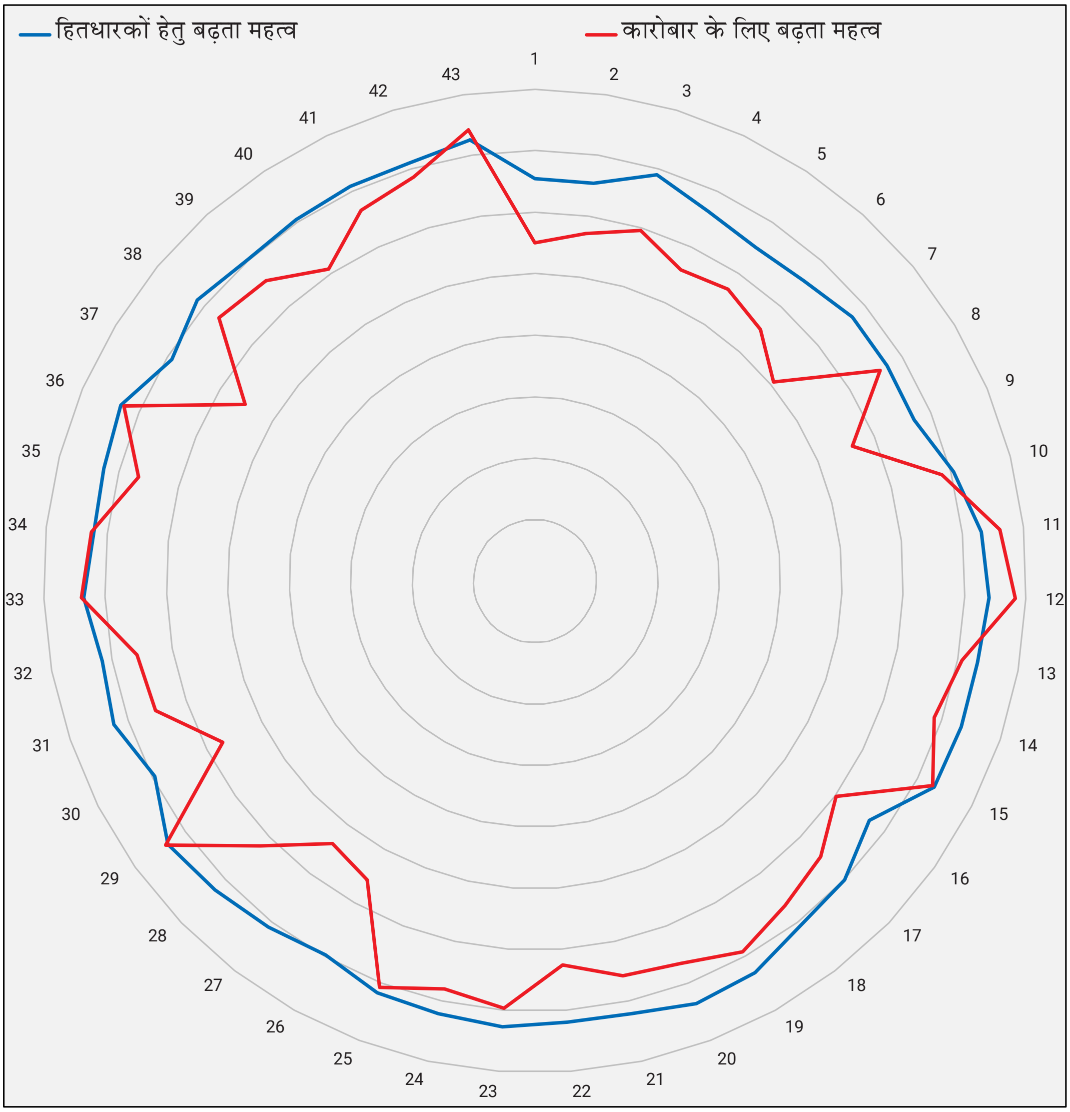


हमारे महत्वपूर्ण आकलन में आंतरिक और बाह्य स्कोरिंग की सावधानीपूर्वक तुलना भी शामिल है, जिसके परिणाम एक स्कैटर आरेख के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं. यह तस्वीर निरूपण आंतरिक और बाह्य हितधारकों की धारणाओं के बीच एक उल्लेखनीय संरेखण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिसमें प्रत्येक डाटा बिन्दु एक संबन्धित महत्वपूर्ण विषय का संकेत देता है. दोनों आकलनों के बीच बहुत मामूली विचलन इन महत्वपूर्ण मुद्दों के महत्व पर आम सहमति को मजबूत करता है. यह सामंजस्यपूर्ण सहसंबंध हितधारकों की अपेक्षाओं के बारे में हमारी व्यापक समझ को रेखांकित करता है और उन अपेक्षाओं के साथ हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं के संरेखण की पुष्टि करता है.

## हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण विषयों की मैपिंग

| मुद्दे # | उच्च तात्विक मुद्दे | प्रासंगिकता एवं उपाय | जीआरआई | एसएएसबी | यूएनएसडीजी | कार्यनीतिक प्राथमिकता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | सामाजिक पूंजी - ग्राहक गोपनीयता | ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने और डेटा सुरक्षा नियमों का अनुपालन करने के लिए ग्राहक निजता सुनिश्चित करना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है. आपका बैंक डेटा सुरक्षा उपाय और नीतियां लागू करता है, स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करता है और ग्राहकों को सूचना द्वारा उनकी निजता के अधिकार और उनके डेटा की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करता है. इस क्षेत्र में, यूनियन बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए बौद्धिक पूंजी पर अध्याय पृष्ठ 82 पर पढ़ें. | जीआरआई 418: ग्राहक गोपनीयता | SASB FN-CB-220a.1 | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS | |
| 12 | सामाजिक पूंजी - डाटा सुरक्षा | उल्लंघन को रोकने के लिए डेटा सुरक्षा आवश्यक है जो ग्राहकों और आपके बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और जिसके कारण विनियामक जुर्माना लग सकता है. आपका बैंक सम्पूर्ण डाटा के उचित रूप से संरक्षण के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी, कर्मचारी प्रशिक्षण और नियमित ऑडिट में निवेश करता है. इस क्षेत्र में, यूनियन बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए बौद्धिक पूंजी पर अध्याय पृष्ठ 82 पर पढ़ें. | जीआरआई 418: ग्राहक गोपनीयता | SASB FN-CB-230a.2 | 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | |
| 13 | सामाजिक पूंजी - ग्राहकों की संवहनीयता | ग्राहकों की सतत क्षमता बनाए रखने में मदद करने से दीर्घकालिक ग्राहक संबंधों और आपके बैंक की निरंतरता में भी योगदान होता है. आपका बैंक टिकाऊ उत्पाद विकसित करता है, स्थिरता सलाह और सेवाएँ प्रदान करता है और ग्राहकों को उनके सतत क्षमता परिवर्तन में सहायता करता है. इस क्षेत्र में, यूनियन बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए संबंध पूंजी पर अध्याय पृष्ठ 104 पर पढ़ें. | जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | SASB FN-CB-410b.1 | 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION | |
| 14 | सामाजिक पूंजी-उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा | ग्राहक संतुष्टि और विश्वास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले और सुरक्षित उत्पाद आवश्यक हैं. आपका बैंक सुदृढ़ गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा जाँच, और ग्राहक फीडबैक तंत्र लागू करता है. इस क्षेत्र में, यूनियन बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए निर्मित पूंजी पर अध्याय पृष्ठ 62 पर पढ़ें. | जीआरआई 417: विपणन एवं लेबलिंग | SASB FN-CB-270a.1 | 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION | |
| 15 | सामाजिक पूंजी-ग्राहक कल्याण | ग्राहक प्रतिधारण के लिए और आपके बैंक की प्रतिष्ठा के लिए ग्राहक कल्याण महत्वपूर्ण हैं. आपका बैंक पारदर्शी और उचित उत्पाद उपलब्ध कराता है, ग्राहक निजता और डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करता है. इस क्षेत्र में, यूनियन बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए संबंध पूंजी पर अध्याय पृष्ठ 104 पर पढ़ें. | जीआरआई 416: ग्राहक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा | SASB FN-CB-270a.1 | 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING | |
| 19 | मानव पूंजी - प्रशिक्षण एवं कौशल विकास | कर्मचारियों की उत्पादकता और कार्य संतुष्टि के लिए सतत प्रशिक्षण एवं कौशल विकास महत्वपूर्ण हैं. आपका बैंक निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है, आजीवन ज्ञानार्जन के लिए प्रोत्साहित करता हैं और कौशल विकास का समर्थन करता है. इस क्षेत्र में, यूनियन बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए मानव पूंजी पर अध्याय पृष्ठ 120 पर पढ़ें. | जीआरआई 404: प्रशिक्षण एवं शिक्षा | SASB FN-CB-330a.2 | 4 QUALITY EDUCATION | |
| 20 | मानव पूंजी - कर्मचारी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा | कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने से उत्पादकता और कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है. आपका बैंक उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियां लागू करता है, प्रशिक्षण प्रदान करता है, और सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है. इस क्षेत्र में, यूनियन बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए मानव पूंजी पर अध्याय पृष्ठ 120 पर पढ़ें. | जीआरआई 403: पेशागत स्वास्थय एवं सुरक्षा | SASB FN-CB-320a.1 | 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING | |

| मुद्दे # | उच्च तात्विक मुद्दे | प्रासंगिकता एवं उपाय | जीआरआई | एसएएसबी | यूएनएसडीजी | कार्यनीतिक प्राथमिकता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | कारोबार मॉडल और नवाचार - उत्पाद डिज़ाइन और नवाचार का महत्व | बदलती ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अभिनव उत्पाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है. आपका बैंक नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है, आर&डी और ग्राहक के परिज्ञान में निवेश करता है, और फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर काम करता है. है. इस क्षेत्र में, यूनियन बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए निर्मित पूंजी पर अध्याय पृष्ठ 62 पर पढ़ें. | जीआरआई 417: विपणन एवं लेबलिंग | SASB FN-CB-330a.1 | 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | |
| 29 | नेतृत्व और गवर्नेंस - कारोबारी नैतिकता और भ्रष्टाचार रोधी उपाय | आपके बैंक की प्रतिष्ठा, ग्राहक विश्वास, और नियामक अनुपालन के लिए मजबूत नैतिकता और भ्रष्टाचार रोधी उपाय आपके बैंक के लिए अत्यावश्यक हैं. आपका बैंक मजबूत भ्रष्टाचार रोधी नीतियों को लागू करता है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और नेतृत्व के माध्यम से नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करता है. इस क्षेत्र में, यूनियन बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर अध्याय पृष्ठ 191 पर पढ़ें. | जीआरआई 205: भ्रष्टाचार विरोधी | SASB FN-CB-510a | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS | |
| 33 | नेतृत्व और गवर्नेंस - जोखिम प्रबंधन | वित्तीय संवहनीयता और ग्राहक विश्वास बनाए रखने के लिए जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन महत्वपूर्ण है. आपका बैंक एक मजबूत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क लागू करता है, जोखिम विश्लेषण के लिए प्रौद्योगिकियों में निवेश करता है और नियमित जोखिम ऑडिट करता है. इस क्षेत्र में, यूनियन बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए जोखिम प्रबंधन पर अध्याय पृष्ठ 91 पर पढ़ें. | जीआरआई 102-15: मुख्य प्रभाव जोखिम अवसर | SASB FN-CB-000.B: सुनियोजित जोखिम प्रबंधन | 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | |
| 34 | नेतृत्व और गवर्नेंस - हितधारकों की शिकायतों का निवारण | हितधारकों के साथ अच्छे संबंध बनाने और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र महत्वपूर्ण हैं. आपका बैंक शिकायत निवारण प्रक्रियाएं लागू करता है सभी हितधारकों को स्पष्ट रूप से सूचित करता है. इस क्षेत्र में, यूनियन बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए संबंध पूंजी पर अध्याय पृष्ठ 104 पर पढ़ें. | जीआरआई 102-17: संबंधी मामले एवं सलाह हेतु प्रणाली | SASB FN-CB-510a.3: गंभीर घटना जोखिम प्रबंधन | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS | |
| 36 | नेतृत्व और गवर्नेंस - प्रतिष्ठा, संप्रेषण और जागरुकता | विश्वास बनाए रखने और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाना और हितधारकों के साथ प्रभावी रूप से संप्रेषण करना महत्वपूर्ण है. आपका बैंक व्यवस्थित संप्रेषण नीतियां लागू करता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है. इस क्षेत्र में, यूनियन बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए संबंध पूंजी पर अध्याय पृष्ठ 36 पर पढ़ें. | जीआरआई 102-43: हितधारक नियोजन हेतु दृष्टिकोण | SASB FN-CB-510a.2: प्रविधिक एवं विनियामक पर्यावरण का प्रबंधन | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS | |
| 43 | अर्थव्यवस्था - सुनियोजित जोखिम प्रबंधन | महत्वपूर्ण नुकसान से बचने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सुनियोजित जोखिम प्रबंधन आवश्यक है. आपका बैंक उन्नत जोखिम मॉडलिंग तकनीक का उपयोग करता है, तनाव परीक्षण आयोजित करता है और पर्याप्त पूंजी बफ़र्स बनाए रखता है. इस क्षेत्र में, यूनियन बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए जोखिम प्रबंधन पर अध्याय पृष्ठ 91 पर तथा वित्तीय पूंजी पर अध्याय पृष्ठ 70 पढ़ें. | जीआरआई 201: आर्थिक निष्पादन | SASB FN-CB-000.B: सुनियोजित जोखिम प्रबंधक | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH | |

हमारा गतिशील

# कारोबार मॉडल

## हमारा परिचालन कैनवास

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हम अपने कारोबारी उद्देश्यों को सामाजिक और सतत क्षमता आकांक्षाओं के साथ अच्छे तरीके से संतुलित करते हैं. यहां अलेक्जेंडर ओस्टरवाल्डर और यवेस पिग्नूर द्वारा विकसित मानक बिजनेस मॉडल कैनवास का उपयोग करके हमारे बिजनेस मॉडल की एक झलक प्रस्तुत की गई है. तेजी से बढ़ते हुए एक बैंक के रूप में यह ढांचा गतिशील है और विनियामक, आर्थिक और तकनीकी वातावरण में हो रहे परिवर्तनों को लगातार अपनाता रहता है.

» *कारोबार मॉडल घटक:*

1. प्रमुख भागीदारी
2. प्रमुख गतिविधियां
3. प्रमुख समाधान
4. प्रमुख कथन
5. ग्राहक संबंध
6. चैनल
7. ग्राहक वर्ग
8. मुख्य इनपुट
9. राजस्व के स्रोत

### 1 प्रमुख भागीदार

सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते भारत सरकार के साथ हमारी साझेदारी आवश्यक है. हम अंतरबैंक लेनदेन और ऋण सिंडिकेशन के लिए अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर भी काम करते हैं. इसके अलावा, फिनटेक कंपनियों के साथ हमारा गठजोड़ हमें अपनी डिजिटल सेवाओं में नवाचार और सुधार करने में सक्षम बनाता है. ऋण देने के लिए हमारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीए. फसी) और कारोबार प्रतिनिधियों एक नेटवर्क के साथ कार्यनीतिक साझेदारी है.

### 2 प्रमुख गतिविधियां

हम अपने खुदरा ग्राहकों, कॉर्पोरेट ग्राहकों, पीएसयू ग्राहकों और सरकारी निकायों से जमा स्वीकार करते हैं. हम वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुदरा, कृषि, एमएसएमई और बड़े कॉर्पोरेट सहित विभिन्न क्षेत्रों को ऋण प्रदान करते हैं. ग्राहकों तक आसान बैंकिंग पहुंच प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल नवाचार हमारे परिचालन के केंद्र में है. हम उच्च निवल मूल्य वाले लोगों की निवेश और धन प्रबंधन आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं.

### 3 प्रमुख संसाधन

हमारे वित्तीय संसाधनों में जमा, निवेश और पूंजी भंडार शामिल हैं. हमारा कुशल कार्यबल विभिन्न बैंकिंग कार्यों के प्रबंधन और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण है. ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म के साथ- साथ हम अपने भौतिक संसाधनों पर भी निर्भर हैं, जिसमें शाखाओं और एटीएम का व्यापक नेटवर्क भी शामिल है. भारत में सबसे बड़े, सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक के रूप में हमारा ब्रांड और प्रतिष्ठा अमूल्य है.

### 8 प्रमुख इनपुट

हमारी परिचालन लागत में कर्मचारी वेतन, शाखा रखरखाव, आईटी बुनियादी ढांचा और साइबर सुरक्षा रखरखाव शामिल हैं. हम बैंकिंग और वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए नियामक लागत भी बनाए रखते हैं. खराब ऋणों और बट्टे खाते में डालने के प्रावधान के रूप में जोखिम लागत भी हमारे व्यय का हिस्सा बनती है.

### प्रमुख कथन

हम अपनी व्यापक भौतिक उपस्थिति और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पहुंच प्रदान करते हैं. हम सरकार समर्थित और विनियमित होने के कारण सुरक्षा और विश्वास प्रदान करते हैं. हम अपने विविध उत्पाद और सेवा पोर्टफोलियो के साथ ग्राहकों की एक विस्तृत शृंखला को सेवा प्रदान करते हैं. अपने सामाजिक उद्देश्यों को कायम रखते हुए, हम क्षेत्र ऋण वित्तीय समावेशन पहल, और सतत क्षमता देने को भी प्राथमिकता देते हैं.

4

### ग्राहक संबंध

हम अपनी शाखा बैंकिंग के माध्यम से व्यक्तिगत सहयोग बनाए रखते हैं. हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और एटीएम के माध्यम से स्वचालित सेवाएं प्रदान करते हैं. सामुदायिक विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे सामाजिक आउटरीच कार्यक्रमों प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण और सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट है.

5

### चैनल

फेस-टू-फेस बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारा शाखा नेटवर्क महत्वपूर्ण है. हम मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं. हमारा विशाल एटीएम नेटवर्क नकदी निकासी, जमा और अन्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है.

6

### ग्राहक वर्ग

हमारे ग्राहकों में खुदरा ग्राहक शामिल हैं, जो बचत, चालू खाते, ऋण आदि के लिए हमसे जुड़ते हैं. हमारे पास कॉर्पोरेट ग्राहक हैं जो कार्यशील पूंजी, सावधि ऋण, व्यापार वित्त आदि में सहयता चाहते हैं. हम सरकारी निधि, कर संग्रह और संवितरण का भी प्रबंधन करते हैं. हम ऋण और अन्य बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से एमएसएमई और कृषि ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं.

7

### राजस्व के स्रोत

9

हम विभिन्न प्रकार के ऋणों से ब्याज आय अर्जित करते हैं. हम धन प्रबंधन, कार्ड सेवाओं, प्रेषण आदि जैसी सेवाओं से प्राप्त शुल्क और कमीशन से भी राजस्व उत्पन्न करते हैं. हमारी निवेश आय राजकोष परिचालन से प्राप्त होती है.वाएँ.

# वित्तीय वर्ष: 2023: सृजन एकीकृत मूल्य का

» इनपुट

**वित्तीय पूँजी**

₹ **19,27,621** करोड़
वैश्विक कारोबार

₹ **6,835** करोड़
इक्विटी

**विनिर्मित पूँजी**

**8,577** शाखाएँ
**10,835** एटीएम

**बौद्धिक पूँजी**

**1461** आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

**मानवीय पूँजी**

**75,594** कर्मचारी
**28.82%** महिला
**> 66,000** प्रशिक्षण घंटे यूनियन लर्निंग अकादमी के माध्यम से

**प्राकृतिक पूँजी**

**205,135** किलो लीटर
पानी का उपयोग
**892,587** जीजे ऊर्जा उपयोग

**सामाजिक पूँजी**

₹ **16.42** करोड़ सीएसआर खर्च किया
**130** आपूर्तिकर्ता केंद्रीय कार्यालय में
**21.67** करोड़ ग्राहक

**डिजिटल ग्राहक :**
» यूपीआई: **1.96** करोड़
» नेट बैंकिंग : **74** लाख
» मोबाईल बैंकिंग : **2.13** करोड़

**भविष्य का निर्माण :**
**ग्राहक, कार्मिक और संस्था**

भारत के प्रगतिशील बैंकिंग भविष्य में एक होने के नाते हम अपने ग्राहकों को अपनी गतिविधियों के केंद्र में रखते हैं. हम अपने कार्मिकों को प्रोत्साहित करते हैं और उनकी संभावनाओं को बढ़ाते हैं जिससे प्रतिभा वर्धन हेतु एक उचित मंच तैयार किया जाता है. हमारे सभी प्रयास, एक सार्वजनिक विजन की तरफ केंद्रित है - समुदाय को सशक्त करना, प्रगति की ओर उनके सफर को बढ़ावा देना.

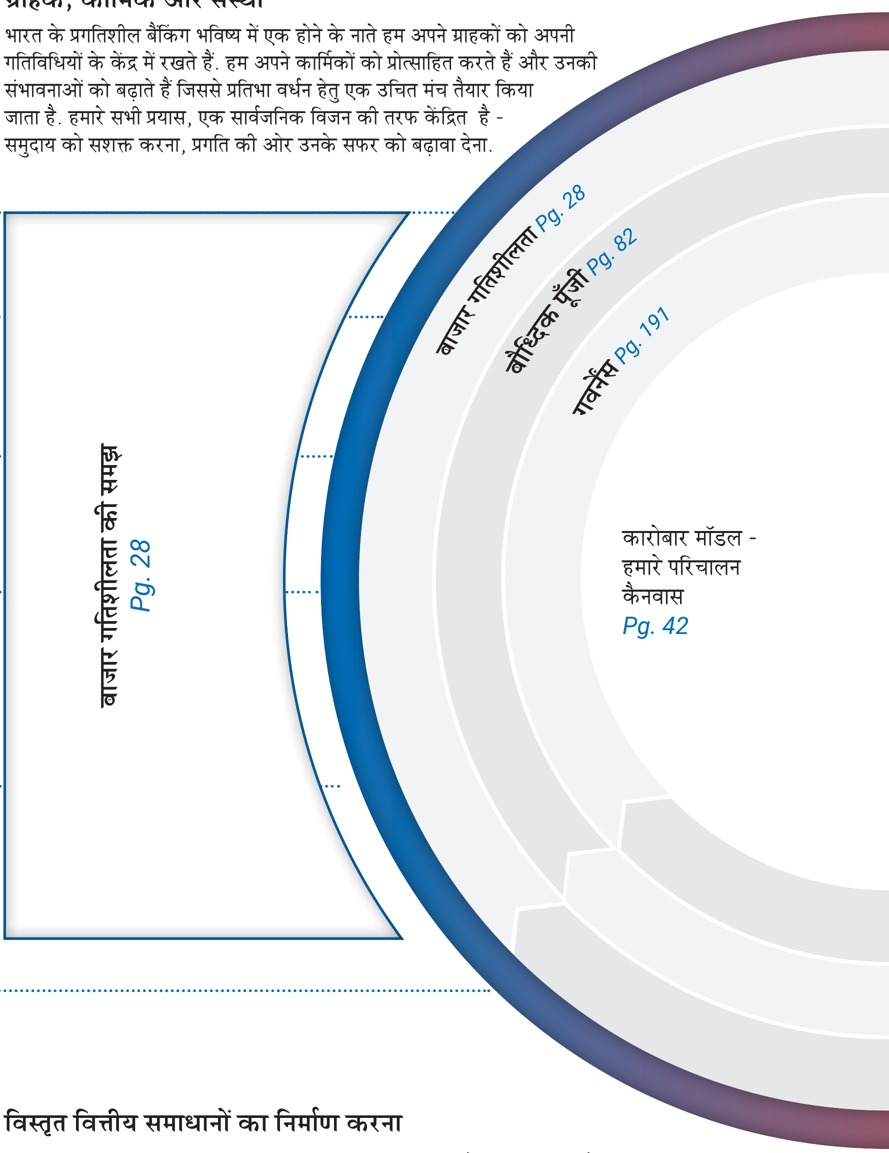


**विस्तृत वित्तीय समाधानों का निर्माण करना**

चार खंडों में संगठित, हम, बचत, ऋण, बीमा, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में अपने ग्राहकों की बहुमुखी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करते हैं.

## संवहनीयता के पथ का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2023 में औसत आस्तियों में 0.69 रिटर्न प्रदान करना जो वित्त वर्ष 2022 में 0.47 से अधिक है, हमारा लक्ष्य, विविध वृद्धि की ओर सशक्त प्रतिबद्धता और अल्प कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर अंतरण करना है.

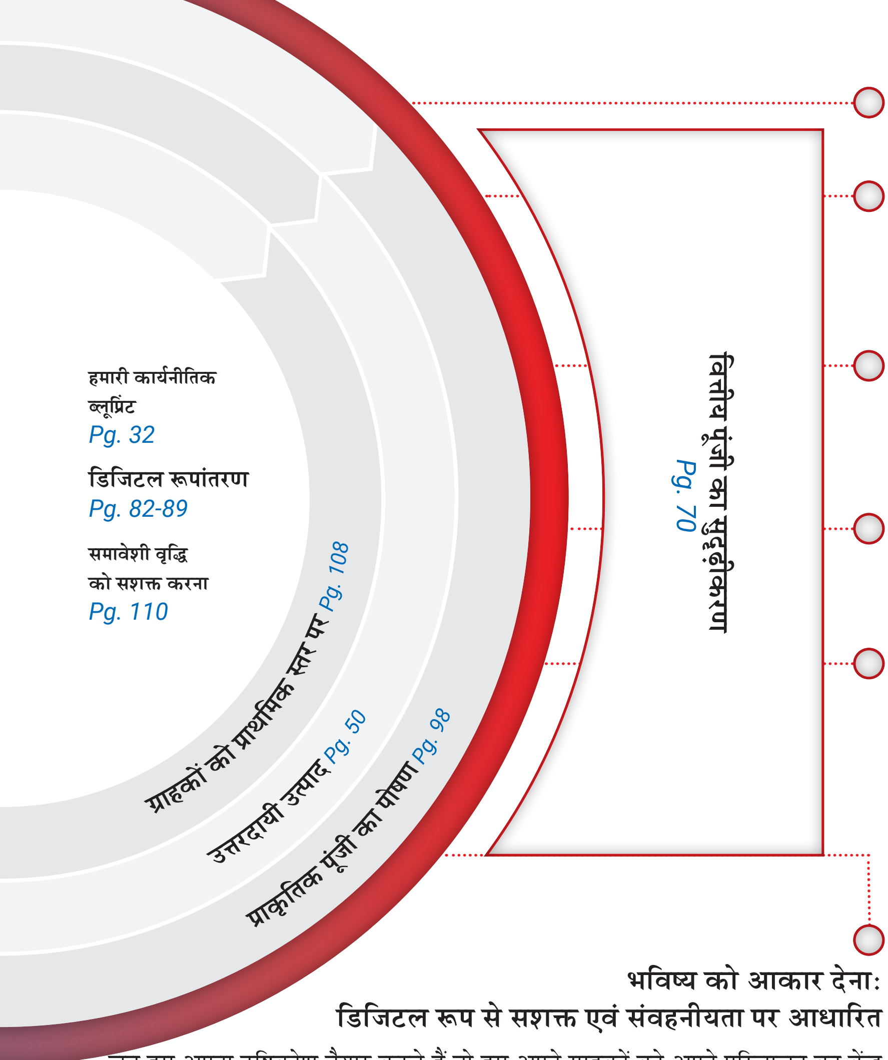


## भविष्य को आकार देना:
## डिजिटल रूप से सशक्त एवं संवहनीयता पर आधारित

जब हम अपना दृष्टिकोण तैयार करते हैं तो हम अपने ग्राहकों को अपने परिचालन का केंद्र बिन्दु पाते हैं जो हमारे लोगों के कार्य अनुभव को पुन: परिभाषित करते हैं। डिजिटाइजेशन की शक्तियों का लाभ लेते हुए हम एक लीन कैपिटल मॉडल का पालन करते हैं एवं संवहनीयता के सिद्धांतों को हमारे कार्यनीति के ताने बाने में बुन रहे हैं।

## » आउटपुट

### वित्तीय पूँजी

**13.26%** आरओई (इक्विटी पर रिटर्न)
**0.69%** आरओए (औसत आस्ति पर रिटर्न)
**61.18%** पीएटी में वर्ष दर वर्ष वृद्धि

### विनिर्मित पूंजी

**₹ 10,370** करोड़
परिवर्तनीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु मंज़ूर

**₹ 11,17,716** करोड़ जमा

### बौद्धिक पूंजी

मोबाईल बैंकिंग: **29%**
इंटरनेट बैंकिंग: **9%**
डिजिटल स्वीकृति में वर्ष दर वर्ष वृद्धि

### मानवीय पूँजी

**13,98,470**
प्रशिक्षण के कुल घंटे

### प्राकृतिक पूँजी

**11,278 टन वेस्ट**

**जीएचजी उत्सर्जन :**
संभावना 1: **274042** मेट्रिक टन $CO_2$ के समतुल्य
वर्ष दर वर्ष 3.33% की कटौती

संभावना 2: **241884** मेट्रिक टन $CO_2$ समतुल्य

**12,339** जी जे
गैर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा

### सामाजिक पूँजी

**₹ 22.87** करोड़ दान
**2,52,954** ग्राहक समस्याओं का समाधान
**51** अनुमोदित कार्यक्रम

कार्यनीति, मॉडल, पूंजी
नीतिगत
सांविधिक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

# संवहनीयता के प्रति हमारा दृष्टिकोण

### साथ साथ बदलते हुए

हमारा उद्देश्य सरल है: लोगों के जीवन में बदलाव लाना और जिन समुदायों को हम सुविधा प्रदान करते हैं उनका उत्थान करना. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमारे द्वारा लाए जानेवाले परिवर्तन पर हम गौरवान्वित है और हमारे हितधारकों के उन्नयन के लिए हमारे द्वारा किए जानेवाले कार्य के प्रति हम आशावादी है. हमारे शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों,समुदाय और विनियामक सहित हितधारकों के लिए दीर्घकालिक स्थिर मूल्य को जनरेट करने हेतु हमारा ध्यान है. यह हमारे विजन के साथ संरेखित है और हमारे कोर मूल्यों और कार्यनीतिपरक कार्यों द्वारा मार्गदर्शित है. संवहनीयता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को हमारे कंपनी भर में एकीकृत किया है और हमारे कार्यनीतिपरक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित किया है.

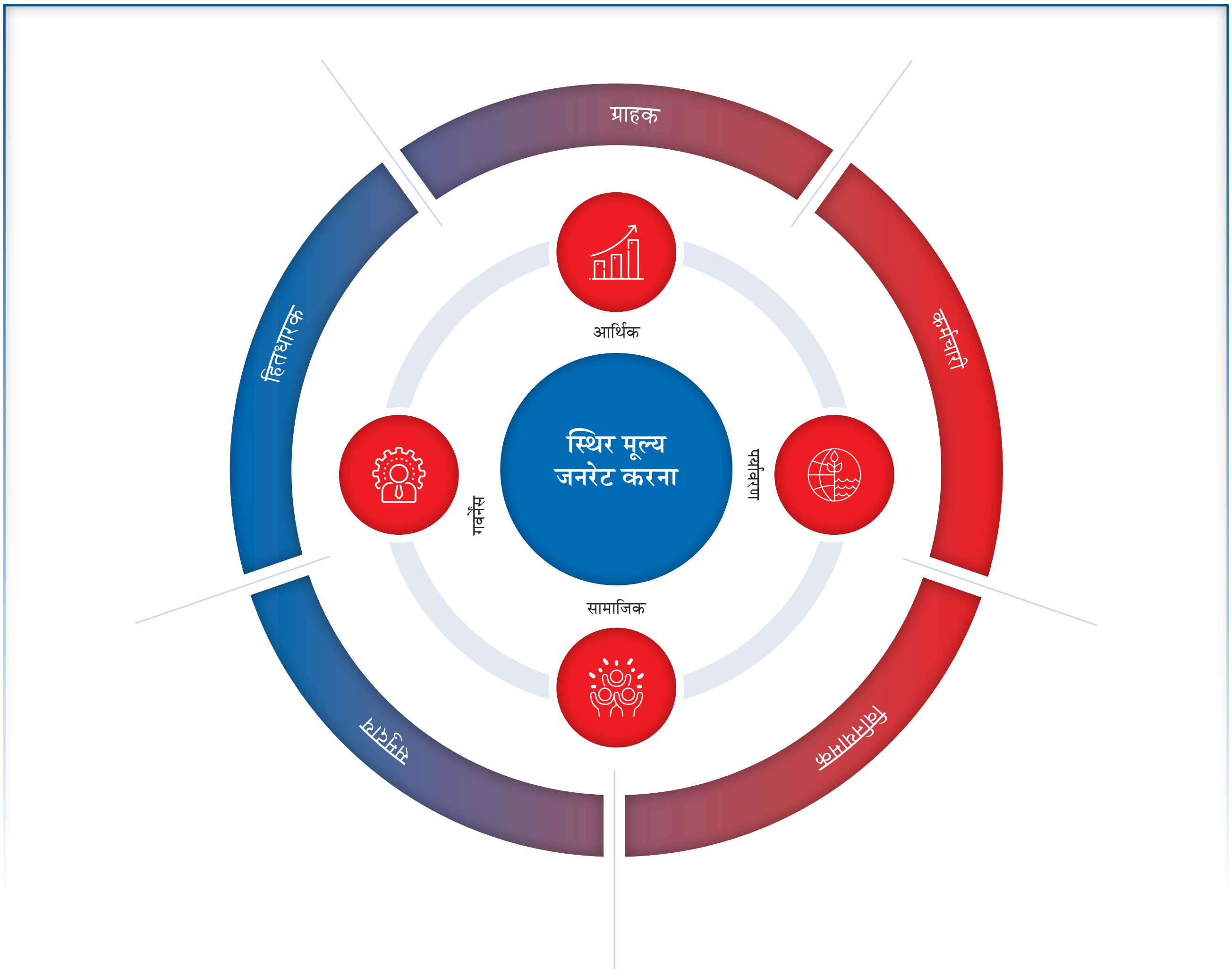

## हमारे मूल्य प्रस्ताव

यदि भारत को सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था बनना है तो उस बैंकों को सशक्त करने की आवश्यकता है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हम भारत के सबसे प्रमुख बैंकों में अपने को परिवर्तित कर रहे हैं. बल के साथ कार्यनीतिपरक भलाई करने की क्षमता प्राप्त होती है. इसलिए कार्पोरेट स्थिरता की ओर हमारा दृष्टिकोण और ईएसजी, भलाई करने पर भलाई होता है पर केंद्रित किया है. हमें विश्वास हैं कि कैसे वित्तीय सहायता समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव लाता है. मिलजुलकर, हम अपने हितधारकों के लिए काम कर सकते हैं.

हम सामान्य भलाई और दीर्घ काल के लिए जनता और कारोबार के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता का दायित्वपूर्ण संवितरण करते हैं, समानुभूति और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं, नवीनता और स्थिरता का समर्थन करते हैं.

हम अपनी विविधता के कारण ऐसे कार्य कर सकते हैं. एक वैश्विक भारतीय बैंक होने के कारण हमारे ग्राहकों और उपभोक्ताओं में विविधता है - व्यक्तियों से और छोटे कारोबार करनेवालों से लेकर वैश्विक निगमों से सरकार तक तथा हमारे परिचालन क्षेत्रों में आनेवाले भौगोलिक क्षेत्र से लेकर हमारे द्वारा सृजित करनेवाले आय के प्रकार तक. यह विविधता हमें अर्थशास्त्र चक्र के ज़रिए लचीलापन प्रदान करती है और स्थाई वित्तीय निष्पादन प्रदान करने हेतु मंच प्रदान करता है.

यह हमें और बेहतरीन ढंग से अपने हितधारकों की सेवा करने का मौका देता है. हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को बेहतरीन सेवाएँ प्रदान करना है, सहकर्मियों के लिए अच्छा कार्य स्थल का सृजन करना है, समाज को सहायता करना और शेयर धारकों को स्थिर रिटर्न प्रदान करना है. जैसे हमारा लक्ष्य हमारे बैंक के लिए स्थिर वृद्धि है, ताकि हमारे हितधारक भी हमारे साथ आगे बढ़ेंगे.

» **हमारे ग्राहकों के साथ**

हमारे उत्पादों, सेवाओं के उपयोग करनेवालों की हम सहायता करते हैं और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं.

» **हमारे कर्मचारियों का साथ**

हम उनके स्वास्थ्य और भलाई के लिए सुविधा प्रदान करते हैं, उनके करियर के निर्माण में सहायता करते हैं और बेहतरीन सेवा प्रदान करने हेतु उन्हें सशक्त और प्रेरित करते हैं.

*एक लचीला और विविध संस्था के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्थिर वृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए शेयरधारकों को स्थिर रिटर्न प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है. हम, सभी हितधारकों की सहायता करने हेतु सुदृढ़ कारोरबार का निर्माण करते हैं जिससे साझा समृद्धि हेतु अवसरों का सृजन होता है.*

» **समाज और पर्यावरण का साथ**

दीर्घ अवधि में हमारी सफलता को अलंघनीय रूप से हमारे समुदायों की प्रगति और हमारे पर्यावरण संरक्षण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है.

» **हमारे निवेशकों का साथ**

हम एक सशक्त, विविधता से पूर्ण कारोबार के निर्माण करने में निरंतर प्रयासरत है जिससे आकर्षक और स्थिर रिटर्न प्रदान कर सकते हैं.

## पर्यवेक्षण

बैंक के ईएसजी पर्यवेक्षण, हितधारकों की रिलेशनशिप समिति (एसआरसी) द्वारा की जाती है.इस समिति का लक्ष्य, बोर्ड और बैंक को अपनी कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और ईएसजी लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायता करना है. समिति में पर्याप्त रूप से कार्यपालक और गैर कार्यपालक निदेशक हैं. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान बैंक के शेयर धारक निदेशक सुश्री प्रीति जय राव ने समिति की अध्यक्षता की. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान समिति ने 4 बैठक आयोजित की.

ग्राहक सेवा और कार्पोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित कार्यों के साथ इसे संबंधित करते हुए एसआरसी की संभावना को विस्तृत किया गया. एसआरसी को पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) कार्यों के साथ अनिवार्य किया गया है.

## नैतिक उत्कृष्टता:

# जिम्मेदार बैंकिंग के प्रति हमारा दृष्टिकोण

विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देना: अच्छी प्रथाओं और ग्राहक केंद्रित विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हम बेहतरीन वित्तीय उत्पाद और सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जब भी और जहां भी उपभोक्ताओं को आवश्यकता होती है हम उन्हें सेवाएं प्रदान करते हैं. हम उत्तरदायी है यह सुनिश्चित करने हेतु कि सभी बाज़ारों में सभी उपभोक्ताओं तक हमारे उत्पाद और सेवाएँ पहुँच रहे हैं और सही प्रकार के ज़िम्मेदार उत्पाद और सेवाएं ही प्रदान किया जा रहा है. हम, यथोचित मूल्य उत्पादों को प्रदान करते हुए उपभोक्ताओं के बेहतरीन हित के लिए कार्य करते हैं, उनको स्पष्ट शर्तों और प्रकटीकरण से संबंधित सूचना देते हैं और अच्छी और स्थिर सेवा प्रदान करते हैं. ऐसे करने पर हम ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बना सकते हैं और उन्हें बढ़ने हेतु अपनी ज़िम्मदारी की भी पूर्ति कर सकते हैं.

*हम अपने उपभोक्ताओं के बेहतरीन हित के लिए कार्य करते हैं जिससे उनके साथ दीर्घ कालित संबंध स्थापित होता है और उन्हें समृद्ध बनाने में सहायता मिलती है.*

**172**

प्रशिक्षण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023 में आयोजित किए गए जिसमें 703 कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की.

**>66,000**

कार्यबल को प्रशिषण देने में ज्ञानार्जन घंटे का निवेश यूनियन लर्निंग अकादमी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में किया गया.

### ईमानदार कारोबार प्रथाएँ

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हम अपने ग्राहकों के सर्वोत्तम हित के लिए कार्य करते हैं. हमारे सभी कार्यों में ग्राहकों को केंद्र बनाने हेतु अच्छे और ईमानदार कारोबार प्रथाएं अनिवार्य हैं. अनैतिक कारोबार प्रथाओं को सख्त रूप से वर्जित है और इसके अलावा, यह हमारे कोर मूल्यों के साथ संगत नहीं हैं. हम, गैर अपमानजनक और लूट रोधी ऋण प्रथाओं को कायम रखने के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं. जाति, जातीयता, रंग, धर्म, महिला या पुरुष, आयु, वैवाहिक स्थिति,यौन रुझान, विकलांगता, सार्वजनिक सहायता की प्राप्ति, पारिवारिक स्थिति के संबंध में ध्यान न देते हुए ऋण निर्णय लिए जाते हैं या उपभोक्ताओं के ऋण सुरक्षा अधिकारों पर ध्यान दिया जाता है.

बैंक के बोर्ड और उनकी समितियां, उद्यम वार कार्यनीतियों और नीतियों के मार्गदर्शन हेतु उत्तरदायी हैं.ऐसी कार्यनीतियों और नीतियों के साथ उपभोक्ता और कारोबार के वाणिज्यिक संबंध के प्रति उच्च स्तरीय निर्देश हेतु समितियां सहायता करती हैं. समितियों को कार्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा देना है जिससे यूनियन बैंक के विधि और विनियमों के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट होती है जो अनैतिक, भेदभावपूर्ण या हिंसक कार्यों और प्रथाओं का निषेध करते हैं तथा बुरा, भ्रामक या अपमानजनक कार्य या प्रथाओं पर भी रोक लगाती है.

इसके अतिरिक्त, बैंक, कर्मचारियों और ठेकेदारों को वार्षिक आधार पर शिकायत प्रबंधन, वित्तीय अपराध अनुपालन प्रशिक्षण, वित्तीय दुरुपयोग, कपट का निवारण और 'सहीकार्य करना' सहित अनुपालन प्रशिक्षण की पूर्ति करने की अपेक्षा करते हैं. वित्त वर्ष 2023 में 172 देशीय बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें 703 कर्मचारियों ने भाग लिया है और 7 विदेशी कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें 43 कर्मचारियों ने भाग लिया. कुल 1171 अवधि कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें 45965 कर्मचारियों और 290 अल्पावधि कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें 39414 कर्मचारियों ने भाग लिया. सभी यूएलए द्वारा कुल 136 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3500 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है.यूएलए द्वारा विभिन्न नए युगीन निपुणता में प्रतिभागियों के प्रवीणता स्तर को बढ़ाने हेतु 66000 से अधिक के ज्ञानार्जन घंटों का प्रशिक्षण दिया गया.

वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान कुल 14 अग्रिम प्रशिक्षण कार्यक्रम और 20 कार्यात्मक/कोर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित किया गया. इसके अलावा संकाय सदस्यों द्वारा 28 केस स्टडीज को भी विकसित किया गया.

बैंक के विपणन विभाग का मिशन बैंक के ब्रांड को पूर्ण रूप से सक्रिय करते हुए ग्राहक केंद्रित वृद्धि का समर्थन करना है. मार्केटिंग प्रोफशनलों को प्रेरित किया गया है कि ग्राहकों के लिए क्या सही करना है और उन्हें सभी निर्णयों के केंद्र में रखना है.

## कैसे हमारा वित्त पोषण विकास लक्ष्यों का समर्थन करता है

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,साझा वैश्विक प्राथमिकताओं के रूप में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को 2030 तक अभिनिर्धारित करने की प्रक्रिया में है. इसका संबंध सकारात्मक मानवीय, सामाजिक और पर्यावरण तत्वों के साथ है और इसे प्रतिबद्धित कार्य और बहुपक्षीय सहयोग के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है. हमारा मानना है कि कारोबार, सरकार, समाज और अन्य हितधारकों को 2030 के एजेंडा को वास्तविकता में परिवर्तित करने हेतु मिल जुलकर काम करना एक अनिवार्यता बन गई है. बैंक अपनी भूमिका निभाने में और अपने लक्ष्यों की डिलिवरी के समर्थन हेतु अपने हितधारकों के साथ साझेदार के रूप में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है.

हमारे सामाजिक और पर्यावरणीय वित्तपोषण, सभी क्षेत्रों के कारोबार को कवर करते हैं. स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों, शैक्षणिक संस्थाओं, सस्ती आवास परियोजनाओं और हरित संरचनात्मक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के ज़रिए सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय योगदान, जनरेट होता है. इन कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से एसडीजी की प्रगति का भी समर्थन होता है.

हमारे स्थिर वित्तीय ढांचे के विस्तृत अपडेट के हिस्से के रूप में हम अपने ढांचे को अद्यतन करने और दिए गए एसडीजी लक्ष्यों के विश्लेषण के ज़रिए समर्थित एसडीजी पर सही रूप में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में है. जैसे कि बेहतरीन सूचना उपलब्ध होने पर हम अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु अपने कार्यप्रणालियों को अधिक परिशोधित करेंगे.

## उपयुक्त उत्पादः

# वृद्धि एवं समावेशपूर्ण वर्ष

संवहनीय वित्तीय समाधान और विविध क्षेत्रों को सशक्त करना

यह अध्याय, वित्तीय समृद्धि और पहुँच को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता के विविध पहलुओं को दर्शाता हैं. वित्त वर्ष 2022-23 ने प्रमुख क्षेत्रों -खुदरा ऋण, कार्पोरेट ऋण, कृषि और एमएसएमई अग्रिमों में सुदृढ़ वृद्धि देखी गई है, जो कि स्थिरता और डिजिटलीकरण के प्रति हमारा समर्पण दिखाता है. सांविधिक लक्ष्यों को पार कर और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर हमने वित्तीय समावेशन पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है. यह अध्याय आर्थिक वृद्धि को त्वरित करने हेतु हमारे अनुकूलित दृष्टिकोण को दर्शाता है और हमारे ग्राहकों को वित्तपोषण में वृद्धि करते हुए डिजिटल सरलता द्वारा चालित स्थिरता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का हमारे वार्षिक थीम को प्राप्त करने में सहायक होता है.

| पहल | यूएमएसडीजी | जीआरआई मानक | कार्यनीतिक स्तंभ | महत्वपूर्ण पहलू |
|---|---|---|---|---|
| खुदरा ऋण वृद्धि | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH | जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | | 23, 24, 25 |
| उद्यम ऋण | 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | | 23, 24, 25 |
| कृषि अग्रिम | 2 ZERO HUNGER; 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH | जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | | 13, 23, 24, 25, 39 |
| एमएसएमई में उन्नति | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH; 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | | 13, 23, 24, 25, 39 |
| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम | 1 NO POVERTY | जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | | 13, 23, 24, 25, 39 |

## खुदरा ऋण

| पहल | यूएनएसडीजी | जीआरआई मानक | भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य |
| --- | --- | --- | --- |
| खुदरा ऋण वृद्धि | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH | जीआरआई 203:अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | 23, 24, 25 |

हमारे ग्राहकों के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता से के अनुरूप हमारे खुदरा ऋण संविभाग में उत्साहजनक वृद्धि देखी जा रही है जो हमारे ग्राहकों के लिए सतत आर्थिक विकास और भलाई के लिए निरंतर रूप से योगदान करता रहा है.

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हमने हमारे बकाया खुदरा ऋण में 17.19% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी है. यह संतोष जनक वृद्धि, न केवल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को जनसंख्या के व्यापक वर्गों तक पहुँचाने का प्रतीक है बल्कि वार्षिक रिपोर्ट का हमारा विषय- “डिजिटल कौशल के माध्यम से संवहनीयता हेतु प्रतिबद्ध,” के साथ प्रतिध्वनित होता है.

निम्न तालिका खुदरा ऋण के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शाता है:

| योजना | वर्ष दर वर्ष वृद्धि % |
| --- | ---: |
| आवास | 10.84 |
| माईल्स | 30.63 |
| शिक्षा | 24.10 |
| मोर्टगेज | 13.49 |
| वैयक्तिक | 91.54 |
| अन्य | 10.71 |
| कुल खुदरा अग्रिम (पीडब्ल्यूओ सहित) | 17.24 |
| पीडब्ल्यूओ(-) | 25.95 |
| कुल खुदरा अग्रिम (पीडब्ल्यूओ रहित) | 17.19 |

यह वृद्धि, विविध ग्राहक केंद्रित वित्तीय समाधानों को प्रदान करने के हमारे निरंतर प्रयासों को दर्शाती है जिससे हमारे ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे आवास और शिक्षा से लेकर वैयक्तिक और मोर्टगेज ऋणों की पूर्ति करते हैं. वैयक्तिक ऋणों की उत्कृष्ट वृद्धि पर प्रकाश डालना आवश्यक है जहां वर्ष दर वर्ष 91.54% की संतोषजनक वृद्धि और मार्च, 2022 के सापेक्ष रु.23429 करोड़ की समग्र खुदरा वृद्धि देखी गई है. हमारे प्रभाव को बढ़ाने के लिए रिटेल लोन प्वाईंटों (आरएलपी) के ज़रिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत भर में रु 32375 करोड़ की खुदरा ऋणों की मंज़ूरी की हैं. यह संख्या न केवल आपके बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य की मज़बूती का संकेत देता है बल्कि हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं और ग्राहक केंद्रित सेवा मॉडल दृष्टिकोण को प्रमाणित करता है.

***एक सक्रिय ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ग्राहकों को सशक्त करने, समृद्ध भविष्य उत्प्रेरित करने और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है. हमारे खुदरा ऋण विभाग, एक लचीला वित्तीय परिस्थिति तंत्र बनाने की ओर निरंतर प्रयासरत है जो सबके लिए सुलभ, समावेशी और लाभप्रद हो.***

दूरदर्शी संस्था के रूप में हमने भी अपनी सेवाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार के लिए कई नई पहल शुरू की है. इसमें शिक्षा ऋणों हेतु विशेषीकृत योजनाओं की शुरुआत शामिल हैं तथा अन्यों में समर्पित शिक्षा ऋण अधिकारियों की नियुक्ति, यूनियन सुरक्षा वैयक्तिक ऋण की शुरुआत, शिक्षा का डिजिटलीकरण और वाहन ऋण यात्रा शामिल हैं.

उपयुक्त उत्पादः

*वृद्धि एवं समावेशपूर्ण वर्ष*

हमारे आगे की कार्यनीतिपरक पथ, अभिनिर्धारित एस्पिरेशनल जिलाओं में बाजार शेयर और कारोबार को बढ़ाने पर आधारित है. क्रेडिट हामीदारी अंकन के सुधार करते हुए रिटेल लोन प्वाईंटों (आरएलपी) को व्यवस्थित करना, भावी ग्राहक आधार और एचएनआई को बढ़ाने के लिए विशेष कक्षों को बनाना और संवर्धित सेवा सुपुर्दगी हेतु डिजिटल दक्षताओं का फायदा उठाना जारी रखना.

## उद्यम

| पहल | यूएनएसडीजी | जीआरआई मानक | तात्विक परिप्रेक्ष्य |
|---|---|---|---|
| उद्यम ऋण | 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | 23, 24, 25 |

तेज़ी से उभरती हुई वैश्विक बाज़ार में आर्थिक इंजन को चलाने के लिए उद्यमों द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई जाती है.

**₹3,73,188 करोड़**
31.03.2023 को कॉर्पोरेट और अन्य अग्रिम.

**15.12%**
मिड कॉर्पोरेट खातों हेतु वर्ष दर वर्ष वृद्धि

**₹21,615 करोड़**
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नए कारोबार प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया जिससे भावी वृद्धि हेतु संभावना और कॉर्पोरेट क्रेडिट के विस्तार को दर्शाया है.

*संवहनीयता के उद्यमों को सशक्त बनाते हुए आपका बैंक सुदृढ़, लचीली अर्थव्यवस्था के लिए योगदान देते हुए नवाचार, डिजिटलीकरण और चैंपियन पर्यावरणीय जिम्मेदारी का समर्थन करना जारी रखता है.*

वित्त वर्ष 2022-23 को दौरान आपके बैंक ने अपने उद्यमी सेवाओं की निरंतरता और डिजिटलीकरण के संवर्धन हेतु विभिन्न उद्यमों की शुरुआत की है:

1. **डिजिटल ऋण आवेदन प्लेटफार्मः** एक नई डिजिटल पूर्व अनुमोदित वैयक्तिक ऋण प्लेटफार्म का व्योम के ज़रिए शुरुआत की गई है जिससे ऑनलाईन ऋण के लिए आवेदन देने हेतु उद्यमों को सहायता प्राप्त होती है और इससे कागज़ आधारित आवेदनों की आवश्यकता कम होती है. इस पहल से ऋण अनुमोदन प्रक्रिया शीघ्र हो जाती है और कागज़ी उपयोग को कम करते हुए हमारी पर्यावरण स्थिरता के प्रतिबद्धता की ओर योगदान देती है.

2. **हरित वित्तपोषणः** स्थिर कारोबार प्रथाओं को आगे ले जाने हेतु आपके बैंक ने पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में निवेश करनेवाले या हरित तकनीकियों को स्वीकृत करनेवाले उद्यमों के लिए अनुकूल शर्तों की शुरुआत की हैं. इस पहल से स्थिर विकास को बढ़ावा मिलता है और जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव दूर होता है.

3. **फिनटेक साझेदारीः** आपके बैंक ने ग्राहकों के लिए शीघ्र ऋण आवेदन, डिजिटल भुगतान समाधान और ऑनलाईन खाता प्रबंधन जैसे विकसित डिजिटल समाधान प्रदान करने हेतु विभिन्न फिनटेक कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी की है.

4. **उद्यमी सेवाओं का डिजिटलीकरणः** ग्राहक अनुभवों के संवर्धन हेतु हमने विभिन्न सेवाओं का डिजिटलीकरण किया है जैसे

कि खाता खोलना और निधि अंतरण तथा अन्य में बीजक कटौती. अब उद्यमों द्वारा इन सेवाओं को 24*7 अपने कार्यालय की सुविधा में ही प्राप्त किया जा सकता है जिससे उनके समय की बचत और बैंकिंग लेन देनों के लागत की बचत होती है.

5. **साईबर सुरक्षा पहल:** इस डिजिटल युग में डाटा सुरक्षा सबसे ऊपर हैं. हमने यह सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत साईबर सुरक्षा कार्रवाई में निवेश किया है ताकि हमारे उद्यमी ग्राहक अपने बैंकिंग लेनदेन सुरक्षित रूप से कर सकें.

6. **प्रशिक्षण और विकास:** हमने अपने उद्यमी ग्राहकों को नवीनतम डिजिटल बैंकिंग उपकरणों से परिचित कराने के लिए बहु संख्या में कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया है. इन सत्रों से सुनिश्चित किया गया कि उद्यमों द्वारा हमारे डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के संपूर्ण संभावना का फायदा उठाया जा सकता है.

जैसे कि हम वित्तीय वर्ष 2023-24 की ओर जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य यही है कि उद्यम क्षेत्र में वृद्धि और संवहनीयता के लिए तकनीकी का अधिकतम लाभ उठाया जाना जारी रखें. हमारी प्रमुख कार्यनीतियों में हमारे ग्रीन वित्तीय संविभाग का विस्तार, उद्यमों के लिए अधिक डिजिटल सेवाएं बनाना, हमारे साईबर सुरक्षा ढ़ांचे को सशक्त करना और नवोन्मेषी बैंकिंग समाधानों को प्रदान करने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी को बढ़ाना शामिल हैं.

हमारी यह भी योजना है कि अपने उद्यम ग्राहकों के लिए अधिक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करें और सुनिश्चित करें कि डिजिटल बैंकिंग के लाभ के उपयोग करने हेतु उनको दक्षता प्राप्त हो.

डिजिटलीकरण की शक्ति को काम में लाने और सतत कारोबार प्रथाओं को बढ़ावा देने के द्वारा उद्यमों की वृद्धि और हमारी अर्थव्यवस्था के संवहनीयता के लिए योगदान, हमारा लक्ष्य है.

**कृषि:**

| पहल | यूएनएसडीजी | जीआरआई मानक | महत्वपूर्ण पहलू |
|---|---|---|---|
| कृषि ऋण | 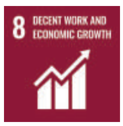  | जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | 13, 23, 24, 25, 39 |

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण गरीबी को कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका को अभिनिर्धारित करते हुए कृषि ऋण को प्राथमिकता देना जारी रखा है. 31 मार्च, 2023 को समग्र अग्रिमों में से हमारे कृषि अग्रिम 17.77% है जो कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर हमारी अटल प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

हमें यह घोषित करते हुए गर्व हैं कि हमने मार्च 31, 2023 को 18.97% के कार्यनिष्पादन दर की प्राप्ति द्वारा 18% की सांविधिक कृषि प्राथमिकता लक्ष्य को पार किया है. इसके अतिरिक्त हमारे प्रभावी प्रबंधन को रेखांकित करते हुए पीएसएलसी - लघु और सीमांत कृषक के अंतर्गत रु.15450 करोड़ अधिशेष की सफल बिक्री की है और इस तरह क्षेत्र के लिए योगदान दिया है.

***कृषि समृद्धि को पोषित करते हुए हमने निरंतर रूप से सांविधिक लक्ष्यों को पार किया है, कृषक समुदायों की वित्तीयता को सुदृढ़ किया है और ज़िम्मेदार ऋण प्रदान करने के ज़रिए आर्थिक विकास को त्वरित किया है.***

उपयुक्त उत्पाद:

*वृद्धि एवं समावेशपूर्ण वर्ष*

2022-23 के वित्तीय वर्ष के दौरान हमने कृषि ऋण में वर्ष दर वर्ष 14.20% की मज़बूत वृद्धि देखी है जिससे 31 मार्च, 2023 को हमारे कुल बकाया रु.151993 करोड़ हो गया.

हम लघु और सीमांत कृषकों की ओर हमारी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे और 31 मार्च, 2023 को रु. 95171 करोड़ के बकाया ऋण प्रदान किया जो एएनबीसी के 13.33 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है और 9.50 प्रतिशत के बेंचमार्क को पार करता है. उसी अवधि के दौरान हमने 4.11 लाख नए किसान क्रेडिट कार्डों को जारी किया जिसकी कुल राशि रु 6896.45 करोड़ है.

**17.77%**
समग्र अग्रिमों में कृषि का शेयर दिनांक 31.03.2023 को.

**14.20%**
वर्ष दर वर्ष वृद्धि कृषि उधार में

**4.11 लाख**
नए किसान क्रेडिट कार्ड वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान जारी

ये उपलब्धियां, कृषि समुदायों के बीच वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निरंतर प्रयास को प्रतिबिंबित करता है और यह हमारे ग्राहकों के वित्तीय स्वास्थ्य के संवर्धन करने की हमारी कार्यनीतिपरक प्राथमिकता के साथ मेल खाता है और समृद्ध भविष्य की ओर उत्प्रेरित करता है.

## सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई):

| पहल | यूएनएसडीजी | जीआरआई मानक | महत्वपूर्ण पहलू |
|---|---|---|---|
| एमएसएमई में उन्नति | 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH<br>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | जीआरआई 203:अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | 13, 23, 24, 25, 39 |

किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हमने अपने कुल एमएसएमई अग्रिमों में 13.06% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी है जो रु.1,10,517 करोड़ से रु 1,25,022 करोड़ के रूप में विस्तृत हुआ.

हमने यूनियन एमएसएमई सुविधा, यूनियन नारी शक्ति, यूनियन उपकरण वित्त, यूनियन आयुष्मान प्लस और यूनियन सोलर जैसे अभिनिर्धारित एमएसएमई योजनाओं के अंतर्गत हमारी सेवाओं के संवर्धन पर सावधानीपूर्वक कार्य किया जिससे इन योजनाओं में पर्याप्त ऋण मंज़ूरी देखी गई है. ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन और मंज़ूरी के लिए ज़िम्मेदार एमएसएमई लोन प्वाईंटों ने वर्ष के दौरान रु.35598 करोड़ की मंज़ूरी दर्ज की.

हमारे 'शाखा प्रबंधक प्रत्यायोजन अधिकार अभियान' के परिणामस्वरूप 166,234 ऋण खातों की मं. ज़ूरी मिली, जिससे रु.4461 करोड़ की ऋण मूल्य लाना है. ऐसे सक्रिय पहलों की केंद्रीय कार्यालय कार्यपालकों द्वारा निगरानी करने के कारण एमएसएमई कारोबार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है.

उद्यमी भावना को बढ़ावा देने और डिजिटल अंतरण को स्वीकार करने से हमने एमएसएमई में मज़बूत वृद्धि को सुनिश्चित किया है, आर्थिक लचीलापन को सुदृढ़ किया और पर्यावरण स्थिरता का नेतृत्व किया.

एमएमएमई के प्रति हमारे समर्पण को ओर मज़बूत बनाने के लिए हमने 80 अतिरिक्त यूनियन एमएसएमई फस्ट शाखाओं (यूएमएफबी) की शुरुआत की जिससे कुल 105 शाखाएं हो गई और इसके ज़रिए रु.9000 करोड़ के एमएसएमई संविभाग का प्रबंधन होता है. इसके अतिरिक्त एक स्टार्ट अप केंद्रित शाखा की भी बेंगलूर में शुरुआत करने की योजना है. हमने ध्यान दिया है कि हमारे अनुमोदित क्लस्टर योजनाओं के अंतर्गत उपयोगिता में मज़बूत वृद्धि हुई है जो रु.2191 करोड़ से बढ़कर रु.10113 करोड़ बन गया है.

सेवा डिजिटलीकरण की ओर हमारे ध्यान ने “केंद्रीकृत गारंटी कक्ष ” और क्रेडिट गारंटी प्रबंधन समाधान (सीजीएमएस) पोर्टल का सृजन किया है जिससे क्रेडिट गारंटी संबंधित प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया गया है. इस पहल ने हमारे बैंक को नए गारंटीकृत कवरेज के लिए सीजीटीएमएसई के एपीआई एकीकरण करनेवाले उद्योग के प्रथम बैंक बनने के लिए सहायता प्रदान की.

संवहनीयता कायम रखने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. परवर्ती रूप में हमने अपने विपणन अधिकारियों और एमएलपी प्रमुखों को गहन ओरियंटेशन प्रदान किया और क्रेडिट मूल्यांकन और विपणन पर प्रशिक्षण दिया. यह प्रयास बेहतरीन कार्यान्वयन में योगदान देने के लिए उनको आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है.

हमने सामाजिक वृद्धि की ओर हमारी प्रतिबद्धता को पीएमईजीपी, पीएमएमवाई और पीएम स्वानिधि जैसे योजनाओं में सक्रिय भागीदारी करते हुए निभाया है. इन प्रयासों के जरिए हमने बहुत से व्यक्तियों को उनकी उद्यमी सफर में सहायता की है जो आर्थिक वृद्धि की ओर हमारे समर्पण को दर्शाता है.

**₹1,25,022 करोड़**

वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर कुल एमएसएमई अग्रिम, एमएसएमई के समर्थन में 13.06% की वर्ष दर वर्ष मज़बूत वृद्धि दर्शाता है.

**166,234**

“शाखा प्रबंधक प्रत्यायोजन अधिकार अभियान” के अंतर्गत मंज़ूर ऋण खातों की संख्या एमएसएमई के समर्थन की ओर आक्रामक ड्राईव को सूचित करता है जिससे रु.4461 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए है.

**₹10,113 करोड़**

मार्च, 23 को अनुमोदित क्लस्टर योजनाओं के अंतर्गत उपयोगिता, पिछले वर्ष के रु.2191 करोड़ से ठोस वृद्धि दर्शाई है जो एमएसएमई के लिए क्लस्टर आधारित विकास कार्यनीतियों पर ध्यान देने की सूचना देते हैं.

ईएसजी पहलुओं की महत्ता को समझते हुए हमने डिजिटल रूप से ऋणों के आवेदन करने के लिए एमएसएमई ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधान की शुरुआत की है. स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) किशोर और तरुण मुद्रा ऋण, यूनियन नारी शक्ति और जीएसटी गेन जैसे उत्पाद अब डिजिटल रूप में उपलब्ध है जिससे उसकी पहुंच और उपयोगिता में सरलता आती है.

अंत में हमने सौर ऊर्जा संयंत्र के संस्थापन हेतु उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु “यूनियन सोलर” की शुरुआत की है. गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने का हमारे समर्पण के साथ अनुरूप है जिससे पर्यावरण स्थिरता के लिए भी योगदान मिलता है.

## प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

| पहल | यूएनएसडीजी | जीआरआई मानक | महत्वपूर्ण पहलू |
|---|---|---|---|
| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम | | जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | 13, 23, 24, 25, 39 |

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समाज की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित है जिससे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम मार्च 31, 2023 को रु.3,02,006 करोड़ तक पहुंचा है. हमने पीएसएलसी बिक्री को छोड़कर और आरआईडीएफ/ सिडबी/ मुद्रा / एनएचबी को शामिल करते हुए की पहली 2023 तिमाही हेतु समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 42.31% प्राप्त करके 40% के सांविधिक लक्ष्य को पार किया है.

उपयुक्त उत्पाद:

## *वृद्धि एवं समावेशपूर्ण वर्ष*

***तकनीकी और सामाजिक प्रतिबद्धता को अपनाते हुए हमने महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदायों और कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाने का प्रयास किया और वित्तीय समावेशन को अपनाया और सभी के लिए स्थिर वृद्धि के लिए प्रयास किया.***

सामाजिक उत्थान के प्रति हमारे ध्यान ने कमज़ोर और वंचित जैसे महिलाएं, अल्प संख्यक समुदाय और स्वयं सहायता समूह के प्रति ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमें प्रेरित किया.

1. **महिला लाभार्थी:** महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए, हमने मार्च 2022 के रु.89,110 करोड़ के सापेक्ष मार्च, 2023 के रु. 105,954 करोड़ के रूप में महिलाओं को ऋण दिया जिससे 18.90% की वृद्दि हुई.
2. **अल्पसंख्यक समुदाय:** हमने अल्प संख्यक समुदायों को ऋण प्रदान किया जो कि मार्च 31, 2023 को रु.28314 करोड़ तक पहुँच गया जो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के 9.38% हैं.
3. **कमज़ोर वर्ग:** हमने कमज़ोर वर्ग के प्रति हमारे वित्तीय सहायता को रु.104,698 करोड़ से 31 मार्च 2023 को 13.30% वृद्धि के साथ रु.118,631 करोड़ के रूप में वर्धित किया.

हमारी पहल जैसे ग्रामीण स्व रोज़गार प्रशिक्षण संस्था (आरएसईटीआई) और चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (सीजीजीबी) जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ग्रामीण विकास के प्रति हमारे प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. मार्च, 2023 तक 308,494 उम्मीदवारों को आरसेटी में प्रशिक्षित किया गया है जिसमें 205,525 को सफलता पूर्वक नौकरी प्राप्त हुई है.

**₹105,954 करोड़**

ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए, वर्ष दर वर्ष में 18.90% की वृद्धि

**₹118,631 करोड़**

ऋण कमज़ोर वर्ग को दिए गए, वर्ष दर वर्ष में 13.30% की वृद्धि

**₹28,314 करोड़**

ऋण अल्प संख्यक समुदायों को दिए गए, हमारे प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों के 9.38%

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), आत्म निर्भर भारत योजना जैसे सरकारी पहलों और नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के साथ हमारा जुड़ाव और किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण जैसे डिजिटल पहलों के साथ मिलकर, वित्तीय समावेशन और स्थिरता के लिए तकनीकी के उपयोग करने को हमारे दृढ़निश्चय को दर्शाता है.

### वित्तीय वर्ष 2023 हेतु वित्तीय समावेशन प्रतिभागिता:

संवहनीयता हेतु हमारी प्रतिबद्धता और डिजिटल युग को स्वीकार करने के साथ हमने पिछले वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए प्रमुख कार्यनीतिक केंद्र के रूप में वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी है.

प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों (पीएमजेडीवाई) के 244.78 लाख से 280.00 लाख में उल्लेखनीय वृद्धि, हमारी प्रगति का प्रमाण है तथा संबद्ध खाता शेष में रु.7780 करोड़ से रु.9046 करोड़ की वृद्धि भी हुई है. यह समाज के सबसे वंचित वर्ग को भी वित्तीय रूप से सशक्त करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

इसके अतिरिक्त आधार, एक विशिष्ट पहचान प्रणाली को हमारे वित्तीय समावेशन में एकीकृत करने के हमारे कार्यनीतिक प्रयास कामयाब हुए जिससे आधार अंकित खातों की संख्या 204 लाख से बढ़कर 229 लाख हो गई. इसी तरह रूपे कार्ड जारी करने में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई जिससे हमारे ग्राहकों के लिए डिजिटल लेनदेनों में सहायता प्राप्त हुई.

हमारे बैंक संवाददाताओं (बीसी) के बुनियादी ढांचे में की गई उल्लेखनीय प्रगति अर्थात् 16948 से 17662 में संख्या में वर्धन से भी हमें गर्व है. हमारे बीसी, सुदूर क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अगले वित्त वर्ष तक इस संख्या को आगे 20000 तक बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है.

*डिजिटल तकनीकी का लाभ उठाते हुए हमारा लक्ष्य वित्तीय सशक्तिकरण की बाधाओं को दूर करना है, समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुँचना है और वित्तीय समावेशन को सभी के लिए यथार्थ बनाना है.*

**280** लाख
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाता दिनांक 31 मार्च, 2023 को

**17,000+**
बैंक संवाददाताओं की संख्या दिनांक 31 मार्च, 2023 को

**₹9,046** करोड़
पीएमजेडीवाई खातों के कुल शेष दिनांक 31 मार्च, 2023 को

वित्त वर्ष 2022-23 में हमने एक नए पहल की शुरुआत की- बीसी प्वाईंटों में नई पेंशन योजना (एनपीएस) का नामांकन. इस विकास ने हमारे वित्तीय समावेशन प्रयासों को विस्तृत किया है और देश के सुदूर स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों तक सेवानिवृत्ति बचत पहुँचाने हेतु हमें सक्षम बनाना है.

इसके अतिरिक्त हमने अपने बीसी की निगरानी और प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हेतु बीसी निगरानी मोबाईल एप्प की शुरुआत की है. यह एप्प बीसी परिचालनों को सुव्यवस्थित करते हैं, निवारक सतर्कता उपाय के रूप में कार्य करते हैं और बीसी प्वाईंटों की अनियमितताओं के संबंध में जल्द चेतावनी देने में सहायता करते हैं.

आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हम आस्ति और देयता उत्पादों के लीड जनरेशन हेतु बीसी को जन समर्थ पोर्टल और जो भी हो सीआरएम एप्लिकेशन के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्धत हैं. इसके अतिरिक्त हमारा लक्ष्य, वास्तविक काल में पीएमजेडीवाई, एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई खाते खोलना है.

# पुरस्कार और सम्मान
## प्रतिष्ठा वित्तीय वर्ष 2023

| पुरस्कार प्रदाता संस्थान | पुरस्कार विवरण |
|---|---|
| पीएफ़आरडीए पुरस्कार | "बेस्ट परफोर्मिंग बैंक" पुरस्कार से सम्मानित |
| रिटेल बैंकर एशिया ट्रेलब्लेज़र पुरस्कार 2022 | "बेस्ट एटीएम एंड सेल्फ-सर्विस इनोवेशन" से पुरस्कृत |
| 31वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रशिक्षण हेतु | इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रेक्टिसेज़ 2020-21 हेतु सम्मानित |
| असोचैम अवाड्र्स | श्रेणी में बृहत बैंक - ओवरऑल चैम्पियन, लीडिंग और गैर-लीडिंग |
| बीएमएल मुंजाल पुरस्कार | बिज़नस एक्सिलेन्स थ्रू लर्निंग एंड डिवेलपमेंट हेतु |
| ईएएसई 4.0 पुरस्कार | वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्न थीम के अंतर्गत तीन पुरस्कार प्राप्त हुए<br>» गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक एचआर - विजेता<br>» न्यू ऐज 24X7 बैंकिंग विथ रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी - द्वितीय उप विजेता<br>» कोलेबोरेटिंग फॉर सिनर्जिस्टिक आउटकम - द्वितीय उप विजेता |
| ईज सुधार | वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में द्वितीय स्थान को बरकरार रखा. |
| आईबीए पुरस्कार-2022 | बेस्ट टेक्नालजी बैंक सहित कुल पुरस्कार प्राप्त किए |
| डीएससीआई एआईएसएस पुरस्कार 2022 | बेस्ट सिक्योरिटी प्रेक्टिसेज़(बीएफ़एसआई) तथा सिक्योरिटी लीडर ऑफ द इयर(बीएफ़एसआई) के लिए सम्मानित |
| डीएससीआई एक्सिलेंस अवार्ड 2022 | बैंकिंग क्षेत्र में बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज़ के लिए सम्मानित |
| डीएससीआई एक्सिलेंस अवार्ड 2022 | सिक्योरिटी लीडर ऑफ द इयर (हमारे बैंक के सीआईएसओ) की मान्यता |
| आईबीए द्वारा 18वें बैंकिंग टेक्नालजी अवाड्र्स | आईटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए सम्मानित |
| आईबीए द्वारा 18वें बैंकिंग टेक्नालजी अवाड्र्स | बेस्ट टेक्नालअजी बैंक तथा बेस्ट टेक्नालअजी टैलेंट पुरस्कार प्राप्त किए |
| बीएफएसआई टेक्नालजी कॉन्क्लेव एंड अर्वाड्स् 2022 | एंटरप्राइज़ सिक्योरिटी श्रेणी में दो पुरस्कार जीते |
| ईज 5.0 रिफार्म इंडेक्स् | डिजिटली इनेबल्ड कस्टमर ऑफरिंग्स्, बिग डाटा एंड एनालिटिक्स् के लिए प्रथम स्थान अर्जित किया |
| आईबीए बैंकिंग टेक्नालअजी कॉन्फ्रेंस, एक्स्पो एंड अर्वाड्स् | बेस्ट फिनटेक कोलेबोरेशन-स्पेशल प्राइज़ से सम्मानित किया गया |
| पीएफआरडीए | एपीआई अभियान के लिए पुरस्कृत |
| राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार | 18 प्रतिष्ठित क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों से सम्मानित |
| विभिन्न नराकास | राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु 85 शील्ड्स् से पुरस्कृत |
| सीजीटीएमएसई | "बेस्ट गारंटी कवरेज(संख्या)" की श्रेणी में प्रथम स्थान हेतु पुरस्कार प्राप्त किया |
| सीआईएमएसएमई इवैंट | विभिन्न श्रेणियों में प्रथम स्थान पुरस्कार तथा अन्य में उपविजेता स्थान अर्जित किया |
| 9वाँ एमएसएमई एक्सेलेंस अवार्ड एसोचैम द्वारा | "बेस्ट एसएमई लेंडिंग" की श्रेणी में प्रथम स्थान पुरस्कार प्राप्त किया |
| असोचैम फाइनेंशल कॉन्क्लेव 2023 | "बेस्ट बैंक ऑफ द इयर इन द फ़ाइनेंश्यल ईकोसिस्टम" से सम्मानित |
| इंस्टीट्यूट ऑफ डाइरेक्टर्स | गोल्डेन पीकॉक एच आर एक्सिलेन्स अवाड्र्स 2022 से पुरस्कृत |
| मिंट डबल्यू3 चैम्पियंस 2022 | फ्यूचर ऑफ वर्कप्लेस डिसरपटर 2022(लार्ज एंटरप्राइज़) के रूप में मान्यता |
| मेसर्ज़ पीपल लैब | इंडियन एकेडीमिया कॉन्फ्रेंस 2023 कॉर्पोरेट अवार्ड में सम्मानित |

| पुरस्कार प्रदाता संस्थान | पुरस्कार विवरण |
|---|---|
| टीम मार्क्समेन | नेम्ड एमोंग मोस्ट प्रीफड वर्कप्लेस इन बीएफएसआई 2022 |
| बीएआई ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड | एचआर ट्रांसफोर्मेशन में इनोवेशन के लिए पुरस्कृत |
| एनसीपीईडीपी-एलटीआई माइंडट्री हेलेन केलर अवार्ड्स-2022 | रोल मॉडल कंपनीज़ में से एक के रूप में सम्मानित |
| आइएसटीडी, नई दिल्ली | इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रेक्टिसेज़:2020-21 के लिए आइएसटीडी 31वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त |
| आईएसी कॉर्पोरेट अर्वाड्स् 2023 | "पायनियरिंग वर्क इन क्रिएटिंग फ्यूचर रेडी इन्क्लूसिव ऑर्गेनाइज़ेशन" से सम्मानित |
| बिज़नेस वर्ल्ड पीपल एंड आस्क इनसाइट्स् "डिसअबिलिटी पॉज़िटिव अवार्ड्स" | "बेस्ट ऑर्गनाइज़ेशन फॉर पीडब्ल्यूडी इन्क्लूज़न" के रूप में मान्यता प्रदान |
| 18वाँ आईबीए टेक्नालअजी कान्फ्रेंस, एक्सपो एंड अर्वाड्स् | बेस्ट एआई एवं एमएल बैंक रनर अप पुरस्कार तथा बेस्ट फाइनेंसिशल इनक्लूशन रनर अप पुरस्कार प्राप्त किया |
| एफआईईओ | "एक्सपोर्ट एक्सिलेंस गोल्ड अवार्ड" से सम्मानित |

पुरस्कार और सम्मान

*प्रतिष्ठा वित्तीय वर्ष 2023*

Achieving New Heights
Union Bank of India bagged the third rank for Best PSU Bank - NPS Diwas Recognition Performance Programme Award
(15th Sept 2022 to 15th Oct 2022)
9666606060

W3 CHAMPIONS
2022
Gokulananda Das
General Manager
Human Resources
Union Bank of India
Future of Workplace
Disruptor 2022

Category C
Role Model
Companies/NGOs/
Institutions
HELEN KELLER AWARDS 2022

First Prize

CIO 100
AWARDS
HONOREE 2022
ANIL KURIL
UNION BANK OF INDIA
THE INNOVATIVE 100
CIO
FOUNDRY

ICAI AWARDS FOR EXCELLENCE
REPORTING 2021-2
CATEGORY I - PUBLIC SECTO

Information Technology

elets
BFSI
TECH
INNOVATION
AWARDS 2023
Congratulations!
Union Bank of India
Leading Technology Bank

BUSINESS TRANSFORMATION AWARDS 2022
Union Bank of India Ltd.

DIGITAL TRANSFORMATION SUMMIT INDIA 2022
VIPLOVE BOHRA
Assistant General Manager
Union Bank of India
EXITO

Companies/NGOs/
Institutions
HELEN KELLER AWARDS 2022
UNION BANK OF INDIA

THE NCPEDP - LTIMINDTREE HELEN KELLER AWARDS
Union Bank of India

### जिम्मेदारीपूर्ण विनिर्मित पूंजी:

# मूल्य सृजन के लिए प्रगामी वित्तीय समाधान

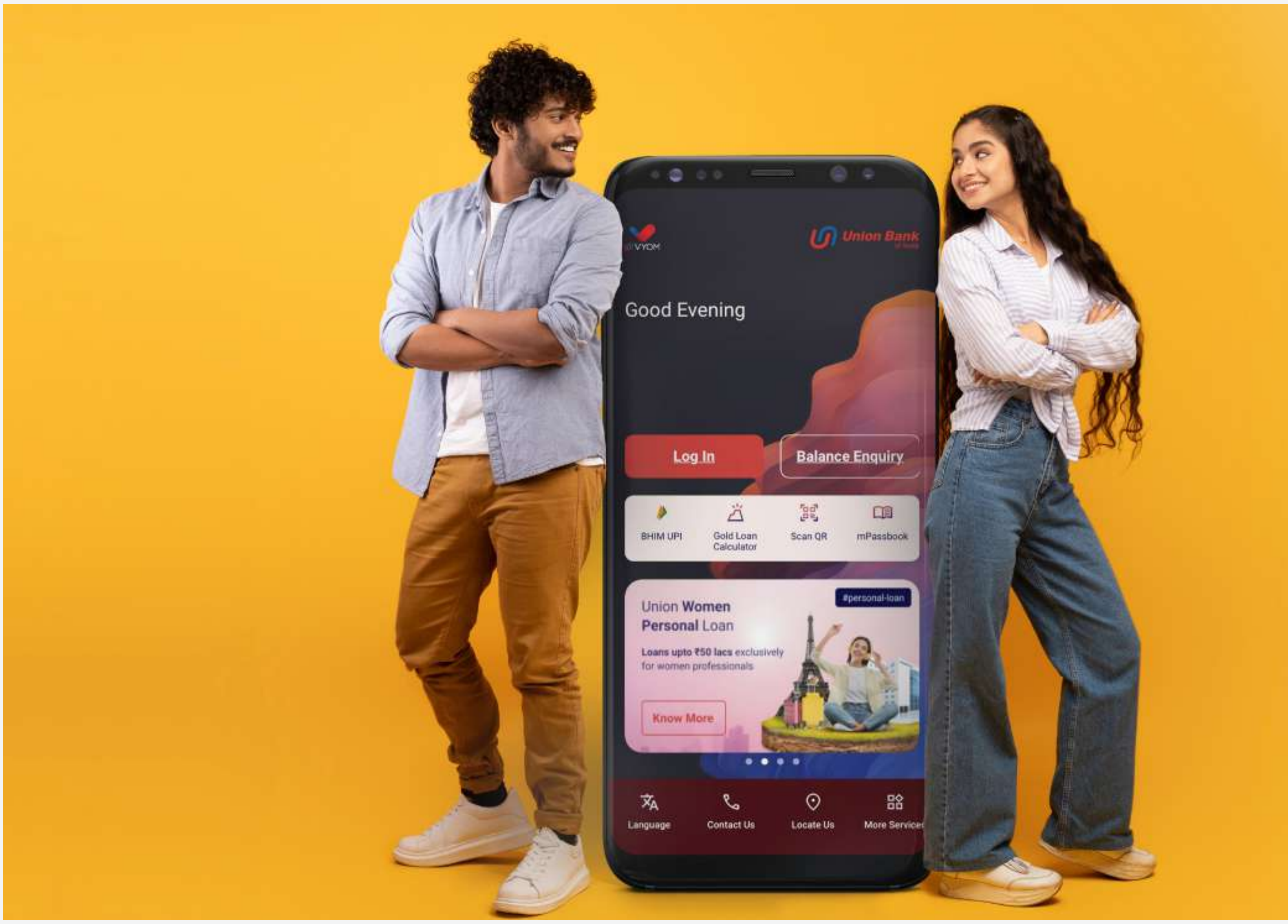

» *यूएनएसडीजी:*

» *कार्यनीति ब्लूप्रिंट:*

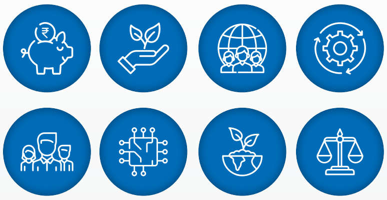

» *कारोबार मॉडल अवयव:*

1 3 6 7

» *तात्विक विषय:*

*11, 12, 13, 19, 29, 43*

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की विनिर्मित पूंजी संवहनीयता तथा डिजिटल कौशल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की आधारशिला है. बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला की पेशकश करके, हम व्यक्तियों, परिवारों, व्यवसायों और निगमों को उनके वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाते हैं. वित्तीय समावेशन, हरित बैंकिंग प्रथाओं और तकनीकी प्रगति पर हमारा ध्यान हमें समृद्ध, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सशक्त भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है. जैसे कि हम नवाचार करना और बदलती जरूरतों के अनुरूप ढलना जारी रखते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में देश के विकास में योगदान करते हुए वैसे ही हमारे हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने के लिए समर्पित है.

संवहनीयता के लिए प्रतिबद्ध और डिजिटल कौशल से प्रेरित एक वित्तीय संस्थान के रूप में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश की शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की यात्रा में सहयोग करते हुए एक डिजिटल और आकांक्षी भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है. अपने मूल मूल्यों के अनुरूप, हम अपने हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन करने और स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल नवाचार में वैश्विक नेता बनने की दिशा में भारत के योगदान में निर्मित पूंजी के महत्व को पहचानते हैं. यह अध्याय विभिन्न क्षेत्रों में यूनियन बैंक की सेवाओं और समाधानों की व्यापक शृंखला पर प्रकाश डालता है, वित्तीय समावेशन, हरित बैंकिंग प्रथाओं और तकनीकी प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है जो हमें अपने ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा देने और एक समृद्ध, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सशक्त भविष्य में योगदान करने में सक्षम बनाता है.

जिम्मेदारीपूर्ण विनिर्मित पूंजी:

*मूल्य सृजन के लिए प्रगामी वित्तीय समाधान*

## हम क्या करते हैं: सेवाएँ और समाधान

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमारे ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है. हमारे परिचालन को चार खंडों में व्यवस्थित किया गया है: ट्रेजरी परिचालन, खुदरा बैंकिंग परिचालन, कॉर्पोरेट व थोक बैंकिंग, और अन्य बैंकिंग परिचालन. इन खंडों के माध्यम से, हम बचत और चालू खाते, जमा, ऋण, बीमा उत्पाद, निवेश विकल्प और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए वित्तीय समाधानों की एक व्यापक शृंखला प्रदान करते हैं.

### खुदरा बैंकिंग परिचालन:

हमारा खुदरा बैंकिंग परिचालन व्यक्तिगत ग्राहकों और परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है. हम बचत और चालू खाते, सावधि और आवर्ती जमा, डीमैट और ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते, और गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण और व्यक्तिगत ऋण सहित विभिन्न प्रकार के खुदरा ऋण प्रदान करते हैं. इसके अतिरिक्त, हम संपत्ति पर ऋण देते हैं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए वित्तीय उत्पाद प्रदान करते हैं. हमारे खुदरा बैंकिंग पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड, जीवन और गैर-जीवन बीमा उत्पाद, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामान्य बीमा पॉलिसियां और कर-बचत जमा भी शामिल हैं. इसके अलावा, हम सरकारी बचत योजनाएं, कर संग्रह सेवाएं, पेंशन उत्पाद और विभागीकृत मंत्रालय खाते प्रदान करते हैं.

### कॉर्पोरेट और थोक बैंकिंग:

यूनियन बैंक का कॉर्पोरेट और थोक बैंकिंग खंड कॉर्पोरेट ग्राहकों, व्यवसायों और बड़े उद्यमों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है. हम कॉर्पोरेट ऋणों की व्यापक शृंखला एक प्रदान करते हैं, जिसमें कोविड आपातकालीन ऋण व्यवस्था, व्यापार वित्त समाधान, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण, परियोजना वित्तपोषण, चैनल वित्त और ऋण संरचना/पुनर्गठन शामिल है. हमारी विशेषज्ञता ऋण सिंडिकेशन, संरचित वित्त, विलय और अधिग्रहण सलाहकार, और निजी इक्विटी सेवा जैसी सेवाओं तक विस्तारित है. हम नकदी प्रबंधन, निर्यात और आयात वित्त, विदेशी मुद्रा, डेरिवेटिव और एनआरआई बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करते हैं. इसके अलावा, हम अपने वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से ट्रेजरी उत्पाद और सेवाएँ, प्रेषण सेवाएँ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सहायता प्रदान करते हैं.

### अन्य बैंकिंग परिचालन:

हमारे कोर बैंकिंग परिचालन के अलावा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विशिष्ट आवश्यकताओं और बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न अन्य बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न है. हम ऐप बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, स्वयं-सेवा बैंकिंग, एटीएम बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग सहित कई डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं. हमारे पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल और तत्काल भुगतान सेवाएं हमारे ग्राहकों को सुविधा प्रदान करते हैं और लेनदेन को आसान बनाते हैं. इसके अलावा, हम विविध भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कॉम्बो कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, प्रीपेड कार्ड और पेरोल कार्ड सहित कार्डों की एक व्यापक शृंखला प्रदान करते हैं.

### अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति:

वैश्विक जुड़ाव के प्रति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता हमारी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति से स्पष्ट है. विदेशों में हमारी तीन शाखाएँ हांगकांग, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (यूएई) और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में स्थित हैं. इसके अतिरिक्त, हम अबू धाबी (यूएई) में एक प्रतिनिधि कार्यालय, लंदन (यूके) में एक बैंकिंग सहायक कंपनी, भारत के भीतर चार पैरा बैंकिंग सहायक कंपनियां, दो संयुक्त उद्यम (जीवन बीमा व्यवसाय में एक सहित), और एक सहयोगी कंपनी - चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक परिचालित करते हैं.

**₹19.28 ट्रिलियन**
मार्च 31, 2023 तक कुल कारोबार आवर्त (जमा और अग्रिम)

**15.12%**
मध्यम कॉर्पोरेट क्षेत्र में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

**42.31%**
प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम देने में आपके बैंक की उपलब्धि

**₹11,17,716 करोड़**
आपके बैंक की कुल वैश्विक जमा

**17.19%**
खुदरा ऋण में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

**43.55%**
विदेशी शाखाओं के सकल अग्रिम पोर्टफोलियो में वृद्धि

**35.26%**
कुल जमा में कासा जमा का प्रतिशत

**18.97%**
कृषि प्राथमिकता क्षेत्र में आपके बैंक का कार्यनिष्पादन

## शाखा नेटवर्क: विविध बाज़ारों के माध्यम से क्षितिज का विस्तार

**ग्राहक**

21.67 करोड़

**घरेलू शाखाएं**

8,577 / विदेशी शाखाएं: 3

**कार्यरत एटीएम**

10,835

**कारोबार संवाददाता बिन्दु**

17,000+

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए यह गर्व का विषय है कि उसका व्यापक शाखा नेटवर्क है जो देश भर में फैला हुआ है, जो विभिन्न क्षेत्रों के ग्राहकों की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दृढ़ करता है. 31 मार्च, 2023 तक, हमारा बैंक भारत में 8,577 शाखाएँ परिचालित कर रहा है और तीन विदेशी स्थानों, हांगकांग, सिडनी, और दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) में स्थित है. विशेष रूप से, हमारी 59 प्रतिशत शाखाएँ कार्यनीतिक रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्रों में स्थित हैं, जो हमें वंचित क्षेत्रों में व्यक्तियों और कारोबारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक है.

परिचालन दक्षता और बेहतर ग्राहक अनुभव की खोज में, हम लगातार अपने शाखा नेटवर्क का आकलन करते हैं. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान,हमने 81 शाखाओं को पारंपरिक शाखाओं से ग्राहक बिंदु केंद्रों (सीपीसी) में परिवर्तित करते हुए 292 शाखाओं को तर्कसंगत बनाया. ये कार्यनीतिक निर्णय हमें संसाधनों का अनुकूलन करने और अपने ग्राहकों को अधिक सुव्यवस्थित सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं. इसके अतिरिक्त, हमारी विस्तार योजनाओं के अनुरूप, हमने उसी वित्तीय वर्ष के दौरान 80 नई शाखाएँ खोलीं, उन क्षेत्रों तक अपनी पहुँच बढ़ाई जहाँ हमारी उपस्थिति सार्थक प्रभाव डाल सकती है.

*अपनी शाखाएं स्थापित करके और अपनी सेवा पेशकशों को विकसित करके, हमारा लक्ष्य समुदायों को सशक्त बनाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और संवहनीय एवं डिजिटल रूप से सशक्त भारत को साकार करने में योगदान देना है.*

जिम्मेदारीपूर्ण विनिर्मित पूंजी:

*मूल्य सृजन के लिए प्रगामी वित्तीय समाधान*

## संसाधन प्रबंधन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान अपने व्यावसायिक निष्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, कुल कारोबार का आंकड़ा रु. 19.28 ट्रिलियन हो गया. संसाधनों के मजबूत प्रबंधन के कारण 31 मार्च 2023 तक, आपके बैंक का कुल कारोबार बढ़कर रु.19,27,621 करोड़ हो गया. कुल जमा रु.11,17,716 करोड़, जिसमें कासा जमाएं 35.26% हैं. जमाओं की संरचना से पता चलता है कि बचत जमाएं रु.3,20,075 करोड़, जबकि चालू जमाएं रु.73,980 करोड़ तक पहुंच गईं. संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख पहल लागू किए:

1. कॉर्पोरेट वेतन प्रभाग की स्थापना की, जिसके परिणामस्वरूप वेतन पोर्टफोलियो में 26.55% की बढ़ोतरी हुई.
2. चालू जमा सब-वर्टिकल: चालू जमा पर समर्पित फोकस प्रारंभ किया गया.
3. ग्राहक विभाजन और प्रीमियम खाते: संपन्न व्यक्तियों के लिए एसबीएचएनआई प्राइम सहित ग्राहक विभाजन कार्यनीतियों को लागू किया गया.
4. अवयस्कों के लिए विशेष खाता: यूनियन मुस्कान प्रारंभ किया गया, जो नवजात शिशुओं और अवयस्कों के लिए एक अनन्य खाता है, जो बचत की आदतों को बढ़ावा देता है और नि:शुल्क सावधि बीमा प्रदान करता है.
5. थोक जमाओं के लिए विशेष शाखा: थोक जमाओं को संभालने के लिए 233 शाखाओं की पहचान की गई, जिससे अन्य शाखाएं खुदरा सावधि जमा और कासा पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित कर सकें.
6. खुदरा सावधि जमाओं के लिए विशेष जमा योजनाएं: विभिन्न अवधियों के लिए सावधि जमा योजनाएं शुरू की गईं, जिनमें लगभग 20,46,357 खातों में रु.1,00,000 करोड़ प्राप्त हुए.
7. भारतीय नौसेना और नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के साथ सहयोग: नौसेना कर्मियों और नौसेना नागरिकों के लिए वेतन खाते खोलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
8. एनआरआई कारोबार और बैक ऑफिस समर्थन: 77 एनआरआई बैठकों का आयोजन और कारगर ग्राहक सहायता के लिए मंगलूरु में एनआरआई बैक ऑफिस की स्थापना करते हुए "प्रवासी हमारा गौरव" अभियान चलाया गया.
9. संबंध प्रबंधकों की तैनाती: शीर्ष ग्राहकों और उच्च साखवाले ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य केंद्रों में संबंध प्रबंधकों की नियुक्ति की गई.

## कॉर्पोरेट ऋण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बड़े निगमों और निवेश-ग्रेड परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करते हुए कॉर्पोरेट ऋण में सक्रिय रूप से भाग लेता है. 31 मार्च, 2023 तक कॉर्पोरेट और अन्य अग्रिम रु.3,73,188 करोड़ हुए. देश भर में चौदह औद्योगिक वित्त शाखाएँ (आईएफबी) और छप्पन मध्यम कॉर्पोरेट शाखाएँ (एमसीबी) हमारे कॉर्पोरेट ग्राहकों को विशेषीकृत सेवाएँ प्रदान करती हैं. आपका बैंक निवेश-ग्रेड परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण संवितरण सुनिश्चित करता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके वैश्विक संबंधों में विकास के अवसरों में योगदान देता है.

*कॉर्पोरेट और अन्य अग्रिमों में रु. 3,73,188 करोड़ के साथ आपका बैंक सक्रिय रूप से कॉर्पोरेट विकास का समर्थन करता है, जो निवेश-ग्रेड परियोजनाओं को बढ़ावा देता है और भारत के आर्थिक अवसरों और वैश्विक संबंधों में योगदान देता है.*

## मिड कॉर्पोरेट

यूनियन बैंक ने वर्ष-दर-वर्ष 15.12% की वृद्धि के साथ अपने मध्यम-कॉर्पोरेट क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, आपके बैंक ने 171 नए कारोबारी प्रस्तावों में रु. 21,615 करोड़ की राशि अनुमोदित की. कुल 64 खातों में रु.7,704 करोड़ की अंतिम मंजूरी दी गई और 165 खातों में बढ़ी हुई राशि मंज़ूर करते हुए रु.7,977 करोड़ प्रदान किए गए. गैर-ब्याज आय बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने 91 खातों में, कुल रु.3,000 करोड़. एनएफबी (बैलेंस शीट से इतर एक्सपोज़र) सीमा बढ़ा दी है.

*यूनियन बैंक में मिड-कॉर्पोरेट खंड वर्ष-दर-वर्ष 15.12% की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करते हुए तेज़ी से विकसित हो रहा है. विकास को बढ़ावा देने वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से और गैर-ब्याज आय बढ़ाने के लिए हमने रु.21,615 करोड़ के नए कारोबार प्रस्तावों को अनुमोदित किया.*

## एमएसएमई

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है. उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 80 अतिरिक्त यूनियन एमएसएमई फस्ट शाखाएं (यूएमएफबी) प्रारंभ की हैं, जिससे कुल विशिष्ट शाखाओं की संख्या 105 हो गई है. ये शाखाएं एमएसएमई ग्राहक आधार को सेवा प्रदान करती हैं और इनके पोर्टफोलियो का आकार रु.9,000 करोड़ है. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने विशेष रूप से स्टार्ट-अप की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेंगलूरु में एक विशेष स्टार्ट-अप शाखा शुरू की है.

*एमएसएमई हेतु आपके बैंक की प्रतिबद्धता शाखाओं के माध्यम से परिलक्षित होती है. विकास को गति देने के उद्देश्य से और उनकी ऋण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए 105 यूनियन एमएसएमई फस्ट शाखाओं और रु.9,000 करोड़ के पोर्टफोलियो आकार के साथ, हम छोटे कारोबार और स्टार्टअप को सशक्त बना रहे हैं.*

आपके बैंक ने दक्षता बढ़ाने और क्रेडिट गारंटी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समर्पित "केंद्रीकृत गारंटी सेल" की स्थापना की है. यह संरचना एक अधिक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने, क्षेत्र पदाधिकारियों को विपणन गतिविधियों और कारोबार वृद्धि के लिए मुक्त करने में सहायक है. समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक ने "क्रेडिट गारंटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस (सीजीएमएस)" नामक एक इन-हाउस पोर्टल बनाया है जो विभिन्न योजनाओं के तहत गारंटी कवरेज प्राप्त करने से संबंधित निर्बाध गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है. आपका बैंक नए गारंटी कवरेज के लिए सीजीटीएमएसई के साथ एपीआई एकीकरण करने वाला उद्योग का पहला बैंक बन गया है. गारंटी सेल सीजीटीएमएसई, सीजीएफएमयू, सीजीएसएसआई, ईसीएलजीएस, पीएम स्वनिधि और सीजीएसएसएस जैसी गारंटी कवरेज योजनाओं को संभालता है.

## खुदरा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष-दर-वर्ष 17.19% की कुल वृद्धि के साथ खुदरा ऋण में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है. आपका बैंक खुदरा ऋण उत्पादों की श्रृंखला प्रदान करता है, और प्रत्येक योजना के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि इस प्रकार है:

- गृह ऋण: 10.84%
- माइल्स (ऑटो ऋण): 30.63%
- शिक्षा ऋण: 24.10%
- बंधक ऋण: 13.49%
- वैयक्तिक ऋण: 91.54%
- अन्य: 10.71%

प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट ऋण सहित कुल खुदरा अग्रिम पिछले वर्ष के स्तर से रु.23,429 करोड़ की वृद्धि दर्शाते हुए रु.1,60,595 करोड़ तक पहुंच गया. सम्पूर्ण भारत में, रिटेल लेंडिंग पॉइंट्स (सीपीसी) ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान रु.32,375 करोड़ के खुदरा ऋण स्वीकृत किए.

*आपका बैंक खुदरा ऋण प्रदान करने में उत्कृष्ट है, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 17.19% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है, जिसमें कुल खुदरा अग्रिम रु. 1,60,595 करोड़ है.*

जिम्मेदारीपूर्ण विनिर्मित पूंजी:

*मूल्य सृजन के लिए प्रगामी वित्तीय समाधान*

ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने खुदरा ऋण में कई नई पहल की हैं. इन पहलों में विदेश और प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में अध्ययन के लिए विशेष शिक्षा ऋण (यूनियन मेडिकोज) के लिए अलग-अलग योजनाओं का सृजन शामिल है. समर्पित शिक्षा ऋण अधिकारियों को शिक्षा ऋण के लिए एकल-बिंदु संपर्क के रूप में निर्धारित किया गया और शिक्षा ऋण के लिए एक अलग खुदरा स्वर्ण ऋण योजना शुरू की गई. आपके बैंक ने प्रमुख संस्थानों में पढ़ाई के लिए डिजिटल शिक्षा ऋण की भी शुरुआत की और ऋण पर जीवन बीमा प्रीमियम को वित्तपोषित करने के लिए यूनियन सुरक्षा पर्सनल ऋण की शुरुआत की. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने शिक्षा ऋण के प्रचार-प्रसार के लिए यूबीआईएसएल को सीएसए (ग्राहक सेवा सहयोगी) के रूप में सूचीबद्ध किया और सुव्यवस्थित ऋण प्रसंस्करण के लिए मारुति सुजुकी को आपके बैंक के ऋण स्वचालन प्रणाली (एलएएस) के साथ एकीकृत किया.

## संपदा प्रबंधन और संबंध बैंकिंग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सक्रिय रूप से संपदा प्रबंधन में संलग्न है, तीसरे पक्ष के उत्पादों को वितरित करके आय उत्पन्न करता है. वित्तीय वर्ष 2023 में, आपके बैंक ने तीसरे पक्ष के उत्पादों के वितरण से रु.353.36 करोड़ की आय अर्जित की.

आपके बैंक की संपदा प्रबंधन पहल में म्यूचुअल फंड संभाग के तहत कारोबार का विस्तार करने के लिए निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ कॉर्पोरेट टाई-अप शामिल है.. डिजिटल चैनलों के माध्यम से खरीद के लिए एसयूडी लाइफ, केयर हेल्थ और मणिपाल सिग्ना के चुनिंदा बीमा उत्पादों को व्योम ऐप पर शामिल किया गया. व्योम ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश को सक्रिय किया गया, जिससे ग्राहकों को सुविधाजनक पहुंच प्रदान की जा सके. आपके बैंक ने ऋण पर जीवन बीमा पॉलिसियों की प्रीमियम फंडिंग के लिए एक व्यक्तिगत ऋण योजना भी शुरू की.

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड और अन्य के साथ हमारी कार्यनीतिक साझेदारी के कारण व्यापक वित्तीय समाधान पेश करते हुए व्योम ऐप के माध्यम से चुनिंदा बीमा उत्पादों और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सुविधाजनक पहुंच प्रदान किया जाना संभव हो सका है.

वर्ष के दौरान प्रारम्भ किए गए नए उत्पादों में बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की 'यूनिकेयर' पॉलिसी शामिल है, जो उच्च साखवाले व्यक्ति (एचएनआई) ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती है. महिलाओं के लिए मणिपाल सिग्ना की कैंसर योजना, "पिंक हेल्थ" भी पेश की गई. इसके अतिरिक्त, चोला फार्मर केयर पैकेज, जो कि चोला एमएस पॉलिसी है, किसानों को संपत्ति के नुकसान, दुर्घटनाओं और ऋण पर सुरक्षा प्रदान करती है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग किया है. मेसर्स फिनटेक ब्लू सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने पर काम कर रहा है, और एसयूडी लाइफ, केयर हेल्थ और मणिपाल सिग्ना पहले से ही व्योम ऐप पर उपलब्ध हैं. अन्य चैनल भागीदार शामिल होने की प्रक्रिया में हैं. मेसर्स फिनविज़ार्ड टेक्नोलॉजीज ने म्यूचुअल फंड के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो व्योम पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है. म्यूचुअल फंड के लिए शाखा पोर्टल भी विकासाधीन है, जिससे परिचालन और ग्राहक पहुंच को सुव्यवस्थित किया जा रहा है.

इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने सॉवरिन गोल्ड बांड के लिए एक ऑनलाइन रिडेंप्शन विकल्प विकसित किया है.

## कृषि

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए कृषि ऋण सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. 31 मार्च, 2023 तक, कृषि अग्रिम आपके बैंक के सकल अग्रिमों का 17.77% था. कृषि प्राथमिकता क्षेत्र में आपके बैंक का निष्पादन वैधानिक लक्ष्य से भी अधिक 18.97% तक पहुंच गया. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसान श्रेणी के तहत रु.15,450 करोड़ का अधिशेष बेचा.

*कृषि ऋण यूनियन बैंक के लिए प्राथमिकता बनी हुई है, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष उल्लेखनीय 14.20% की वृद्धि हासिल की है. किसानों और ग्रामीण समुदायों को समर्थन देने की मज़बूत प्रतिबद्धता के साथ, हमारा कुल कृषि अग्रिम वैधानिक लक्ष्य को पार करते हुए रु.1,51,993 करोड़ तक पहुंच गया. छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने और कृषि प्राथमिकता वाले क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए हमने 4.11 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये.*

वित्तीय वर्ष 2023 में, यूनियन बैंक ने कृषि ऋण में 14.20% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो यथा 31 मार्च, 2023 को बकाया कुल राशि रु.1,51,993 करोड़ हुआ. विशेष रूप से, छोटे और सीमांत किसानों को रु.95,171 करोड़ ऋण प्रदान किए गए, जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 9.50% के बेंचमार्क के मुकाबले एएनबीसी का 13.33% है. आपके बैंक ने 4.11 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए, जिसके तहत वित्तीय वर्ष के दौरान कुल राशि रु.6,896.45 करोड़ है.

## प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समाज के वंचित वर्गों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. आपके बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम की राशि 31 मार्च, 2023 तक रु.3,02,006 करोड़ हुई. यह उपलब्धि तिमाही के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 42.31% है, जो पीएसएलसी बिक्री को छोड़कर और आरआईडीएफ/सिडबी/मुद्रा/एनएचबी में निवेश सहित 40% के वैधानिक लक्ष्य को पार कर गई.

## अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया. 31 मार्च, 2023 तक, आपके बैंक का विदेशी कारोबार पिछले वर्ष के रु.17,429 करोड़ की तुलना में रु.36,229 करोड़ रहा. आपका बैंक हांगकांग, डीआईएफसी दुबई और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में तीन विदेशी शाखाएँ संचालित करता है. यह अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से लंदन, इंग्लैंड में भी परिचालन करता है, और कुआलालंपुर (मलेशिया) में बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बेरहाद नामक संयुक्त उद्यम का परिचालन करता है. विदेशी शाखाओं ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान सकल अग्रिम संभाग में 43.55% की वृद्धि और परिचालन लाभ में 7.46% की वृद्धि दर्ज़ की.

## ट्रेजरी परिचालन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेजरी परिचालन नीति दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण, बाजार और चलनिधि जोखिमों का प्रबंधन करते हुए इष्टतम लाभ उत्पन्न करने के लिए विवेकपूर्ण तरलता प्रबंधन पर केंद्रित है. आपके बैंक का लक्ष्य अल्पकालिक मुद्रा बाजार उपकरणों और विदेशी मुद्रा बाजार गतिविधियों के माध्यम से नकदी प्रबंधन में सुधार करना है. एक अच्छी तरह से संतुलित एसएलआर (वैधानिक चलनिधि अनुपात) और उचित एम-अवधि के साथ गैर-एसएलआर निवेश बही बनाए रखकर, आपके बैंक का लक्ष्य लाभप्रदता बढ़ाना और पूंजी का संरक्षण करना है. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, ट्रेजरी विभाग ने ब्याज आय, निवेश की बिक्री पर लाभ और विनिमय लाभ के लक्ष्य हासिल किए.

*वित्तीय पूंजी को मजबूत करना:*

# संवहनीयता और डिजिटल उन्नति का आधार

» *यूएनएसडीजी:*

» *कार्यनीति ब्लूप्रिंट:*

» *कारोबार मॉडल अवयव:*

2 3 8

» *तात्विक विषय:*

*13, 23, 33, 43*

हमारी थीम, "डिजिटल कौशल के माध्यम से संवहनीयता हेतु प्रतिबद्ध" के अनुरूप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्यनीतिक और लचीला विकास प्राप्त करने के लिए समर्पित है. हमारा लक्ष्य अपनी वित्तीय ताकत को बरकरार रखना और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के तरीके में भारत के सतत विकास और डिजिटल परिवर्तन में योगदान देना है. हम कारोबार की निरंतरता, विकास और निरंतर शेयरधारक प्रतिलाभ सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण पूंजी प्रबंधन और पारंपरिक दृष्टिकोण के माध्यम से एक मज़बूत तुलन-पत्र को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्नत प्रौद्योगिकियों और जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं का लाभ उठाते हुए, हम अपने हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्मित कर रहे हैं तथा स्थिर और डिजिटल रूप से सशक्त भविष्य की दिशा में भारत की प्रगति को बढ़ावा दे रहे हैं.

वर्ष 2023 में हमारा मज़बूत वित्तीय कार्यनिष्पादन हमारी दो प्राथमिक कार्यनीतिक प्रतिबद्धताओं: संवहनीयता और डिजिटल कौशल के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करता है. मज़बूत वित्तीय कार्यनिष्पादन दर्शाता है कि हम एक स्वस्थ और विकासशील संगठन हैं. यह न केवल हमारे कारोबार की निरंतरता और लचीलापन सुनिश्चित करता है बल्कि भविष्य में निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करता है. स्थिरता के संदर्भ में, इन संसाधनों का उपयोग स्थिर विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा तथा छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को समर्थन करने के लिए किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, हमारी बेहतर निवल ब्याज आय को पर्यावरण-अनुकूल पहलों के लिए अधिक उधार देने या वंचित समुदायों को किफायती वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए आबंटित किया जा सकता है, जिससे संवहनीयता के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके.

हमारी निरंतर वृद्धि और परिचालन दक्षता हमें उच्च लाभ उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है, जिसका एक हिस्सा अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों में पुन: निवेश किया जा सकता है. बैंकिंग उद्योग डिजिटल परिवर्तन का साक्षी बन रहा है, ये निवेश उभरते परिदृश्य के अनुकूल ढलने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए महत्वपूर्ण हैं. गैर-ब्याज आय में हमारी वृद्धि विभिन्न स्रोतों से राजस्व उत्पन्न करने की हमारी क्षमता को दर्शाती है, जो हमारे डिजिटल परिवर्तन का समर्थन कर सकती है, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचैन और साइबर सुरक्षा में निवेश. यह डिजिटल परिवर्तन न केवल हमें बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाता है, बल्कि स्वचालन और डेटा विश्लेषण के माध्यम से परिचालन दक्षता को भी बढ़ाता है, जिससे वित्तीय निष्पादन में सुधार का एक बेहतर चक्र बनता है.

इसके अलावा, कुशल लागत और जोखिम प्रबंधन द्वारा चिह्नित मज़बूत वित्तीय निष्पादन, ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों और नियामकों सहित हमारे सभी हितधारकों को सकारात्मक संकेत भेजता है. यह हमारी संवहनीयता प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और डिजिटल परिवर्तन को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने की हमारी क्षमता में उनके विश्वास को मजबूत करता है.

**वित्तीय पूंजी को मजबूत करना:**
*संवहनीयता और डिजिटल उन्नति का आधार*

## हमारा वित्तीय कार्यनिष्पादन

### इष्टतम प्रतिलाभ और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण के लिए कार्यनीतिक रूप से संरेखित

कार्यनीतिक योजना यूनियन बैंक द्वारा स्थायी मूल्य उत्पन्न करने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण पहलू है. आयोजना प्रक्रिया के परिणाम संस्था की दीर्घकालिक प्राथमिकताओं और निवेश के लक्ष्यों में मार्गदर्शन करते हैं. जोखिम प्रबंधन उत्कृष्टता और मज़बूत शासन तंत्र को बनाए रखते हुए कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया को हमारी दृष्टि, उद्देश्यों, कार्यनीतिक और लक्ष्य परिणामों की साझा समझ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह साझा समझ हमारे निदेशक मंडल और प्रबंधन तथा हमारे फ्रंट-लाइन स्टाफ तक फैली हुई है, जो प्रभावी प्रशासन को संभव बनाती है और हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं के उद्देश्य को स्पष्ट करती है. स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यनीतिक प्राथमिकताएं, सक्रिय तुलन-पत्र प्रबंधन और निरंतर अनुशासन हमें भविष्य की दृष्टि से बेहतर स्थिति प्रदान करता है.

## इष्टतम प्रतिलाभ देने के लिए परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, यूनियन बैंक ने विकास के लिए एक स्पष्ट और स्थिर मार्ग दर्शाया है, 0.69 का औसत संपत्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) दिया है, जो वित्तीय वर्ष 2022 में 0.47 के औसत संपत्ति पर प्रतिलाभ के सापेक्ष उल्लेखनीय सुधार है. हमारा लक्ष्य हमारे द्वारा स्थापित वैविध्यपूर्ण कारोबार मॉडल का विकास जारी रखना, हमारे उपभोक्ता व्यवसायों में उन्नत प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्षमताओं में निवेश करना, हमारे घरेलू और वैश्विक परिचालन में सतत विकास करना, और निम्नस्तर-कार्बन अर्थव्यवस्था लाने में सहायता करने में सार्थक भूमिका निभाना है.

## वित्तीय वर्ष 2023 की मुख्य विशेषताएं:

**1 लाभांश की घोषणा:**
- निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर रु.3.00 के लाभांश की संस्तुति की.

**2 सुदृढ़ वित्तीय कार्यनिष्पादन:**
- वित्तीय वर्ष 23 के दौरान निवल लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 61.18% की वृद्धि हुई.
- वित्तीय वर्ष 23 के दौरान के निवल ब्याज आय में वर्ष-दर-वर्ष 17.92% की वृद्धि हुई.

**3 सुदृढ़ वित्तीय कार्यनिष्पादन:**
- कासा जमा में वर्ष-दर-वर्ष 4.47% की वृद्धि हुई.
- 31 मार्च, 2023 तक कुल जमा का आधार रु.11,17,716 करोड़ रहा.

**4 कारोबार वृद्धि:**
- कुल कारोबार में वर्ष-दर-वर्ष 10.23% की वृद्धि हुई.
- सकल अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष 13.05% की वृद्धि हुई.
- कुल जमा में वर्ष-दर-वर्ष 8.26% की वृद्धि हुई.

**5 क्षेत्रवार विकास:**
- खुदरा क्षेत्र की वृद्धि: 17.19% वर्ष-दर-वर्ष.
- कृषि क्षेत्र की वृद्धि: 14.20% वर्ष-दर-वर्ष.
- एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि: 13.06% वर्ष-दर-वर्ष.

**6 एनपीए में कमी:**
- सकल एनपीए वर्ष-दर-वर्ष 358 बीपीएस से घटकर 7.53%हो गया.
- निवल एनपीए वार्षिक वर्ष-दर-वर्ष 198 बीपीएस से घटकर 1.70% हो गया.

**7 बेहतर पूंजी अनुपात:**
- सीआरएआर 31.03.2022 तक 14.52% से बढ़कर 31.03.2023 तक 16.04% हो गया.
- सीईटी 1 अनुपात यथा 31.03.2022 के 10.63% से बढ़कर यथा 31.03.2023 को 12.36% हो गया.

**8 वित्तीय समावेशन योजनाएँ:**
- पीएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत नए नामांकन : 2.82 लाख
- पीएमएसबीवाई योजना के तहत नए नामांकन : 8.24 लाख
- एपीवाई योजना के तहत नए नामांकन : 2.32 लाख
- पीएमजेडीवाई योजना के तहत खोले गए नए खाते : 2.80 करोड़

**9 कोविड-19 राहत उपाय:**
- पीएमस्वनिधि: 4,97,793 ऋणों के तहत कुल रु.625 करोड़ मंजूर.
- यूनियन गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (यूजीईसीएल): 3,92,038 ऋणों के तहत कुल रु.16,650 करोड़ मंजूर.
- महिला उद्यमियों के लिए यूनियन नारी शक्ति योजना: वित्तीय वर्ष 23 में 12 महीनों के दौरान 19,367 आवेदनों के तहत रु.2,357 करोड़ मंजूर.

**10 हरित पहल:**
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र: यथा 31.03.2023 तक रु.10,370 करोड़ मंजूर.
- यूनियन ग्रीन माइल्स: यथा 31.03.2023 तक रु.215 करोड़ राशि मंजूर.

## वित्तीय वर्ष 2023 की वित्तीय विशेषताएं

**जमाएं**
8.26% वर्ष-दर-वर्ष
जमाओं में वृद्धि

**परिचालन लाभ**
₹25,467 करोड़
वर्ष-दर-वर्ष 16.43% की वृद्धि

**निवल अनर्जक आस्तियां**
1.70%
198 बीपीएस का सुधार

**रैम**
14.94% वर्ष-दर-वर्ष
रैम अग्रिमों में मज़बूत वृद्धि

**निवल लाभ**
₹8,433 करोड़
वर्ष-दर-वर्ष 61.18% की वृद्धि

**निवल ब्याज़ मार्जिन**
3.07%
198 बीपीएस का सुधार

**अग्रिम**
13.05% वर्ष-दर-वर्ष
निरंतर एवं स्थिर ऋण वृद्धि

**सकल गैर निष्पादक आस्तियां**
7.53%
358 बीपीएस का सुधार

**पीसीआर**
90.34%
वर्ष-दर-वर्ष 673 बीपीएस का सुधार

**सीआरएआर**
16.04%
न्यूनतम वैधानिक आवश्यकता से 454 बीपीएस अधिक

*परिचालन दक्षता के सुसंगत प्रसंगों द्वारा हमारे 2023 के वित्तीय कार्यनिष्पादन अंक में वर्ष-दर-वर्ष 18.84% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाया है, जो कि हमारे सुदृढ़ ब्याज-अर्जन कार्यनीति और अटूट वित्तीय स्थिरता को दर्शाती है.*

## हमारी वित्तीय पूंजी का विहंगावलोकन

हमारी वित्तीय पूंजी हमारे परिचालन तथा संवहनीयता और डिजिटल पहल में निवेश के लिए ठोस आधार बनाती है. यह पूंजी, जिसमें ग्राहक जमा, शेयरधारक इक्विटी, प्रतिधारित आय, बाहरी उधार और अन्य शामिल हैं, बैंक की मज़बूत पूंजी आधार का समर्थन करती है और शेयरधारकों के लिए लगातार प्रतिलाभ सुनिश्चित करती है.

## सतत वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 2023 के लिए हमारा वित्तीय कार्यनिष्पादन निरंतर विकास और परिचालन दक्षता की एक आकर्षक कहानी बयां करता है. हमारा तुलन-पत्र 7.84% की निरंतर वृद्धि दर दर्शाता है जो हमारी वित्तीय स्थिरता का प्रमाण है. लाभ और हानि मद में, ब्याज आय में 18.84% वर्ष-दर-वर्ष प्रभावशाली वृद्धि देखी गई, जो वित्तीय वर्ष 2022 में रु.67,944 करोड़ से रु.80,743 करोड़ तक पहुंच गई. यह महत्वपूर्ण वृद्धि हमारी बेहतर परिसंपत्ति आय और व्यापक ब्याज-अर्जन आधार को रेखांकित करती है. इस दौरान, ब्याज व्यय में भी वर्ष-दर-वर्ष 19.47% की वृद्धि हुई, जो आपके बैंक के विस्तार का समर्थन करने के लिए हमारी मज़बूत जमा वृद्धि की लागत और हमारे बढ़े हुए उधारों को दर्शाता है. इसे रेखांकित करते हुए, हमारी निवल ब्याज आय (ब्याज आय और ब्याज व्यय के बीच का अंतर) ने वर्ष-दर-वर्ष 17.92% की मज़बूत वृद्धि दर्ज की, जो रु.27,786 करोड़ से बढ़कर रु.32,765 करोड़ हो गई, जिससे हमारी सफल ब्याज-अर्जन कार्यनीतियां प्रतिबिंबित होती हैं.

हमारी गैर-ब्याज आय, जिसमें शुल्क, कमीशन और विदेशी मुद्रा लेनदेन से लाभ शामिल हैं, में वर्ष-दर-वर्ष 16.83% की स्वस्थ वृद्धि देखी गई, जिससे हमारा आय आधार मज़बूत हुआ. कुल प्रावधानों में वर्ष-दर-वर्ष

वित्तीय पूंजी को मजबूत करना:
*संवहनीयता और डिजिटल उन्नति का आधार*

2.36% की वृद्धि के बावजूद, हमारे परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 16.43% की मज़बूत वृद्धि देखी गई. लाभ और हानि विवरण का सबसे उल्लेखनीय आकर्षण हमारा कर पश्चात लाभ है, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 61.18% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो हमारी कुशल लागत और जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियों का प्रमाण है.

## सुदृढ़ देयता प्रबंधन

सुदृढ़ देयता प्रबंधन स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जमा और उधार सहित देयताओं का प्रभावी प्रबंधन हमारी उधार देने की क्षमता का आधार है. वैश्विक अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 13.05% की वृद्धि के कारण हम उन क्षेत्रों को ऋण देने में सक्षम हैं जो सतत विकास में सहायक हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, हरित बुनियादी ढांचा और संपोषणीय लघु उद्यम.

घरेलू अग्रिमों में हमारी मज़बूत वृद्धि, विशेष रूप से रैम क्षेत्रों (खुदरा, कृषि, एमएसएमई) में, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर हमारे ध्यान को इंगित करती है. इन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर, हम रोजगार सृजन, गरीबी में कमी और आर्थिक लचीलेपन में योगदान दे रहे हैं, जो सामाजिक-आर्थिक स्थिरता के प्रमुख पहलू हैं. जमा में वृद्धि, विशेष रूप से वर्ष-दर-वर्ष 8.26% की वृद्धि, हमारे ग्राहकों का हम पर भरोसा और विश्वास को दर्शाती है. यह न केवल हमारे मज़बूत वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है, बल्कि हमारे ग्राहक संबंधों की प्रगाढ़ता का भी संकेत देती है. संवहनीयता के लिए प्रतिबद्ध बैंक के रूप में, यह विश्वास हमें अपने ग्राहकों को हमारी संवहनीयता के एजेंडे में शामिल करने में सक्षम बनाता है, उन्हें स्थायी निवेश और बचत विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और हमें स्थायी परियोजनाओं के लिए अधिक धन के निवेश में सक्षम बनाता है.

कासा अनुपात में मामूली कमी के बावजूद, हमारी कासा जामाओं में वर्ष-दर-वर्ष 4.47% की वृद्धि स्थिर और कम लागत वाले जमा आधार को बनाए रखने की हमारी क्षमता को रेखांकित करती है. पूंजी का यह लागत प्रभावी स्रोत किफायती वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की हमारी क्षमता को मज़बूत करता है, जो वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है.

इसके अलावा, सुदृढ़ देनदारी प्रबंधन हमारे वित्तीय लचीलेपन और आर्थिक संकट झेलने की क्षमता को बढ़ाता है. यह लचीलापन सतत विकास में हमारे दीर्घकालिक योगदान को सुनिश्चित करने और हमारे परिचालनों को इस प्रकार बनाए रखने में हमें सक्षम करता है जहां पर्यावरण का सम्मान, सामाजिक विकास का समर्थन और मज़बूत शासन प्रथाओं को कायम रखा जाता है.

↑**12.30**% वर्ष-दर-वर्ष

घरेलू अग्रिमों में वृद्धि हमारे ग्राहकों का भरोसा और विश्वास को दर्शाती है.

↑**4.47**% वर्ष-दर-वर्ष

कासा जमाओं में वृद्धि एक स्थिर और कम लागत वाले जमा आधार को बनाए रखने की हमारी क्षमता को मज़बूती प्रदान करती है.

## त्वरित कारोबार वृद्धि

8,580 शाखाओं और 10,835 एटीएम द्वारा पूरे भारत में हमारी व्यापक पहुंच, संवहनीयता को बढ़ावा देने और हमारी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह हमें वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाकर सतत आर्थिक विकास में योगदान देने, अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विभिन्न ग्राहक समूहों की सेवा करने में सहायक है. शाखाओं और एटीएम का यह व्यापक तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि देश के दूरदराज के हिस्सों तक को भी बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की पहुंच हो, जो सामाजिक-आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण तत्व है.

व्यापक भौतिक उपस्थिति और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के मेल से एक हाइब्रिड मॉडल का निर्माण होता है जो सभी ग्राहक वर्गों को उनकी डिजिटल दक्षता को गणना में लिए बिना सेवा प्रदान करता है. यह सुनिश्चित करता है कि जब हम अधिक डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम अपने ग्राहक आधार के किसी भी वर्ग को पीछे न छोड़ें. यह, बदले में, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देता है, जो डिजिटल भविष्य का एक प्रमुख पहलू है.

आपके बैंक के कुल कारोबार में वर्ष-दर-वर्ष 10.23% की वृद्धि हमारे ग्राहक आधार के साथ प्रगाढ़ संबंध और सफल जुड़ाव कार्यनीतियों का संकेत देती है. यह हमारे ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को समझने और उन्हें पूरा करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है, जो उनके आर्थिक विकास और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के सतत विकास में योगदान करता है.

सकल अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 13.05% की वृद्धि टिकाऊ पहलों का समर्थन करने के लिए हमारी मजबूत स्थिति को दर्शाता है. यह हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और अर्थव्यवस्था के संपोषणीय क्षेत्रों में योगदान करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है. दूसरी ओर, कुल जमा

में 8.26% की वृद्धि, ग्राहकों की निधियों को आकर्षित करने और बनाए रखने में हमारी ताकत को इंगित करती है, इस प्रकार लंबी अवधि में स्थायी आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए हमारे लचीलेपन और क्षमता में वृद्धि होती है.

## रैम संभाग के प्रति प्रतिबद्धता

खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) संभाग के अंतर्गत हमारी प्रदर्शित प्रतिबद्धता हमारे सतत प्रयासों और डिजिटल क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान देती है. रैम अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 14.94% की मज़बूत वृद्धि ऐसे क्षेत्रों को वित्तपोषित करने में हमारी सक्रिय भूमिका को दर्शाती है जो न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि समावेशी और संपोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है.

खुदरा क्षेत्र में अक्सर व्यक्तियों और परिवारों की एक वैविध्यपूर्ण शृंखला होती है जो हमारे विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से लाभान्वित होते हैं. इस क्षेत्र का समर्थन करके, हम वित्तीय साक्षरता में सुधार करने, बचत को बढ़ावा देने और व्यक्तियों की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, जिससे व्यापक सामाजिक और आर्थिक स्थिरता में योगदान मिल रहा है.

कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है. इस क्षेत्र के लिए हमारा सक्रिय समर्थन खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने में मदद करता है. इस क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, हम पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अधिक संपोषणीय पद्धतियों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे पर्यावरण स्थिरता में योगदान मिल रहा है.

एमएसएमई क्षेत्र को अग्रिम राशि में वृद्धि आर्थिक स्थिरता के प्रमुख घटकों, उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार हैं, जो बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. एमएसएमई को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके, हम इस क्षेत्र के विकास और स्थिरता में योगदान दे रहे हैं जिसका कई गुना प्रभाव समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.

डिजिटल रूप से, रैम क्षेत्र की सेवा के लिए उन प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग की भी आवश्यकता होती है जो इन विभिन्न और कभी-कभी दूरस्थ ग्राहकों तक पहुंच सकें. इसमें डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन और डिजिटल भुगतान समाधान शामिल हैं जो इन ग्राहकों को उनकी ज़रूरत की वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देते हैं और हमारी डिजिटल क्षमताओं में सुधार करते हैं. यह तथ्य कि घरेलू अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में रैम अग्रिम 55.61% है, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है और ऋण देने के संतुलित दृष्टिकोण का प्रतीक है.

↑**14.94**% वर्ष-दर-वर्ष

रैम अग्रिमों में वृद्धि, खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों को वित्तपोषित करने की यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता को उजागर करती है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में समावेशी और संवहनीयता को बढ़ावा देते हैं.

**55.61**%

घरेलू अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में रैम अग्रिम, यह इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है और ऋण देने के लिए संतुलित दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है.

## आस्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार

आस्ति गुणवत्ता में हमारा महत्वपूर्ण सुधार संभवत: सबसे शानदार मेट्रिक्स में से एक है. हमारे सकल एनपीए (अनर्जक आस्ति) में वर्ष-दर-वर्ष 23.37% की उल्लेखनीय कमी देखी गई, जबकि हमारे निवल एनपीए में वर्ष-दर-वर्ष 46.81% की भारी कमी आयी जो उच्च गुणवत्ता वाली संपत्ति बनाए रखने और सख्त जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह जोखिम प्रबंधन के प्रति हमारे सक्रिय और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण का संकेत है. यह कमी जोखिम से जुड़े ऋण की निगरानी, प्रबंधन और उसे कम करने के लिए एक सफल कार्यनीति का द्योतक है जिसके तहत ऋण मंज़ूर करने से पहले ऋण जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन करने की ओर संकेत करता है. एनपीए (अनर्जक आस्तियों) में गिरावट न केवल संपोषणीय ऋण प्रथाओं की ओर सकारात्मक संकेत है, बल्कि बेहतर वसूली और अनुवर्ती तंत्र को भी दर्शाता है. कम एनपीए अनुपात से तात्पर्य है कि आपके बैंक के पास एक स्वस्थ पोर्टफोलियो है, जो लंबे समय में वित्तीय स्थिरता और ऋण देने की क्षमता सुनिश्चित करता है.

*प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 673 आधार अंक बढ़कर 90.34% होना जोखिम प्रबंधन के लिए यूनियन बैंक के विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है, संभावित नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है और राजकोषीय दायित्व को सुदृढ़ करता है.*

इसके अलावा, हमारे प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में 673 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 90.34% तक पहुंचना इस विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को मज़बूती प्रदान करता है. उच्च स्तरीय पीसीआर, अनर्जक आस्तियों से संभावित नुकसान को वहन करने, अनिश्चित समय के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करने और राजकोषीय दायित्व निभाने की हमारी तत्परता को दर्शाता है. यह एक महत्वपूर्ण

संकेतक है जिसे हमने भविष्य में संभावित जोखिमों के लिए तैयार किया है, जो स्थिरता का एक महत्वपूर्ण पहलू है.

डिजिटल परिप्रेक्ष्य से, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुशल डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में स्वचालन और एनपीए की निगरानी और नियंत्रण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी आवश्यकता होती है. आस्ति की गुणवत्ता को प्रबंधित करने और सुधारने के लिए डिजिटल उपकरणों पर ध्यान केन्द्रित करने से अंततः हमारी समग्र डिजिटल शक्ति मज़बूत होती है, जो डिजिटल युग में संपोषणीय बैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

**46.81** % वर्ष-दर-वर्ष

निवल एनपीए में कमी उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियों और सख्त जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के प्रति यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे संपोषणीय ऋण और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है.

## पूंजी अनुपातों को सुदृढ़ बनाना

पूंजी अनुपातों का सुदृढ़ होना, जैसा कि जोखिम-भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) में 14.52% से 16.04% और सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात 10.63% से 12.36% तक सुधार होना वित्तीय स्थिरता और लचीलेपन का एक प्रमुख संकेतक है.

उच्च स्तरीय सीआरएआर इंगित करता है कि आपके बैंक के पास दिवालिया होने से पहले उच्च स्तर के नुकसान को सहने की क्षमता है, जिससे लंबे समय तक आपके बैंक की स्थिरता सुनिश्चित होती है. सीआरएआर में वृद्धि यह भी दर्शाता है कि आपके बैंक के पास म. जबूत पूंजी पर्याप्तता है, जो किसी बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य का बुनियादी पहलू है. यह बेहतर अनुपात दर्शाता है कि आपका बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत है और वित्तीय संकट या आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए बेहतर रूप से तैयार है.

*जोखिम-भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) में 14.52% से 16.04% तक सुधार यूनियन बैंक की वित्तीय स्थिरता और लचीलेपन को दर्शाता है, घाटे को अवशोषित करने के लिए गुंजाइश प्रदान करता है और मज़बूत पूंजी पर्याप्तता का संकेत देता है.*

इसके साथ ही, सीईटी1 अनुपात में वृद्धि, जो किसी बैंक की कुल जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में उसकी मूल पूंजी को मापता है, दर्शाता है कि आपके बैंक के पास ठोस पूंजी आधार है. सीईटी1 पूंजी में साधारण शेयर और प्रतिधारित उपार्जन शामिल है, जो पूंजी का सबसे तरल रूप है और इसका उपयोग घाटे को अवशोषित करने के लिए किया जा सकता है. बेहतर सीईटी1 अनुपात ठोस पूंजी बफर बनाने और बनाए रखने के लिए आपके बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो संपोषणीय बैंकिंग परिचालन के लिए महत्वपूर्ण है.

## उन्नत शेयरधारक प्रतिलाभ

आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) दोनों ऐसे वित्तीय संकेतक हैं जो वित्तीय निष्पादन और दक्षता के महत्वपूर्ण उपाय हैं, और उनकी वृद्धि आपके बैंक की बढ़ती लाभप्रदता और सफल प्रबंधन कार्यनीतियों को दर्शाती है. इक्विटी पर प्रतिलाभ में वित्त वर्ष 2022 के 0.47% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 में 0.69% तक बढ़ोत्तरी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आय उत्पन्न करने के लिए अपनी आस्तियों का उपयोग करने में आपके बैंक की दक्षता को दर्शाता है. उच्च आरओए दर्शाता है कि आपका बैंक लाभ उत्पन्न करने के लिए अपने संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से आबंटन और उपयोग कर रहा है, जो स्थिरता के लिए एक आवश्यक कारक है, क्योंकि यह आपके बैंक द्वारा लाभदायक रूप निवेश करने और शेयरधारकों के मूल्य संवर्धन की क्षमता को इंगित करता है.

*संपत्ति पर रिटर्न (आरओए) में 0.47% से 0.69% तक का सुधार यूनियन बैंक के आस्तियों के इष्टतम उपयोग और आय उत्पन्न करने, प्रभावी संसाधन आबंटन को निष्पादित करने और स्थायी विकास के लिए लाभदायक निवेश पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों को दर्शाता है.*

इसके अलावा, आरओई में वित्तीय वर्ष 2022 में 10.11% से बढ़ोत्तरी होकर वित्तीय वर्ष 2023 में 13.26% होना, यह दर्शाता है कि आपका बैंक शेयरधारकों द्वारा निवेश किए गए पैसे पर अधिक प्रतिलाभ दे रहा है. बढ़ा हुआ आरओई शेयरधारकों के लिए एक सकारात्मक संकेतक है. यह परिचालकों को निधि आबंटित करने और कारोबार को बढ़ाने के लिए इक्विटी निवेश का उपयोग करने में आपके बैंक की प्रभावशीलता को दर्शाता है, जिससे यह निवेश के लिए आकर्षक बन जाता है. आपके बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता और अपने शेयर धारकों को पुरस्कृत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रु.3.00 प्रति इक्विटी शेयर (30%) के लाभांश की सिफारिश की है. यह निर्णय न केवल आपके बैंक की लाभप्रदता को दर्शाता है, बल्कि इसके निरंतर विकास और स्थिरता में विश्वास को भी दर्शाता है.

आपके बैंक को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए, बढ़ी हुई लाभप्रदता और संसाधनों का कुशल उपयोग डिजिटल बुनियादी ढांचे, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है, जिससे डिजिटल रूप से उन्मुख बैंकिंग परिदृश्य में इसकी स्थिति मज़बूत होती है.

## परिणामों का मुख्य सारांश

| रु. करोड़ में | वित्तीय वर्ष 2022 | वित्तीय वर्ष 2023 | वर्ष-दर-वष % |
|---|---|---|---|
| **लाभ एवं हानि** | | | |
| ब्याज आय | 67,944 | 80,743 | 18.84 |
| ब्याज व्यय | 40,157 | 47,978 | 19.47 |
| निवल ब्याज आय | 27,786 | 32,765 | 17.92 |
| गैर-ब्याज आय | 12,525 | 14,633 | 16.83 |
| निवल ब्याज मार्जिन % | 2.94 | 3.07 | 13 bps |
| परिचालन लाभ | 21,873 | 25,467 | 16.43 |
| कुल प्रावधान | 16,641 | 17,034 | 2.36 |
| कर उपरांत लाभ | 5,232 | 8,433 | 61.18 |
| | | | |
| **तुलन-पत्र** | | | |
| वैश्विक अग्रिम | 7,16,408 | 8,09,905 | 13.05 |
| घरेलू अग्रिम | 6,99,269 | 7,85,302 | 12.30 |
| इसमें खुदरा | 1,36,273 | 1,59,702 | 17.19 |
| एमएसएमई | 1,33,092 | 1,51,993 | 14.20 |
| कृषि | 1,10,577 | 1,25,022 | 13.06 |
| रैम अग्रिम | 3,79,942 | 4,36,717 | 14.94 |
| जमाएं | 10,32,392 | 11,17,716 | 8.26 |
| इसमें कासा | 3,77,193 | 3,94,055 | 4.47 |
| खुदरा मीयादी जमाएं (<2 करोड़) | 4,43,752 | 4,38,280 | -1.23 |
| कासा अनुपात (%) | 36.54 | 35.26 | -128 bps |
| सकल अनर्जक आस्तियां | 79,587 | 60,987 | -23.37 |
| निवल अनर्जक आस्तियां | 24,303 | 12,928 | -46.80 |

| अनुपात (%) | वित्तीय वर्ष 2022 | वित्तीय वर्ष 2023 | वर्ष-दर-वर्ष/बीपीएस |
|---|---|---|---|
| **आस्ति गुणवत्ता** | | | |
| सकल अनर्जक आस्तियां | 11.11 | 7.53 | -358 |
| निवल अनर्जक आस्तियां | 3.68 | 1.70 | -198 |
| प्रावधान कवरेज़ अनुपात (पीसीआर) | 83.61 | 90.34 | 673 |
| टीपीसीआर | 69.46 | 78.80 | 934 |
| ऋण लागत | 1.74 | 1.64 | -10 |
| | | | |
| **पूंजी अनुपात** | | | |
| सीईटी-1 अनुपात | 10.63 | 12.36 | 173 |
| टीयर-1 अनुपात | 12.20 | 13.91 | 171 |
| सीआरएआर | 14.52 | 16.04 | 152 |

वित्तीय पूंजी को मजबूत करना:

*संवहनीयता और डिजिटल उन्नति का आधार*

## विगत 3 वर्षों में निष्पादन का रूझान

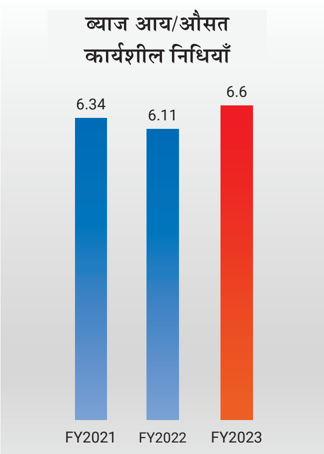


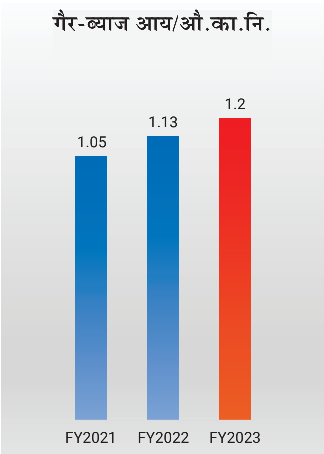


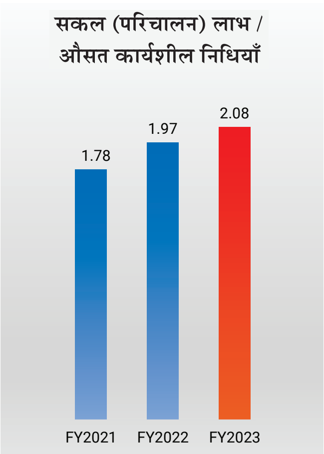


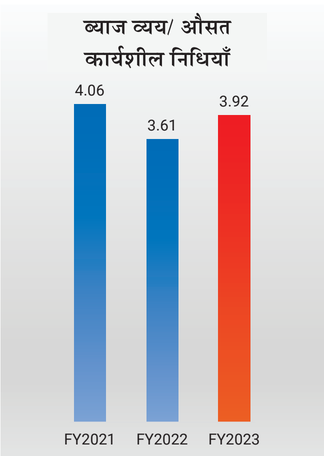


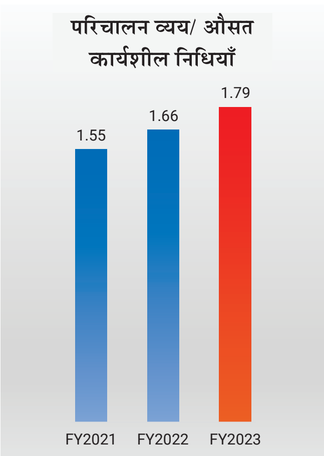


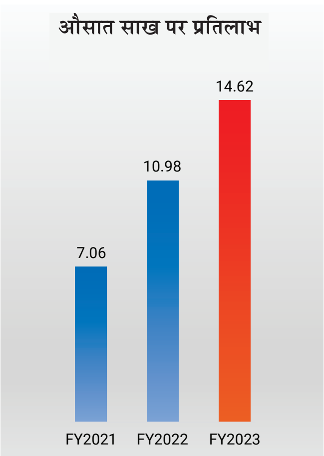


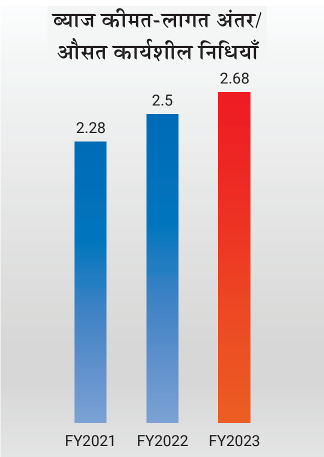


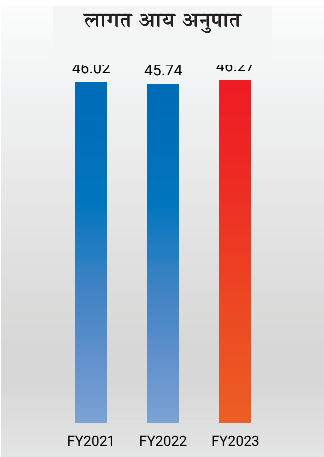


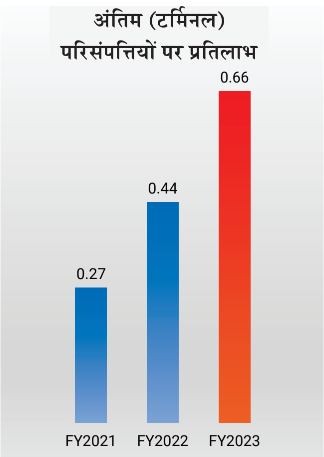

*हमारी वित्तीय प्रभावकारिता को देखते हुए आरओए में 0.47% से 0.69% और आरओई में 10.11% से 13.26% की वृद्धि, आस्ति उपयोग को अनुकूलित करने, शेयरधारक रिटर्न को अधिकतम करने और संवहनीयता विकास के लिए निवेश करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.*

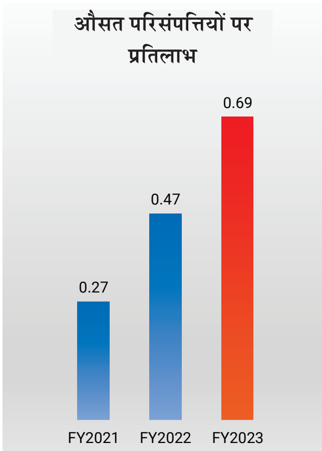


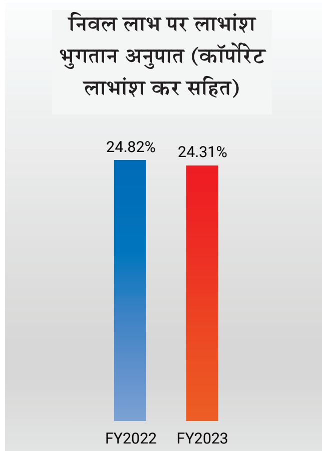


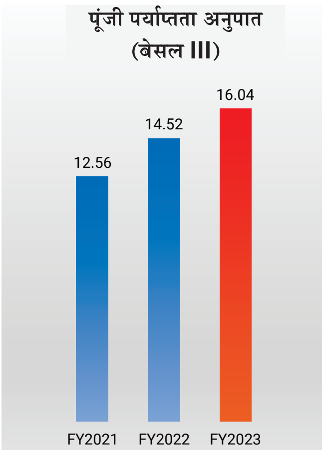


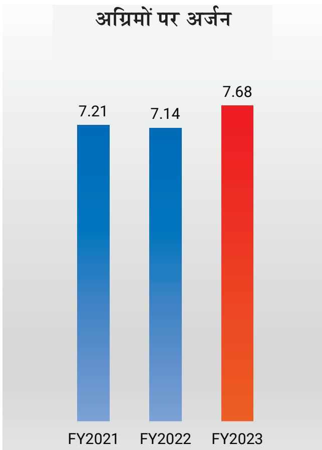


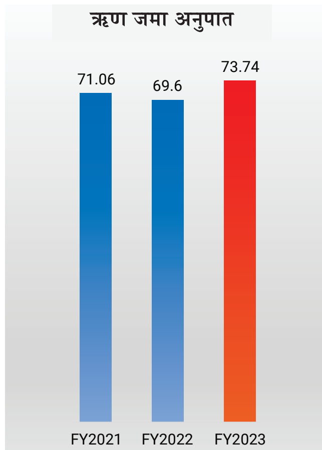


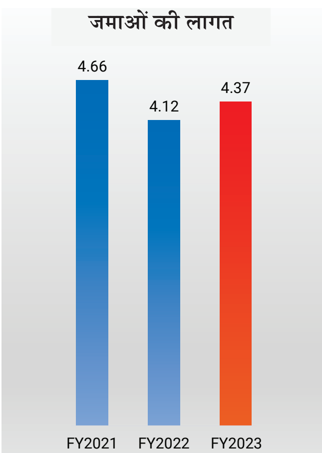


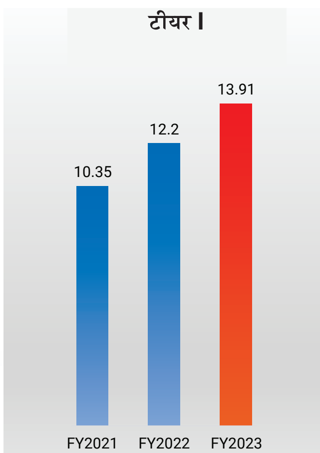


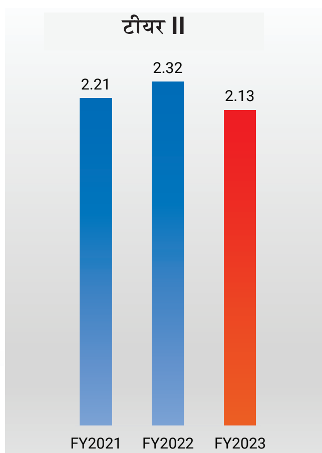

## वित्तीय वर्ष 2023 हेतु मुख्य बिन्दु

» हमारा वैश्विक कारोबार वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक जिम्मेदारीपूर्वक बढ़कर रु. 19,27,621 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में रु.17,48,800 करोड़ था.

» हमने प्रभावशाली रु. 11,17,716 करोड़ कुल वैश्विक जमा वृद्धि हासिल की

» हमारे वैश्विक सकल अग्रिम रु. 809905 करोड़ तक पहुंच गया, जो हमारी व्यापक और समावेशी वित्तीय सेवाओं को दर्शाता है.

» हमने कासा जमाओं में वृद्धि देखी, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक रु.3,94,055 करोड़ तक पहुंच गई.

» ग्राहक-केंद्रित सेवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु. 32,765.35 करोड़ की बेहतर निवल ब्याज आय में योगदान दिया.

» हमारे सावधानीपूर्वक और कार्यनीतिक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 3.07% रहा, जबकि घरेलू एनआईएम 2.95% रहा.

» हमने (अपने) विविध राजस्व स्रोतों का प्रमाण देते हुए रु.14,633 करोड़ की अन्य आय अर्जित की.

» हमारी कुशल प्रथाओं के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिचालन लाभ बढ़कर रु.25,467 करोड़ का हुआ, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु.21,873 करोड़ था.

» हमने (अपनी) लागत-से-आय अनुपात को प्रभावी ढंग से 46.27% पर प्रबंधित किया, जो परिचालन दक्षता पर हमारे ध्यान केन्द्रित करने को दर्शाता है.

» वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अग्रिमों पर प्रतिलाभ बढ़कर 7.68% हो गया, जो उधार देने की हमारी कार्यनीतियों के विवेकशीलता का परिणाम दर्शाता है.

» हमने अपने जीएनपीए अनुपात में सुधार करते हुए पिछले वर्ष के 11.11% से घटाकर 7.53% करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है.

» हमारा निवल एनपीए अनुपात भी सुधरकर 1.70% हो गया, जो हमारे मज़बूत जोखिम प्रबंधन को दर्शाता है.

» हमने अपने प्रावधान कवरेज अनुपात को बढ़ाकर 90.34% कर दिया है जो संभावित नुकसान के खिलाफ मज़बूत सुरक्षा प्रदान करेगा.

» बासेल III के तहत हमारी पूंजी से जोखिम (भारित) संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 16.04% था, जो हमारे मज़बूत पूंजी आधार को दर्शाता है और न्यूनतम नियामक आवश्यकता को पार करता है. हमने टियर 1 और सीईटी 1 पूंजी अनुपात को क्रमशः 13.91% और 12.36% पर बनाए रखा.

*बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 में निहित वित्तीय विवरणों को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक" श्रेणी में गोल्ड शील्ड से सम्मानित किया गया.*

## विगत तीन वर्षों में उत्पादकता रूझान

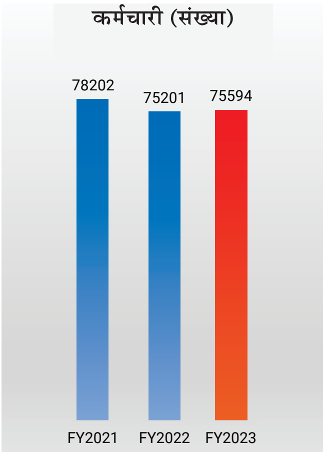


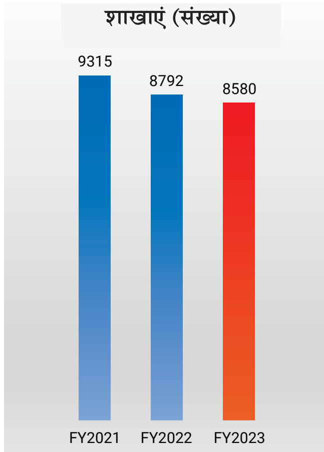


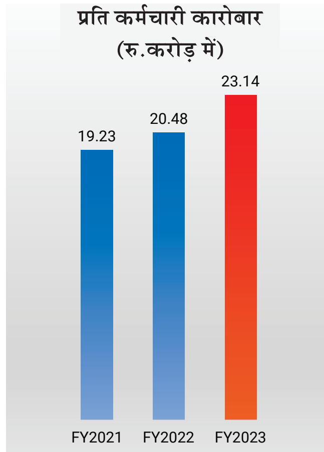


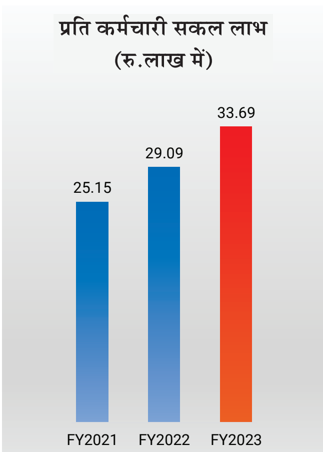


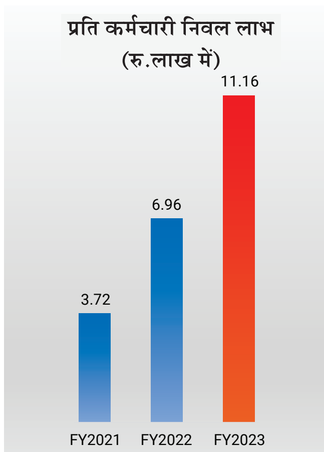


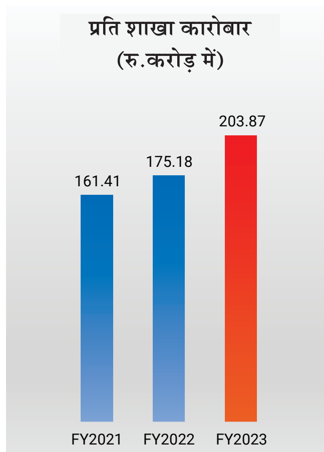


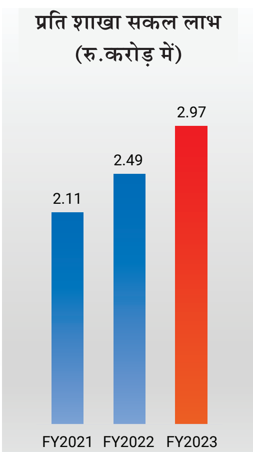


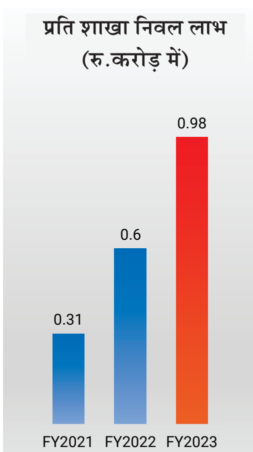


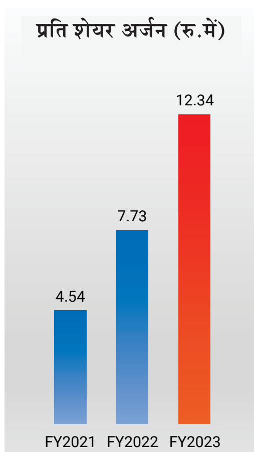


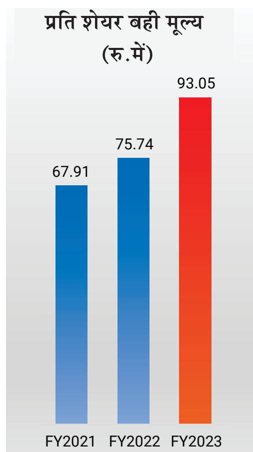

प्रभावी बौद्धिक पूंजी:

# डिजिटल कौशल के माध्यम से संवहनीयता हेतु प्रतिबद्ध,

» *यूएनएसडीजी :*

» *कार्यनीति ब्लूप्रिंट:*

» *कारोबार मॉडल अवयव:*

1 6 8

» *तात्विक विषय:*

*11, 12, 13, 19, 29, 43*

तकनीकी-संचालित पहलों के माध्यम से बौद्धिक पूंजी का दोहन करने की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता डिजिटल बैंकिंग में हमारी स्थिति को मजबूत करती है. अत्याधुनिक समाधानों में हमारा निवेश, उद्योग हितधारकों के साथ सहयोग और उभरती तकनीकी पर ध्यान हमें भारत की डिजिटल और सतत परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमारे हितधारकों के लिए सतत मूल्य बनाने में सक्षम बनाता है. हम असाधारण डिजिटल अनुभव प्रदान करने और बैंकिंग उद्योग में तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहने के लिए समर्पित हैं.

## सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन

सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्वयं को अगली पीढ़ी के डिजिटल-सैवी संस्थान के रूप में स्थापित करने के लिए नवीनतम तकनीक को अपनाता है. हमारी सुदृढ़ आईटी प्रणालियाँ हमें अपने परिचालन के मूल में तकनीक को रखते हुए आईटी-संचालित, सुविधाजनक एवं अनुकूलनीय बैंकिंग उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम ग्राहक-केंद्रित, समावेशी, उत्तरदायी और जिम्मेदार बैंकिंग के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसे प्राप्त करने के लिए, हमने विभिन्न नए युग की पहल शुरू की है और अत्याधुनिक तकनीकों को जैसे संवर्धित वास्तविकता/आभासी वास्तविकता (एआर/वीआर), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), और ब्लॉकचेन को अपनाया है. ये परिवर्तनकारी उपाय सुरक्षा से समझौता किए बिना विनियामक मानदंडों का अनुपालन करते हुए उच्च-कार्यनिष्पादन युक्त कारोबारी प्रणालियों और क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं.

**प्रभावी बौद्धिक पूंजी:**

*डिजिटल कौशल के माध्यम से संवहनीयता हेतु प्रतिबद्ध,*

हमने अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्लेटफार्मों और डिजिटल अनुप्रयोगों में निवेश किया है. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के साथ कोर बैंकिंग अनुप्रयोगों के एकीकरण ने हमें मूल्यवर्धित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेशकश करने की अनुमति दी है.हमारे प्लेटफॉर्म, टेबुलस बैंकिंग, टॉकिंग एटीएम और मल्टी फंक्शन संपूर्ण एटीएम सहित मोबाइल टॉप-अप, ई-कैश रेमिटेंस, प्रत्यक्ष कर भुगतान, इंटरबैंक मोबाइल भुगतान सेवा रेमिटेंस, एनईएफटी और म्यूचुअल फंड भुगतान जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करते हैं.

## भाषा:

मोबाइल बैंकिंग: **13**
इंटरनेट बैंकिंग: : **2**
कॉल सेंटर:**11**
एसएमएस सुविधा: **13**

डिजिटल प्लेटफॉर्म, कॉल सेंटर और संचार चैनल सहित भाषाओं की संख्या जिसमें बैंकिंग सेवा उपलब्ध है.

## पुरस्कार और सम्मान:

**106**

राजभाषा कार्यान्वयन और प्रकाशन के लिए प्राप्त प्रतिष्ठित पुरस्कार की संख्या.

## कर्मचारी विजेता:

**6,307**

हिन्दी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले और व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने वाले स्टाफ सदस्यों की संख्या.

## ग्राहक सहभागिता

**1.26** करोड़

साइबर सुरक्षा पर जागरूकता अभियान के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँच

## बौद्धिक पूंजी

**136** यूनियन लर्निंग एकेडमिक द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम;
**7** विदेशी कार्यक्रम;
**172** अन्तर्देशीय बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम;
**1461** आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम;

कार्यान्वित की गई बौद्धिक पूंजी पहल की संख्या, जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, वेबिनार और ज्ञान-साझा प्लेटफॉर्म

## बहुभाषी प्रकाशन:

**131**

सांस्कृतिक समझ और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भाषाओं में जारी प्रकाशन की संख्या.

## डिजिटल अनुकुलन:

**मोबाइल बैंकिंग: 29.09%**
**इंटरनेट बैंकिंग: 6.84%**

मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसे डिजिटल चैनल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं और लेनदेन की संख्या में वृद्धि.

## उभरती और भविष्य की तकनीक का लाभ उठाना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने ग्राहकों को निर्बाध डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए उन्नत तकनीक समाधान अपनाना निरंतर जारी है.इनमें व्यक्तिगत वीडियो-आधारित समाधान, व्हाट्सएप बैंकिंग, पाम बैंकिंग, वीडियो केवाईसी समाधान और कंटेनर-आधारित क्लाउड-रेडी एप्लिकेशन के लिए माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर शामिल हैं.हम अपने सभी तकनीकी कार्यान्वयन में नियामक अनुपालन और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं.

बैंक नवाचार को बढ़ावा देने और भारत के डिजिटल रूपांतरण में योगदान देने के लिए तकनीकी क्षेत्र में प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है.हम डिजिटल लेजर-आधारित ब्लॉकचेन तकनीक पर आरबीआई आईटी इनोवेशन हब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पर पायलट के लिए चयन किया गया है.इसके अलावा, हम खाता एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म में अग्रणी हैं और डिजिटल लेंडिंग के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) के साथ सक्रिय रूप से एकीकृत हैं.अमेज़ॅन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट वॉयस बॉट्स के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-आधारित संवाद बैंकिंग ग्राहक अनुभव एवं सुविधा को और बढ़ाती है.

बैंक भविष्य में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उभरती तकनीकों को अपनाता है.हम समाधान खोजते हैं, फिनटेक साझेदारी बनाते हैं, और एआई/एमएल, 5जी, ब्लॉकचेन, मेटावर्स और डेवसेकऑप्स जैसी तकनीक का लाभ उठाते हैं.हमारा एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीओई) ग्राहक डेटा और प्राथमिकताओं का विश्लेषण करने, हमारी समझ बढ़ाने और वैयक्तिकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए डेटा लेक का उपयोग करता है.

भविष्य में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यनीतिक केंद्र में तेज डिजिटल संसाधन परिनियोजन को सक्षम करने के लिए हाइब्रिड क्लाउड पर क्लाउड नेटिव एप्लिकेशन की मेजबानी, व्यापक बैंकिंग अनुभवों के लिए एएल और वर्चुअल रियलिटी (वीआर) को एकीकृत करना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (एलओटी) का लाभ उठाना और बैंकिंग सेवाओं के लिए कनेक्टेड डिवाइस, ग्राहक जानकारी की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकथाम उपायों को कार्यान्वित करना, कई चैनलों में एकीकृत ग्राहक अनुभव के लिए माइक्रोसर्विसेज-आधारित ओमनी-चैनल प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना करना, और निरंतर विकास, एकीकरण के लिए डेवसेकऑप्स टूल जैसी नई प्रथाओं को अपनाना, इन-हाउस परियोजनाओं की तैनाती और एप्लिकेशन आधुनिकीकरण जैसी पहल शामिल है.

*हम एआई, ब्लॉकचेन और मेटावर्स जैसी उभरती तकनीक की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, भविष्य में विकास कर रहे हैं और एक अद्वितीय डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान कर रहे हैं.हमारा निरंतर नवाचार भारत के डिजिटल रूपांतरण और हमारे ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है.*

### डिजिटल लीडरशिप उपलब्धियां

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल अपनाने में कई मील का पत्थर हासिल किया है, जिससे उद्योग में अग्रणी के रूप में हमारी स्थिति मजबूत हुई है:

» खाता एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (पीएसबी).

» ट्रिपल आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पीएसबी: आईएसओ 27001:2013 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 22301:2019 (कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली), और आईएसओ 31000:2018 (आईटी जोखिम प्रबंधन).

» रु. 1 मिलियन तक के एमएसएमई ऋणों के एंड-टू-एंड स्वत: नवीकरण को कार्यान्वित करने वाला पहला पीएसबी.

» फिनेकल, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन और एसएमएस में बहु-भाषा समर्थन कार्यान्वित करने वाला पहला पीएसबी.

» देश भर के सभी बैंकों के बीच एटीएम स्विच प्रोसेसिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ.

» औसत मासिक सीबीएस लेनदेन 194 करोड़ से अधिक है, पिछले छह महीनों में दैनिक औसत लेनदेन मात्रा में 20% की वृद्धि हुई है.

» 99.97% का औसत सिस्टम अपटाइम, ईज 4.0 के तहत श्रेणी में सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप.

» बैंकिंग में मेटावर्स पेश करने वाला भारत का पहला बैंक.

» कार्ड से संबंधित सभी भुगतान प्रणालियों और प्रक्रियाओं को कवर करते हुए प्रतिष्ठित पीसीआई-डीएसएस (भुगतान कार्ड उद्योग- डेटा सुरक्षा मानक) प्रमाणन प्राप्त किया.

» व्हाट्सएप बैंकिंग, वॉयस बैंकिंग, ओपन बैंकिंग आर्किटेक्चर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी), रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) और प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन (पीएपीएल) जैसे नवीन समाधानों की शुरूआत.

**प्रभावी बौद्धिक पूंजी:**

*डिजिटल कौशल के माध्यम से संवहनीयता हेतु प्रतिबद्ध,*

## वित्तीय वर्ष 2023 में की गई डिजिटल पहल

वित्तीय वर्ष 2023 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई विभिन्न डिजिटल पहल बैंकिंग उद्योग में तकनीकी प्रगति, ग्राहक-केंद्रितता और नवाचार के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं. प्राप्त पहचान, जैसे ईज 5.0 सुधार सूचकांक में प्रथमस्थान और सर्वश्रेष्ठ फिनटेक सहयोग विशेष पुरस्कार, डिजिटल डोमेन में बैंक के प्रयासों को और अधिक मान्यता देते हैं. डिजिटल रूपान्तरण के तहत, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने, दक्षता बढ़ाने और उभरती हुई तकनीक को अपनाने के उद्देश्य से कई नवीन पहल की हैं. इन पहलों को निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. **वीडियो केवाईसी:** वीडियो केवाईसी, जैसा कि आरबीआई द्वारा परिभाषित किया गया है, लाइव ऑडियो-विज़ुअल इंटरैक्शन के माध्यम से निर्बाध और सुरक्षित तरीके से ग्राहक पहचान हेतु सक्षम बनाता है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सभी डीबीयूएस, 3 क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय और पांच क्षेत्रों के लिए वीडियो केवाईसी लाइव कर दिया है. इस पहल के परिणामस्वरूप वीडियो केवाईसी के माध्यम से 4,000 से अधिक खाते खोले गए हैं, लखनऊ में एक समर्पित वीडियो केवाईसी सेल स्थापित किया गया है.
2. **यूवीकॉन 2.0:** यूवीकॉन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को बुनियादी पूछताछ और सेवाएं प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप मैसेंजर का लाभ लेता है. वर्तमान में 7 भाषाओं में उपलब्ध, यूवीकॉन खाता शेष पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, चेक की स्थिति जांच, चेकबुक अनुरोध, लॉकर किराए की पूछताछ और भी कई सारी सुविधाएं प्रदान करता है. यूवीकॉन पर 10 लाख से अधिक उपयोगकर्ता जुड़ चुके हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 45 लाख से अधिक ग्राहक पूछताछ कर चुके हैं.
3. **आपके बैंक** ने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए विभिन्न परियोजनाएँ कार्यान्वित की हैं. इन परियोजनाओं में ई-नामांकन, 7 स्थानों पर डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयूएस) की स्थापना, चेक पुन: पुष्टि के लिए सकारात्मक वेतन का कार्यान्वयन, सरलीकृत और तत्काल डीमैट खाता खोलना और बेहतर ग्राहक संपर्क के लिए चैटबॉट का पुनरुद्धार शामिल है.
4. **आपके बैंक** ने प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है, जो एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन पहल है जिसका उद्देश्य बैंक के भीतर एक डिजिटल बैंक बनाना है. इस परियोजना में व्योम ऐप का लॉन्च शामिल है, जो ग्राहक जुड़ाव के संवर्धन के लिए 350 से अधिक सुविधाएँ और एक खोजपूर्ण यूआई/यूएक्स डिज़ाइन प्रदान करता है. आपके बैंक ने डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 90 से अधिक फिनटेक के साथ भी साझेदारी की है. इसके अतिरिक्त, म्यूचुअल फंड और बीमा कारोबार के लिए डिजिटल समाधान, एकीकृत ग्राहक अनुभव के लिए सीआरएम समाधान और खाता एग्रीगेटर पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकरण जैसी पहल डिजिटल नवाचार के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

5. **डिजिटल ऋण और समीक्षा/नवीकरण यात्राएं:** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न आस्ति और देयता उत्पादों को कवर करते हुए डिजिटल ऋण यात्राएं शुरू की हैं. ये यात्राएं खातों की डिजिटल मंजूरी, नवीकरण और समीक्षा को सक्षम बनाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 7.68 लाख से अधिक खातों को डिजिटल रूप से संसाधित किया जाता है. कार्यान्वित उल्लेखनीय डिजिटल ऋण यात्राओं में मुद्रा किशोर एसटीपी, मुद्रा तरुण एसटीपी, शिक्षा ऋण, नए केसीसी ऋण, जमा पर ऋण (एलएडी) और बहुत कुछ शामिल हैं.

6. **केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी:** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी-रिटेल और केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी-होलसेल परियोजनाओं में भाग लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित किया गया है. आपके बैंक ने क्लोज्ड उपयोगकर्ता समूह के तहत एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए सीबीडीसी-आर एप्लिकेशन को लाइव कर दिया है.

7. **फिनटेक और इकोसिस्टम साझेदारी:** आपका बैंक ग्राहकों की डिजिटल यात्रा के निर्माण के लिए उनके समाधानों का लाभ उठाने के लिए फिनटेक एवं फोर्ज्ड साझेदारियों के साथ सक्रिय रूप से शामिल है. 150 से अधिक फिनटेक को शामिल किया गया है, जिसमें 90 से अधिक फिनटेक को सूचीबद्ध किया गया है. इस समायोजन ने कृषि, खुदरा और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में डिजिटल समाधानों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की है.

8. **डिजिटल बैंकिंग इकाइयां:** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरैक्टिव टैबलेट, मल्टी-फंक्शनल कियोस्क, एटीएम, वीडियो केवाईसी उपकरण और मेटावर्स तकनीक जैसी स्मार्ट क्षमताओं से लैस 7 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित की हैं. इन डीबीयू का लक्ष्य डिजिटल पैठ बढ़ाना और वित्तीय सेवाओं तक लागत-प्रभावी, सुविधाजनक पहुंच प्रदान करना है.

9. **प्रोजेक्ट संभव:** डिजिटल कारोबार प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन: प्रोजेक्ट संभव के तहत, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कारोबार विजन के अनुरूप एक डिजिटल कार्यनीति तैयार की है. इस कार्यनीति में निर्बाध ओमनीचैनल अनुभव प्रदान करने के लिए व्योम ऐप का उन्नयन, इकोसिस्टम साझेदारी की स्थापना, क्लाउड-रेडी आर्किटेक्चर के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास और डेटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म सेवाओं का कार्यान्वयन शामिल है. नए डिजिटल उत्पादों की पेशकश के लिए फिनटेक के साथ सहयोग भी प्रोजेक्ट संभव का एक प्रमुख पहलू है.

10. **"यूनी-वर्स" का परिचय - मेटावर्स पर आधारित एक वर्चुअल लाउंज**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत में मेटावर्स लॉन्च करने वाला पहला बैंक है. ये वर्चुअल लाउंज की विशेषताएं हैं:

» डिजिटल अवतार.

» उत्पाद क्रिएटिव के साथ उपयोगकर्ता इंटरैक्टिव डिजिटल स्क्रीन.

» उत्पाद वीडियो के साथ डिजिटल डिस्प्ले.

» डिजिटल वॉल - "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यात्रा" और अन्य क्रिएटिव के बारे में वीडियो.

» ग्राहक वीआर और गैर-वीआर सक्षम दोनों वातावरणों के साथ लाउंज में नेविगेट कर सकते हैं.

» नए उत्पादों और अन्य के बारे में होलोग्राफिक फ़्लोटिंग मेनू.

» "स्पिन ए व्हील" प्रतियोगिता.

» मेटावर्स 2.0- व्यापक ग्राहक अनुभव प्लेटफॉर्म, उच्च उपयोगकर्ता जुड़ाव, निर्बाध बैंकिंग समाधान और सकारात्मक ब्रांड संचार बनाने के लिए. अब तक 100,000 से अधिक हिट और बैलेंस पूछताछ मिनी स्टेटमेंट सुविधा सक्षम कर दी गई है.

## साइबर सुरक्षा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने परिचालन के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में साइबर सुरक्षा के महत्व और डिजिटल परिदृश्य में हितधारकों के हितों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पहचानता है.आपके बैंक ने हितधारकों के बीच डिजिटल विश्वास बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से एक मजबूत साइबर सुरक्षा स्थापित की है.बैंक के हैदराबाद परिसर में एक समर्पित साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई) स्थापित किया गया है. सीसीओई साइबर सुरक्षा जागरूकता

**प्रभावी बौद्धिक पूंजी:**

*डिजिटल कौशल के माध्यम से संवहनीयता हेतु प्रतिबद्ध,*

वेबिनार और हितधारकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए बाहरी संस्थानों, जैसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडीएसी) और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, साइबर सुरक्षा पश्चिम बंगाल सरकार (डब्ल्यूबी-सीएस-सीओई) के साथ सयोजन करता है.

आपके बैंक ने साइबर खतरों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए एक कुशल टीम के साथ 24x7 साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी-एसओसी) कार्यान्वित किया है. सी-एसओसी महत्वपूर्ण कारोबारी अनुप्रयोगों पर बारीकी से नज़र रखता है और बैंक की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए "डिज़ाइन द्वारा सुरक्षा" दृष्टिकोण को नियोजित करता है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया परिधि सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लिकेशन सुरक्षा, एंडपॉइंट सुरक्षा, पहचान और पहुंच प्रबंधन, खतरे की गुप्त जानकारी और डेटा सुरक्षा सहित बहुस्तरीय सुरक्षा वास्तुकला को तैनात करते हुए "डिफेंस इन डेप्थ" कार्यनीति का पालन करता है. आपके बैंक का साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र अपने आईटी बुनियादी ढांचे के जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए नियमित रूप से भेद्यता मूल्यांकन, प्रवेश परीक्षण और रेड-टीमिंग अभ्यास आयोजित करता है.

साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों और कर्मचारियों दोनों के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम (सीसीएसएपी) विकसित किया है. आपका बैंक एसएमएस, ईमेल, एटीएम, शाखा डिस्प्ले, सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाता है. शैक्षिक साइबर सुरक्षा, सुरक्षा युक्तियों को निजीकृत करने और बढ़ावा देने के लिए "U-SuRKsha" और "U-RKshak" नामक साइबर सुरक्षा शुभंकर शुरू किए गए हैं. आपके बैंक ने बुनियादी स्तर पर साइबर सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिए शाखाओं में डिजिटल राजदूत भी नियुक्त किए हैं.

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम) जैसी पहल में सक्रिय रूप से भाग लेता है. इन पहलों में ग्राहकों को साइबर सुरक्षा ईमेल भेजना, सोशल मीडिया पर क्रिएटिव साझा करना, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ वेबिनार की मेजबानी करना और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के माध्यम से साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं.

स्टाफ सदस्यों के बीच साइबर सुरक्षा की संस्कृति मजबूत करने के लिए, आपका बैंक टाउन हॉल बैठकें आयोजित करता है, साइबर सुरक्षा युक्तियों के साथ दैनिक ईमेल प्रदान करता है, और इंटरैक्टिव पहेलियाँ और क्रॉसवर्ड प्रदान करता है. आपका बैंक कर्मचारियों को नवीनतम साइबर सुरक्षा रुझानों से अद्यतन रखने के लिए आंतरिक पुस्तिकाएं और समाचार स्निपेट भी प्रकाशित करता है. नियमित फ़िशिंग सिमुलेशन अभ्यास और "माई साइबर हाइजीन" नामक एक ऑनलाइन साइबर सुरक्षा स्व-जोखिम मूल्यांकन कार्यक्रम सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और अतिरिक्त प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने में मदद करता है. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने आईटी और साइबर सुरक्षा में वरिष्ठ प्रबंधन को प्रमाणित करने के लिए एक साइबर सुरक्षा कार्यकारी विकास कार्यक्रम (सीएसईडीपी) कार्यान्वित किया है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा तकनीकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं. आपके बैंक ने अपनी नीतियों और कार्य योजनाओं को डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ प्रमाणन, कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणालियों और कार्ड भुगतान प्रणालियों के लिए पीसीआई-डीएसएस प्रमाणन के साथ सुसंगत बनाया है. कार्यकारी और बोर्ड दोनों स्तरों पर नीतियों, प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों और समितियों सहित एक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा सुशासन संरचना स्थापित की गई है.

## डेटा एनालिटिक्स सेंटर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डेटा एनालिटिक्स की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानता है और अपनी डेटा संस्कृति और दक्षताओं को बढ़ाने की यात्रा पर निकल पड़ा है. आपके बैंक ने एक एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीओई) स्थापित किया है जो अनुकूलित उपयोग के मामलों एवं डैशबोर्ड को विकसित करने के लिए कारोबारी क्षेत्रों में सहयोग करता है. बैंक के भीतर एनालिटिक्स के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एसीओई के लिए एक समर्पित नीति तैयार की गई है.

आपका बैंक मूल्य बढ़ाने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एनालिटिक्स का लाभ उठाता है. डिजिटल ऋण देने में, ग्राहक के व्यवहार और खाते की जानकारी को समझने के लिए एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है, जो आपके बैंक को निर्बाध डिजिटल यात्राओं के माध्यम से पूर्व-अनुमोदित वैयक्तिक ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाता है. धोखाधड़ी का पता लगाने में एनालिटिक्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि तत्काल अनुश्रवण असामान्य लेनदेन पैटर्न की पहचान करने में मदद करती है जो संभावित धोखाधड़ी का संकेत दे सकती है.

परिचालन को भी एनालिटिक्स से लाभ होता है, आपका बैंक कासा क्षेत्र में ग्राहक मंथन की पहचान करने और ग्राहक प्रतिधारण के लिए उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करता है. विपणन एवं बिक्री में, एनालिटिक्स जनित लीड आपके बैंक को संभावित ग्राहकों की पहचान करने, वैयक्तिकृत उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने और समग्र ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने में सहायता करते हैं. जोखिम प्रबंधन एक अन्य क्षेत्र है जहां एनालिटिक्स का उपयोग पूरे बैंक में जोखिमों की पहचान करने, मापने और प्रबंधन करने के लिए किया जाता है, जिसमें ऋण चूक की भविष्यवाणी करना और संभावित एनपीएएस की पहचान करना शामिल है.

आपके बैंक ने कासा, खुदरा ऋण और एमएसएमई ऋण पोर्टफोलियो जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन को ट्रैक करने के लिए विज़ुअल डैशबोर्ड भी विकसित किया है, जो बाजार में सहकर्मी बैंकों के साथ प्रभावी अनुश्रवण एवं तुलना को सक्षम बनाता है.

डेटा एनालिटिक्स में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रयासों को सराहना मिली है. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी और तीसरी तिमाही में लगातार बिग डेटा और एनालिटिक्स थीम के लिए ईज 5.0 ढांचे के तहत प्रथम स्थान हासिल किया है. इसके अलावा, आपके बैंक को 18वें आईबीए तकनीकी सम्मेलन, एक्सपो और पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एआई और एमएल बैंक के लिए उपविजेता के रूप में सम्मानित किया गया है.

## राजभाषा एवं प्रकाशन:
## राजभाषा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने में बौद्धिक पूंजी के महत्व को पहचानता है. बौद्धिक पूंजी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, आपका बैंक राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने पर बहुत महत्व देता है और इसे राजभाषा कार्यान्वियन में असाधारण कार्यनिष्पादन के लिए पहचान मिली है. ये पहल प्रभावी संचार, समावेशिता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देकर बैंक की समग्र बौद्धिक पूंजी में योगदान करती हैं.

यूनियन बैंक को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और अंचल कार्यालयों को 18 प्रतिष्ठित क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति आपके बैंक के समर्पण का उदाहरण देश भर के विभिन्न नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों) से उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए प्राप्त 85 शील्ड्स से मिलता है.इसके अलावा, बैंक के स्टाफ सदस्यों ने विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में कुल 183 व्यक्तिगत पुरस्कार जीतकर, अपने भाषाई कौशल का प्रदर्शन करके और बैंक की बौद्धिक पूंजी को बढ़ावा देकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है.

राजभाषा को प्राथमिकता देकर और भाषाई विविधता को बढ़ावा देकर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बौद्धिक पूंजी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है और प्रभावी संचार, समावेशिता और निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देता है.ये पहल बैंक के बौद्धिक संसाधनों को मजबूत करती हैं और इसकी दीर्घकालिक सफलता में योगदान करती हैं.

भाषायी पहुंच के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, यूनियन बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसकी सेवाएं कई भाषाओं में उपलब्ध हों. डिजिटल केसीसी एसटीपी हिंदी और कन्नड़ में शुरू किया गया है, और एसएमएस सुविधा 13 भाषाओं में प्रदान की जाती है, जिससे ग्राहकों के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित होता है.आपके बैंक का कॉल सेंटर 11 भारतीय भाषाओं का भी समर्थन करता है, जिससे ग्राहक अपनी पसंदीदा भाषा में बातचीत कर सकते हैं.इसके अतिरिक्त, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, 'व्योम', 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जो एक सहज और समावेशी डिजिटल बैंकिंग अनुभव को सक्षम बनाता है.

बौद्धिक पूंजी के प्रति यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता इसके प्रकाशनों तक फैली हुई है.त्रैमासिक द्विभाषी कॉर्पोरेट गृह पत्रिका, 'यूनियन धारा', और हिंदी पत्रिका 'यूनियन सृजन' को 'सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका' के लिए पीआरसीआई गोल्ड अवॉर्ड और आशीर्वाद पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.ये प्रकाशन अपने हितधारकों को मूल्यवान ज्ञान, अंतर्दृष्टि और अद्यतन प्रसारित करके आपके बैंक की बौद्धिक पूंजी में योगदान करते हैं.

## प्राकृतिक पूंजी का विकास:

# पर्यावरण प्रबंधन के प्रति यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता

» *यूएनएसडीजी :*

» *कार्यनीति ब्लूप्रिंट:*

» *कारोबार मॉडल अवयव :*

3

» *तात्विक विषय:*

*1, 3, 4, 6, 8, 9, 26, 27, 28, 30, 32, 33.*

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और कम-कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है. वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के साथ अपने वित्तपोषण पोर्टफोलियो को संरेखित करने की दृष्टि से, आपका बैंक सक्रिय रूप से समर्पित समितियों के माध्यम से सामाजिक और पर्यावरणीय मामलों की देखरेख करता है.अपनी कारोबारी कार्यनीति में पर्यावरणीय स्थिरता को एकीकृत करके, यूनियन बैंक हरित तकनीकियों के विकास का समर्थन करता है, स्थायी वित्त समाधान प्रदान करता है, और अपने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है.नवीकरणीय ऊर्जा ऋण में लक्ष्यों को पार करने सहित स्थायी वित्त में आपके बैंक की उपलब्धियां, स्वच्छ और हरित भविष्य के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती हैं.

## जलवायु कार्यनीति

जैसा कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव लगातार महसूस किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे कई ग्राहकों के कारोबार करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव सामने आ रहे हैं.ये परिवर्तन एक बड़े आर्थिक बदलाव को प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में तेजी आ रही है.कई लोगों के लिए, अब यह इस बारे में नहीं है कि यह परिवर्तन होगा या नहीं बल्कि यह कितनी जल्दी घटित होगा.

बोर्ड जलवायु परिवर्तन सहित सामाजिक और पर्यावरणीय मामलों की सीधे अनुश्रवण करता है.बोर्ड ने माना कि यूनियन बैंक जलवायु परिवर्तन से निपटने में वास्तविक योगदान दे सकता है और उसे कम-कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में तेजी लाने में मदद करनी चाहिए.

**एक स्थायी परिवर्तन का समर्थन करना**

हमारे ग्राहकों और समुदायों को जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों के लिए तैयार होने में मदद करके.

**जलवायु संबंधी जोखिमों का प्रबंधन करना**

हमारी कंपनी को सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भौतिक और संक्रमण जोखिमों से संबंधित जोखिम भी शामिल हैं.

**हमारे पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करना**

हमारे उद्यम में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और अन्य परिचालन सुधारों के माध्यम से

**प्राकृतिक पूंजी का विकास:**

## *पर्यावरण प्रबंधन के प्रति यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता*

हम वर्ष 2070 तक नेट जीरो होने की दृढ़ महत्वाकांक्षा रखते हैं, और अपने वित्तपोषण पोर्टफोलियो को पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है.हमारा लक्ष्य अपनी कारोबारी कार्यनीति को व्यक्तियों की जरूरतों और समाज के लक्ष्यों के अनुरूप और योगदान देने के लिए संरेखित करना है, जैसा कि सतत विकास लक्ष्यों, पेरिस जलवायु समझौते और प्रासंगिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ढांचे में व्यक्त किया गया है.

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, बैंक के बोर्ड ने कार्यकारी प्रबंधन स्तर पर एक समर्पित ईएसजी संचालन समिति के गठन के माध्यम से ईएसजी प्रतिबद्धताओं और प्रतिबंध के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड की हितधारक संबंध समिति को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया, जिसमें बोर्ड और वरिष्ठ कार्यकारी प्रबंधन टीम के सदस्य शामिल होंगे.ईएसजी संचालन समिति, बदले में, बैंक के परिचालन स्तर पर एक ईएसजी सेल का गठन करेगी, जिसमें विभिन्न ईएसजी पहलुओं के अनुसंधान, लक्ष्य निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए डोमेन विशेषज्ञता और विभागीय जिम्मेदारियों वाले बैंक के सदस्य होंगे.

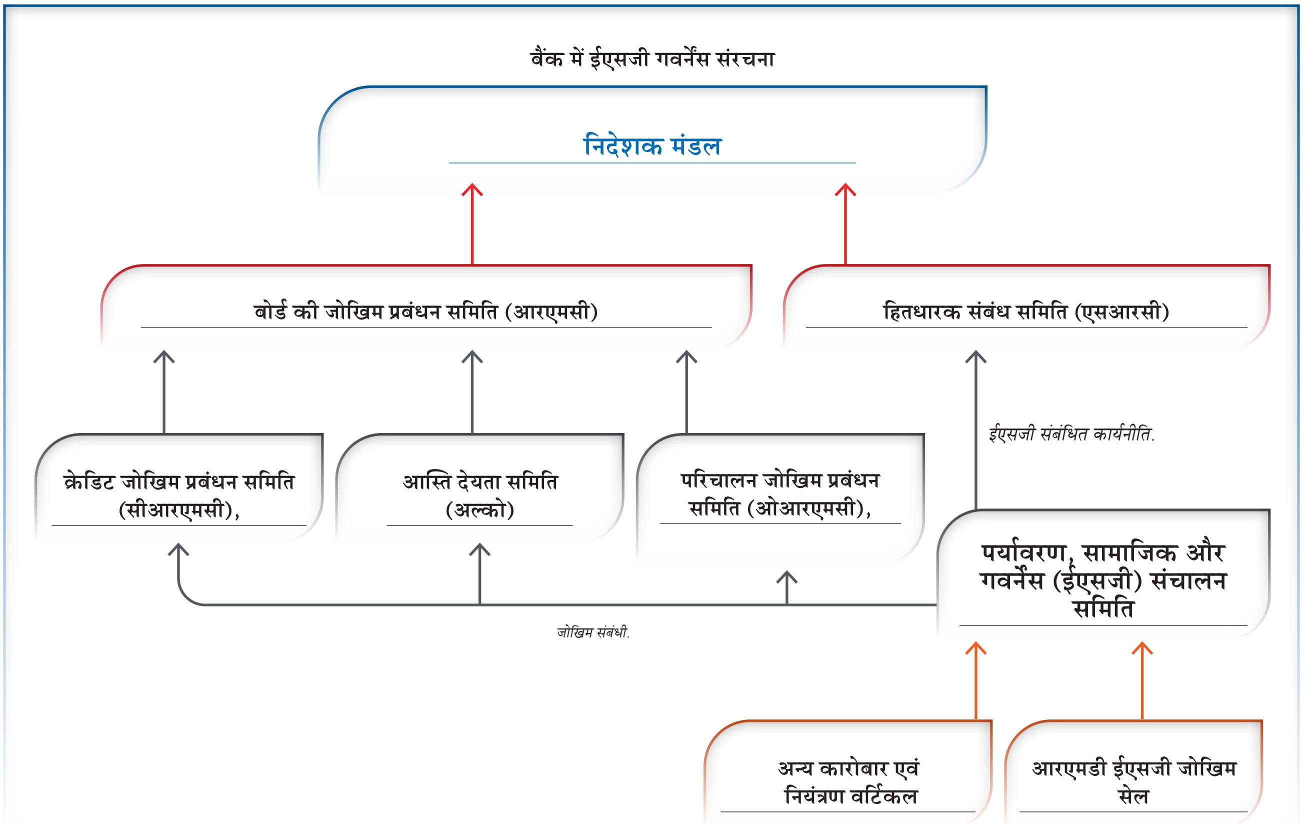


यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऐतिहासिक रूप से वित्तीय सेवा क्षेत्र में पर्यावरण नेतृत्व के लिए प्रतिबद्ध है. यह प्रतिबद्धता मजबूत समुदाय बनाने, अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करने और आपके बैंक के लोगों के लिए सर्वाधिक मूल्यवान और विश्वसनीय बनने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने की हमारी इच्छा में निहित है. हम अपनी समझ से प्रेरित हैं कि हमारे कारोबार के सभी पहलुओं में पर्यावरणीय स्थिरता को एकीकृत करने से दीर्घकालिक मूल्य बनता है और हम जिन समुदायों की सेवा करते हैं उन्हें मजबूत करता है. हम अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए वित्तीय सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता को पहचानते हैं. बैंकिंग नई तकनीकी के विकास का समर्थन करने, नए बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और ग्राहकों को उनके परिचालन के बदलाव में मदद करने की कुंजी है.

*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हमारी महत्वाकांक्षा स्पष्ट है - वर्ष 2070 तक नेट जीरो. सतत प्रथाओं के माध्यम से, हम एक ऐसे भविष्य को बढ़ावा दे रहे हैं जिस पर लोग भरोसा करते हैं और महत्व देते हैं, जिससे पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक विश्व की ओर परिवर्तन हो सके.*

## एक संवहनीय भविष्य की ओर परिवर्तन

*हमारी कारोबारी कार्यनीति भविष्य में एक समावेशी, टिकाऊ मार्ग को अपनाती है.हमारा मानना हैकि पूंजी सकारात्मक बदलाव की ताकत हो सकती है.हमारे बैंक का उद्देश्य संवहनीयता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रेरित करता है: हमारे ग्राहकों के जीवन और हमारे समुदाय की भलाई में सुधार करना.हम अपने सभी कारोबारों, उत्पादों और सेवाओं में अपने ग्राहकों के लिए यूनियन बैंक के क्लाइमेट और सतत वित्तीय वृद्धि के अवसरों की पहचान करने, उनमें तेजी लाने और बढ़ावा देने का इरादा रखते हैं.*

## परिवर्तन का वित्तपोषण

अल्प-कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आज नवाचार और वृद्धि के लिए निर्णायक अवसर है.परिवर्तन का समर्थन करने के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तपोषण की मांग को पूरा करने में सहायता प्रदान करके यूनियन बैंक के लिए अग्रणी भूमिका निभाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है.हम अल्प-कार्बन क्षमता एवं सामर्थ्य बनाने के लिए नई हरित तकनीकी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश को निर्देशित कर रहे हैं.

यूनियन बैंक अपने ग्राहकों और समुदायों को निम्न-कार्बन, संवहनीय भविष्य की ओर बढ़ने और सकारात्मक सामाजिक परिणाम प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है.हम अपने ग्राहकों को उनकी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करना चाहते हैं.हम अपने समुदायों को अधिक धारणीय और समावेशी समाधानों की ओर प्रेरित करने और समर्थन करने की आशा करते हैं.हम मानते हैं कि वित्तीय क्षेत्र बदलते परिवेश के अनुकूल बदलाव लाने और अधिक लचीला समुदाय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

निम्नलिखित तालिका नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लक्षित सतत वित्त में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की उपलब्धियों को दर्शाती है:

| सतत वित्त लक्ष्य | वित्तीय वर्ष 2022 में उपलब्धि | वित्तीय वर्ष 2023 में उपलब्धि |
|---|---|---|
| नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र | रु. 7,164 करोड़ | रु. 10,370 करोड़ |

ये उपलब्धियाँ सतत वित्त के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को समर्थन देने की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं.दोनों वित्तीय वर्षों में लक्ष्यों को पार करके, आपका बैंक देश को स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जाने में सक्रिय रूप से योगदान देता है.

## जलवायू जोखिम

*यूनियन बैंक उन अर्थव्यवस्थाओं को बदलने के लिए आवश्यक हरित और सतत वित्त प्रदान कर रहा है जिनकी हम सेवा कर रहे हैं.हमारी कार्यनीति इस बात पर आधारित है कि हम जलवायु संबंधी जोखिम के प्रति अपने जोखिम का आकलन और प्रबंधन कैसे करते हैं.वर्ष 2022 से, यूनियन बैंक के उद्यम जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के तहत जलवायु जोखिम को एक प्रमुख जोखिम के रूप में माना जा रहा है, आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारतीय वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख संस्थानों में से एक है और एक संवहनीय एवं जलवायु-जोखिम-लचीला संगठन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.कारोबारी कार्यनीति, कारोबार प्रक्रियाओं, आंतरिक सुशासन (कारोबारी कार्यक्षेत्र, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन, और स्वतंत्र लेखापरीक्षा), नीतियों, ऋण रेटिंग/मूल्यांकन, प्रकटीकरण ढांचे डेटा प्रबंधन और बैंक की जोखिम संस्कृति में ईएसजी कारकों का सुचारु एकीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है.*

प्राकृतिक पूंजी का विकास:

## पर्यावरण प्रबंधन के प्रति यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता

1. **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण**

| पैरामीटर | इकाई | वित्त वर्ष 22-23 (चालू वित्त वर्ष) | वित्त वर्ष 21-22 (विगत वित्त वर्ष) |
|---|---|---|---|
| कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (GHG का $CO_2$, $CH_4$, $N_2O$, HFCs, PFCs, $SF_6$, $NF_3$ में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो) | मीट्रिक टन $CO_2$ समतुल्य | 274042 | 283485 |
| कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (GHG का $CO_2$, $CH_4$, $N_2O$, HFCs, PFCs, $SF_6$, $NF_3$ में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो) | मीट्रिक टन $CO_2$ समतुल्य | 241884 | 193187 |

| पैरामीटर | इकाई | वित्त वर्ष 22-23 (चालू वित्त वर्ष) | वित्त वर्ष 21-22 (विगत वित्त वर्ष) |
|---|---|---|---|
| कुल स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जन प्रति करोड़ टर्नओवर | मीट्रिक टन / करोड़ | 6.39 | 7.02 |
| कुल स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चयन किया जा सकता है. | मीट्रिक टन / एफ़टीई | 4.16 | 6.27 |

» स्कोप 1 उत्सर्जन की गणना प्रति वर्ग फुट क्षेत्र के आधार पर कुल एयर कंडीशनर टन भार और 5% की रिसाव दर और बैंक के स्वामित्व वाली कार और डीजी सेट में डीजल खपत के आधार पर की जाती है.

» स्कोप 2 उत्सर्जन की गणना उपयोगिता से खपत की गई बिजली के आधार पर की जाती है.

2. **कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणज में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण**

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 22-23 (चालू वित्त वर्ष) | वित्त वर्ष 21-22 (विगत वित्त वर्ष) |
|---|---|---|
| जीजे में कुल बिजली खपत (ए) | 769900 | 755951 |
| जीजे में कुल ईंधन खपत (बी) | 110348 | 102140 |
| जीजे में अन्य स्रोत के माध्यम से ऊर्जा खपत (सी) | 12339 | 14515 |
| जीजे में कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी) | 892587 | 872606 |
| टर्नओवर का प्रति करोड़ ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत / टर्नओवर करोड़ में) | 11.05 | 12.84 |
| ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चयन किया जा सकता है (प्रति पूर्णकालिक कर्मचारी एफ़टीई) | 11.81 | 11.48 |

» खरीदी गई बिजली की खपत: खर्च की गई राशि के आंकड़ों का उपयोग करके खपत के आंकड़े निकालने में विभिन्न राज्यों की औसत दरों पर विचार किया जाता है.

» लीटर में डीजल की खपत की गणना औसत दर और खर्च की गई राशि के आंकड़ों को ध्यान में रखकर की जाती है.

बैंक अपने परिचालन में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक 2030 तक कार्बन-न्यूट्रल स्थिति हासिल करने का प्रयास करेगा और अपने उत्पादों और सेवाओं को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. इसके अलावा, बैंक अपने ऋण, निवेश और परिचालन के सभी पहलुओं में जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए प्रतिबद्ध है.

बैंक की जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति का प्राथमिक उद्देश्य कारोबार में स्थिरता लाने और कम कार्बन एवं जलवायु-परिवर्तन परिचालन और निवेश की दिशा में एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना है. इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु, बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है.

i. दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम-व्यापी कार्रवाई करना - जलवायु जोखिम के प्रति वित्तीय प्रणाली का लचीलापन और दिन-प्रतिदिन के परिचालन, लेंडिंग पोर्टफोलियो और समग्र निर्णय लेना के भीतर जलवायु-संबंधित जोखिम (और अवसर) विचारों को एकीकृत करके जलवायु जोखिम-संवेदनशील तरीके में वित्तीय प्रणाली का समर्थन.

ii. जलवायु-संबंधित जोखिम चालकों का आकलन करना, जिससे कार्यनीतिक, प्रतिष्ठित और नियामक अनुपालन जोखिम बढ़ सकता है, साथ ही जलवायु-संवेदनशील निवेश और कारोबार से जुड़ी देयता लागत भी बढ़ सकती है.

iii. सभी जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों की पहचान, निगरानी एवं प्रबंधन करें जो पूंजी संसाधनों एवं तरलता की स्थिति सहित वित्तीय स्थिति को ख़राब कर सकते हैं और समग्र कारोबारी कार्यनीतियों एवं जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों को शामिल कर सकते हैं.

iv. जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों की पहचान करना एवं मात्रा निर्धारित करना और उन्हें आंतरिक पूंजी और तरलता पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रियाओं में शामिल करना.

v. जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए पूरे संगठन में उचित नीतियां, प्रक्रियाएं और नियंत्रण लागू किए जाने चाहिए.

vi. पूरे संगठनात्मक ढांचे में जलवायु-संबंधी जोखिम प्रबंधन के लिए जिम्मेदारियों की पहचान करें और सदस्यों एवं समितियों को स्पष्ट रूप से जलवायु-संबंधी जिम्मेदारियां प्रदान करें और जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों की प्रभावी निगरानी करें.

vii. भारत की कार्यान्वित राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय नियामक आवश्यकताओं और: भारत द्वारा अनुसमर्थित प्रासंगिक पर्यावरणीय, सामाजिक, श्रम और जैव विविधता सम्मेलन को शामिल करना.

viii. जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण (टीसीएफडी), जलवायु जोखिम पर कार्यबल जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जलवायु जोखिम मूल्यांकन दृष्टिकोण को कार्यान्वित करना.

इस नीति के तहत जलवायु जोखिम प्रबंधन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण के लिए जलवायु जोखिम के बहु-बिंदु प्रभावों की समझ की आवश्यकता है, साथ ही जलवायु जोखिम के प्रति वित्तीय प्रणाली की लचीलापन सुनिश्चित करना और दिन-प्रतिदिन के परिचालन, ऋण एवं निवेश पोर्टफोलियो और समग्र निर्णय लेने के भीतर जलवायु-संबंधी जोखिम (और अवसर) विचारों को एकीकृत करके संवेदनशील तरीके से जलवायु जोखिम में वित्तीय प्रणाली का समर्थन करना आवश्यक है.

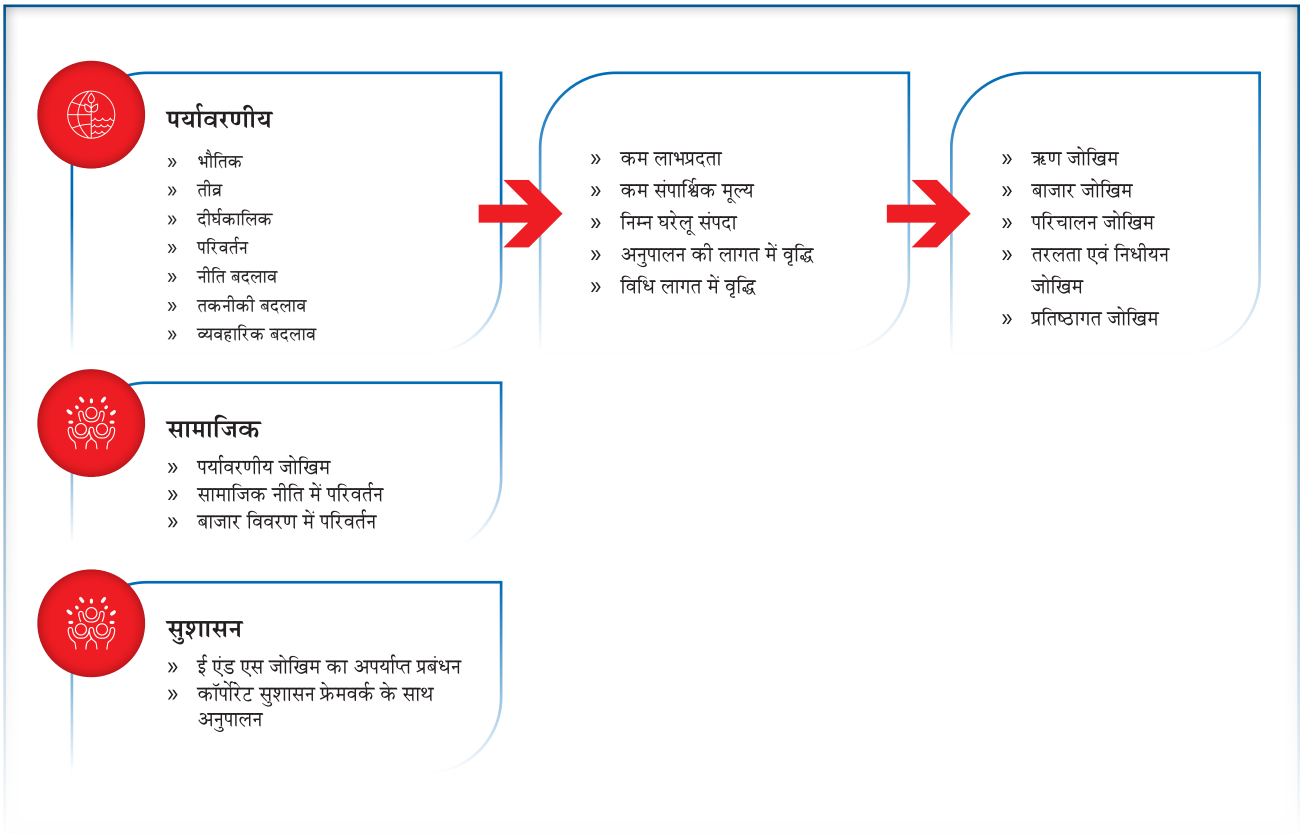

प्राकृतिक पूंजी का विकास:

*पर्यावरण प्रबंधन के प्रति यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता*

## जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन

### जोखिम सुशासन

बैंक जलवायु जोखिम को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रभावी और मजबूत नियंत्रण के साथ सुशासन की सुदृढ़ प्रणाली अपना रहा है.सुशासन की प्रणाली बैंक के कारोबारों के परिचालन की प्रकृति, पैमाने और जटिलता के अनुरूप है.निदेशक मंडल, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) और वरिष्ठ प्रबंधन जलवायु जोखिम-संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाले सबसे वरिष्ठ प्राधिकारी होंगे.

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन स्पष्ट रूप से सदस्यों एवं समितियों को जलवायु-संबंधी जिम्मेदारियाँ सौंपेंगे और जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों की प्रभावी ढंग से निगरानी करेंगे.बैंक की सुस्थापित, मौजूदा जोखिम सुशासन संरचना का उपयोग जलवायु संबंधी जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए किया जाएगा, जिसमें मौजूदा सुशासन संरचना के प्रत्येक स्तर के माध्यम से जलवायु जोखिमों एवं अवसरों का मूल्यांकन और अनुश्रवण किया जाएगा.

### जलवायु-संबंधी अवसर

चूंकि जलवायु परिवर्तन बैंक के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है लेकिन साथ ही, यह कई कारोबारी अवसर भी प्रदान करता है.कम-कार्बन परिवर्तन बैंक के लिए दक्षता, नवाचार और वृद्धि के अवसर उत्पन्न करता है.उभरते बाजारों में दीर्घकालिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूंजी की मांग बढ़ रही है जहां आर्थिक विकास और कम कार्बन तीव्रता वाली नीतियां जलवायु लचीलेपन को मजबूत करने की तात्कालिक आवश्यकता के साथ जुड़ी हुई हैं. जलवायु परिवर्तन के समायोजन और जलवायु क्षेत्रों में बदलाव से नए एवं विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की मांग पैदा होती है.इसके लिए बुनियादी ढांचे, जल-गहन उद्योगों और कृषि की लचीलापन बढ़ाने के उपायों में निवेश की आवश्यकता होगी.कृषि और खाद्य सुरक्षा में जलवायु, लचीली तकनीक और प्रथाओं में सूखा-सहिष्णु बीज, बेहतर सिंचाई प्रणाली और अधिक टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाएं शामिल हैं.उच्च वर्षा परिवर्तनशीलता को संबोधित करने के लिए जल प्रबंधन में घरों द्वारा वर्षा जल संचयन से लेकर संपूर्ण जलसंभरों के पारिस्थितिकी तंत्र आधारित अनुकूलन तक शामिल है.आपदा जोखिम में कमी के लिए जोखिम एवं भेद्यता आकलन, जलवायु सूचना और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसे उपकरणों को तैनात करना शामिल है.कम-कार्बन निवेश की मांग में वृद्धि हुई है जिसका बैंक समर्थन कर सकता है. ऐसे कई अवसर हैं जिनका बैंक पता लगा सकती है, जिनमें शामिल है:

» ऊर्जा दक्षता, जो लाभप्रदता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और साथ ही, उसी समय ग्रिड पर अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता डालने के दबाव को कम या स्थगित कर देती है.

» नवीकरणीय ऊर्जा - नवीकरणीय ऊर्जा, और विशेष रूप से सौर फोटोवोल्टिक उत्पादन, दुनिया भर में पारंपरिक बिजली प्रणालियों को बाधित करने के लिए तैयार है.पारिवारिक या कारोबारों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश का समर्थन करने या ऊर्जा सेवा प्रदाताओं को ऋण प्रदान करने के लिए बैंक के पास नवीन वित्तपोषण योजनाएं विकसित करने के कई अवसर हैं.रूफटॉप सौर सिस्टम लाखों परिवार और कंपनियों को बिजली उत्पादन की क्षमता प्रदान करते हैं.सोलर होम सिस्टम ऋण के साथ गृह बंधक ऋणों के संयोजन में वित्तपोषण का अवसर मौजूद है, जिसमें सौर वित्तपोषण को आसान बनाने की क्षमता है, साथ ही वित्तीय संस्थानों को बंधक प्रतिभूतिकरण से लाभ उठाने की अनुमति भी है.

### एमएसएमई के लिए डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से क्लीनर तकनीकों को प्रोत्साहित करना

एक उल्लेखनीय पहल डिजिटल बैंकिंग समाधानों की शुरूआत है जो एमएसएमई ग्राहकों को डिजिटल रूप से ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है. स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) किशोर और तरुण मुद्रा ऋण के माध्यम से, आसानी से 10.00 लाख रुपये तक का वित्तपोषण करके कारोबार प्राप्त कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, यूनियन नारी शक्ति और जीएसटी गेन ऋण भी डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं, जो महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और क्लीनर तकनीकों को अपनाने की सुविधा प्रदान करते हैं. वित्तीय वर्ष 2023 में, बैंक द्वारा एमएसएमई को इन तरीकों से लगभग रु.1,25,022 करोड़ संवितरित किया गया है.

*डिजिटल बैंकिंग समाधान एमएसएमई और महिला उद्यमियों के लिए सुविधाजनक वित्तपोषण विकल्प प्रदान कर वित्तीय परिदृश्य में क्रांति ला रहे हैं. ये पहल न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं बल्कि क्लीनर तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं.*

### यूनियन सोलर

संवहनीयता को और बढ़ावा देने के लिए, यूनियन बैंक ने यूनियन सोलर लॉन्च किया है, जो एक विशेष उत्पाद है जिसका उद्देश्य कैप्टिव उपयोग के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को वित्तपोषित करना है. उधारकर्ताओं को गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करके, आपका बैंक कार्बन उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में योगदान देता है. यूनियन सोलर उत्पाद आकर्षक सुविधाएँ प्रदान करता है, जैसे संपार्श्विक आवश्यकताओं की छूट और रियायती ब्याज दरें, जो इसे उधारकर्ताओं के लिए आकर्षक एवं लागत प्रभावी विकल्प बनाती है. वित्तीय वर्ष 2023 में, बैंक ने यूनियन सौर कार्यक्रम के तहत लगभग रु.105 करोड़ को मंजूरी प्रदान की है.

ये पहल पर्यावरणीय जिम्मेदारी और संवहनीय कार्यकलापों के प्रति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं, संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती हैं और हरित एवं अधिक संवहनीय भविष्य की ओर परिवर्तन का समर्थन करती हैं.

## जोखिम प्रबंधन के उपाय और कार्यनीतियाँ

**जोखिम सहनीयता:** जलवायु जोखिम प्रबंधन की दिशा एवं प्रभावशीलता बैंक के कॉर्पोरेट लक्ष्यों, जोखिम सहनीयता और जोखिम संस्कृति से निकटता से जुड़ी हुई है.जलवायु जोखिम प्रबंधन ढांचे में पांच अलग-अलग बिल्डिंग ब्लॉक शामिल हैं, अर्थात ए) जोखिम माप, बी) आंतरिक नियंत्रण, सी) जोखिम रिपोर्टिंग और निगरानी, डी) मैट्रिक्स और लक्ष्य, और ई) प्रकटीकरण.

जोखिम माप: टीसीएफडी ने जलवायु से संबंधित जोखिमों और अवसरों का एक मूल्यवान शब्दकोष प्रदान किया है, जो परिवर्तन (नीति, बाजार, तकनीक एवं प्रतिष्ठा) और भौतिक (पुरानी एवं गंभीर) जोखिमों को रेखांकित करता है जो किसी संगठन की दीर्घकालिक स्थिरता और वित्तीय कार्यनिष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं. इन जोखिमों तथा अवसरों को और अधिक विघटित किया जा सकता है और मूल्यांकन किए जा रहे कारोबार के संदर्भ में रखा जा सकता है.बैंक लघु, मध्यम और दीर्घावधि में ऋण देने और अन्य वित्तीय मध्यस्थ कारोबारी गतिविधियों पर (संक्रमण एवं भौतिक) जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए विभिन्न मैट्रिक्स का उपयोग करेगा.मैट्रिक्स ऋण एक्सपोजर, इक्विटी एवं ऋण होल्डिंग, या व्यापारिक स्थिति, उद्योग द्वारा ब्रोकेन-डाउन, भूगोल, ऋण गुणवत्ता (जैसे- निवेश ग्रेड या गैर-निवेश ग्रेड, आंतरिक रेटिंग प्रणाली), औसत अवधि, अन्य से संबंधित हो सकते हैं.

| वित्तीय प्रकार | प्रभावित श्रेणी | प्रभाव |
|---|---|---|
| **तुलन पत्र** | » आस्तियां<br>» देयताएं<br>» पूंजी एवं वित्तपोषण | **आस्तियों पर प्रभाव**<br>» अपने कारोबार परिचालन में उचित जलवायु जोखिम प्रबंधन का पालन करने वाली कंपनियों को ऋण प्रदान कर से आय में वृद्धि.<br>» उन परियोजनाओं के वित्तपोषण के कारण आय में वृद्धि जिनमें सतत वित्त की संभावना है जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, हरित भवन, स्थिर कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन आदि.<br>» गंभीर भौतिक जोखिमों के कारण होने वाले विभिन्न व्यवधानों के कारण आय का नुकसान.<br>**देयताओं पर प्रभाव**<br>» जलवायु परिवर्तन संबंधी मुकदमों के कारण कानूनी रिकोर्स से संबंधित देयताओं में वृद्धि हो सकती है.<br>» जलवायु-संबंधित खतरों के कारण जमाकर्ताओं द्वारा अचानक बड़े पैमाने पर जमा निकासी के कारण चलनिधी प्रभावित हो सकती है.<br>**पूंजी एवं वित्तपोषण पर प्रभाव**<br>» जलवायु संबंधी जोखिम के कारण होने वाली हानि या बैंक के व्यय में वृद्धि के कारण बैंक का पूंजी रिजर्व प्रभावित हो सकता है. |
| **आय विवरण** | » राजस्व<br>» व्यय | राजस्व पर प्रभाव<br>व्यय पर प्रभाव |

प्राकृतिक पूंजी का विकास

# यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में परिचालन संवहनीयता

» *यूएनएसडीजी*

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE, 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES, 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION, 13 CLIMATE ACTION, 15 LIFE ON LAND, 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

» *कार्यनीति ब्लूप्रिंट*

» *कारोबार मॉडल अवयव*

3

» *तात्विक विषय*

*1, 3, 4, 6, 8, 9, 26, 27, 28, 30, 32, 33.*

अपने स्वयं के पर्यावरणीय प्रभाव को संबोधित करने में, हम अपने संगठन को डीकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा बाजार की अस्थिरता और संभावित कार्बन मूल्य निर्धारण परिदृश्यों के जोखिम एवं जोखिम को कम करके भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करते हैं.परिचालन स्थिरता, हमारे अपने पर्यावरण और कार्बन फुटप्रिंट में कमी, कुछ वर्षों में हमारे पर्यावरणीय स्थिरता कार्यक्रम की कुंजी रही है.

## परिचालन स्थिरता लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2024 में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमारे पर्यावरणीय स्थिरता प्रयासों को प्राथमिकता देने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण स्थिरता लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में है. इसमें हमारे ऊर्जा उपयोग और स्थान आधारित जीएचजी उत्सर्जन को कम करने, पानी की खपत और लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लक्षित लक्ष्य शामिल हैं. हम आने वाले वर्षों में अपने अपशिष्ट को कम करने और पानी के महत्वपूर्ण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. इसके अलावा, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री को कम करने और जितना संभव हो सके रीसाइक्लिंग करने हेतु, हम इस क्षेत्र में अपना काम जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

अब तक, बैंक ने जल संरक्षण की दिशा में कुछ कदम ले चुका है. हमारे प्रयास, जैसे हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय में जलरहित मूत्रालय उपलब्ध कराने एवं अन्य के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022 में नरीमन प्वाइंट स्थित हमारे केंद्रीय कार्यालय भवन में पानी की खपत में 3% की कमी आई है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तरदायी खरीद कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक स्थायी सोर्सिंग प्रथाएं स्थापित की है. बैंक को पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी माध्यमों से इनपुट और सामग्री प्राप्त करने की पहचान है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की दीर्घकालिक स्रोत नीति में आपूर्तिकर्ता चयन, मूल्यांकन और चल रही निगरानी सहित कई पहलू शामिल हैं. आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करते समय बैंक पर्यावरण, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखता है. इसमें सतत क्षमता के प्रति आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिबद्धता का आकलन करना शामिल है, जैसे कि पर्यावरणीय नियमों, श्रम मानकों और नैतिक कारोबार प्रथाओं का पालन. इस नीति के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सतत विकास को बढ़ावा देने, पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं का समर्थन करने और समुदायों की भलाई में योगदान करने का वादा करता है. दीर्घकालिक स्रोतों को प्राथमिकता देकर, बैंक उत्तरदायी कारोबार प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और अधिक स्थायी भविष्य को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे रहा है.

## पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता

यूनियन बैंक ऑफ इंडला प्रिमियर ग्रीन रेटिंग ऑर्गनाइज़ेशन, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) द्वारा समर्थित इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) का संस्थापक सदस्य बन गया है.

## हमारे परिचालन उत्सर्जन को नेट जीरो तक करना

यूनियन बैंक अपने परिचालन फूटप्रिंट और अर्थव्यवस्था में कम कार्बन उत्सर्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है. वित्तीय वर्ष 2022 में, हमने एक सुनिश्चित सीमा रेखा के सापेक्ष में अपने स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को परिभाषित करना शुरू किया है.

प्राकृतिक पूंजी का विकास

## *यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में परिचालन संवहनीयता*

हमारा उद्देश्य अपने परिचालन और कारोबारी यात्रा से होने वाले अवशिष्ट उत्सर्जन की भरपाई को जारी रखना है. यह कमी भारत में हमारे परिचालन और हमारे विदेशी कार्यालयों में हमारे नवीकरणीय विद्युत खरीद कार्यक्रम के विस्तार द्वारा प्राप्त की जाएगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ई-कचरा को खतरनाक कचरे के रूप में वर्गीकृत कर आईटी संपत्तियों के निपटान के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं लागू की हैं. कंप्यूटर, एचडीडी, ड्राइव, टेप, प्रिंटर, स्कैनर और अन्य डेटा-प्रभावी उपकरणों सहित बैंक के डेटा वाले ई-कचरे का प्रबंधन करने के लिए, बैंक ई-कचरा प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर रहा है. बैटरी जैसे खतरनाक आईटी कचरे के निपटान के संबंध में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ पुन: ख़रीद प्रक्रिया को अपनाया है. यह संभावित पर्यावरणीय जोखिमों को कम करते हुए, खतरनाक कचरे का सुरक्षित और अनुपालनात्मक ढंग निपटान सुनिश्चित करता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपशिष्ट उत्पाद से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उत्तरदायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के लिए प्रमाणित रिसाक्लर्स और अधिकृत चैनलों के माध्यम से ई-कचरे और खतरनाक कचरे के पुनर्ग्रहण और निपटान के लिए प्रतिबद्ध है. इन प्रक्रियाओं का पालन करके, बैंक सक्रिय रूप से पर्यावरण में योगदान देता है और एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर रहा है. हमारा लक्ष्य वित्त वर्ष 2024 से इन प्रयासों में अपनी प्रगति को प्रकट करना है.

### नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना

व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था के डीकार्बोनाइजेशन में सहयोग करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा की हमें पहचान है, साथ ही हमारे संचालन की ऊर्जा तीव्रता को कम करने की भी तत्काल आवश्यकता है. हम वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा तीव्रता को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अपना सम्मानजनक व्यापक शाखा नेटवर्क है, जो देश भर में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, आपके बैंक की हांगकांग, सिडनी और दुबई डीआईएफसी में स्थित 3 विदेशी शाखाओं सहित 8,580 शाखाओं का व्यापक नेटवर्क है. विशेष रूप से, इनमें से 58 प्रतिशत शाखाएँ भौगोलिक रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों तक वित्तीय समावेशन की पहुंच सुनिश्चित कर रही हैं.

बैंक का लक्ष्य अपनी > 8,577 से अधिक शाखाओं की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना है. यह बैंक को उसके पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम करेगा और वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से कम से कम 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के भारत सरकार के उद्देश्य में योगदान देगा.

अभी तक, बैंक ने मुंबई में कॉर्पोरेट कार्यालय की छत पर और विजयवाड़ा में अपनी एक सुविधा पर ऑन-ग्रिड रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किया हैं, जिसकी कुल क्षमता 72 किलोवाट है, और लगभग 300 यूनिट दैनिक बिजली पैदा करने की क्षमता है. आपका बैंक हमारे परिचालन में अधिक पर्यावरणीय दक्षता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा संरक्षण पहल में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

» 2 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर प्लांट की स्थापना की गई है. इस इंस्टालेशन से सालाना 3427597 यूनिट्स का उत्पादन हो रहा है तथा वित्तीय वर्ष 22-23 में इससे 3153 मीट्रिक टन $CO_2e$ कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है.

» बैंक ने विजयवाड़ा और केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के अपने भवन में क्रमश: 60 किलोवाट पावर और 12 किलोवाट पावर क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है. इसके अतरिक्त, केंद्रीय कार्यालय-एनेक्स मैंगलोर में 430 किलोवाट पावर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रक्रिया में है.

» 60 किलोवाट पावर और 12 किलोवाट पावर से क्रमश: 70.52 मीट्रिक टन और 14.1 मीट्रिक टन $C0_2$ e कार्बन उत्सर्जन और यथा लागू मीट्रिक टन कम करने में मदद मिली है.

» इसके अतरिक्त, 430 किलोवाट पावर की स्थापना से 690 मीट्रिक टन $C0_2e$ कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी.

» शुद्ध वायु और पर्यावरण में योगदान की दृष्टि से कार्यालय परिसर में इनडोर सजावटी पौधे लगाए जा रहे हैं.

यह कदम भविष्य में ऊर्जा के स्वच्छ और वैकल्पिक स्रोतों को अपनाने की हमारी महत्वाकांक्षा की दिशा में एक साधारण पहल है.

*अंचज कार्यालय, विजयवाड़ा*

*केंद्रीय कार्यालय, मुंबई*

## गैर-प्रदूषणकारी वाहनों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, बैंक ने अपने कर्मचारियों को गैर-प्रदूषणकारी वाहनों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया. इनमें सीएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड ईंधन वाले वाहन शामिल हैं जो कोई प्रदूषण नहीं फैलाते हैं. अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, बैंक ने अपने कर्मचारियों को उनके वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति करने की पेशकश की है, जिससे ऐसे वाहनों की परिचालन लागत और भी कम हो गई है.

## अपशिष्ट को कम करना और आपूर्ति शृंखला

लंबी अवधि के लिए, हमने अपने खरीद स्तर को स्थायी रूप से प्राप्त पेपर के कवरेज को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है. वित्तीय वर्ष 2022 की शुरुआत में, हमने एकल-उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करने के विकल्पों की खोज की है. आगे, हमारा ध्यान हमारे अपशिष्ट प्रबंधन और मैटेरियल के उपयोग को सर्कुलर अर्थव्यवस्था सिद्धांतों में परिवर्तित करने, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे की मात्रा को कम करने और हमारी इमारतों में मैटेरियल के पुन: उपयोग को अधिकतम करने के महत्व को पहचानने पर है.

### अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण

| मापदंड | वित्त वर्ष 22-23 (वर्तमान वर्ष) | वित्त वर्ष 21-22 (गत-वर्ष) |
|---|---|---|
| **कुल अपशिष्ट उत्पादन (मीट्रिक टन में)** | | |
| प्लास्टिक वेस्ट (ए) | 10961 | 8816 |
| ई-वेस्ट (बी) | 306 | 238 |
| बैट्री वेस्ट (सी) | 11 | 21 |
| **कुल (ए+बी+सी)** | 11278 | 9075 |
| **प्रत्येक श्रेणी में उत्पन्न कचरे के लिए, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग या अन्य पुन: प्राप्ति (मीट्रिक टन में)** | | |
| **वेस्ट की श्रेणी** | | |
| (i) पुनर्चक्रण | 11 | 21 |

» बैट्री अपशिष्ट वजन की गणना 85 रुपये प्रति किलोग्राम बिक्री के आधार पर की जाती है.

» ई- अपशिष्ट के वजन की गणना 50 रुपये प्रति किलोग्राम के बिक्री मूल्य के आधार पर की जाती है.

» पुनर्चक्रण अपशिष्ट की गणना बैट्री अपशिष्ट के आधार पर की जाती है क्योंकि इसका पुनर्चक्रण किया जाता है.

» प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन) की गणना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए की जाती है.

अपनी नई कार्यनीतिक दिशा का समर्थन करने के लिए, हम 2035 तक अपनी सभी शाखाओं में लैंडफिल और भस्मीकरण से सभी कचरे को हटाने के लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, जिसमें हमारी सुविधाओं में 100% कचरे का पुन: उपयोग, पुनरूद्देशित या पुनर्चक्रण किया जाएगा. यह हमारी शून्य अपशिष्ट कार्यनीति के कार्यान्वयन के माध्यम से हासिल किया जाएगा, जो वित्त वर्ष 2024 में शुरू होगी. इस पहल के हिस्से के रूप में, हम अपने सप्लाई चेन भागीदारों के साथ जुड़ने के लिए अपनी खरीद टीमों के साथ भी काम कर रहे हैं ताकि वे हमारे कार्यालयों में भेजी जाने वाली पैकेजिंग की मात्रा को कम करने की उनकी क्षमताओं को समझ सकें और आपूर्तिकर्ताओं से हमारे शून्य अपशिष्ट सप्लाई चेन चार्टर के लिए हस्ताक्षरित करने का अनुरोध कर सकें. चार्टर आपूर्तिकर्ताओं को पारगमन पैकिंग को खत्म करने, पुन: प्रयोज्य कंटेनरों में माल की आपूर्ति करने और अगली डिलीवरी में पैकेजिंग कचरे को वापस ले जाने के विकल्पों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है.

## पेपर का प्रयोग कम करना

आपके बैंक में, हमने अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में लेनदेन (बल्क संग्रहण/भुगतान/एमआईएस/चैनल वित्त) को पेपर-आधारित सुविधाओं से डिजिटल सुविधाओं में स्थानांतरित किया है, जिससे पेपर का उपयोग प्रभावशाली रूप से कम हो गया है. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान बैंक द्वारा किए गए डिजिटल लेनदेन की मात्रा इस प्रकार है:

| वर्ष | लेनदेन की संख्या | राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2023 | 15,95,01,642 | 8,93,524.67 |

## परिचालन दक्षता के लिए अपने डिजिटल नेटवर्क को बढ़ाया जाना

बैंक ने बैंक के डिजिटल पहलों को पुन: शुरू करके बैंक की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित डिजिटाइजेशन वर्टिकल बनाया है. वर्टिकल में डिजिटल जर्नी, डिजिटल बैंकिंग विभाग और डिजिटल इंटरैक्शन और पार्टनरशिप शामिल हैं.

## डिजिटल चैनलों के माध्यम से प्रगति

| डिजिटल चैनलों के माध्यम से वृद्धि (रु. करोड़ में) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **चैनल** | **31.03.2022** | **31.03.2023** | **वार्षिक वृद्धि** | |
| | | | **प्रत्याशित** | **(%)** |
| मोबाइल बैंकिंग प्रयोगकर्ता | 1.65 | 2.13 | 0.48 | 29 |
| इन्टरनेट बैंकिंग प्रयोगकर्ता | 0.68 | 0.74 | 0.06 | 9 |

**फिनटेक आमेलन:**

ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं और बदलते ग्राहक व्यवहार ने बैंकों को फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी करने पर विचार करने के लिए मजबूर किया है, जिससे कि बैंकों के ग्राहकों को सर्वोत्तम, विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान की जा सके ताकि वे फिनटेक सेगमेंट में सुविधाओं से लाभान्वित हो सकें. बैंक की फिनटेक नीति अद्वितीय वित्तीय सेवाएँ विकसित करने वाली कंपनियों का एक पूल बनाने के लिए फिनटेक को सूचीबद्ध करने का प्रावधान करती है. फिनटेक का आसानी से उपलब्ध पूल बैंक को कम से कम समय में आवश्यक समाधान अपनाने में मदद करता है. बाजार अध्ययन और बैंक की अपेक्षित आवश्यकताओं के आधार पर, 24 फिनटेक को निम्नलिखित खंडों के तहत सूचीबद्ध किया गया है. ऐसे पैनल की वैधता तीन वर्ष की है.

- डिजिटल यात्राओं का विकास एवं एकीकरण
- बीमा सहित संपदा प्रबंधन
- कृषि ऋण
- यूआई/यूएक्स विकास एवं अनुकूलन
- आर्टिफिशियल/मशीन/डीप लर्निंग का उपयोग कर एनालिटिक्स
- इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट (चैटबॉट)
- डिजिटल विपणन
- नगद प्रबंधन, व्यापार और आपूर्ति शृंखला वित्तपोषण

## सूचना प्रौद्योगिकी को और भी आगे ले जाना

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

अपने ग्राहकों को “डिजिटल अनुभव” प्रदान करना उनकी सुविधा और हमारी अपनी परिचालन क्षमता और उपभोग दोनों के लिए आवश्यक है. यूनियन बैंक में, हम क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ऋण जैसी प्रौद्योगिकी में नवीनतम नवाचारों का लाभ उठा रहे हैं और अन्य के साथ-साथ उन्हें भी लागू कर रहे हैं. सुरक्षा से समझौता किए बिना नियामक मानदंडों का अनुपालन करने वाले कारोबार प्रणालियों और क्लाउड-आधारित अनुप्रयोगों तक उच्च कार्यनिष्पादन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैंक वर्तमान आईटी स्वरूप को बदल रहा है. साथ ही हम विविध, गतिशील और जटिल वातावरण में नवीन नवाचारों को सहयोग करने के लिए नए अनुप्रयोगों के लिए एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्चर प्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं.

**खाता एग्रीगेटर:** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता बन गया, जो क्रेडिट वितरण में सुधार के लिए सरकार की डिजिटल पहल का एक हिस्सा है. अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम ऋणदाताओं को भौतिक दस्तावेज के बिना निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहक की सहमति से प्राप्त डिजिटल डेटा का लाभ उठाने में मदद करता है. कोई भी वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) ग्राहक द्वारा अपने खाता एग्रीगेटर हैंडल पर दी गई सहमति के आधार पर डेटा का अनुरोध कर सकता है. बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (आरईबीआईटी) दिशानिर्देशों के अनुसार प्रौद्योगिकी स्टैक को लागू किया है.

**ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी:** ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बैंकिंग संबंधी सेवाओं को लागू करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 18 अन्य बैंकों के साथ मिलकर “इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (आईबीबीआईसी)” नामक एक संगठन का गठन किया है. इसके साथ ही निकट भविष्य में बैंकिंग सिस्टम भारत में डिजिटलीकरण की नई छलांग लगाने जा रहा है.

**एआई/एमएल:** बैंक ने एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना है और अगले 3 वर्षों में संपूर्ण कारोबार मॉडलिंग एआई/एमएल के माध्यम से किए जाने हेतु प्रयासरत है. एआई आधारित आईवीआर सिस्टम, यू-मोबाइल एडॉप्शन एनालिसिस, क्रॉस सेलिंग/ क्रेडिट कार्ड की अपसेलिंग, वॉयस बॉट आदि जैसे विभिन्न उपयोग के मामले कार्यान्वयन आरंभ किया गया है, जबकि खुदरा/कृषि/एमएसएमई क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी सिग्नल (ईडब्ल्यूएस) पहले ही लागू हो चुका है.

**रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) :** बैंक आरपीए में अग्रणी फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहा है और शुरुआत में ऑटोमेशन के लिए कुछ प्रक्रियाओं की पहचान की है जैसे कि दैनिक रिपोर्ट तैयार करना, एटीएम समाधान, भुगतान निपटान आदि हेतु आरपीए का प्रयोग करना.

**शामिल मुख्य विशेषताएं:**

» खाता एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक (पीएसबी).

» ट्रिपल आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक (पीएसबी): आईएसओ 27001:2013 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) आइएसओ 22301: 2019 (कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली), और आईएसओ 31000:2018 (आईटी जोखिम प्रबंधन).

» एंड-टू-एंड ऑटो-नवीनीकरण के माध्यम से 1 मिलियन तक एमएसएमई ऋण लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक (पीएसबी).

» फिनेकल, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन और एसएमएस में बहु-भाषी सुविधा प्रदान करने वाला पहला पीएसबी.

» पूरे देश में सभी बैंकों के बीच एटीएम स्विच प्रोसेसिंग में दूसरे स्थान पर.

» औसत मासिक सीबीएस लेनदेन 194 करोड़ से अधिक है, पिछले छ: महीनों में दैनिक औसत लेनदेन मात्रा में 20% की वृद्धि हुई है.

» 99.97% का औसत सिस्टम अपटाइम, ईज 4.0 के तहत सर्वोत्तम श्रेणी मानकों के अनुरूप है.

» बैंकिंग में मेटावर्स की शुरुआत करने वाला भारत का पहला बैंक.

» प्रतिष्ठित पीसीआाई-डीएसएस (पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री-डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड) प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जो सभी भुगतान प्रणालियों और कार्डों से लेनदेन की प्रक्रियाओं को कवर करता है.

» व्हाट्सएप बैंकिंग, वॉयस बैंकिंग ओपन बैंकिंग आर्किटेक्चर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी), रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए), और पूर्व-मंजूर वैयक्तिक ऋण (पीएपीएल) जैसे नवीन माध्यमों की शुरूआत.

## हमारे स्तर पर नई पहल

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने सामान्य पूंजी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर आवश्यक बल देता है. आपका बैंक उन्नत प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से ग्राहकों को निर्बाध डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित है. इसमें उपलब्ध है व्यक्तिगत वीडियो-आधारित समाधान, व्हाट्सएप बैंकिंग, पाम बैंकिंग, वीडियो केवाईसी, और कंटेनर-आधारित क्लाउड-रेडी एप्लिकेशन के लिए माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर. आपका बैंक सभी प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन में नियामक अनुपालन और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है.

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख हितधारकों के साथ सहयोग बैंक की प्रमुख प्राथमिकता है. यह डिजिटल लेजर-आधारित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आरबीआई आईटी इनोवेशन हब के साथ सक्रिय रूप से काम करता है और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पर इसका चयन एक पायलट प्रोजेक्ट हेतु किया गया है. यूनियन बैंक अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म में भी अग्रणी है और डिजिटल लेंडिंग के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) के साथ एकीकृत है. इसके साथ ही, आपका बैंक ग्राहक अनुभव और सुविधाओं तक पहुँच के लिए अमेज़ॅन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट वॉयस बॉट्स के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-आधारित संवादी बैंकिंग सेवा प्रदान करता है.

भविष्य के विकास और नवाचार की खोज में, यूनियन बैंक एआई/एमएल, 5जी, ब्लॉकचेन, मेटावर्स और डेवसेक विकल्पों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाता है. आपका बैंक सक्रिय रूप से समाधान तलाशता है, फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी करता है, और ग्राहक डेटा और प्राथमिकताओं का विश्लेषण करने के लिए अपने एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीओई) और डेटा लेक का प्रयोग करता है, जिससे व्यक्तिगत सेवाओं की डिलीवरी होती है.

ये तकनीकी पहल भविष्य में बैंक के कार्यनीतिक फोकस से संबद्ध हैं. यूनियन बैंक का लक्ष्य तेजी से डिजिटल संसाधन परिनियोजन की सुविधा के लिए हाइब्रिड क्लाउड पर क्लाउड नेटिव एप्लिकेशन को होस्ट करना है. इसका उद्देश्य व्यापक बैंकिंग अनुभव बनाने के लिए एआई और वर्चुअल रियलिटी (वीआर) को एकीकृत करना, बैंकिंग सेवाओं के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और कनेक्टेड उपकरणों के कौशल का उपयोग करना, ग्राहक सूचना सुरक्षा के लिए सुदृढ़ सुरक्षा उपायों को लागू करना, माइक्रोसर्विसेज-आधारित ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म की स्थापना करना-एकीकृत ग्राहक अनुभव के लिए निरंतर विकास और एप्लिकेशन आधुनिकीकरण के लिए डेवऑप्स टूल जैसी नई प्रथाओं को अपनाना है.

### सामाजिक एवं संबंध पूँजी:

# टिकाऊ संबंधों का निर्माण -

» *यूएनएसडीजी*

» *कार्यनीति ब्लूप्रिंट*

» *कारोबार मॉडल अवयव:*

1 5 7

» *तात्विक विषय:*

*11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 32, 33, 34, 36, 42, 43.*

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हम एक डिजिटल, आकांक्षी और पर्यावरण के प्रति जागरूक भारत के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हैं. हम मानते हैं कि निरंतर जिम्मेदार बैंकिंग और अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियां हमारे हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन देश बनने की दिशा में भारत की यात्रा में योगदान देने के लिए आवश्यक हैं. इस पर आगे बढ़ते हुए, हम अपने हितधारकों, उनके दृष्टिकोण का जवाब देते हैं, और अपनी कार्यनीतियों को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बनाते हुए उनके साथ सार्थक जुड़ाव को प्राथमिकता देते हैं. इस अध्याय में, हम प्रस्तुत करते हैं कि कैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टिकाऊ साझेदारी बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की प्रगति और समग्र सामाजिक विकास में योगदान करने के लिए अपनी सामाजिक और संबंध पूंजी का लाभ उठाता है.

| हितधारक प्रकार | हम उनके साथ कैसे जुड़ें | उनके लिए हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी | » सभी स्तरों पर निरंतर सहभागिता<br>» वरिष्ठ मार्गदर्शकों के नेतृत्व में नियमित संवाद बैठकें<br>» विचारों के आदान-प्रदान के लिए कर्मचारियों हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म | » जोखिम और अनुपालन संस्कृति<br>» विकास और अध्ययन के अवसर<br>» नवाचार की संस्कृति<br>» योग्यता आधारित विकास | » जॉब रोटेशन और विस्तारित भूमिकाएँ<br>» युवा व्यावसायीकों को जिम्मेदारियाँ सौंपना<br>» नेतृत्व और कैरियर गतिशीलता हेतु पहल<br>» कर्मचारियों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान और आपातकालीन सहायता<br>» समानुभूतिपूर्ण अवकाश नीतियां<br>» डिजिटल, प्रयोजनमूलक और स्वभावजनक अध्ययन अवसर प्रदान करना |
| ग्राहक | » कर्मचारियों के साथ परस्पर संवाद<br>» संरचित प्रतिक्रिया सर्वेक्षण<br>» शाखा आधारित ग्राहक बैठक<br>» मल्टी-चैनल संवाद और शिकायत समाधान | » डिजिटल सुविधा<br>» कुशल, उत्तरदायी कर्मचारी<br>» प्रासंगिक डिजिटल उत्पाद और सेवाएँ<br>» अनुरोधों और शिकायतों का त्वरित समाधान | » ग्राहकों और बैंक दोनों के प्रति निष्पक्षता बनाए रखना<br>» डिजिटल उत्पाद की राइट-सेलिंग को बढ़ावा देना<br>» डिजिटल दक्षता और त्वरित प्रतिक्रिया के साथ ग्राहक सेवा में सुधार<br>» कर्मचारियों की डिजिटल प्रविणता/ कुशलता को बढ़ावा देना |

## सामाजिक एवं संबंध पूँजी

*टिकाऊ संबंधों का निर्माण*

| हितधारक प्रकार | हम उनके साथ कैसे जुड़ें | उनके लिए हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया |
|---|---|---|---|
| विनियामक | » नियामक निकायों के साथ नियमित बैठकें<br>» नीति मंचों में भागीदारी<br>» संवाद हेतु विभिन्न प्रकार<br>» पर्यवेक्षी बैठकें | » ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार और शिकायतों का समाधान<br>» धन शोधन और धोखाधाड़ी जोखिम निवारण<br>» आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिम सहित परिचालन जोखिम<br>» मजबूत जोखिम और अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देना | » नियामक संप्रेषण के लिए समर्पित टीम<br>» कुशल नियामक प्रतिक्रिया के लिए परिभाषित प्रक्रियाएं और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग<br>» निरंतर नियामक सहभागिता और नीति इनपुट प्रावधान |
| शेयरधारक और संभावित निवेशक | » वार्षिक सामान्य बैठक<br>» ईमेल तथा आवधिक<br>» बैठक<br>» कॉन्फरेंस कॉल्स<br>» निवेशक सम्मेलन<br>» विश्लेषक दिन | » शेयरधारक मूल्य सृजन<br>» मध्यम और दीर्घकालिक कार्यनीति<br>» सुशासन और नैतिक प्रथाएँ<br>» अनुपालन<br>» पारदर्शिता<br>» निरंतरता से संबंधित गैर-वित्तीय मेट्रिक्स का प्रकटीकरण | » निवेशकों के साथ नियमित डिजिटल सत्र<br>» तिमाही नतीजों के दौरान निवेशकों से बातचीत करना और प्रकटीकरण बढ़ाना<br>» वार्षिक रिपोर्ट में वर्णनात्मक विश्लेषण और प्रकटीकरण को शामिल करना<br>» आपके बैंक की वेबसाइट पर पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पहलों और उपलब्धियों का प्रकटीकरण किया गया है |
| समाज | » समावेशी विकास के लिए यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफटी)<br>» ग्रामीण विकास हेतु पहल<br>» सरकारी पहलों के लिए समर्थन | » सामाजिक विकास में योगदान<br>» वित्तीय साक्षरता और बेहतर वित्तीय सेवा पहुंच | » वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान स्वैच्छिक सीएसआर हेतु पहल की गई<br>» यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफटी) का फोकस आजीविका, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, सामाजिक और पर्यावरणीय परियोजनाओं पर है<br>» बैंकिंग क्षेत्र के कौशल विकसित करने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच साझेदारी |

## हितधारक सहभागिता की पद्धतियाँ

| हितधारक | सहभागिता की पद्धति |
|---|---|
| शेयरधारक | वार्षिक शेयरधारक बैठक, त्रैमासिक आय कॉल, निवेशक सम्मेलन और प्रस्तुतियाँ, निवेशक संबंध टीम और कार्यपालक प्रबंधन के साथ बैठके, विनियामक फाइलिंग और समर्पित निवेशक संबंध वेबसाइट. |
| ग्राहक | फोकस ग्रूप, शाखा के साथ बातचीत और फोन कॉल के माध्यम से संवाद, संतुष्टि सर्वेक्षण, सोशल मीडिया संवाद, ग्राहक हेल्पलाइन और कॉर्पोरेट वेबसाइट. |
| कर्मचारी | सहभागिता सर्वेक्षण, कार्यपालक नेतृत्व संवाद, अध्ययन कार्यक्रम, कारोबारी संसाधन समूह और समावेश परिषद, कार्यनिष्पादन और विकास पहल और कॉर्पोरेट लैंडिंग पृष्ठ. |
| समुदाय | समुदाय को सर्वेक्षण और मूल्यांकन, वित्तीय शिक्षा और आउटरीच कार्यक्रम, परोपकारी निवेश, नागरिक सदस्यता, स्वयंसेवा और गैर-लाभकारी बोर्ड सहभागिता और कॉर्पोरेट वेबसाइट की आवश्यकता है. |
| विनियामक | परीक्षा, निरंतर निगरानी और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ अन्य बैठकें, विनियामक मामलों और सरकारी मामलों की टीमों के माध्यम से संवाद, और नियामक-प्रायोजित कार्यक्रम तथा पहल. |

## कर्मचारियों के साथ निरंतर संबंध बनाना-

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम अपनी सफलता में अपने कर्मचारियों बहुमूल्य योगदान को पहचानते हुए, उन्हें आवश्यक हितधारकों के रूप में प्राथमिकता देते हैं. हम विभिन्न पहलों के माध्यम से, निरंतर संवाद सुनिश्चित करते हुए और खुले संवाद और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए उनसे जुड़ते हैं. अपनी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को संरेखित करके, हम एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं जो विकास, नवाचार और कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देता है.

सभी स्तरों पर निरंतर जुड़ाव हमारे दृष्टिकोण का एक प्रमुख तत्व है. हम वरिष्ठ मार्गदर्शकों के नेतृत्व में नियमित संचार बैठकें आयोजित करते हैं, सार्थक बातचीत और विचारों के आदान-प्रदान के अवसर प्रदान करते हैं. इन सत्रों के माध्यम से, हम पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, चिंताओं को दूर करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सामूहिक प्रयासों को संरेखित करते हैं. विचार-साझा करने और सहयोग की सुविधा के लिए, हमने विशेष रूप से कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किया है. यह मंच नवीन विचारों के आदान-प्रदान, रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देने और कार्यबल की सामूहिक बुद्धिमत्ता का दोहन करने के केंद्र के रूप में कार्य करता है.

*हमारा मानना है कि सशक्त और प्रेरित कार्यबल संवहनीयता हासिल करने और हमारे ग्राहकों को असाधारण सेवा प्रदान करने के लिए मौलिक है.*

कर्मचारियों के लिए हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित हैं: जोखिम और अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देना, विकास और

अध्ययन के अवसर प्रदान करना, नवाचार की संस्कृति को विकसित करना और योग्यता-आधारित विकास को सक्षम करना. हमारा मानना है कि परिचालनों की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत जोखिम और अनुपालन संस्कृति महत्वपूर्ण है. इसे प्राप्त करने के लिए, हम पूरे संगठन में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता सत्रों को प्राथमिकता देते हैं जो नैतिक प्रथाओं, नियामक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं.

हम अपने कर्मचारियों को विकास और अध्ययन के अवसरों के साथ सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. जॉब रोटेशन और विस्तारित भूमिकाओं जैसी पहलों के माध्यम से, हम कौशल विविधीकरण को प्रोत्साहित करते हैं और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास हेतु अवसर प्रदान करने पर भी हम विश्वास रखते हैं. हम युवा व्यावसायिकों को जिम्मेदारियाँ सौंपना, उनकी क्षमता को पहचानना और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए चुनौतीपूर्ण अवसर प्रदान करने में भी विश्वास रखते हैं.

कर्मचारी विकास के लिए चार प्रतिबद्धताओं के अलावा, हमने नेतृत्व और कैरियर गतिशीलता पहल की स्थापना की है जो व्यक्तिगत प्रगति करने और अपनी पूरी क्षमता से योगदान देने में सक्षम बनाती है. इसके साथ ही, हम कर्मचारियों की भलाई और सुरक्षा पर बहुत अधिक जोर देते हैं. चुनौतीपूर्ण समय, जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान, हमने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक टीकाकरण अभियान और आपातकालीन सहायता उपाय लागू किया है. हम समानुभूतिपूर्ण छुट्टी नीतियां भी प्रदान करते हैं जो कार्य-जीवन संतुलन का समर्थन करती हैं और व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जरूरतों को पूरा करती हैं.

इसके अलावा, हम बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के महत्व को पहचानते हैं. हम अपने कर्मचारियों को डिजिटल युग के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए डिजिटल, कार्यात्मक और व्यवहार संबंधी सभी अध्ययन के अवसर प्रदान करते हैं. इन पहलों के माध्यम से, हम उनकी दक्षता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, उन्हें उभरते बैंकिंग परिदृश्य में सफलता के लिए तैयार करने का प्रयास करते हैं.

## असाधारण ग्राहक अनुभव प्रदान करना: ग्राहकों को प्राथमिकता देना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में हमारे ग्राहक होते हैं. हम सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करने का प्रयास करते हुए विभिन्न चैनलों और पहलों के माध्यम से उनके साथ जुड़ते हैं. अपनी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को संरेखित करके, हमारा लक्ष्य ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाना, डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देना और अनुरोधों और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है.

कर्मचारी संवाद हमारी ग्राहक सहभागिता कार्यनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. हमारे समर्पित स्टाफ सदस्यों को व्यक्तिगत और चौकस सेवा प्रदान करते हुए ग्राहकों के लिए एक स्वागत योग्य वातावरण बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है. हम सार्थक बातचीत और विश्वास निर्माण के माध्यम से अपने ग्राहकों के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं. मूल्यवान फीडबैक के साथ, हम संरचित फीडबैक सर्वेक्षण आयोजित करते हैं. ये सर्वेक्षण हमें अपने ग्राहकों की जरूरतों, प्राथमिकताओं और सुधार के क्षेत्रों को समझने में सक्षम बनाते हैं. सक्रिय रूप से उनकी प्रतिक्रिया सुनकर, हम उनकी अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को लगातार परिष्कृत करते हैं.

*हम लगातार ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने, डिजिटल नवाचार को अपनाने और अपेक्षाओं से अधिक उत्तरदायी और कुशल सेवा प्रदान करने का प्रयास करते हैं.*

हम शाखा-आधारित ग्राहक बैठकें भी आयोजित करते हैं, जहां ग्राहकों को अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं पर चर्चा करने और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है. ये बैठकें हमें उनके वित्तीय लक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझने और इन आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान प्रदान करने में मदद करती हैं.

## शिकायत निवारण तंत्र: मजबूत और कुशल

ग्राहकों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया है. प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ परिभाषित की गई हैं, साथ ही शिकायत समाधान के लिए मानक परिचालन प्रथाएँ भी निर्धारित की गई है. संशोधित शिकायत निवारण नीति एस्केलेशन मैट्रिक्स और पूर्वनिर्धारित समयसीमा के माध्यम से ग्राहक की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करती है. अद्यतन यूनियन केयर हैंडबुक विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए अद्यतन संपर्क विवरण के साथ-साथ शिकायतों का वर्गीकरण, कारण और समाधान प्रदान करती है. बैंक ने आसान पहुंच के लिए अपनी वेबसाइट पर शिकायत निवारण अधिकारी विवरण भी अपलोड किया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 2,52,954 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेहतर ग्राहक संतुष्टि के लिए अपने शिकायत निवारण तंत्र को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है.

**2,52,954**

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या

आज के डिजिटल युग में, हम मल्टीचैनल संप्रेषण और शिकायत समाधान के महत्व को पहचानते हैं. सुविधा और पहुंच सुनिश्चित करते हुए हम ग्राहकों को हमारे साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न डिजिटल चैनल प्रदान करते हैं. ग्राहकों के अनुरोधों और शिकायतों का त्वरित समाधान हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि हम असाधारण सेवा प्रदान करने और ग्राहकों की संतुष्टि बनाए रखने का प्रयास करते हैं. ग्राहकों के लिए हमारी कार्यनीति प्राथमिकताएं डिजिटल सुविधा, कुशल और उत्तरदायी कर्मचारियों, प्रासंगिक डिजिटल उत्पादों और सेवाओं और अनुरोधों और शिकायतों के त्वरित समाधान पर केंद्रित हैं. हम अपनी सभी संचार में पारदर्शी और नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए ग्राहकों और बैंक दोनों के प्रति निष्पक्षता बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध हैं. इसके अतिरिक्त, हम डिजिटल उत्पादों की सही बिक्री को बढ़ावा देते हैं, ग्राहकों को उनके अनुरूप समाधान प्रदान करते हैं जो उनकी वित्तीय आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं.

डिजिटल दक्षता और त्वरित प्रतिक्रिया के साथ ग्राहक सेवा में सुधार हमारे लिए सर्वोपरि है. हम निर्बाध और सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार डिजिटल प्रौद्योगिकियों में निवेश करते हैं. हम प्रासंगिक डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के विकास को प्राथमिकता देते हैं जो हमारे ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करते हैं.

इन प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए, हम प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन पहल के माध्यम से अपने कर्मचारियों की डिजिटल दक्षता को बढ़ावा देते हैं. अपने कर्मचारियों को आवश्यक डिजिटल विशेषज्ञता से समर्थ बनाते हुए, हम उन्हें असाधारण सेवा देने और अपने ग्राहकों की डिजिटल यात्रा का समर्थन करने के लिए सशक्त बनाते हैं.

## विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करना: विश्वास और सहयोग का निर्माण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम विनियामक निकायों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने के महत्व को पहचानते हैं. हम अनुपालन सुनिश्चित करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और विश्वास बनाने के लिए विभिन्न चैनलों और गतिविधियों के माध्यम से विनियामकों के साथ जुड़ते हैं. अपनी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को संरेखित करते हुए, हमारा लक्ष्य निष्पक्ष ग्राहक उपचार को बनाए रखना, जोखिमों को कम करना और एक मजबूत जोखिम और अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देना है. हमारी सहभागिता कार्यनीति के एक अभिन्न अंग के रूप में नियामक निकायों के साथ नियमित बैठकें करते हैं. ये बैठकें खुले संवाद के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिसमें हमें विनियामक चिंताओं को दूर करने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और हमारे संचालन पर अपडेट साझा करने में मदद मिलती है. हम नियामकों के साथ सहयोग करने के अवसर को महत्व देते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी प्रथाएँ मानकों और नियामक आवश्यकताओं के साथ संरेखित रहे.

नीति मंचों में सक्रिय भागीदारी हमें नियमों और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास में योगदान करने में सक्षम बनाती है. अपने दृष्टिकोण और अनुभवों को साझा करके, हम विनियामक परिदृश्य को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं जिससे अनुपालन और जोखिम प्रबंधन के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है. प्रभावी संचार की सुविधा के लिए, हम नियामक निकायों द्वारा अनुशंसित विभिन्न प्रकार के संचार चैनलों का उपयोग करते हैं. इससे सूचना का समय पर प्रसार, नियामक अपडेट का आदान-प्रदान और कुशल रिपोर्टिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करता है.

पर्यवेक्षी बैठकें विनियामकों के साथ हमारे संबंधों को और मजबूत करती हैं. ये बैठकें जोखिम प्रबंधन, धनशोधन निवारण, धोखाधड़ी की रोकथाम और आईटी और साइबर सुरक्षा सहित परिचालन जोखिमों पर विस्तृत चर्चा का अवसर प्रदान करती हैं. इन संवादों के माध्यम से, हम मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने और एक सुरक्षित परिचालन वातावरण बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं.

*हम अपनी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को लगातार सुधारने और मजबूत करने, अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और बैंकिंग उद्योग की समग्र स्थिरता और अखंडता में योगदान करने के अवसर के रूप में विनियामक जुड़ाव को स्वीकार करते हैं.*

विनियामक सहभागिता के लिए हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार, धनशोधन निवारण लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे जोखिमों का नवीकरण, आईटी और साइबर सुरक्षा सहित परिचालन जोखिम प्रबंधन, और एक मजबूत जोखिम और अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं. इन प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए, हमने विनियामक संचार के लिए एक समर्पित टीम की स्थापना की है. यह टीम विनियामक निकायों के साथ नियमित और प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करती है, प्रश्नों का समाधान करती है, आवश्यक जानकारी प्रदान करती है और पारदर्शिता बनाए रखती है.

हमने अपनी विनियामक प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को परिभाषित किया है और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाया है. डिजिटल समाधानों का लाभ उठाकर, हम कुशल विनियामक प्रतिक्रियाओं को सक्षम करते हुए रिपोर्टिंग, निगरानी और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं.

हम निरंतर नियामक जुड़ाव और सक्रिय नीति इनपुट प्रावधान में विश्वास करते हैं. नियामक चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहकर और इनपुट प्रदान करने के अवसरों की तलाश करके, हम ऐसे विनियमों के विकास में योगदान करते हैं जो एक सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बैंकिंग वातावरण को बढ़ावा देते हैं.

## हितधारकों और संभावित निवेशकों के लिए विश्वास और मूल्य सृजन को बढ़ावा देना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में शेयरधारकों और संभावित निवेशकों के महत्व को पहचानता है. हम विभिन्न चैनलों और गतिविधियों के माध्यम से उनके साथ जुड़ते हैं, जिसका लक्ष्य विश्वास को बढ़ावा देना, मूल्य बनाना और पारदर्शी और व्यापक जानकारी प्रदान करना है. अपनी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को संरेखित करके, हम हितधारक मूल्य निर्माण, दीर्घकालिक कार्यनीति, शासन, अनुपालन और निरंतरता पर जोर देते हैं.

*हम लगातार पारदर्शी और सार्थक संचार प्रदान करने, विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और हमारी निरंतरता पहल से संबंधित प्रासंगिक जानकारी का प्रकटीकरण करने का प्रयास करते हैं. खुले और सूचनात्मक संवाद में शामिल होकर, हमारा लक्ष्य विश्वास और पारस्परिक विकास के आधार पर दीर्घकालिक संबंध बनाना है.*

हम एक वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करते हैं, जो हितधारकों को अपडेट प्राप्त करने, उनकी चिंताओं को व्यक्त करने और बैंक के प्रबंधन के साथ सीधे जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है. इसके साथ ही, हम ईमेल, आवधिक बैठकों, कॉन्फ्रेंस कॉल, निवेशक सम्मेलनों और एक विश्लेषक दिवस के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखते हैं, जिससे हमारे कार्यनिष्पादन और कार्यनीतिक दिशा पर समय पर अपडेट सुनिश्चित होती है.

हितधारकों और संभावित निवेशकों के लिए हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताएं हितधारक मूल्य निर्माण, मध्यम और दीर्घकालिक कार्यनीति, शासन और नैतिक प्रथाओं, अनुपालन, पारदर्शिता और गैर-वित्तीय स्थिरता मेट्रिक्स के प्रकटीकरण पर केंद्रित हैं. इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए, हम निवेशकों के साथ नियमित डिजिटल सत्र आयोजित करते हैं, सीधे संवाद की सुविधा प्रदान करते हैं और हमारे कार्यनिष्पादन और भविष्य की संभावनाओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान करते हैं. त्रैमासिक परिणाम कॉल के दौरान, हम अपने वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए, प्रकटीकरण बढ़ाते हैं. इसके अलावा, हम अपनी वार्षिक रिपोर्ट में वर्णनात्मक विश्लेषण और प्रकटीकरण को शामिल करते हैं, जिससे हमारी कार्यनीतिक पहल और प्रगति की व्यापक समझ सुनिश्चित होती है. स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, हम अपनी वेबसाइट पर अपनी पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पहलों और उपलब्धियों का प्रकटीकरण करते हैं.

## समावेशी विकास को सशक्त बनाना: यूनियन बैंक का सामाजिक प्रभाव (सीएसआर)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समाज पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफटी) के माध्यम से, हम समावेशी विकास, ग्रामीण विकास और सरकारी पहलों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं. यूबीएसएफटी ऐसी परियोजनाएं चलाता है जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करती हैं और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका के अवसरों तक पहुंच में सुधार करती हैं. हमारी ग्रामीण विकास पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना और सतत कृषि और कौशल विकास को बढ़ावा देना है. हम सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्थायी सामाजिक प्रभाव बनाने और अधिक समावेशी तथा समाज को समृद्ध बनाने हेतु बढ़ावा देने के लिए समर्पित है.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप, जिम्मेदार तरीके से अपने परिचालन के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों को प्रबंधित करने की कंपनी की प्रतिबद्धता का एक अभिन्न अंग है. इसमें समुदाय के लिए कुछ करने, परोपकारी कार्यों में भाग लेने और सकारात्मक सामाजिक मूल्य प्रदान करने के कंपनी के प्रयास शामिल हैं. आज, कंपनियां बदलाव लाने और ब्रांड छवि के माध्यम से सकारात्मकता निर्माण करने के साधन के रूप में सीएसआर के महत्व को तेजी से पहचान रही हैं. सीएसआर को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पर्यावरणीय जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, परोपकारी जिम्मेदारी और आर्थिक जिम्मेदारी शामिल है.

*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति समृद्ध प्रतिबद्धता रखते. हम अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से समाज पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए समर्पित हैं. समुदाय की जरूरतों के साथ अपने प्रयासों को जोड़कर, हम सभी के लिए बेहतर और अधिक समावेशी भविष्य में योगदान देने का प्रयास करते हैं.*

अपनी सीएसआर गतिविधियों और दान कार्य में सुविधा और प्रबंधन हेतु, यूनियन बैंक ने 2 मार्च, 2006 को यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफटी) की स्थापना की. यूबीएसएफटी का प्राथमिक उद्देश्य वंचित समुदायों का उत्थान करना और गरीबों तथा हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार करना है. आपका बैंक स्वैच्छिक सीएसआर गतिविधियों के लिए पिछले वर्ष के प्रकाशित निवल लाभ का 1% तक लाभ आबंटित करता है, जब कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य नहीं है.

वित्त वर्ष 2023 के दौरान, यूनियन बैंक ने 51 परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए रु. 23.38 करोड़ की राशि का दान मंजूर किया है. इस राशि में से 42 परियोजनाओं और कार्यक्रमों में रु. 38 करोड़ की राशि वितरित की गई है. यह पहल सामाजिक जिम्मेदारी के विभिन्न क्षेत्रों तक फैली हुई हैं और जिन समुदायों की हम सेवा करते हैं, उन पर सार्थक प्रभाव डालने के लक्ष्य से की गई है.

**₹23.38 करोड़**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/ यूबीएसएफटी द्वारा कार्यक्रम/ परियोजनाओं के लिए अनुमोदित दान

**51**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/यूबीएसएफटीद्वारा कार्यक्रम/ परियोजनाओं के लिए अनुमोदित दान की संख्या है.

## यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में अपनी भूमिका के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्ध रखता है. नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं का पालन करने के साथ साथ, आपका बैंक अपनी वैधानिक दायित्वों के परे समुदायों के आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान देता है. हम स्थानीय समुदाय और समाज के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हैं. इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, यूनियन बैंक ने पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ का 1% स्वेच्छा से सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए अलग रखा.

वंचित समुदायों के उत्थान और गरीबों तथा हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए, सीएसआर गतिविधियों को चलाने के लिए एक विस्तारित शाखा के रूप में, बैंक ने 2 मार्च 2006 को एक ट्रस्ट के रूप में यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी) की स्थापना की. यूबीएसएफटी धारा 12एए के तहत पंजीकृत है और इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त है.

यूबीएसएफटी का दृष्टिकोण सार्वजनिक-निजी पहलों को बढ़ावा देता है और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है. हमारा लक्ष्य एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करना है. स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचा और उपकरण प्रदान करना और निरंतर तथा स्थायी कौशल विकास को बढ़ावा देना हमारे ध्यान केंद्र हैं. यूबीएसएफटी का मिशन सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं को प्रारंभ करने, कार्यान्वित करने, भाग लेने, वित्त पोषित करने या अन्यथा सहायता करने वाले व्यक्तियों और समुदायों के लिए समर्पित करना है. समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है.

यूबीएसएफटी बोर्ड का नेतृत्व आपके बैंक के एमडी और सीईओ द्वारा किया जाता है, जिसमें कार्यपालक निदेशक उपाध्यक्ष न्यासी के रूप में कार्य करते हैं. अन्य न्यासियों में यूनियन बैंक के महाप्रबंधक और एक स्वतंत्र न्यासी शामिल हैं. यूबीएसएफटी बोर्ड यूनियन बैंक की सीएसआर प्राथमिकताओं के साथ कार्यनीतिक दिशा-निर्देश प्रदान करता है और गतिविधियों की नियमित समीक्षा करता है. यूबीएसएफटी के मुख्य कार्यपालक बोर्ड के निर्देशों के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं.

यूनियन बैंक ने शीर्ष स्तर पर एक हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) भी स्थापित की है, जिसमें निदेशक मंडल के सदस्य शामिल हैं, जो तिमाही आधार पर आपके बैंक और यूबीएसएफटी दोनों की सीएसआर गतिविधियों की निगरानी करती है. एमडी और सीईओ की अध्यक्षता वाली इस समिति में कार्यपालक निदेशक और गैर-आधिकारिक निदेशक शामिल हैं.

## वित्तीय वर्ष 2023 हेतु पहल

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में यूबीएसएफटी के माध्यम से यूनियन बैंक द्वारा की गई कुछ प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

- **शिक्षा और कौशल विकास:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और बेहतर भविष्य के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रमों का समर्थन करना.
- **स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता:** स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, चिकित्सा शिविर, स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की पहल प्रदान करने के लिए संगठनों के साथ साझेदारी करना.
- **आजीविका संवर्धन:** आजीविका के अवसरों, उद्यमिता और व्यक्तियों तथा समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पहल करना.
- **पर्यावरण संरक्षण:** ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करती हैं, जैसे वृक्षारोपण अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना.
- **ग्रामीण विकास:** ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छ पानी तक पहुंच, कृषि और कृषि तकनीकों और ग्रामीण आजीविका सुधार पर केंद्रित परियोजनाओं को लागू करना.

## सामाजिक एवं संबंध पूँजी

*उत्पाद विपणन*

*महिलाओं के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऋण कार्यक्रम जिम्मेदार बैंकिंग के प्रति हमारे समर्पण का प्रतीक है. महिला उद्यमियों के लिए अनुकूलित ऋण समाधान प्रदान करके, हम न केवल उनके कारोबारों का वित्तपोषण कर रहे हैं बल्कि हम उनके सपनों, उनकी स्वतंत्रता और हमारे समाज के समान विकास में निवेश कर रहे हैं.*

हम रखें उनका खयाल,
जो रखें दूसरों का खयाल.
यूनियन आयुष्मान प्लस योजना
• चिकित्सा कार्य से जुड़े पेशेवरों को परिसर अधिग्रहित करने / स्थापित करने / नवीनीकरण करने आदि के लिए ऋण सुविधा
• चिकित्सा कार्य से जुड़े पेशेवर की संपत्ति के स्थान / वित्तीय व्यवहार्यता / आय एवं पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर ऋण की मात्रा • कम सेवा शुल्क • कम ब्याज दर और क्रेडिट रेटिंग से संबद्ध नहीं • 84 माह तक की चुकौती अवधि
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | www.unionbankofindia.co.in

आपकी आकांक्षाओं को साकार
करने में आपके साथ
यूनियन मुद्रा
• सूक्ष्म उद्यमों के लिए सघन प्रयास
• अधिकतम सीमा - ₹10 लाख
• ऋण की शिशु/किशोर/तरुण श्रेणियों के लिए कम मार्जिन
• कोई प्रोसेसिंग प्रभार नहीं
• एक समान दस्तावेजीकरण प्रभार
• कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए सुविधाजनक ऋण प्राप्त करने हेतु मुद्रा कार्ड
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | www.unionbankofindia.co.in

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
अपने सपने करें साकार
यूनियन
एमएसएमई गोल्ड लोन प्लस
के साथ
₹ 50 लाख तक की ऋण राशि
प्रति ग्राम पात्रता में वृद्धि
आकर्षक ब्याज दर
सीमित अवधि के लिए शून्य प्रसंस्करण शुल्क
अधिक जानकारी पाने और खाता खोलने के लिये, संपर्क करें या अपनी नज़दीकी शाखा में आएं।
(टोल-फ्री) 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | www.unionbankofindia.co.in

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
आपके सपने सिर्फ़ आपके नहीं!
• कोलैटरल मुक्त फ़ाइनेंस*
• निर्वाह ख़र्च शामिल
• 80E के अंतर्गत कर लाभ
यूनियन
शिक्षा ऋण
प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स
9619333333
पर मिस्ड कॉल दें.
#PowerOf
टोल फ्री नंबर - 1800 208 2244 / 1800 425 3555 / 1800 425 1515

## स्वास्थ्य देखभाल

स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हमारी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु के रानीपेट में तिरुमलै मेडिकल मिशन अस्पताल को डिजिटल अपग्रेड किट के साथ एक एक्स-रे मशीन और एक 33-सीटर कैंप वैन दान की है. इन योगदानों का उद्देश्य चिकित्सा निदान क्षमताओं को बढ़ाना और क्षेत्र में रोगियों के लिए बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करना है.

आपके बैंक ने जयपुर के प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक, एसडीएमएच अस्पताल को एक एम्बुलेंस सगर्व दान की है. यह योगदान जरूरतमंद मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के मिशन में अस्पताल का समर्थन करने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाता है.

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की प्रतिबद्धताओं के भाग के रूप में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु के प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक, जयदेव मेमोरियल राष्ट्रोत्थान अस्पताल में आईसीयू एम्बुलेंस प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण दान दिया है. इस दान का उद्देश्य प्रगाढ़ देखभाल क्षमताओं से सुसज्ज उन्नत चिकित्सा परिवहन की पेशकश करके रोगियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करना है.

## सामुदायिक विकास

आपके बैंक ने राजकीय वृद्धाश्रम, वाराणसी के नवीनीकरण के लिए दान दिया है. इस योगदान का उद्देश्य वृद्धाश्रम के निवासियों, विशेषकर बुजुर्गों के लिए सुविधाओं और रहन- सहन में सुधार करना है.

आपके बैंक ने बेंगलुरु में अक्षयपात्रा फाउंडेशन को दो खाद्य वितरण वाहन प्रदान किए हैं. ये वाहन आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में उनकी मध्याह्न भोजन योजना का समर्थन करेंगे. इन वाहनों को दान करके, हमारा उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने और उनकी प्रभावशाली पहल के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु फाउंडेशन के प्रयासों में योगदान देना है.

आपके बैंक ने बेलगावी में स्वामी विवेकानन्द सेवा प्रतिष्ठान के निवासियों को स्कूल बैग और डायपर प्रदान करके एक विचारशील दान किया है. स्कूल बैग प्रदान करके, हम आशा करते हैं कि बच्चे अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं को अभिमान और आसानी से ले जाने में सक्षम होंगे. इसके साथ ही, डायपर का दान जरूरतमंद लोगों के आराम और स्वच्छता में योगदान देगा.

बैंक ने कर्नाटक के बेलगावी में ब्लाइंड एसोसिएशन को बंक बेड, गद्दे और एक प्रोजेक्टर दान के रूप में प्रदान किया है. इस योगदान का उद्देश्य एसोसिएशन द्वारा समर्थित दृष्टिबाधित व्यक्तियों के रहन- सहन और शैक्षिक अवसरों में संवर्धन करना है. इसके साथ ही, प्रोजेक्टर दृश्य शिक्षण और इंटरैक्टिव सत्रों की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे दृष्टिबाधितों को शैक्षिक संसाधनों तथा अधिक तल्लीनतापूर्वक अध्ययन अनुभव से सशक्त बनाया जा सकेगा.

**सामाजिक एवं संबंध पूँजी**

*उत्पाद विपणन*

## सामुदायिक विकास

आपके बैंक ने भोपाल में स्कूली बच्चों और महिला स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) को स्कूल बैग और सिलाई मशीनें प्रदान की हैं. इसके साथ ही, सिलाई मशीनों का दान महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाता है, उन्हें कौशल विकास और आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करता है. हम भोपाल में शिक्षा का समर्थन करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और समुदायों के विकास और सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

## शिक्षा विकास

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हेब्री, कर्नाटक में सरकार के प्रथम श्रेणी कॉलेज में उनके सम्मेलन कक्ष में आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करके योगदान दिया है. सम्मेलन कक्ष को आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करके हम छात्रों को ज्ञान के आदान-प्रदान, सहयोग और समग्र विकास को बढ़ावा देनेवाला अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करना चाहते हैं.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों में 250 शौचालयों का निर्माण किया. इन शौचालयों का निर्माण करके छात्रों के लिए ग्रामीण शिक्षा बुनियादी ढाँचे ध्यान रखते हुए छात्रों के लिए अधिक अनुकूल और स्वस्थ शिक्षण वातावरण हेतु एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है. शिक्षा का समर्थन करने और छात्रों की भलाई के लिए हमारी प्रतिबद्धता आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के हमारे प्रयासों में परिलक्षित होती है जो युवाओं की बुद्धिमत्ता को सशक्त बनाती है और उनकी शैक्षिक यात्रा को संवर्धित करती है.

## कौशल विकास-ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

यूनियन आरएसईटीआई आनंद आश्रम कासरगोड में,एडवोकेट सी.एच.कुन्हाम्बु, केरल राज्य के विधायक ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सम्मानित करने के लिए प्रमाणपत्र वितरण समारोह में भाग लिया. प्रमाणपत्रों का वितरण कौशल विकास के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को मान्यता देता है और उन्हें भविष्य के अवसरों के लिए मूल्यवान साख के साथ सशक्त बनाता है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कौशल विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा व्यक्तियों के बेहतर और समृद्ध भविष्य के लिए समर्पित एडवोकेट सी.एच. कुन्हाम्बु जैसे सम्मानित व्यक्ति के साथ कार्य करने पर गर्व है.

आरएसईटीआई राजमंड्री में, बैंक ने एक महिला सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम के माध्यम से, बैंक सक्रिय रूप से महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है.

आरएसईटीआई एलूरु में, आपके बैंक ने एक प्रमाणपत्र वितरण समारोह आयोजित किया जहां सफलतापूर्वक प्रशिक्षित अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया. प्रमाणपत्रों के साथ, इन व्यक्तियों को सिलाई मशीनें भी वितरित की गईं. इस तरह की पहल का समर्थन करके, हम अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की आजीविका की संभावनाओं और समग्र कल्याण को बढ़ाने का प्रयास करते हैं.

## कौशल विकास-ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

आरएसईटीआई गजपति में पोल्ट्री फार्मिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रॉयलर और लेयर इकाइयों में एक परिचय दौरे का आयोजन किया. प्रतिभागियों की वास्तविक परिवेश पोल्ट्री फार्मिंग में जाकर मूल्यवान ज्ञान और समझ प्राप्त हुई. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व्यापक प्रशिक्षण अवसर और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हुए व्यक्तियों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए के लिए प्रतिबद्ध है.

आरएसईटीआई गजपति में प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में मशरूम खेती इकाइयों के लिए एक परिचय दौरे का आयोजन किया गया. प्रतिभागियों ने मशरूम की खेती की तकनीकों में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया. यह दौरा मशरूम के विभिन्न प्रकार और इष्टतम पैदावार परिस्थितियों पर केंद्रित था. इस परिचय दौरे का उद्देश्य उनके कौशल को बढ़ाना और उन्हें मशरूम की खेती में करियर के लिए तैयार करना था.

आरएसईटीआई अटकूर में, हमने सफलतापूर्वक प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सम्मानित करने में प्रमाणपत्र वितरण समारोह का आयोजन किया. इन व्यक्तियों को प्रमाण पत्र के साथ-साथ सिलाई मशीनें भी वितरित की गई. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व्यक्तियों कौशल विकास को बढ़ावा देने और उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित है.

## कौशल विकास-ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

यूनियन आरएसईटीआई ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया. यह विशेष अवसर प्रशिक्षितों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया.

आपके बैंक ने आरएसईटीआई चिकमंगलुरु में प्रशिक्षित महिला उद्यमियों के लिए नारी शक्ति क्रेडिट शिविर का आयोजन किया. इस शिविर ने महिला उद्यमियों को अपने व्यावसायिक विचारों को प्रदर्शित करने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया. कार्यक्रम के दौरान, पात्र प्रतिभागियों को ऋण मंजूरी पत्र जारी किए गए, जिससे उन्हें अपना कारोबार करने या विस्तार करने के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त करने में सहायता हुई.

बैंक ने आरएसईटीआई वाराणसी में वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया. परस्पर संवादात्मक सत्रों और शैक्षिक कार्यशालाओं के माध्यम से, उपस्थित प्रतिभागियों ने बजट, बचत, निवेश और बैंकिंग सेवाओं सहित व्यक्तिगत वित्त के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया.

## मानव पूंजी को प्रभावी बनाना:

# डिजिटल, संवहनीय भविष्य की दिशा में

» *यूएनएसडीजी*

» *कार्यनीति ब्लूप्रिंट*

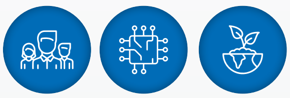

» *कारोबार मॉडल अवयव:*

3

» *तात्विक विषय*

*5, 6, 10, 19, 20, 21, 22, 23.*

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम दृढ़भाव से यह मानते हैं कि हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हमारे कर्मचारी हैं.उनका कौशल, उत्साह और प्रतिबद्धता एक स्थायी, डिजिटल रूप से सशक्त भविष्य के हमारे दृष्टिकोण की नींव है. अपने कार्य-बल में निवेश करके, हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों को उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना और एक डिजिटल पावरहाउस और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन देश बनने की दिशा में भारत के यात्रा में एक सार्थक योगदान देना है.

### कार्य-बल क्षमता बढ़ाना और डिजिटल रूप से संचालित भविष्य के लिए स्वचालन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल परिवर्तन और स्थायित्व की दोहरी यात्रा में हमारे कार्यबल की अपरिहार्य भूमिका को समझता है, जो हमारी रिपोर्ट में केंद्रीय विषय के रूप में प्रतिबिंबित है. 31 मार्च, 2023 तक 75,594 कर्मचारियों के कुल कार्य-बल के साथ, हम अपने कार्य-बल की कुशल तैनाती और उनके व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हुए हमारे संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा सुनिश्चित करते हैं.

हमारा कार्य-बल एक स्थायी, डिजिटल रूप से सशक्त भविष्य के हमारे दृष्टिकोण की आधारशिला है, अपनी प्रक्रियाओं को लगातार सुदृढ़ करके और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर, हम अपनी सेवा की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं और एक डिजिटल पावर हाउस और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन देश बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.

डिजिटल नवाचार और स्थायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में हमारे कार्य-बल की केंद्रीयता को पहचानते हुए, हम निरन्तर अपनी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं और अपने कार्य-बल को सशक्त बनाने और अपने कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2023 में आपके बैंक द्वारा आरंभ की गई प्रक्रियाओं के स्थिर स्वचालन और डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है.ये प्रयास तेजी से बढ़ते डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य में बैंकिंग के निर्बाध परिचालन और सेवाओं को सुनिश्चित करने की हमारी थीम के अनुरूप है, जिससे भारत को डिजिटल और दीर्घकालिक भविष्य की यात्रा में सहायता मिलेगी.

मानव पूंजी को प्रभावी बनाना:
*डिजिटल, संवहनीय भविष्य की दिशा में*

**वित्तीय वर्ष 2022 में मानव श्रम की चार संरचनात्मक प्राथमिकताएँ**

**समावेशन और विविधता**

यूनियन बैंक ने एक समावेशी कार्यस्थल और विविधतापूर्ण मानवश्रम के संरचनात्मक विकास में, विशेष रूप से कर्मचारी शिक्षण और प्रशिक्षण, श्रवण सत्र और भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी से विकास किया है.

**कुशल नेतृत्व का विकास**

तकनीकी रूप से तेजी से बदलते और अत्यधिक विविधतापूर्ण परिवेश में सफलता और सशक्तिकरण पाने के लिए हमारे नेतृत्वकर्ताओं की क्षमताओं को विकसित करना अत्यावश्यक है. वित्तीय वर्ष 2023 में, हमने नेतृत्व क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा.

**उभरता कर्मचारी अनुभव:**

हमारी निरंतर सुनने की कार्यनीति ने कर्मचारी अनुभव पर शोध, विश्लेषण और उसे आगे बढ़ाने के हमारे प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही हमारी लाभ पेशकशों को भी बढ़ाया. यह कार्यनीति हमारे काम करने के तरीके में आए विकास को सूचित करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि हमारे कर्मचारी महत्व की कार्यनीति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें कि हम कौन हैं, हम क्या मानते हैं और कर्मचारी को क्या मिलता है. वित्तीय वर्ष 2023 में, हमने सभी स्तरों पर कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के साथ अतिरिक्त श्रवण सत्र और सर्वेक्षण आयोजित किए.

**कार्य का भविष्य:**

हमने अपने कार्यबल में निवेश करना जारी रखा और अपने कार्यस्थल मॉडल को भविष्य के लिए अनुकूलित किया. हमने अपनी प्रतिभा अधिग्रहण कार्यनीति को बैंक की आधारभूत प्राथमिकताओं, अपनी प्रतिभा पाइपलाइन के विकास के साथ जोड़ा है. हमने प्रतिभाओं को आकर्षित करने के नए तरीकों की पहचान की और अपने कर्मचारियों के कौशल निर्माण और विस्तार में तेजी लाई. इसके अतिरिक्त, हमने हमारे कर्मचारियों के कैसे, कहाँ और कब कार्य सम्पूर्ण किया जाए की महती आकांक्षा के साथ हमारे इस विश्वास कि जब हम एकसाथ मिलकर काम करते हैं तो हमारी संस्कृति समृद्ध होती है, के बीच संतुलन बनाने का कार्य किया है.

## व्यक्तिगत विकास तथा डिजिटल सशक्तिकरण

हमारा ध्यान न केवल प्रतिभा के पोषण पर है, बल्कि परिचालन दक्षता में सुधार के लिए स्वचालन को स्थिर करने और प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने पर भी है. वित्तीय वर्ष 2022-23 एक महत्वपूर्ण वर्ष था, जहां हमने अपने लोगों की प्रसंस्करण प्रक्रियाओं के डिजिटल परिवर्तन में एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया. यह रिपोर्ट के समग्र थीम के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, क्योंकि यह हमारे बैंक को निर्बाध और स्थायी रूप से परिचालित करने की सहमति देता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल युग के लिए हमारे कर्मचारी आवश्यक कौशल से परिपूर्ण हैं.

## उद्योग जगत से पहचान - हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण

उत्कृष्टता और नवप्रवर्तन की हमारी खोज अदृष्ट नहीं रही है. उद्योग जगत ने मानव संसाधन नवाचार, नेतृत्व विकास और पसंदीदा कार्यस्थल बनाने की दिशा में हमारे अथक प्रयासों पर मोहर लगाई है. इन क्षेत्रों में 2022-23 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मिले अनेकों पुरस्कार हमारे अटूट बेंचमार्क का प्रमाण हैं, जो एक स्थायी भविष्य का निर्माण करते हुए डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने थीम को व्यापक रिपोर्ट के साथ हमारे सफल संरेखण (alignment) का संकेत देता है. हम एक ऐसे कार्यस्थल का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां नवाचार पनपता है, नेतृत्व को बढ़ावा मिलता है, और डिजिटल परिवर्तन को अपनाया जाता है - ये सभी एक स्थायी बैंकिंग भविष्य की दिशा में हमारी यात्रा के लिए आवश्यक हैं. प्रत्येक सम्मान भविष्य के लिए तैयार, डिजिटली कुशल और टिकाऊ बैंकिंग संगठन के निर्माण के हमारे विषयगत लक्ष्य के प्रति हमारे स्थायी समर्पण का प्रमाण है.

### वित्तीय वर्ष 2023 के लिए प्राप्त पुरस्कारों की विस्तृत सूची

**गोल्डेन पीकॉक एच.आर. एक्सलेन्स अवार्ड 2022, निदेशक संस्थान द्वारा प्रदत्त :** यह सम्मान मानव संसाधन उत्कृष्टता के प्रति हमारे समर्पण को रेखांकित करता है, एक गतिशील, भविष्य-केंद्रित बैंकिंग कार्यबल को बढ़ावा देने के विषय के साथ मानव संसाधन प्रथाओं को संरेखित करने में हमारे प्रयासों को उजागर करता है.

**फ्युचर ऑफ वर्कप्लेस डिसप्टर 2022 (लार्ज एंटरप्राइज़)** मिंट डब्ल्यू3 चैंपियंस 2022: यह पुरस्कार बैंकिंग परिचालन में डिजिटल परिवर्तन लाने के हमारे थीम के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए, काम के भविष्य को आकार देने में हमारी नवीन प्रथाओं को मान्य करता है.

**इंडियन एकेडेमिया कॉन्फ्रेंस 2023 कॉर्पोरेट अवार्ड** मैसर्स पीपल लैब द्वारा: शिक्षा और उद्योग के बीच तालमेल बिठाने और विकास के लिए स्थायी साझेदारी बनाने के हमारे विषयगत लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कॉर्पोरेट प्रयासों हेतु प्रदत्त मान्यता.

मानव पूंजी को प्रभावी बनाना:

*डिजिटल, संवहनीय भविष्य की दिशा में*

## वित्तीय वर्ष 2023 के लिए प्राप्त पुरस्कारों की विस्तृत सूची

**बीएफएसआई 2022 में सर्वाधिक पसंदीदा कार्य-स्थल** टीम मार्क्समेन द्वारा: एक सम्मान जो एक आकर्षक, समावेशी और विकासोन्मुख कार्य-स्थल परिवेश प्रदान करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, बैंकिंग में स्थिरता को बढ़ावा देने के हमारे व्यापक विषय के अनुरूप.

**इनोवेशन इन एचआर ट्रान्स्फ़ोर्मेशन अवार्ड** बीएआई ग्लोबल इनोवेशन द्वारा: यह सम्मान हमारी नवीन मानव संसाधन प्रथाओं पर प्रकाश डालता है, हमारे कार्यबल को बदलने और आधुनिक बनाने के हमारे प्रयासों को रेखांकित करता है, जो रिपोर्ट की डिजिटल परिवर्तन की थीम के साथ सहजता से फिट बैठता है.

**रोल मॉडल कंपनीस** एट एनसीपीईडीपी - एलटीआई माइंडट्री हेलेन केलर अवार्ड्स-2022 : स्थायी और समावेशी विकास के हमारे विषयगत ध्यान के साथ श्रेणीबद्धता, समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण.

**विज़नेस एक्सलेन्स थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट बीएमएल मुंजाल अवाड्र्स द्वारा**: एक सक्षम, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के पोषण की हमारी व्यापक रिपोर्ट थीम के साथ तालमेल बिठाते हुए, सीखने और विकास की पहल को बढ़ाने में हमारे प्रयासों को मान्यता.

## वित्तीय वर्ष 2023 के लिए प्राप्त पुरस्कारों की विस्तृत सूची

**आईएसटीडी 31 नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस,** आईएसटीडी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त : यह पुरस्कार हमारी प्रशिक्षण प्रथाओं में नवाचार को मान्यता देता है, जो डिजिटली कुशल कार्यबल के निर्माण की हमारी थीम के अनुरूप, भविष्य के लिए आवश्यक कौशल के साथ हमारे कर्मचारियों को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.

**पायनीरींग वर्क इन क्रेयटिंग फ्युचर रेडी इंक्लूसीव ऑर्गनाइज़ेशन** एट आईएसी कॉर्पोरेट अवाड्र्स 2023 : एक सम्मान जो भविष्य के लिए तैयार, समावेशी संगठन के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, जो स्थायी और समावेशी बैंकिंग के हमारे रिपोर्ट के व्यापक विषय के साथ पूरी तरह से मेल खाता है.

**पीडबल्यूडी समावेशन हेतु सर्वश्रेष्ठ संगठन का** बिजनेस वर्ल्ड पीपल एंड आस्क इनसाइट्स में "डिसेबिलिटी पॉज़िटिव अवार्ड्स": यह पुरस्कार स्थायी और समावेशी विकास के हमारे व्यापक विषय को प्रतिबिंबित करते हुए, दिव्यांग कार्मिकों के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने के हमारे प्रयासों की अभिस्वीकृति करता है.

## विविधता पर बल देना - एक जीवंत कार्य-बल

अपने ग्राहकों को अद्वितीय उत्कृष्टता के साथ सेवा देने के लिए, हम अपने सभी कार्यात्मक आउटलेट्स और क्षेत्रों में विविध, प्रतिभाशाली और कार्यरत कार्यबल को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं. इस प्रकार का कार्यबल भविष्य के लिए तैयार, डिजिटल और स्थायी बैंकिंग संरचना को आकार देने के हमारी रिपोर्ट के विषय का अभिन्न अंग है. .

### कार्मिक कार्यनीति और योजना

हम कारोबार वृद्धि, शाखा विस्तार और भविष्य में सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से क्षरण के जैसे उभरते कारकों पर नजर रखते हुए, सालाना विभिन्न संवर्गों में स्टाफ की आवश्यकता को मापने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण लागू करते हैं. यह कार्यनीति सावधानीपूर्वक विश्लेषण और लचीली योजना से परिपूर्ण है, जो स्टाफिंग दक्षता को बढ़ाती है और बैंकिंग के डिजिटल और स्थायी भविष्य के लिए हमारी तैयारी सुनिश्चित करती है.

मानव पूंजी को प्रभावी बनाना:
*डिजिटल, संवहनीय भविष्य की दिशा में*

## कार्यबल में विविधता और समावेशन

एक बैंक के रूप में विविधता, समावेशन और समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अडिग बनी हुई है. सरकार की आरक्षण नीतियों का सख्ती से पालन किया जाता है, जैसा कि 31 मार्च, 2023 तक हमारे कार्यबल वितरण में दर्शाया गया है, यहां इसे पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है:

- अनुसूचित जाति (एससी): 19.67%
- अनुसूचित जनजाति (एसटी): 7.91%
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी): 30.10%
- भूतपूर्व सैनिक: 6.23%
- महिलाएँ: 28.82%
- अल्पसंख्यक समुदाय: 7.14%

ये आँकड़े केवल संख्याएँ नहीं हैं बल्कि कार्यबल में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए हमारे अथक समर्पण के ठोस प्रमाण हैं. इसके अलावा, ये आंकड़े अधिक विविध, स्थायी और समावेशी बैंकिंग परिदृश्य के प्रति हमारी प्रतिज्ञा को प्रतिबिंबित करते हैं, जो हमारी रिपोर्ट के व्यापक विषय को दर्शाते हैं.

**75,594**

मार्च 2023 तक हमारा कुल कार्यबल, जो कि बदलते बैंकिंग परिदृश्य के बीच हमारे लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को दर्शाता है.

**28.82%**

2023 में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत, लैंगिक समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का संकेत देता है.

**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग**

हमारे कर्मचारियों की संख्या में अजा, अजजा और अपिव का जबर्दस्त प्रतिनिधित्व क्रमश: 19.67%, 7.91% और 30.10% है, जो सामाजिक समावेशन के हमारे समर्पण को दर्शाता है.

**6.23%**

पूर्व सैनिक स्टाफ हमारे संस्थान में उनके द्वारा लाए गए कौशल एवं अनुभव को हमारे द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने को रेखांकित करता है.

### यूनियन प्रेरणा परियोजना: डिजिटल रूप से सक्षम, लचीले कार्यबल के लिए कौशल और कल्याण को बढ़ावा देना

**1. कौशल प्रोफाइलिंग अभ्यास:**

हमने वेतनमान 4 और 5 के कर्मचारियों के लिए एक कौशल मूल्यांकन और अंतर विश्लेषण पहल शुरू की है, जिसमें एक समर्पित इन-हाउस टूल नियोजित किया गया है. यह कदम हमारे विकसित होते कारोबार परिदृश्य के अनुरूप पारंपरिक और नए जमाने के बैंकिंग कौशल की पहचान करने, प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मार्गदर्शन करने और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दक्षताओं को बढ़ावा देने में मदद करता है.

**2. उत्तराधिकारी योजना अभ्यास**

हमारा नवोन्मेषी प्रतिभा प्रबंधन और उत्तराधिकार योजना प्रबंधन कारोबार निरंतरता और निर्बाध नेतृत्व परिवर्तन सुनिश्चित करता है. संभावित उत्तराधिकारियों की पहचान करके और प्रमुख दक्षताओं के आधार पर उनका मूल्यांकन करके, हम आज अपने भावी नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं.

**3. शाखा प्रमुखों के लिए विंग्स प्रोग्राम (वेतनमान IV और ऊपर):**

विंग्स प्रोग्राम हमारी श्रेणियों के भीतर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से, हम महिलाओं के विकास और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेने, बातचीत कौशल और समय प्रबंधन सहित महत्वपूर्ण कौशल विकसित करते हैं.

**4. पॉवर हिम तथा एमपॉवर हर**

लिंग-विशिष्ट कैरियर चुनौतियों को केंद्रित करते हुए, ये समितियाँ कैरियर में प्रगति और पदोन्नति की अनिच्छा जैसे मुद्दों पर संवाद के लिए मंच प्रदान करती हैं. इसमें हमारे दृष्टिकोण में कार्यशालाओं और वेबिनार जैसे इंटरैक्टिव टूल शामिल हैं, जो सामाजिक सरोकार की पहल के साथ कार्यबल विकास को जोड़ते हैं.

**5. कर्मचारी कल्याण (कर्मचारी सहायता कार्यक्रम):**

यूनियन प्रेरणा का सुरक्षा-एचआर कार्यक्रम हमारे कर्मचारियों के समग्र कल्याण पर केंद्रित है. परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हुए, हम कर्मचारियों को व्यक्तिगत और कारोबार चुनौतियों का प्रबंधन करने, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, उत्पादकता बढ़ाने और तनाव के स्तर को कम करने की दिशा में प्रयास करने में सहायता करते हैं.

## ज्ञानार्जन और विकास: भविष्य के लिए तैयार, डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल का निर्माण

हमारी ज्ञानार्जन और विकास की पहल न केवल महत्वाकांक्षी हैं, बल्कि वे हमारे कार्यबल को डिजिटल दक्षता से लैस करने और स्थायी प्रथाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने पर आधारित हैं. यूनियन लर्निंग अकादमियों, बाहरी साझेदारियों और आधुनिक प्रशिक्षण विधियों के माध्यम से, हम डिजिटल और हरित भविष्य के लिए प्रतिभा पूल विकसित कर रहे हैं. ये प्रयास एक स्थायी और डिजिटल रूप से उन्नत भविष्य के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाते हैं, हमारे कर्मचारियों को एक परिवर्तनकारी बैंकिंग अनुभव के लिए तैयार करते हैं और इस तरह, एक डिजिटल रूप से सशक्त, स्थायी भारत के निर्माण में योगदान देते हैं.

डिजिटल अंतर को कम करना व्यापक डिजिटल पहुंच के लिए भाषा समावेशन; हम स्थिरता के मुख्य पहलू के रूप में समावेशिता में दृढ़ता से विश्वास करते हैं. इसलिए, राजभाषा को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में प्रतिबिंबित होती है, जो विभिन्न भाषा जनसांख्यिकी में डिजिटल समावेशन की सुविधा प्रदान करती है. यह प्रथा डिजिटल बैंकिंग को लोकतांत्रिक बनाती है, एक अधिक समावेशी और डिजिटली कुशल भारत का मार्ग प्रशस्त करती है, जो स्थिरता और डिजिटलीकरण की हमारी थीम के अनुरूप है.

*अपने संस्थागत प्रयासों और मानव पूंजी में निवेश के माध्यम से, हम अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए भारत को एक डिजिटल और हरित ऊर्जाघर बनाने की दिशा में प्रक्षेपण पथ को प्रशस्त कर रहे हैं. हितधारकों के लिए दीर्घकालिक लाभ तैयार करते हुए और निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के वैश्विक प्रयास में योगदान दे रहे हैं.*

अपने युक्तिपूर्ण प्रयासों के माध्यम से, हम विविध और डिजिटली कुशल कार्य-बल द्वारा समर्थित एक डिजिटल, स्थायी भारत में विकास को आगे बढ़ा रहे हैं. कार्य-बल में निवेश हितधारकों के लिए दीर्घकालिक लाभ तैयार करते हुए भारत को एक डिजिटल और हरित ऊर्जाघर बनाने की दिशा में प्रक्षेपण पथ को तेज करते हुए निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के वैश्विक प्रयास में योगदान देने की हमारी प्रतिबद्धता है.

**1,633**

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या

**13,98,470**

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान प्रशिक्षण हेतु प्रदत्त कुल अवधि (घंटे में)

## कर्मचारी सहभागिता, प्रतिधारण, और प्रतिभा आकर्षण

पीटर ड्रकर के अनुसार, “जो मापा जा सकता है उसे प्रबंधित किया जा सकता है.” कर्मचारी प्रतिधारण और सहभागिता स्तर महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें नियोक्ता अक्सर प्रभावित करने का प्रयास करते हैं. सहभागिता और प्रतिधारण में सुधार के लिए कार्यनीतियों को पेश करके, कंपनियां सफलता के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती हैं. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिभा प्रबंधन का उपयोग करना इसे प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक उपाय है.

बेहतर प्रतिभा प्रबंधन के माध्यम से कर्मचारी जुड़ाव और प्रतिधारण कार्यनीतियों को लागू करना एक प्रतिबद्ध और संलग्न कार्यबल बनाने का एक आजमाया और परखा हुआ तरीका है. यही कारण है कि अग्रणी कंपनियाँ प्रतिभा प्रबंधन और कर्मचारियों की सहभागिता को उनकी केंद्रीय संरचनात्मक योजनाओं में शामिल करने पर बल देती हैं.

## कर्मचारी सहभागिता और प्रतिधारण को परिभाषित करना

कर्मचारियों की सहभागिता एक सकारात्मक कामकाजी माहौल बनाती है जिसमें कर्मचारी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए इच्छुक और सक्षम महसूस करते हैं. कर्मचारी सहभागिता सिर्फ एक प्रसन्न या संतुष्ट कार्यबल से कहीं अधिक है. कर्मचारी सहभागिता में प्रसन्नता आवश्यक है, वास्तव में सहभागी टीम बनाने के लिए, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए संवाद, सहयोग और कल्याण जैसे तत्वों को संबोधित किया जाना चाहिए.

कर्मचारी सहभागिता कार्यनीति सहभागिता में सुधार के साथ कर्मचारी प्रतिधारण योजनाओं पर भी काम करती है. कर्मचारी प्रतिधारण एक प्रतिधारण उपकरण के रूप में कर्मचारी सहभागिता का उपयोग करके मौजूदा कर्मचारियों को बनाए रखने की बैंक की क्षमता को संदर्भित करता है. बैंक अक्सर ऐसे माहौल को विकसित करने और बनाए रखने के लिए कर्मचारी प्रतिधारण पहल शुरू करता है जहां मौजूदा कर्मचारी समर्थित महसूस करते हैं और आपके बैंक के भीतर बने रहना चाहते हैं. मौजूदा कर्मचारियों को बनाए रखने से भर्ती लागत कम हो जाती है और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में लगने वाला समय और प्रयास कम हो जाता है.

## संवहनीयता और डिजिटलीकरण के युग में प्रतिभा प्रबंधन का महत्व

प्रतिभा प्रबंधन, मूल्यवान कर्मचारियों को आकर्षित करने, पहचानने, पोषण करने और बनाए रखने की दिशा में रखे जाने वाला कदम है जो स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में किसी संगठन के अभियान पर गहरा प्रभाव डालता है. कर्मचारी सहभागिता और प्रतिधारण की नब्ज के रूप में कार्य करने वाली ये पहल, डिजिटल युग में विकसित हो रहे यूनियन बैंक की सफलता और स्थिरता की हमारी खोज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. एक व्यापक प्रतिभा प्रबंधन प्रणाली के अभाव का परिणाम असहभागी, आगे बढने को अनिच्छुक, छोडने के लिए अधिक प्रेरित कार्यबल हो सकता है जो एक स्थायी, डिजिटल रूप से सशक्त भविष्य की दिशा में हमारी यात्रा में बाधा उत्पन्न कर सकता है.

डिजिटलीकरण और स्थिरता की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, सम्मोहक कार्यनीतियों के माध्यम से कर्मचारियों को आकर्षित करने की तात्कालिकता अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. प्रतिभा प्रबंधन के लिए इस प्रकार की सहभागिता हमारा कार्यनीतिक उपकरण है, जो सतत विकास और डिजिटल परिवर्तन के हमारे उद्देश्य के अनुरूप है. डिजिटल युग की चुनौतियों और अवसरों के बीच यूनियन बैंक के फलने-फूलने के लिए यह एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है.

प्रतिभा प्रबंधन एक समर्पित कार्यबल को प्रोत्साहित करने वाली संस्कृति को बढ़ावा देकर हमारी भागीदारी और प्रतिधारण प्रयासों को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है. डिजिटलीकरण और स्थिरता विषय प्रतिभा प्रबंधन के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों - ऑनबोर्डिंग, कार्य-निष्पादन और प्रतिधारण के रूप में आते हैं. यह दृष्टिकोण हमें डिजिटल परिदृश्य में पथ प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार करता है, साथ ही एक स्थायी भविष्य की ओर भी कदम बढ़ाता है.

## कर्मचारी स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की देखभाल

हमारे परिचालन के केंद्र में, हम अपनी सफलता के लिए अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को मौलिक मानते हैं. हमारा मानना है कि उनकी जरूरतों को संबोधित करके और उनके सामान्य कल्याण को सुनिश्चित करके, हम उन्हें उनकी क्षमता तक पहुंचने, रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ावा देने, सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने और तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत और हमारे संगठनात्मक विकास दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसके आलोक में, हमने कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं:

1. **वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना:** इस पहल में 35 वर्ष और उससे अधिक आयु के कर्मचारियों को रुपये 2200 से लेकर रुपये 5000 तक की वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है. 40+ आयु वालों और कार्यपालकों के लिए अनिवार्य परीक्षणों में स्वास्थ्य पहलुओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए विश्लेषण करने वाला एक व्यापक परीक्षण सेट शामिल है.
2. **प्रसवपूर्व जांच योजना:** मातृ स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार करते हुए, महिला कर्मचारियों के लिए प्रसवपूर्व जांच के लिए हम 5000 रु तक प्रदान करते हैं. किसी कर्मचारी द्वारा सेवा कार्यकाल के दौरान इस लाभ का दावा दो बार किया जा सकता है.
3. **बाल देखभाल सुविधा योजना:** आधुनिक कामकाजी माता-पिता की चुनौतियों को पहचानते हुए, हम 3000 रुपये प्रति बच्चा (पांच वर्ष से कम उम्र के दो आश्रित बच्चों तक) की प्रतिपूर्ति घोषणा के आधार पर महिला और एकल पुरुष दोनों कर्मचारियों को सहयोग रूप में प्रदान करते हैं.
4. **समूह दुर्घटना बीमा योजना:** अपनी टीम की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, हम बोर्ड के सदस्यों सहित सभी स्टाफ सदस्यों को रुपये 6 लाख से लेकर रुपये 45 लाख का दुर्घटना कवरेज प्रदान करते हैं. इसमें आपका बैंक बीमा प्रीमियम लागत का वहन करता है.
5. **समूह बीमा योजना:** हमने कर्मचारी आवास ऋण, कर्मचारी परिवहन ऋण और कर्मचारी ओवरड्राफ्ट के लिए बकाया ऋण राशि को कवर करने वाली एक योजना भी शुरू की है.

## एक समावेशी कार्यबल का निर्माण

आरक्षण पर सरकार की नीति के अनुरूप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक विविध कार्यबल तैयार करने में गर्व महसूस करता है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछला वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों का सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व शामिल है. समावेशिता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों और अनुभवों को एक साथ लाती है, जो एक समृद्ध, जीवंत वातावरण बनाती है जो नवाचार को बढ़ावा देती है और हमारी गति को आगे बढ़ाती है.

**2,488**
आपके बैंक में सभी संवर्गों के दिव्यांग कर्मचारी

**21,790**
आपके बैंक में महिला स्टाफ की संख्या

## महिला सशक्तिकरण

लैंगिक समानता के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, हमने सभी संवर्गों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की

हैं. हमारी नीति की आधारशिला यौन उत्पीड़न निवारण (पॉश) तंत्र है, जिसे हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ सुनिश्चित करते हुए हर शिकायत के लिए  त्वरित, निष्पक्ष कार्रवाई और अधिकतम गोपनीयता बनाए रखते हैं. क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों से लेकर केंद्रीय कार्यालय तक, प्रत्येक प्राशासनिक स्तर पर यौन उत्पीड़न निवारण समितियाँ (एसएचआरसी) स्थापित की जाती हैं.  इसके अलावा, हम महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछला वर्ग कर्मचारियों और दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) के लिए पदोन्नति और स्थानांतरण/पद-स्थापन चक्र में कुछ छूट देकर एक सकारात्मक पक्षपात करते हैं, जिससे उनके सहूलियत और विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है.

कोविड-19 महामारी पर अनुक्रिया में, हमने विशेष आवश्यकता वाले कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं और स्थायी-रूग्णताओं वाले कर्मचारियों के लिए अलग-अलग समय और घर से काम करने के प्रावधानों सहित दिशा-निर्देश जारी किए. एक कोविड ट्रैकर त्वरित निर्णय लेने में सहायता करता जबकि स्थानीय कोविड सहायता टीमें (सीएटी) त्वरित सहायता प्रदान करती. हमने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए टीकाकरण अभियान भी आयोजित किया. हमारे अवकाश लाभों में, एक उच्च अध्ययन के लिए सभी कर्मचारियों के लिए और दूसरी विशेष रूप से महिलाओं को उनकी दोहरी भूमिकाओं को मान्यता देते हुए पृथक विराम अवकाश की दो नीतियां शामिल हैं.  इसके अतिरिक्त समावेशिता और लैंगिक संतुलन के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, हम वैधानिक सीमा के परे, विस्तारित मातृत्व अवकाश (छः महीने) और पितृत्व अवकाश प्रदान करते हैं.

## कल्याण

बैंक की कल्याण और सहभागिता कार्यनीति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण में समग्र समर्थकों के एक स्पेक्ट्रम को दर्शाती है.

'एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में': अपने कल्याण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, आपके बैंक ने एक अद्वितीय 'पथ प्रदर्शक भूमिका' कार्यक्रम डिज़ाइन किया है.  इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों को खुद को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, पूर्ण जीवन जीने, अपने दैनिक जीवन में अधिक कुशल बनने और स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को खत्म करने के साधनों से लैस करना है. अंततः, उन्हें सहानुभूति और समझ पैदा करके दूसरों को प्रबंधित करने और अपने व्यक्तिगत और कारोबार संबंधों को बेहतर बनाने में सक्षम होना चाहिए.

## कर्मचारी आचार संहिता और व्हिसिल ब्लोअर तंत्र

कर्मचारी आचार संहिता: आपकी बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, आचरण विनियम बनाने के लिए जिम्मेदार है.

व्हिसल-ब्लोअर तंत्र: आपके बैंक ने आपके बैंक के कर्मचारियों और बोर्ड के निदेशकों को गोपनीयता और सुरक्षा के आश्वासन के साथ किसी भी कदाचार से संबन्धित मामलों को प्रकट करने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है और उसे अपनाया है.

ऐथिक्स प्रशिक्षण: ऐथिक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. एक ऐथिक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को किसी नैतिक दुविधा से निपटने और उनके समग्र नैतिक आचरण में सुधार करने के निर्देश प्रदान करता है. ऐथिक्स पर हमारे बैंक द्वारा आयोजित प्रशिक्षण का विवरण निम्न प्रकार से है:

**आंतरिक प्रशिक्षण:**

| प्रशिक्षण | वित्तीय वर्ष 2021-22 | | वित्तीय वर्ष 2022-23 | |
|---|---|---|---|---|
| | कार्यक्रमों की संख्या | प्रशिक्षितों की संख्या | कार्यक्रमों की संख्या | प्रशिक्षितों की संख्या |
| ऐथिक्स प्रशिक्षण, नैतिकता विषयों पर कर्मचारी संवाद, और ऐथिक्स कार्यक्रम मूल्यांकन | 7 | 210 | 410 | 13,790 |

**बाहरी प्रशिक्षण:**

| प्रशिक्षण | वित्तीय वर्ष 2021-22 | | वित्तीय वर्ष 2022-23 | |
|---|---|---|---|---|
| | कार्यक्रमों की संख्या | प्रशिक्षितों की संख्या | कार्यक्रमों की संख्या | प्रशिक्षितों की संख्या |
| ऐथिक्स प्रशिक्षण, नैतिकता विषयों पर कर्मचारी संवाद, और ऐथिक्स कार्यक्रम मूल्यांकन | 3 | 9 | 1 | 11 |

# जीआरआई सूचकांक तालिका

| मद | जीआरआई मानक | प्रकटीकरण संख्या | प्रकटीकरण | जीआरआई: मानक रूपरेखा | प्रासंगिक एसएएसबी संदर्भ जहां लागू हो | यूएनएसडीजी संदर्भ जहां लागू हो | पृष्ठ संख्या | सामग्री विषय # | सामग्री विषय का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जीआरआई 102 | 1 | संस्था का नाम | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | लागू नहीं | लागू नहीं | *पृष्ठ संख्या 8* | 36 | नेतृत्व और सुशासन - प्रतिष्ठा, संवाद और जागरूकता |
| 2 | जीआरआई 102 | 2 | गतिविधियां, ब्राण्ड, उत्पाद तथा सेवाएं | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | लागू नहीं | लागू नहीं | *पृष्ठ संख्या 42* | 23 | कारोबार प्रारूप और नवाचार - उत्पाद डिजाइन और नवाचार का महत्व |
| 3 | जीआरआई 102 | 3 | केंद्रीय कार्यालय का अवस्थान | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | लागू नहीं | लागू नहीं | *पृष्ठ संख्या 8* | 32 | कारोबार प्रारूप और नवाचार - कानूनी और नियामक वातावरण का प्रबंधन |
| 4 | जीआरआई 102 | 4 | परिचालन का अवस्थान | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | लागू नहीं | लागू नहीं | *पृष्ठ संख्या 65,178* | 39 | अर्थव्यवस्था - स्थानीय समुदायों पर प्रभाव |
| 5 | जीआरआई 102 | 5 | स्वामित्व तथा विधिक प्रारूप | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | लागू नहीं | लागू नहीं | *पृष्ठ संख्या 9* | 36 | नेतृत्व और सुशासन - प्रतिष्ठा, संवाद और जागरूकता |
| 6 | जीआरआई 102 | 6 | बाजार सेवा क्षेत्र | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | लागू नहीं | लागू नहीं | *पृष्ठ संख्या 65,209* | 25 | कारोबार प्रारूप और नवाचार -पूंजी तक पहुंच तथा ग्राहक |
| 7 | जीआरआई 102 | 7 | संगठन का संवर्ग | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | लागू नहीं | लागू नहीं | *पृष्ठ संख्या 42* | 24 | कारोबार प्रारूप और नवाचार - कारोबार प्रारूप लचीलेपन की आवश्यकता |
| 8 | जीआरआई 102 | 8 | कर्मचारियों तथा अन्य कार्मिकों की जानकारी | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | एचसी -ए<br>एचसी -बी | 8.5, 8.8 | *पृष्ठ संख्या 120* | 18 | मानवीय पूंजी-श्रम अभ्यास एवं रोजगार |
| 9 | जीआरआई 102 | 9 | आपूर्ति शृंखला | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | सीजी -एए | 12.6 | *पृष्ठ संख्या 42* | 26 | कारोबार प्रारूप और नवाचार -आपूर्ति शृंखला प्रबंधन की भूमिका |
| 10 | जीआरआई 102 | 10 | संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इसकी आपूर्ति शृंखला | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | लागू नहीं | लागू नहीं | *पृष्ठ संख्या 42* | 24 | कारोबार प्रारूप और नवाचार - कारोबार प्रारूप लचीलेपन की आवश्यकता |
| 11 | जीआरआई 102 | 11 | निवारक सिद्धांत या दृष्टिकोण | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | सीजी -एए | 16.5 | *पृष्ठ संख्या 91 & 198* | 33 | नेतृत्व और सुशासन -जोखिम प्रबंधन |
| 12 | जीआरआई 102 | 12 | बाहरी पहल | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | सीजी -एए | 17.6 | *पृष्ठ संख्या 104* | 17 | सामाजिक पूंजी - सामाजिक विकास एवं सामुदायिक भागीदारी |
| 13 | जीआरआई 102 | 13 | संघों की सदस्यता | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | लागू नहीं | लागू नहीं | *पृष्ठ संख्या 198* | 36 | नेतृत्व और सुशासन - प्रतिष्ठा, संवाद और जागरूकता |
| 14 | जीआरआई 102 | 14 | वरिष्ठ निर्णयकर्ता का वक्तव्य | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | लागू नहीं | लागू नहीं | *पृष्ठ संख्या 20-23, 29, 48-49* | 29 | नेतृत्व और सुशासन - कारोबार नैतिकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक उपाय |
| 15 | जीआरआई 102 | 15 | प्रमुख प्रभाव, जोखिम, और अवसर | जीआरआई: 102 सामान्य प्रकटीकरण 2016 | सीजी -एए | 13.1 | *पृष्ठ संख्या 28* | 33 | नेतृत्व और सुशासन -जोखिम प्रबंधन |

## जीआरआई सूचकांक तालिका

| मद | जीआरआई मानक | प्रकटीकरण संख्या | प्रकटीकरण | जीआरआई: मानक रूपरेखा | प्रासंगिक एसएएसबी संदर्भ जहां लागू हो | यूएनएसडीजी संदर्भ जहां लागू हो | पृष्ठ संख्या | सामग्री विषय | सामग्री विषय का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | जीआरआई 103 | 1 | भौतिक विषय और उसकी सीमा की व्याख्या | जीआरआई: 103 प्रबंधन दृष्टिकोण 2016 | लागू नहीं | लागू नहीं | *पृष्ठ संख्या 36-41* | 33 | नेतृत्व और सुशासन -जोखिम प्रबंधन |
| 17 | जीआरआई 201 | 1 | प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य सृजन एवं संवितरण | जीआरआई: 201 आर्थिक कार्य-निष्पादन 2016 | एफबी -ईसी | 8.1, 8.2 | *पृष्ठ संख्या 44-45* | 37 | अर्थव्यवस्था - वस्तु मूल्य अस्थिरता |
| 18 | जीआरआई 202 | 1 | स्थानीय न्यूनतम वेतन की तुलना में लिंग के आधार पर मानक प्रवेश स्तर वेतन का अनुपात | जीआरआई: 202 बाजार उपस्थिति 2016 | एचसी -बी | 5.1, 8.5 | *पृष्ठ संख्या 120* | 22 | मानव पूंजी - कर्मचारी सहभागिता, विविधता और समावेशन |
| 19 | जीआरआई 202 | 2 | स्थानीय समुदाय से नियुक्त वरिष्ठ प्रबंधन का अनुपात | जीआरआई: 202 बाजार उपस्थिति 2016 | एचसी -बी | 8.5 | *पृष्ठ संख्या 163* | 39 | अर्थव्यवस्था - स्थानीय समुदाय पर प्रभाव |
| 20 | जीआरआई 203 | 1 | संरचनात्मक निवेश और समर्थित सेवाएं | जीआरआई: 203 अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव 2016 | आईएफ -ईपी | 9.1, 9.3 | *पृष्ठ संख्या 80-89* | 24 | कारोबार प्रारूप और नवाचार - कारोबार प्रारूप में लचीलेपन की आवश्यकता |
| 21 | जीआरआई 203 | 2 | महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव | जीआरआई: 203 अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव 2016 | आईएफ -ईपी | 8.1, 8.2 | *पृष्ठ संख्या 48-58* | 39 | अर्थव्यवस्था - स्थानीय समुदाय पर प्रभाव |
| 22 | जीआरआई 205 | 1 | भ्रष्टाचार से संबंधित जोखिमों हेतु परिचालन का किया गया मूल्यांकन | जीआरआई: 205 भ्रष्टाचार निरोधक 2016 | सीजी -एए | 16.5 | *पृष्ठ संख्या 20-23, 29, 48-49* | 29 | नेतृत्व और सुशासन -कारोबार नैतिकता तथा भ्रष्टाचार निरोधक उपाय |
| 23 | जीआरआई 205 | 2 | भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में संवाद और प्रशिक्षण | जीआरआई: 205 भ्रष्टाचार निरोधक 2016 | सीजी -एए | 16.5 | *पृष्ठ संख्या 41, 129, 194, 243* | 29 | नेतृत्व और सुशासन -कारोबार नैतिकता तथा भ्रष्टाचार निरोधक उपाय |
| 24 | जीआरआई 205 | 3 | भ्रष्टाचार की घटनाओं की पुष्टि और की गई कार्रवाई | जीआरआई: 205 भ्रष्टाचार निरोधक 2016 | सीजी -एए | 16.5 | *पृष्ठ संख्या 20-23, 29, 48-49* | 29 | नेतृत्व और सुशासन -कारोबार नैतिकता तथा भ्रष्टाचार निरोधक उपाय |
| 25 | जीआरआई 206 | 1 | प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार, विश्वास-विरोधी और एकाधिकार प्रथाओं के लिए कानूनी कार्रवाइयां | जीआरआई: 206 भ्रष्टाचार निरोधक व्यवहार 2016 | सीजी -सीसी | 16.3 | *पृष्ठ संख्या 20-23, 29, 48-49* | 31 | नेतृत्व और सुशासन - प्रतिस्पर्धा व्यवहार |
| 26 | जीआरआई 302 | 1 | संगठन के भीतर ऊर्जा की खपत | जीआरआई: 302 ऊर्जा 2016 | आईएफ-ईयू आईएफ -ईपी | 7.3, 12.2 | *पृष्ठ संख्या 98-103* | 3 | पर्यावरण -ऊर्जा प्रबंधन तथा नवीनीकरण ऊर्जा प्रयोग |
| 27 | जीआरआई 302 | 3 | ऊर्जा घनत्व | जीआरआई: 302 ऊर्जा 2016 | आईएफ -ईयू आईएफ -ईपी | 7.3, 12.2 | *पृष्ठ संख्या 98-103* | 3 | पर्यावरण - ऊर्जा प्रबंधन एवं नवीनीकरण ऊर्जा प्रयोग |
| 28 | जीआरआई 302 | 4 | ऊर्जा की खपत में कमी | जीआरआई: 302 ऊर्जा 2016 | आईएफ -ईयू आईएफ -ईपी | 7.3, 12.2 | *पृष्ठ संख्या 98-103* | 3 | पर्यावरण - ऊर्जा प्रबंधन एवं पुनर्नवीकरण ऊर्जा प्रयोग |

## जीआरआई सूचकांक तालिका

| मद | जीआरआई मानक | प्रकटीकरण संख्या | प्रकटीकरण | जीआरआई: मानक रूपरेखा | प्रासंगिक एसएएसबी संदर्भ जहां लागू हो | यूएनएसडीजी संदर्भ जहां लागू हो | पृष्ठ संख्या | सामग्री विषय | सामग्री विषय का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | जीआरआई 303 | 1 | एक साझा संसाधन के रूप में जल के साथ इंटरेक्शन | जीआरआई: 303 जल और अपशिष्ट 2018 | आईएफ -ईपी ईएम -एमएम | 6.4.12.2 | *पृष्ठ संख्या 98-103* | 4 | पर्यावरण - जल प्रबंधन |
| 30 | जीआरआई 304 | 1 | संरक्षित क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में स्वामित्व वाली, पट्टे पर दी गई, प्रबंधित या निकटवर्ती परिचालन स्थल | जीआरआई: 304 जैव विविधता 2016 | ईएम - एमएम | 15.1,15.5 | *पृष्ठ संख्या 46* | 7 | पर्यावरण - जैव विविधता प्रबंधन |
| 31 | जीआरआई 305 | 1 | प्रत्यक्ष (स्कोप 1) जीएचजी उत्सर्जन | जीआरआई: 305 उत्सर्जन 2016 | आईएफ -ईयू आईएफ -ईपी | 13.1, 13.2 | *पृष्ठ संख्या 46, 90, 98* | 1 | पर्यावरण - जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन |
| 32 | जीआरआई 305 | 2 | अप्रत्यक्ष ऊर्जा (स्कोप 2) जीएचजी उत्सर्जन | जीआरआई: 305 उत्सर्जन 2016 | आईएफ -ईयू आईएफ -ईपी | 13.1, 13.2 | *पृष्ठ संख्या 46, 90, 98* | 1 | पर्यावरण - जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन |
| 33 | जीआरआई 305 | 3 | अन्य अप्रत्यक्ष (स्कोप 3) जीएचजी उत्सर्जन | जीआरआई: 305 उत्सर्जन 2016 | आईएफ -ईयू आईएफ -ईपी | 13.1, 13.2 | *पृष्ठ संख्या 46, 90, 98* | 1 | पर्यावरण - जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन |
| 34 | जीआरआई 305 | 4 | जीएचजी उत्सर्जन की तीव्रता | जीआरआई: 305 उत्सर्जन 2016 | आईएफ -ईयू आईएफ -ईपी | 13.1, 13.2 | *पृष्ठ संख्या 46, 90, 98* | 1 | पर्यावरण - जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन |
| 35 | जीआरआई 305 | 5 | जीएचजी उत्सर्जन में कमी | जीआरआई: 305 उत्सर्जन 2016 | आईएफ -ईयू आईएफ -ईपी | 13.1, 13.2 | *पृष्ठ संख्या 46, 90, 98* | 1 | पर्यावरण - जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन |
| 36 | जीआरआई 306 | 1 | अपशिष्ट उत्पादन और महत्वपूर्ण अपशिष्ट-संबंधी प्रभाव | जीआरआई: 306 अपशिष्ट 2020 | ईएम -एमएम | 12.4, 12.5 | *पृष्ठ संख्या 46* | 6 | पर्यावरण - अपशिष्ट प्रबंधन |
| 37 | जीआरआई 307 | 1 | पर्यावरण कानूनों और विनियमों का अननुपालन | जीआरआई: 307 पर्यावरणीय अनुपालना 2016 | ईएम -एमएम आईएफ -ईपी | 16.3 | *पृष्ठ संख्या 46, 90, 98* | 8 | पर्यावरण -पर्यावरणीय अनुपालन |
| 38 | जीआरआई 401 | 1 | नए कर्मचारियों की नियुक्ति और कर्मचारियों का टर्नओवर | जीआरआई: 401 रोजगार 2016 | एचसी -बी | 8.5, 8.6 | *पृष्ठ संख्या 120-129* | 18 | मानव पूंजी - श्रम प्रक्रिया तथा रोजगार |
| 39 | जीआरआई 402 | 1 | परिचालन परिवर्तन के संबंध में न्यूनतम सूचना अवधि | जीआरआई: 402 मजदूर प्रबंधन सम्बंध 2016 | लागू नहीं | लागू नहीं | *पृष्ठ संख्या 120-129* | 22 | मानव पूंजी - कर्मचारी संवाद, विविधता तथा समावेशन |
| 40 | जीआरआई 403 | 1 | कारोबार स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली | जीआरआई: 403 कारोबार स्वास्थ्य और सुरक्षा 2018 | ईएम -एमएम आईएफ -ईपी | 8.8 | *पृष्ठ संख्या 120-129* | 20 | मानव पूंजी -कर्मचारी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा |
| 41 | जीआरआई 403 | 2 | खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन, और घटना की जांच | जीआरआई: 403 कारोबार स्वास्थ्य और सुरक्षा 2018 | ईएम -एमएम आईएफ -ईपी | 8.8 | *पृष्ठ संख्या 120-129* | 20 | मानव पूंजी -कर्मचारी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा |

## जीआरआई सूचकांक तालिका

| मद | जीआरआई मानक | प्रकटीकरण संख्या | प्रकटीकरण | जीआरआई: मानक रूपरेखा | प्रासंगिक एसएएसबी संदर्भ जहां लागू हो | यूएनएसडीजी संदर्भ जहां लागू हो | पृष्ठ संख्या | सामग्री विषय | सामग्री विषय का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | जीआरआई 403 | 3 | कारोबार स्वास्थ्य सेवाएँ | जीआरआई: 403 कारोबार स्वास्थ्य और सुरक्षा 2018 | ईएम -एमएम आईएफ -ईपी | 8.8 | *पृष्ठ संख्या 120-129* | 20 | मानव पूंजी -कर्मचारी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा |
| 43 | जीआरआई 403 | 4 | कारोबार स्वास्थ्य और सुरक्षा पर श्रमिक भागीदारी, परामर्श और संवाद | जीआरआई: 403 कारोबार स्वास्थ्य और सुरक्षा 2018 | ईएम -एमएम आईएफ -ईपी | 8.8 | *पृष्ठ संख्या 120-129* | 20 | मानव पूंजी -कर्मचारी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा |
| 44 | जीआरआई 404 | 1 | प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष प्रशिक्षण के औसत घंटे | जीआरआई: 404 प्रशिक्षण तथा शिक्षा 2016 | एचसी-बी | 8.5 | *पृष्ठ संख्या 120-129* | 19 | मानव पूंजी -प्रशिक्षण तथा कौशल विकास |
| 45 | जीआरआई 404 | 2 | कर्मचारी कौशल उन्नयन के लिए कार्यक्रम और संक्रमण सहायता कार्यक्रम | जीआरआई: 404 प्रशिक्षण तथा शिक्षा 2016 | एचसी-बी | 8.5 | *पृष्ठ संख्या 120-129* | 19 | मानव पूंजी -प्रशिक्षण तथा कौशल विकास |
| 46 | जीआरआई 405 | 1 | शासन निकायों और कर्मचारियों की विविधता | जीआरआई: 405 विविधता एवं समान अवसर 2016 | एचसी-बी | 5.1, 5.5 | *पृष्ठ संख्या 120-129* | 22 | मानव पूंजी -कर्मचारी संवाद, विविधता तथा समावेशन |
| 47 | जीआरआई 405 | 2 | महिलाओं और पुरुषों के मूल वेतन और पारिश्रमिक का अनुपात | जीआरआई: 405 विविधता एवं समान अवसर 2016 | एचसी-बी | 5.1, 5.5 | *पृष्ठ संख्या 120-129* | 18 | मानव पूंजी -मजदूरी प्रथा तथा रोजगार |
| 48 | जीआरआई 406 | 1 | भेदभाव की घटनाएं और की गई सुधारात्मक कार्रवाई | जीआरआई: 406 गैर भेदभाव 2016 | लागू नहीं | लागू नहीं | *पृष्ठ संख्या 120-129* | 22 | मानव पूंजी -कर्मचारी सहभागिता, विविधता तथा समावेशन |
| 49 | जीआरआई 412 | 1 | ऐसे परिचालन जो मानवाधिकार समीक्षा या प्रभाव आकलन के अधीन रहे हैं | जीआरआई: 412 मानव अधिकार मूल्यांकन 2016 | एफबी -एचआर एचसी -बी | 16.1, 16.2 | *पृष्ठ संख्या 104* | 10 | सामाजिक पूंजी -मानव अधिकार |
| 50 | जीआरआई 418 | 1 | ग्राहक गोपनीयता के उल्लंघन और ग्राहक डेटा के नुकसान से संबंधित पर्याप्त शिकायतें | जीआरआई: 418 ग्राहक निजता 2016 | टीसी-एसआई-220ए.1, टीसी-एसआई-220ए.1 | 16.3, 16.10 | *पृष्ठ संख्या 104* | 11 | सामाजिक पूंजी -ग्राहक निजता |
| 51 | जीआरआई 419 | 1 | सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कानूनों और विनियमों का अनुपालन न करना | जीआरआई: 419 सामाजिकआर्थिक अनुपालना 2016 | एफबी -एचआर एचसी -बी | 16.3, 16.6 | *पृष्ठ संख्या 91 & 198* | 32 | नेतृत्व और सुशासन - विधिक एवं विनियामक वातावरण का प्रबंधन |
| 52 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस1 | कारोबार क्षेत्रों पर लागू विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक घटकों वाली नीतियां | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | आईएफ -एसएस | 8.3,8.4 | *पृष्ठ संख्या 91 & 198* | 33 | नेतृत्व तथा सुशासन -जोखिम प्रबंधन |

## जीआरआई सूचकांक तालिका

| मद | जीआरआई मानक | प्रकटीकरण संख्या | प्रकटीकरण | जीआरआई: मानक रूपरेखा | प्रासंगिक एसएएसबी संदर्भ जहां लागू हो | यूएनएसडीजी संदर्भ जहां लागू हो | *पृष्ठ संख्या* | सामग्री विषय | सामग्री विषय का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस2 | कारोबार क्षेत्रों में पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का आकलन और स्क्रीनिंग करने की प्रक्रियाएँ | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | आईएफ -एसएस | 8.3,8.4 | *पृष्ठ संख्या 28-35* | 33 | नेतृत्व तथा सुशासन -जोखिम प्रबंधन |
| 54 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस3 | समझौतों या लेनदेन में शामिल पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताओं हेतु ग्राहकों के कार्यान्वयन और अनुपालन की निगरानी एवं प्रक्रियाएं | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | आईएफ -एसएस | 8.3,8.4 | *पृष्ठ संख्या 90-97* | 33 | नेतृत्व तथा सुशासन -जोखिम प्रबंधन |
| 55 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस4 | कारोबार क्षेत्रों में लागू पर्यावरण और सामाजिक नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए कर्मचारियों की योग्यता में सुधार प्रक्रियाएँ | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | एच सी बी | 8.5 | *पृष्ठ संख्या 120* | 19 | मानव पूंजी -प्रशिक्षण तथा कौशल विकास |
| 56 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस5 | पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और अवसरों के संबंध में ग्राहकों/ निवेशितियों /कारोबार साझेदारों से व्यवहार | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | आईएफ -एसएस | 8.3,8.4 | *पृष्ठ संख्या 104* | 13 | सामाजिक पूंजी - ग्राहकों की संवहनीयता |
| 57 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस6 | विशिष्ट क्षेत्र, आकार और सेक्टर के अनुसार कारोबार क्षेत्रों के लिए पोर्टफोलियो का प्रतिशत | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | एफएन-एसी-410ए.1 | 10.2, 10.3 | *पृष्ठ संख्या 42* | 28 | कारोबार प्रारूप तथा नवाचार -दीर्घकालिक आस्ति प्रबंधन |
| 58 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस7 | उद्देश्य के अनुसार विभाजित प्रत्येक कारोबार क्षेत्र के लिए विशिष्ट सामाजिक लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | एफएन-एसी-410ए.2 | 1.4, 10.2 | *पृष्ठ संख्या 104* | 17 | सामाजिक पूंजी -सामाजिक विकास तथा सामुदायिक भागीदारी |
| 59 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस8 | एक विशिष्ट पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य हेतु खण्डित प्रत्येक कारोबार पंक्ति के उद्देश्य हेतु | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | एफएन-एसी-410ए.3 | 13.2, 13.3 | *पृष्ठ संख्या 46,90, 98* | 1 | पर्यावरण -जलवायु परिवर्तन शमन एवं अपनाना |

## जीआरआई सूचकांक तालिका

| मद | जीआरआई मानक | प्रकटीकरण संख्या | प्रकटीकरण | जीआरआई: मानक रूपरेखा | प्रासंगिक एसएएसबी संदर्भ जहां लागू हो | यूएनएसडीजी संदर्भ जहां लागू हो | पृष्ठ संख्या | सामग्री विषय | सामग्री विषय का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस10 | संस्थान के पोर्टफोलियो में मौजूद कंपनियों की संख्या और प्रतिशत जिसके साथ रिपोर्टिंग की जा रही है संगठन द्वारा पर्यावरण या सामाजिक मुद्दों पर कृत संवाद | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | एफएन-एसी-410ए.4 | 12.6, 12.8 | *पृष्ठ संख्या 90-97* | 35 | नेतृत्व तथा सुशासन -जिम्मेदार निवेश |
| 61 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस11 | सकारात्मक और नकारात्मक पर्यावरणीय या सामाजिक जांच के अधीन संपत्तियों का प्रतिशत | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | एफएन-एसी-410ए.5 | 12.6 | *पृष्ठ संख्या 90-97* | 35 | नेतृत्व तथा सुशासन -उत्तरदायी निवेश |
| 62 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस13 | प्रकार के अनुसार कम आबादी वाले या आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में पहुंच बिंदु | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | एफएन-एसी-550ए.2 | 8.10, 10.2 | *पृष्ठ संख्या 53-56, 69, 168* | 25 | कारोबार प्रारूप तथा नवाचार -पूंजी प्रबंधन तथा ग्राहक |
| 63 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस14 | वंचित लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार की पहल | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | एफएन-एसी-550ए.3 | 1.4, 10.2 | *पृष्ठ संख्या 53-56, 69, 171* | 17 | सामाजिक पूंजी -सामाजिक विकास तथा सामुदायिक भागीदारी |
| 64 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस15 | वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के निष्पक्ष डिजाइन और बिक्री के लिए नीतियां | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | एफएन-एसी-550ए.4 | 10.2, 10.3 | *पृष्ठ संख्या 104* | 14 | सामाजिक पूंजी -उत्पाद गुणवत्ता तथा सुरक्षा |
| 65 | वित्तीय सेवाओं के लिए जीआरआई क्षेत्र प्रकटीकरण | एफएस16 | लाभार्थी प्रकार के आधार पर वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की पहल | जीआरआई: वित्तीय सेवा क्षेत्र प्रकटीकरण 2013 | एफएन-एसी-550ए.5 | 4.4, 4.7 | *पृष्ठ संख्या 23, 75, 106, 163, 180* | 19 | मानव पूंजी -प्रशिक्षण तथा कौशल विकास |

**अस्वीकरण:**

*नीचे एक विस्तारित जीआरआई सूचकांक तालिका है जिसमें उन मानकों को शामिल किया गया है जो किसी बैंक के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हो सकते हैं. यह सुलभ संदर्भ सारणी पूर्ण नहीं है और बैंक पर लागू होने वाले सटीक मानक और प्रकटीकरण हमारे भौतिकता मूल्यांकन और हमारे परिचालन की विशिष्ट प्रकृति पर निर्भर करेंगे. अधिक जानकारी के लिए कृपया स्थिरता लेखा मानक बोर्ड (एसएएसबी) तथा संयुक्त राष्ट्र (यूएन) प्रलेखीकरण का परामर्श लें जो कि क्रमश: विशिष्ट एसएएसबी संदर्भों तथा यूएनएसडीजी के विशिष्ट संदर्भ में है. एसएएसबी कोड संक्षिप्तिकरण हैं, तथा एचसी से तात्पर्य मानव पूंजी, एफबी से तात्पर्य वित्तीय और बैंकिंग, आईएफ से तात्पर्य बुनियादी ढांचा, ईएम से तात्पर्य निष्कर्षण और खनिज प्रसंस्करण, सीजी से तात्पर्य कॉर्पोरेट सुशासन और टीसी से तात्पर्य प्रौद्योगिकी और संवाद है. इस तालिका में सूचीबद्ध जीआरआई मानकों का प्रासंगिक एसएएसबी संदर्भ और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (यूएनएसडीजी) से सामान्य संरेखण किया गया है. सम्भव है कि ये हमारे परिचालन तथा कार्यनीतिक विशिष्टताओं से पूरी तरह मेल न खाएं. कृपया ध्यान दें कि सभी जीआरआई मानकों में उनके समकक्ष एसएएसबी कोड नहीं होता है या वे यूएनएसडीजी से जुड़े नहीं होते हैं. यही बात यूएनएसडीजी और एसएएसबी कोड पर भी लागू होती है. ये सामान्य दिशा-निर्देश है और इसमें हमारे संगठन की सभी विशिष्ट बातें शामिल नहीं हो सकती हैं.*

# 21 वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 की विनियमन 56 के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की **21वीं (इक्कीसवीं) वार्षिक महासभा बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, दिनांक 04 अगस्त, 2023 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)** केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक को अभिप्रेत स्थान) में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

## सामान्य कारोबार:

**मद क्र. 1:**

दिनांक **31 मार्च, 2023** के लेखापरीक्षित **स्टैंडअलोन एवं समेकित** तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के **स्टैंडअलोन एवं समेकित** लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक के कार्य एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अभिग्रहण हेतु.

**मद क्र. 2:**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर ₹ 3/- का लाभांश घोषित करने हेतु.

## विशेष कारोबार :

**मद क्र. 3**

**बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुरूप नवीन इक्विटी शेयर जारी कर और/ या अतिरिक्त टियर-1 /टियर-2 पूंजी को जारी करने के माध्यम से बैंक के लिए पूंजी जुटाना**

**विचारोपरांत उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:**

**"संकल्प किया कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (**"अधिनियम"**) की धारा 3 (2बी) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (**"योजना"**) के खंड 20 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 (**"विनियमन"**) एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक (**"आरबीआई"**), भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (**"सेबी"**) और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यधीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 **[सेबी (आईसीडीआर) विनियमन]** यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 **[सेबी (एलओडीआर) विनियमन]** यथा संशोधित, सेबी (गैर-प्रवर्तनीय प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीबद्ध करना) विनियमन, 2021 यथा संशोधित, विदेशी विनिमय प्रबंधन [भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण] विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू विधियों और समय-समय पर अन्य सभी सक्षम प्राधिकारियों के अधिसूचनाओं/ परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों एवं समरूप सूचीबद्धता समझौते के अधीन है. ऐसे स्टॉक एक्सेंज के साथ किए गए समरूप, करारों के अनुसरण में, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यधीन **बैंक के सदस्यों की सहमति है और एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल** (जिसे इसके बाद "**बोर्ड**" कहा जाएगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को एतदद्वारा प्रदान की जाती है कि वह एक या एक से अधिक बार में निम्नलिखित शर्तों के अधीन **राशि जो कि ₹ 10,100 करोड़ (रुपए दस हज़ार एक सौ करोड़ मात्र) से अधिक न हो** की पूंजी का भारत या भारत के बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से कर सकते हैं:

- ऐसे इक्विटी शेयर और/अथवा अधिमान शेयर (चाहे संचयी या नहीं; इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो या नहीं), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिसमें अधिमान शेयरों की श्रेणी, ऐसे प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयर जारी करने की सीमा, बेमियादी अथवा प्रतिदेय, ऐसी प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयरों को जारी किए जाने और/ या अनुमत प्रतिभूति जो इक्विटी में परिवर्तन के पात्र हैं और नकद में नहीं, के अधीन (चाहे बाजार दर, निर्गम दर या न्यूनतम दर से छूट या प्रीमियम पर हो) **₹ 8,000 करोड़ (रुपए आठ हज़ार करोड़ मात्र)** के इक्विटी शेयर जो **₹ 6,834.74 करोड़ (रुपए छः हजार आठ सौ चौतीस करोड़ एवं चौहतर लाख मात्र)**, की विद्यमान पेड-अप इक्विटी शेयरपूंजी सहित बैंक के कुल ₹ 10,000 करोड़ **(रुपए दस हज़ार करोड़ मात्र)** की प्राधिकृत पूंजी के अधीन होंगे, जो इस धारा की 3(2ए) अथवा संशोधन (यदि कोई हो) जो भविष्य

में अधिनियम बन सकता है, के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा, इसमें जो भी अधिक है, इस प्रकार की भारत सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो.

- निजी स्थानन/सार्वजनिक निर्गम आधार में एक या अधिक बार में ऐसी संस्था के स्थायी ऋण लिखतों, गौण ऋण पत्रों को शामिल करते हुए लेकिन इन तक ही सीमित न रहते हुए ₹ **2,100 करोड़ (रुपए दो हज़ार एक सौ करोड़ मात्र) तक की राशि से अधिक न हो**, के लिए अपरिवर्तनीय ऋण, बॉन्ड और/ या अन्य ऋण प्रतिभूतियों, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित या वर्गीकृत टियर I या टियर II पूंजी (ग्रीन विदेशी मुद्रा नामित अतिरिक्त टियर I या टियर II बॉन्ड) के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है.

एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (**''एनआरआई''**), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (**''क्यूआईबी''**), विदेशी संस्थागत निवेशकों (**''एफआईआई''**), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (**''एफ़पीआई''**), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, वैकल्पिक निवेश निधि, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु पात्र हैं, को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित किया जाए".

**"पुनः संकल्प किया** कि इक्विटी/अधिमान शेयर प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईपी); आगे सार्वजनिक प्रस्ताव, फॉलोऑन पब्लिक निर्गम, अधिकार निर्गम, एडीआर-जीडीआर, इक्विटी/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर का निजी प्लेसमेंट, एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन स्कीम या बैंक के एम्प्लॉयी स्टॉक पर्चेस स्कीम, या इनके समूहित रूप निर्गम के ऐसे अन्य माध्यम जैसे कि लागू विधि के अनुसार आबंटन सहित या बिना अधि-आबंटन या ग्रीन शू विकल्प सहित या रहित के जरिये प्रदान किया होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, इक्विटी / अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों का स्थापन या आबंटन, अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, सेबी आईसीडीआर विनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य पात्र दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

**''पुनः संकल्प किया कि** उपर्युक्त निर्गम(मों) के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, तो लीड मैनेजरों और/ या हामीदारों और/ या अन्य परामर्शदाताओं और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, अन्य विनियमनों और किसी अन्य और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों, और/या चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक के विद्यमान शेयरधारक हैं या नहीं.''

**"पुनः संकल्प किया** कि संबंधित शेयर बाज़ार के साथ किए गए लिस्टिंग के प्रावधानों, विनियमनों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियमन, 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रुप में ''सम्यक प्राधिकारी'' कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरियां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अध्यधीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय-समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय I में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय VI में उल्लेख है, के अनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के या उस समय प्रचलित कानूनों के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य एवं तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत के केंद्र सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो."

**"पुनः संकल्प किया** कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VI के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, के अध्याय I के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा. ये प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.

बी) सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियमन 176 (1) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अनुसार होगी.

**"पुनः संकल्प किया** कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं लिस्टिंग के अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा संशोधित जैसा भी आवश्यक या लागू हो, को स्वीकार करने का बोर्ड को अधिकार होगा."

**"पुनः संकल्प किया** कि एनआरआई/ एफआईआई और/ या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन द्वारा किन्तु अधिनियम एवं अन्य विनियामकों, यथा लागू द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अध्यधीन होगा."

**"पुनः संकल्प किया** कि जारी किये जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अध्यधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरुप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरुप लाभांश, यदि कोई है, के लिये पात्र होंगे."

**"पुनः संकल्प किया कि** निर्गमित इक्विटी शेयरों को, स्टॉक एक्चेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं."

**"पुनः संकल्प किया कि** इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम या आबंटन करने के लिये बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये, इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है.''

**"पुनः संकल्प किया कि** बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी/ प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के लिये बुक रनर (रों), लीड मैनेजर (रों), बैंकर्स, अभिगोपक (कों), डिपॉजिटरी (रियों), रजिस्ट्रार (रों), लेखापरीक्षक (कों) तथा अन्य ऐसी एजेन्सी, जो इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतदद्वारा ऐसा किया जाता है."

**"पुनः संकल्प किया कि** उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अभिगोपकों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्पशन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/ या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है."

**"पुनः संकल्प किया कि** ऐसे उपरोक्त प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है."

**"पुनः संकल्प किया कि** उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है."

**"पुनः संकल्प किया कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/ निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतदद्वारा किया जाता है."

**मद क्र. 4 :**

**श्री लक्ष्मण एस उप्पर (डीआईएनः 02453845) की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति.**

**विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना :**

**"संकल्प किया गया है कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 25(2ए) और विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथा संशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना एफ. सं. 6/6/2021-बीओ.I दिनांक 21 मार्च, 2022 के जरिए बैंक में श्री लक्ष्मण एस उप्पार को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामांकन अधिसूचना की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए अर्थात 21 मार्च 2022 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है."

**मद क्र. 5 :**

**श्री श्रीनिवासन वरदराजन (डीआईएनः 00033882) की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक एवं गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति.**

**विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना :**

**"संकल्प किया गया है कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 25(2ए) और विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथा संशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना एफ. सं. 6/9/2022-बीओ.I दिनांक 07 नवंबर, 2022 के जरिए बैंक में श्री श्रीनिवासन वरदराजन को अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक एवं गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नामांकन अधिसूचना की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए अर्थात 07 नवंबर, 2022 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है."

**मद क्र. 6 :**

**बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री निधु सक्सेना (डीआईएनः 09691292) की नियुक्ति**

**सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना :**

**"संकल्प किया गया है कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथा संशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/2/2021-बीओ.I दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के जरिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री निधु सक्सेना की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 1 फरवरी, 2022 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है."

**मद क्र. 7 :**

**बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में सुश्री ए. मणिमेखलै (डीआईएनः 08411575) की नियुक्ति**

**सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना :**

**"संकल्प किया गया है कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथा संशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/4/2021-बीओ.I दिनांक 3 जून, 2022 के जरिए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में सुश्री ए. मणिमेखलै की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 3 जून, 2022 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है."

**मद क्र. 8 :**

**बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री रामसुब्रमणियन एस. (डीआईएनः 08747165) की नियुक्ति**

**सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना**

**संशोधन के पारित करना :**

"**संकल्प किया गया है कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथा संशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/6/2021-बीओ.I दिनांक 21 नवम्बर, 2022 के जरिए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री राम सुब्रमानयण की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 21 नवम्बर, 2022 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है.

**निदेशक मंडल के आदेशानुसार**
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**(एस.के. दास)**
कंपनी सचिव

**स्थान:** मुंबई
**दिनांक** :23.06.2023

**नोट्स**

1. **व्याख्यात्मक विवरण**

   बैठक के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक का संचालन**

   ए) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्र.10/2022, दिनांक 28 दिसंबर, 2022 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/सीएफ़डी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023, एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियमन"), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण क्र. एफ़.क्र.7/47/2020-बीओए दिनांक 10 जुलाई, 2020 और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की वार्षिक महासभा बैठक (एजीएम) का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जाए, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी. वार्षिक महासभा बैठक के लिए विचारणीय स्थान मुंबई में स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा. कारोबार मद क्र. 3 से 8 में वर्णित विशेष कारोबार अपरिहार्य होने के कारण 21वीं एजीएम में वीसी/ओएवीआईएम के माध्यम से संचालित किया जाएगा.

   बी) बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है. बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं. बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा अपनाई है.

   सी) केफिन टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.

   डी) एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक महासभा बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाज़ार लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और साथ ही केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी.

   ई) चूंकि वार्षिक महासभा बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस कारण रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं होगी, जैसा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है.

   एफ़) सभी सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित इस वार्षिक महासभा बैठक में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले अर्थात 10.45 [आईएसटी] पूर्वाह्न से खुली रहेगी और बैंक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित में वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने के लिए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकती है. वीसी/ओएवीएम में जुडने के लिए नोटिस पैरा क्र. 16(vii) (ए), (बी) एवं (सी) में वर्णित विवरणों के साथ https://emeetings.kfintech.com में कृपया जुड़ें. बैठक के दौरान या उससे पहले तकनीकी से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 का उपयोग किया जा सकता है.

जी) सदस्य नोट करें कि केफिनटेक द्वारा प्रदत्त वीसी/ओएवीएम सुविधा में द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिंग एवं साथ ही प्रश्न पूछने के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की सहभागिता की अनुमति होगी. बड़े शेयरधारकों (अर्थात ऐसे शेयरधारक जिनके पास 2% या इससे अधिक का शेयर होगा), प्रमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति, लेखा-परीक्षक, संवीक्षक आदि पहले-आओ-पहले-पाओ सिद्धान्त के कारण बिना किसी बाधा के वार्षिक महासभा बैठक में शामिल हो सकते हैं. संस्थागत निवेशक जो बैंक के सदस्य हैं, को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 21वीं वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

एच) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक महासभा बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गिनती कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी.

आई) चूंकि एजीएम, वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित की जाती है. अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है और एमसीए परिपत्र के अनुसरण में बैंक द्वारा कोई प्रोक्सी स्वीकृत नहीं की जाएगी.

जे) वार्षिक महासभा बैठक से पहले स्पीकर शेयरधारक का पंजीकरण रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अधिकतम **बुधवार, 02 अगस्त, 2023 को शाम 5 बजे तक** किया जा सकता है. स्पीकर के रुप में पंजीकृत होने के इच्छुक शेयरधारकों से निवेदन है कि वे ई-वोटिंग लॉगिन विवरणों का उपयोग करके https://emeetings.kfintech.com पर जाएं और इस अवधि के दौरान स्पीकर पंजीकरण पर क्लिक करें. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र और समन्वय के समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने तक अपनी बारी आने का इंतजार करें. बैंक स्पीकर सत्र को समाप्त या रोक सकती है; इसलिए, शेयरधारकों को सूचना पैरा सं. 14 में प्रदत्त, अग्रिम रूप से अपने पंजीकृत ई-मेल पता से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी नंबर/ फोलिओ नंबर तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रासंगिक प्रश्न इत्यादि investorservices@unionbankofindia.bank भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न पर कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक द्वारा उचित रूप से प्रतिउत्तर दिया जाएगा. हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि बैठक के दौरान प्रश्न ठीक और संक्षेप रुप से किये जाएं ताकि हम उनका उत्तर दे पाएं.

के) वे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे वेबलिंक: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx में अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के बाद वार्षिक महासभा बैठक में भाग ले सकते हैं.

एल) भौतिक रूप से धारित शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कटऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** से पहले बैंक विवरण, ईमेल एड्रैस, पते में बदलाव आदि को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स डाटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड को प्रस्तुत करें, ताकि इसे नोट किया जा सके. इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित शेयर धारक सदस्यों के संबंध में, उपर्युक्त तिथि की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त ब्यौरे पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा. इसलिए, शेयर धारित सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए यथाशीघ्र अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे.

## 3. परोक्षी की नियुक्ति

एमसीए के परिपत्रों के क्रम में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, अतः परोक्षी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी. तद्नुसार, वार्षिक महासभा बैठक के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 70(vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. इस कारण, परोक्षी की नियुक्ति के संबंध में लिखत एवं उपस्थिति स्लिप को इसके साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है. तथापि, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा संचालित वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता तथा वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है.

## 4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कंपनी या कोई निकाय, निगम, जो बैंक का शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, को mail@csraginichokshi.com पर बैठक की तिथि से कम से

कम चार दिन पूर्व अर्थात् बैंक की कार्य-समाप्ति अवधि तक या उससे पूर्व अर्थात **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को शाम 5.00 बजे तक** प्रेषित किया जाना चाहिए.

5. **बुक क्लोज़र**

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही, एजीएम के लिए तथा लाभांश के भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाता है, के लिए **शनिवार 29 जुलाई, 2023 से शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023** (दोनों दिनों को मिलाकर) तक बंद रहेगी.

6. **अदावाकृत /अदत्त लाभांश, यदि कोई हो**

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क करें.

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जायेगा.

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षो तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है. बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है.

7. **पता/ बैंक विवरण/ बैंक खाता अधिदेश/ नामांकन का परिवर्तन**

सदस्यों से अनुरोध है कि उनके नाम, पोस्टल पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिशेषों, नामांकनों, मुख्तारनामा, बैंक विवरणों जैसे बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफ़एससी कोड, आदि में परिवर्तन, यदि कोई हो, को सूचित करें.

ए. इलेक्ट्रानिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए : डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) हेतु

बी. भौतिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए: बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट (आरटीए) हेतु निर्धारित **फॉर्म आईएसआर-1** में तथा सेबी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी/आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 में निर्दिष्ट अन्य फॉर्म. बैंक ने वांछित विवरणों को प्रदत्त करने के लिए कारोबार रिप्लाइ एनवेलप (बीआरई) सहित पत्रों को भेजा है.

सी. उक्त सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप, सदस्यों द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है. जिन सदस्यों ने अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि **फॉर्म नं. एसएच-13** जमा कर इसे पंजीकृत करें. यदि कोई सदस्य अपना नामांकन वापस लेना चाहता है या पूर्ववर्ती नामांकन को रद्द करना चाहता है तथा नवीन नामांकन रिकॉर्ड करना चाहता है, वह **फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-14**, जैसा भी मामला हो, में इसे जमा कर सकते हैं. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि सदस्यों द्वारा धारित शेयर अमूर्तीकृत रूप में हैं तथा बैंक के आरटीए में शेयरों के भौतिक रूप में धारित किए जाने की स्थिति में, उक्त विवरणों को उनके डीपी में प्रस्तुत करें.

बैंक के आरटीए का पता:

**केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड.,**
यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुड़ा
हैदराबाद 500 032
दूरभाष.: 040-67162222.

डी. उपरोक्त वर्णित फॉर्म बैंक के वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx में उपलब्ध हैं.

ई. इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में शेयर धारित करने वाले शेयधारकों को बैंक को या बैंक के आरटीए के स्थान पर केवल उनके संबंधित डिपोजीटरी प्रतिभागी को पते में परिवर्तन करने का सुझाव भेजना चाहिए.

एफ़. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या बैंक के आरटीए से किसी संप्रेषण में सदा उनके संबंधित फोलियो नंबर/

नंबरों (भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले) तथा उनके संबंधित डीपी आईडी/ क्लाईडी आईडी नंबर (इलेक्ट्रोनिक/डीमैट रूप में धारित करने वाले) का उल्लेख करें.

8. **निवेशक सेवा अनुरोध और शेयरों के हस्तांतरण जारी करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण के मामले में अमूर्तीकृत रूप में प्रतिभूतियों को जारी करना**

सदस्य कृपया यह नोट करें कि सेबी ने अपने परिपत्र क्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निम्न सेवा अनुरोध को प्रसंस्कृत करने के दौरान पुष्टिपत्र के जरिये **केवल अमूर्तीकृत रूप** में सूचीबद्ध ईकाइयों को प्रतिभूतियां जारी करने को अधिदेशित किया है.

- अनुलिपि प्रतिभूतियाँ प्रमाणपत्र जारी करना;
- अदावाकृत उचंत खाते से दावा;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीकरण/ विनिमय;
- पृष्ठांकन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/ विभाजन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र /फोलियो का समेकन;
- प्रेषण तथा प्रतिस्थापन.

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त सेवा अनुरोध के लिए **फॉर्म आईएसआर -4** को विधिवत भर कर तथा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें, जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/issuance-securities.aspx में उपलब्ध है. यह नोट किया जाए कि कोई भी सेवा अनुरोध केवाईसी शिकायत होने पर ही प्रसंस्कृत किया जा सकता है. शेयरधारकों से भी अनुरोध है कि शेयरों के हस्तांतरण एवं डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकृत प्रक्रियाओं का पालन करें.

9. **स्थिति में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग**

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड को तत्काल सूचित करें:

ए. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरुप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले न दिया गया हो.

10. **वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां**

प्राधिकारियों द्वारा अनुमत के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की प्रतियाँ भौतिक रूप में प्रेषित नहीं की जाएंगी तथा यह ई-मेल के माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिन्होंने बैंक या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत किया है. वार्षिक रिपोर्ट बैंक के वेबसाइट तथा शेयर बाज़ार में भी अपलोड किया जाएगा. ईमेल आईडी को अद्यतन करने हेतु शेयरधारक भौतिक शेयर के मामले में रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट या डीमैट रूप शेयर के मामले में डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क कर सकते हैं.

11. **कट ऑफ तिथि**

**ई-वोटिंग के लिए:**

कंपनी [प्रबंधन एवं प्रशासन] नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, के अनुसार कारोबार मद क्र. 1 से 8 के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों को **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** को मान्यता दी जाएगी.

12. **लाभांश का भुगतान**

यदि लाभांश, निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुत के अनुरूप, एजीएम में घोषित होता है, तो स्त्रोत पर कर की कटौती के अधीन ऐसे लाभांश का भुगतान **बुधवार, 9 अगस्त, 2023** से निम्न के अनुसार किया जाएगा:

- नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") संयुक्त रूप से डिपॉजिटरीज़ के पास **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** के अंत तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अमूर्तीकृत रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभप्रद स्वामियों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा.

- उन सभी सदस्यों को जिनके पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में उपलब्ध है और उन्होंने वैध प्रेषण या प्रतिस्थापन अनुरोध को **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** को कारोबार अवधि की समाप्ती तक बैंक के साथ दर्ज किया है.

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के लिए लाभांश आय कर योग्य होगा तथा बैंक को प्रति शेयर धारक आधार पर ₹ 5000 से अधिक राशि के लाभांश

पर पैन आधार पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर 'स्त्रोत पर कर' की कटौती करने की आवश्यकता है. विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधनों का संदर्भ लें. शेयरधारकों से निवेदन है कि वे वैध पैन को डीपी (यदि शेयर डीमैट रूप में धारित है) और बैंक / बैंक के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है) के साथ अद्यतित करें.

## 13. वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में** वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो **कट ऑफ तारीख अर्थात शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा. इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही वोट देने का अधिकारी भी होगा.

## 14. लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं के संबंध में जानकारी

जो शेयरधारक लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं उनसे, अनुरोध है कि वे बैंक को investorservices@unionbankofindia.bank पर मेल करें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के पूर्व बैंक को **02 अगस्त, 2023 को शाम 5 बजे तक** प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि प्रबंधन द्वारा यह सूचना तैयार रखी जा सके. जवाब केवल एजीएम के दौरान ही दिए जाएंगे. कृपया नोट करें कि केवल उन्हीं सदस्यों के प्रश्नों के जवाब किए जाएंगे जो कट-ऑफ तारीख यथा **28 जुलाई, 2023** को शेयरधारक हैं.

साथ ही, जिन शेयरधारकों के पास कट-ऑफ तारीख को शेयर उपलब्ध हैं वे https://emeetings.kfintech.comवेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं और *"post your queries here"* पर क्लिक करके प्रश्न/शंकाओं को पोस्ट कर सकते हैं. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, विंडो सक्रिय हो जाएगा और **02 अगस्त, 2023 को शाम 5 बजे** बंद हो जाएगा.

## 15. भौतिक धारिता का अमूर्तीकरण

सेबी ने 24 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य किया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और हस्तांतरण के अनुरोधों को केवल अभौतिक रूप में संसाधित किया जाएगा. इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और डीमैटरियालैजेशन के विभिन्न लाभों को उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दिया जाता है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा रखे गए शेयरों को डीमैटरियालाइज करें. सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं.

## 16. सूचना में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है:

i. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई'') द्वारा साधारण बैठक पर जारी सचिवालय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के साथ लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि वार्षिक महासभा में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और वार्षिक महासभा में शामिल सदस्य बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है.

ii. वोटिंग की सुविधा वार्षिक महासभा में रहेगी और इस बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

iii. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक महासभा में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं कर सकेंगे.

iv. वार्षिक महासभा से पूर्व निर्धारित समयावधि के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग'') का प्रयोग कर शेयरधारक द्वारा वोट डालने की सुविधा एवं वार्षिक महासभा के दौरान वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा प्रदान की जायेगी.

v. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **मंगलवार, 01 अगस्त, 2023 (प्रात: 9.00 बजे आईएसटी)** से प्रारम्भ होकर **गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी. इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, वोटिंग के लिए कट ऑफ तारीख **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** को भौतिक या डि-मटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, कार्यसूची 1 से 8 के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बन्द कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.

vi. ऐसा व्यक्ति जो वार्षिक महासभा बैठक की सूचना भेज कर बैंक का सदस्य बनता है एवं कटऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** को शेयर धारित करता है, वह बैंक की ई-मेल investorservices@unionbankofindia.bank पर शेयरधारक के प्रामाणिक साक्ष्य भेज कर या केफिनटेक evoting@kfintech.comको रिमोट ई-वोटिंग की समाप्तिसे पहले अर्थात **03 अगस्त, 2023 सायं 5.00 बजे** से पूर्व लिख कर निम्नलिखित वर्णित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.

vii. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग निम्नानुसार है:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जानेवाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार **डीमैट मोड** में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरीज या डिपॉजिटरी सहभागी के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अपडेट करें.

**(डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) वैयक्तिक शेयरधारक डिपॉजिटरी के जरिए लॉगिन.**

| एनएसडीएल | सीडीएसएल |
|---|---|
| **1. आईडीईएस सुविधा के लिए उपयोगकर्ता पहले ही पंजीकृत है :** | **1. विद्यमान उपयोगकर्ता जिसके पास ईजी/इजीयस्ट का विकल्प है** |
| I. यूआरएल : https://eservices.nsdl.com<br>II. "आईडीईएस" सेक्शन में "बेनीफिसिएल ओनर" आइकॉन को क्लिक करें.<br>III. नए पेज पर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रविष्टि करें. सफल प्रमाणीकरण के बाद, "एक्सैस टु ई-वोटिंग" पर क्लिक करें.<br>IV. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वैबसाइट पर पहुँच जाएंगे . | I. यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasinew/home/login<br>अथवा<br>यूआरएल: www.cdslindia.com<br>II. नई प्रणाली माइईजी पर क्लिक करें.<br>III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करें.<br>IV. आगे बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा.<br>V. अपना वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें . |
| **2. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो** | **2. उपयोगकर्ता ईजी/इजीयस्ट ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो** |
| I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें : https://eservices.nsdl.com<br>II. "आईडीईएस" के लिए "ऑनलाइन पंजीयन" चुने<br>III. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें . | I. पंजीकरण का विकल्प पर लिंक उपलब्ध है https://web.cdslindia.com/myeasinew/Registration/EasiRegistration<br>II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें. |

| 3. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो | 3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वैबसाइट जाकर |
|---|---|
| I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp<br>II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें. | I. यूआरएल: www.cdslindia.com<br>II. डीमैट खाता एवं पैन संख्या प्रदान करें .<br>III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल, जैसा डीमैट खाते में रिकॉर्ड है, पर ओटीपी भेज कर उपयोगकर्ता को प्रमाणीकृत करेगा.<br>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) के लिए लिंक उपलब्ध कराएगा जहां पर ई-वोटिंग चल रही है. |
| **4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वैबसाइट जाकर** | |
| I. यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/<br>II. "अंशधारक/सदस्य" सेक्शन में उपलब्ध "लॉगिन" आइकॉन को क्लिक करें.<br>III. उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ 16-अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड /ओटीपी एवं प्रमाणीकरण कोड, जैसा की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रविष्ट करें.<br>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल डिपोजिटरी साइट पर पहुँच जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग का पेज देख सकते हैं.<br>V. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वैबसाइट पर पहुँच जाएंगे. | |

**महत्वपूर्ण नोट:**

सदस्य, जो अपना यूजर आईडी /पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए / पासवर्ड भूल गए के विकल्प का उपयोग करें.

**डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क.**

| एनएसडीएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए | सीडीएसएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए |
|---|---|
| लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते है. | लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर या 022- 23058738 और 022-23058542-43 पर सपर्क कर सकते हैं. |

**(डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) वैयक्तिक शेयरधारकों – डिपॉजिटरी पार्टिसीपेंट के जरिए लॉगिन.**

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. एकबार लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत आपको सफल अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.

**भौतिक स्वरूप से धारित प्रतिभूतियों के शेयरधारकों एवं गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति**

ए. ईमेल के मसौदे में प्रारंभिक पासवर्ड प्रदान किया गया है.

बी. इंटरनेट ब्राउज़र खोले और एड्रैस बार में https://evoting.kfintech.com यूआरएल टाइप करें.

सी. आपके ई-मेल आईडी में प्रेषित लॉगिन विवरण अर्थात यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें. आपका फोलियो नं./ डीपी आईडी क्लाईंट आईडी ही आपका यूज़र आईडी होगा. तथापि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक में पंजीकरण कर रखा है तो वोट देने के लिए आप अपना मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं.

डी. उचित तरीके से विवरण भरने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें.

ई. आप पासवर्ड चेंज मेन्यू में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा. नये पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरक्टर होने जरूरी है जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@,#,$ आदि) होने चाहिए. यह अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

एफ़. आपको नए विवरण के साथ पुनः लॉगिन करना पड़ेगा.

जी. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको EVENT अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए निर्देशित करेगा.

एच. वोटिंग पेज पर, कट ऑफ की तारीख तक आपके पास कितने शेयर (जो आपके वोटों की संख्या दर्शाएगा) थे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. यदि संकल्प के लिए आप अपने सभी वोट स्वीकृत/अस्वीकृत में देना चाहते हैं तो यथास्थिति सभी शेयर की प्रविष्टि करें और `FOR'/'AGAINST' पर क्लिक करें या आंशिक रूप से `FOR' एवं आंशिक रूप से `AGAINST' में, लेकिन कट ऑफ तारीख तक `FOR' और/या `AGAINST' में की गई वोटों की कुल संख्या आपके कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप `ABSTAIN' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयर की गणना दोनों में से किसी एक शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी.

आई. `SUBMIT' बटन पर क्लिक करें. एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा. पुष्टि हेतु `OK' पर क्लिक करें या संशोधित करने के लिए `CANCEL' को क्लिक करें. एक बार पुष्टि हो जाने के बाद आपको अपने वोट में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी. वोटिंग अवधि के दौरान जब तक आप पुष्टि नहीं करते कि संकल्प पर आपने वोट किया है, तब तक आप अनेक बार लॉगिन कर सकते हैं.

जे. ऐसे सदस्य जिनके विविध फोलियो/डीमैट खाते हैं प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं.

के. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ़, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड संकल्प / प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेज (पीडीएफ़/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी, जो mail@csraginichokshi.com ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, का अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी इसे अपलोड करें. उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम `EVEN.................' के प्रारूप में रखें.

viii. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, https:/ /evoting.Kfintech.com पर उपलबध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफ़एक्यू) और ई-वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करें.

ix. इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या evoting@kfintech.com पर ई-मेल भेंजे या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

x. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तारीख अर्थात **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** को शेयरधारक के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई- वोटिंग या वोटिंग द्वारा वार्षिक महासभा बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा.

xi. संयुक्त धारक के मामले में शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/ यूजर आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा. तदनुसार, प्रथम धारक को प्रेषित यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, का सभी संयुक्त धारकों की ओर से प्रयुक्त किया जाएगा. प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है.

xii. केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए यह नोटिस को केवल एक सूचना माना जाना चाहिए.

xiii. मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी द्वारा सुश्री रागिनी चोकसी या श्री उमा शंकर हेगडे, पेशेवर कंपनी सचिव की नियुक्ति जांचकर्त्ता के रूप में की गयी है ताकि वे सत्य एवं पारदर्शी ढंग से रिमोट की वोटिंग कार्यपद्धति की जांच कर सकें.

xiv. वार्षिक महासभा बैठक शुरु होने के बाद बैठक के अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

xv. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक महासभा में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्यदिवसों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी.

**17. वोटिंग के परिणाम**

वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com उपलब्ध करा दिया जायेगा. वोटिंग परिणाम एवं समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाएंगे.

**18. बैठक में ई–वोटिंग के लिए जांचकर्ता**

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि सभी कारोबार मद के लिए मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी की सुश्री रागिनी चोकसी, पेशेवर कंपनी सचिव, जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक में अन्य शेयरधारक के ई-वोटिंग के लिए भी जांचकर्ता के रुप में कार्य करेंगे.

**19. बैठक का परिणाम**

बैंक के प्रधान कार्यालय/ केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक महासभा बैठक की तिथि से संकल्प के पक्ष में आवश्यक वोटों की संख्या की प्राप्ति के अध्यधीन संकल्प (पों) को पारित माना जाएगा.

**20. रिकॉर्ड की गई ट्रांस्क्रिप्ट**

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से हुई वार्षिक महासभा की कार्यवाही को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in के निवेशक संबंध अनुभाग के अधीन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा.

## व्याख्यात्मक विवरण

**मद क्रमांक 3:**

**पूंजी की उगाही:**

बैंक का कारोबार बैंकिंग एवं उससे संबद्ध सेवा गतिविधियों से हैं. वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹10,000 करोड़ हैं. 31 मार्च, 2023 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 6,834.47 करोड़ थीं.

बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 83.49% है.

यथा 31 मार्च, 2023 को जोखिम भारित आस्तियों की पूंजीगत निधि निम्नानुसार हैं:

**पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बासेल III**

(₹ करोड़ में)

| पैरामीटर | 31 मार्च, 2022 आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|---|
| कुल जोखिम भारित आस्तियां | लागू नहीं | 5,78,455 | 545,923 |
| कुल पूंजीगत निधि | | 92,778 | 79,281 |
| सीईटी 1 पूंजी | | 71,492 | 58,049 |
| टियर 1 पूंजी | | 80,478 | 66,589 |
| सीआरएआर (%) | 11.50 | 16.04 | 14.52 |
| सीईटी 1 (%) | 8.00 | 12.36 | 10.63 |
| टियर 1 (%) | 9.50 | 13.91 | 12.20 |
| टियर 2 (%) | लागू नहीं | 2.13 | 2.32 |

नोटः आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क में 2.50 प्रतिशत सीसीबी (पूंजी संरक्षण बफर) सहित सीआरएआर, सीईटी 1 एवं टियर 1 शामिल है. टियर II अनुपात के लिए कोई न्यूनतम नहीं है.

कारोबार आस्तियों की बढ़ोत्तरी हेतु बासेल III दिशानिर्देशों के अधीन पूंजी को बनाए रखने एवं नियंत्रित अनुपात अपेक्षाओं की प्राप्ति हेतु विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने ₹ **10,100 करोड़ (रूपये दस हजार सौ करोड़ मात्र)** की पूंजी जुटाने का फैसला किया है.

लक्षित कारोबार वृद्धि के विकास एवं उसकी प्राप्ति और सामान्य उधारी के उद्देश्य हेतु विनियामक अनुपालन एवं अतिरिक्त पूंजीगत निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किए जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या पात्र संस्थागत नियोजन सहित निजी नियोजन और/या भारत सरकार को अधिमानित आबंटन तथा/या अन्य नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है. बढ़ी हुई पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा.

यदि क्यूआईपी के द्वारा प्रतिभूतियों को जारी किया जाना है, तो इसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप किया जाएगा.

बैंक एक या एक से अधिक किश्तों में निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम आधार पर गौण डिबेंचर, बॉन्ड और/या अन्य ऋण प्रतिभूतियों / ग्रीन बॉन्ड आदि. सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं, स्थायी ऋण लिखतों, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की संख्या बढ़ा सकता है, जिसे आरबीआई और सेबी (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीबद्ध करना), 2021 के साथ अनुपालन में निर्धारित एवं वर्गीकृत किया गया है टियर I और टियर II को भी वर्गीकृत किया गया है.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) के अनुसार यदि बैंक द्वारा पुनः कोई निर्गम या ऑफर जारी किया जाता है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर इन्हें ऑफर किया जाएगा, यदि सामान्य बैठक में शेयरधारकों ने अन्यथा निर्णय न लिया हो. उक्त प्रस्ताव के पारित होने की स्थिति में यह बैंक की ओर से बैंक के निदेशक मंडल को अन्यथा न होने की स्थिति में वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर शेयर जारी एवं आबंटित करने के लिए अनुमति देगा.

अतः उपर्युक्त कारणों के लिए, एक संकल्प पारित करना प्रस्तावित हैं जिसमें बोर्ड पर्याप्त लचीलापन और विवेक से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप दे सके.

वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उचित समय, माध्यम, प्रीमियम एवं अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी कर सकें. एक बार प्रस्तावित संकल्प पारित हो जाने पर, इसी तर्ज पर पूर्व में बैंक के शेयरधारकों द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 को आयोजित वार्षिक महासभा बैठक में पारित संकल्प का, यह अधिक्रमण करेगा.

विशेष संकल्प के अनुरूप प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को लागू सभी विधिक प्रावधानों के अनुरूप जारी किया जाएगा.

आपके निदेशक गण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.

बैंक के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उनके रिश्तेदारों को शेयरधारिता तक, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प (पों) से सम्बद्ध और इच्छुक माना जाएगा.

**मद क्र. 4:**

**श्री लक्ष्मण एस उप्पर (डीआईएनः 02453845) की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति.**

श्री लक्ष्मण एस उप्पर (डीआईएनः 02453845) को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(एच) के तहत बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना एफ.नं. 6/6/2021-बीओ.आई दिनांक 21 मार्च, 2022 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात 21 मार्च, 2022 से तीन साल तक की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नामित किया गया था. तदनुसार, श्री उप्पर 21 मार्च, 2022 से बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक का पद संभाल रहे हैं.

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र एफ.नं.6/20/2019--बीओ. आई दिनांक 30 अगस्त, 2019 के अनुसार, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत नामित निदेशक अधिनियम को बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक माना जाता है.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 25(2ए) और विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है.

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री लक्ष्मण एस उप्पर की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है.

श्री लक्ष्मण एस उप्पर ने सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम,2015 के विनियम 16(1)(बी) के तहत "स्वतंत्र निदेशक" की प्रतिपादित परिभाषा के अनुसार स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की है.

श्री उप्पर इंजीनियरिंग में स्नातक हैं. आप एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, जनहितैषी और कर्नाटक क्लासिक एज्यूकेशन प्राइवेट लिमिटेड, धारवाड़ के संस्थापक है. आपने वर्ष 2012 में स्पर्धा स्पूर्ति पब्लिशर्स एवं प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड की भी शुरुआत की है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है. श्री उप्पर को शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उनकी सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर पर: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- श्री उप्पर के कौशल/ निपुणता/ क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.

श्री लक्ष्मण एस उप्पर को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प से संबंधित नहीं हैं.

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफ़ारिश करता है.

**मद क्र. 5:**

**श्री श्रीनिवासन वरदराजन (डीआईएन: 00033882) की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक एवं गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति**

श्री श्रीनिवासन वरदराजन (डीआईएन: 00033882) को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(एच) के तहत बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना एफ.नं. 6/9/2022-बीओ.आई दिनांक 07 नवंबर, 2022 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात 07 नवंबर, 2022 से तीन साल तक की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नामित किया गया था. तदनुसार, श्री श्रीनिवासन वरदराजन 07 नवंबर, 2022 से बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं.

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र एफ.नं.6/20/2019--बीओ.I दिनांक 30 अगस्त, 2019 के अनुसार, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत नामित निदेशक अधिनियम को बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक माना जाता है.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 25(2ए) और विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है.

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री श्रीनिवासन वरदराजन की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है.

श्री श्रीनिवासन वरदराजन ने सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम,2015 के विनियम 16(1)(बी) के तहत "स्वतंत्र निदेशक" की प्रतिपादित परिभाषा के अनुसार स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की है.

श्री श्रीनिवासन वरदराजन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई से इंजीनियरिंग स्नातक हैं तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता से प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा किया है. आपके पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है. 2019 में अपनी सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने से पूर्व आपने एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं.

वित्तीय सलाहकार के रूप में, आपने एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परामर्श फ़र्म, एक सॉवरेन वेल्थ फ़ंड, एक बड़े कॉर्पोरेट समूह, एक एनबीएफ़सी समूह और एक निजी क्षेत्र के बैंक में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं. श्री श्रीनिवासन वरदराजन जेपी मॉर्गन, भारत के प्रबंध निदेशक और बाज़ार प्रमुख रहे हैं. आप भारत में जेपी मॉर्गन चेस बैंक के सीईओ भी रहे हैं.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर पर: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- श्री श्रीनिवासन के कौशल/ निपुणता/ क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.

श्री श्रीनिवासन वरदराजन को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प से संबंधित नहीं हैं.

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफ़ारिश करता है.

**मद क्र. 6:**

**बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री निधु सक्सेना (डीआईएनः 09691292) की नियुक्ति**

श्री निधु सक्सेना (डीआईएनः 09691292) को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(ए) के तहत बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.नं. 4/2/2021-बीओ.I दिनांक 21 अक्तूबर, 2021 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात 01 फरवरी, 2022 से तीन साल तक की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था. तदनुसार, श्री निधु सक्सेना 01 फरवरी, 2022 से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक का पद संभाल रहे हैं.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है.

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री निधु सक्सेना की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है.

श्री निधु सक्सेना वाणिज्य स्नातक हैं और आपने सीएआईआईबी योग्यता के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर भी किया है. बैंकिंग में अपने 25 वर्षों के अनुभव से पूर्व श्री निधु सक्सेना को विभिन्न क्षेत्रों में 8 वर्षों का कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी है. आपने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा से की थी जहां आपने 10 वर्षों तक कार्य किया जिसके बाद आपने यूको बैंक में कार्यभार ग्रहण किया.

आपने अपने पूरे बैंकिंग करियर के दौरान एनआरआई विशेषीकृत, रिटेल शाखा तथा केंद्रीय कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर कार्य किया है. आपने यूको बैंक में पुणे एवं सूरत अंचल के अधीन शाखा प्रमुख तथा अंचल प्रमुख सहित विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आप यूको बैंक में रिटेल ऋण, एमएसएमई तथा बैंक-बीमा कारोबार के वर्टिकल प्रमुख के रूप में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंधः शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर परः शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षताः शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिताः शून्य
- श्री निधु के कौशल/निपुणता/क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.

श्री निधु सक्सेना को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प से संबंधित नहीं हैं.

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफ़ारिश करता है.

**मद क्र. 7 :**

**बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में सुश्री ए. मणिमेखलै (डीआईएनः 08411575) की नियुक्ति**

सुश्री ए. मणिमेखलै (डीआईएनः 08411575) को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(ए) के तहत बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.नं. 4/2/2021-बीओ.I दिनांक 03 जून, 2022 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात 03 जून, 2022 से तीन साल तक की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था. तदनुसार, सुश्री ए. मणिमेखलै 03 जून, 2022 से बैंक के बोर्ड में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का पद संभाल रहे हैं.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है.

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में सुश्री ए. मणिमेखलै की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है.

सुश्री ए. मणिमेखलै ने बेंगलूरु विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (विपणन) और नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस), मुंबई से मानव संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा किया है. आपने देश की प्रमुख संस्थानों में आयोजित विभिन्न कार्यपालक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है और साथ ही आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से एक प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं.

सुश्री ए मणिमेखलै तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक दक्ष बैंकर हैं. आपने 1988 में तत्कालीन विजया बैंक में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और सफलतापूर्वक प्रोन्नत होकर क्रमशः शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों के कार्यकारी प्रमुख के तौर पर कार्य किया. आपने योजना बनाने, संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित करने, विकास, कार्य योजनाओं, अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण आदि प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाली कार्यनीतिक नीतियों को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सुश्री ए. मणिमेखलै केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक थीं, जहां आपने कार्यनीतिक योजना, ऋण और संबंधित मामले, निरीक्षण, विपणन और वित्तीय समावेशन, राज्य स्तरीय अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्रियाकलापों का नेतृत्व किया. आपने केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के सफल समामेलन को प्रभावी रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर पर: भारतीय साधारण बीमा निगम की निदेशक.
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षता: भारतीय साधारण बीमा निगम की हितधारक संबंधी समिति एवं लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षा.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- सुश्री ए मणिमेखलै के कौशल/ निपुणता/ क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.

सुश्री ए मणिमेखलै को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प से संबंधित नहीं हैं.

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफ़ारिश करता है.

**मद क्र. 8:**

**बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री रामसुब्रमणियन एस. (डीआईएन: 08747165) की नियुक्ति**

श्री रामसुब्रमणियन एस. (डीआईएन: 08747165) को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(ए) के तहत बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ. नं. 4/6/2021-बीओ.I दिनांक 21 नवंबर, 2022 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात 21 नवंबर, 2022 से तीन साल तक की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था. तदनुसार, श्री रामसुब्रमणियन एस. 21 नवंबर, 2022 से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक का पद संभाल रहे हैं.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है.

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री रामसुब्रमणियन एस. की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ने से पहले, श्री रामसुब्रमणियन एस. केनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे. आपको बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई/ खुदरा ऋण, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एवं फॉरेक्स में 25 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है. आप विज्ञान में स्नातक हैं और सीएआईआईबी अहर्ता प्राप्त हैं.

अपने पूरे बैंकिंग कॅरियर के दौरान, आपने प्राइम कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग, बड़े कॉर्पोरेट, मध्य कॉर्पोरेट शाखाओं और केनरा बैंक की हाँगकाँग शाखा और प्रधान कार्यालय तथा प्रशासनिक कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों और अलग-अलग श्रेणी की शाखाओं में भी कार्य किया है.

आप शीर्ष कार्यपालक ग्रेड अधिकारी हैं, जिन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (पूर्ववर्ती बैंक बोर्ड ब्यूरो) द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यनीति कार्यक्रम में भाग लिया है. आप आईबीए की कॉर्पोरेट ऋण की स्थायी समिति के भी सदस्य थे. आपको कोविड पुनर्रचना पर कामत समिति में भी नामित किया गया है. आप परिचालन एवं प्रशासन में समान रूप से दक्ष हैं.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर पर: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- श्री रामसुब्रमणियन के कौशल/ निपुणता/ क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.

श्री रामसुब्रमणियन एस. को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प से संबंधित नहीं हैं.

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफ़ारिश करता है.

**निदेशक मंडल के आदेशानुसार**
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

शांतनु

**स्थान:** मुंबई
**दिनांक :** 23.06.2023

(एस.के. दास))
कंपनी सचिव

# निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल को 'लेखा परीक्षित (ऑडिटेड) तुलन पत्र', 'लाभ और हानि खाता', 'नकदी प्रवाह विवरणी (कैश-फ्लो स्टेटमेंट)' और 'प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट' के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 की बैंक की 104वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है. 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट' और 'बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और संवहनीयता रिपोर्ट' भी वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 का हिस्सा है.

## 1. मुख्य विशेषताएं:

1.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि लचीली रही है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनंतिम अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो निजी खपत एवं निवेश द्वारा संचालित होती है. आपूर्ति पक्ष में, गतिविधि को कृषि एवं सेवा क्षेत्रों द्वारा समर्थित किया गया था, जबकि विनिर्माण को उच्च निविष्टि लागतों के दबाव के कारण रोककर रखा था. वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेवाओं की गतिविधि से लेकर बैंक ऋण तक के कई डाटा मांग में तेजी लाने के संकेत दे रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मौजूदा कीमतों पर जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी में वार्षिक आधार पर 16.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है.

1.2 व्यापार, पर्यटन एवं आतिथ्य जैसी सेवाओं में प्रभाव के साथ सभी क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि हुई है. सरकारी नीतियों को सक्षम करने से इन क्षेत्रों के, विकास पथ पर बढ़ने की उम्मीद है. गैर-खाद्य बैंक ऋण में वृद्धि एक वर्ष पूर्व के 9.7% से मार्च, 2023 के अंत में 15.4% की वृद्धि के साथ उपभोक्ता गतिविधि उत्साहजनक थी. जमा वृद्धि में ऋण से कम वृद्धि के कारण चलनिधि की स्थिति में कमी देखी गई. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में 6.03% की वृद्धि के साथ 447.46 अमरीकी बिलियन डॉलर का उच्चतम वार्षिक निर्यात दर्ज़ किया गया है, जो कि पिछले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021-22) के 422.00 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड निर्यात को पार कर चुका है. कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, चुनिंदा उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध एवं रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात में वृद्धि हुई है.

1.3 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति प्रतिकूल आपूर्ति आघातों की श्रृंखला एवं उच्च निविष्टि लागतों के निरंतर प्रभाव अंतरण के कारण मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मई, 2022- फरवरी, 2023 से नीतिगत रेपों दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की तथा मौद्रिक नीति, संवृद्धि का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ उत्तरोत्तर संरेखित करने पर केन्द्रित रही.

1.4 आगे बढ़ते हुए, भारत के आर्थिक पुनरुत्थान को संरचनात्मक बाधाओं की परंपरा के साथ-साथ महामारी के प्रभाव के कारण भी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा. रूस-यूक्रेन टकराव ने भी सुधार की गति को कम कर दिया है, इसका प्रभाव वस्तुओं की उच्च कीमतें, कमजोर वैश्विक विकास दृष्टिकोण और सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियों के माध्यम से संचारित हुई है. भविष्य के व्यापार, पूंजी प्रवाह एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाली डी-वैश्वीकरण से जुड़ी चिंताओं ने कारोबारी माहौल के लिए अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया है.

1.5 जबकि कुछ महीनों पहले की तुलना में वैश्विक आर्थिक संभावनाओं में मामूली सुधार हुआ है, वित्तीय क्षेत्र में उथल-पुथल, उच्च मुद्रास्फीति, रूस यूक्रेन युद्ध के चल रहे प्रभावों के कारण परिदृश्य फिर से अत्यधिक अनिश्चित है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक (डब्लयूईओ) अप्रैल, 2023 के अपडेट के अनुसार, वैश्विक संवृद्धि 2022 में 3.4% से 2023 में 2.8% और 2024 में 3.0% तक कम होने की उम्मीद है और इसके साथ ही उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीईएस) के सापेक्ष उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के लिए तेज मंदी का अनुमान है. वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति वस्तुओं की कम कीमतों के कारण 2022 में 8.7% से 2023 में 7.0% तक गिरने वाली है, लेकिन कोर मुद्रास्फीति में धीमी गति से गिरावट आने की संभावना है. इसके साथ ही, 2023 में वैश्विक व्यापार में गिरावट आने की संभावना है. बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का स्तर एक उभरती हुई चुनौती है, जो कि ट्रेड-ऑफ को जटिल कर रही है, जिसका सामना केंद्रीय बैंकों को करना पड़ रहा है.

1.6 आईएमएफ ने एशिया-प्रशांत के सकल घरेलू उत्पाद में 2022 में 3.8% की वृद्धि के बाद 2023 में 4.6% के विस्तार करने की भविष्यवाणी की है. 2023 की वैश्विक वृद्धि में चीन एवं भारत द्वारा आधा योगदान दिये जाने की उम्मीद है, साथ ही बाकी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र अतिरिक्त पांचवे हिस्से का योगदान देंगे.

1.7 रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा. आईएमएफ़ के अनुसार, भारत द्वारा 2023 में 5.9% और 2024 में 6.3% से आगे बढ़ने का अनुमान किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) ने 2023-24 के लिए 6.5% आर्थिक संवृद्धि का अनुमान लगाया है. उच्च रबी उत्पादन ने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण मांग की संभावनाओं को उज्ज्वल किया है. संपर्क-गहन सेवाओं में स्थिर वृद्धि शहरी मांग के लिए सकारात्मक होनी चाहिए. पूंजीगत व्यय पर सरकार का ध्यान, लंबी अवधि के औसत से ऊपर क्षमता उपयोग और वस्तुओं की कीमतों में नरमी से विनिर्माण और निवेश गतिविधि को बढ़ावा मिलना चाहिए. सरकार द्वारा किए गए सुधारों और आरबीआई द्वारा विभिन्न सहायक उपायों को देखते हुए, आने वाले

वर्षों में आर्थिक संवृद्धि में और तेजी से वृद्धि के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी जा रही है. केंद्रीय बजट 2023-24 में सार्वजनिक निवेश और पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि का प्रावधान किया गया है. विभिन्न सरकारी पहलों को संवृद्धि का समर्थन करते हुए देखा जा रहा है और ऋण-मांग के वित्त वर्ष 2023-24 में मजबूत रहने की उम्मीद है.

## 2. बैंक का कार्यनिष्पादन

वर्ष 1919 में स्थापित, 31 मार्च, 2023 तक आपके बैंक की 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 8577 शाखाएँ, 10,835 एटीएम और 75,594 कर्मचारी हैं.

बैंक की हांगकांग, सिडनी, दुबई डीआईएफ़सी में 3 विदेशी शाखाएं, 5 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी संगठन हैं.

आपके बैंक का वैश्विक कारोबार 31 मार्च, 2023 तक ₹19,27,621 करोड़ रहा, जिसमें कुल जमा ₹11,17,716 करोड़ और सकल अग्रिम ₹8,09,905 करोड़ शामिल हैं.

31 मार्च, 2023 को बैंक का परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ क्रमशः ₹25,467 करोड़ और ₹8,433 करोड़ रहा.

## 3. डिजिटलीकरण:

**प्रोजेक्ट संभवः डिजिटल कारोबार प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन**

बढ़ते डिजिटल कारोबार तक पहुँच बनाने और मजबूत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र/संरचना के निर्माण के लिए, आपके बैंक ने प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है. प्रोजेक्ट संभव के एक हिस्से के रूप में, आपके बैंक ने बैंक के अंदर एक डिजिटल बैंक के निर्माण के लिए डिजिटल रूपांतरण पर विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसमें शामिल हैः

ए. कारोबार दृष्टि एवं डिजिटल बैंकिंग नीति के साथ संरेखित डिजिटल रणनीति.

बी. बेस्ट इन-क्लास यात्रा के अनुभव के लिए वर्धित यूआई/यूएक्स एवं निर्बाध ओमनी चैनल के साथ व्योम रूपांतरण.

सी. एकोसिस्टम भागीदारी

डी. क्लाउड-रेडी आर्कीटेक्कचर ग्राउंड- अप बिल्ड डिजिटल चैनल, एपीआई, माइक्रो सेवा एवं मॉडर्न इंजीन्यरिंग प्रैक्टिस के साथ डिजिटल प्लैटफ़ार्म का निर्माण करना.

ई. डाटा एवं एनालिटिक्स प्लैटफ़ार्म सेवायें

एफ. नए डिजिटल उत्पाद ऑफर करने हेतु फिनटेक के साथ सहयोग.

आपके बैंक ने 20 से अधिक डिजिटल-यात्राएं शुरू की हैं और त्वरित गो-टू-मार्केट यात्रा शुरू करने के लिए 90+ फिनटेक के साथ साझेदारी की है, इस प्रकार उत्पादों को रोल-आउट करने की समय सीमा कम हो गई है.

उन परियोजनाओं पर जोर दिया गया जो नियामक आवश्यकताओं, ईज़ (ईएएसई) सुधार एजेंडा के साथ-साथ बैंक के भीतर से प्राप्त अनुरोधों का हिस्सा हैं.

**व्योम एप का शुभारंभ**

आपके बैंक ने सुविधा संवर्द्धन द्वारा मौजूदा मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसे नया रूप दिया है जिससे ग्राहकों को आसानी और सुविधा प्रदान की जा सके.

बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन को "व्योम" के रूप में रीब्रांड किया गया है और इसे दिनांक 11.11.2022 को बैंक के स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया है. जुड़ाव बढ़ाने के लिए एक्सप्लोरेटिव यूआई/यूएक्स डिजाइन के साथ-साथ व्योम 350+ सुविधाएं प्रदान करता है और अद्वितीय बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है. यह एप्लिकेशन लाइफस्टाइल बैंकिंग (मार्केटप्लेस) प्रदान करता है, जिसमें ग्राहक फ्लाइट टिकट, होटल, कैब, और बस टिकट बुक कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं, मोबाइल डीटीएच और डेटा कार्ड रिचार्ज और होटल बुक कर सकते हैं और दान भी कर

सकते हैं. आपके बैंक ने व्योम एप में म्यूचुअल फंड, बीमा और विभिन्न एसटीपी यात्राओं को भी शामिल किया है.

2.1 मिलियन दैनिक लॉगिन के साथ व्योम पर 21 मिलियन से अधिक ग्राहक पंजीकृत हैं.

*एमडी और सीईओ द्वारा व्योम एप का शुभारंभ*

**व्योम पर पंजीकरण**

(लाख में)

| मार्च-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान | यथा 31.03.2023 को संचयी स्थिति |
|---|---|---|
| 164.71 | 48.43 | 213.14 |

**डिजिटल-यात्राएं**

**म्यूचुअल-फंड और बीमा कारोबार के लिए डिजिटल समाधान**

Union Invest

**म्यूचुअल-फंड**

शुल्क-आधारित आय बढ़ाने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने (शाखाओं में पेपरलेस लेनदेन प्रदान करने के अलावा), बैंक के मोबाइल ऐप और नेट-बैंकिंग चैनलों के माध्यम से म्यूचुअल फंड की बिक्री के लिए डिजिटल समाधान लॉन्च किया है और यह प्रारंभिक चरण में है.

UniSure
Union Insure

**बीमा**

जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में, आपके बैंक ने बीमा कारोबार के लिए डिजिटल समाधान लॉन्च किया है और यह प्रारंभिक चरण में है.

**सीआरएम समाधान**

आपके बैंक ने एकीकृत-ग्राहक-अनुभव और बेहतर ग्राहक-संतुष्टि प्रदान करने के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) समाधान को लागू करना शुरू कर दिया है. सीआरएम समाधानों के चरणवार कार्यान्वयन के भाग के रूप में, लीड मैनेजमेंट सॉल्यूशन (एलएमएस) को सभी विपणन अधिकारियों, खुदरा ऋण केंद्र, एमएसएमई ऋण केंद्र, सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में लाइव कर दिया गया है. ग्राहक $360^{0}$ बीटा परीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय अंधेरी की शाखाओं के लिए लाइव किया गया है और वित्तीय वर्ष 23-24 की पहली तिमाही में इसे लाइव किया जाएगा.

**खाता एग्रीगेटर**

यूनियन बैंक खाता एग्रीगेटर (एए) पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकृत होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है. आपके बैंक ने 5 एए को ऑन-बोर्ड किया है. ओसीएन फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वयन के लिए दो उपयोग मामलों जीईएम सहाय और जीएसटी सहाय को भी शामिल किया गया है.

**डिजिटल उधार और समीक्षा / नवीकरण यात्रा**

हमारे बैंक ने आस्तियों और देयता उत्पाद दोनों को कवर करते हुए 20+ डिजिटल यात्राएं शुरू की हैं. इन यात्राओं से आपका बैंक ₹ 2126 करोड़ की डिजिटल यात्रा को मंजूरी दे सका और डिजिटल रूप से 7.68 लाख से अधिक खातों का नवीनीकरण / समीक्षा की है.

*मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य में पायलट आधार पर फ्रेश केसीसी(1.60 लाख) की शुरूआत के दौरान की तस्वीरें*

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लांच की गई डिजिटल लेंडिंग यात्रा निम्नानुसार हैं:

i. मुद्रा किशोर एसटीपी
ii. मुद्रा तरुण एसटीपी
iii. शिक्षा ऋण
iv. फ्रेश केसीसी (1.6 लाख)
v. जमा पर ऋण (एलएडी)
vi. नारी शक्ति
vii. जीएसटी लाभ
viii. केसीसी ऋण नवीनीकरण
ix. खुदरा सावधि ऋण समीक्षा
x. एमएसएमई नवीनीकरण (आकलन)

### केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक ने आपके बैंक को केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी-रिटेल (सीबीडीसी-आर) और केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी-होलसेल (सीबीडीसी-डब्ल्यू) प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए नामित किया है. आपके बैंक ने सीयूजी के तहत एंड्रॉइड एवं आईओएस यूजर के लिए सीबीडीसी-रिटेल और सीबीडीसी-होलसेल-एप्लिकेशन को लाइव किया है.

### फिनटेक और इकोसिस्टम पार्टनरशिप

फिनटेक के साथ जुड़ने एवं डिजिटल ग्राहक यात्रा के निर्माण के लिए उनके समाधान का लाभ उठाने हेतु एक नीतिगत ढांचा बनाने वाले बैंक में आपका बैंक अग्रणी बैंकों में से एक है. आपके बैंक ने 20+ नेक्स्ट-जेन थीम में 150+ बेस्ट-इन-क्लास फिनटेक के साथ काम किया और 90+ फिनटेक को सूचीबद्ध किया. एग्री, रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट में विभिन्न डिजिटल समाधानों के कार्यान्वयन के लिए 8+ फिनटेक को शामिल किया गया है.

### डिजिटल बैंकिंग इकाइयां

आपके बैंक ने 6 जिलों में 7 डीबीयूएस का संचालन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कागज रहित, सुरक्षित और जुड़े हुए वातावरण का उपयोग करके उन्नत अनुभव के साथ लागत प्रभावी, सुविधाजनक पहुंच प्रदान करके वित्तीय सेवाओं की डिजिटल पहुंच बढ़ाना है. डीबीयूएस आंध्र प्रदेश के राजमंद्री और मछलीपट्टनम, पलक्कड़ (केरल), सागर (मध्य प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र), पटियाला (पंजाब) और अगरतला (त्रिपुरा) में स्थित हैं. सभी डीबीयूएस इंटरएक्टिव टैबलेट, बहु-कार्यात्मक कियोस्क, एटीएम, वीडियो केवाईसी उपकरण, मेटावर्स, इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क जैसी स्मार्ट क्षमताओं से लैस हैं.

## 4. कारोबार की मुख्य विशेषताएं:

4.1 31 मार्च, 2023 तक बैंक का कुल वैश्विक कारोबार ₹ 19,27,621 करोड़ रहा.

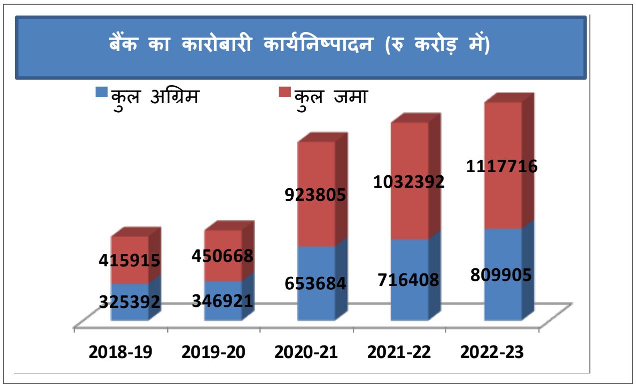


4.2 31 मार्च, 2023 तक कुल जमाराशियां बढ़कर ₹11,17,716 करोड़ हो गई. 31 मार्च, 2023 को इसमें से कासा (चालू खाता और बचत खाता) अंश 35.26% रहा.

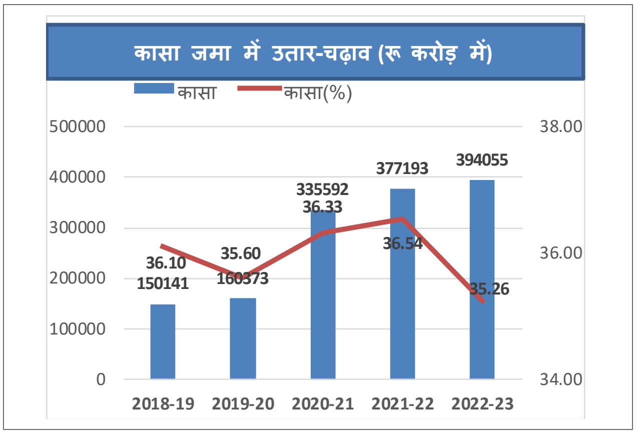


4.3 31 मार्च, 2023 को सकल अग्रिम ₹ 8,09,905 करोड़ पर बना रहा. बैंक के आरएएम सेगमेंट में वर्ष-दर-वर्ष 14.94% की वृद्धि हुई. वर्ष-दर-वर्ष आधार पर खुदरा में 17.19%, कृषि में 14.20% एवं एमएसएमई अग्रिमों में 13.06% की वृद्धि हासिल की गई. घरेलू अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में आरएएम अग्रिम 55.61% रहा.

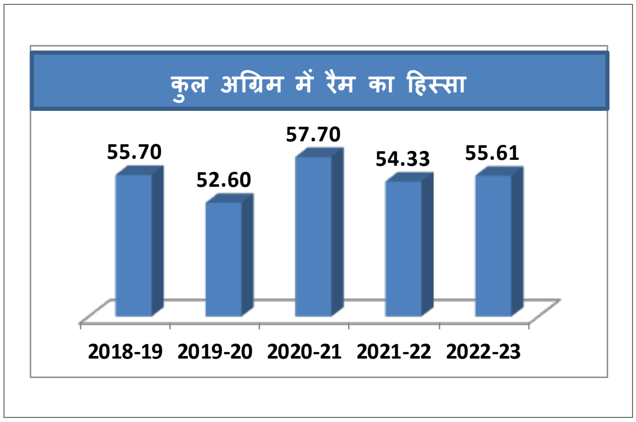


4.4 31 मार्च, 2022 को ₹17,429 करोड़ की तुलना में आपके बैंक का विदेशी कारोबार 31 मार्च, 2023 को ₹ 36,229 करोड़ रहा. आपके बैंक की हांगकांग, डीआईएफसी (दुबई) और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में तीन विदेशी शाखाएं हैं. आपका बैंक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में भी कार्य करता है और कुआलालंपुर (मलेशिया) में अपने संयुक्त उद्यम-इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बेरहाद के माध्यम से संचालित होता है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एक संयुक्त उद्यम है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विदेशी शाखाओं के सकल अग्रिम संविभाग में 43.55% और परिचालन लाभ में 7.46% की वृद्धि हुई है.

## 5. आय और व्यय:

**तालिका 1: आय और व्यय विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र | श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|---|
| 1 | अर्जित ब्याज | 80743 | 67944 |
| 2 | अन्य आय | 14633 | 12525 |
| 3 | कुल आय (1+2) | 95376 | 80469 |
| 4 | व्यय किया गया ब्याज | 47978 | 40157 |
| 5 | निवल ब्याज आय (1-4) | 32765 | 27786 |
| 6 | परिचालन व्यय | 21931 | 18438 |
| | जिसमें से स्थापना व्यय | 12390 | 10115 |
| 7 | कुल व्यय | 69909 | 58596 |
| 8 | परिचालन लाभ (3-7) | 25467 | 21873 |
| 9 | प्रावधान | 17034 | 16641 |
| 10 | निवल लाभ / हानि | 8433 | 5232 |
| 11 | प्रति शेयर आय (रु में) | 12.34 | 7.73 |

## 6. लाभप्रदता और दक्षता:

6.1 आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 21,873 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 25,467 करोड़ दर्ज किया गया.

6.2 वित्त वर्ष 2022-23 में आपके बैंक का निवल लाभ ₹ 8,433 करोड़ रहा.

6.3 आपके बैंक का लागत-से-आय अनुपात वित्त वर्ष 2022-23 में 46.27% रहा.

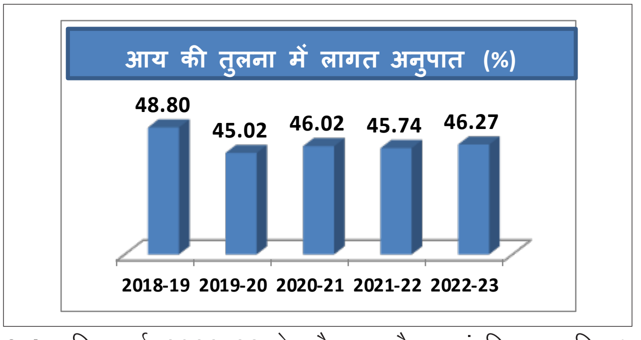


6.4 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, औसत संपत्ति पर प्रतिलाभ 0.69% रहा, जबकि इक्विटी पर प्रतिलाभ 13.26% रहा.

**तालिका 2: दक्षता अनुपात**

| मानदंड (%) | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ | 0.69 | 0.47 |
| इक्विटी पर प्रतिलाभ | 13.26 | 10.11 |

6.5 वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आपके बैंक के प्रमुख उत्पादकता अनुपात निम्नानुसार हैं.

**तालिका 3: उत्पादकता अनुपात**

| मानदंड | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में) | 25.50 | 23.26 |
| कारोबार प्रति शाखा (₹ करोड़ में) | 224.66 | 198.91 |
| प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में) | 33.69 | 29.09 |

### 6.6 लाभांश:

बैंक के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3.00 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की संस्तुति की है..

## 7. शेयरधारकों को प्रतिलाभ:

7.1 31 मार्च, 2023 तक बैंक की कुल संपत्ति ₹ 63,599.34 करोड़ रही.

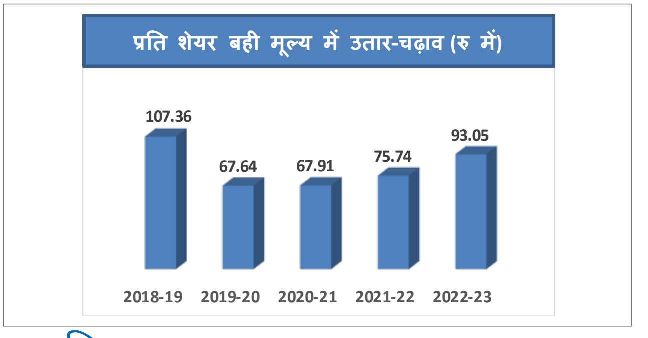


## 8. आस्ति गुणवत्ता:

8.1 31 मार्च, 2023 तक आपके बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) ₹ 60,987 करोड़ रही. 31 मार्च, 2023 तक सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए 7.53% रहा.

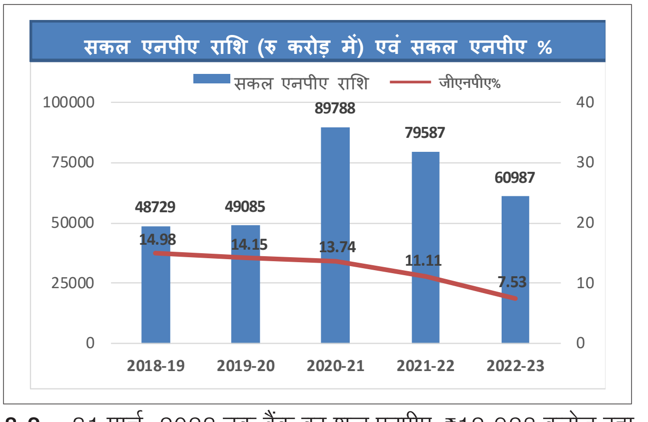


8.2 31 मार्च, 2023 तक बैंक का शुद्ध एनपीए ₹12,928 करोड़ रहा तथा 31 मार्च, 2023 को शुद्ध एनपीए अनुपात 1.70% रहा.

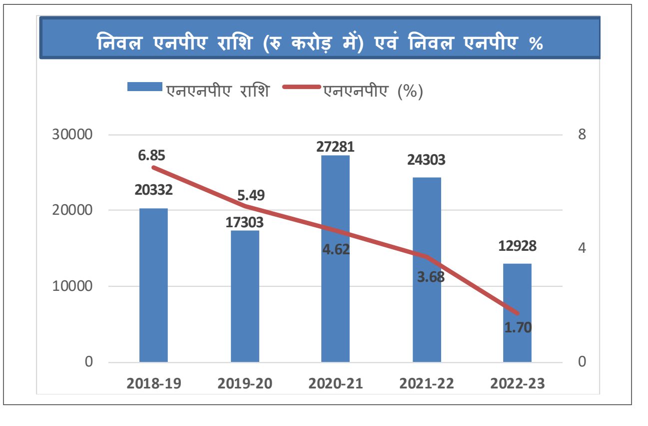

## 9. पूंजी पर्याप्तता:

9.1 31 मार्च, 2023 को बासेल III मानदंडों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.04% रहा. मार्च 2023 को आपके बैंक की सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी I) पूंजी 12.36% रही.

**तालिका 4: पूंजी पर्याप्तता अनुपात – बासेल III**

**(₹ करोड़ में)**

| मानदंड | भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम बेंचमार्क 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|---|
| कुल जोखिम-भारित आस्तियां | लागू नहीं | 5,78,455 | 545,923 |
| कुल पूंजीगत निधि | | 92,778 | 79,281 |
| सीईटी 1 पूंजी | | 71,492 | 58,049 |
| टियर 1 पूंजी | | 80,478 | 66,589 |
| सीआरएआर (%) | 11.50 | 16.04 | 14.52 |
| सीईटी 1 (%) | 8.00 | 12.36 | 10.63 |
| टियर 1 (%) | 9.50 | 13.91 | 12.20 |
| टियर 2 (%) | लागू नहीं | 2.13 | 2.32 |

### 9.2 बैंक द्वारा उगाही गयी पूंजी

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आपके बैंक ने बासेल III के अनुरूप ₹1983 करोड़ के अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड और ₹2200 करोड़ के टियर II बॉन्ड जारी और आबंटित किए हैं.

## 10. नेटवर्क

31 मार्च, 2023 तक आपके बैंक का शाखा नेटवर्क 8577 शाखाओं और 3 विदेशी शाखाओं (हांगकांग, सिडनी, दुबई) के साथ पूरे देश में फैला हुआ है. इनमें से 59 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं.

## 11. पुरस्कार एवं उपलब्धियां:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपके बैंक को डिजिटलीकरण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन प्रबंधन, ग्राहक सेवा आदि के क्षेत्र में की गई अपनी विभिन्न पहलों के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए.

- डीएससीआई उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में "बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अभ्यास" की श्रेणी में एवं हमारे बैंक के सीआईएसओ (सीसो) को "सिक्योरिटी लीडर ऑफ द इयर" के रूप में पुरस्कार मिला.
- आईबीए द्वारा 18वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार द्वारा "आईटी जोखिम प्रबंधन " श्रेणी में पुरस्कार मिला. बैंक को 2019-22 से लगातार 4 बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है.
- आईबीए द्वारा 18वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक एवं सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त हुआ.
- इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा आयोजित "बीएफएसआई टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022 " में"एंटरप्राईज सिक्योरिटी" श्रेणी के तहत दो पुरस्कार प्राप्त हुए.
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 की तीसरी तिमाही के लिए (ईज) ईएएसई 5.0 सुधार सूचकांक में प्रथम स्थान मिला (डिजिटल रूप से सक्षम ग्राहक का प्रस्ताव, बिग डेटा और विश्लेषिकी).
- आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो एवं अवार्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिनटेक सहयोग हेतु विशेष पुरस्कार.
- **अटल पेंशन योजना (एपीवाई):** आपके बैंक ने पीएफ़आरडीए द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों में पीएफ़आरडीए से पुरस्कार और सम्मान पत्र प्राप्त किया है. वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित अभियानों में अर्हता:
  - o ईडी के लिए सर्किल ऑफ एक्सीलेंस ट्रॉफी.
  - o बीट द बेस्ट एंड बी द बेस्ट अभियान.
  - o राइस अबव द रेस्ट फॉर ज़ेडएच/ आरएच- 10 . जेडएच एवं 120 आरएच क्वालिफाई हुए.
  - o एमडी और सीईओ हेतु लीडरशिप पिनेकल अभियान.
  - o एमडी और सीईओ के लिए एपीवाई बिग बिलियन अभियान.
  - o एपीवाई बिग बिलीवर्स अभियान.
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 18 प्रतिष्ठित क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुए.

- देश भर में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गठित विभिन्न नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों) से राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु 85 शील्ड प्राप्त हुए.
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) द्वारा "सर्वश्रेष्ठ गारंटी कवरेज (संख्या)"की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ.
- चैंबर ऑफ इंडिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने, कोविड संबंधित योजनाओं और सरकारी योजनाओं को लागू करने में प्रथम स्थान और सीएसआर इनिशिएटिव बैंक और एमएसएमई फ्रेंडली बैंक की श्रेणियों में उपविजेता का स्थान प्राप्त हुआ.
- एसोचैम द्वारा 9 वें एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कारों में "सर्वश्रेष्ठ एसएमई ऋण" की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है.
- एसोचैम द्वारा 9 वें एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार में "बेस्ट एसएमई लेंडिंग" की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है.
- एसोचैम फाइनेंशियल कॉन्क्लेव 2023 में एसोचैम द्वारा "वित्तीय इको सिस्टम में बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर "पुरस्कार प्राप्त हुआ.
- निदेशक संस्थान द्वारा गोल्डन पीकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया.
- मिंट डबल्यू3 चैंपियंस 2022 द्वारा फ्यूचर ऑफ़ वर्कप्लेस डिसरप्टर 2022 (बड़े उद्यम) से सम्मानित किया गया.
- मेसर्स पीपल लैब द्वारा भारतीय शिक्षा सम्मेलन 2023 कॉर्पोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- बीएफ़एसआई 2022 में टीम मार्कसमेन द्वारा मोस्ट प्रीफर्ड वर्कप्लेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- बीएआई ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड द्वारा मानव संसाधन परिवर्तन में नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- एनसीपीईडीपी-एलटीआई द्वारा माइंडट्री हेलेन केलर अवार्ड्स-2022 में रोल मॉडल कंपनी से पुरस्कृत किया गया.
- बीएमएल मुंजाल पुरस्कार द्वारा लर्निंग एवं डेवलेपमेंट द्वारा व्यावसायिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- इनोवेशन ट्रेनिंग अभ्यासः 2020-21 के लिए आईएसटीडी, न्यू दिल्ली द्वारा आईएसटीडी 31वें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- आईएससी कॉर्पोरेट अवार्ड्स 2023 द्वारा "भविष्य के लिए तैयार समावेशी संगठन बनाने में अग्रणी कार्य" के लिए सम्मानित किया गया.
- बिजनेस वर्ल्ड पीपल एंड आस्क इनसाइट्स द्वारा "पीडब्ल्यूडी समावेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन" हेतु "दिव्यंगता सकारात्मक पुरस्कार" से सम्मानित किया गया.
- 18वें आईबीए प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो एवं अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एएल और एमएल बैंक रनर अप पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन रनर अप पुरस्कार प्राप्त हुआ.
- एफ़आईईओ (फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन) ने देश में निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आपके बैंक को लगातार 2 वर्षों तक "एक्सपोर्ट एक्सीलेंस गोल्ड अवार्ड " से सम्मानित किया है.
- वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों" की श्रेणी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा गोल्ड शील्ड से सम्मानित किया गया है.
- बैंक को डिजिटल परिवर्तन एवं सुगमता के क्षेत्र में योगदान प्रदान करने हेतु विभिन्न पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं:
- एनसीपीईडी-एलटीआईएमआईएनडीटीआरईई हेलेन केलर पुरस्कार
- बिजनेस ट्रांसफॉरमेशन पुरस्कार 2022
- 5वां इंडिया बीएफएसआई कॉन्क्लेव एंड अवार्ड 2022
- डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन समिट इंडिया 2022

## 12. सोशल मीडिया

आपका बैंक सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन पर अपने आधिकारिक हैंडल के माध्यम से उत्पाद/ सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रदान कर रहा है. उपयोगकर्ता वार्ता सत्र, ग्राहकों को सीधा संप्रेषण, ग्राहक

सेवा सहयोग, ऑनलाइन प्रतियोगिता, एड्यूकेशन पोस्ट/वीडियो, ऑनलाइन कार्यक्रम आदि के माध्यम से कारोबारी गतिविधियों में शामिल रहे. उपयोगकर्ता इंटरैक्शन का उपयोग ब्रांड के संबंध में धारणाओं को समझने और सोशल मीडिया के माध्यम से कारोबारी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी समझ प्राप्त करने के लिए करता है.

आपका बैंक सोशल मीडिया के माध्यम से किफ़ायती ब्रांड प्रचार पर फला-फूला है और ग्राहकों को उत्पादों, सेवाओं और ऑफ़र के बारे में जागरूक करते हुए आकर्षक स्थिर / वीडियो पोस्ट के साथ गतिशील सामग्री पोस्ट की है. साइबर सुरक्षा पर पोस्ट के माध्यम से जागरूकता भी पैदा की गई, ग्राहकों से धोखाधड़ी, साइबर घोटाले और अन्य सामाजिक इंजीनियरिंग, सामाजिक कारणों, व्यक्तित्वों को याद रखने, महत्वपूर्ण दिनों / घटनाओं आदि के बारे में जागरूक होने का आग्रह किया गया.

आपका बैंक सभी हैंडल पर 365 दिन, रात-दिन, सात दिन 365x24x7 उपलब्ध है, जो बहुत ही संवेदनशील हैं और तुरंत उत्तर देते हैं. पिछले वर्ष में, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के 1.70 लाख प्रश्नों का उत्तर दिया गया, जिससे समय पर मार्गदर्शन, उचित पुनर्निर्देशन और शिकायत निवारण सुनिश्चित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को संतुष्टि प्राप्त हुई. 6699.25 लाख इंप्रेशन और 932.79 लाख जुड़ाव के साथ आपके बैंक ब्रांड को जनता ने खूब सराहा.

आपके बैंक के पास सोशल मीडिया उपस्थिति पर एक विशाल अनुयायी आधार है जो 31 मार्च, 2023 तक बढ़कर **41.47 लाख** हो गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 24.33 लाख था, जो वर्ष-दर-वर्ष **70.44%** की वृद्धि को दर्शाता है.

आपका बैंक लगातार मौजूदा या नए उत्पादों के बारे में समग्र भावना को आंक रहा है, नई पहलों, ग्राहक रुचि के बारे में प्रतिक्रिया एकत्र कर रहा है जिससे उत्पाद पेशकशों और प्रदान की जाने वाली सेवाओं में ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके.

आपके बैंक ने सोशल मीडिया हैंडल पर 150 से अधिक डिजिटल मार्केटिंग अभियान चलाए हैं और गूगल एड्स पर लक्षित विज्ञापन अभियान चलाए हैं, जो उत्पादों / सेवाओं / प्रस्तावों पर अधिकतम पहुंच के लिए एक माहौल पैदा कर रहे हैं और बेहतर खोज इंजन दृश्यता वर्धित वेबसाइट ट्रैफ़िक के साथ नए ग्राहकों को शामिल कर रहे हैं.

आपके बैंक ने मेकमाईट्रिप, स्विगी, जोमैटो, बुक माई शो, अपोलो फार्मेसी, फर्न एन पेटल्स, स्विगी इन्स्टामार्ट, मीशो, गोआईबीबो आदि जैसे प्रमुख बाजार के खिलाड़ियों के साथ आतिथ्य, मनोरंजन और स्वास्थ्य क्षेत्रों में ई-कॉमर्स कारोबार गठजोड़ किया है और कार्ड धारकों को कैशलेस भुगतान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है जिससे डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़े रहें.

## 13. बैंक के बोर्ड में निदेशकों में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपके बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए.

- श्री मानस रंजन बिस्वाल ने आपके बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में 30 अप्रैल, 2022 को कार्यालय में अपना कार्यकाल पूरा किया.
- श्री राजकिरण रै. जी ने आपके बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 31 मई, 2022 को कार्यालय में अपना कार्यकाल पूरा किया.
- 3 जून, 2022 को सुश्री ए. मणिमेखलै को बैंक के बोर्ड में एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है.
- 7 नवंबर, 2022 को श्री श्रीनिवासन वरदराजन को बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है.
- 21 नवंबर, 2022 को श्री रामसुब्रमण्यन एस. को बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

## 14. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा बनाते समय निम्न तथ्यों की पुष्टि की गई है:

- सामग्री प्रस्थान, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ प्रभावी लेखा मानकों का पालन किया गया.
- लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और निरन्तर प्रभावी एवं निर्णीत किया गया है तथा जो अनुमान लगाए गए हैं वे उचित और विवेकपूर्ण हैं, जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में आपके बैंक के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए आपके बैंक के लाभ-हानि के बारे में सही और निष्पक्ष स्वरूप दिया जा सके.
- आपके बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के

कार्यनीति, मॉडल & पूंजी
नोटिस
सांविधिक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

अनुसार पर्याप्त खाता अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है.

- वार्षिक खाते एक निरन्तर मामलों के आधार पर तैयार किए गए.

- आपके बैंक द्वारा पालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए एवं ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्यशील थे. स्पष्टीकरण इस उपबंध के उद्देश्य के लिए, "आंतरिक वित्तीय विवरणियां " शब्द का अर्थ आपके बैंक द्वारा अपने कारोबार को व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, अपनी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं गलतियों की रोकथाम और उनका पता लगाना, लेखाबहियों के रिकॉर्ड की शुद्धता, पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर तैयार करना शामिल है.

- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां मौजूद और पर्याप्त रही और ऐसी प्रणालियां प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं.

## 15. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

आपके बैंक का बोर्ड उचित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. वार्षिक रिपोर्ट के एक अलग खंड में कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी गई है. वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट लेखा परीक्षा के पात्र नहीं है.

## 16. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

16.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अग्रणी रहा है. इसी प्रयास में आपके बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में अपने योगदान को अधिकतम बनाने के लिए वर्ष 2006 में यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी) की स्थापना की है. आपके बैंक की प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियां अब यूबीएसएफटी के माध्यम से संचालित की जा रही हैं. इसके बोर्ड की अध्यक्षता आपके बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाती है, जिसमें कार्यपालक निदेशक इसके उपाध्यक्ष न्यासी (ट्रस्टी) होते हैं, अन्य न्यासियों (ट्रस्टियों) में आपके बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक और एक स्वतंत्र न्यासी (ट्रस्टी) शामिल होते हैं. यूबीएसएफ़टी बोर्ड बैंक के लक्षित क्षेत्रों के अनुसार दिशा-निर्देश प्रदान करता है और प्रत्येक तिमाही इसकी समीक्षा करता है. बोर्ड के निर्देशों का पालन यूबीएसएफटी के मुख्य कार्यपालक द्वारा किया जाता है. यूबीएसएफटी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलुरु में है, जबकि प्रशासनिक कार्यालय मुंबई में स्थित है.

आपके बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि की तिमाही आधार पर निगरानी और मार्गदर्शन करने के लिए बैंक के हितधारकों की यूबीएसएफटी की भी बैंक शेयरधारक संबंध समिति बनाई है.

सामाजिक उत्थान और वंचित वर्गों के जीवन में सुधार की दिशा में की जाने वाली पहल का समर्थन करने के उद्देश्य से यूबीएसएफ़टी की स्थापना की गई है.

### 16.2 वर्ष 2022-23 में आपके बैंक/यूबीएसएफ़टी द्वारा कार्यान्वित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सेनिटेशन, सामुदायिक विकास, कौशल विकास आदि के तहत 51 परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को ₹23.28 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शुरू की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

- तिरुमलाई मेडिकल मिशन अस्पताल, रानीपेट, तमिलनाडु को स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, डिजिटल अपग्रेड किट के साथ एक एक्स-रे मशीन और एक 33-सीटर कैंप वैन दान किया गया.

- "एसडीएमएच" अस्पताल जोकि जयपुर में स्थित एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, मरीजों की देखभाल के लिए एक एम्बुलेंस दान की गई.

- जयदेव मेमोरियल राष्ट्रोत्थान अस्पताल जोकि बेंगलुरु में स्थित एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, मरीजों की देखभाल के लिए एक आईसीयू एम्बुलेंस दान की गई.

- राजकीय वृद्धाश्रम, वाराणसी के जीर्णोद्धार के लिए दान दिया गया.

- पात्रा फाउंडेशन, बेंगलुरु को मंगलागिरी, आंध्र प्रदेश में उनकी मिड-डे मील योजना के लिए दो खाद्य वितरण वाहन दान किए गए.

- आरएसईटीआई वाराणसी में वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया.

- समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा वातावरण प्रदान करने की दिशा में हेबरी, कर्नाटक के फ़र्स्ट ग्रेड सरकारी महाविद्यालय के सम्मेलन कक्ष में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया.

- आरएसईटीआई चिकमलगुरु की प्रशिक्षित महिला उद्यमियों के लिए नारीशक्ति क्रेडिट शिविर का आयोजन किया गया एवं ऋण स्वीकृति पत्र जारी किया गया.

## 17. ईज (संवर्धित पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता)

वित्त वर्ष 2018-19 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अगली जेनरेशन के सुधारों की शुरुआत करने के लिए भारत सरकार द्वारा संवर्धित पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता लांच किया गया था. बैंकों के कार्यनिष्पादन को तिमाही आधार पर एक कॉमन इंडेक्स पर मापा जाता है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईज एजेंडे की चौथी पुनरावृत्ति "प्रौद्योगिकी-सक्षम सहयोगात्मक और सरलीकृत बैंकिंग" विषय के तहत शुरू की गई थी और आपके बैंक को ईज 4.0 वार्षिक सूचकांक में चौथे स्थान पर रखा गया था.

"उन्नत डिजिटल अनुभव, एकीकृत और समावेशी बैंकिंग" विषय के तहत ईएएसई (ईज) की पांचवीं पुनरावृत्ति ने दीर्घकालिक सुधार उद्देश्यों को निर्धारित किया है, जिसे तीन साल की अवधि में सुपरिभाषित वार्षिक लक्ष्यों के साथ हासिल किया जाना है. सुधार डिजिटल बैंकिंग प्रस्तावों को बढ़ावा देने, विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, पीएसबी की तकनीकी क्षमताओं को व्यापक बनाने, सह-उधार साझेदारी की प्रकृति को व्यापक और गहरा बनाने, कर्मचारी जुड़ाव और संतुष्टि बढ़ाने पर केंद्रित है.

आपके बैंक ने बैंक में सुधार एजेंडे को संस्थागत बनाने में पिछले पांच वर्षों में ईज सूचकांक में काफी प्रगति की है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में आंतरिक क्षमताओं को विकसित करने और ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को बढ़ाने की दिशा में आपके बैंक द्वारा हासिल किए गए प्रमुख विकास लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

ए. मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन को "व्योम" के रूप में रीब्रांड किया और एक अद्वितीय बैंकिंग अनुभव के लिए 350 से अधिक सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास सुविधाओं और एक खोजपूर्ण यूआई/यूएक्स डिज़ाइन के साथ नया सुपर-ऐप लांच किया है.

बी. उपयोगकर्ता अनुभव, सुविधा और अंतरण को बढ़ाने के लिए 38 से अधिक एंड-टू-एंड डिजिटल यात्राएं शुरू की गईं.

सी. रैम सेगमेंट में एसटीपी यात्राओं के माध्यम से त्रैमासिक, 1600 करोड़ से अधिक कारोबार सृजित किया गया.

डी. ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की प्रक्रिया को कार्यान्वित किया गया.

ई. ग्राहकों की अपेक्षाओं पर लगातार प्रतिक्रिया प्राप्त करने और आवश्यकतानुसार उत्पादों/सेवाओं को फिर से तैयार करने के लिए, आपके बैंक ने ग्राहकों की भावनाओं को कैपचर करने के लिए 10 चैनल सक्रिय किए हैं.

एफ. देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक अधिक पहुंच बनाने के लिए, आपके बैंक ने को-लेंडिंग यात्रा के लिए रैम सेगमेंट में कई एनबीएफ़सीए के साथ भागीदारी की है. को-लेंडिंग देने के लिए एक अलग वर्टिकल बनाया गया जिसे संविभाग के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

जी. आपका बैंक पिछले साल मई के महीने में खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है. आपके बैंक ने एफ़आईपी (वित्तीय सूचना प्रदाता) और एफ़आईयू (वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता) दोनों के रूप में पंजीकरण किया है, जिससे ग्राहक वास्तविक समय के आधार पर डेटा साझा कर सकते हैं और उन्हें भौतिक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता को समाप्त करते हुए एक सहज यात्रा प्रदान कर सकते हैं.

एच. आपके बैंक ने कई कर्मचारी अनुकूल पहल भी की हैं जैसे कि महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष कर्मचारियों (माता-पिता) को बाल देखभाल सुविधाओं पर खर्च की प्रतिपूर्ति, कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहरी भागीदारों के साथ सहयोग करना, कर्मचारी शिकायत निवारण पोर्टल शुरू करना, दूसरों के बीच कर्मचारियों के लिए करियर परामर्श हेतु एक मंच बनाया है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए नवीनतम ईज 5.0 इंडेक्स में, आपका बैंक सभी पीएसबी में **पहले** स्थान पर रहा है. आपके बैंक ने पीएसबी में प्रथम रैंक हासिल करके पांच में से चार विषयों के तहत बेंचमार्क भी निर्धारित किया है. थीम डिजिटल रूप से सक्षम ग्राहक पेशकश, बिग डेटा और एनालिटिक्स, आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमताएं और कर्मचारी विकास और शासन हैं.

आपका बैंक परिकल्पित सुधार उद्देश्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि अधिक लचीलेपन और सेवाओं के तेजी से वितरण के माध्यम से ग्राहक सेवा में सुधार किया जा सके. बेहतर परिचालन

क्षमता और ग्राहक जुड़ाव में वृद्धि के साथ, आपका बैंक एक समावेशी डिजिटल वित्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

## 18. आभार:

18.1 निदेशक मंडल शेयरधारकों, सम्मानित ग्राहकों, शुभचिंतकों, शेयर अंतरण एजेंट तथा भारत और विदेशों में स्थित आपके बैंक के संवाददाताओं को उनकी सद्भावना, संरक्षण और समर्थन के लिए धन्यवाद देता है.

18.2 निदेशक मंडल, बैंक के काम-काज सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, बीएसई, एनएसई, वित्तीय संस्थाओं, संवाददाता बैंक तथा बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और सामयिक परामर्श, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है.

18.3 निदेशक मंडल वर्ष के दौरान बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन में स्टाफ सदस्यों की समर्पित सेवा तथा उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना करता है और आपके बैंक के कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति में इसी प्रकार उनके निरंतर सहयोग की आशा करता है.

18.4 निदेशक मंडल सभी स्टाफ सदस्यों के सुरक्षित, स्वस्थ और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है.

**कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से**

(श्रीनिवासन वरदराजन)
**अध्यक्ष**

**स्थान : मुंबई**
**दिनांक: 23.06.2023**

# प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

## 1 वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.1 विगत दो वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सामान्य वृद्धि की तुलना में धीमी वृद्धि दर्ज की गई जिससे बुनियादी आधार कमजोर रहे. यूरोप में युद्ध, मौद्रिक नीतियों को कठोर बनाना, मुद्रास्फीति के दबाव और आपूर्ति में अचानक कमी सहित कई घटनाओं ने वित्त वर्ष 2022-23 में वैश्विक विकास कार्यनिष्पादन को प्रभावित किया. विश्व भर में वित्तीय बाजार की स्थिति कई बार दरों में वृद्धि एवं पूंजी बहिर्वाह की घटनाओं के साथ अत्यधिक अस्थिर थी. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में लंबे समय तक कठोर नीतिगत कार्रवाइयों ने पूंजी बाजारों में बड़ी अस्थिरता को उत्पन्न किया और इसके प्रभाव उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमईएस) में भी महसूस किए गए. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने मुद्रास्फीति के दबाव को जन्म दिया और विश्व को 'जीवन यापन के संकट' की ओर धकेल दिया. खाद्य, ऊर्जा और मध्यवर्ती वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने केंद्रीय बैंकों को कठोर नीतिगत कार्रवाई करने हेतु बाध्य दिया, जिसने वित्त वर्ष 2022-23 में विकास को बाधित किया. फिर भी, महामारी के बाद की रिकवरी के एक हिस्से के रूप में दुनिया भर में मांग की स्थिति में निरंतरता ने दुनिया को मंदी का सामना करने से कुछ हद तक रोका.

1.2 भू-राजनीतिक तनावों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण वैश्विक पण्य कीमतें उच्च पथ पर थी. मांस, वनस्पति तेल और डेयरी उत्पादों की कीमतों में सुधार के तुरंत बाद कीमतें दिसंबर 2022 से कमजोर हो गई. हालांकि, अनाज की कीमतों में मामूली कमी आई जबकि चीनी की कीमतों में वृद्धि हुई जिससे खाद्य सूचकांकों पर दबाव बढ़ा.

1.3 वर्ष 2022 की पहली छमाही में, कच्चे तेल की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर रही, जिसके बाद 2022 की दूसरी छमाही में धीरे-धीरे नरमी आई. यूरोप में कमजोर औद्योगिक गतिविधि, चीन में कोविड लॉकडाउन और अमेरिका एवं कनाडा में सर्दियों के बर्फ़ीले तूफ़ान ने यात्रा पर्यटन को बाधित किया जिसके कारण 2022 की दूसरी छमाही में कच्चे तेल की मांग में कुछ गिरावट का सामना करना पड़ा.

1.4 खाद्य, धातु और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2022 के दौरान दुनिया भर में बढ़ी रही. खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतों के साथ-साथ, मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) भी 2022 में उच्च बनी रही.

1.5 वैश्विक वित्तीय बाजार वर्ष 2022 में भू-राजनीतिक तनावों, बढ़ती मुद्रास्फीति और कठोर मौद्रिक नीति के कारण अत्यधिक अस्थिर रहे. कुल मिलाकर, 2022 की पहली छमाही में यूएस एस एंड पी इंडेक्स में 17.9% की गिरावट रही. यूरोपीय शेयर भी बढ़ती ब्याज दरों एवं कमजोर आर्थिक गतिविधियों के बीच 2022 की दूसरी छमाही में कम रहे. उभरते बाजारों में वित्तीय बाजारों ने 2022 की पहली छमाही में कमजोर कार्यनिष्पादन किया क्योंकि प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते मुद्रास्फीतिक दबावों, मंदी की आशंकाओं और मौद्रिक तंगी का ईएमई में निवेशकों की भावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा.

1.6 मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव और कठोर मौद्रिक नीति रुख के कारण 2022 की पहली छमाही में प्रमुख एई में बॉन्ड प्रतिफल में मजबूती आई. वर्ष 2022 की पहली छमाही में अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी प्रतिफल 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि बाजार ने पहले ही अनुमान से अधिक तीव्र फेड सख्ती का मूल्यांकन किया था. फिर भी, 2022 की दूसरी छमाही में, प्रमुख एई में बॉन्ड प्रतिफल मुद्रास्फीति दबाव के संकेतों और तीव्र दर वृद्धि की अपेक्षाओं में कमी के कारण कमजोर हो गया. प्रमुख ईएमई में बॉन्ड प्रतिफल 2022 की पहली छमाही में घरेलू मौद्रिक मजबूती के साथ-साथ वैश्विक संकेतों से प्रेरित एक सख्त पूर्वाग्रह के साथ शामिल हुए हैं. प्रतिफल में सख्ती 2022 की दूसरी छमाही में जारी रही क्योंकि एई से कठोर मौद्रिक नीति आवेगों के स्पिलओवर ने ईएमई को प्रभावित करना जारी रखा.

1.7 अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2023 में 2.8% और 2024 में 3.0% की वैश्विक वृद्धि का अनुमान लगाया है. अनुमानों को जनवरी प्रकाशन से 2023 और 2024 प्रत्येक वर्ष के लिए 0.1 प्रतिशत अंक कम किया गया है. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थितियों में अस्थिरता और युद्ध का दीर्घकालीन प्रभाव वैश्विक विकास को नीचे लेने जाने वाले जोखिम हैं.

1.8 आईएमएफ़ को वर्ष 2023 में उपभोक्ता कीमतों में 7.0% की वृद्धि की उम्मीद है, जो जनवरी 2023 के अनुमान से 0.4% अधिक है. वर्ष 2024 में, उपभोक्ता कीमतें मामूली रूप से घटकर 4.9% रहने की उम्मीद है. 2023 में विश्व व्यापार की मात्रा 2.4% बढ़ने की उम्मीद है, जो जनवरी 2023 के पूर्वानुमानों से काफी हद तक

अपरिवर्तित है. 2024 में 3.5% की वृद्धि के साथ विश्व व्यापार की मात्रा फिर से बढ़ने की उम्मीद है.

## 2. घरेलू अर्थव्यवस्था

2.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9.1% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2% की वृद्धि है. स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीडीपी वित्त वर्ष 2022-23 में 160.06 लाख करोड़ रुपये का स्तर प्राप्त करने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 149.26 लाख करोड़ रुपये था. आपूर्ति पक्ष से, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में विगत वर्ष की उक्त अवधि में क्रमशः 3.5%, 11.6% और 8.8% की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में क्रमशः 4.0%, 4.4% और 9.5% की वृद्धि का अनुमान है. जबकि कृषि विकास विगत वर्ष से विकसित हुआ है, उद्योग क्षेत्र की वृद्धि में कमी देखी गई थी.

2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) ने अपने नवीनतम मौद्रिक नीति में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.5%, पहली तिमाही में 8.0% पर; दूसरी तिमाही में 6.5% पर; तीसरी तिमाही में 6.0% पर; और चौथी तिमाही में 5.7% पर रहने का अनुमान लगाया है. ये संख्या महामारी के नेतृत्व वाली मंदी और आर्थिक गतिविधियों के समग्र विस्तार; मुद्रास्फीति में अपेक्षित कमी; पूंजीगत व्यय पर ध्यान देने के साथ राजकोषीय समेकन से उबरने का संकेत देती है. मौद्रिक नीतियों को कठोर बनाना, एई में वित्तीय संस्थानों की विफलता, यू.एस. फेडरल रिजर्व (यूएस फेड), की मौद्रिक नीति कार्रवाइयों, शुद्ध बाहरी मांग से खिंचाव, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, कृषि पर ईएल नीनो प्रभाव और तेल में अचानक कमी आदि से विकास हेतु नकारात्मक जोखिम उत्पन्न होते हैं.

## 3 मूल्य परिदृश्य:

3.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में आरबीआई के 6% के उच्च लक्ष्य स्तर से ऊपर रही. वैश्विक पण्य कीमतों में अचानक कमी के परिणामस्वरूप घरेलू बाजारों में स्पिल-ओवर हुआ. वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में, गर्मी की लहर और परिणामी उत्पादन हानियों के कारण कीमतों में तेज उछाल आया. परिणामस्वरूप, हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 7.3% और वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में 6.9% तक पहुंच गई. वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में भी मूल्य निर्धारण दबाव उच्च बना रहा, इसके बाद घरेलू मांग में सुधार, इनपुट लागत में वृद्धि और मुख्य मुद्रास्फीति में स्थिरता बनी रही. वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी और चौथी तिमाही में, हेडलाइन मुद्रास्फीति 6.1% और 6.5% पर थी, जो कि पहली छमाही की तुलना में कम थी, लेकिन आरबीआई के नीति अधिदेश से अधिक बनी रही.

3.2 अनाज और मसालों के निरंतर मूल्य दबाव और प्रोटीन आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में तेजी के कारण खाद्य सामग्री की कीमतों में वर्ष के दौरान ऊपर की ओर रुझान दिखा. फिर भी, सब्जियों और अन्य खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों में दूसरी छमाही में कुछ क्षणिक सुधार दिखाई दिए, जिसने समग्र संख्या को मामूली रूप से कम किया. वैश्विक आपूर्ति में अचानक कमी और संबंधित स्पिल-ओवर के एक भाग के रूप में ईंधन की कीमतों में अस्थिरता जारी रही. हालांकि, वित्त वर्ष 2022-23 के समग्र वर्ष दौरान, मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) 6% पर स्थिर थी, जो आवश्यक सेवाओं की उच्च कीमतों को दर्शाती है.

3.3 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रास्फीति की गति को घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों द्वारा रूप दिया जाएगा और काफी हद तक उम्मीदें इसके धीरे-धीरे कम होने के साथ बंधी रहेंगी, भारतीय रिजर्व बैंक का सीपीआई मुद्रास्फीति को पहली तिमाही में 4.6%, दूसरी तिमाही में 5.2%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 5.2% के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 5.1% करने का अनुमान है.

## 4. शेयर बाजार का कार्यनिष्पादन

4.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 में, घरेलू वित्तीय बाजार विशेष रूप से इक्विटी एवं विदेशी क्षेत्रों में वैश्विक स्पिलओवर से प्रभावित हुए. घरेलू इक्विटी बाजार 2022-23 की पहली छमाही में अपने अधिकांश वैश्विक पीयर की तुलना में बेहतर लचीलेपन के कारण हल्के नुकसान के चरण में रहे. वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा मजबूत खरीदारी, मजबूत कॉर्पोरेट आय, वस्तुओं की कीमतों में सुधार और मानसून की अच्छी प्रगति के बीच इक्विटी बाजारों ने फिर से सकारात्मक रुख लिया.

4.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में सेंसेक्स 2.5% गिरकर 57,108 पर बंद हुआ. 31 मार्च, 2023 को सेंसेक्स दूसरी छमाही में 2.7% बढ़कर 58,992 पर बंद हुआ. लचीलेपन को जारी रखते हुए, मार्च, 2023 में बीएसई बैंकिंग इंडेक्स (बैंकेक्स) में 0.9% की वृद्धि हुई, जबकि मार्च, 2023 में यूएस और यूरोपीय बैंकिंग बेंचमार्क में क्रमशः 25.2% और 13.8% की गिरावट आई थी.

## 5 प्रतिफल प्रवाह:

5.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान, जी-सेक प्रतिफल ने दोतरफा संचलन प्रदर्शित किया. पहली तिमाही के

दौरान बेंचमार्क 10-वर्षीय प्रतिफल में 64 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि हुई, जो अमेरिकी प्रतिफल और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि; 2022-23 की पहली छमाही के लिए प्रत्याशित केंद्र सरकार के उधार कैलेंडर की तुलना में अपेक्षित सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट और रेपो दर में वृद्धि से अधिक होने की घोषणा से प्रेरित है.

5.2 दूसरी छमाही के दौरान, जी-सेक प्रतिफल काफी हद तक सीमाबद्ध थे. अक्टूबर, 2022 में प्रतिफल में मजबूती आई, सितंबर के लिए अनुमान से अधिक घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति बनी रही. अनुमान से कम अमेरिकी सीपीआई प्रिंट और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण अमेरिकी प्रतिफल में कमी से नवंबर में प्रतिफल में कमी आई. चौथी तिमाही में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के प्रत्याशित बाजार उधार कार्यक्रम की तुलना में कम होने पर फरवरी की शुरुआत में प्रतिफल में कमी आई. 10 वर्ष के जी-सेक पर प्रतिफल 2022-23 में 7.31% पर बंद हुई.

5.3 नीतिगत रेपो दर में वृद्धि एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरुआत और अधिशेष चलनिधि में कमी के साथ-साथ सभी अवधियों में टी-बिलों पर प्रतिफल में वृद्धि हुई.

## 6 बाहरी क्षेत्र

6.1 लगातार भू-राजनीतिक स्थिति और धीमी बाहरी मांग के बीच, व्यापारिक माल निर्यात की गति कम हो गई, वित्त वर्ष 2022-23 में 6.7% की वृद्धि के साथ 450 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई. हालांकि, व्यापारिक आयात, 714 बिलियन अमरीकी डॉलर पर बना हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.5% अधिक है, जो घरेलू मांग स्थितियों को दर्शाता है. इन विकासों के कारण व्यापारिक माल व्यापार घाटे में वृद्धि हुई.

6.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में चालू खाता में घाटा (सीएडी) जीडीपी का 2.8% था. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यापारिक माल व्यापार घाटे की प्रवृत्ति को दर्शाते हुए, सीएडी दूसरी तिमाही में 3.7% से तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के 2.2% तक सीमित हो गया.

6.3 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर मजबूत रहा, यद्यपि यह एक वर्ष पहले 38.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम रहा. एफपीआई ने घरेलू पूंजी बाजार में अपने जोखिम को कम कर दिया, जो अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने, बढ़े हुए वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा तेजी से नीति को कठोर करने के कारण ईएमई परिसंपत्तियों के प्रति सामान्य जोखिम से बचने को दर्शाता है.

6.4 मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (आईएनआर) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) की तुलना में अवमूल्यन पूर्वाग्रह के साथ कारोबार किया. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार के हस्तक्षेप में अस्थिरता थी और भारतीय रुपये के व्यवस्थित प्रवाह को सुनिश्चित किया. तीव्र दर वृद्धि एवं यूएस फेड के तेज रुख से प्रेरित अमेरिकी डॉलर की मूल्य-वृद्धि ने 2022-23 की दूसरी छमाही में ईएमई मुद्राओं पर मूल्यह्रास दबाव डाला. इन मामलों के कारण, आईएनआर अक्टूबर, 2022 में 83.2 प्रति अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक निम्न स्तर तक पहुंचा. फिर भी, आईएनआर ने 2022-23 के दौरान अर्जेंटीना पेसो, दक्षिण अफ्रीकी रैंड और तुर्की लीरा सहित प्रमुख ईएमई मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन किया.

6.5 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 578.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 9.7 महीने के अनुमानित व्यापारिक माल आयात के समान था.

6.6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-खाद्य बैंक ऋण मार्च 2023 के अंत में वर्ष-प्रति-वर्ष (वर्ष-प्रति-वर्ष) 15.4% बढ़ गया, जो एक साल पहले 9.7% था. सभी प्रमुख क्षेत्रों में बैंक ऋण में सुधार देखा गया. वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र में ऋण में 15.4% (वर्ष-प्रति-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले यह 9.9% थी, जो सामान्य से अधिक मानसून और कृषि ऋण के लिए बढ़े हुए लक्ष्य से समर्थित है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्योग को ऋण वृद्धि में 5.7% की वृद्धि दर्ज की गई , जबकि पिछले वर्ष यह 7.5% थी, मध्यम उद्योग द्वारा किए गए लीड के कारण और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) खंड में निरंतर वृद्धि हुई है. वर्ष-प्रति-वर्ष 20.6% की वृद्धि खुदरा ऋण में, आवास और वाहन ऋणों के माध्यम से हुई, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समग्र ऋण वृद्धि का प्रमुख माध्यम रहा है.

## 7 चलनिधि शर्तें:

7.1 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान चलनिधि की स्थिति अत्यधिक अस्थिर रही. 2022-23 की पहली छमाही में, चलनिधि प्रबंधन का फोकस गैर-विघटनकारी तरीके से अधिशेष चलनिधि की क्रमिक, कैलिब्रेटेड निकासी पर रहा. तदनुसार, 2022-23 की दूसरी छमाही में अधिशेष चलनिधि में और कमी आई.

7.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 में, आरबीआई ने चलनिधि परिचालन में कई संशोधन किए, जिसमें नीति रेपो दर से 25 बीपीएस से कम एसडीएफ़ की शुरुआत शामिल है, जिससे चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के लिए फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो (एफआरआरआर) को अप्रैल, 2022 से हटा दिया गया है. सितंबर में, इसने 28-दिवसीय वैरिबल रेट रिवर्स रेपो (वीआरआरआर)

को पाक्षिक 14-दिवसीय मुख्य नीलामी के साथ विलय करने की घोषणा की है.

7.3 इसके साथ ही, आरबीआई ने घरेलू वित्तीय बाजारों पर वैश्विक स्पिलओवर के प्रभाव को कम करते हुए अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी चलनिधि प्रबंधन परिचालानों में शेष सतर्क, तीव्र और त्वरित मार्गदर्शन प्रदान किया.

## 8 आरबीआई के नीतिगत निर्णय:

8.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि की, और नीति विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ उत्तरोत्तर संरेखित करने पर केंद्रित रही.

8.2 इन प्रगतियों को दर्शाते हुए, भारित औसत कॉल मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) औसत रूप से वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में 27 बीपीएस से कम रेपो दर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में, 3 आधार अंकों (बीपीएस) के रेपो दर के साथ संरेखित की गई थी.

## 9 बैंकिंग परिदृश्य:

9.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 में, प्रतिकूल वैश्विक वित्तीय वातावरण के बावजूद, भारतीय बैंकिंग प्रणाली लाभप्रदता में सुधार, पर्याप्त पूंजी बफर और गैर-निषादित ऋणों के मध्यम स्तर के साथ सुदृढ़ बनी रही.

9.2 ब्याज दरों में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एससीबी की कुल जमा में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई (25 मार्च, 2022 को 8.9% की वृद्धि की तुलना में 24 मार्च 2023 को 9.6% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि).

9.3 नीतिगत रेपो दर में वृद्धि के साथ-साथ बैंकों की जमा और उधार दरों में वृद्धि हुई है. मई 2022-मार्च 2023 के दौरान नये रुपये ऋण पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) 181 बीपीएस की वृद्धि दर्ज की गई है. मई 2022 से मार्च 2023 के दौरान नई जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डबल्यूएडीटीडीआर) में 242 बीपीएस की वृद्धि हुई. बकाया जमाराशियों पर डब्ल्यूएडीटीडीआर पर संचरण धीरे-धीरे बढ़ा है, जो निश्चित दरों पर अनुबंधित मीयादी जमाराशियों की लंबी परिपक्वता प्रोफ़ाइल को दर्शाता है.

9.4 एससीबी की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, दिसंबर, 2022 में कुल गैर-निषादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात घटकर 4.5% हो गया, जो एक साल पहले 6.5% था. सभी प्रमुख क्षेत्रों में संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है.

## 10 संसाधन प्रबंधन

बैंक की कुल जमा राशि 11,17,716 करोड़ रुपये रहा. चालू और बचत जमा (कासा) में कुल जमा का 35.25% रहा.

**जमा की संरचना**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2022 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| कुल जमा | 10,32,392 | 11,17,716 |
| कासा जमा | 3,77,193 | 3,94,055 |
| बचत जमा | 3,04,541 | 3,20,075 |
| चालू जमा | 72,652 | 73,980 |

**वर्ष के दौरान किए गए नए पहल:**

- बैंक ने वेतन खातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है. वेतन पोर्टफोलियो में 26.55% की वृद्धि दर्ज की गई है.
- समाज के समृद्ध वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए एसबीएचएनआई प्राइम जैसे विशेष एसबी उत्पाद शुरू किए गए.
- नाबालिगों के लिए विशेष खाता (बैंकिंग क्षेत्र का पहला उत्पाद):

  **यूनियन मुस्कान** बच्चों में बचत की आदत डालने और माता-पिता/अभिभावक को बच्चे के भविष्य के लिए कोष बनाने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी. इस योजना में प्रत्येक मुस्कान खाते से जुड़ी आरडी में मुफ्त मीयादी बीमा की अतिरिक्त सुविधा भी है.
- ₹2 करोड़ और अधिक के थोक जमा को संभालने/स्वीकार करने के लिए पूरे भारत में 233 शाखाओं की पहचान की गई है. इससे अन्य शाखाओं को खुदरा सावधि जमा और कासा पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली है.
- खुदरा जमा क्षेत्र में वृद्धि को गति देने के लिए 599 दिन, 700 दिन, 800 दिन और 3 साल के स्लैब में विशेष खुदरा जमाराशि योजनाएं शुरू की गई. इससे बैंक को यथा 31.03.2023 को 20,46,357 खातों से कुल ₹1,00,000 करोड़ (लगभग) प्राप्त करने में मदद मिली है.
- नौसेना कर्मियों और नौसेना के नागरिकों के वेतन खाते खोलने के लिए भारतीय नौसेना और नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

- पूरे भारत में "प्रवासी हमारा गौरव" अभियान चलाया गया और 77 एनआरआई बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें एनआरआई से गुणवत्तापूर्ण कारोबार प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

- समर्पित एनआरआई और एनआरआई केंद्रित शाखाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एनआरआई बैक ऑफिस मंगलुरु में स्थापित किया गया है. ग्राहकों के प्रश्नों और शिकायतों को भी टीम द्वारा नियंत्रित किया जाता है.

- शीर्ष ग्राहकों/एचएनआई ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य चिन्हित केंद्रों पर रिलेशनशिप मैनेजरों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैनात किया गया है और उन्हें मामलेवार आधार पर व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान की जाती हैं.

## 11 ऋण प्रबंधन

### 11.1 समग्र ऋण:

बैंक का कुल अग्रिम ₹8,09,905 रहा, यथा दिनांक 31.03.2023 को कॉर्पोरेट एवं अन्य ऋण ₹ 3,73,188 करोड़ रहा. देश भर में 14 लार्ज कॉर्पोरेट शाखाएँ (आईएफबी) और 56 मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ (एमसीबी) कॉर्पोरेट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रही हैं. आपके बैंक ने बड़े कॉर्पोरेट की निवेश ग्रेड परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण संवितरण किया है, इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अवसरों में योगदान दिया है.

### 11.2 मिड कॉर्पोरेट:

- आपके बैंक ने मिड कॉर्पोरेट खातों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.12% की वृद्धि दर्ज की है.

- आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 21,615 करोड़ रुपए की स्वीकृत सीमा के साथ 171 नए कॉर्पोरेट ग्राहक जोड़े हैं, जिसमें से 64 खातों में 7704 करोड़ रुपए की राशि को अंतिम मंजूर प्रदान की गयी है.

- गैर-ब्याज आय बढ़ाने के लिए हमने 91 खातों में एनएफबी सीमा (ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर) में 3000 करोड़ रुपये की वृद्धि मंजूर की है.

### 11.3 एमएसएमई:

**कारोबार वृद्धि:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2022 | 31.03.2023 | वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| कुल एमएसएमई अग्रिम | 110577 | 125022 | 13.06 |

एमएसएमई अग्रिमों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 13.06% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की है.

**चिन्हित एमएसएमई योजनाओं के तहत कार्यनिष्पादन:** वर्ष के दौरान चिन्हित एमएसएमई योजनाओं के अंतर्गत आपके बैंक के कार्यनिष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है

| योजना का नाम | मंजूर खाते (संख्या) | मंजूर राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| यूनियन एमएसएमई सुविधा | 5525 | 4307 |
| यूनियन नारी शक्ति | 19637 | 2357 |
| यूनियन ईक्विपमेंट फाइनेंस | 899 | 819 |
| यूनियन आयुष्मान प्लस | 567 | 378 |
| यूनियन सोलर | 108 | 105 |

**यूनियन नारी शक्ति:** महिला उद्यमियों के वित्तपोषण के लिए एक विशेष योजना "यूनियन नारी शक्ति " योजना आकर्षक सुविधाओं जैसे प्रसंस्करण शुल्क की छूट, कम मार्जिन आवश्यकता, संपार्श्विक कवरेज, ब्याज दर आदि के साथ. 31.03.2023 तक वित्तपोषित खातों की कुल संख्या 24,669 रुपये की स्वीकृत राशि है. 3232.57 करोड़ और बकाया राशि ₹ 2598.11 करोड़ है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपके बैंक ने 19,637 नए खातों को ₹ 2357.33 करोड़ की राशि मंजूर की है. मौजूदा खातों में वर्धित भाग को शामिल करते हुए, आपके बैंक ने 20,618 खातों को ₹ 2489.64 करोड़ की राशि मंजूर की है. इस दिशा में प्रगति करते हुए, आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नारी शक्ति के नए आवेदनों के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल नए प्लेटफॉर्म की शुरुवात की है. यह प्लेटफ़ॉर्म बैंक के मौजूदा (ईटीबी) और बैंक के नए (एनटीबी) ग्राहकों को स्व- सहायता आधार पर मोबाइल और वेब एप्लिकेशन इंटरफेस के माध्यम से रुपये 2.00 लाख से अधिक और रूपये 10.00 लाख तक के ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है.

**एमएसएमई लोन पॉइंट्स:** वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक के एमएसएमई प्रसंस्करण केंद्रों ने ₹ 35,598 करोड़ के ऋण प्रस्तावों (कृषि और कॉर्पोरेट सहित) को स्वीकृत/मूल्यांकित किया है, जिनमें से ₹ 18,140 करोड़ उनके अपने प्रत्यायोजन के भीतर थे.

**आउटरीच कैंप:** एमएसएमई कारोबार के तहत विकास को गति प्रदान करने के लिए केंद्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने नियमित रूप से अपने निर्धारित क्षेत्रों का दौरा किया है. इसके परिणामस्वरूप बेहतर एमएसएमई कारोबार संख्या के साथ उनके क्षेत्रों की निगरानी में वृद्धि हुई है.

**क्लस्टर योजनाएँ:** बैंक ने पूरे भारत में 33 क्लस्टर योजनाओं को मंजूरी दी है. वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत समूहों के तहत उपयोग मार्च 22 को ₹ 2191 करोड़ से बढ़कर मार्च 23 को ₹ 10,113 करोड़ रुपये हो गया.

एमएसएमई क्लाइंट बेस को पूरा करने और उनकी ऋण आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 80 अतिरिक्त यूनियन एमएसएमई फर्स्ट ब्रांच (यूएमएफ़बी) की शुरुआत की गई, जिससे ₹ 9000.00 करोड़ के एमएसएमई पोर्टफोलियो के साथ विशिष्ट शाखाओं की कुल संख्या 105 हो गई.

स्टार्टअप्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंगलोर में एक विशेष स्टार्ट अप शाखा शुरू की गई है.

**क्रेडिट गारंटी योजनाओं के लिए समर्पित "केन्द्रीकृत गारंटी सेल" का निर्माण:** विपणन गतिविधि और कारोबार में वृद्धि में केंद्रित दृष्टिकोण और क्षेत्र के अधिकारियों का कार्यभार कम करने के लिए, क्रेडिट गारंटी से संबंधित परिचालन गतिविधियों को एक समर्पित बैक-ऑफ़िस संरचना में स्थानांतरित कर दिया गया है. गारंटी सेल की स्थापना एमएसएमई वर्टिकल, केंद्रीय कार्यालय में की गई है. इसके साथ ही प्रक्रिया के स्वचालन की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की गई. क्रेडिट गारंटी संबंधी गतिविधियों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 'क्रेडिट गारंटी मैनेजमेंट सोल्युशन (सीजीएमएस)' नामक एक आंतरिक पोर्टल बनाया गया. इस पोर्टल की सीजीटीएमएसई के साथ नए गारंटी कवरेज के एपीआई एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है. सीजीएमएस को 1 सितंबर, 2022 को अखिल भारतीय शाखाओं के लिए लाइव कर दिया गया था. वर्तमान में सभी नई क्रेडिट गारंटी सीजीएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जाती हैं और बैकएंड से गारंटी शुल्क सीधे खातों में डेबिट किया जाता है. यह विभिन्न योजनाओं के तहत गारंटी कवरेज प्राप्त करने, दावा दर्ज करने और समयबद्ध तरीके से पोर्टफोलियो के रखरखाव से संबंधित निर्बाध गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए है.

**प्रशिक्षण कार्यक्रम:** वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, विपणन अधिकारियों को एमएसएमई लोन पॉइंट्स (एमएलपी) से परिचित कराया गया और उनमें से प्रत्येक को ऋण मूल्यांकन और विपणन पर एक उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया गया. एमएलपी प्रमुखों सहित एमएसएमई लोन पॉइंट्स (एमएलपी) में तैनात क्रेडिट अधिकारियों के विकास की प्रगति के लिए, उनकी कार्य भूमिका में बेहतर कार्यान्वयन हेतु ज्ञान के स्तर में सुधार के लिए मौजूदा प्रशिक्षण ढांचे के भीतर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था.

**पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम):** बैंक सभी स्तरों पर नियमित निगरानी कर सभी क्षेत्रों में पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने कुल 7562 व्यक्तियों को ₹ 298 करोड़ की सहायता प्रदान कर उद्यमी बनने में सहयोग किया है.

**पीएमएमवाई (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना):** वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और महत्वाकांक्षी युवाओं को सूक्ष्म ऋण देने में सक्षम बनाने के लिए बैंक कुल ₹ 13,078 करोड़ के 814221 आवेदनों को मंजूरी देकर प्रधान मंत्री मुद्रा योजना को कार्यान्वित करने में सबसे आगे रहा है.

**पीएमस्वनिधि (पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि):** वित्तीय 2022-23 के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट प्रदान करके और उन्हें वित्तीय अनुशासन का आदि कर वित्तीय समावेशन को लागू करने के लिए, बैंक ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1,15,695 स्ट्रीट वेंडर्स को ₹ 193.83 करोड़ की सहायता प्रदान की है.

**पर्यावरण फुटप्रिंट को कम करने के लिए ईएसजी पहलों के रूप में एक पहल:**

**डिजिटल बैंकिंग पहल:** एमएसएमई ग्राहक अब अपनी कारोबारी आवश्यकताओं के लिए डिजिटल रूप से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस पहल में, बैंक ने स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) किशोर और तरुण मुद्रा ऋण (₹10.00 लाख तक) जैसे डिजिटल समाधान शुरू किए हैं. यूनियन नारी शक्ति (₹ 10.00 लाख तक) और जीएसटी लाभ (₹ 25.00 लाख तक) भी डिजिटल रूप से उपलब्ध हैं.

**यूनियन सोलर (नया उत्पाद):** बैंक ने इस उत्पाद को उधारकर्ताओं को उनके कैप्टिव उपयोग के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों के उपयोग की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए शुरू किया है. योजना को आकर्षक और लागत प्रभावी बनाने के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं की छूट

और रियायती ब्याज दर को मंजूरी दी गई है.

## 12 खुदरा:

कुल खुदरा अग्रिम (पीडब्ल्यूओ को छोड़कर) 1,59,702 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिससे खुदरा ऋणों में कुल मिलाकर 17.19% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई.

खुदरा उधार के तहत उत्पादवार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| योजना | वास्तविक मार्च, 22 | वास्तविक मार्च, 23 | मार्च, 22 में वृद्धि | मार्च, 22 में वृद्धि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| होम | 71929 | 79726 | 7797 | 10.84 |
| माइल्स | 12705 | 16597 | 3892 | 30.63 |
| एज्यूकेशन | 7590 | 9419 | 1829 | 24.10 |
| मोर्टगेज | 12607 | 14308 | 1701 | 13.49 |
| पर्सनल | 6126 | 11734 | 5608 | 91.54 |
| अन्य | 26025 | 28812 | 2787 | 10.71 |
| कुल रिटेल अग्रिम (पीडबल्यूओ समेत) | 136982 | 160595 | 23613 | 17.24 |
| पीडबल्यूओ (-) | 709 | 893 | 184 | 25.95 |
| कुल रिटेल अग्रिम (पीडबल्यूओ को छोड़कर) | 136273 | 159702 | 23429 | 17.19 |

- मार्च, 22 की तुलना में कुल खुदरा वृद्धि रुपये 23429 करोड़ रही.
- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विकास दर 17.19 % है.
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर, आरएलपी (सीपीसी) ने रु 32375 करोड़ के खुदरा ऋण को मंजूरी दी.

**किए गए नए पहल:**

- विदेश में पढ़ने के लिए अलग से विशेष शिक्षा ऋण की योजना, प्रमुख चिकित्सा संस्थानों (यूनियन मेडिकोज) के लिए विशेष शिक्षा ऋण योजना.
- समर्पित शिक्षा ऋण अधिकारियों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए क्षेत्र में एकल बिंदु संपर्क के रूप में तैनात किया है.
- शिक्षा ऋण के लिए अलग खुदरा स्वर्ण ऋण योजना की शुरुआत.
- प्रमुख संस्थानों में पढ़ने के लिए डिजिटल शिक्षा ऋण की शुरुआत.
- क्रेडिट लाइफ प्रीमियम के वित्त पोषण के लिए यूनियन सुरक्षा पर्सनल लोन की शुरुआत.
- यूबीआईएसएल ने शिक्षा ऋण के प्रचार-प्रसार के लिए सीएसए के रूप में सूचीबद्ध किया है.
- बैंक के लेंडिंग ऑटोमेशन सिस्टम (एलएएस) के साथ मारुति सुजुकी का एकीकरण.

**12.1 कृषि:** आपके बैंक के लिए कृषि अग्रिम सदैव ही प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है. यथा 31.03.2023 को आपके बैंक का कृषि अग्रिम, आपके बैंक के कुल अग्रिम का 17.77 % है. आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि हेतु 31.03.2023 तक ₹ 151993 करोड़ की बकाया राशि के साथ 14.20% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की है.

यथा 31 मार्च, 2023 लघु एवं सीमांत किसानों को बकाया ऋण ₹ 95,171 करोड़ था, जो कि एएनबीसी के 9.50 प्रतिशत बेंचमार्क के सापेक्ष एएनबीसी का 13.33 प्रतिशत है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने ₹ 6,896.45 करोड़ की राशि के 4.11 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं.

### 12.2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम:

आपका बैंक समाज के जरूरतमंद वर्गों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. आपके बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 31 मार्च, 2023 तक ₹ 302006 करोड़ रहा. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के तहत 40% के सांविधिक लक्ष्य की तुलना में आपके बैंक ने मार्च-2023 को समाप्त तिमाही के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 42.31 प्रतिशत की वृद्धि तथा आरआईडीएफ/सिडबी/मुद्रा/एनएचबी में निवेश सहित तथा पीएसएलसी बिक्री को छोड़कर वृद्धि दर्ज की.

31 मार्च, 2023 को कृषि प्राथमिकता के अंतर्गत 18% के सांविधिक लक्ष्य की तुलना में बैंक का कार्यनिष्पादन 18.97% रहा. बैंक पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत किसान के तहत ₹ 15450 करोड़ के आधिक्य की बिक्री भी कर सकता है.

(₹ करोड़ में)

| विवरण (आरआईडीएफ़ सहित) | 31.03.23 | 31.03.22 | वर्ष –दर – वर्ष (%) | एएनबीसी का % | बेंचमार्क वि.व. 2022–23 (एएनबीसी का%) |
|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएलसी बिक्री घटाने के पश्चात) | 302006 | 272282 | 10.91 | 42.31 | 40% |
| कृषि प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएलसी बिक्री घटाने के पश्चात) | 135430 | 127343 | 6.35 | 18.97 | 18% |
| लघु एवं सीमांत कृषक (पीएसएलसी बिक्री घटाने के पश्चात) | 95171 | 88194 | 7.91 | 13.33 | 9.50% |
| कमजोर वर्ग को ऋण (पीएसएलसी बिक्री घटाने के पश्चात) | 118631 | 104698 | 13.30 | 16.62 | 11.50% |

**सामाजिक उत्थान हेतु विशेष उधार**

आपका बैंक समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक विकास एवं समान अवसर उपलब्ध करने हेतु दृढ़संकल्प है. तदनुसार, आपके बैंक ने विभिन्न कमजोर एवं असेवित वर्गों खासतौर से महिला समाज, अल्पसंख्यक समुदाय एवं स्वयं-सहायता समूहों को ऋण सुविधाएं प्रदान की है.

- **महिला लाभार्थी:** महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा उन्हें आत्म निर्भर बनाने को ध्यान में रखकर, आपका बैंक महिला उद्यमियों हेतु ऋण को प्रोत्साहित करता है. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, महिला लाभार्थियों के बकाया ऋण में 18.90 % की वृद्धि हुई है जोकि मार्च 2022 के ₹89110 करोड़ से बढ़कर मार्च 2023 में ₹105954 दर्ज हुआ.

- **अल्पसंख्यक समुदाय:** आपका बैंक भारत सरकार के निदेशों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु वित्त प्रदान कर रहा है. दिनांक 31 मार्च, 2023 को अल्पसंख्यक समुदाय की बकाया राशि ₹ 28,314 करोड़ रही, जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 9.38 प्रतिशत है.

- **कमजोर वर्ग:** आपका बैंक समाज के कमजोर वर्ग को वित्त प्रदान करने में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है. दिनांक 31 मार्च, 2023 को पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ बिक्री को घटाकर कमजोर वर्ग को वित्त 13.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, 104698 करोड़ रुपये से बढ़कर 118631 करोड़ हो गया है. 11.50 प्रतिशत के बेंचमार्क के मुकाबले बकाया क्रेडिट एएनबीसी का 16.62 प्रतिशत रहा.

- **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):** ग्रामीण युवाओं की रोजगार संबंधी समस्या को कम करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने उन जिलों में 24 आरसेटी की स्थापना की है जिन जिलों में आपका बैंक "अग्रणी (लीड) बैंक की जम्मेदारी" में है. दिनांक 31 मार्च, 2023 तक हमारे आरसेटी में प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 308494 है, जिसमें से 205525 अभ्यर्थियों कार्यरत हैं. इस प्रकार, कुल मिलाकर आपके बैंक में देश भर में 30 आरसेटी (24 आरसेटी सहित जहां हमारा बैंक अग्रणी बैंक है) मौजूद हैं जो बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के कर रहे हैं.

- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** आपका बैंक चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (सीजीजीबी), गुंटूर, आंध्र प्रदेश राज्य का प्रायोजक है. इसकी 238 सीबीएस शाखाओं का नेटवर्क है, जो आंध्र प्रदेश के 3 जिलों अर्थात् पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और गुंटूर में फैली हुई हैं. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 19.77 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सीजीजीबी का कारोबार बढ़कर 17582.21 करोड़ रुपये हो गया है. कुल जमा 7481.59 करोड़ रुपये और अग्रिम 8820.64 करोड़ रुपये रहा, जिसमें निवल लाभ 232.34 करोड़ रुपये रहा. दिनांक 31.03.2023 को सकल एनपीए 0.63% और निवल एनपीए 0% है.

- **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई):** आपका बैंक उन किसानों के लाभ हेतु पीएमएफ़बीवाई लागू कर रहा है जिन्हें अक्सर मौसम संबंधी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. पीएमएफ़बीवाई के अंतर्गत आने वाले बटाईदार एवं काश्तकार सहित सभी किसान अधिसूचित फसलों को उगा रहे हैं.

- **क्षेत्र विशिष्ट योजनाएँ :**

  कृषि के अंतर्गत ऋण में वृद्धि करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में किसानों के लाभ के लिए उपलब्ध क्षमता के आधार पर बैंक ने 32 क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं.

- **आत्मानिर्भर भारत योजनाएं/उभरते नवीनीकरण क्षेत्र:**

  आपके बैंक ने कृषि अवसंरचना निधि, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज के प्रधानमंत्री औपचारिककरण जैसी विभिन्न आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के माध्यम से कृषि अवसंरचना, पशुपालन अवसंरचना और खाद्य प्रसंस्करण में हो रहे भारी निवेश का पूंजीकरण प्रारम्भ किया है.

  आपका बैंक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और हरित वित्त पोषण में सुधार करने में मदद करने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत संपीड़ित बायो गैस योजनाओं, सौर ऊर्जा संयंत्र, पंपसेटों के सौरकरण जैसी अक्षय ऊर्जा के तहत अन्य योजनाओं का भी लाभ प्राप्त कर रहा है.

- **केसीसी का डिजिटलीकरण**

  आपके बैंक ने 29.11.2022 को पूरे कर्नाटक में और 30.11.2022 को मध्य प्रदेश राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड स्वतः नवीनीकरण एसटीपी (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग) शुरू किया है. फिनटेक को इस कार्य हेतु ऑनबोर्ड कर दिया गया है और धीरे-धीरे इसका विस्तार अखिल भारतीय (शेष सभी राज्यों में जहां भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइज़ किए जाते हैं) स्तर पर किया जाएगा. ₹ 1.60 लाख की तक की नई मंजूरी के लिए दिनांक 11.11.2022 को मध्य प्रदेश राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड एसटीपी की शुरुआत की गई है और दिनांक 20.03.2023 को पायलट आधार पर कर्नाटक राज्य में 11 शाखाओं की शुरुआत की गई.

## 12.3 वित्तीय समावेशन:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यनिष्पादन का सारांश:

**(रु. लाख में)**

| क्र. सं | मापदंड | 31.03.2022 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | कुल पीएमजेडीवाई खाते | 244.78 | 280.00 |
| 2 | पीएमजेडीवाई खातों में शेष राशि (करोड़ में) | 7780 | 9046 |
| 3 | रुपे कार्ड जारी खाते | 118 | 156 |
| 4 | आधार से जुड़े खाते | 204 | 229 |
| 5 | शून्य शेष खाते | 42 | 47 |
| 6 | स्वीकृत ओवरड्राफ्ट | 2.44 | 2.41 |
| 7 | एपीवाई (संचयी) | 25.01 | 33.77 |
| 8 | पीएमजेडीवाई खातों में पीएमजेजेबीवाई | 6.52 | 8.39 |
| 9 | पीएमजेडीवाई खातों में पीएमएसबीवाई | 29.77 | 36.57 |
| 10 | बीसी प्वाइंट पर लेनदेन की संख्या | 1045 | 1110 |
| 11 | बीसी प्वाइंट पर लेनदेन की राशि (करोड़) | 62945 | 71618 |
| 12 | आधार नामांकन केंद्रों पर प्रति शाखा औसत नामांकन प्रति दिन (संख्या) | 10 | 14 |
| 13 | वित्तीय साक्षरता शिविर | 3358 | 4128 |

- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 35.65 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए, आपका बैंक पीएमजेडीवाई सैच्युरेशन ड्राइव अभियान के तहत लक्ष्य का 132% हासिल किया है.

- पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा राशि में प्रति खाता पिछले वर्ष के औसत शेष से ₹ 1266 करोड़ की (अर्थात ₹7780 करोड़ से ₹9046 करोड़ तक) वृद्धि हुई है.

- वर्ष के दौरान एपीवाई के अंतर्गत संचयी नामांकन में 8.77 लाख की वृद्धि हुई है. यथा 31.03.2023 तक आपके बैंक ने एपीवाई नामांकन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय सेवा विभाग द्वारा आवंटित 7.1 लाख के लक्ष्य का 123% हासिल कर लिया है.

- बीसी की संख्या 16948 से बढ़कर 17662 हो गई है.

**नए पहल:**

ए. बीसी प्वाइंट्स पर नई पेंशन योजना (एनपीएस) का नामांकन करने की शुरुआत की गई है.

बी. बीसी मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर लाइव किया गया है जिससे शाखा/क्षेका/केंका, मोबाइल के माध्यम से बीसी मॉनिटरिंग को पूरा कर सकें और उनके पास बीसी का पेपरलेस निरीक्षण, जियो टैगिंग, सोशल

ऑडिट अवधारणा, ऑडिट कवरेज का रियल टाइम एमआईएस, जोखिम वर्गीकरण, निवारक सतर्कता उपायों के लिए एक उपकरण और बीसी बिंदुओं पर अनियमितताओं की प्रारंभिक चेतावनी संकेत, डैशबोर्ड के माध्यम से रिपोर्ट की उपलब्धता आदि जैसी सुविधा उपलब्ध हों.

## 13 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग

31 मार्च, 2022 की तुलना में आपके बैंक का विदेशी कारोबार ₹17,429 करोड़ के स्थान पर 31 मार्च, 2023 को ₹36,229 करोड़ रहा. हमारे बैंक की तीन विदेशी शाखाएं हांगकांग, डीआईएफसी दुबई और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) जो लंदन के माध्यम से भी काम करता है, यूनाइटेड किंगडम में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, बैंक कुआलालंपुर (मलेशिया) में अपने संयुक्त उद्यम - इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बेरहद के माध्यम से भी काम करता है, जोकि बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ संयुक्त उद्यम है. वित्त वर्ष 2022-23 हेतु विदेशी शाखाओं के सकल अग्रिम पोर्टफोलियो में 43.55% और परिचालन लाभ में 7.46% की वृद्धि हुई है.

### व्यापार वित्त

आपका बैंक एक व्यापक, सुसज्जित शाखा नेटवर्क के माध्यम से निर्यातकों और आयातकों को व्यापार वित्त उत्पादों और सेवाओं का एक समेकित मंच प्रदान करता है जो भारत और विदेशों में परिचालित होता है. व्यापार वित्त पोर्टफोलियो के व्यवस्थित विकास के लिए देश भर में फैली हुई 150 अधिकृत शाखाओं, केंद्रीकृत व्यापार वित्त बैक ऑफिस और केंद्रीकृत स्विफ्ट बैक ऑफिस का समर्थन करने, नीतियों को तैयार करने और बाजार की मांग एवं परिवर्ती विनियामक मानदंडों के अनुरूप नवोन्मेषी नए उत्पादों को सृजित करने का लक्ष्य है.

बैंक का लक्ष्य घरेलू कार्यालयों और विदेशी कार्यालयों / प्रतिनिधि बैंकों और व्यापारिक समुदाय के बीच एक सुदृढ़ माध्यम बनाकर सामंजस्य और व्यापार प्रवाह में सुधार करना है.

आपका बैंक सक्रिय रूप से शाखाओं, व्यापार निकायों और अन्य हितधारकों को शामिल करके निर्यात ऋण के विकास की सुविधा प्रदान करता है.

### वैश्विक भुगतान और सेवाएं

**इंटरनेशनल एक्सचेंज वोस्ट्रो ब्रांच–** इंटरनेशनल एक्सचेंज वोस्ट्रो ब्रांच (आईईवीबी) विदेशी स्थानों से भारत में आवक प्रेषण और विदेशी बैंकों के लिए वोस्ट्रो खाते खोलने एवं प्रबंधित करने, एक्सचेंज हाउस और विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते से रुपये आहरण की सुविधा प्रदान करती है.

आपका बैंक अपने "व्योम" ऐप के माध्यम से उंगलियों पर विभिन्न विदेशी विनिमय सेवाओं जैसे कि आवक और जावक प्रेषण, मोबाइल ऐप के माध्यम से विभिन्न अन्य व्यापार वित्त उत्पादों की शुरुआत करने की प्रक्रिया में है.

**संपर्की बैंकिंग संबंध –** आपका बैंक 114 देशों में 717 बैंकों के नेटवर्क के साथ आरएमए संबंधों को बनाए रखने और उनकी समीक्षा करने में एक मुख्य केंद्र है. आपके बैंक के 94 देशों में 673 बैंकों के साथ 943 आरएमए हैं और 33 बैंकों के साथ नोस्ट्रो संबंध हैं.

### "व्यापार वित्त सेट अप"

आपका बैंक एक व्यापक शाखा नेटवर्क के माध्यम से निर्यातकों और आयातकों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिचालित होता है.

आपका बैंक सक्रिय रूप से शाखाओं, व्यापार निकायों और अन्य हितधारकों को शामिल करके निर्यात ऋण के विकास की सुविधा प्रदान करता है.

व्यापार समुदाय की सुविधा के लिए, विदेशी विनिमय सेवा शुल्क को पुनर्गठित किया गया है और बाजार के साथ संरेखित किया गया है. बैंक ने स्विफ्ट (SWIFT) सिस्टम में कई सिस्टम संबंधी संवर्द्धन एवं अद्यतन भी प्रस्तुत किए हैं.

आपके बैंक के पास व्यापार वित्त लेनदेन के केंद्रीय प्रसंस्करण के लिए मुंबई और मंगलूरु में केंद्रीकृत व्यापार वित्त बैक कार्यालय हैं जो विशेष रूप से हमारे ग्राहकों को एक स्थान पर समाधान प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं.

आपका बैंक फेमा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. विभाग भारतीय रिजर्व बैंक / फेमा से संबंधित रिटर्न को समय पर जमा करना सुनिश्चित करता है और फेमा / भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में निर्देश जारी करता है.

### निर्यातकों / आयातकों की बैठक

आपके बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न निर्यातकों / आयातकों की बैठकें आयोजित की गई है. हमारे ग्राहकों के लाभ के लिए यूनियन ट्रेड चालू खाता (यूटीसीए) और

ट्रेड एनएक्सटी जैसे नए उत्पाद प्रस्तुत किए गए हैं. साथ ही यूनियन एक्सपोर्ट जैसी मौजूदा योजनाओं को और आकर्षक बनाया गया है.

**TRRACS सॉफ्टवेयर, EDPMS / IDMPMS**

आपके बैंक के पास ट्रेड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस सॉल्यूशन (TRRACS) सॉफ्टवेयर मौजूद है, जो समय-समय पर लंबित ईडीपीएमएस / आईआरएम / निर्यात अग्रिम प्रविष्टियों में लगातार कमी कर रहा है और हम ग्राहकों संतुष्टि में वृद्धि के साथ इन प्रविष्टियों का समाधान करने में काफी हद तक सफल हुए हैं.

**LIBOR से ARR (वैकल्पिक संदर्भ दर) / RFR (जोखिम मुक्त दर) परिवर्तन**

LIBOR को बदलने के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर (ARR) की शुरुआत के साथ, वैश्विक व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है. आपके बैंक ने अपने व्यापार वित्त परिचालनों में एआरआर व्यवस्था को लागू करने और स्वचालित करने की पहल की है.

**केंद्रीकृत स्विफ्ट बैक ऑफिस (सीएसबीओ)**

स्विफ्ट एक एकीकृत वेब सक्षम मैसेजिंग सॉफ़्टवेयर है जो केंद्रीय रूप से चलता है और इंटरफ़ेस चैनलों और शाखाओं द्वारा एक्सेस किया जाता है, जिससे वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेशों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान की सुविधा मिलती है.

स्विफ्ट नेटवर्क पर अंतर्देशीय लेनदेन को प्रबंधित करने और संदेशों के सुचारू और पूर्ण सुरक्षित प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए मुंबई में केंद्रीकृत स्विफ्ट कार्यालय की स्थापना की गई है.

**व्यापार वित्त समाधान – व्यापार एनएक्सटी**

व्यापार वित्त प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और पुनर्रचना के भाग के रूप में, आपके बैंक ने व्यापार वित्त समाधान अर्थात ट्रेड एनएक्सटी आरंभ किया है.

ट्रेड एनएक्सटी हमारे ग्राहकों के लिए कुशलतापूर्वक और उनकी सुविधा के अनुसार विदेशी विनिमय लेनदेन करने के लिए एक विशिष्ट डिजिटल व्यापार सेवा मंच है. यह प्लेटफॉर्म निर्यात, आयात, गारंटी और प्रेषण सहित सभी प्रकार के व्यापार लेनदेन का समर्थन करता है.

**मुख्य विशेषताऐं:**

- **सुविधा** – अपने घर या कार्यालय से सेवा प्राप्त करें, शाखाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है.
- **24x7 उपलब्धता** – व्यापार संबंधी लेन-देन चौबीसों घंटे किए जा सकते है.
- **अनुकूलन** – वैयक्तिकृत डैशबोर्ड, अनुकूलित टेम्पलेट.
- **डिजिटलीकरण के माध्यम से पेपरलेस बैंकिंग** – सभी व्यापार लेनदेन के प्रबंधन हेतु समर्पित पोर्टल, सलाह और स्विफ्ट संदेशों की ऑटो मेलर सूचनाएं.
- **प्रक्रिया में सुधार** – एआई और ओसीआर प्रौद्योगिकियों द्वारा लेनदेन शुरू और संसाधित करना (कार्यान्वयन प्रगति पर है)
- **दक्षता** – डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण के कारण टीएटी में पर्याप्त सुधार
- **संपर्की प्रबंधक** – समर्पित संपर्की प्रबन्धक के माध्यम से बेहतर ग्राहक सेवा
- **अनुपालन** – अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रणालियों के साथ विनियामक मानदंडों और प्रक्रियाओं का अनुपालन.

**फेमा लेखापरीक्षा**

सीएसबीओ, व्यापार वित्त प्रसंस्करण बैक ऑफिस सहित विदेशी मुद्रा लेनदेन में लेनदेन (अधिकृत डीलर) करने के लिए अधिकृत शाखाएं फेमा अनुपालन के अधीन हैं.

**केवाईसी / एएमएल-सीएफटी उपाय**

आपका बैंक पूरे बैंक में केवाईसी मानदंडों / दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए व्यापक कदम उठा रहा है. बैंक के पास अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानकों, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोधक (सीएफटी) उपायों पर केवाईसी पर मौजूदा आरबीआई मास्टर दिशा-निर्देश के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है.

**बैंक द्वारा आयोजित कार्यशालाएं / कार्यक्रम**

- मुंबई में 30.11.2022 से 02.12.2022 तक इंडिया इंटरनेशनल कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स प्रदर्शनी और कंपनियों ने प्रदर्शनी में भाग लिया.
- मुंबई में 10.12.2022 को अल्मस रुपी मनी कॉन्फ्रेंस 2022.

- मुंबई में 21.12.2022 से 22.12.2022 तक बीएफएसआई इनसाइट समिट 2022.
- जयपुर में 21.1.2023 को एक्सपोर्ट हब के रूप में पहल जिले के तहत एफ़आईईओ का क्षमता निर्माण कार्यक्रम.
- आईईएसएस (इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो) चेन्नई - 16 से 18 मार्च 2023

## 14 ट्रेजरी परिचालन

- बैंक के कॉर्पोरेट लक्ष्य के अनुरूप विवेकपूर्ण चलनिधि प्रबंधक के रूप में कार्य करना. ट्रेजरी का उद्देश्य नीति दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण, बाजार और चलनिधि जोखिमों का प्रबंधन करते हुए अधिकतम लाभ अर्जित करना है. विभिन्न अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों और विदेशी मुद्रा बाजार द्वारा बेहतर नकदी प्रबंधन. उचित एम-अवधि के साथ एक अच्छा एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेश बुक बनाए रखना जो हमें अपनी लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करेगा.
- उच्च पूंजी प्रधान लिखतों को कम कर, कम पूंजी प्रधान लिखतों का लाभ उठाकर एनआईएम और आरओसीई को बढ़ा कर बैंक की पूंजी का संरक्षण करना.

**ए. वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यनिष्पादन का सारांश:**

वित्तीय वर्ष के दौरान, उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि हुई, जो 4.00 से बढ़कर 6.50 प्रतिशत हो गई. इसके परिणामस्वरूप उपज कम हो जाती है और 10 वर्षीय जी-सेक ने जून 22 में 7.62 का उच्च स्तर बना लिया, जो मार्च, 2022 में 6.84 था. तदनुसार, बैंक ने निवेश हेतु विवेकपूर्ण निर्णय लिया और उपज के प्रभाव को कम करने के लिए एएफएस बुक में अवधि को कम रखा. एएफएस बुक की संशोधित अवधि वित्तीय वर्ष 21-22 में 1.20 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 22-23 में 1.32 रखी गई थी. बैंक ने निवेश पोर्टफोलियो से ब्याज आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त समय पर निवेश किया. 31-03-2023 को बैंक का कुल निवेश 3,45,370 करोड़ रुपये था जब कि 31-03-2022 तक यह 3,53,002 करोड़ रुपये था.

बैंक ने सक्रिय रूप से चलनिधि का प्रबंधन किया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान चलनिधि की स्थिति सहज बनी हुई है.

बाजारों में बैंक की यूएसडी-रूपी स्पॉट और यूएसडी-रूपी फॉरवर्ड का अच्छा नाम है और व्यापारी विदेशी मुद्रा प्रवाह में बाजार शेयर पर अच्छा नियंत्रण है.

**कार्यनिष्पादन का सारांश:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2022 -23 के लिए लक्ष्य | वित्तीय वर्ष 2021 -22 का वास्तविक |
|---|---|---|
| ब्याज आय | 24,438.39 | 22,780.00 |
| निवेश की बिक्री पर लाभ | 1,083.00 | 3,401.00 |
| विनिमय लाभ (विदेशी मुद्रा) | 813.00 | 640.00 |
| **कुल ट्रेजरी आय** | **26,334.39** | **26,821.00** |

**बी. वर्ष के दौरान की गई नई पहल:**

**ऋण सिंडिकेशन:**

वित्त वर्ष के दौरान ऋण सिंडिकेशन गतिविधि शुरू हुई और बैंक ने रुपये 1.51 करोड़ की शुल्क आधारित आय अर्जित की.

**सी. ट्रेजरी कार्यनीति:**

- चूंकि मुद्रास्फीति का दबाव कम हो रहा है, इसलिए अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दर चरम पर पहुंचने की संभावना है. ब्याज दर चक्र प्रतिगामी होने की संभावना है. हम सभी अवसरों पर बारीकी से ध्यान दे रहे हैं और तदनुसार ट्रेडिंग लाभ को अधिकतम करने के साथ-साथ ब्याज आय को बढ़ाने के लिए इसमें अवधि को शामिल करते हुए पोर्टफोलियो में विविधता ला रहे हैं.
- वित्तीय बाजार में उपलब्ध सभी अंतरपणन अवसरों का अन्वेषण करना जैसे कि विदेशी मुद्रा बनाम मुद्रा बाजार, दिनांकित प्रतिभूतियां बनाम ब्याज दर भविष्य (आईआरएफ), दिनांकित प्रतिभूतियां बनाम ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस), दीर्घकालिक ट्रेजरी देनदारियां बनाम संरचित डेरिवेटिव आदि.
- हर स्तर पर समग्र दक्षता स्तर में सुधार के लिए एसीआई डीलिंग सर्टिफिकेशन, ट्रेडिंग गेम में महारत हासिल करना आदि जैसे विभिन्न आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण के माध्यम से जनशक्ति को मजबूत करना.

- नए ग्राहकों को शामिल करने के लिए सदस्यों के आकार का विस्तार और डिजिटल मोड का उपयोग करके बिक्री टीम को और भी अधिक सक्षम बनाना एवं बैंक के पुराने और नए ग्राहकों को सहज अनुभव प्रदान करना. बिक्री टीम के माध्यम से पीडी कारोबार के विस्तार की संभावनाएं देखना.

**डी. मौजूदा ग्राहक व्यवसाय हिस्सेदारी बढ़ाना और नए ग्राहकों को शामिल करना:**

ट्रेजरी रिलेशनशिप ग्रुप मौजूदा और साथ ही नए ग्राहकों के अधिग्रहण से एफएक्स व्यापार को चलाएगा; ग्राहक के लिए व्हाइट लेबल स्क्रीन एफएक्स वॉल्यूम बढ़ा सकती है; ग्राहकों के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन में लचीलापन के कारण व्यापार वित्त समाधान (फिनस्ट्रा) अधिक एफएक्स व्यवसाय प्रदान करेगा.

## 15 आस्ति की गुणवत्ता

**कार्यनिष्पादन का सारांश:**

एनपीए स्तर मार्च, 2022 तक ₹ 79,587 करोड़ से घटकर मार्च, 2023 तक ₹18,600 करोड़ की कमी के साथ ₹60,987 करोड़ हो गया है.

एनपीए उतार-चढ़ाव का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2021 | वित्तीय वर्ष 2022 | वित्तीय वर्ष 2023 |
|---|---|---|---|
| सकल एनपीए | 89788 | 79587 | 60987 |
| सकल एनपीए का प्रतिशत | 13.74 | 11.11 | 7.53 |
| निवल एनपीए | 27281 | 24303 | 12928 |
| निवल एनपीए का प्रतिशत | 4.62 | 3.68 | 1.7 |
| फ्रेश स्लिपेज | 17443 | 22877 | 12518 |
| बकाया में वृद्धि | | | |
| नकद वसूली | 7865 | 13595 | 11943 |
| उन्नयन | | | |
| टीडब्ल्यूओ में वसूली | 2537 | 2750 | 5549 |
| बट्टे खाता | 16983 | 19484 | 19175 |
| पीसीआर | 81.27 | 83.61 | 90.34 |

**यूनियन सरस परियोजना के अंतर्गत की गई डिजिटल पहल:**

- सामान्य नीलामी प्लेटफॉर्म पर संपत्तियों का प्रदर्शन अर्थात इंडियन बैंक्स ऑक्शन्स मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन (IBAPI) पोर्टल के तहत eBkray, आईबीए द्वारा पूरे वित्त वर्ष के लिए पूर्व निर्धारित मासिक तिथियों पर लॉन्च किया है, ताकि क्षेत्र-कर्मियों को नीलामी के लिए सभी योग्य संपत्तियों को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाया जा सके.

- एनपीए की नीलामी करते समय अधिक से अधिक बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म (पोर्टल जैसे 99Acres.com, Housing.com, Foreclosure.com और OLX) का उपयोग करें.

**आरंभ की गई वसूली स्ट्रेटजी:**

**एनपीए खातों का पुनर्गठन.**

**विधिक रिकोर्स के माध्यम से वसूली:**

- त्वरित वसूली के लिए सरफेसी और डीआरटी अधिनियमों के तहत विधिक उपायों का त्वरित और प्रभावी उपयोग.

- सरफेसी कार्रवाइयों और डीआरटी फाइल खातों के लिए मजबूत / त्रुटि रहित डाटा बेस का निर्माण.

- बिना चूके सभी पात्र खातों में मुकदमे दायर करना और डीआरटी के समक्ष पहले से दायर किए गए मामलों की गहन अनुवर्ती कार्रवाई करना.

**ओटीएस के माध्यम से वसूली:**

- कार्यपालकों के दौरों के दौरान उच्च श्रेणी के उधारकर्ताओं के साथ ओटीएस / एनपीए खातों के समाधान के लिए बातचीत के जरिए निपटान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.

- संदिग्ध-II, III एवं रुपये 5 करोड़ तक के आर/ एल बकाया शेष वाले हानि एनपीए खाते हेतु संरचित ओटीएस योजना (ओएसडीएल-2023) शुरू की गई है, जो दिनांक 31.03.2023 से प्रभावी है.

बैंक ताजा स्लिपेज से बचाव पर जोर देना जारी रखेगा और एनपीए के स्तर को लगातार नीचे लाने के लिए रिकवरी / अपग्रेडेशन पर जोर देगा.

अखिल भारतीय आधार पर साप्ताहिक मेगा रिकवरी कैंप आयोजित करने की योजना है.

**एआरसी/एनएआरसीएल को आस्ति की बिक्री के माध्यम से वसूली:**

- बैंक एनपीए खातों की पहचान एआरसी / एनबीएफसी/ बैंक/एफआई को संकटग्रस्त संपत्तियों की बिक्री के लिए करेगा ताकि विनियामक की आवश्यकताओं के अनुरूप एनपीए के स्तर को स्वीकार्य स्तर पर रखा जा सके.

- उच्च स्तरीय एनपीए को एनएआरसीएल में स्थानांतरित करना.

**एनसीएलटी के माध्यम से वसूली:**

- आपके बैंक के समय पर वसूली निष्पादन में सुधार करने के लिए, एनपीए स्तरों को कम करने के लिए एनसीएलटी के समक्ष दाखिल किए जाने वाले पात्र खातों की पहचान करने पर भी जोर दिया गया है.

- व्यक्तिगत दिवालियापन के तहत कॉरपोरेट देनदार के सभी गारंटरों को फॉर्म 'बी' जारी किया गया है.

- पर्सनल गारंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना, जहां सीआईआरपी चल रहा है.

**विशेष शाखा के माध्यम से वसूली:**

- बकाया राशि ₹ 20.00 लाख एवं अधिक एवं ₹ 25.00 करोड़ तक के एनपीए खातों को एआरबी में अंतरित किया गया है.

- चालू वित्त वर्ष के दौरान रुपए 20 लाख एवं रुपए 25 करोड़ से कम के एनपीए के समाधान / वसूली में केंद्रित दृष्टिकोण के लिए 7 नए एआरबी खोले गए हैं.

प्रावधान बस्टर, थंडर-2, हीट द बीट, पेस द रेस-I,II,III और डीआरटी अभियान जैसे विभिन्न अभियान वसूली कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए शुरू किए गए हैं.

राष्ट्रीय लोक अदालत कलैण्डर के अनुसार विभिन्न तिथियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसके अलावा अंचल द्वारा भी जिला विधिक सेवा के अंतर्गत नियमित अंतराल पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है.

## 16 रिलेशनशिप बैंकिंग

आपके बैंक ने वर्ष 2022-23 के दौरान तृतीय-पक्ष उत्पादों के वितरण के माध्यम से रू.353.36 करोड़ की आय अर्जित की.

(₹ करोड़ में)

| कारोबार पैरामीटर | वित्त वर्ष 2021-22 का वास्तविक | वित्त वर्ष 2022-23 का वास्तविक | उपलब्धि का % |
|---|---|---|---|
| जीवन बीमा | 170.24 | 233.69 | 56.04% |
| गैर-जीवन बीमा | 48.14 | 50.76 | 39.50% |
| स्वास्थ्य बीमा | 38.03 | 49.13 | 44.57% |
| म्यूचुअल फंड | 17.66 | 19.77 | 42.74% |
| **कुल आय** | **274.07** | **353.36** | **50.34%** |

**वर्ष के दौरान की गई नई पहल**

- म्यूचुअल फंड सेगमेंट के तहत कारोबार बढ़ाने के लिए निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ कॉर्पोरेट टाई-अप का पुनःप्रवर्तन.

- एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ कॉर्पोरेट गठबंधन

- सुड लाइफ, केयर हेल्थ और मणिपाल सिग्ना के चुनिंदा बीमा उत्पादों को डिजिटल चैनलों के माध्यम से खरीदने के लिए व्योम ऐप पर जोड़ा गया. अन्य चैनल भागीदारों के उत्पाद शीघ्र ही ऑनबोर्ड होने की प्रक्रिया में हैं.

- व्योम ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड निवेश नवंबर 22 से लाइव कर दिया गया है

- क्रेडिट जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम फंडिंग के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की गई है.

**शुरू किए गए नए उत्पाद:**

**यूनिकेयर:** आपके बैंक के एचएनआई ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी की 9यूनिकेयर" पॉलिसी लॉन्च की गई.

**पिंक हेल्थ:** महिलाओं हेतु मणिपाल सिग्ना कैंसर प्लान.

**चोला फार्मर केयर पैकेज :** संपत्ति के नुकसान, दुर्घटना के नुकसान, अन्य व्यक्तिगत नुकसान और बीमित राशि या बकाया ऋण, जो भी कम हो, के कारण किसान को क्षतिपूर्ति के लिए चोला एमएस द्वारा शुरू की गई पॉलिसी.

ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट और एसीओई द्वारा साझा किए गए लीड्स का परिवर्तन. ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट पहले से ही भेजे जा रहे हैं.

फिनेकल में राष्ट्रीय गोल्ड बॉन्ड्स के लिए एक मोचन विकल्प विकसित किया गया है, जो भौतिक आवेदन भेजने की मैन्युअल प्रक्रिया को दूर करता है.

**डिजिटल पहल:**

1. मेसर्स फिनटेक ब्लू सॉल्यूशंस प्रा लिमिटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए काम कर रहा है. सुड लाइफ, केयर हेल्थ और मणिपाल सिग्ना व्योम में काम कर रहे हैं. अन्य चैनल भागीदारों को ऑनबोर्ड करना प्रक्रियाधीन है.
2. मेसर्स फिनविजार्ड टेक्नॉलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने म्यूचुअल फंड के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है. प्लेटफॉर्म व्योम पर सफलतापूर्वक चल रहा है.
3. म्युचुअल फंड के लिए शाखा पोर्टल प्रक्रियाधीन है.

## 17 सरकारी कारोबार

- सरकारी कारोबार से गैर-ब्याज आय ₹ 132.90 करोड़, पिछले वर्ष के 78.18 करोड़ प्रदर्शन के सापेक्ष 70% की वृद्धि दर्शाता है.
- कुल सरकारी संसाधन रुपये 3,15,196 करोड़ रुपये तक पहुंच गया जिसमें कासा 68,368 करोड़ पहुंच गया है.
- पीएसबी श्रेणी में एसबीआई के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नागरिक मॉडल में दूसरा स्थान प्राप्त किया. इस वर्ष बैंक ने 33,558 खाते जोड़े, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 35.27% की वृद्धि दर्शाता है.
- 22,208 पेंशन खाते खोले गए और पिछले वर्ष की तुलना में 54.31% की वृद्धि दर्ज की गई.
- 2,87,560 नए लघु बचत योजना खाते जोड़े गए और कुल 12.96 लाख खाते हो गए. पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर्ज की गई.
- कर चालान संग्रह में ₹ 90,381 करोड़ जोड़ने के साथ ही एक वित्त वर्ष में 6.2 मिलियन रुपये तक पहुंच गया.
- बैंकिंग प्रतिनिधियों के माध्यम से सक्षम एनपीएस खाता खोलने का एकीकरण.
- वेतन खाता खोलने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
- कर्मचारियों के वेतन खाते खोलने के लिए ग्राम स्वयंसेवकों/ वार्ड स्वयंसेवकों और ग्राम सचिवालयों/ वार्ड सचिवालयों (जीवीडब्ल्यूवी और वीएसडब्ल्यूएस) विभाग, विजयवाड़ा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- ईपीएफओ पेंशनरों के लिए पेंशन संवितरण के लिए ईपीएफओ के साथ एकीकरण.
- 4,316 करोड़ रुपये के बजट के साथ 21 केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) खाते जोड़े गए और वर्तमान जमा शेष राशि 812 करोड़ रुपये है.
- 35,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ 226 एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते और 1700 से अधिक उप एजेंसी खाते खोले गए और जमा शेष राशि 5,733 करोड़ रुपये है.
- 3,700 से अधिक ग्राम पंचायतों के खाते खोले गए और नवनिर्वाचित सांसदों के 33 एमपीलैड खातों का प्रचार भी किया.
- 15 राज्यों के अंतर्गत 630 शाखाओं में ई-स्टाम्पिंग सुविधा शुरू की गई.
- आरबीआई बॉन्ड के लिए सक्षम ऑनलाइन बॉन्ड सब्सक्रिप्शन सुविधा.
- 595 नवोदय विद्यालय के विद्यालय विकास निधि की संग्रह सुविधा प्रदान की.
- एनएमसीजी का हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) एस्क्रो खाता जोड़ा गया.
- 24,000 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ बीएसएनएल के 4जी संतृप्ति परियोजना के अंतर्गत चालू खाता खोला गया.
- उरई में यूपी जल निगम (ग्रामीण) का खाता खोला गया.

**भुगतान गेटवे के माध्यम से विभिन्न प्रकार की संग्रह सुविधा 17 सरकारी संगठनों के लिए सक्षम की गई थी:**

- केरल राज्य पेय पदार्थ

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- इटावा सफारी पार्क समिति
- कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड
- एचएसआईडीसी
- पनवेल नगर निगम
- एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (ईएमजी न्यू मोती बाग)
- उडुपी शहर नगर परिषद
- ओडिशा लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड
- गुजरात मटिकम कलाकरी और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान गुजरात
- फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड
- ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- भारतीय खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान
- नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
- निफ्ट - शिमला, जोधपुर और कोलकाता
- नवोदय विद्यालय समिति
- अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान

## 18 मानव संसाधन प्रबंधन

अपने कर्मचारियों को सर्वोत्तम संभव रोज़गार अनुभव प्रदान करने के लिए, आपका बैंक अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति, अपनी मानव पूंजी में निवेश करता है, और उद्योग में सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करने के लिए अपने लोगों की प्रक्रियाओं को लगातार नया रूप देता है. बैंक अपने कार्यबल को सशक्त बनाने के साथ-साथ अपने कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को शुरू करने में सबसे आगे रहा है. लोगों के विकास पर ध्यान देने के अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आपके बैंक के द्वारा शुरू की जा रही प्रक्रियाओं के स्वचालन और डिजिटलीकरण को स्थिर करने पर भी ध्यान दिया गया है ताकि यह निर्बाध रूप से कार्य कर सके.

उद्योग ने मानव संसाधन नवाचार, नेतृत्व, पसंदीदा कार्यस्थल और प्रशिक्षण के लिए 2022-23 के दौरान प्राप्त कई पुरस्कारों के माध्यम से आपके बैंक के प्रयासों को मान्यता दी है और उनकी सराहना की है.

**यूनियन प्रेरणा परियोजना:**

**कौशल रूपरेखा अभ्यास:**

आपके बैंक ने स्केल 4 और 5 में कर्मचारियों के लिए कौशल मूल्यांकन और गैप मूल्यांकन किया है ताकि बैंक के लिए भविष्य की क्षमताओं को विकसित करने के लिए उनकी नौकरियों और उनकी क्षमताओं की जरूरी आवश्यकताओं, उस नौकरी के लिए आवश्यक ज्ञान को जोड़ा जा सके. एक इन-हाउस स्किल प्रोफाइलिंग टूल विकसित किया गया है, जो कर्मचारियों की स्व-घोषणा और बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर उनके कौशल का आकलन करेगा, जो पारंपरिक और बैंकिंग में आवश्यक आयु कौशल पर ज्ञान और परिदृश्य आधारित परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह अभ्यास बैंक के भीतर विशिष्ट नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल को जोड़ने में मदद करेगा, विभिन्न भूमिकाओं के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के स्तर का निर्धारण करेगा, कर्मचारियों में कौशल अंतराल का विश्लेषण करने में मदद करेगा, प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण करेगा, कर्मचारियों के लिए कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगा आदि.

**उत्तराधिकार आयोजना अभ्यास :**

आपके बैंक ने प्रमुख कार्यपालक पदों के लिए उत्तराधिकार आयोजना अभ्यास शुरू किया है ताकि प्रतिभा प्रबंधन और उत्तराधिकार योजना उपकरण की मदद से कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व परिवर्तन के सुचारू निष्पादन की योजना बनाई जा सके जिससे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों के लिए संभावित उत्तराधिकारियों की सूची प्रदान की जा सके. भूमिका उपयुक्तता, पीएमएस स्कोर, व्यवहारिक योग्यता मानचित्रण, कार्यात्मक क्षमता मानचित्रण, भूमिका इतिहास आदि जैसे विभिन्न डेटा इनपुट वाला टूल किसी विशेष स्थिति के लिए उपयुक्त उत्तराधिकारी प्रदान करता है.

इस अभ्यास से आपके बैंक को बैंक के प्रत्येक प्रमुख पद पर पदधारी के उत्तराधिकारी के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और विशेषताएँ की पहचान करने में मदद करेगा. संभावित उत्तराधिकारियों का संभावित उत्तराधिकारियों की दक्षताओं, कौशलों और लक्षित प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों के माध्यम से इनके बीच अंतराल को भरने के लिए मूल्यांकन किया जा सकता है, ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तराधिकारियों के पास भविष्य की नेतृत्व भूमिकाओं में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और क्षमताएं हैं.

**शाखा प्रमुखों के लिए विंग कार्यक्रम (स्केल IV और ऊपर):**

विंग्स प्रोग्राम स्केल IV और उससे ऊपर की महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है. प्रशिक्षण कार्यक्रम सामग्री में कारोबारिक रणनीतियों के साथ-साथ विकास मानसिकता, निर्णय लेने, बातचीत कौशल, प्रभावी समय प्रबंधन और अन्य व्यवहार कौशल को बढ़ावा देना शामिल है.

**पावर हिम एंड एम्पावर हर:**

द पावर हिम एंड एम्पावर हर कमेटियां पुरुषों और महिलाओं के करियर की राह में लिंग केंद्रित मुद्दों पर ध्यान देने के साथ बनाई गई हैं. इन समितियों के सदस्य विशिष्ट मुद्दों के साथ समूहबद्ध कर्मचारियों तक पहुंच रहे हैं जैसे कर्मचारी पदोन्नति के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं, कर्मचारियों को कैरियर की प्रगति की समस्याओं, बाधाओं आदि का सामना करना पड़ रहा है. समितियां उनके कार्य-जीवन संतुलन को प्रबंधित करने में उनकी मदद करने के लिए विभिन्न चर्चा सत्रों का आयोजन करती हैं और कार्यशालाओं, वेबिनार आदि जैसे विभिन्न इंटरैक्टिव तरीकों से कर्मचारियों को प्रेरित करती हैं. इन समितियों द्वारा विभिन्न सीएसआर पहल और शिविर भी आयोजित किए गए हैं, जिससे आपके बैंक को कारोबार के अवसर प्राप्त करने में भी मदद मिली है.

**कर्मचारी कल्याण (कर्मचारी सहायता कार्यक्रम):**

बैंक प्रेरणा सुरक्षा -एचआर बेनिफिट्स प्रोग्राम के तहत कर्चारियों के समग्र कल्याण के लिए विभिन्न कल्याण सुविधाओं का विस्तार करने की पहल की है. तीन केंद्रों मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में पायलट आधार पर एक कर्मचारी सहायता कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को परामर्श सहायता के माध्यम से लाभान्वित किया गया जिससे उन कर्मचारियों को मदद मिली जो वित्तीय अस्थिरता, कार्य संबंधों में सुधार, प्रदर्शन में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य, व्यावसायिक तनाव, जीवन की प्रमुख घटनाओं से निपटने आदि जैसे मुद्दों का सामना कर रहे थे. इन बातचीत के माध्यम से हम कर्मचारियों के सामने आने वाले कुछ प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में सक्षम हैं जो चिंता, पारस्परिक और संबंध संघर्ष, कार्य-जीवन संतुलन, भ्रमित सोच, नकारात्मक विचार, द्वंद, संघर्ष हैं. कर्मचारियों की नियमित काउंसलिंग से बैंक को कर्मचारियों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, अनुपस्थिति में कमी, काम पर उत्पादकता में वृद्धि, कर्मचारियों में तनाव के स्तर में कमी के लिए लाभ होगा

**ज्ञानार्जन एवं विकास:**

बैंक ने देश के शीर्ष 3 पीएसबी ऋणदाताओं में से एक बनने की महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है. नतीजतन, हमारे कर्मचारियों को उन कौशलों से लैस होने की जरूरत है जो हमें प्रतिस्पर्धी बनाते हैं और हमारे साथियों से आगे रहते हैं. इस दूरदर्शिता के साथ, हमारे बैंक ने कौशल सेट के साथ भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा पूल बनाने के लिए नई एल एंड डी यात्रा शुरू की है जो बैंक की दृष्टि को पूरा करती है और एक संस्कृति को बढ़ावा देती है.

इस यात्रा में प्रमुख कदम 9 यूनियन लर्निंग अकादमियों (यूएलए) का निर्माण है, जो यूनियनों को बैंक के लिए निर्धारित इस साहसिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और व्यापक बीए. फएसआई अंतरिक्ष में वैचारिक नेतृत्व को संचालित करता है. आपके बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया है कि प्रत्येक यूनियनाइट के पास सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास फैकल्टी नेटवर्क, नए जमाने की सामग्री, बाहरी सहयोग और नवीन प्रशिक्षण डिजाइन तक पहुंच हो.

अपने कार्यबल की सीखने की यात्रा को निर्बाध रखने के लिए विभिन्न वेबिनार, लघु अवधि/दीर्घ अवधि के कार्यक्रम आयोजित किए गए. 172 अंतर्देशीय बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 703 कर्मचारी शामिल थे और 7 विदेशी कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 43 कर्मचारी शामिल थे. ZLC स्तर पर कुल 1171 लंबी अवधि के कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 45965 कर्मचारी शामिल थे और 290 छोटी अवधि के कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 39414 कर्मचारी शामिल थे (85379 कर्मचारियों को कवर करते हुए कुल 1461 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे).

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सभी यूएलए द्वारा कुल 136 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 3500 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया. विभिन्न प्रकार के नवीन युग से जुड़े कौशल में प्रतिभागियों के दक्षता स्तर को सुधारने के लिए यूएलए द्वारा 66000 से अधिक लर्निंग आवर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान कुल 14 उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम और 20 कार्यात्मक/कोर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं. साथ ही, संकाय सदस्यों द्वारा 28 वृत्त अध्ययन विकसित किया गया है.

संकाय सदस्यों को लेख लिखने और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं/जर्नल में प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. हमारे संकाय सदस्यों द्वारा लिखे गए कुल 180+ लेख इंडियन बैंकर, बैंकिंग फाइनेंस, बैंकर प्लस, आईबीएफ आदि जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं.

बैंक ने चार प्रमुख शैक्षणिक संस्थान अर्थात आईएसबी-हैदराबाद, आईआईएम-इंदौर, आईआईएम-कोझिकोड और एमडीआई-गुरुग्राम को सूचीबद्ध किया है जिससे विविध पृष्ठभूमि और वैश्विक अनुभव से अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नए परिप्रेक्ष्य और विचारों को शामिल कर प्रशिक्षण प्रणाली की सहायता हो सके.

आपके बैंक के लिए एक थिंक टैंक और नवोन्मेष एवं अनुसंधान केंद्र बनाने और प्रशिक्षण प्रणाली में सर्वोत्तम बाजार प्रथाओं को लागू करने के लिए नए शोध हेतु, बैंक ने आंतरिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से 11 अनुसंधान अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रणाली में शामिल किया. हमारे अनुसंधान अधिकारियों ने 20 से अधिक शोध परियोजनाएं पूरी की हैं जिनमें से 10 पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं.

मेगा एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग एक्शन (मेटा) प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण घंटों में पर्याप्त वृद्धि लाने के लिए व्यापक पहुंच के साथ एक अत्यधिक डिजिटाइज्ड और लागत प्रभावी प्रशिक्षण पहल है.

यह स्टाफ सदस्यों के बीच संवर्धित भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए और निरंतर सीखने/नवाचार की भावना को विकसित करने की ओर उन्मुख है. मेटा लर्निंग में 4 स्तंभ हैं और सहभागी अध्ययन के उद्देश्य के साथ प्रत्येक स्तंभ में अद्वितीय डिज़ाइन और कार्यप्रणाली है: 1. प्रश्न आधारित प्रशिक्षण सत्र: क्षेत्र कर्मियों के मुद्दों का जवाब देने के लिए व्यावहारिक/आवश्यकता आधारित/लक्षित प्रशिक्षण 2. अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम: दोतरफा संप्रेषण और परिणाम-उन्मुख शिक्षा को बढ़ाने के लिए. 3. यूनियन मंच: क्षेत्र में हासिल सफलता की कहानियों को साझा करने का मंच. 4. यूबीआईक्यूयूई: बैंक के कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए नवोन्मेषी/रचनात्मक विचारों को क्राउडसोर्स करना.

बैंक ने कैरियर के विकास के लिए स्टाफ सदस्यों के प्रशिक्षण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए "यूनियन लर्नथॉन" नाम से विशेष अध्ययन शृंखला भी शुरू की. यूनियन लर्नथॉन शृंखला में 8800 एमसीक्यू, 97 प्रैक्टिस सेट और 26 दिग्दर्शिका को निरंतर सीखने की परंपरा को बढ़ावा देने हेतु होस्ट किया गया था और इसका उद्देश्य स्टाफ सदस्यों का कौशल उन्नयन था. यूनियन प्रजना (ई-लर्निंग मॉड्यूल) के तहत कई यूनियन रेडियो और यूनियन पॉडकास्ट होस्ट किए जाते हैं.

बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली ने कई पुरस्कार जीते हैं जैसे "पाइनरिंग वर्क इन क्रीयेटिंग फ्युचर रैडि इंक्लूसिव ऑर्गेनाईज़ेशन" के लिए आईएसी कॉर्पोरेट अवार्ड 2023, "बीएमएल मुंजाल अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सिलेन्स थ्रू लर्निंग एंड डेव्लपमेंट" और "31वां नैशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस 2020-21 अंडर बीए. फएसआइ एंड आईटी/आईटीईएस सर्विसेस इन्स्टीट्यूटेड बाय आईएसटीडी".

**राजभाषा:**

आपके बैंक को विभिन्न क्षेका/क्षेमप्रका में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से 18 प्रतिष्ठित क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुए:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपके बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए भारत सरकार, राजभाषा विभाग, द्वारा देश भर में स्थापित विभिन्न नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों) से 85 शील्ड प्राप्त हुए. आपके बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा देश भर में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में कुल 183 व्यक्तिगत पुरस्कार जीते गए. डिजिटल केसीसी एसटीपी हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध है. सभी ग्राहकों के लिए एसएमएस सुविधा 13 भाषाओं में उपलब्ध है. कॉल सेंटर की सुविधा भी 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है. मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन "व्योम" 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन "मेरा बैंक-हमेशा मेरे साथ" पर भी कार्टून पुस्तकें और हिंदी में 'नैतिकता' पर 11 कार्टून पुस्तकें प्रकाशित की हैं.

यूनियन धारा, आपके बैंक की त्रैमासिक द्विभाषी कॉर्पोरेट गृह-पत्रिका और 'यूनियन सृजन' बैंक की हिंदी पत्रिका ने क्रमशः प्रतिष्ठित पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया (पीआरसीआई) गोल्ड अवार्ड के तहत 'बेस्ट इन-हाउस मैगज़ीन' और 'जर्नल प्रिंट रीजनल अवार्ड' श्रेणी के तहत सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया. बैंक की "यूनियन सृजन" हिंदी पत्रिका ने भी प्रतिष्ठित आशीर्वाद पुरस्कार जीता है. 'यूनियन धारा' ने 'जम्मू और कश्मीर' और 'परिचालन' पर विशेष अंक प्रकाशित किए हैं. यूनियन सृजन ने भी 'हरियाणा' और 'वरिष्ठ नागरिक' पर विशेष अंक प्रकाशित किए.

**जनबल शक्ति:**

31.03.2023 को आपके बैंक का कुल जनबल 75594 पर था.

| | अधिकारी | | लिपिक | | अधीनस्थ- स्टाफ | | कुल | | कुल स्टाफ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | |
| 2020-21 | 31629 | 11505 | 17763 | 8225 | 6585 | 2495 | 55977 | 22225 | 78202 |
| 2021-22 | 31326 | 11469 | 16389 | 7705 | 5979 | 2333 | 53694 | 21507 | 75201 |
| 2022-23 | 31814 | 11734 | 16774 | 7886 | 2170 | 5216 | 53804 | 21790 | 75594 |

आपके बैंक के मानव संसाधनों की प्रभावशीलता और दक्षता का बैंक के विकास पर सीधा असर पड़ता है. हम लंबे समय से यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे ग्राहकों को उच्च स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए बैंक के सभी क्षेत्रों और कार्यात्मक आउटलेट्स पर हमेशा पर्याप्त कार्यबल उपलब्ध हो.

आपका बैंक प्रत्येक वर्ष विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की आवश्यकता की समीक्षा करता रहा है और विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों का विश्लेषण कारोबार के विकास, भविष्य में शाखाओं का विस्तार / युक्तिकरण, इस्तीफे के कारण नौकरी छोड़ने, अधिवर्षिता / वीआरएस पर सेवानिवृत्ति आदि के संबंध में किया जा रहा है.

आपके बैंक द्वारा सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए रोजगार में आरक्षण के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है. तदनुसार, मांगपत्र बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), मुंबई को भेजे गए हैं. कुल कर्मचारियों की संख्या के भीतर कर्मचारियों की सभी आरक्षित श्रेणियों का वर्णन नीचे दिया गया है:

| विवरण | अधिकारी | | लिपिक | | अधीनस्थ- स्टाफ | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल स्टाफ | 43548 | | 24660 | | 7386 | | 75594 | |
| जिनमें से | | | | | | | | |
| अनुसूचित जाति (अजा) | 7521 | 17.27% | 4680 | 18.98% | 2668 | 36.12% | 14869 | 19.67% |
| अनुसूचित जन जाति (अजजा) | 3432 | 7.88% | 1934 | 7.84% | 614 | 8.31% | 5980 | 7.91% |
| अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) | 12787 | 29.36% | 7597 | 30.81% | 2372 | 32.11% | 22756 | 30.10% |
| भूतपूर्व सैनिक | 884 | 2.02% | 3214 | 13.03% | 614 | 8.31% | 4712 | 6.23% |
| महिला | 11734 | 26.95% | 7886 | 31.98% | 2170 | 29.38% | 21790 | 28.82% |
| अल्पसंख्यक समुदाय | 3119 | 7.16% | 1723 | 6.99% | 557 | 7.54% | 5399 | 7.14% |

## 19 नेटवर्क

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक हमारे बैंक का शाखा नेटवर्क 8577 शाखाओं और 3 विदेशी शाखाओं (हांगकांग, सिडनी, दुबई डीआईएफ़सी) के साथ देश भर में व्यापक रूप से फैला हुआ है. इनमें से 58 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं.

**तालिका 11 : दिनांक 31.03.2023 तक शाखा नेटवर्क**

| जिनमें से | ग्रामीण | अर्ध-शहरी | शहरी | महानगरी | विदेशी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शाखाओं की संख्या | 2545 | 2458 | 1755 | 1819 | 3 | 8580 |
| शाखाएँ (%) | 30 | 29 | 20 | 21 | -- | 100 |

आपका बैंक में कुल 17662 कारोबारिक संवाददाता, 10835 एटीएम, 7 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू), 5 स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी संगठन भी हैं.

## 20 सूचना प्रौद्योगिकी

आपका बैंक ग्राहक केंद्रित, कर्मचारी सशक्तिकरण और सभी हितधारकों के लिए मूल्य निर्माण के माध्यम से समावेशी, उत्तरदायी और जिम्मेदार बैंकिंग पर ध्यान देने के साथ अगली पीढ़ी की श्रेणी का डिजिटल जानकार बैंक बनने के लिए प्रतिबद्ध है. आपका बैंक नए युग की पहल के साथ एआर/वीआर, एआई/एमएल, एनएलपी, ब्लॉकचैन आदि जैसी कई तकनीकों को अपनाकर इस एजेंडे पर प्रगति कर रहा है.

आपका बैंक कारोबार प्रणालियों के लिए उच्च कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करने हेतु अपने आईटी आर्किटेक्चर को बदल रहा है और क्लाउड आधारित एप्लिकेशन, सुरक्षा से समझौता किए बिना विनियामक मानदंडों का अनुपालन करते हैं. हम विविध, गतिशील और जटिल वातावरण में नवाचारों का समर्थन करने हेतु नए अनुप्रयोगों के लिए एंटरप्राइज़ समाधान आर्किटेक्चर प्रथाओं को भी नियोजित कर रहे हैं.

आपके बैंक ने बुनियादी संरचना, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म और डिजिटल एप्लिकेशन में निवेश किया है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के साथ हमारे कोर बैंकिंग एप्लिकेशन का एकीकरण शामिल है. टैब्युलस बैंकिंग, टॉकिंग एटीएम और मल्टी-फंक्शन संपूर्ण एटीएम जैसे कई अन्य बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल किए गए हैं, जो कई मूल्यवर्धित सेवाएं, जैसे मोबाइल टॉप अप, ई-कैश विप्रेषण, सीधा कर भुगतान, इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस रेमिटेन्स, एनईएफटी और म्युचुअल फंड भुगतान प्रदान करते हैं.

डिजिटलिकरण को अपनाने में आपके बैंक के प्रमुख उपायों में शामिल है:

- अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (पीएसबी);
- अपने आईटी सिस्टम के लिए ट्रिपल आईएसओ प्राप्त करने वाला पहला पीएसबी; आईएसओ 27001:2013 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 22301:2019 (कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 31000:2018 (आईटी जोखिम प्रबंधन).
- ₹1 मिलियन तक के एमएसएमई ऋणों के एंड-टू-एंड स्वतः नवीकरण को लागू करने वाला पहला पीएसबी;
- फिनेकल, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन और एसएमएस में बहु-भाषा को कार्यान्वित करने वाला पहला पीएसबी;
- यूनियन बैंक देश भर के सभी बैंकों के बीच एटीएम स्विच प्रोसेसिंग में दूसरे स्थान पर है.
- औसत मासिक सीबीएस लेनदेन 194 करोड़ से अधिक है. पिछले छह महीनों में दैनिक औसत लेन-देन की मात्रा में 20% की वृद्धि हुई
- औसत सिस्टम अपटाइम 99.97% है जो EASE 4.0 पर के तहत सर्वश्रेष्ठ बैंक के बराबर है.
- बैंकिंग क्षेत्र में मेटावर्स की शुरुआत करने वाला भारत का पहला बैंक.
- प्रतिष्ठित पीसीआई-डीएसएस (पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री - डाटा सिक्योरटी स्टैंडर्ड) प्रमाणीकरण प्राप्त किया है, जिसमें कार्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने के लिए कार्ड से संबंधित सभी भुगतान प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं.
- व्हाट्सऐप बैंकिंग, वॉयस बैंकिंग, ओपन बैंकिंग आर्किटेक्चर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी), रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए), प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन (पीएपीएल) आदि जैसे कई नवोन्मेषी समाधान की शुरुआत.

बैंक ने परस्पर सक्रिय और व्यक्ति केन्द्रित वीडियो आधारित समाधान, व्हाट्सएप बैंकिंग, पाम बैंकिंग वीडियो केवाईसी समाधान, आदि जैसे विभिन्न उन्नत प्रौद्योगिकी समाधानों को लागू किया है और सुरक्षा से समझौता किए बिना विनियामक मानदंडों का पालन करने वाले कंटेनर-आधारित क्लाउड रेडी अनुप्रयोगों के लिए माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर को लागू करने की प्रक्रिया में है. साथ ही बैंक विविध, गतिशील और जटिल वातावरण में नए नवाचारों का समर्थन करने हेतु नए अनुप्रयोगों के लिए एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्चर प्रथाओं को बढ़ावा दे रहा है.

इसके अतिरिक्त, बैंक आरबीआई आईटी इनोवेशन हब के साथ डिजिटल लेजर आधारित ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है और आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पर पायलट करने के लिए अन्य पीयर बैंकों के बीच यूनियन बैंक का चयन किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने में अग्रणी है और डिजिटल लेंडिंग के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी), ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) के साथ एकीकृत करने के लिए सभी प्रौद्योगिकी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है. हमारा बैंक पीएसबी में पहला है जिसने यूपीआई पर बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड को सक्षम किया है. अमेज़न अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट वॉइस बोट्स का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित वॉइस बैंकिंग को लागू किया जा रहा है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को यूनिवर्स द मेटावर्स ऑफ बैंकिंग जैसे नवोन्मेषी उत्पादों के माध्यम से "डिजिटल अनुभव" प्रदान करता है, जो ग्राहकों के लिए एक गहन उपयोगकर्ता अनुभव के साथ विभिन्न उत्पादों की जानकारी का उपयोग करने के लिए एक आभासी लाउंज है.

बैंक ने हाल ही में सुदृढ़ प्रणाली निष्पादन को प्राप्त करने के लिए टेस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (टीसीओई), एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐप मॉडर्नाइजेशन टूल्स (कुबेरनेट्स) आदि की स्थापना की है और जनबल के उपयोग को कम करने के लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लागू किया गया है. डिजिटल चैनलों के माध्यम से ऋण की प्राप्ति/नवीनीकरण की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) को लागू किया जाता है.

सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई आशाजनक फिनटेक कंपनियों और नए स्टार्ट-अप्स को जोड़ा जा रहा है. बैंक ने निर्यातकों और आयातकों के लिए एक व्यापक डिजिटल व्यापार मंच विकसित किया है, जो 24/7 व्यापार करने में आसानी और सुखद उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है.

बैंक के परिसर में निजी क्लाउड 140 से अधिक आवेदनों को होस्ट करता है. बैंक ने सॉफ्टवेयर एज़ आ सर्विस (सास) के माध्यम से ऑफिस 365 को लागू किया है और सार्वजनिक क्लाउड को अपनाने की प्रक्रिया में है.

बैंक के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करने के लिए बैंक के पास मजबूत बीसीपी के साथ एक बहुत मजबूत और लचीला आईटी सिस्टम है. बैंक ने बीसीपी के लिए स्वचालित डीआर स्विचओवर करने के लिए सभी महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों हेतु आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डीआर ऑटोमेशन टूल की तत्काल निगरानी के लिए उन्नत प्रदर्शन निगरानी उपकरण में निवेश किया है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने डाटा की ऑनलाइन प्रतिकृति हेतु निजी क्लाउड के लिए साइट रिकवरी मैनेजर (एसआरएम) समाधान स्थापित किया है और डीसी साइट से डीआर साइट पर रिकवरी प्रक्रिया को स्वचालित किया है.

बैंक ने साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है जो साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) के समन्वय में "सुरक्षा रक्षा और गहन रूप से" सुनिश्चित करता है और बैंक की सूचना संपत्तियों को उल्लंघनों और समझौता से बचाता है और निरंतर निगरानी के माध्यम से सुदृढ़ साइबर लचीलापन सुनिश्चित करता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक अगली पीढ़ी का डिजिटल बैंक बनने को तैयार है और फिनटेक के भागीदारों के साथ ओपन बैंकिंग की क्षमता की परिकल्पना की है और एपीआई से होने वाले फ़ायदों का भी लाभ लिया है.

बैंक नवोन्मेषी समाधानों, फिनटेक साझेदारियों और एआई/एमएल, 5जी, ब्लॉकचैन, मेटावर्स, DevSecOps आदि जैसी नई उभरती प्रौद्योगिकियों की खोज करके डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया में है. बैंक ने एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स (एसीओई) की स्थापना की है जो डाटा लेक को प्रभावी ढंग से उपयोग करके ग्राहक डाटा का विश्लेषण और एआई/एमएल जैसी तकनीकों की सुविधा का लाभ लेकर इसे वरीयता देंगें.

**भविष्यवादी और नवोन्मेषी कार्यनीति के रूप में हम निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयास करने की योजना बना रहे हैं.**

- क्लाउड नेटिव एप्लिकेशन, जिन्हें डिजिटल संसाधनों को त्वरित आवश्यकता के स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए हाइब्रिड क्लाउड पर होस्ट किया जा सकता है.
- नए जमाने की बैंकिंग के लिए एआई और वर्चुअल रियलिटी (वीआर) को सक्षम करें.
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और जुड़े हुए उपकरण के माध्यम से बैंकिंग.
- सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम.
- विभिन्न चैनलों पर एकीकृत ग्राहक अनुभव को पूरा करने के लिए माइक्रो सेवा-आधारित ओमनी- चैनल प्लेटफॉर्म को लागू करना.
- आंतरिक परियोजनाओं और ऐप आधुनिकीकरण के निरंतर विकास, एकीकरण और परिनियोजन के लिए DevOps टूल जैसी नई प्रथाओं का उपयोग करना.

**डिजिटल चैनलों पर प्रगति**

डिजिटल चैनलों पर वृद्धि (आंकड़े करोड़ में)

| चैनल | 31.03.2022 | 31.03.2023 | वार्षिक वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | वास्तविक | (%) |
| मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता | 1.65 | 2.13 | 0.48 | 29 |
| इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता | 0.68 | 0.74 | 0.06 | 9 |

## 21 संव्यवहार अनुश्रवण एवं धोखाधड़ी प्रबंधन

बैंक ने 2013 से ए & आईडी के भीतर ऑफ-साइट ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम (ओटीएमएस) लगाया है जो विभिन्न प्रकार के लेनदेन की निगरानी के लिए है, विशेष रूप से लेनदेन में अनियमितताओं की निगरानी के लिए, जिसके माध्यम से शुरुआती संकेतों को ट्रिगर किया जा सकता है.

ईएफआरएमएस के एक प्रभावी और सक्रिय तंत्र की उपस्थिति के साथ, बैंक ने सीबीएस - फिनेकल में खोले गए नए एसबी और सीडी खातों का तत्काल अनुश्रवण भी लागू किया है.

बैंक के पास एक स्वयं संपूर्ण धोखाधड़ी प्रबंधन टीम है जो निरंतर आधार पर धोखाधड़ी के मूल कारण का विश्लेषण करती है और धोखाधड़ी को कम करने और सिस्टम में मौजूद कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए सभी सुझाव देती है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, एएमएल/सीएफटी टीम (एंटी धन-शोधन निवारण/आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करना) ने एफआईयू-इंडिया को 10 टाइपोलॉजी प्रस्तुत की हैं. एफआईयू-इंडिया द्विमासिक बैठक में, एएमएल-सीएफटी टीम द्वारा अवलोकन किए गए विभिन्न परिदृश्यों और टाइपोलॉजी को, प्रधान अधिकारी ने विस्तार से प्रस्तुत किया और जिसकी एफआईयू-इंडिया ने सराहना की है.

## 22 जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक का जोखिम प्रबंधन के प्रति अग्रसक्रिय दृष्टिकोण है. इसके जोखिम दर्शन में जोखिम उठाने की क्षमता और नियामक ढांचे के भीतर एक स्वस्थ पोर्टफोलियो का विकास और रखरखाव शामिल है. आपका बैंक लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि शेयरधारक मूल्य बढ़ाने और उपलब्ध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन कार्य के साथ कारोबारी कार्यों का भागीदार हो.

बैंक में जोखिम प्रबंधन एक बोर्ड द्वारा संचालित कार्य है जिसमें विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए शीर्ष कार्यपालकों की परिचालन स्तर की समितियों द्वारा समर्थित शीर्ष स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है. बैंक का निदेशक मंडल बैंक के लिए जोखिम उठाने की क्षमता और जोखिम नीतियों को मंजूरी देता है. आरएमसी जोखिम रणनीति और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, जोखिम के स्तर और दिशा, विवेकपूर्ण उच्चतम सीमा, पोर्टफोलियो विविधीकरण की समीक्षा करता है और जोखिम रिपोर्टिंग की निगरानी करता है. जोखिम रणनीति और नीतियां बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित की जाती हैं.

आपका बैंक उपयुक्त नीतियों, संगठन संरचना, जोखिम प्रबंधन तकनीकों, पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम को पूरा करता है. यह सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित जोखिम ऐच्छिक निपटान और स्वतंत्र जोखिम कार्य है कि बैंक अपनी जोखिम क्षमता के भीतर काम करता है.

### ऋण जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक के पास ऋण एक्सपोजर में जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण मूल्यांकन तंत्र एवं जोखिम प्रबंधनका ढांचा है.

आपके बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियाँ, ऋण अनुमोदन समिति, विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं, जोखिम रेटिंग प्रणाली, ऋण जोखिम/संविभाग प्रबंधन हेतु जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण जैसे विभिन्न साधन हैं.

बैंक के पास सभी अग्रिमों के लिए एक मानकीकृत सुपरिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया है. यह ऋण स्वीकृतियों के लिए एक समिति दृष्टिकोण अपनाता है और विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग अनुमोदन समितियाँ हैं.

पहचान किए गए उद्योगों/क्षेत्रों/संवर्ग में इसके आउटलूक एवं विकास को निर्धारित करने हेतु एक समर्पित टीम द्वारा संरचित तरीके से कारोबारी वातावरण का विश्लेषण एवं अनुसंधान किया जाता है. आंतरिक खपत एवं उद्योग अनुसंधान/ विश्लेषण रिपोर्ट की जाँच करने हेतु बैंक द्वारा शीर्ष शोध कंपनियों की सदस्यता ली गई है जिससे बैंक पर पड़े जोखिम के प्रभाव का आकलन किया जा सके. इन शोध कंपनियों द्वारा जोखिम भरे क्षेत्रों की निरंतर निगरानी के साथ- साथ समीक्षा भी की जाती है. कोविड-19 महामारी से बैंक के जोखिम प्रबंधन पर पड़े प्रभाव पर सघन रूप से नज़र रखी जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर आवश्यक उपाय किए जा सकें.

आपके बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही में ऋण संविभाग पर पड़ने वाले दबावग्रस्त आस्तियों का परीक्षण भी किया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित रूप से दबावग्रस्त आस्तियों एवं उद्योग के सर्वोत्तम प्रथाओं और व्यापक आर्थिक अस्थिरता में हुए बदलाव को अद्यतित किया जाता है.

आपके बैंक ने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) प्रणाली स्थापित की है, जो दबावग्रस्त संकेतों को पहले से ही पहचानने में मदद करती है और नियमित आधार पर उधारकर्ताओं की वांछित क्रेडिट गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करने में मदद करती है.

आपका बैंक उधारकर्ताओं के क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए विभिन्न क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन तंत्र एवं आंकड़ों का उपयोग करता है. आपके बैंक में "गतिशील दर निर्धारण तंत्र" भी मौजूद है, जो तनावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान और उचित समाधान को अपनाने की सुविधा प्रदान करता है. बैंक ने ऋण जोख़िम आंकलन प्रणाली को मजबूत करने के लिए बड़े मूल्य के खातों हेतु 'ऋण जोखिम समीक्षा प्रणाली' भी शुरू की है.

आपके बैंक ने एक ऋण स्वचालन समाधान (एलएएस) के माध्यम से ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म अपनाया है. इन प्लेटफार्मों पर आंतरिक रेटिंग मॉडल रखे जाते हैं, जो सिबिल तथा आरबीआई डिफॉल्टरों की सूची के साथ इंटरफेस करते हैं.

आपके बैंक ने RAROC रूपरेखा को अपनाया है जिसमें एमएसएमई के समस्त नए ऋण/ समीक्षाओं / नवीनीकरण और निश्चित कट-ऑफ सीमा से ऊपर कॉर्पोरेट प्रस्तावों के लिए गणना अनिवार्य है. ब्याज दर में रियायत से संबंधित ऋण निर्णय उधारकर्ता के आरएआरओसी से जुड़े होते हैं जो बैंक की लाभप्रदता बनाए रखने और हितधारकों के लिए मूल्य सृजन में मदद करते हैं.

### परिसंपत्ति देयता और बाजार जोखिम प्रबंधन

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति, ट्रेजरी नीति और बाजार जोखिम नीति बैंकिंग और ट्रेडिंग व्यापार में बाजार जोखिम के प्रबंधन और शमन में सहायता करती है. बाजार जोखिम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) के पास होती है, जिसका मूल केंद्र आय तथा आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य दोनों को जोड़ना है. एएलएम डेस्क और मिड-ऑफिस क्रमशः बैंकिंग और ट्रेडिंग व्यापार में बाजार जोखिम को मापते और निगरानी करते हैं.

परिसंपत्ति देयता समिति विभिन्न परिसंपत्तियों और देनदारियों के आकार, मिश्रण, अवधि और संरचना की समीक्षा करने और निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है. यह मुख्य रूप से चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और प्रबंधन करती है. परिसंपत्ति और देयता उत्पादों का मूल्य निर्धारण भी एएलसीओ द्वारा निर्धारित किया जाता है.

आपका बैंक सक्रिय चलनिधि प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ तनाव परिदृश्यों को विकसित करता है तथा उसकी एक आकस्मिक वित्तपोषण योजना भी है. बैंक ने चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचे के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी चलनिधि जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों को अपनाया है. इनमें अंतर चलनिधि प्रबंधन, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर) शामिल हैं. चलनिधि की निगरानी सक्रिय रूप से शेयर दृष्टि कोण और प्रवाह दृष्टिकोण दोनों के माध्यम से की जाती है.

बाजार जोखिम ऋण / इक्विटी साधनों, विदेशी मुद्रा लेनदेन और डेरिवेटिव में बैंक द्वारा ग्रहण की गई ट्रेडिंग स्थितियों से उत्पन्न हुआ है. ब्याज दर जोखिम, इक्विटी जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम होने के कारण बाजार जोखिम के प्रमुख घटक है.

कुछ प्रमुख जोखिम उपायों में स्थिति सीमा, अवधि सीमा, मूल्य संवेदन शीलता माप टूल जैसे पीवी01 और संशोधित अवधि (एमडी), जोखिम पर मूल्य (वीएआर), नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन सीमा (एनओओपीएल), डेलाइट एवं डीलर और सुरक्षा दोनों स्तरों पर स्टॉप लॉस सीमाएं शामिल हैं, दोनों की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है.

जोखिम उपायों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'तनाव परीक्षण नीति' द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, जो बैंक की निवेश पुस्तक पर प्रतिकूल परिदृश्यों के संभावित प्रभाव का आकलन करने में बैंक का मार्गदर्शन करता है, जिसमें विदेशी मुद्रा जोखिम और बैंक के लाभ और हानि पर इसके प्रभाव शामिल हैं. तनाव परीक्षण परिणाम आवधिक आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

विनियामक कारकों को लागू कर मानकीकृत मापविधि (एसएमएम) का उपयोग करके बैंक के बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना की जा रही है.

### परिचालन जोखिम प्रबंधन

परिचालन जोखिम अपर्याप्तया असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान का जोखिम है. परिचालन जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, हमारे बैंक के पास एक व्यापक परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा है, जिसके कार्यान्वयन की देखरेख परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) द्वारा की जाती है और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है.

एक स्वतंत्र परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ ढांचे को लागू करता है. ढांचे के तहत, आपके बैंक के पास रक्षा की तीन पंक्तियां हैं. रक्षा की पहली पंक्ति कारोबार इकाई (समर्थन और संचालन सहित) है जो मुख्य रूप से दैनिक आधार पर परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. रक्षा की दूसरी पंक्ति जोखिम प्रबंधन विभाग है, जो हमारे बैंक के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता का आकलन और निगरानी करने के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं और तकनीकों को विकसित करता है. आंतरिक लेखा परीक्षा रक्षा की तीसरी पंक्ति है. टीम हमारे बैंक के अंदर शासन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण के प्रभावशीलता की समीक्षा करती है.

व्यापक प्रणालियों और प्रक्रियाओं, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखापरीक्षा का उपयोग परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए प्राथमिक साधनों के रूप में किया जाता है. आपके बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है. बैंक द्वारा शुरू किए गए समस्त नए उत्पाद प्रक्रियाएं परिचालन जोखिम के मुद्दों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए एक उत्पाद मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरती हैं. मौजूदा उत्पादों में भिन्नताओं के साथ-साथ आउटसोर्सिंग गतिविधियों में भी जोखिमों की समीक्षा की जाती है. आपके बैंक ने पिछले सोलह वर्षों के दौरान हुई प्रचालनात्मक हानियों से संबंधित आंकडे संकलित किए हैं और सुधारात्मक उपाय करने के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है ताकि इन हानियों की पुनरावृत्ति न हो. आपके बैंक के उत्पादों/प्रक्रियाओं में अवशिष्ट जोखिमों का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू की गई है. विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की पहचान की गई है और जोखिम की सीमाएं निर्धारित की गई हैं.

आपका बैंक वर्तमान में परिचालन जोखिम के तहत पूंजीगणना के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का पालन कर रहा है.

आपका बैंक सभी स्तरों पर मौजूदा प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से इसे अंतःस्थापन के द्वारा जोखिम जागरूकता संस्कृति भी बना रहा है. जोखिम अधिकारियों के लिए बैंक में आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं. विभिन्न कार्यों और फील्ड कार्यकर्ताओं में बैंक में जोखिम संस्कृति को आत्मसात करने के लिए, जोखिम प्रबंधन पर ई-लर्निंग मॉड्यूल को अनिवार्य कर दिया गया है.

डिजिटल अपनाए जाने के भाग के रूप में बैंक ने एक विक्रेता जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित की है. यह विक्रेताओं से संबंधित सभी विवरणों को कैप्चर करता है और यह आउटसोर्स गतिविधि से जुड़े जोखिम पर ध्यान केंद्रित करते हुए जोखिम मूल्यांकन मॉडल को भी तैयार करता है.

आपके बैंक के पास एक मजबूत कारोबार निरंतरता योजना और आपदा वसूली योजना है जिसे समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाता है कि यह किसी भी परिचालन आकस्मिकताओं को पूरा कर सकता है. एक अच्छी तरह से प्रलेखित बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना किसी भी अप्रत्याशित प्रतिकूल घटना या परिस्थितियों के दौरान अपने कारोबार, कर्मचारियों और ग्राहकों पर कारोबारी व्यवधानों और प्रणाली की विफलता और संभावित प्रभाव को कम करने के लिए है. योजना नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है और नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाती है. इसके अलावा, बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी और गैर-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों के लिए एक बीसीपी त्वरित निपटान टीम (क्यूआरटी) का भी गठन किया है. क्यूआरटी व्यवधान की निगरानी करता है और विभिन्न वर्टिकल / क्षेत्र को आवश्यक निर्देश देता है और सामान्य स्थिति बहाल होने तक स्थिति की निगरानी भी करता है.

### समूह जोखिम प्रबंधन

समूह जोखिम प्रबंधन संस्थाओं में से किसी के द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों पर जोर देता है, जिनके पास समूह भर में एक सामान्य स्थिति है, जिसका समूह पर व्यापक प्रभाव हो सकता है.

आपका बैंक अपनी समूह संस्थाओं के माध्यम से बैंकिंग, प्रतिभूतियों और पूंजी बाजार, बीमा, म्यूचुअल फंड और खुदरा परिसंपत्ति व्यवसायों जैसी विविध वित्तीय सेवाओं में भाग लेता है. बैंक ने सामान्य और तनावग्रस्त परिस्थितियों में अपनी समूह इकाइयों, आंतरिक नियंत्रणों, कम करने और पूंजी मूल्यांकन के लिए जोखिमों के आकलन के लिए एक रूपरेखा/नीति बनाई है.

### पर्यावरण, सामाजिक, प्रशासन (ईएसजी) और जलवायु जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक के बोर्ड ने ईएसजी और जलवायु परिवर्तन से होने वाले जोखिम के प्रभाव को दूर करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है. आपका बैंक अपने कारोबार के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करके पर्यावरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) आपके बैंक के जलवायु जोखिम संबंधी मामलों को देखती है. आपके बैंक ने ईएसजी संचालन समिति (ईएसजीएससी) का गठन किया है जिसमें आपके बैंक के ईएसजी ट्रांसिशन के लिए ईडी और कारोबार के प्रमुख और कंट्रोल वर्टिकल भी शामिल हैं. आपके बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी जोखिम रूपरेखा और जलवायु जोखिम नीति तैयार की है.

बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) बैंक के ईएसजी कार्यक्रम, रणनीति, पहल, नीतियों, रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण की देखरेख करेगी. एसआरसी आपके बैंक के द्वारा पहचाने गए ईएसजी जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन भी करता है और ऐसे जोखिमों के लिए न्यूनीकरण योजना की निगरानी और स्थापना के लिए बोर्ड और इसकी समितियों के साथ सहयोग करता है.

आपके बैंक के कार्यक्षेत्र के अनुसार ईएसजी से संबंधित कार्रवाई बिंदुओं और समय-सीमा की पहचान की है. एक उप-समिति का गठन किया गया है, जिसमें आपके बैंक के परिसर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचालन की देखरेख करने वाले वर्टिकल शामिल हैं, जो आपके बैंक के अपने परिचालनों में शून्य हासिल करने के लिए कार्रवाई बिन्दु तैयार करते हैं. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक के क्रेडिट वर्टिकल के तहत एक अन्य उप-समिति का गठन किया गया है, जो आपके बैंक के क्रडिट संविभाग को स्थायी/ हरित वित्त की ओर ले जाने के पीछे एक प्रेरक शक्ति होगी. समिति आपके बैंक के ऋण संविभाग में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के ऋण जोखिम के प्रतिशत को मापकर और कम करके स्थायी वित्त के लिए नये रास्ते और अवसर खोजने का काम कर रही है. आरएमडी के तहत एक अलग ईएसजी जोखिम डेस्क का गठन किया गया है. आपके बैंक ने अपने सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ईएसजी का एकीकरण भी शुरू कर दिया है.

आपका बैंक अपने आईसीएएपी में ईएसजी और जलवायु जोखिम को शामिल करने की प्रक्रिया में है. आपका बैंक, बैंक के ईएसजी ट्रांसिशन से संबंधित परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों की भी सहायता ले रहा है.

आपका बैंक उत्सर्जन में कमी/उत्सर्जन तीव्रता में कमी/ कार्बन तटस्थता के लिए समयबद्ध परिणात्मक लक्ष्य निर्धारित करने की दिशा में काम कर रहा है. आपका बैंक कम कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्र के सामूहिक परिवर्तन में राष्ट्रीय उद्देश्यों और लक्ष्यों से जुड़ा होगा.

**उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)**

ईआरएम ढांचा किसी इकाई को अपने समग्र जोखिम स्तर के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है. यह पूरे बैंक स्तर पर जोखिम को प्रबंधित करने में मदद करता है. इसमें जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा और आपके बैंक में निरंतर जोखिम निपटान की व्यवस्था शामिल है.

आपके बैंक की प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईआरएम नीति है. आपका बैंक व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) भी आयोजित करता है जिसमें आपके बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले भौतिक जोखिमों को सूचीबद्ध किया जाता है और उनकी निपटान और प्रबंधन पद्धतियों की गणना की जाती है. इसके अलावा बासेल-I जोखिमों के अलावा, बासेल-II जोखिमों का भी आकलन किया जाता है. सामान्य और तनावपूर्ण परिस्थितियों में पूंजी की पर्याप्तता और भविष्य की कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है.

## 23 अनुपालन

आपके बैंक ने सुव्यवस्थित अनुपालन नीति के साथ एक मजबूत अनुपालन प्रणाली लागू की है. अनुपालन कार्य का ध्यान नियामक एवं वैधानिक अनुपालन, उचित व्यवहार संहिताओं और अन्य निर्धारित कोड की अनुपालना, सरकारी नीतियों एवं बैंक की आंतरिक नीतियों व मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण पर केन्द्रित है.

आपका बैंक विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों, क्षेत्र स्तरीय नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा किए गए विभिन्न बैंकिंग कार्यों की नियमित अनुपालन परीक्षण जांच करता है.

नियामकों (आरबीआई, सेबी आदि)/भारत सरकार (एमओएफ़) और आईबीए से प्राप्त संप्रेषण की प्रतिक्रियाओं की निगरानी और प्रबंधन के लिए आपके बैंक के पास एक इन-हाउस अनुपालन पैकेज है. अनिवार्य दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर अनुपालन परीक्षण जांच की जाती है. आपके बैंक में प्रत्येक स्तर के लिए अनुपालन कार्य की भूमिका और उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. स्व-प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से विनियामक और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक के पास एक सुस्थापित रिपोर्टिंग प्रणाली है. शाखाओं से संबंधित क्षेका को और क्षेका से क्षेमप्रका को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है. क्षेका और क्षेमप्रका वर्टिकल हर तिमाही में अनुपालन विभाग को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं. क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारियों और क्षेत्रीय अनुपालन निगरानी समिति के माध्यम से अनुपालन की एक क्षेत्र स्तरीय संरचना स्थापित की गई है.

आपके बैंक ने EASE 4.0 डिलिवरेबल्स के अनुरूप व्यक्तिगत स्तर की अनुपालन निगरानी, ? ?प्रमाणन और सत्यापन को सक्षम करने के लिए एक अनुपालन निगरानी उपकरण, एक इन-हाउस निर्मित एप्लिकेशन लागू किया है.

## 24 आंतरिक लेखा परीक्षा

प्रभावी एवं कुशल आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली बोर्ड एवं उच्च प्रबंधन के लिए बैंक के आंतरिक विवरणियों, जोखिम प्रबंधन एवं सरकारी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के लिए स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करता है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपके बैंक द्वारा 656 इकाइयों तथा 7279 शाखाओं का ऑडिट किया गया है.

उपरोक्त लेखा परीक्षा के अलावा, आपके बैंक में संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली है, जो 1863 शाखाओं/इकाइयों को कवर करती है जो कि कुल जमा राशि का 55.12 प्रतिशत और आपके बैंक के कुल अग्रिमों का 76.92 प्रतिशत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुपालन सुनिश्चित करता है. प्रबंधन लेखा परीक्षा, आईएस ऑडिट, स्विफ्ट ऑडिट, बिल ऑफ एंट्री ऑडिट, इत्यादि के साथ-साथ विदेशी शाखा लेखा परीक्षा, विदेशी मुद्रा शाखा लेखा परीक्षा और व्यय लेखा परीक्षा की निगरानी भी करता है.

## 25 साइबर सुरक्षा

आपका बैंक सभी माध्यमों द्वारा अपनी उपस्थिति के साथ डिजिटल कारोबार को बढ़ाते हुए बैंक के हितधारक हितों की रक्षा के लिए साइबर सुरक्षा को सबसे अधिक वरीयता देता है. बैंक ने अपने हितधारकों के बीच डिजिटल विश्वास को बढ़ाने के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा संस्कृति विकसित की है. बैंक ने हैदराबाद में अपने परिसर में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई) की स्थापना की है, जिसे सीखने, उद्योग-अग्रणी नई पीढ़ी की साइबर सुरक्षा तकनीकों को आत्मसात और कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया है, जो न केवल बैंक की साइबर सुरक्षा संपत्तियों की रक्षा करेगा बल्कि अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए व्यापक जागरूकता और शैक्षणिक कार्यक्रम पर भी ध्यान केंद्रित करेगा. सीसीओई ने

उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र (सीडैक), हैदराबाद और साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार (डबल्यूबी-सीएस-सीओई) जैसे बाहरी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे हितधारकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता वेबिनार/प्रशिक्षण आयोजित किए जाने में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाए.

आपके बैंक ने ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम (सीसीएसएपी) भी विकसित किया है. बैंक एसएमएस, ईमेल, एटीएम, शाखाओं में प्रदर्शन यूनिट, सोशल मीडिया और आपके बैंक की वेबसाइट जैसे कई चैनलों पर जागरूकता अभियान चलाकर ग्राहकों तक अपनी पहुँच बनाता है. पूरे भारत में ग्राहकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता वेबिनार बैंक के सभी अंचल कार्यालयों में आयोजित किए जा रहे हैं. अपने लोगों के लिए शैक्षणिक साइबर सुरक्षा सुरक्षा सुझाव को व्यक्ति केन्द्रित बनाने और बढ़ावा देने के लिए साइबर सुरक्षा शुभंकर "U-SuRKsha" और "UrKshak" की शुरुआत एक अनूठी पहल है. जमीनी स्तर पर साइबर सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिए बैंक ने सभी शाखाओं में डिजिटल एंबेसडर नामित किया है.

इसके अतिरिक्त, आपका बैंक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साइबर जागरुकता दिवस (सीजेडी) को आगे बढ़ाने की पहल करता है, जो हर महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है. इस दिन, यूनियन बैंक ग्राहकों को साइबर सुरक्षा विषयों पर ई-मेल भेजता है, सोशल मीडिया पर क्रिएटिव पोस्ट करता है, और आकर्षक वेबिनार आयोजित करने के लिए साइबर सुरक्षा डोमेन से प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित करता है. अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के साथ, वार्षिक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम) अक्तूबर के पूरे महीने में विभिन्न साइबर सुरक्षा विषयों पर एक दैनिक वेबिनार के साथ मनाया जाता है. बैंक अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान https://cybercrime.gov.in पर जाकर या 1930 डायल करके भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी भी प्रसारित कर रहा है.

आपका बैंक विभिन्न साइबर सुरक्षा गतिविधियों के लिए एक वार्षिक कार्य योजना लागू करके अपने स्टाफ सदस्यों के बीच साइबर सुरक्षा संस्कृति को मजबूत कर रहा है और बढ़ावा दे रहा है, जिसमें पूरे भारत में टाउनहॉल बैठकें आयोजित करना, साइबर सुरक्षा सुझावों के साथ दैनिक मेल, इंटरैक्टिव पहेलियाँ और क्रॉसवर्ड शामिल हैं. स्टाफ सदस्यों को उनकी साइबर हाइजीन रिस्क प्रो. फाइल के मूल्यांकन के लिए, माय साइबर हाइजीन, एक ऑनलाइन साइबर सुरक्षा आत्म जोखिम मूल्यांकन उपलब्ध कराया गया है.

नवीनतम साइबर सुरक्षा समाचार और रुझानों पर स्टाफ सदस्यों को अपडेट करने के लिए बैंक नियमित रूप से आंतरिक पुस्तिकाएं और समाचार स्निपेट प्रकाशित करता है. पुस्तिका, "यूनियन शील्ड" को इसकी पहुंच को बढ़ाने और जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किया गया है. सभी कर्मचारियों के लिए एक मासिक फ़िशिंग सिमुलेशन अभ्यास जागरूकता पैदा करता है और स्टाफ सदस्यों के बीच कमजोर मदों की पहचान करता है जिसे अतिरिक्त प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग के साथ सुधारा जा सकता है. यूनियन बैंक ने आईटी और साइबर सुरक्षा में वरिष्ठ प्रबंधन के लिए इन-हाउस प्रमाणन प्रदान करने के लिए साइबर सुरक्षा कार्यकारी विकास कार्यक्रम (सीएसईडीपी) भी तैयार किया है. बैंक ने एक मजबूत साइबर सुरक्षा प्रशासन संरचना भी बनाई है जिसमें कार्यकारी और बोर्ड स्तर पर नीतियां, प्रक्रियाएं, दिशानिर्देश और समितियां शामिल हैं.

**नवोन्नत तकनीक**

आपके बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, एटीएम संचालन और अन्य सामान्य सुरक्षा नियंत्रणों के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों के अनुरूप अपनी नीतियों और कार्य योजनाओं को सुसंगत बनाया है. सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (27001) और कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (22301) के लिए बैंक के डाटा सेंटर (डीसी) और डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट आईएसओ प्रमाणित है. आपके बैंक की उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 31000 प्रमाणित है. आपके बैंक के पास सभी कार्ड भुगतान प्रणालियों और एटीएम स्विच परिचालनों के लिए पीसीआई-डीएसएस प्रमाणीकरण है. सिस्टम और गोपनीय बैंक/ग्राहक डाटा की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि स्तरित रक्षात्मक तंत्र के साथ गहन संरचना और डाटा हानि या लीकेज प्रबंधन स्ट्रेटजी. इसमें एंड-पॉइंट डिवाइसेस पर संसाधित डाटा, ट्रांसमिशन में डाटा के साथ-साथ सिस्टम पर संग्रहीत डाटा की सुरक्षा शामिल है. आपके बैंकों के वेंडर प्रबंधित सुविधाओं में डाटा सुरक्षा और बचाव भी शामिल हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सुरक्षा ढांचा भी लागू किया है और एक समर्पित, कुशल टीम के साथ चौबीस घंटे काम करने वाली एक 24x7 साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी-एसओसी) की स्थापना की है. सी-एसओसी साइबर खतरों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद करता है. यह विभिन्न स्तरों पर हमले के वैक्टरों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुप्रयोगों के साथ मजबूती से एकीकृत है. बैंक ने अपने डाटा सुरक्षा नियंत्रणों को स्वचालित करके और एक मजबूत आईटी अवसंरचना विकसित करके आपके बैंक की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए "डिजाइन द्वारा सुरक्षा" दृष्टिकोण अपनाया है.

अपने साइबर बुनियादी ढांचे हेतु समग्र सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बैंक ने एक व्यापक, बहुस्तरीय सुरक्षा संरचना के साथ "सुरक्षा गहन रूप से" रणनीति अपनायी है. आपके बैंक ने अपनी आईटी संपत्तियों हेतु पर परिधि सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लिकेशन सुरक्षा, अंतिम बिंदु सुरक्षा, पहचान और पहुंच प्रबंधन जैसे प्रत्येक स्तर पर साइबर सुरक्षा समाधान भी लागू किए हैं. बैंक द्वारा अपने सीसीओई के तहत स्थापित एथिकल हैकिंग लैब को दैनिक आधार पर परिधि या इंटरनेट-फेसिंग एप्लिकेशन/बैंक की संपत्ति में अंतराल की पहचान करने का काम सौंपा गया है.

असुरक्षितता मूल्यांकन/व्यापन परीक्षण प्रयोगशाला (वीए/पीटी) भी सीसीओई के अंतर्गत है और यह महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का तिमाही वीए या पीटी और सभी अनुप्रयोगों का वर्ष में दो बार संचालन करती है. बाहरी विक्रेताओं की मदद से, आपका बैंक अपने आईटी बुनियादी ढांचे में कमजोरियों, कारोबारी जोखिम, सुरक्षा का प्रभाव आदि की पहचान करने के लिए रेड-टीमिंग अभ्यास भी आयोजित करता है. ये एक हमलावर के कार्यों का अनुकरण करते हैं और पहले से मौजूद शमन नियंत्रणों का परीक्षण करते हैं.

**साइबर सुरक्षा जागरूकता**

साइबर सुरक्षा कों संगठन के मूल स्तर पर शामिल करने के लिए अभिनव विचारों कों लाने के लिए बैंक कभी विफल नहीं हुआ उनमें से कुछ हैं:

- साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए साइबर सुरक्षा शुभंकर **(U-SuरKsha (महिला शुभंकर) और U-रKshak (पुरुष शुभंकर)** लॉन्च करने वाला पहला बैंक.
- स्टाफ के साइबर जागरूकता स्तर के मूल्यांकन के लिए माई साइबर हाइजीन पोर्टल विकसित किया गया.
- दैनिक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम "सबको बताओ" शुरू किया जो स्टाफ को साइबर सुरक्षा पर ज्ञान प्रदान करता है.
- भारत में अंचलाधीन स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों के बीच साइबर सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर टाउन हॉल बैठकें आयोजित करना.
- आपका बैंक सीडैक, हैदराबाद के सहयोग से पूरे भारत में बैंक ग्राहकों के लिए ऑनलाइन वेबिनार आयोजित कर रहा है.
- साइबर सुरक्षा जागरूकता पर बहुभाषी पॉडकास्ट बनाया गया.

बैंक ने अक्तूबर 2022 के दौरान पूरे भारत में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान "साइबर सुरक्षा जागरूकता मिशन-2022-23" चलाया. बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए दैनिक वेबिनार आयोजित किए गए.

बैंक हर महीने पहले बुधवार को साइबर जागरुकता दिवस भी मना रहा है और निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं:

- सीडैक हैदराबाद के सहयोग से ग्राहकों/स्टाफ के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम.
- साइबर सुरक्षा जागरूकता संबंधी रचनाएँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जा रहे हैं.

## 26 परिचालन

**नए पहल**

वीडियो केवाईसी को सभी डीबीयू, 3 एफजीएमओ (अहमदाबाद, मुंबई, पुणे) और 5 क्षेत्रीय कार्यालय (लुधियाना, लखनऊ, मुंबई दक्षिण, ठाणे और कानपुर) के लिए लाइव कर दिया गया है. वी-केवाईसी के माध्यम से लगभग 4000+ खाते खोले गए हैं. लखनऊ में वीडियो केवाईसी सेल स्थापित किया गया है.

**यूवीकॉन 2.0:**

यूवीकॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां ग्राहक व्हाट्सएप मैसेंजर का उपयोग करके बुनियादी पूछताछ और सेवाओं तक पहुंच सकते हैं. यूवीकॉन अपने खातों से संबंधित पूछताछ के लिए ग्राहक से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप संचार प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है. यूवीकॉन वर्तमान में 7 भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बांग्ला और मराठी) में लाइव है. इसमें 6 पूछताछ और सेवाओं तथा पॉजिटिव पे का विकल्प है (अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, चेक स्टेटस, चेक बुक रिक्वेस्ट, स्टॉप चेक, लॉकर रेंट इंक्वायरी, ग्रीन पिन, एटीएम कार्ड ब्लॉक/अनब्लॉक, पीपीएफ बैलेंस, एसएसए बैलेंस). वर्तमान में, यूवीकॉन पर 10 लाख से अधिक उपयोगकर्ता शामिल हैं और यूवीकॉन पर ग्राहकों द्वारा 45 लाख से अधिक पूछताछ की गई है.

**कार्यान्वित परियोजनाएं:**

ई-नामांकन: मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, शाखा बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग और कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से नामांकन.

पॉज़िटिव पे: चेक की पुन: पुष्टि. वर्तमान में इसे ₹5.00 लाख और उससे अधिक के चेक में अनिवार्य कर दिया गया है. यह सुविधा

शाखा, एसएमएस, मोबाइल, यूवीकॉन, इंटरनेट बैंकिंग और कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध है. ग्राहकों को लिमिट का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है.

- प्रतिदिन 5.00 लाख रुपये से ऊपर की 110 से अधिक पुनः पुष्टि होती है.
- अब शाखाओं द्वारा भी पॉजिटिव पे पर रिपोर्ट तैयार की जा सकती है- पीएसयू में सबसे पहले
- सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग में पुनः पुष्टि के लिए चेक की अधिक मात्र में अपलोडिंग.

**सरलीकृत/तत्काल डीमैट खाता खोलनाः**

फिनेकल में डीएओ मेनू के माध्यम से एक मिनट से भी कम समय में और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 2 मिनट में डीमैट खाता खोलना.

चैटबॉट का पुनरुद्धार - इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग में कार्यान्वयनः

चैटबॉट को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में लागू किया गया है. नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं. अब चैटबॉट हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराया गया है. कुछ ही बैंकों के पास हिंदी संस्करण है. यूवीकॉन में चैटबॉट विकासाधीन है.

**शिकायत निवारण तंत्र**

ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया गया है. शिकायत निवारण तंत्र के प्रत्येक स्तर पर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से पहचानने एवं परिभाषित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है. शिकायत निवारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी स्तरों पर शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र और मानक संचालन तरीकों को परिभाषित किया गया है.

शिकायत निवारण नीतिः नीति ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए रूपरेखा तैयार करती है; इसका उद्देश्य शिकायत की प्रकृति के आधार पर एक अच्छी तरह से संरचित प्रगति मैट्रिक्स और पूर्व-परिभाषित टीएटी के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों की घटनाओं को कम करना है. इसका उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना है.

यूनियन केयर हैंडबुक 2.0 बैंक द्वारा जारी की गई है, जिसमें शिकायतों का वर्गीकरण, शिकायतों के संभावित कारण और उपचारात्मक उपाय, वृद्धि मैट्रिक्स दिए गए हैं. एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, पेंशन, मोबाइल बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग, एनईएफटी/आरटीजीएस, एएसबीए/ डीमैट आदि क्षेत्रों से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए नामित अधिकारियों के अद्यतन संपर्क विवरण शामिल हैं. यह हैंडबुक ग्राहकों की शिकायतों के बेहतर तरीके से शीघ्र समाधान के लिए क्षेत्र के कर्मियों की मदद कर रही है.

शिकायतों के त्वरित समाधान में ग्राहक की सुविधा हेतु आपके बैंक की वैबसाइट में एफ़जीआरओ और आरजीआरओ के संपर्क और अन्य विवरण पूर्व की भांति अद्यतित किए गए हैं. हमने क्षेत्रीय कार्यालय / आंचलिक कार्यालय में तैनात शिकायतों के निवारण के लिए एक विस्तृत कार्य योजना, क्या करें और क्या न करें, आरजीआरओ/एफजीआरओ के लिए दौरे/छुट्टी के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था भी जारी की है. अब हमारी वेबसाइट में मुख्य शिकायत अधिकारी स्तर से लेकर अंचलीय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर तक संरचित शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है.

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया हैः

| विवरण | संख्या |
|---|---|
| 01 अप्रैल, 2022 को बकाया शिकायतें (बीओ शिकायतों सहित) | 1,395 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें (बीओ शिकायतों सहित) | 2,52,086 |
| वर्ष के दौरान हल की गई शिकायतें (बीओ शिकायतों सहित) | 2,52,954 |
| 31 मार्च, 2023 तक बकाया शिकायतें (बीओ शिकायतों सहित) | 527 |

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया महानगरीय, शहरी, अर्ध-ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण विधियों की एक शृंखला के माध्यम से अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि वे भौतिक शाखाओं, ग्रामीण शाखाओं, वित्तीय समावेशन आउटलेट, इंटरनेट बैंकिंग और टेलीफोन बैंकिंग सहित हमारे उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच बना सकें. 31 मार्च, 2023 तक, भारत में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी 8,870 घरेलू शाखाएँ थीं. हमारे पास 31 मार्च, 2023 तक 219 रिटेल लोन पॉइंट और 125 एमएलपी भी हैं, जो रैम क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए समर्पित क्रेडिट प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में काम करते हैं.

हमारे अंतरराष्ट्रीय परिचालनों में हमारी सहायक कंपनी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, और हांगकांग, डीआईएफसी और सिडनी में हमारी तीन शाखाओं के परिचालन शामिल हैं. इसके

अलावा, अबू धाबी में हमारा एक प्रतिनिधि कार्यालय है. हमारे बैंक का मलेशिया, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी में एक संयुक्त उद्यम भी है. हम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) [वित्तीय वर्ष 2023] में एक शाखा खोलने की योजना बना रहे हैं, विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने पर 31 मार्च, 2023 तक, हमारे बैंक के पास 10,835 एटीएम थे, जिनमें से 7,889 हमारी शाखाओं (ऑन-साइट) पर स्थित थे और 2,946 ऑफ-साइट स्थित थे. हमारे अधिकांश एटीएम 24/7 कार्य करते हैं और विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य सुविधाजनक स्थानों पर स्थित हैं, जो हमारे ग्राहकों को नकद निकासी, बैलेंस पूछताछ, खातों के मिनी स्टेटमेंट और फंड ट्रांसफर जैसी सुविधाओं की सुविधा प्रदान करते हैं. हम कैश डिपॉजिट मशीन और पासबुक कियोस्क भी संचालित करते हैं. इसके अलावा बैंक ने 7 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) में 27 सेवाओं जैसे नकद जमा और निकासी, ग्रीन पिन, ऋण के लिए अनुरोध आदि को चालू किया है.

व्यवसाय प्रतिनिधि हमारी ओर से एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और जमा स्वीकार करते हैं या नकद भुगतान करते हैं ग्राहकों द्वारा पारंपरिक बैंक शाखा के अलावा अन्य स्थानों पर अपने खाते में जमा करना या उससे पैसे या निकालने की स्थिति में. हमने अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाया है और अपने विविध शाखा नेटवर्क और विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए कुशल और सुलभ सेवाएं सुनिश्चित की हैं.

हमारे प्रशिक्षण केंद्रों सहित हमारी सभी शाखाओं और कार्यालयों ने कोर बैंकिंग समाधान कार्यान्वित किए हैं. हमारी अंतरराष्ट्रीय शाखाओं ने भी कोर बैंकिंग समाधान लागू किए हैं जो हमारे सभी बहु वितरण चैनलों को एक साझा मंच से जोड़ते हैं. कोर बैंकिंग समाधान शाखाओं की नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करते हैं, ग्राहकों को अपने खाते संचालित करने में सक्षम बनाते हैं और कोर बैंकिंग समाधान नेटवर्क पर हमारी किसी भी शाखा से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाते हैं, भले ही वह ग्राहक अपना खाता कहीं भी रखता हो. हमारे कोर बैंकिंग समाधान परिनियोजन में विभिन्न जोखिम क्षेत्रों में स्थित तीन साइट, प्राथमिक साइट, निकट साइट और आपदा रिकवरी साइट शामिल हैं.

## 27 विश्लेषणात्मक क्षमताएं

बैंक ने अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और अपनी डेटा संस्कृति और दक्षताओं को बढ़ाने की अपनी यात्रा शुरू कर दी है. बैंक द्वारा स्थापित एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीओई) पहले से प्रयोक्ता मामलों और डैशबोर्ड को विकसित करने के लिए व्यावसायिक वर्टिकल में सहयोग और संप्रेषण करता है. बैंक के भीतर एनालिटिक्स के प्रभावी उपयोग के लिए बैंक ने एसीओई के लिए एक समर्पित नीति तैयार की है.

**बैंक में एनालिटिक्स का उपयोग करने वाले कुछ क्षेत्रों का उल्लेख नीचे किया गया है:**

**डिजिटल उधार:** ग्राहक के व्यवहार और खाते की जानकारी को समझने के लिए एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मौजूदा ग्राहकों को सम्पूर्ण डिजिटल यात्रा के माध्यम से पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण की पेशकश की जा रही है.

**धोखाधड़ी का पता लगाना:** संभावित धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है. बैंक लेन-देन की निगरानी करने और धोखाधड़ी का संकेत देने वाले असामान्य पैटर्न की पहचान करने के लिए रीयल टाइम एनालिटिक्स का उपयोग कर रहा है.

**परिचालन:** बैंक ने कासा ग्राहकों में परिवर्तन की पहचान करने के लिए एमएल आधारित मॉडल को लागू किया है और उनके प्रतिधारण के लिए उचित कार्रवाई भी निर्धारित की है.

**मार्केटिंग और बिक्री:** एनालिटिक्स से उत्पन्न लीड्स ने बैंक को संभावित ग्राहकों की पहचान करने, व्यक्तिगत उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने में मदद की है.

**जोखिम प्रबंधन:** पूरे बैंक में जोखिम की पहचान, माप और प्रबंधन के लिए एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है. बैंक ऋणों पर डिफ़ॉल्ट की संभावना का आकलन करने, संभावित एनपीए की पहचान करने के लिए भविष्य सूचक विश्लेषण का उपयोग करता है.

**स्मार्ट रिपोर्टिंग:** बैंक ने बाजार में समकक्ष बैंकों के साथ कासा, खुदरा ऋण और एमएसएमई ऋण पोर्टफोलियो के तहत व्यापार को ट्रैक करने के लिए कई दृश्य डैशबोर्ड विकसित किए हैं.

## 28 ऋण अनुपालन और निगरानी

प्रक्रियाओं को फिर से ट्यून करने, डेटा सटीकता और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए हमने सरसई पंजीकरण प्रक्रिया का 'एंड टू एंड' स्वचालन किया है और हमने इसे एलएएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत किया है. इस नई प्रक्रिया में ऋण संपत्तियों के सरसई को एलएएस की मदद से पंजीकृत किया जाएगा, जो मौजूदा मुद्दों और फील्ड पदाधिकारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को खत्म कर देगा.

**बैंक गारंटी ई-पुष्टि सॉफ्टवेयर:**

व्यवसाय के अभिन्न अंग के रूप में, बैंक विभिन्न उद्देश्यों के लिए ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करता है. वर्तमान में बैंक गारंटी का लाभार्थी संगठन बैंक गारंटी जारी करने के विवरण की पुष्टि बैंक के केंद्रीकृत सेल यानी ऋण अनुपालन और निगरानी, केंद्रीय कार्यालय में ई-पुष्टिकरण सेल (ईसीसी) से करता है.

ई-पुष्टिकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया इन-हाउस सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिससे हम बैंक गारंटी विवरणों की जांच कर सकते हैं और लाभार्थी की ईमेल आईडी पर एक क्लिक के साथ बैंक के निर्धारित प्रारूप में ई-पुष्टिकरण भेज सकते हैं. इस सॉफ्टवेयर के परिणामस्वरूप समय की बचत होगी और ई-पुष्टिकरण को त्रुटि रहित प्रस्तुत किया जाएगा.

**संग्रहण के लिए क्यूआर कोड:**

ऋण विवरण और अतिदेय विवरण के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उधारकर्ता को नियमित अंतराल पर एसएमएस और व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से डायनेमिक क्यूआर कोड भेजा जाएगा.

उधारकर्ता क्यूआर कोड को स्कैन करेगा जो उसे जानकारी के लिए ऋण खाता विवरण और ईएमआई/अतिदेय या अपनी पसंद की राशि के भुगतान के लिए विकल्प प्रदान करेगा, इसके बाद ई-रसीद जनरेट होगी

**मॉम एंड पॉप स्टोर्स के साथ गठजोड़:**

उधारकर्ता के आस-पास के क्षेत्र में व्यवसाय प्रतिनिधि सेवाएं प्रदान करने वाले किराना स्टोर/सामान्य स्टोर (स्थान/पते के साथ) की सूची उधारकर्ता को ऋण ईएमआई के नकद या हाथ से संचालित किए जाने वाले उपकरणों के माध्यम से भुगतान के लिए एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए.

## 29 सतर्कता

आपके बैंक में सतर्कता विभाग का प्रमुख "मुख्य सतर्कता अधिकारी" (सीवीओ) होता है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करता है. सीवीओ को केंद्रीय कार्यालय में तैनात कार्यात्मक सतर्कता अधिकारियों, फील्ड सतर्कता अधिकारियों की एक टीम क्रमशः 1 उप महाप्रबंधक एवं 6 सहायक महाप्रबंधक की अध्यक्षता में क्षेत्रीय सतर्कता प्रकोष्ठों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है. बैंक में सतर्कता प्रशासनिक संगठन के सतत विकास और लाभप्रदता के लिए आवश्यक कारोबारी निर्णयों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्मचारी के आचरण को बनाए रखने के लिए एक नैतिक पहलू के रूप में कार्य करता है.

सतर्कता के विभिन्न पहलुओं को निवारक, सहभागी एवं दंडात्मक रूप में वर्गीकृत किया गया है. एक संगठन में सतर्कता की दक्षता को दंडात्मक कार्रवाइयों के बजाय, हानिकारक प्रथाओं की रोकथाम और परेशानी मुक्त वितरण सेवाओं को सुनिश्चित करने के तंत्र और प्रक्रियाओं में सुधार लाने की प्रक्रिया पर आँका जाता है.

आपके बैंक ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है जिसके अनुसार आपके बैंक के कर्मचारी धोखाधड़ी, कदाचार या अन्य गतिविधि या घटना से संबंधित चिंताएं जो आपके बैंक या समाज के हित के खिलाफ हैं के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं. इस नीति के अनुसार, मानव संसाधन विभाग के कार्यकारी निदेशक सभी व्हिसल ब्लोअर शिकायतों के लिए नामित नोडल अधिकारी हैं. पीआईडीपीआई/व्हिसल ब्लोअर तंत्र के महत्व के बारे में कर्मचारियों और नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए, आपके बैंक के कर्मचारियों द्वारा लोगों को शिक्षित करने और धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि जैसे सोशल मीडिया हैंडल पर प्रसार के लिए पीआईडीपीआई और भ्रष्टाचार पर लघु वीडियो फिल्म तैयार की गई है.

कुल 02 फिल्में तैयार की गई हैं जिन्हे वीएडब्ल्यू-2022 के दौरान लॉन्च किया गया. एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर बनी एनिमेशन फिल्म में प्रौद्योगिकी और उन्नति के उपयोग को प्रभावी उपकरण के रूप में दिखाया गया था.

सभी स्तरों पर निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अधिकार का दुरुपयोग, निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन न करने जैसे आंतरिक / बाहरी खतरों से आपके बैंक की सुरक्षा करने के लिए 'सहभागी सतर्कता' नामक योजना बनाई गई है. योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान और शाखाओं में निवारक सतर्कता यात्राओं के दौरान जागरूकता पैदा की जाती है.

सतर्कता निवारक यात्राओं में सतर्कता अधिकारियों द्वारा शाखाओं का अचानक दौरा किया जाता है, जिसका उद्देश्य समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करना है. वित्त वर्ष 2022-23 में 9071 दौरे किए गए.

पीवीवी के अलावा, आपके बैंक द्वारा एक ऑफसाइट निगरानी प्रणाली अपनाई जाती है जो असामान्य लेनदेन अनियमितताओं आदि का पता लगाने में मदद करती है एवं सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करती है. वर्ष के दौरान, ऑफ-साइट निगरानी के तहत 232284 अलर्ट जारी किए गए थे, जिनकी समय पर उचित कार्रवाई और बंद करने के लिए सीवीओ द्वारा त्रैमासिक ज़ेडवीसी बैठकों के दौरान समीक्षा की गयी.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक में प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा सुझाए गए संबंधित विभागों में विभिन्न प्रणालीगत सुधार किए गए हैं. विभिन्न वैधानिक और नियामक निकायों (सीवीसी, आरबीआई, एमओएफ, सीबीआई आदि) द्वारा मांग किए जाने पर नियमित रूप से प्रेषित किए जाते हैं, ताकि वे हमारे सतर्कता मामलों और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों पर सामान्य जांच और पर्यवेक्षण कर सकें. सीवीसी के निर्देशों के अनुपालन में, हमारा बैंक संगठन के अंदर और बाहर ग्रामीण आबादी सहित देश के कर्मचारियों, बच्चों, युवाओं, अन्य नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई गतिविधियों को निष्पादित करके हर साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है. हमारे बैंक में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 के पूर्व-उद्घाटन समारोह में पूर्ववर्ती गतिविधियां आयोजित की गयी.

इस वर्ष की थीम - "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह, दिनांक 31 अक्तूबर से 06 नवंबर, 2022 तक आयोजित किया गया और इस दौरान हमारे बैंक के कर्मचारियों के साथ-साथ 9.34 लाख नागरिकों ने ऑनलाइन के माध्यम से सत्यनिष्ठा शपथ लिया और सतर्कता अधिकारियों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थानों का दौरा करने के साथ-साथ 17938 आउटरीच गतिविधियों का आयोजन भी किया गया. सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 के दौरान शीर्ष कार्यपालकगण के साथ बोर्डरूम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त-श्री सुरेश एन पटेल, ने सम्मिलित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई और सभी का मार्गदर्शन किया.

हमारे कर्मचारियों के ज्ञान संवर्धन के लिए, हमने सतर्कता नियमावली, खरीद, अनुशासनात्मक कार्रवाई और बैंक दिशानिर्देशों पर चार लघु शृंखलाओं का अनावरण किया. आम नागरिकों/छात्रों में भ्रष्टाचार, नैतिकता आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सीवीसी ने हमारे बैंक के सहयोग से हिंदी और अंग्रेजी में एक कार्टून बुकलेट भी प्रकाशित की है.

अखिल भारतीय स्तर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह से संबंधित विभिन्न व्याख्यानों का आयोजन किया गया. सीवीओ श्री उमेश कुमार सिंह के एक विशेष रेडियो साक्षात्कार को "पते की बात" शीर्षक के साथ पीआईडीपीआई और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए रेड एफएम पर भी प्रसारित किया गया है.

अखिल भारतीय स्तर पर सभी (कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता) के लिए पीआईडीपीआई पर ऑनलाइन क्विज़ आयोजित की गई थी जिसमे ऑटोमेटेड सर्टिफिकेट जेनरेशन और बच्चों / छात्रों के लिए नैतिक मूल्यों पर लघु कथाओं वाली पुस्तक डाउनलोड करने की सुविधा भी थी.

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' से प्रेरणा लेते हुए, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थानों की पहचान की गई और सतर्कता विभाग, केंद्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता में उनके योगदान को याद करते हुए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त विकसित राष्ट्र बनाने के उनके प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए ऐसे स्थानों का दौरा किया गया.. हमारे देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले इन वीरों के सम्मान में एक फिल्म भी रिलीज की गई.

इस वर्ष हमारे बैंक ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह के दौरान माननीय श्री सुरेश एन पटेल, तत्कालीन सीवीसी की उपस्थिति में इस वर्ष की थीम - "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" पर एक समर्पित गीत जारी किया है. गाने की परिकल्पना, रचना और गायन बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा किया गया था. नीचे से ऊपर तक कुल 1,000 कर्मचारियों ने गीत में भाग लिया, भारत को एक भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए अपने विचारों का संकल्प लिया. गीत को व्यापक प्रचार और प्रशंसा मिली.

31.03.2023 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 75594 की तुलना में, लंबित सतर्कता मामलों की संख्या 293 अर्थात 0.38% है. वर्ष के दौरान, विभाग को 1105 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से पिछले वर्ष से संबंधित 27 शिकायतों सहित 1098 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है. वर्ष के दौरान, 83 मामलों में जांच के आदेश दिए गए और 92 मामलों में रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें पिछले वर्ष से संबंधित 14 जांच रिपोर्ट शामिल हैं. 05 मामलों में जांच रिपोर्ट का इंतजार है जो 03 महीने से कम पुराने हैं. जांच पूरी करने और सतर्कता विभाग को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए टीएटी 90 दिनों के बेंचमार्क के मुकाबले 57 दिनों का था.

एक नई पहल सतर्कता बोध सूचकांक (वीपीआई) शुरू किया गया है जो क्षेत्र महाप्रबंधकों/ क्षेत्र प्रमुखों को क्षेत्रीय सतर्कता समिति की बैठकों में 10 चयनित मापदंडों की समीक्षा के आधार पर बैंक के उपलब्ध निवारक सतर्कता उपकरणों के कार्यान्वयन के स्तर और प्रभावशीलता का आकलन तिमाही आधार पर करने में सक्षम करेगा. बैंक की अनुपालन संस्कृति में काफी सुधार हुआ है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि लॉन्च के समय बैंक का कुल वीपीआई स्कोर 67.31% था और अब यह बढ़कर 97.91% हो गया है.

यूनियन रिफॉर्मेशन - आपके बैंक में व्यावसायिक नैतिकता को विकसित करने और दंडित कर्मचारियों को मुख्यधारा की बैंकिंग में फिर से जोड़ने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है. यह परियोजना सकारात्मक सजा की अवधारणा पर काम करती है जिसमें निवारकों की नियुक्ति शामिल है ताकि अवांछित घटना से बचा जा सके. इसके अलावा दंडित कर्मचारियों के मामले में, परामर्श और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा है, जो उन्हें कार्यस्थल पर खुद को फिर से स्थापित करने में मदद करेगा और साथ ही भविष्य में ऐसी किसी भी चूक की पुनरावृत्ति को कम करेगा.

## 30 अवसर

30.1 **अखिल भारतीय उपस्थिति:** समामेलन के बाद, आपका बैंक कुल कारोबार के मामले में चौथे और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच नेटवर्क के मामले में चौथे सबसे बड़े बैंक के रूप में उभरा है. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र में आपके बैंक के पास 8870 शाखाओं और 10800 से अधिक एटीएम का नेटवर्क, 17600 बैंकिंग मित्र पॉइंट है, जिसमें 75594 से अधिक कर्मचारी हैं और 155 मिलियन से अधिक ग्राहक है.

30.2 **मजबूत संगठन संरचना:** केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीसी) में प्रसंस्करण के स्थानांतरण के कारण केंद्रीकृत प्रसंस्करण कक्षों के निर्माण ने ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित किया है और शाखाओं द्वारा लीड में वृद्धि हुई है. इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय संग्रह केंद्रों (आरसीओसी)/फुट ऑन स्ट्रीट (एफओएस) द्वारा समर्थित आरओ और समर्पित वसूली शाखाओं में समर्पित निगरानी टीमों ने तनाव कम करने और वसूली में सुधार करने में बैंक की सहायता की है. सोर्सिंग के मोर्चे पर, बैंक ने एनालिटिक्स-आधारित लीड बनाना शुरू कर दिया है और हमारी सहायक कंपनी, यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड (यूबीआईएसएल) की सेवाओं का दायरा बढ़ा दिया है और फिनटेक के साथ गठजोड़ किया है.

30.3 **डिजिटलीकरण:** जेनजी से उद्योगों के कारोबार में वृद्धि की उम्मीद है. उनमें 1.8 बिलियन लोग शामिल हैं जो 2030 तक वैश्विक आबादी का 24% हिस्सा बनाते हैं. इसने इस पीढ़ी के बीच सहज बैंकिंग की पेशकश करने के लिए डिजिटलीकरण की ओर बैंक का ध्यान केंद्रित किया है जो स्मार्टफोन और डिजिटल माध्यमों पर अपने वित्तीय इंटरैक्शन और लेनदेन के लिए प्रमुखता से निर्भर करता है. डिजिटलीकरण के मोर्चे पर, रिटेल, कृषि और एमएसएमई (रैम) सेगमेंट के लिए विभिन्न स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) यात्राएं शुरू की गई हैं. बैंक ने अपनी विश्लेषणात्मक और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं, डिजिटल परिवर्तन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगली पीढ़ी के डेटा रिपॉजिटरी समाधान (डेटा लेक) स्थापित करने की परिकल्पना की है. डेटा लेक वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और उन्नत एनालिटिक्स, डीप लर्निंग एल्गोरिदम और रियल टाइम डिसीजन एनालिटिक्स का समर्थन करने के लिए विविध स्रोतों से बहु-संरचित डेटा संग्रहीत कर सकता है.

30.4 **सरकारी पहल:** बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर सरकार का ध्यान, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बिजली और पानी की आपूर्ति वाले घरों की संख्या में वृद्धि होगी, दूरसंचार और गैस कनेक्शन की अधिक मांग बढ़ेगी, और परिणामस्वरूप में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) उपयोगकर्ता के ग्राहक आधार में वृद्धि होगी.

30.5 **वित्तीय सेवाओं की कम पैठ:** जैसे-जैसे देश की प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ती है, वित्तीय सेवाओं की पैठ में और वृद्धि हो सकती है. भारत में विशेष रूप से धन प्रबंधन, भुगतान, बीमा और पेंशन उत्पादों में वित्तीय उत्पादों की पैठ बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं. समृद्ध शाखा नेटवर्क उपस्थिति और डिजिटल पेशकश वाले बैंक ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को समग्र रूप से पूरा करने में मदद कर सकते हैं.

30.6 **उच्च बाजार हिस्सेदारी:** अखिल भारत में उपस्थिति के साथ देश में 5 वां सबसे बड़ा पीएसबी होने के नाते, अधिकांश भारतीय राज्यों में बैंक की बहुत मजबूत बाजार हिस्सेदारी है. वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दिसंबर, 22 को समाप्त तिमाही के दौरान, आपके बैंक ने कुल कारोबार (52 बीपीएस), जमा (41 बीपीएस) और क्रेडिट (64 बीपीएस) में पीएसबी में अपनी हिस्सेदारी में सुधार किया है. आगे चलकर हिस्सेदारी में लगातार सुधार काफी चुनौतीपूर्ण है. इसलिए, बैंक ने प्रोजेक्ट पावर शुरू करने का फैसला किया है, जो मजबूत विपणन के माध्यम से उन्नत प्रचार और विज्ञापन, आउटरीच और ग्राहक कनेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है, कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए मानव संसाधन पहल और उत्पादों और प्रक्रियाओं के पुनर्निर्माण के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक आकांक्षी जिले का चयन करके निरंतर आधार पर अपने हिस्सेदारी में सुधार करने की दृष्टि से, बैंक चयनित जिले में उपलब्ध अवसर को कारोबार में बदलने पर ध्यान केंद्रित करेगा.

30.7 **विकास की स्थिरता और गुंजाइश या आगे सुधार:** वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के लिए बढ़ी हुई पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईज़) सूचकांक के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान में पहले स्थान पर है. हमारे बैंक का सकाल एनपीए 369 आधार अंकों (बीपीएस) की तेजी से घटकर 7.93% हो गया. निवल एनपीए 195 बीपीएस वर्ष दर वर्ष से घटकर 2.14% हो गया. प्रावधान कवरेज अनुपात पीसीआर 88.50% रहा. बैंक ने "आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमताओं" और "कर्मचारी विकास और शासन", "डिजिटल रूप से सक्षम ग्राहक पेशकश", "बिग डेटा और एनालिटिक्स" जैसे विभिन्न विषयों के तहत बेंचमार्क सेट किया है. हालाँकि, बैंक को विकास की स्थिरता पर ध्यान देने की

आवश्यकता है और परिचालन के सभी क्षेत्रों में निरंतर विकास की गुंजाइश खोजने के लिए विकसित होने की आवश्यकता है.

30.8 **कुशल और विविधता पूर्ण कार्यबल:** आपके बैंक के पास सबसे युवा कार्यबल है, जिसकी औसत आयु 40 वर्ष से कम है. अपेक्षाकृत युवा कार्यबल बैंक को डिजिटल प्रेमी बैंक की ओर परिवर्तन में मदद करेगा. युवाओं के कौशल को बढ़ाने और चयनित नौकरी में विशेषज्ञता बनाने के लिए नीतिगत बदलाव प्रचलन में हैं. इसके अलावा, महिला कार्यबल में पात्र उम्मीदवारों द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला केंद्रित लाभ मौजूद हैं.

## 31 जोखिम

31.1 **कड़ी प्रतिस्पर्धा:** वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के लिए ब्याज दरें अधिक रह सकती हैं और देनदारियों के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन होगी. सभी प्रमुख बैंक बैंकिंग उद्योग द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील जमा राशि का अधिक हिस्सा प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. सरकार ने परिवारों से बचत के उच्च प्रवाह को आकर्षित करने के लिए छोटी बचत पर ब्याज भी बढ़ाया है. भले ही वैश्विक बैंकिंग पतन का प्रभाव भारत में सीमित हो सकता है, विश्व स्तर पर संकट का प्रसार भारत और अन्य उभरते बाजारों में पूंजी प्रवाह को बाधित कर सकता है. यह संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ पूंजी प्रवाह पर निर्भर अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

31.2 **अनिश्चित कारोबारी माहौल:** वैश्विक स्तर पर चिंता यह है कि कई क्षेत्रों में अपेक्षाकृत तंग आर्थिक माहौल के कारण मुख्य मुद्रास्फीति स्थिर रह सकती है और कीमतों में वृद्धि हो सकती है, यह केंद्रीय बैंकों पर अभूतपूर्व दबाव डाल रहा है. भारत में बैंकों ने वित्त वर्ष 2022-23 में महामारी के अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करने के बाद काफी अच्छा कार्य निष्पादन किया है. खराब ऋणों की वसूली, बेहतर मुनाफा कमाना, उच्च प्रावधान रखने के मामले में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के बैंकों में सकारात्मक लक्षण देखे गए हैं. आगे बढ़ते हुए, घरेलू बचत/उपभोग पर उच्च मुद्रास्फीति का प्रभाव और दोषपूर्ण उधारकर्ताओं पर ब्याज दरों और सेवा लागत में वृद्धि का प्रभाव जोखिम बना रहेगा.

31.3 **एनपीए स्तरों में वृद्धि:** खुदरा और एमएसएमई क्षेत्र को महामारी के दौरान दी गई ऋण स्थगन 2023-24 के दौरान समाप्त हो जाएगी, और इससे एनपीए के स्तर में वृद्धि की संभावना है क्योंकि कई छोटी और मध्यम व्यावसायिक इकाइयां महामारी के बाद में गति हासिल करने में विफल रही हैं. हाल के दिनों में, रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि के कारण बैंकों द्वारा ऋण उत्पादों का मूल्य निर्धारण उच्च स्तर पर था. साथ ही, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव एक खतरे के रूप में बना हुआ है. इसलिए, उपभोक्ता अपने ऋण खातों के भुगतान में देरी कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों की बही में दबाव बढ़ सकता है.

## 32 संभावना

32.1 वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ाने के लिए परस्पर जुड़े हुए महामारी और भू-राजनीतिक संघर्ष की प्रतिकूल हवा के बावजूद वर्ष 2022-23 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पुनरुत्थान का वर्ष था. जीडीपी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है. मध्यम चालू खाता घाटा, मुद्रास्फीति के दबाव में कमी, और बैंकिंग प्रणाली में लचीलेपन में सुधार के रूप में व्यापक आर्थिक स्थिरता में सुधार से संभावना को और मजबूत करने की उम्मीद है. ये फंडामेंटल वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विश्व बैंक के 6.3% और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अनुमान के 6.4% के अनुमानों का समर्थन करते हैं. ग्रामीण मांग में सुधार, बुनियादी ढांचे पर खर्च पर सरकार का जोर, कॉर्पोरेट निवेश में बहाली, स्वस्थ बैंक ऋण और कमोडिटी की कीमतों में कमी से वृद्धि संख्या को और समर्थन मिलेगा. विकास के लिए नकारात्मक जोखिमों में लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव, कड़ी वैश्विक वित्तीय स्थिति, वैश्विक वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव और बाहरी मांग में कमी शामिल हैं.

32.2 लचीली आर्थिक गतिविधियों के कारण बैंक ऋण में तेजी रही. हालांकि उच्चतम वृद्धि संख्या में कुछ सुधार की उम्मीद है, वित्त वर्ष 2023-24 में ऋण वृद्धि डबल डिजिट में रहने की उम्मीद है, इसके बाद डिपॉजिट इनफ्लो बना रहेगा. मुद्रास्फीति के लक्ष्य स्तर से नीचे आने के साथ, आरबीआई ने सतर्क रहते हुए दरों में वृद्धि पर रोक लगा दी है, जिससे घरेलू वित्तीय बाजारों पर वैश्विक मंदी के प्रभाव को कम करते हुए भारत की संभावनाओं को मजबूत किया गया है.

**कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से**

स्थानः मुंबई
दिनांक : 23.06.2023

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

# कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

## 1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया श्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है. शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है.

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और शेयरधारकों की संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कॉर्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार के प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है.

1.3 बैंक का दृढ़ विश्वास है कि निदेशक मंडल एवं अन्य शेयरधारकों द्वारा स्व-अनुशासन एवं निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाने से एक स्वच्छ, पारदर्शी एवं विश्वसनीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभिशासन के लिए आधार उपलब्ध होगा जिससे शेयरधारकों का निरंतर सहयोग एवं विश्वास प्राप्त होगा.

1.4 कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बदलते परिदृश्य में बैंक के सामने अतिरिक्त चुनौतियाँ पैदा हुई हैं और आपके बैंक ने मार्च, 2020 से स्थिति का सामना करने में चरित्र, परिपक्वता और लचीलापन दिखाया है एवं भविष्य में भी इसको जारी रखेगा.

1.5 उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है. यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है. इसमें मूलतः सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथाः

- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- अनुपालन (विनियामक एवं पॉलिसी)
- शेयरधारकों के साथ संबंध
- बैंक एवं उसके निदेशकों द्वारा प्रकटन
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और
- अन्य विविध मामले जैसे निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक के लिए आचार संहिता, आंतरिक व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) निषेध, संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति, विसिल ब्लोवर नीति, स्टाफ संबंधी मामले, सतर्कता आदि.

1.6 बैंक सूचीबद्ध निकाय होने के कारण सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रावधानों (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 का अनुपालन करता है.

## 2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है.

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में बैंक के समग्र कार्य अनुश्रवण सहित नये उत्पाद विकसित करने के लिए नीतियों को मंजूर करना, लक्ष्यों के सापेक्ष कारोबार समीक्षा, ऋण, परिचालन, बाजार, चलनिधि जोखिम, जोखिम कार्यों की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत संवीक्षा, एनपीए प्रबंधन एवं रिपोर्ट किए गए एनपीए तथा प्रावधानीकरण सत्यनिष्ठा, विनियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन का समग्र पर्यवेक्षण संबंधी नीतियों का अनुमोदन सम्मिलित हैं.

2.3 निदेशक मंडल ने विभिन्न उप-समितियां बनाई हैं और निदेशक मंडल की समितियों के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है. निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आवधिक अंतराल पर होती हैं.

2.4 31 मार्च, 2023 को निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पाँच पूर्णकालिक निदेशक यथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) तथा चार कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त सात गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गये श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं बृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

2.5 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कर्मचारी निदेशक और अधिकारी निदेशक के पद रिक्त थे. केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सीए निदेशक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के पद यथा 31 मार्च, 2023 को रिक्त थे.

2.6 निदेशक मंडल की संरचना यथा 31 मार्च, 2023 निम्नानुसार है:

| क्र सं | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/ एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता का क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री श्रीनिवासन वरदराजन, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र) | 07-11-2022 | आरएमसी<br>एससीएमएफ़<br>एनआरसी<br>बीसीपीई | शून्य | 2 | 2 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 07.11.2022 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त |
| 2 | सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (कार्यपालक) | 03-06-2022 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आरएमसी<br>आईटीएससी<br>एससीएमएफ़<br>डीपीपीसी<br>एसटीसीबी<br>एचआरएससी<br>सीएसी-I<br>आरईएमसी<br>सीडीआरसीएफ़<br>आरसीएनसीबी एवं डब्ल्यूडी | शून्य | 3 | 2 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 03.06.2022 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं विपणन |
| 3 | श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 10-03-2021 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ़ | 6725 | 2 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 10.03.2021 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : अर्थशास्त्र, वित्त एवं प्रबंधन |
| 4 | श्री रजनीश कर्नाटक, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) (28.04.2023 तक) | 21-10-2021 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ़ | शून्य | 1 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 21.10.2021 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त |

| क्र सं | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/ एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता का क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 01-02-2022 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ़ | शून्य | 2 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 01.02.2022 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं विपणन |
| 6 | श्री रामसुब्रमणियन एस., कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 21-11-2022 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ़ | शून्य | 1 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 21.11.2022 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त. |
| 7 | श्री समीर शुक्ला, सरकार नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) | 08-11-2021 | एसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>एससीएमएफ़<br>डीपीपीसी<br>आरईएमसी<br>एचआरएससी<br>बीसीपीई | शून्य | 2 | शून्य | केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अधीन निदेशक के रुप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : प्रबंधन एवं वित्त |
| 8 | श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) | 26-04-2019 | एमसीबी<br>एसीबी<br>डीपीपीसी | शून्य | 1 | शून्य | केंद्र सरकार द्वारा भारिबैं की संस्तुति पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अधीन निदेशक के रुप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग, वित्त एवं सूचना प्रौद्योगिकी |
| 9 | श्री सूरज श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक- स्वतंत्र) | 21-12-2021 | एसीबी<br>एसआरसी<br>आरएमसी<br>एससीएमएफ़<br>एसटीसीबी<br>एनआरसी<br>आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी | शून्य | 2 | 1 | केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि यथा 21.12.2021 या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रुप में नामित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : लेखा, कराधान एवं वित्त |

| क्र सं | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/ एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता का क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | श्री लक्ष्मण एस. उप्पर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र) | 21-03-2022 | एमसीबी<br>एसआरसी<br>आरएमसी<br>एससीएमएफ़<br>एसटीसीबी<br>एनआरसी<br>आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी | शून्य | 1 | शून्य | केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि यथा 21.03.2022 या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रुप में नामित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : ज्ञानार्जन एवं विकास, प्रबंधन एवं सीएसआर |
| 11 | डॉ. जयदेव मदुगुला, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) | 28-06-2018 | एसीबी<br>आरएमसी<br>आईटीएससी<br>बीसीपीई<br>एचआरएससी | 200 | 1 | शून्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन दिनांक 28.06.2018 से 27.06.2021 तक निर्वाचित और दिनांक 28.06.2021 से आगामी तीन वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रुप में पुन: निर्वाचित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग, वित्त एवं जोखिम प्रबंधन |
| 12 | सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) | 29-07-2021 | एसीबी<br>एसआरसी<br>आईटीएससी<br>एससीएमएफ़<br>एचआरएससी | 1000 | 3 | 1 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन दिनांक 29.07.2021 से 28.07.2024 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रुप में निर्वाचित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी, एचआर एवं सीएसआर |

$ समिति के नाम का संक्षिप्ताक्षर

| | | |
|---|---|---|
| एसीबी | - | बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति |
| बीसीपीई | - | बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति |
| सीएसी – I | - | साख अनुमोदन समिति- I |
| सीडीआरसीएफ | - | पूंजी निधि की उगाही हेतु निदेशकों की समिति |
| आरएमसी | - | जोखिम प्रबंधन समिति |
| एससीएमएफ | - | ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु विशेष समिति |
| एसआरसी | - | हितधारकों की संबंध समिति |
| डीपीपीसी | - | अनुशासनिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति |
| एसटीसीबी | - | बोर्ड की शेयर अंतरण समिति |
| एचआरएससी | - | बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति |
| आईटीएससी | - | बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति |
| एमसीबी | - | बोर्ड की प्रबंधन समिति |
| एनआरसी | - | नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति |
| आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी | - | बैंक के गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं एवं जानबूझकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति |
| आरईएमसी | - | बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति |

## 2.7 वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान नियुक्तियां / कार्यकाल समापन

**नियुक्तियां:** वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार:-

| क्र. | नाम | आयु | नियुक्ति की तारीख | वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख | विशेषज्ञता का स्वरुप | संक्षिप्त परिचय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री श्रीनिवासन वरदराजन | 58 | 07.11.2022 | दिनांक 06.11.2025 तक या अगले निर्देशों तक, जो भी पहले हो. | बैंकिंग एवं वित्त | श्री श्रीनिवासन वरदराजन के पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है. वर्ष 2019 में अपनी सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने से पूर्व आपने एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं. वित्तीय सलाहकार के रूप में, आपने एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परामर्श फ़र्म, एक सॉवरेन वेल्थ फ़ंड, एक बड़े कॉर्पोरेट समूह, एक एनबीएफ़सी समूह और एक निजी क्षेत्र के बैंक में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं. श्री श्रीनिवासन वरदराजन जेपी मॉर्गन, भारत के प्रबंध निदेशक और बाज़ार प्रमुख रहे हैं. आप भारत में जेपी मॉर्गन चेस बैंक के सीईओ भी रहे हैं.<br><br>आपने भारतीय रिज़र्व बैंक की विभिन्न समितियों में कार्य किया, जिसमें तकनीकी सलाहकार समिति, रेपो समिति और पंजीकृत ब्याज और मूल प्रतिभूतियों के अलग कारोबार के लिए समिति (स्ट्रिप्स) शामिल हैं. आप फ़िक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. आप इंडो- यू. के. फाइनेंशियल पार्टनरशिप फोरम के सदस्य भी रहे हैं.<br><br>आपने इंजीनियरिंग कॉलेज, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नै से इंजीनियरिंग की डिग्री एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है. |
| 2 | सुश्री ए. मणिमेखलै | 57 | 03.06.2022 | दिनांक 02.06.2025 तक या अगले निर्देशों तक, जो भी पहले हो. | बैंकिंग एवं विपणन | सुश्री ए. मणिमेखलै तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक दक्ष बैंकर हैं. आपने 1988 में तत्कालीन विजया बैंक में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और सफलतापूर्वक प्रोन्नत होकर क्रमशः शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों के कार्यकारी प्रमुख के तौर पर कार्य किया. आपने योजना बनाने, संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित करने, विकास, कार्य योजनाओं, अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण आदि प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाली रणनीतिक नीतियों को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.<br><br>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सुश्री ए मणिमेखलै केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक थीं, जहां आपने रणनीतिक योजना, ऋण और संबंधित मामले, निरीक्षण, विपणन और वित्तीय समावेशन, राज्य स्तरीय अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्रियाकलापों का नेतृत्व किया. आपने केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के सफल समामेलन को प्रभावी रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आपको पांच अन्य कंपनियों के बोर्ड पर निदेशक के रूप में व्यापक अनुभव है, इनमें कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड, कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं. आप केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की ट्रस्टी भी रह चुकी हैं.<br><br>भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों और कार्य समूहों में एक सदस्य के रूप में आपने नीति निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दिया है, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भविष्य के रोड मैप को तैयार करना, वित्तीय समावेशन, कृषि मूल्य-श्रृंखला वित्तपोषण, बैंकिंग संवाददाता मुद्दे और हेल्थ केयर और शिक्षा के लिए निर्बाध ऋण प्रवाह के लिए तालमेल बनाना शामिल है. |

| क्र. | नाम | आयु | नियुक्ति की तारीख | वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख | विशेषज्ञता का स्वरुप | संक्षिप्त परिचय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | सुश्री मणिमेखलै ने बेंगलूरु विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (विपणन) और नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस), मुंबई से मानव संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा किया है. आपने देश की प्रमुख संस्थानों में आयोजित विभिन्न कार्यपालक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है और साथ ही आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से एक प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं |
| 3 | श्री रामसुब्रमणियन एस. | 55 | 21.11.2022 | दिनांक 20.11.2025 तक या अगले निर्देशों तक, जो भी पहले हो. | बैंकिंग एवं वित्त | श्री रामसुब्रमणियन एस. ने दिनांक 21 नवंबर, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ने से पहले, आप केनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे. आपको बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई/ खुदरा ऋण, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एवं फॉरेक्स में 25 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है. आप विज्ञान में स्नातक हैं और सीएआईआईबी अर्हता प्राप्त हैं.<br>अपने पूरे बैंकिंग कॅरियर के दौरान, आपने प्राइम कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग, बड़े कॉर्पोरेट, मध्य कॉर्पोरेट शाखाओं और केनरा बैंक की हाँगकाँग शाखा और प्रधान कार्यालय तथा प्रशासनिक कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों और अलग-अलग श्रेणी की शाखाओं में भी कार्य किया है.<br>आप शीर्ष कार्यपालक ग्रेड अधिकारी हैं, जिन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (पूर्ववर्ती बैंक बोर्ड ब्यूरो) द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यनीति कार्यक्रम में भाग लिया है. आप आईबीए की कॉर्पोरेट ऋण की स्थायी समिति के भी सदस्य है. आपको कोविड पुनर्रचना पर कामत समिति में भी नामित किया गया है. आप परिचालन एवं प्रशासन में समान रूप से दक्ष हैं. |

**कार्यकाल समापन:**निम्नलिखित सदस्यों का कार्यकाल वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्ण हुआ:

| क्र | निदेशक का नाम | पदनाम | कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि | कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री राजकिरण रै जी. | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 31.05.2022 | कार्यकाल पूर्ण होने पर |
| 2 | श्री मानस रंजन बिस्वाल | कार्यपालक निदेशक | 30.04.2022 | कार्यकाल पूर्ण होने पर |

## 2.8 निदेशकों का परस्पर संबंध :

किसी भी निदेशक का आपस में कोई भी नजदीकी संबंध नहीं है.

## 2.9 निदेशकों की समिति सदस्यता :

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 26(1) के क्रम में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता एवं सदस्यता (एसीबी) तथा हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) को प्रकटन के लिए ध्यान में रखा जाता है.

वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक का कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध संस्थाओं/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में जहां वे निदेशक थे 10 समिति से अधिक समिति के सदस्य नहीं रहे हैं ना ही उन्होंने 5 समिति से अधिक समिति की अध्यक्षता की है.

बैंक की समितियों पर निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/ अध्यक्षता एवं अन्य सूचीबद्ध/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ जहां वे निदेशक थे यथास्थिति 31.03.2023 का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्र | निदेशक का नाम एवं पदनाम | कंपनी का नाम | समिति का नाम | सदस्य/ अध्यक्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री श्रीनिवासन वरदराजन, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक | 1. इंडिया डेट रेसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड | एसीबी | अध्यक्ष |
| | | 2. इन्स्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अड्वाइसरी सर्विसेस इंडिया लिमिटेड | एसीबी | अध्यक्ष |
| 2. | सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 1. जनरल इन्शुरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | एसीबी | अध्यक्ष |
| | | 2. जनरल इन्शुरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | एसआरसी | अध्यक्ष |
| | | 3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 3. | श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| | | 2. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम | एसीबी | सदस्य |
| 4. | श्री रजनीश कर्नाटक, कार्यपालक निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 5. | श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| | | 2. यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड | एसीबी | सदस्य |
| 6. | श्री रामसुब्रमणियन एस., कार्यपालक निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 7. | श्री समीर शुक्ला, सरकार नामित निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | सदस्य |
| | | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 8. | श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | सदस्य |
| 9. | श्री सूरज श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | अध्यक्ष |
| | | 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 10. | श्री लक्ष्मण एस. उप्पर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 11. | डॉ. जयदेव मदुगुला, शेयरधारक निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | सदस्य |
| 12. | सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक | 1. मस्टेक लिमिटेड | एसीबी | सदस्य |
| | | 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | अध्यक्ष |
| | | 3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | सदस्य |

2.10 **निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले अभिज्ञता (परिचय) कार्यक्रमों का ब्यौरा:** निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट पर निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है:

http://www.unionbankofindia.co.in/english/familarisation.aspx

2.11 सूचीबद्धता विनियमन की अनुसूची V की अपेक्षा के अनुरूप पेशारत कंपनी सचिव ने अपने प्रमाणपत्र के जरिए प्रमाणित किया है कि सेबी/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति या नियुक्ति पर बने रहने के संबंध में वर्जित या अयोग्य नहीं माना गया है तथा इस संबंध में पेशारत कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है.

2.12 बैंक का निदेशक मण्डल पुष्टि करता है कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक) सूचीबद्धता विनियम में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करते हैं एवं वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

## 3 वार्षिक साधारण बैठक :

बैंक के शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक साधारण बैठक **गुरुवार, दिनांक 30 जून, 2022** को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

| नाम | पदनाम |
|---|---|
| सुश्री ए. मणिमेखलै | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ |
| श्री नितेश रंजन | कार्यपालक निदेशक |
| श्री रजनीश कर्नाटक | कार्यपालक निदेशक |

| | |
|---|---|
| श्री निधु सक्सेना | कार्यपालक निदेशक |
| श्री समीर शुक्ला | भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक |
| श्री सूरज श्रीवास्तव | अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक |
| श्री लक्ष्मण एस. उप्पर | अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक |
| डॉ. जयदेव मदुगुला | शेयरधारक निदेशक |
| सुश्री प्रीति जय राव | शेयरधारक निदेशक |

## 4 निदेशक मंडल की बैठकें :

**वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा:**

वर्ष 2022-23 के दौरान 17 बार यथा 26.04.2022, 13.05.2022, 26.05.2022, 28.06.2022, 08.07.2022, 26.07.2022, 10.08.2022, 29.09.2022, 20.10.2022, 01.11.2022, 11.11.2022, 29.11.2022, 21.12.2022, 20.01.2023, 14.02.2023* और 23.03.2023 को निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित की गई.

* दिनांक 14.02.2023 को निदेशक मंडल की दो बैठकें आयोजित की गई.

## 5. बोर्ड की समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रणनीति के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों एवं/ अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियां गठित की हैं. महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं-

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
4. रू.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)
5. बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी)
6. बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)
7. हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)*
8. आईटी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)
9. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
10. अनुशासनिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)
11. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)
12. बैंक के गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं एवं जानबूझकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी)
13. ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी- I)
14. पूंजीगत निधि की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)
15. बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति (बीसीपीई)

### 5.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

**5.1.1 संघटन :**

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13 (यथा संशोधित) के अनुक्रम में बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,
- कार्यपालक निदेशक,
- भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक का धारा 9(3) (सी) के अन्तर्गत नामांकन, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों का धारा 9(3) (ई), (एफ), (एच) एवं (आई) के अन्तर्गत आवर्तन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा नामांकन किया जा सकता है और छह माह की अवधि हेतु दो बार के लिए पुनः निर्वाचित किया जा सकता है.

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.1.2 कार्य :**

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न कारोबारी मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी/ समीक्षा, ऋण समझौता/ अपलेखन प्रस्ताव, साख अनुमोदन समिति-I के प्राधिकार से अधिक पूँजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, निवेश, दान आदि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के निदेशकों द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गयी है.

वर्ष 2022-23 के दौरान एमसीबी की 23 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

### 5.2.1 संघटन :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं -

- भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक.

इस बैठक में कार्यपालक निदेशकों को आमंत्रित किया गया.

श्री सूरज श्रीवास्तव, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 18(1)(ई) के अनुसार कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होगा.

### 5.2.2 कार्य :

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का गठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/ बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.

2. एसीबी, बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है :-
   - अंतर-शाखा समायोजन खाते
   - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो.
   - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति
   - धोखाधड़ी
   - बहियों के मिलान से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र.

3. एसीबी, भारिबैं एवं सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.

4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/ वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.

5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीति और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, व्हिसिल ब्लोअर तकनीक, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.

6. उपर्युक्त के अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सूची-II के भाग-सी के अधीन परिभाषित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की भूमिका एवं लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा करना भी लेखापरीक्षा समिति के कार्य में शामिल है.

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 11 बैठकें हुई. ये बैठकें दिनांक 13.05.2022, 27.06.2022, 26.07.2022, 08.08.2022, 14.09.2022, 20.10.2022, 18.11.2022, 13.01.2023, 20.01.2023, 01.03.2023 और 17.03.2023 को आयोजित हुई.

## 5.3 जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

### 5.3.1 संघटन :

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति गठित की है. सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित शेष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन करेगा. कार्यों में समानता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 06.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन (सीएसआर एंड एएलएम) पर निर्देशकों की पर्यवेक्षण समिति का नाम बदलकर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) किया है.

समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल किए गए हैं:

- गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- तीन गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक.

### 5.3.2 कार्य :

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए समिति गठित की है, यह समिति बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है.

वित्त मंत्रालय, सरकार भारत के पत्र सं एफ.सं. 16/19/2019-बीओ.I दिनांक 30.08.2019, के अनुसार जोखिम के प्रबंधन, माप और नियंत्रण के लिए एक संरचित दृष्टिकोण के तहत एक जोखिम धारणीय तंत्र युक्त संस्था की परिकल्पना की गई, जिसमें शामिल हैं - i बैंक के लिए एक जोखिम धारणीय विवरण और बैंक के लिए जोखिम सीमाएं; ii. भौतिक और प्रतिष्ठा संबंधी दोनों जोखिमों के लिए नीतियां, प्रक्रियाएं, नियंत्रण और प्रणालियां iii. कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निरूपण.

आगे यह परिकल्पना की गई थी कि जोखिम प्रबंधन समिति को समय-समय पर बैंक के जोखिम धारणीयता ढांचे के पालन की समीक्षा करने और स्वीकृत जोखिम धारणीयता के उल्लंघन की स्थिति में जवाबदेही तय करने का अधिकार दिया जा सकता है.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गई.

## 5.4 रू.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

### 5.4.1 संघटन:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, बहियों के मिलान के प्रमुख क्षेत्रों आदि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. एसीबी से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. यह विशेष समिति ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान देती है, जबकि एसीबी सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण जारी रखेगी.

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है:

- गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य

### कार्य :

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य रू.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि:

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को पहचानने और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय करना.
- धोखाधड़ी का पता लगाने में हुई देरी का पता लगाने और/ अथवा बैंक के उच्च प्रबंधन या

भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों की पहचान करना.

- सीबीआई/ पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण करना.
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा यदि स्टाफ संबंधी कोई कार्रवाई हो तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी उपचारात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना.
- धोखाधड़ी निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू करना.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.5 बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी) :

### 5.5.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर की उप समिति गठित की गयी हैं. यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

समिति का संगठन इस प्रकार है:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

### 5.5.2 कार्य :

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.6 बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)

### 5.6.1 संघटन :

समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बोर्ड द्वारा नामित कोई दो निदेशक होते हैं. इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित के रुप में भाग लेते हैं.

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

### 5.6.2 कार्य:

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन का प्रबंधन एवं पुनरावलोकन :

1. **एचआर पर बैंक की संपूर्ण रणनीति.**
   - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
   - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
   - उत्तराधिकार की योजना
2. **बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास**
   - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
   - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
3. **बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप एचआर नीतियों को सुव्यवस्थित करना**
   - पुरस्कार व प्रोत्साहन
   - पदोन्नति
   - तैनाती

4. **प्रशिक्षण**

- विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
- सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण/पुनश्चर्या

5. **एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन**

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.7 बोर्ड की हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसीबी)

### 5.7.1 संघटन :

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुक्रम में, कार्यपालक निदेशकों एवं तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों की बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) गठित की गयी है.

सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

### 5.7.2 कार्य :

हितधारक संबंधी:

1. बैंक के प्रतिभूति धारकों के शेयरों के अंतरण/ ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, घोषित लाभांशों की अप्राप्ति, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों को जारी करने, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतों का निपटान एवं अनुश्रवण करना.
2. शेयरधारकों द्वारा मतदान के प्रभावी अभ्यास के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना.
3. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गयी सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना.
4. बैंक द्वारा अदावी लाभांशों की प्रमात्रा को कम करने एवं कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंटों/ वार्षिक रिपोर्टों/ सांविधिक नोटिसों की ससमय प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए विभिन्न उपायों एवं पहल की समीक्षा करना.

**ग्राहक सेवा संबंधी:**

1. बैंक में समग्र ग्राहक शिकायत निवारण के कार्यों की निगरानी करना
2. ग्राहक सेवाओं की निगरानी करना और बैंक में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए मार्गदर्शन करना
3. ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के हित में नीतियां बनाना और उनकी समीक्षा करना

**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित:**

1. बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समीक्षा करना
2. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा की गई गतिविधियों / परियोजनाओं का समय-समय पर अनुमोदन और समीक्षा करना

**ईएसजी (पर्यावरण सामाजिक और गवर्नेंस) संबंधित:**

1. ईएसजी से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखना.
2. ईएसजी से संबंधित सभी मामलों और गतिविधियों पर कार्यनीतिक मार्गदर्शन और निगरानी प्रदान करना;
3. ईएसजी से संबंधित पहलों और नीतियों के कार्यान्वयन और निष्पादन की निगरानी करना;
4. विभिन्न ईएसजी पहलों के प्रभाव का आकलन करना;
5. आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए ईएसजी मामलों के खुलासे की समीक्षा करना;
6. ईएसजी से संबंधित उभरते जोखिमों की पहचान करना और बोर्ड तथा बैंक की समितियों को इसकी सिफारिश करना

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

5.7.3. **अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम:**

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 6 के अनुक्रम में, श्री एस. के. दास को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया एवं निवेशक शिकायत निवारण के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया.

5.7.4. **वर्ष 2022-23 के दौरान शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण:**

31.03.2023 को समाप्त वित्त वर्ष की तुलना में 31.03.2022 को समाप्त वित्त वर्ष में प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या प्रदर्शित करने वाली तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है:-

| | विवरण | 31.03.23 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए | 31.03.22 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|
| ए. | वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या | 0 | 0 |
| बी. | वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या | 14 | 8 |
| सी. | वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निस्तारित की गयी शिकायतों की संख्या | 14 | 8 |
| डी. | वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या | 0 | 0 |

5.8 **आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)**

5.8.1 **संघटन**

आईटी सुशासन उपायों के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है. समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- एमडी एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- सरकार द्वारा नामिती निदेशक
- दो गैर-कार्यपालक निदेशक जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा
- दो बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख, मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक)

सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की.

5.8.2 **कार्य :**

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धति का पालन किया है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी में निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहें और बजट स्वीकार करने योग्य हों.
- रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना.
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना.
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निषादन का मूल्यांकन करना.

- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदाहरणार्थ- जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्रोत संबंधी)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आईटी से अधिकतम कारोबारी लाभ प्राप्त हो.
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पयर्वेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन हैं.
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना.
- बैंक के डिजिटल लेनदेनों को बढ़ाने के लिए तत्संबंधी परामर्श, दिशानिर्देश एवं अनुश्रवण हेतु डिजिटल लेनदेन पर बोर्ड स्तरीय उप समिति के रूप में कार्य करने के लिए.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.9 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

बैंक की पूर्व में दो अलग समितियां अर्थात नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति थी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी थी. वित्त मंत्रालय ने अपने पत्रांक एफ़. नं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से यह सुझाव दिया कि बोर्ड को अलग नामांकन समिति एवं परिश्रमिक समिति के स्थान पर, कथित दोनों समितियों को सुपुर्द किए गए कार्यों को करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर.एपीपीटी.नं. 9/29.67.001/2019-20, दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से निर्दिष्ट अनुसार बैंक के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के नाम से एक समिति गठित कर सकता है.

इस प्रकार, उपरोक्त वर्णित वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के क्रम में, निदेशकों के बोर्ड ने 06.12.2019 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो अलग समितियों के स्थान पर एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन को अनुमोदित किया है.

### 5.9.1 संघटन :

भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर निर्देश क्र. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड) के निर्देशों, 2019 को जारी किया है. कथित निर्देशों के परिच्छेद 4.1 के क्रम में, बैंक को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के अधीन निदेशकों के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को करने के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को गठित करने की आवश्यकता है. समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
- अधिनियम 9(3) (एच) की धारा के अधीन नामित दो गैर-कार्यपालक निदेशक

### 5.9.2 कार्य :

बैंकिग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अधीन किसी व्यक्ति के निदेशक के रूप में चयन हेतु "योग्य एवं उपयुक्त'' निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करना.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की दिनांक 15.03.2023 को एक बार बैठक आयोजित की गयी.

## 5.10 अनुशासनिक कार्यवाही और पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)

बैंक के पास पहले दो अलग समितियां यथा निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीसी) और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता (डीपीसी-V) थीं.

वित्त मंत्रालय ने अपने पत्राचार एफ. सं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक की अपनी पहल पर गठित बोर्ड समितियों की निरंतरता की आवश्यकता और उनकी संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने वाले उनके कार्यों की संभावना की, उनके बोर्ड में समीक्षा करने की सलाह दी.

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश दिनांक 24.10.1990 और बुनियादी संरचना को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों की पदोन्नति समिति और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता को 06.12.2019 से समामेलित करने का निर्णय लिया.

**5.10.1. संघटन :**

निदेशक मंडल ने समिति के गठन को निम्न रुप में मंजूरी दी है

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

वेतनमान VI से VII और वेतनमान VII से VIII की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार आयोजित करते समय स्वतंत्र सदस्य / बाहर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना है.

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.10.2. कार्य :**

- टीईजीएस VI से टीईजीएस VII में तथा टीईजीएस VII से टीईजीएस VIII में पदोन्नति प्रक्रिया कराना
- टीईजीएस VI एवं टीईजीएस VII के कार्यपालकों का क्रमशः टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति न होने पर अपीलों पर विचार करना.
- टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति के ऐसे मामले पर विचार करना जहां सील्ड कवर प्रक्रिया को अपनाया गया है.
- सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय जांच की समीक्षा करना
- उच्च कार्यपालकों के एपीएआर अंकों की समीक्षा अभ्यावेदन के आधार पर प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर करना
- महाप्रबंधकों को प्रमुख दंड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध अपील की समीक्षा करना

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 6 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.11 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

**5.11.1. संघटन :**

समिति की संरचना निम्नानुसार हैः

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में, बोर्ड सचिवालय के प्रभारी कार्यपालक निदेशक
- दो गैर कार्यपालक निदेशक

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.11.2. कार्य :**

बैंक ने शेयरों के शीघ्र अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाज़ारों में कारोबार में सुगमता के लिए, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के जरिए निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोध की प्रोसेसिंग करते समय केवल अभौतिक रूप में (डीमैटरियलाइज़्ड मोड में) शेयर जारी करेंगीः

ए. प्रतिभूति प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना

बी. दावारहित उचंत खाते से दावा

सी. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/आदान-प्रदान

डी. पृष्ठांकन

ई. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभक्त करना

एफ़. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन

जी. संचारण

एच. परिवहन

वर्ष के दौरान, एसटीसीबी की बैठक 4 बार आयोजित की गई तथा परिचालन के जरिए 20 संकल्प पारित किए गए थे.

## 5.12. गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी एवं डब्ल्यूडी)

पूर्व में बैंक की दो अलग समितियां थी अर्थात "गैर-सहकारी'' उधारकर्ता के वर्गीकरण के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी) और बैंक के जानबूझकर चूककर्ता से संबंधित समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी). एमओएफ ने अपने पत्रांक एफ. क्र. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 को बोर्ड में बैंक की स्वयं की पहल पर स्थापित बोर्ड समितियों के जारी रहने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा उनके कार्यों को किसी अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने की संभावना की समीक्षा करने की सलाह दी ताकि उनकी संख्या को तर्कसंगत बनाया जा सकें.

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को तर्कसंगत बनाने और उपर्युक्त दो समितियों से संघटन के आधार पर उनमें संशोधन करने का निर्णय लिया और गैर सहकारी उधारकर्ता की पहचान करने तथा गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ताओं के वर्गीकरण के लिए एकल समिति गठित करने का निर्णय किया जो 06.12.2019 से प्रभावी है.

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कोई दो स्वतंत्र निदेशक

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

### 5.12.1. कार्य :

- समिति, अनुमोदन समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी, अर्थात् कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा उधारकर्ता की रिकार्डिंग असहयोगी के रूप में किये जाने पर बोर्ड की समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि होने के बाद ही यह आदेश अंतिम होगा.
- छमाही आधार पर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व ऋण अनुशासन रिटर्न व सहकारी व्यवहार द्वारा उनके नाम को अवर्गीकृत किया जा सकता है.
- जानबूझकर चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण पर कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा और पुष्टि करना.
- सीआरआईएलसी को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न की समीक्षा करना.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.13 पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ़)

### 5.13.1 संघटन:

बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की दृष्टि से समिति का गठन किया गया है. समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकगण भी शामिल हैं.

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

### 5.13.2 कार्य :

निदेशक मंडल / शेयरधारकों जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत समिति को पूंजीगत निधियों की उगाही हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित है, करने के लिए प्राधिकार हैं. लेकिन यह बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय एवं सेबी विनियमन के अधीन प्रदत्त अनुसार प्रमात्रा एवं माध्यम, ट्रांच की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों और/या अन्य किसी व्यक्ति को आरक्षण देने तथा ऐसे निर्गम (मों) का समय निर्धारण, अपने विवेकाधिकार पर निर्गम की शुरुआत करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं. बशर्ते कि यह लागू नियमों एवं विनियमन तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अध्यधीन है.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी.

## 5.14 कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (बीसीपीई)

### 5.14.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय ने पत्रांक एफ़.नं. 9/5/2019-आईआर दिनांक 30.08.2019 द्वारा बैंक को सलाह दी कि प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण कार्य (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) एवं महाप्रबंधक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) के कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति का गठन किया जाएं.

दिनांक 14.11.2019 को संप्रेषित उपर्युक्त वर्णित एमओए. फ के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों के अनुमोदन के साथ कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएं

1. गैर कार्यपालक अध्यक्ष (एनईसी)
2. सरकार द्वारा नामिती निदेशक, एवं
3. बोर्ड में सबसे लंबे समय तक सेवारत शेयरधारक निदेशक.

कार्यालय में एनईसी का पद खाली होने की दशा में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, एनईसी के स्थान पर समिति के सदस्य होंगे.

**5.14.2 कार्य:**

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य महाप्रबंधकों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन, समीक्षा एवं स्वीकृति.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 2 बैठकें आयोजित की गयी.

**5.15 ऋण अनुमोदन समिति–I (सीएसी–I)**

**5.15.1 संघटन :**

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, बैंक ने ऋण-अनुमोदन समिति-1 का गठन किया है. समिति ₹ 800 करोड़ तक के किसी भी एकल ऋण प्रस्ताव के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी (ए और अधिक के बाह्य रेटिंग किए खाते जिनकी वैध रेटिंग है) और अन्य खातों के लिए ₹600 करोड़ तक तथा समूह एक्सपोजर के लिए ₹800 करोड़ और यदि एक्सपोजर इन सीमाओं से अधिक होता है तो उस पर बोर्ड की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा.

सीएसी-I में निम्न शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी ऋण
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी वित्त/मुख्य वित्त अधिकारी और
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

**5.15.2 कार्य :**

अग्रिम से संबधित सभी मामले, जिसमें अनुमोदन/समीक्षा - नवीकरण, विविध अनुरोध, ब्याज में रियायत, समझौते/बट्टे खाते में डालने वाले प्रस्ताव, पूंजी एवं राजस्व व्यय का अनुमोदन, अधिग्रहण एवं किराए पर परिसर आदि जो इसके प्रत्यायोजन अधिकारों में आते हैं, सीएसी-I में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 32 बैठकें आयोजित की गयी.

5.16 निदेशकों के विवरण,बोर्ड में इनकी उपस्थिति और वर्ष के दौरान अन्य समिति बैठकों के विवरण इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंत में संलग्न है

## 6. साधारण सभा की बैठकें:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की सामान्य बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

| बैठक का स्वरूप | दिनांक एवं समय | स्थान | विशेष संकल्प |
|---|---|---|---|
| अठारहवीं वार्षिक साधारण बैठक | 04 अगस्त, 2020 प्रातः 11.00 बजे | केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा | समंजन की दिनांक को बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में जमा शेष को 31 मार्च, 2020 को बैंक की संचयी हानि ₹32758,49,47,263.10 (रुपए बत्तीस हजार सात सौ अट्ठावन करोड़ उनचास लाख सैंतालीस हजार दो सौ तिरेसठ वं दस पैसे मात्र) में समंजित करने हेतु तथा इसको वर्तमान वित्त वर्ष 2020 -21 के दौरान खाते में लेने के लिए |

| बैठक का स्वरूप | दिनांक एवं समय | स्थान | विशेष संकल्प |
|---|---|---|---|
| असाधारण सामान्य बैठक | 30 दिसंबर, 2020 प्रातः 11:00 बजे | केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा | ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्ट्स या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹6,800 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना. |
| असाधारण सामान्य बैठक (रद्द) | 25 जून, 2021 प्रातः 11.00 बजे | केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा | बैठक में एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव ही एकमात्र एजेंडा था और बैंक को केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हुआ था और इसलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 यथा संशोधित, के विनियम 66 के अनुसार बैठक को रद्द कर दिया गया था. |
| उन्नीसवीं वार्षिक साधारण बैठक | 10 अगस्त, 2021 प्रातः 11 बजे | केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा | ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्ट्स या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹3,500 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना. |
| बीसवीं वार्षिक साधारण बैठक | 30 जून, 2022 प्रातः 11 बजे | केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा | बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार नए इक्विटी शेयर जारी करके और/या अतिरिक्त टियर-1/टियर-2 पूंजी जारी करके बैंक की पूंजी जुटाना, जिसकी राशि 8100 करोड़ रुपये से अधिक न हो. |

## 7. प्रकटन

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों/परिपत्रों से बैंक संचालित होता है.

यह बताया गया है कि बैंक सूचीबद्धता विनियमों की लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है.

उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है. खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

### 7.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन से बनाये गये नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं.

**बैठक शुल्क (फीस) :**

बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (3) की शर्तों (ई), (एफ), (जी), (एच) वं (आई) के अनुसार नियुक्त किए गए निदेशक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र एफ संख्या 15/1/2011-बीओ-आई दिनांक 30 अगस्त, 2019, बोर्ड की बैठकों एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक योजना की शर्त 17 (1) के अनुसार, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता तथा बोर्ड की समितियों की बैठकों की अध्यक्षता के लिए बोर्ड के निदेशकों द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क सहित प्रति निदेशक कुल अधिकतम सीमा ₹25 लाख के साथ नीचे दिए गए तरीके से बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र होंगे.

बोर्ड के निदेशकों ने 29 जुलाई, 2020 की अपनी बैठक द्वारा बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु 1 अप्रैल, 2021 से ₹70,000 बैठक शुल्क एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु ₹35,000 के भुगतान को अनुमति प्रदान की है. बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता हेतु ₹ 20,000 एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों हेतु ₹ 10,000 के अतिरिक्त शुल्क की स्वीकृति दी गई है.

उपरोक्त सूचना बैंक की वेबसाइट में http://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध है

**यात्रा एवं विराम भत्ता :**

अपने लिये पात्र शुल्क के अतिरिक्त बैंक के कार्य से यात्रा करने वाले प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 खंड 17 की शर्तों के अनुसार यात्रा व्यय एवं विराम व्यय, यदि कोई हो, का समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा.

**7.2 महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक संबंधों का प्रकटन :**

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जो बैंक के हितों के विपरीत हो.

बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि बोर्ड या बोर्ड की उप-समितियों की उन बैठकों में वे निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनके या उनके रिश्तेदारों/ फ़र्मों/ कंपनियों के हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है.

**7.3 आर्थिक संबंध या लेनदेन का प्रकटन :**

बैंक के गैर कार्यपालक निदेशकों का सामान्य बैंकिंग कारोबार लेनदेन तथा बोर्ड एवं समिति की बैठकों हेतु उन्हें प्रदत्त बैठक शुल्क के अलावा उनका बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है.

**7.4 सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम :**

वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने ₹ 2200 करोड़ के बासेल III अनुपालित टियर 2 बांड जारी किए एवं ₹1983 करोड़ के बासेल III अनुपालित एटी 1 बांड जारी किए. आरबीआई और बैंक की विकास योजनाओं और सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिएउक्त प्राप्त राशि का उपयोग आरबीआई के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की टियर 1 और टियर 2 पूंजी को बढ़ाने और बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया गया था.

**7.5 दंड या आक्षेप :**

विगत 3 वर्षों के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

**7.6 व्हिसिल ब्लोअर नीति :**

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx.

लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

**7.7 प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति :**

सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 46(2) (एच) के अनुपालन में बैंक ने प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति निरुपित की है तथा इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx

हालांकि आज की तारीख में बैंक की कोई प्रमुख सहायक नहीं है.

**7.8 संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति :**

बैंक द्वारा संबंधित पक्ष संव्यवहारों के निपटान हेतु संबंधित संव्यवहार नीति निरुपित की गयी है. इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है

https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx.

बैंक का कोई भी संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं था, जिसका वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक का वृहद स्तर पर हित प्रभावित नहीं हुआ.

**7.9 लाभांश वितरण नीति :**

बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश की घोषणा हेतु नीति तैयार की है. इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है

https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx

**7.10 अधिग्रहण कूट:**

बैंक ने समय-समय पर सेबी के यथा संशोधित 2011 प्रावधानों (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) का अनुपालन किया है.

**7.11 सेबी विनियमन 2015 का अनुपालन (आंतरिक भेदिया ट्रेडिंग को रोकना):**

विनियमों के अनुसार बैंक ने नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों को बैंक के शेयर में लेनदेन करने में आंतरिक भेदिया ट्रेडिंग को

रोकने के लिए एक संहिता को तैयार किया है. इन विनियमों के लिए आवश्यक कई प्रपत्रों को तैयार किया गया है जिनके द्वारा बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों से आवधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकें. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विवरणों के साथ बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों के लिए बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग विंडो को बंद रखा गया है:

| ट्रेडिंग विन्डो बंद होने कि तिथि | बंद होने का कारण |
|---|---|
| 31 मार्च, 2022 से 15 मई, 2022 | 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा. |
| 30 जून, 2022 से 28 जुलाई, 2022 | 30 जून, 2022 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा. |
| 01 अक्तूबर, 2022 से 22 अक्तूबर, 2022 | 30 सितंबर, 2022 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा. |
| 01 जनवरी, 2023 से 22 जनवरी, 2023 | 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा. |

### 7.12 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण :

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

### 7.13 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट :

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) को निर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत किया.

### 7.14 वेबसाइट पर जानकारी का प्रचार :

बैंक ने सूचियन विनियम के उप-विनियम 46 के खंड (बी) से (आई) तक के अधीन आवश्यक जानकारी को अपने वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर प्रदर्शित किया हैं

### 7.15 सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त फीस का ब्यौरा :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को बैंक एवं इसके सहायक द्वारा सभी सेवाओं हेतु समेकित रूप से कुल ₹ 74.49 करोड़ का भुगतान किया गया है

### 7.16 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रकटीकरण (बचाव, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013:

ए. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दाखिल की गयी शिकायतों की संख्या : 17 (सत्रह)

बी. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या : 16 (सोलह)

सी. वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या : 1 (एक)

### 7.17 शाखा नेटवर्क

31 मार्च, 2023 तक हमारे बैंक का शाखा नेटवर्क 8577 शाखाओं और 3 विदेशी शाखाओं (हांगकांग, सिडनी, दुबई डीआईएफसी) के साथ पूरे देश में फैला हुआ है. इनमें से 58 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं.

**यथा 31.03.2023 तक शाखा का नेटवर्क**

| | ग्रामीण | अर्ध-शहरी | शहरी | मेट्रो | विदेशी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शाखाओं की संख्या | 2545 | 2458 | 1755 | 1819 | 3 | 8580 |
| शाखा (%) | 30 | 29 | 20 | 21 | -- | 100 |

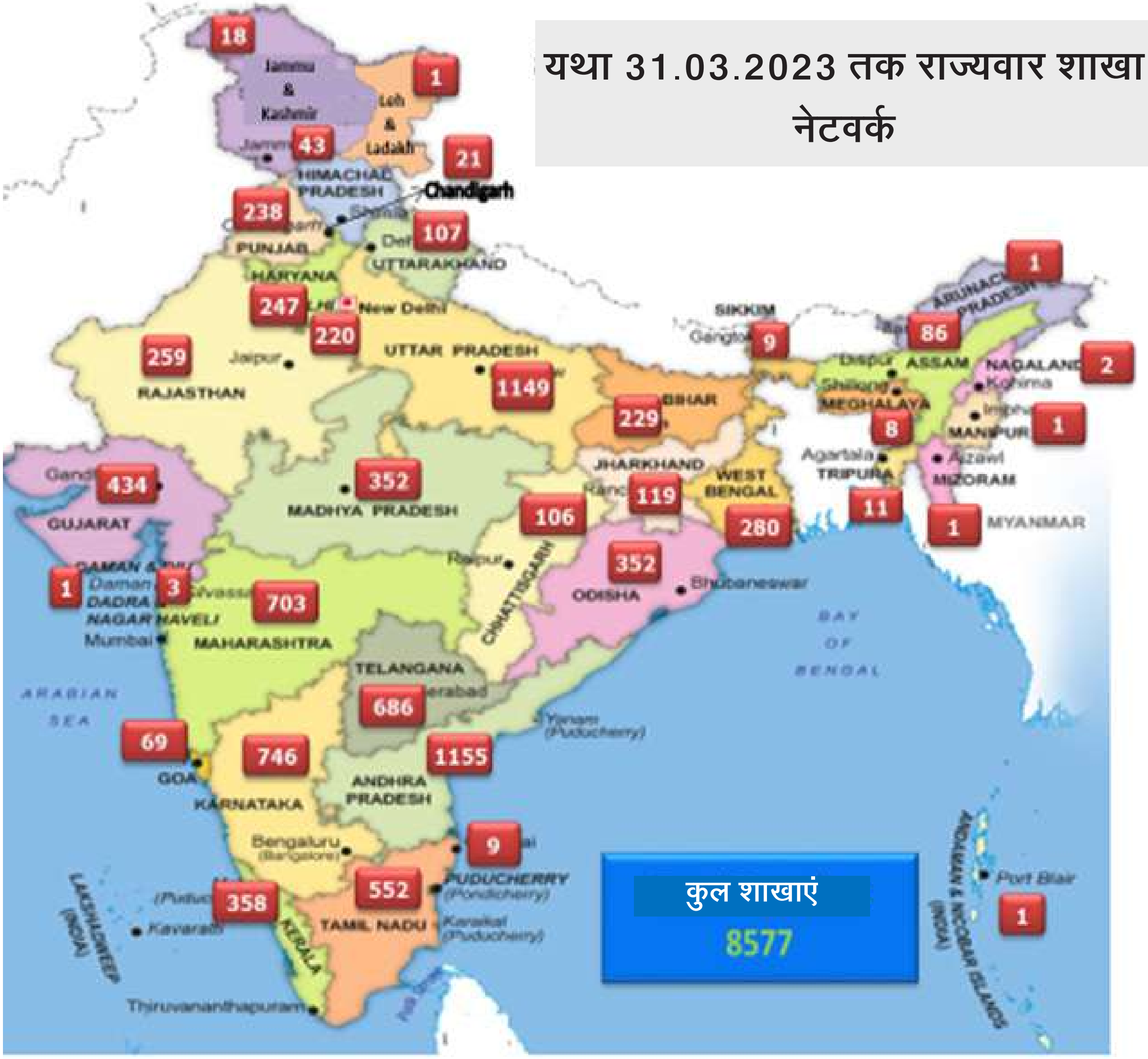


7.18 क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत या विदेश में सभी डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट या कोई मियादी जमा राशि कार्यक्रम या फंड को जुटाने हेतु बैंक का प्रस्ताव कोई योजना, सभी का पुनर्रिक्षण के सहित क्रेडिट रेटिंग्स की सूची प्राप्त की गयी है:

| रेटिंग एजेंसी | बासेल III | | जमा प्रमाणपत्र | आउटलूक |
|---|---|---|---|---|
| | अतिरिक्त टियर 1 | टियर 2 | | |
| ब्रिकवर्क | BWR AA | BWR AA+ | - | स्थाई |
| क्रिसिल | CRISIL AA | CRISIL AA+ | - | स्थाई |
| केयर | CARE AA | CARE AA+ | - | सकारात्मक |
| इंडिया रेटिंग | IND AA | IND AA+ | IND A1+ | स्थाई |
| इकरा लिमिटेड | - | ICRA AA+ | ICRA A1+ | स्थाई |

**एफ़आईटीसीएच – दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 की रेटिंग रिपोर्ट:**

| संवर्ग | रेटिंग |
|---|---|
| दीर्घकालिक जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर) | "BBB-" आउटलुक नकारात्मक |
| अल्पावधि जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर) | F3 |
| व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर) | b |

दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के अपने रेटिंग औचित्य के तहत, फिच रेटिंग्स ने एशिया-पेसेफिक क्षेत्र (एपीएसी) में बैंकों को पूर्व-सरकारी समर्थन 'एक्सजीएस' रेटिंग प्रदान की है. पूर्व-सरकारी समर्थन रेटिंग, जहां एक 'xgs' को बैंकों को दी गई मौजूदा रेटिंग में जोड़ा जाता है, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की नीति वाले बैंकों के रूप में रेट नहीं किया गया है और जिनकी दीर्घकालिक जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग (IDRs) सरकारी समर्थन की धारणाओं को शामिल करती हैं.

बैंक के पूर्व सरकारी समर्थन रेटिंग मानदंडो के अनुरूप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इसकी मौजूदा व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर) के स्तर पर एक दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा आईडीआर (एक्सजीएस) प्रदान की गई है.

**स्टैंडर्ड & पूर-रेटिंग दिनांक 31 जनवरी, 2023**

| संवर्ग | रेटिंग |
|---|---|
| जारीकर्ता ऋण रेटिंग (दीर्घ अवधि/ अल्प अवधि) | BB+/Stable/B |
| स्टैंडअलोन ऋण प्रोफ़ाइल (एसएसीपी) | bb- |
| बैंक सीनियर अंसेक्युर्ड नोट्स (दीर्घ अवधि) | BB+ |
| आउटलुकः स्टेबल | |

7.19 **बैंक की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का विवरण:** बैंक की कोई भी सहायक कंपनी महत्वपूर्ण सहायक नहीं है.

## 8. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी) सहित फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं. ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाए गये हैं. इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर "निवेशक संबंध" के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये हैं.

## 9. शेयरधारकों की सूचना

9.1 **वित्त वर्ष –** 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023

9.2 **इक्विटी शेयर एवं बॉन्ड की सूचीबद्धता –** बैंक के इक्विटी शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं तथा इसका स्क्रिप कोड निम्नानुसार है: -

| नाम | कोड |
|---|---|
| **बीएसई लिमिटेड (बीएसई),** फिरोज़ जीजीभाय टावर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001 | 532477 |
| **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई),** एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नं सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051 | UNIONBANK-EQ |

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इक्विटी शेयर के लिए वार्षिक सुचीबद्ध शुल्क दिनांक 21 अप्रैल, 2023 से पहले दोनो शेयर बाज़ारों को प्रदत्त कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिजरी नोट (टियर I एवं टियर II पूंजी) के रूप में आरक्षित गैर परिवर्तनीय-बॉण्ड जारी किए हैं. 31 मार्च, 2023 को तत्संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | आईएसआईएन | बॉण्ड ब्यौरा | शृंखला | राशि (₹करोड़ में) | आबंटन की तिथि | परिपक्वता तिथि | कूपन दर % (प्र.व.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आईएनई 692A08029 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XX | 1,000 | 15.09.2016 | स्थाई | 9.50 |
| 2 | आईएनई 692A08110 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXVII | 500 | 15.12.2020 | स्थाई | 8.73 |
| 3 | आईएनई692A08128 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXVIII | 1,000 | 11.01.2021 | स्थाई | 8.64 |
| 4 | आईएनई692A08136 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXIX | 205 | 29.01.2021 | स्थाई | 8.73 |
| 5 | आईएनई692A08169 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXII | 2,000 | 22.11.2021 | स्थाई | 8.70 |
| 6 | आईएनई692A08177 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXIII | 1500 | 20.12.2021 | स्थाई | 8.40 |
| 7 | आईएनई692A08185 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXIV | 1500 | 02.03.2022 | स्थाई | 8.50 |
| 8 | आईएनई692A08193 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXV | 1,320 | 25.07.2022 | स्थाई | 8.69 |
| 9 | आईएनई692A08227 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I | बॉण्ड सिरीज़ XXXVII | 663 | 23.12.2022 | स्थाई | 8.40 |
| 10 | आईएनई692A09266 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XVII-ए | 2,000 | 22.11.2013 | 22.11.2023 | 9.80 |
| 11 | आईएनई692A08045 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXII | 750 | 24.11.2016 | 24.11.2026 | 7.74 |
| 12 | आईएनई112A08051 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ II | 1,000 | 08.11.2019 | 08.11.2029 | 8.93 |
| 13 | आईएनई692A08094 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXV | 1,000 | 16.09.2020 | 16.09.2030 | 7.42 |
| 14 | आईएनई692A08102 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXVI | 1,000 | 26.11.2020 | 26.11.2035 | 7.18 |
| 15 | आईएनई692A08144 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXX | 850 | 24.06.2021 | 24.06.2031 | 7.19 |
| 16 | आईएनई692A08151 | बासेल III अनुपालन टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXXI | 1,150 | 09.07.2021 | 09.07.2036 | 7.25 |
| 17 | आईएनई692A08219 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXXVI-ए | 1,500 | 29.11.2022 | 29.11.2037 | 7.85 |
| 18 | आईएनई692A08201 | बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर II | बॉण्ड सिरीज़ XXXVI-बी | 700 | 29.11.2022 | 29.11.2032 | 7.80 |
| | | **कुल** | | **19,638.00** | | | |

### 9.3 लाभांश :

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 10/- अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 3/- के लाभांश की सिफारिश की है.

### 9.4 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण :

| | |
|---|---|
| लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक | शनिवार, 06 मई, 2023 |
| वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, समय और स्थान | शुक्रवार, 4 अगस्त, 2023 सुबह 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी सी) या अन्य आडिओ विजुअल साधन (ओएवीएम) सुविधा के जरिए, केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थल) पर |
| बहियों के बंद रहने की तिथि | शनिवार, 29 जुलाई, 2023 से शुक्रवार, 4 अगस्त, 2023 (दोनों दिन शामिल) |
| ई-वोटिंग के खुलने और बंद होने की तिथि | मंगलवार, 1 अगस्त, 2023 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी) से गुरुवार, 3 अगस्त, 2023 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) |

9.5 **वित्तीय कैलेंडर :**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

| वित्तीय परिणाम | घोषणा की संभावित तिथि |
|---|---|
| 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 10 अगस्त, 2023 तक |
| 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 10 नवम्बर, 2023 तक |
| 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 10 फरवरी, 2024 तक |
| 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 15 मई, 2024 तक |

9.6 **शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :**

बैंक ने शेयरों के अंतरण और उससे संबंधित अन्य मामलों के निपटान के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति गठित की है. सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशानिर्देशों एवं सेबी कि प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.12.2018, दिनांक 31.03.2019 के बाद शेयरों को भौतिक अंतरण अनुमत नहीं है, अतः शेयर धारकों से अनुरोध है कि अपने भौतिक शेयर धारिता को डीमैट खाता खोलकर डीमैट रूप में परिवर्तित करा लें.

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बा.जारों में कारोबार में सुगमता के लिए, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के जरिए निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोध की प्रोसेसिंग करते समय केवल अभौतिकी रूप में (डीमैटरियलाइज्ड मोड में) शेयर जारी करेंगी:

ए. प्रतिभूति प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना

बी. दावारहित उचंत खाते से दावा

सी. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/ आदान-प्रदान

डी. पृष्ठांकन

ई. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/ विभक्त करना

एफ़. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/ फोलियो का समेकन

जी. संचारण

एच. परिवहन

शेयरधारक / दावेदार विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर -4 जमा करेगा और आरटीए / सूचीबद्ध संस्था, सेवा अनुरोधों को संसाधित करने के बाद, आपत्तियों को दूर कर, यदि कोई हो, ऐसे अनुरोधों के 30 दिनों के भीतर शेयरधारक / दावेदार को भौतिक प्रमाण पत्र के बजाय "पुष्टिकरण पत्र" जारी करेगी.

पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 120 दिनों के लिए वैध होगा, जिसके तहत शेयरधारक / दावेदार उक्त प्रतिभूतियों को डीमैटरियलाइज़ करने के लिए निक्षेपागार सहभागी से अनुरोध करेगा.

आरटीए पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों और 90 दिनों की समाप्ति के बाद, प्रतिभूति धारक / दावेदार को डीमैट अनुरोध जमा करने की जानकारी देते हुए एक अनुस्मारक जारी करेगा.

आरटीए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भौतिक शेयर प्रमाण पत्र को बनाए रखेगा और सेवा अनुरोध को संसाधित करने के पश्चात, प्रमाण पत्र के ऊपर/ प्रमाण पत्र के पीछे "पुष्टिकरण पत्र जारी" पर मुहर लगाएगा.

निक्षेपागार सहभागी पुष्टि पत्र के आधार पर डीमैट अनुरोध तैयार करेगा और डीमैट अनुरोध को संसाधित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई/ आरटीए को अग्रेषित करेगा.

यदि पुष्टि पत्र के 120 दिनों के भीतर डीमैट अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो शेयरों को इकाई के उचंत निलंब डीमैट खाते में जमा किया जाएगा.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा **केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड** को अपने रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण, शेयरधारकों के आवेदनों के रिकॉर्ड एवं शेयर से संबंधित अन्य गतिविधियों में शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेश द्वारा नियुक्त किया गया है. निवेशक अपने अंतरण विलेख / आवेदन / शिकायतें आरटीए के साथ नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं.

बैंक ने अपने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं.

| **रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)** | **डिबेंचर ट्रस्टी** | **कंपनी सचिव** |
|---|---|---|
| केएफ़आईएन टेक्नालजी लिमिटेड<br>यूनिटः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया<br>सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट नं 31-32,<br>गच्चीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,<br>नानक्रमगुडा, हैदराबाद - 500032<br>फोन नंः 040- 67162222<br>फैक्स नं.: 040- 23001153<br>ई-मेल : einward.ris@kfintech.com | आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड<br>एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर,<br>17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट,<br>मुंबई 400 001.<br>फोन (022) 40807001<br>फ़ैक्स (022) 66311776<br>ईमेल : itsl@idbitrustee.com , response@<br>idbitrustee.com | निवेशक सेवाएं प्रभाग<br>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,<br>12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय,<br>239, विधान भवन मार्ग,<br>नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.<br>फोन -(022) 2289 6636<br>फैक्स -(022) 22025238<br>ई-मेलः investorservices@<br>unionbankofindia.bank |

## 9.7 अन्य सूचनाएं :

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है.

बैंक ने ऐसे सभी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से अर्धवार्षिक संप्रेषण भेजा है, जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/ डीपी में पंजीकृत है.

## 9.8 शेयरों का अमूर्तिकरण:

बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों का अमूर्तिकरण करने का करार किया है. बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित आईएसआईएन (ISIN) कोड, आईएनई692A01016 है.

अतः यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारक अपने हित में अपने शेयरों का अमूर्तिकरण कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/ खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे. इसके अलावा यह उन्हें तुरंत चलनिधि (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयरों का क्रय- विक्रय केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है. इससे लाभांश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा.

**31.03.2023 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :**

| श्रेणी | शेयर धारकों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयरधारिता का % |
|---|---|---|---|
| **भौतिक** | **82,760** | **1,56,69,245** | **0.23** |
| **डीमैट** | | | |
| एनएसडीएल | 2,99,080 | 90,05,79,727 | 13.18 |
| सीडीएसएल | 4,01,711 | 591,84,98,494 | 87.31 |
| **कुल** | **7,83,551** | **683,47,47,466** | **100.00** |

नोटः बैंक के प्रोमोटोर की पूरी शेयरधारिता डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में उपलब्ध है.

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत कंपनी सचिव ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया गया है. शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बहियों के अद्यतनीकरण/ रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान हुआ है.

बैंक ने भौतिक रूप में शेयर धारित सभी धारकों को शेयरों के आमूर्तिकरण हेतु अनेक बार सूचित किया है. परिणामस्वरूप, वर्ष 2022-23 के दौरान 1796 शेयरधारकों ने भौतिक रूप से धारित 4,07,085 शेयरों का आमूर्तिकरण किया है.

9.9 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा

| माह | बीएसई | | | एनएसई | | | बीएसई सेंसेक्स | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उच्चतम (रू) | न्यूनतम (रू) | मात्रा (संख्या लाख में) | उच्चतम (रू) | न्यूनतम (रू) | मात्रा (संख्या लाख में) | उच्चतम (रू) | न्यूनतम (रू) |
| अप्रैल, 2022 | 44.8 | 37.85 | 249.14 | 44.85 | 37.8 | 1,969.83 | 60845.1 | 56009.07 |
| मई, 2022 | 39.1 | 33.55 | 189.62 | 39 | 33.5 | 1,776.24 | 57184.21 | 52632.48 |
| जून, 2022 | 39.9 | 34.1 | 136.85 | 40 | 34.1 | 1,484.42 | 56432.65 | 50921.22 |
| जुलाई, 2022 | 38.8 | 34 | 112.27 | 38.8 | 34 | 1,116.11 | 57619.27 | 52094.25 |
| अगस्त, 2022 | 43.7 | 38.05 | 159.35 | 43.7 | 38 | 1,672.64 | 60411.2 | 57367.47 |
| सितंबर, 2022 | 48.45 | 41.75 | 246.10 | 48.45 | 41.8 | 2,361.02 | 60676.12 | 56147.23 |
| अक्टूबर, 2022 | 54.7 | 42.6 | 256.67 | 54.7 | 42.6 | 2,290.17 | 60786.7 | 56683.4 |
| नवंबर, 2022 | 83.7 | 51.3 | 604.28 | 83.7 | 51.2 | 7,351.18 | 63303.01 | 60425.47 |
| दिसंबर, 2022 | 96.4 | 66.75 | 775.58 | 96.4 | 66.7 | 9,160.44 | 63583.07 | 59754.1 |
| जनवरी, 2023 | 83.85 | 72.15 | 378.79 | 83.8 | 72.25 | 3,609.20 | 61343.96 | 58699.2 |
| फरवरी, 2023 | 79.7 | 65.35 | 219.21 | 79.7 | 65.35 | 1,863.51 | 61682.25 | 58795.97 |
| मार्च, 2023 | 75.6 | 60.32 | 320.73 | 75.6 | 60.35 | 2,699.07 | 60498.48 | 57084.91 |
| **31.03.2023 को अंतिम मूल्य** | **65.37** | | | **66.55** | | | – | |
| **बाजार पूंजीकरण** | **₹44,678 करोड़** | | | **₹ 45,485 करोड़** | | | – | |

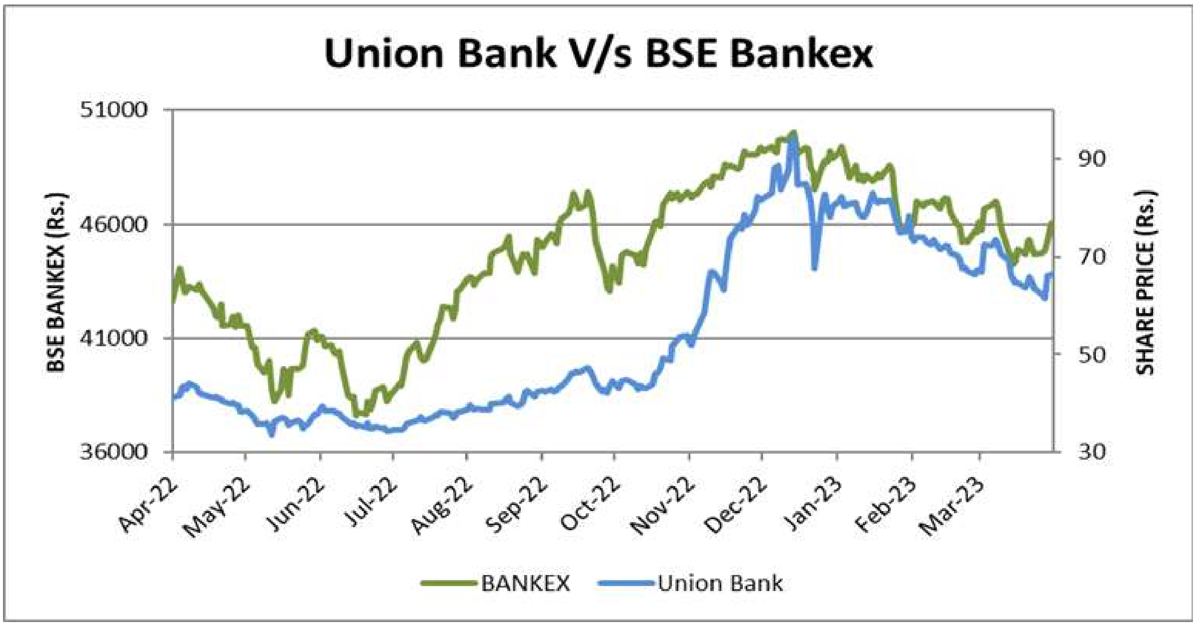

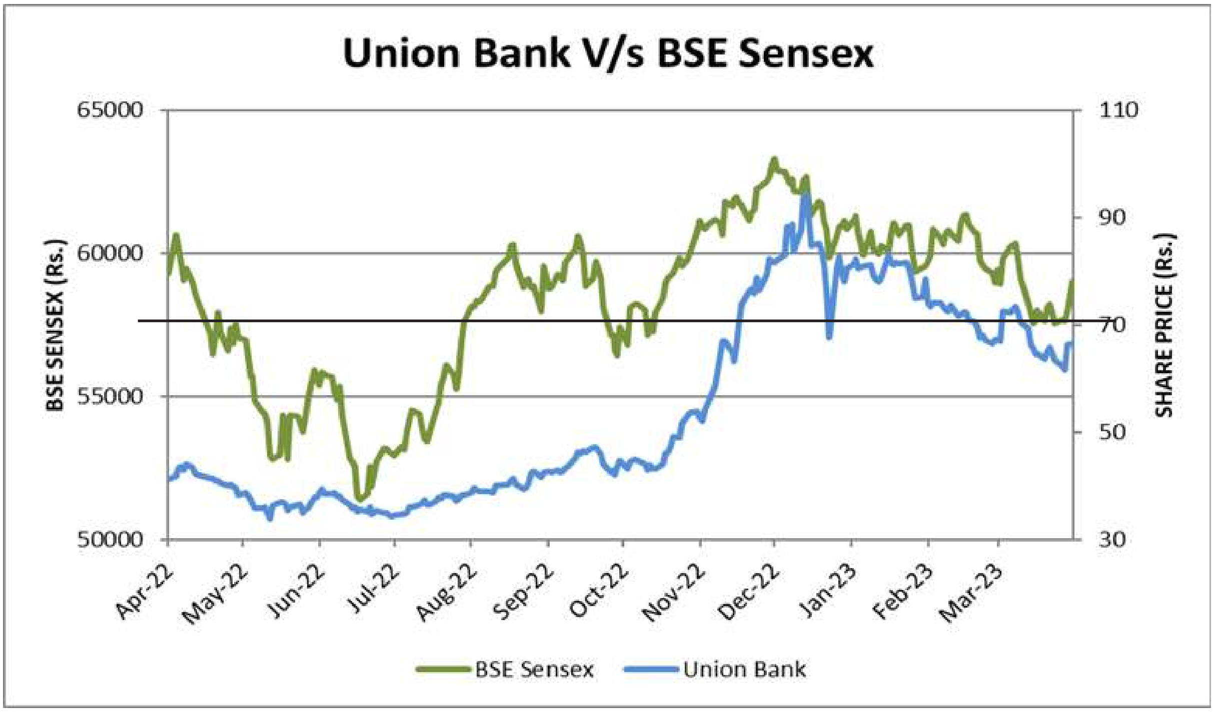


9.10 शेयरधारिता का वितरण :

| शेयरधारिता | यथा 31.03.2023 | | | | यथा 31.03.2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरधारकों की संख्या | कुल का % | शेयरों की संख्या | कुल का % | शेयरधारकों की संख्या | कुल का % | शेयरों की संख्या | कुल का % |
| 500तक | 665546 | 84.94 | 74079944 | 1.08 | 642618 | 82.42 | 76427698 | 1.12 |
| 501से1000 | 52924 | 6.75 | 40433982 | 0.59 | 58277 | 7.47 | 45172534 | 0.66 |
| 1001से2000 | 26956 | 3.44 | 40668815 | 0.60 | 30157 | 3.87 | 45971773 | 0.67 |
| 2001से3000 | 15910 | 2.03 | 40039611 | 0.59 | 20276 | 2.60 | 51007654 | 0.75 |
| 3001से4000 | 7608 | 0.97 | 26522967 | 0.39 | 9745 | 1.25 | 34019956 | 0.50 |
| 4001से5000 | 4329 | 0.55 | 20258665 | 0.30 | 5544 | 0.71 | 26009371 | 0.38 |
| 5001से10000 | 6522 | 0.83 | 46280143 | 0.68 | 8289 | 1.06 | 59067045 | 0.86 |
| 10001सेअधिक | 3756 | 0.48 | 6546463339 | 95.78 | 4793 | 0.62 | 6497071435 | 95.06 |
| **कुल** | **783551** | **100** | **6834747466** | **100** | **779699** | **100.00** | **6834747466** | **100.00** |

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- है.

### 9.11 शेयरधारिता का पैटर्न :

दिनांक 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहाः

| शेयरधारक की श्रेणी | यथा 31.03.2023 | | यथा 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरधारकों की संख्या | कुल का % | शेयरधारकों की संख्या | कुल का % |
| **प्रोमोटर** | | | | |
| भारत सरकार | 5,70,66,60,850 | 83.49 | 5,70,66,60,850 | 83.49 |
| **पब्लिक** | | | | |
| **निवेशक संस्था** | | | | |
| म्युच्युअल फंड & यूटीआई | 155330626 | 2.27 | 6,42,39,168 | 0.94 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी (केंद्रीय/ राज्य सरकार संस्थान) | 410675574 | 6.01 | 4178,25,501 | 6.11 |
| एफ़आईआई' विदेशी म्यूचुअल फंड | 8,07,63,510 | 1.18 | 8,07,63,510 | 1.18 |
| **अन्य** | | | | |
| निजी कॉर्पोरेट निकाय | 24023255 | 0.35 | 4,89,41,688 | 0.72 |
| भारतीय जनता | 416682742 | 6.1 | 50,84,00,256 | 7.44 |
| एनआरआई/ ओसीबी/ योग्य विदेशी निवेशक | 7470165 | 0.11 | 79,16,493 | 0.12 |
| **कुल** | **6834747466** | **100.00** | **6,43,47,47,466** | **100.00** |

### 9.12 बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची :

31.03.2023 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैंः

| क्र. | नाम | शेयर | पूंजी का% |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 5706660850 | 83.495 |
| 2 | भारतीय जीवन बीमा निगम | 385692691 | 5.643 |
| 3 | एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि- ए/ सी एचडीएफसी मिड कैप अपरच्यूनिटीज फंड | 70861014 | 1.037 |
| 4 | क्वांट म्यूचुअल फंड-क्वांट एक्टिव फंड | 44537000 | 0.652 |
| 5 | निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड-ए/ सी निप्पॉन इंडिया ईटीएफ़ निफ्टी पीएसयू बैंक बीईईएस | 16797434 | 0.246 |
| 6 | वैनगार्ड इमेर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटि इंडेक्स फंड की सीरीज | 15442120 | 0.226 |
| 7 | वैनगार्ड टोटल इंटरनैशनल स्टॉक इंडेक्स फंड | 14900616 | 0.218 |
| 8 | कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ़ | 11752304 | 0.172 |
| 9 | बीएनपी पारिबास आर्बिट्रेज - ओडीआई | 10605382 | 0.155 |
| 10 | रेखा राकेश झुनझुनवाला | 8400000 | 0.123 |

### 9.13 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश :

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई हैः

| क्र. सं. | संबंधित लाभांश खाते | अदत्त लाभांश बैंक खाता सं. | वित्तीय वर्ष | लाभांश का दर | आईईपीएफ़ को अंतरण की प्रस्तावित तारीख | यथा 31.03.2022 को शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | यूबीआई | 317901090049775 | 2015-16 | ₹1.95 प्रति शेयर | 08-08-23 | 1,02,50,036.15 |
| 2. | पूर्व-आंध्रा बैंक | 117911100001802 | 2015-16 | ₹0.50 प्रति शेयर | 31-08-23 | 57,60,465.42 |
| 3. | यूबीआई | 066221090000005 | 2021-22 | ₹1.95 प्रति शेयर | 11-08-29 | 3,61,25,128.59 |
| | | **कुल** | | | | **5,21,35,630.16** |

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.

**9.14 अदावाकृत शेयर :**

**क) भौतिक रूप में :**

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन) 2015 की अनुसूची VI अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक अदावाकृत उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

| विवरण | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| डीमेट उचंत खाते में 01.04.2022 को शेष | 4 | 600 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक | शून्य | शून्य |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए | शून्य | शून्य |
| 31.03.2023 को डीमैट उचंत खाते में शेष | 4 | 600 |

**ख) डीमैट रूप में :**

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन) 2015 की अनुसूची VI अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च, 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफ़पीओ के समय आबंटित शेयर जो किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदकों के डीमैट खाते में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

| विवरण (यूबीआई-एफ़पीओ) | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| डीमेट उचंत खाते में 01.04.2022 को शेष | 216 | 26,414 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक | 0 | 0 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए | 0 | 0 |
| 31.03.2023 को डीमैट उचंत खाते में शेष | 216 | 26,414 |

| विवरण (पूर्व-आंध्रा बैंक एवं पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक) | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| डीमेट उचंत खाते में 01.04.2022 को शेष | 175 | 17,431 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक | 7 | 4,342 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए | 7 | 4,342 |
| 31.03.2023 को डीमैट उचंत खाते में शेष | 168 | 13,089 |

ऊपर बताए गए सभी शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

## 10. सूचीबद्ध करार के गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

| क्रमांक | गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | **निदेशक मंडल**<br>एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होती है. | अनुपालन किया गया. |
| 2. | **शेयरधारकों के अधिकार**<br>विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए. | बैंक के आरटीए/ बैंक में अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करने वाले सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से अर्धवार्षिक सूचना भेजा जाता है. |
| 3. | **लेखापरीक्षा में संशोधित अभिमत**<br>कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए. | समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही. |
| 4. | **आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग**<br>आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं. | बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे महा प्रबंधक, केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को रिपोर्ट करता है. हालाकि, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फ्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है. |

**कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से**

(श्रीनिवासन वरदराजन)
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2023

# आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06.06.2023

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

## कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण**

हमने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता विनियम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (`सूचीबद्धता विनियम'), समय - समय पर यथा संशोधित, सूचीबद्धता विनियम के विनियम 15(2) के अनुसार, वर्ष 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के लिए की है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मार्गदर्शित अभिमत के अनुसार की गई है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गयी पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित है. यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है.

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के  अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उर्पयुक्त सूचीबध्द विनियममनों मे निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है, जैसा की 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लागू है.

आगे हमारा अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के क्रियाकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सांविधिक लेखापरीक्षा के दौरान जारी किए गए विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट मे उल्लेखित अनुसार यह प्रमाणपत्र उचित आश्वासन के साथ जारी किया गया है.

**कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S

**सीए पी. एम. वीरामनी**
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएनः 23023933BGVFVB8763

**कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673

**सीए निरंजन जोशी**
भागीदार
सदस्य सं. 102789
यूडीआईएनः 23102789BGWREB5291

**कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W

**सीए सचिन वी. लूथरा**
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएनः 23109127BGQVHR6655

**कृते मेसर्स पी वी ए आर  एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन  005223C

**सी रुची अग्रवाल**
भागीदार
सदस्य सं. 504134
यूडीआईएनः 23504134BGWTPP4106

**कृते मेसर्स गोपाल शर्मा  एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन  02803C

**सीए गौतम शर्मा**
भागीदार
सदस्य सं. 079224
यूडीआईएनः 23079224BGTKQ02274

**कृते मेसर्स एन बी एस एंड कं**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

**सीए प्रदीप जे. शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएनः 23046940BGPTTS7892

स्थान : मुंबई
दिनांकः 6 मई, 2023

**फॉर्म न. एमआर-3**
**सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट**
**01-04-2022 से 31-03-2023 की अवधि के लिए**
[सेबी के परिपत्र क्रमांक सेबी सीआईआर/ सीएफ़डी/ सीएमडी1/ 27/ 2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के साथ पठित सेबी (लोडर) के विनियमनों, 2015 के नियमन 24 ए के संबंध में]

प्रति,
सदस्य,
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** (जिसे यहाँ के बाद से "बैंक" कहा गया है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है. सचिवीय लेखा परीक्षण इस प्रकार से किया गया है कि हमें कॉरपोरेट संहिता/ सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हो.

सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान, बैंक द्वारा बनाई गई बैंक की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृतों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड और इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लेखा परीक्षण की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि यहाँ बाद में उचित रूप से, विधिपूर्वक रिपोर्ट करने के लिए बैंक के पास बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

निम्न प्रावधानों के अनुसार हमने 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लेखा परीक्षण की अवधि के लिए बैंक द्वारा बनाए गए कागजातों, कार्यवृत्तों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड का परीक्षण किया है:

i. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970;

ii. राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रबंधन) की योजना, 1970;

iii. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग विनियमन (कंपनी) नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित);

iv. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1945 और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश.

v. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998;

vi. डिपॉजिटरीज़ अधिनियम, 1996 और विनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;

vii. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं नियम एवं उसके अंतर्गत प्रचलित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमन;

viii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 (`सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नानुसार नियमन एवं दिशानिर्देश):-

   ए. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर एवं अधिग्रहणों का भौतिक अधिग्रहण) विनियमन 2011;

   बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का निषेध) विनियमन, 2015 ;

   सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

   डी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंश आधारित कर्मचारी लाभ एवं श्रम-जन्य इक्विटी) विनियमन, 2021; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

   ई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2021;

   एफ़. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीयन) विनियमन, 2021; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

   जी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाइबैक) विनियमन, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

   एच. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण एवं शैक्षणिक निधि) विनियमन, 2009;

   आई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम एवं अंश हस्तांतरण एजेंट्स का रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993

   जे. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरीज़ एवं सहभागी) विनियमन, 2018;

हमने बैंक के अन्य लागू अधिनियमों, क़ानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन हेतु बैंक द्वारा बनाई गई प्रणालियों एवं तंत्र के लिए बैंक तथा उसके अधिकारियों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है.

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

ए) भारत के कंपनी सचिव के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक. **(लागू नहीं है क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शामिल नहीं है)**

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ["सूचीयन विनियम"]

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने सामान्यतया अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है.

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि –**

बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम, नियम एवं विनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे.

बोर्ड की निर्धारित बैठकों की जानकारी के लिए सभी निदेशकों को उचित सूचना दी गई है, बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और कार्यसूची की मदों पर बैठक से पहले अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है.

निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को प्राप्त किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है.

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के साथ बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं.

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित विशिष्ट घटनाओं या कार्रवाइयों का पालन किया था जो उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के मामलों पर प्रभाव डाल सकता है:

1. बैंक के कार्यापालक निदेशक के रूप में श्री मानस रंजन बिस्वाल की अधिवर्षिता.
2. कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में श्री मंगेश मांडेकर की सेवा समाप्ति और एस. के. दास का बैंक के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नामांकन.
3. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री राजकिरण रै जी की अधिवर्षिता.
4. बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में सुश्री ए मणिमेखलै की नियुक्ति.
5. ₹ 1983 करोड़ के अप्रतिभूत, अधीनस्थ, कर योग्य, गैर-परिवर्तनीय, शाश्वत, पूर्णतः भुगतान किए गए बासेल III अनुपालक अतिरिक्त टियर-1 बांड ("बॉण्ड") का निर्गम और आबंटन.
6. श्री बी.एस वेंकटेश, बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी की सेवा समाप्ति और बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में श्री ओमप्रकाश एस करवा की नियुक्ति.
7. श्री श्रीनिवासन वरदराजन की अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति.
8. बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री रामसुब्रमणियन की नियुक्ति.
9. टियर-2 पूंजी ("बॉण्ड") में शामिल करने के लिए पात्र डिबेंचर की प्रकृति में अप्रतिभूत, अधीनस्थ, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, पूर्णतः भुगतान किए गए बासेल III अनुपालन टीयर -2 बॉण्ड का 2200 करोड़ रुपए का निर्गम और आबंटन.
10. पहले के आरटीए डाटामेटिक्स बिजनेस सॉल्यूशन्स लिमिटेड के स्थान पर केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड की बैंक के निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति.

**कृते रागिनी चोकसी एवं कं.**
**कंपनी सचिव**
**फर्म पंजीकरण संख्या: 92897**

**स्थान: मुंबई**
**दिनांक: 30.05.2023**

**उमाशंकर हेगडे**
**भागीदार**
**एम.सं: A22133 #सीपी सं: 11161**
**यूडीआईएन: – A022133E000416648**
**आईसीएसआई यूनीक कोड: P1988MH05 6900**
**पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र सं.–659/2020**

**इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो परिशिष्ट 'ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है.**

**परिशिष्ट 'ए'**

प्रति,
सदस्य,
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारे सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए.

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है. हमारा उत्तरदायित्व इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त है.

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तु के शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है. परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही हैं. हम विश्वास करते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, हमारी राय प्रकट करने का एक उचित आधार प्रदान करती है.

3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता की जांच नहीं की है.

4. जहां कहीं आवश्यक रहा है, विधि, नियमों एवं विनियमनों एवं घटी हुई घटनाओं आदि के अनुपालन बारे में हमने प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है.

5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों एवं दूसरे लागू विधि, नियमों एवं विनियमनों मानकों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है. हमारा परीक्षण प्रक्रियाओं का परीक्षण आधार पर सत्यापन करने तक सीमित था.

6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

**कृते रागिनी चोकसी एवं कं.**
**कंपनी सचिव**
**फर्म पंजीकरण संख्या: 92897**

**स्थान: मुंबई**
**दिनांक: 30.05.2023**

**उमाशंकर हेगडे**
**भागीदार**
**एम.सं: A22133 #सीपी सं: 11161**
**यूडीआईएन: – A022133E000285660**
**आईसीएसआई यूनीक कोड: P1988MH05 6900**
**पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र सं.–659/2020**

# यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट
# 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियमन, 2015 के विनियमन 24 ए के अंतर्गत ]

हमने परीक्षण किया है :

ए) **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** ("सूचीबद्ध संस्था") द्वारा सभी दस्तावेज़ एवं रिकॉर्ड हमें उपलब्ध कराये गए एवं स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है,

बी) सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज में फ़ाइल/प्रस्तुत किए गए हैं,

सी) सूचीबद्ध संस्था की वैबसाइट,

डी) अन्य कोई दस्तावेज़/फ़ाइल, जो भी संबंधित है, जिनका इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए विश्वास किया गया है.

31 मार्च, 2023 ("समीक्षा अवधि") को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन के संबंध में निम्न के प्रावधानों के साथ :

ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") एवं विनियमन, इसके अंतर्गत जारी परिपत्र, दिशानिर्देश; एवं

बी) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा इसके अंतर्गत जारी विनियमन, परिपत्र, दिशानिर्देश;

विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और उनके द्वारा जारी परिपत्र / दिशानिर्देशों की जांच की गई है, में शामिल हैः-

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का भौतिक अधिग्रहण) विनियम, 2011 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018; **(समीक्षा अवधि के दौरान बैंक के लिए लागू नहीं)**

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटि) विनियम, 2021 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार; **(समीक्षा अवधि के दौरान बैंक के लिए लागू नहीं)**

एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया लेनदेन का निषेध) विनियम, 2015 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी एवं सहभागी) विनियम, 2018;

आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटि शेयरों का असूचीयन) विनियम, 2021; **(समीक्षा अवधि के दौरान बैंक के लिए लागू नहीं)**

जे) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण एवं शैक्षणिक निधि) विनियम, 2009;
और इनके तहत जारी परिपत्र/ दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं;

**हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं, कि समीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध संस्था की अनुपालन स्थिति निम्नानुसार है:**

| क्र.सं | विवरण | अनुपालन की स्थिति (हाँ/नहीं / लागू नहीं) | पीसीएस द्वारा टिप्पणी/कथन |
|---|---|---|---|
| 1 | **सचिवीय मानक:**<br><br>बैंक का अनुपालन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा, 118(10) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों (एसएस) के अनुसार है एवं यह अनिवार्य रूप से लागू है. | लागू नहीं | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक संबंधित बैंक है कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं. |
| 2 | **नीतियों को अपनाना एवं यथासमय अद्यतन करना:**<br><br>• सेबी विनियमों के तहत सभी लागू नीतियों को सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से अपनाया जाता है.<br><br>• सभी नीतियां सेबी विनियमों के अनुरूप हैं एवं सेबी द्वारा जारी विनियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार इनकी समीक्षा की गई है तथा इन्हें यथासमय अद्यतित किया गया है. | हाँ | कोई नहीं |
| 3 | **वेबसाइट पर रखरखाव एवं प्रकटीकरण:**<br><br>• सूचीबद्ध संस्था एक कार्यात्मक वेबसाइट का रखरखाव कर रही है.<br><br>• वेबसाइट पर एक अलग अनुभाग के तहत दस्तावेजों/सूचना का यथासमय प्रसार<br><br>• विनिमय 27(2) के तहत वार्षिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किए गए वेब-लिंक सटीक एवं विशिष्ट हैं, जो वेबसाइट के प्रासंगिक दस्तावेज (जों)/अनुभाग को पुनः निर्देशित करते हैं. | हाँ | कोई नहीं |
| 4 | **निदेशक की निरर्हता:**<br><br>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत बैंक का कोई भी निदेशक निरर्हित नहीं है. | हाँ | कोई नहीं |
| 5 | **सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों की जो जांच की गई है, उसके विवरणों को जांचना:**<br><br>(ए) सामग्री सहायक कंपनियों की पहचान<br><br>(बी) महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के साथ-साथ अन्य सहायक कंपनियों की अपेक्षाओं का प्रकटीकरण. | लागू नहीं | (ए) किसी भी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी की पहचान नहीं की गई है. (बी) अन्य सहायक कंपनियों के प्रकटीकरण की जांच की गई एवं इन्हें सही पाया गया. |

| क्र.सं | विवरण | अनुपालन की स्थिति (हाँ/नहीं / लागू नहीं) | पीसीएस द्वारा टिप्पणी/कथन |
|---|---|---|---|
| 6 | **दस्तावेजों का संरक्षण:**<br><br>सूचीबद्ध संस्था सेबी विनिमयों के तहत निर्धारित अभिलेखों को संरक्षित कर रही है एवं उसका रखरखाव कर रही है एवं सेबी एलओडीआर विनिमय, 2015 के तहत निर्धारिक दस्तावेजों के संरक्षण की नीति और अभिलेखीय नीति के अनुसार अभिलेखों का निपटान कर रही है. | हाँ | कोई नहीं |
| 7 | **कार्यनिष्पादन मूल्यांकन:**<br><br>सूचीबद्ध संस्था ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में/ सेबी विनियमों में निर्धारित वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों और समितियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है. | हाँ | कोई नहीं |
| 8 | **संबंधित पार्टी लेनदेन:**<br><br>(ए) सूचीबद्ध संस्था ने सभी संबंधित पार्टी लेनदेन हेतु लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की है.<br><br>(बी) सूचीबद्ध संस्था ने पुष्टि के साथ विस्तृत कारण प्रदान किए हैं कि, यदि कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तो क्या लेनदेन लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित/ अनुसमर्थित/ अस्वीकृत कर दिया गया है. | <br><br>हाँ<br><br><br><br>लागू नहीं | <br><br>इस अवधि के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया है |
| 9 | **घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण:**<br><br>सूचीबद्ध संस्था ने सेबी एलओडीआर विनिमय, 2015 की अनुसूची III सहित विनियम 30 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक प्रकटीकरण प्रदान किए गए हैं. | हाँ | कोई नहीं |
| 10 | **भेदिया ट्रेडिंग का निषेध:**<br><br>सूचीबद्ध संस्था विनियम 3(5) एवं 3(6) सेबी (भेदिया ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में है. | हाँ | कोई नहीं |
| 11 | **सेबी या स्टॉक एक्स्चेंज द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो:**<br><br>सेबी विनियमों और इसपर जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के तहत सेबी या स्टॉक एक्स्चेंजों द्वारा (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत को शामिल करते हुए) सूचीबद्ध संस्था/ इसके प्रमोटरों/ निदेशकों/ सहायक कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. | लागू नहीं | इस अवधि के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं देखा पाया गया है |
| 12 | **अतिरिक्त गैर-अनुपालन, यदि कोई हो:**<br><br>सभी सेबी विनियमन/ परिपत्र/ मार्गदर्शन नोट आदि के लिए कोई अतिरिक्त गैर-अनुपालन नहीं पाया गया है. | लागू नहीं | समीक्षाधीन अवधि के लिए कोई अतिरिक्त गैर-अनुपालन नहीं पाया गया है. |

**सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफ़डी/सीएमडी1/114/2019 दिनांक 18 अक्तूबर, 2019 के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं एवं उनकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों से वैधानिक लेखा-परीक्षकों के इस्तीफे से संबंधित अनुपालन:**

| क्र.सं: | विवरण | | अनुपालन की स्थिति (हां/ नहीं/लागू नहीं) | पीसीएस के द्वारा टिप्पणी / कथन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **लेखापरीक्षक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति करते समय निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन** | | | |
| | i. | यदि लेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर इस्तीफा दिया है, तो लेखापरीक्षक ऐसे इस्तीफे से पहले, ऐसी तिमाही के लिए सीमित समीक्षा / लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है, या | लागू नहीं | समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं |
| | ii. | यदि लेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से 45 दिनों के बाद इस्तीफा दिया है, तो ऐसे इस्तीफे से पहले लेखापरीक्षक ने ऐसी तिमाही के साथ-साथ अगली तिमाही के लिए भी सीमित समीक्षा / लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है. | लागू नहीं | समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं |
| | iii. | यदि लेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के लिए सीमित समीक्षा/ लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो लेखापरीक्षक ने ऐसे इस्तीफे से पहले, ऐसे वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए सीमित समीक्षा/ लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है और साथ ही इसके लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी जारी की है. | लागू नहीं | समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं |
| 2 | **सांविधिक लेखापरीक्षक के इस्तीफे से संबंधित अन्य शर्तें** | | | |
| | i. | लेखापरीक्षा समिति को सूचीबद्ध संस्था/इसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के संबंध में लेखापरीक्षक द्वारा उठाए गए मुद्दों को रिपोर्ट करना: | | |
| | **ए** | सूचीबद्ध संस्था/महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी भी मुद्दे के मामले में जैसे सूचना की अनुपलब्धता/प्रबंधन द्वारा असहयोग जिसने लेखापरीक्षा प्रक्रिया को बाधित किया है, लेखापरीक्षक ने सूचीबद्ध संस्था की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से संपर्क किया है और लेखापरीक्षा समिति ऐसे मुद्दों को सीधे एवं तत्काल, विशेष रूप से त्रैमासिक लेखापरीक्षा समिति की बैठक की प्रतीक्षा किए बिना प्राप्त करेंगे. | लागू नहीं | समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं |
| | **बी** | यदि लेखापरीक्षक इस्तीफा देने का प्रस्ताव करता है, तो प्रस्तावित इस्तीफे के संबंध में सभी मुद्दे, महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित लेखापरीक्षा समिति के ध्यानार्थ लाए गए हैं. ऐसे मामलों में जहां प्रस्तावित इस्तीफा कंपनी से सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण है, लेखा परीक्षक ने लेखापरीक्षा समिति को मांगी गई सूचना/ स्पष्टीकरण के विवरण और प्रबंधन द्वारा प्रदान नहीं किए जाने के बारे में सूचित किया है, जैसा लागू हो. | | |

| क्र.सं: | विवरण | अनुपालन की स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं) | पीसीएस के द्वारा टिप्पणी / कथन |
|---|---|---|---|
| | **सी** लेखापरीक्षा समिति/निदेशक मंडल द्वारा जैसा भी मामला हो, इस्तीफा देने के प्रस्ताव के संबंध में लेखा परीक्षक से ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, जैसा ऊपर उल्लेख किया है, मामले पर विचार-विमर्श किया जाएगा और प्रबंधन एवं लेखा परीक्षक को उनके विचार संप्रेषित किए जाएंगें. | | |
| | ii. जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में अस्वीकरणः<br>लेखापरीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एक उपयुक्त अस्वीकरण प्रदान किया है, जो कि आईसीएआई/एनएफ़आरए द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार है, जहां सूचीबद्ध संस्था/इसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी ने लेखापरीक्षक द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है. | लागू नहीं | समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं |
| 3 | सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/114/2019 दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 में अनुबंध-ए में निर्दिष्ट प्रारूप में सूचीबद्ध संस्था/इसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी ने इस्तीफे पर लेखा परीक्षक से जानकारी प्राप्त की है. | लागू नहीं | समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं |

बैंक ने 18 अक्टूबर, 2019 के सेबी सं सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/114/2019 में उल्लिखित बिंदु 6(ए) और 6(बी) का अनुपालन किया है और सांविधिक लेखापरीक्षकों को इससे संबंधित जारी नियुक्ति पत्र / पूरक पत्र में सभी नियमों और शर्तों को शामिल किया है.

**सूचीबद्ध संस्था ने नीचे निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों और उसके तहत जारी किए गए परिपत्रों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है:-**

**- शून्य -**

## विगत रिपोर्टों में पायी गयी टिप्पणियों के अनुपालन में सूचीबद्ध संस्था द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :

| क्र. सं. | अनुपालन की आवश्यकता (विशिष्ट वाक्य सहित वियमन/परिपत्र/दिशानिर्देश) | विनियम/परिपत्र | विचलन | किसके द्वारा कार्रवाई की गयी | कार्रवाई का प्रकार | उल्लंघन का ब्यौरा | दंड की राशि | पेशेवर कंपनी सचिव की द्वारा किए गये अवलोकन / टिप्पणी | प्रबंधन का जवाब | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का विनियम 17(बी)<br><br>क्या सूचीबद्ध इकाई के पास कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, कम-से-कम आधे निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए | विनियम 17(बी) | चूँकि बैंक में कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं हैं, बोर्ड के निदेशकों की संख्या के अनुसार बोर्ड में कम-से-कम 6 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए. | | - | - | - | यद्यपि स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित नहीं हुए हैं और पीएसबी को स्थापित करने वाला अधिनियम स्वतंत्र निदेशकों को परिभाषित नहीं करता है वित्त मंत्रालय की फ़ाइल संख्या 6/ 20/ 2019 -बीओ.। दिनांक 30.08.2019 ने यह स्पष्ट किया है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम 1970 के खंड (जी) के तहत नियुक्त किए गए गैर-आधिकारिक निदेशक और धारा 9(3) के खंड (एच) के तहत नियुक्त किए गए गैर-आधिकारिक निदेशक अधिकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक की प्रकृति के समान हैं इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए बैंक के निदेशक मंडल ने उपरोक्त धारा के खंड (जी) (एच) और (आई) के तहत नियुक्त/ नामित निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में विचार किया है.<br><br>रिपोर्ट किये गये वर्ष में बैंक के बोर्ड में खंड (जी) के तहत नियुक्त कोई निदेशक नहीं थे और खंड (एच) और (आई) के तहत नियुक्त / नामित दोनों निदेशक के साथ बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय के आधार पर न्यूनतम 6 निदेशकों के स्थान पर केवल 4 स्वतंत्र निदेशक थे. | गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (स्वतंत्र) को शामिल करने के साथ, सेबी एलओडीआर के अनुसार बैंक का बोर्ड अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों से बना है. | अब अनुपालन किया गया है. |
| 2 | सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का विनियम 19(1)<br><br>निदेशक मंडल को दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों के साथ न्यूनतम तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करना चाहिए. | | बैंक के निदेशक मंडल में निर्धारित संख्या में गैर-कार्यपालक /स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण समिति में सदस्यों की कमी थी. | | | | | भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत गैर-कार्यपालक निदेशक एवं धारा 9 (3) (एच) के तहत तीन गैर-कार्यपालक निदेशक होने चाहिए. यद्यपि बोर्ड में अधिनियम की धारा 9 (3) (जी) के तहत गैर-कार्यपालक निदेशक नहीं हैं. किन्तु, अधिनियम की धारा 9(3) (एच) और 9(3) (आई) के तहत समिति का गठन करने हेतु नामित दो निदेशक हैं, जिससे एलओडीआर के अंतर्गत समिति के गठन की आवश्यकता की पूर्ति होती है. बैंक के बोर्ड द्वारा समिति के कार्य राष्ट्रीयकृत बैंक योजना, 1970 (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) के खंड 14ए के अनुसार किए जाते हैं. | भारिबैं परिपत्र दिनांक 26.04.2021 के अनुसार, एनआरसी में केवल गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं और न्यूनतम आधे सदस्य स्वतंत्र होंगे. बैंक का एनआरसी सभी गैर-कार्यकारी एवं स्वतंत्र निदेशकों से बना है. | अब अनुपालन किया गया है. |

**व्याप्तियाँ और समीक्षा की धारणाएं एवं सीमाएं:**

1. लागू क़ानूनों का अनुपालन और प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सूचनाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है.
2. हमारी जिम्मेदारी प्रासंगिक दस्तावेज़ एवं जानकारी की हमारी परीक्षा के आधार पर प्रमाणित करना है. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है.
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.
4. यह रिपोर्ट पूरी तरह सेबी (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 24ए (2) के अनुसार अनुपालन के अभीष्ट उद्देश्य के लिए है और यह न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता का आश्वासन है या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है

**कृते रागिनी चोकसी एवं कंपनी**
**कंपनी सचिव**

**उमाशंकर हेगडे**
**(पार्टनर)**
**एम.नं: A22133,**
**सीपी नं: 11161**
**यूडीआईएन : A022133E000322730**

**दिनांक: 17.05.2023**
**स्थान: मुंबई**

## निवेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाणपत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)
विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची अनुच्छेद सी खंड (10)(i) के अनुसरण में]

सेवा में,
**सदस्यगण,**
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
यूनियन बैंक भवन,239,
विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट,
मुंबई 400 021

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10)(i) के अनुसार हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) जिसका केन्द्रीय कार्यालय यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 में अवस्थित है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक द्वारा हमारे समक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था.

हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार और आवश्यक सत्यापन पोर्टल (www.mca.gov.in) पर (निवेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) सहित) और बैंक तथा इसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, एतद्द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या अन्य किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बनाए रखने से नहीं रोका गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | डीआईएन | बैंक में नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीनिवासन वरदराजन | 00033882 | 07-11-2022 |
| 2. | ए. मणिमेखलै | 08411575 | 03-06-2022 |
| 3. | नितेश रंजन | 08101030 | 10-03-2021 |
| 4. | रजनीश कर्नाटक | 08912491 | 21-10-2021 |
| 5. | निधु सक्सेना | 09691292 | 01-02-2022 |
| 6. | रामसुब्रमणियन एस | 08747165 | 21-11-2022 |
| 7. | समीर शुक्ला | 06435463 | 08-11-2021 |
| 8. | अरुण कुमार सिंह | 09498086 | 26-04-2019 |
| 9. | सूरज श्रीवास्तव | 09444372 | 21-12-2021 |
| 10. | लक्ष्मण एस उप्पर | 02453845 | 21-03-2022 |
| 11. | जयदेव मदुगुला | 03574167 | 28-06-2018 |
| 12. | प्रीति जय राव | 03352049 | 29-07-2021 |

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है. हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें. यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

**कृते रागिनी चोकसी एवं कंपनी**
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण नंबरः 92897

**उमाशंकर हेगडे**
**(पार्टनर)**
**एम.नं: A22133 सीपी नं: 11161**
**यूडीआईएन : A022133E000319155**

दिनांकः 17.05.2023
स्थानः मुंबई

# सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

**प्रति,**
निदेशक मंडल,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
मुंबई.

**सेबी के विनियमन 17(8) (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)
विनियमन, 2015 के तहत सीईओ एवं सीएफ़ओ प्रमाणपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे जानकारी एवं विश्वास के अनुसार

(ए) हमने वर्ष के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

1) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नहीं है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो;

2) ये विवरण सूचीबद्ध इकाई के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इसमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू क़ानूनी एवं विनियमनों का अनुपालन किया गया है.

(बी) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सूचीबद्ध इकाई द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हो या जिससे सूचीबद्ध इकाई की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियां, जो कोई हों और उन कमियों को सुधारने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

(डी) हमने लेखापरीक्षकों एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है. -

1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन;

2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका उल्लेख किया गया है; और

3) उन्हें ज्ञात धोखाधड़ी के प्रमुख मामले, जिनसे यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

**कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

**(प्रफुल्ल कुमार सामल)**
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

**कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

**(ए. मणिमैखले)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थानः मुंबई
दिनांकः 06.05.2023

5.16 वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल एवं अन्य समिति बैठकों में निदेशकों का ब्यौरा तथा उपस्थिति निम्नानुसार हैं :

| क्र. सं | निदेशक का नाम | प्रकार | निदेशक मंडल की समिति(यों) के निदेशक एवं सदस्य | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बोर्ड | | एमसीबी | | एसीबी | | एसआरसी | | आरएमसी | | आईटीएससी | | एससीएमएफ़ | | डीपीपीसी | | एसटीसीबी ** | |
| | | | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित |
| 1 | श्री श्रीनिवासन वरदराजन 07.11.2022 से | एनईसी | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | सुश्री ए. मणिमेखलै 03.06.2022 से | एमडी & सीईओ | 14 | 14 | 20 | 20 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | श्री नितेश रंजन 10.03.2021 से | ईडी | 17 | 17 | 23 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | श्री रजनीश कर्नाटक 21.10.2021 से | ईडी | 17 | 16 | 23 | 22 | - | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | श्री निधु सक्सेना 01.02.2022 से | ईडी | 17 | 17 | 23 | 21 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | श्री रामसुब्रमणियन एस. 21.11.2022 से | ईडी | 6 | 6 | 10 | 10 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | श्री समीर शुक्ला केंद्र सरकार द्वारा नामित 08.11.2021 से | एनईडी | 17 | 10 | - | - | 11 | 8 | 4 | 2 | - | - | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | - | - |
| 8 | श्री अरुण कुमार सिंह आरबीआई द्वारा नामित निदेशक 26.04.2019 से | एनईडी | 17 | 17 | 23 | 23 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - |
| 9 | श्री सूरज श्रीवास्तव 21.12.2021 से | आईडी/एनईडी | 17 | 17 | - | - | 11 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 |
| 10 | श्री लक्ष्मण एस. उप्पर 21.03.2022 से | आईडी/एनईडी | 17 | 17 | 21 | 20 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 11 | डॉ. जयदेव मदुगुला 28.06.2018 से | आईडी / एसडी | 17 | 16 | - | - | 11 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 12 | सुश्री प्रीति जय राव 29.07.2021 से | आईडी / एसडी | 17 | 15 | 18 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 31.03.2023 से पूर्व बैंक के निदेशक मंडल के निदेशकों की बैठकों में उपस्थिति की जानकारी निम्नानुसार हैं | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | श्री राजकिरण रै. जी 01.07.2017 से 31.05.2022 | एमडी & सीईओ | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | श्री मानस रंजन बिस्वाल 01.03.2019 से 30.04.2022 | ईडी | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या

** 20 प्रस्तावों को अलग-अलग समय अंतराल पर शेयर अंतरण समिति को परिपत्र संकल्प के रूप में परिचालित किया गया तथा इसे समिति द्वारा अनुमोदित किया गया.

एमडी एवं सीईओ - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ईडी- कार्यपालक निदेशक

एनईडी - गैर कार्यपालक निदेशक

आईडी - स्वतंत्र निदेशक

एसडी - शेयरधारक निदेशक

एनईसी- गैर कार्यपालक अध्यक्ष

5.16 वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल एवं अन्य समिति बैठकों में निदेशकों का ब्यौरा तथा उपस्थिति निम्नानुसार हैं :

| क्र. सं | निदेशक का नाम | प्रकार | निदेशक मंडल की समिति(यों) के निदेशक एवं सदस्य | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | आरसीएनसीबी & डबल्यूडी | | एनआरसी | | एचआरएससी | | सीएसी-I | | आरईएमसी | | सीडीआरसीएफ़ | | बीसीपीई | |
| | | | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित | आयोजित* | उपस्थित |
| 1 | श्री श्रीनिवासन वरदराजन 07.11.2022 से | एनईसी | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | सुश्री ए. मणिमेखलै 03.06.2022 से | एमडी & सीईओ | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 29 | 29 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - |
| 3 | श्री नितेश रंजन 10.03.2021 से | ईडी | - | - | - | - | 5 | 3 | 32 | 28 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - |
| 4 | श्री रजनीश कर्नाटक 21.10.2021 से | ईडी | - | - | - | - | 5 | 5 | 32 | 30 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - |
| 5 | श्री निधु सक्सेना 01.02.2022 से | ईडी | - | - | - | - | 5 | 4 | 32 | 26 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - |
| 6 | श्री रामसुब्रमणियन एस. 21.11.2022 से | ईडी | - | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 7 | श्री समीर शुक्ला केंद्र सरकार द्वारा नामित 08.11.2021 से | एनईडी | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 |
| 8 | श्री अरुण कुमार सिंह आरबीआई द्वारा नामित निदेशक 26.04.2019 से | एनईडी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | श्री सूरज श्रीवास्तव 21.12.2021 से | आईडी/एनईडी | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | श्री लक्ष्मण एस. उप्पर 21.03.2022 से | आईडी/एनईडी | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | डॉ. जयदेव मदुगुला 28.06.2018 से | आईडी / एसडी | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 12 | सुश्री प्रीति जय राव 29.07.2021 से | आईडी / एसडी | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 31.03.2023 से पूर्व बैंक के निदेशक मंडल के निदेशकों की बैठकों में उपस्थिति की जानकारी निम्नानुसार हैं | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | श्री राजकिरण रै. जी 01.07.2017 से 31.05.2022 | एमडी & सीईओ | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | श्री मानस रंजन बिस्वाल 01.03.2019 से 30.04.2022 | ईडी | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**प्रति**

**भारत के राष्ट्रपति /**

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य**

**मुंबई**

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

**अभिमत**

1. हमने **यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया** (''बैक'') के साथ दिये जा रहे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें, 31 मार्च, 2023 की तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना जिसमें वर्ष के परिणाम शामिल हैं के सार सहित एवं स्टैंडअलोन वितीय विवरण के नोट्स शामिल है.

 i) हमने प्रधान कार्यालय, 20 शाखाओं, एक ट्रेज़री शाखा और 18 एफजीएमओ कार्यालयों की लेखा परीक्षा की है.

 ii) 2691 शाखाओं की लेखा परीक्षा सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों ने की है और

 iii) 3 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षकों ने की है.

 हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाएँ एवं अन्य लेखापरीक्षक के लिए शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया है, लाभ हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण उन 6406 शाखाओं के रिटर्न हैं जो लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं थीं, को भी तुलन पत्र में शामिल किया गया है. लेखा परीक्षा न की गई इन शाखाओं में अग्रिमों का 23.82 प्रतिशत, जमा का 37.81 प्रतिशत, ब्याज आय का 17.01 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 33.86 प्रतिशत हिस्सा है.

 हमारे मत में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंकिग विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा बैंक के लिये अपेक्षित एवं भारत में मान्य सामान्य तौर पर लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं एवं प्रस्तुत है औरः

 ए. तुलन पत्र, जिसे उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2023 को बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए उचित रूप से तैयार किया गया है;

 बी. लाभ और हानि खाता, उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही अधिशेष दर्शाता है; तथा

 सी. नकद प्रवाह विवरण उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है.

**अभिमत का आधार:**

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीटयूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खंड के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित है. हम आईसीएआई की आचार संहिता एवं आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक शामिल हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी किये गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को इन आवश्कताओं एवं आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

**मामलों का प्रभाव**

3. हम आपका ध्यान अनुसूची 18 के नोट संख्या 15(बी)(ii)बी(iv)(ए) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों की ओर आकर्षित करते हैं जिसके अनुसार पिछले वर्ष के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 1521.62 करोड़ की राशि की अतिरिक्त देयता के अपरिवर्तित भाग के संबंध में इसे 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से प्रभारित कर लिया गया है. अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के कारण बैलेन्स शीट में कोई भी परिशोधित व्यय नहीं है.

इन मामलों के संबंध में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

## मुख्य लेखा परीक्षा मामले

4. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वो मामले हैं जो, चालू अवधि के लिये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में, हमारे पेशेवर निर्णयों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रहे हैं. ये मामले पूरे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में देखे गए, और इस पर अपना अभिमत बनाने में, हम इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं देते हैं. हम इस बात पर दृढ़ हैं कि निम्नलिखित निर्धारित मामले हमारी रिपोर्ट में बताने के लिये मुख्य लेखा परीक्षा मामले हैं.

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| 1 | **विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएससी) तथा प्रावधानीकरण** | |
| | 31 मार्च, 2023 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश कुल आस्तियों का 85.98% थे, जो आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है. उक्त पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड एवं अन्य दिशानिर्देश) द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित हैं. बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सोल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैन्युअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) की सेवाओं के उपयोग पर अधिक निर्भर करता है.<br><br>बैंक में आईआरएसी मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है. | हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित था.<br><br>हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसकी संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में प्रयुक्त तर्क एवं मान्यताओं की समीक्षा एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आकलन, ऋणों का संवितरण एवं निगरानी शामिल हैं.<br><br>इनमें निम्नलिखित के मूल्यांकन और समझ शामिल हैं:<br>• आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली<br>• गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैन्युअल नियंत्रण;<br>• आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता;<br>• अग्रिमों के मामले में ऋण अनुमोदन, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया पर समग्र नियंत्रण और निवेश के मामले में खरीददारी, बिक्री तथा निर्णय प्रणाली पर नियंत्रण रखा है.<br>• हमने ऋण और निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा प्रावधान किया है.<br>• हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहाँ कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है.<br>• हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न, जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा दी गयी हैं, पर विश्वास किया है. |

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>मुख्य लेखा परीक्षा मामले</th><th>हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>• हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य ऐसे पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं, के कार्यों की समीक्षा एसए 620 के अनुसार लेखापरीक्षक विशेषज्ञ की सेवाएं लेकर कराई हैं.<br>• इसके अतिरिक्त हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है.<br>• हमने बैंक की आतंरिक लेखा परीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट के रिपोर्टों एवं उक्त हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है.<br>• अंक संबंधी सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन.<br>हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है.</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण</td></tr>
<tr><td></td><td>कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में, बैंक की वित्तीय लेखाअवधि एवं रिपोर्टिंग सिस्टम कोर बैंकिंग सोल्युशन के प्रभावी कार्यनिषादन पर एवं सीबीएस से जुड़े हुए या स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे अन्य आईटी सिस्टम पर अत्यधिक रूप से निर्भर है. लेनदेन की अत्यधिक मात्रा, विविधता एवं जटिलता को प्रतिदिन प्रसंस्करित किया जाता है एवं जोखिम यह है कि औटोमेटेड लेखा पद्धति एवं संबन्धित आंतरिक नियंत्रण या तो उपर्युक्त तौर पर डिजाइन नहीं है या प्रभावी तौर से परिचालन नहीं कर रहा है. विशेष केंद्रण के क्षेत्र इस तर्क से संबन्धित हैं कि डाटा की विश्वसनीयता एवं शुद्धता, पहुँच का प्रबंधन एवं दायित्वों का पृथक्करण सिस्टम में फीड होती है. ये मुख्य सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि एप्लिकेशन एवं डाटा में बदलाव उचित, प्राधिकृत, शुद्ध एवं जाँचे गए हैं ताकि सिस्टम सही एवं विश्वसनीय रिपोर्ट एवं अन्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचनाएँ सृजित करे जोकि वित्तीय विवरणों के प्रसारण के लिए प्रयोग होती है.<br>हमने निम्नलिखित के लिए सीबीएस की एवं अन्य आईटी सिस्टम के सही निषादन पर भरोसा किया है:<br>• भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं आय निर्धारण<br>• अग्रिम पोर्टफोलियो का प्रावधानीकरण</td><td>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में सिस्टम से टेस्ट चेक बेसिस के आधार पर सृजित अन्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचनाओं के सत्यापन द्वारा आईटी सिस्टम की परिचालन प्रभावकारिता की समीक्षा, जांच एवं सत्यापन शामिल है.<br>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल हैं:<br>• यह सुनिश्चित करना कि टेस्ट चेक बेसिस के आधार पर किए गए हमारे सत्यापन में पायी गयी कमियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन को सूचित कर दी गयी हैं.<br>• वो क्षेत्र जहां कमियाँ पायी गयी थी, में स्वतंत्र वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ जैसे मूल जांच की जा सकती है.<br>• विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ जैसे अनुपातीय विश्लेषण, ट्रेंड विश्लेषण, उचित परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण.<br>• शाखा के लेखापरीक्षा के आधार पर सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया कार्य एवं पास की गयी सुधारात्मक प्रविष्टियों (एमओसी) पर निर्भरता.<br>• जहां भी उपलब्ध हो, बाहरी वेंडर जांच रिपोर्टें पर विश्वास करना.<br>• आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा एवं मुख्य आईटी कंट्रोल के अनुपालन के संबंध में आईटी विभाग से परिचर्चा.</td></tr>
</table>

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| | • अग्रिम एवं देयताओं संबंधी विभिन्न मदों एवं विभिन्न वर्गों में इसकी अवधि पूर्ण होने के स्वरूप की पहचान<br>• विभिन्न उचंत एवं विविध खातों, अवैयक्तिक खातों, अंतर-शाखा शेष एवं अन्य इस तरह के खातों का समाधान<br>• निवेश संबंधी लेनदेन को रिकॉर्ड करना<br>• जमा एवं अन्य देयताओं पर ब्याज खर्च | |
| 3 | **आस्थगित कर की मान्यता और माप** | |
| | बैंक ने 31 मार्च, 2023 को ₹ 8,65,97,447 ('000 में) की निवल आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता दी है. वस्तुनिष्ठ अनुमान के अलावा, आस्थगित कर संपत्ति की पहचान और माप उपलब्धता के संबंध में निर्णय और कई अनुमानों और भविष्य में मुनाफे की दृश्यता पर आधारित है. मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में हाल ही में हुई कमी से समय की विस्तारित अवधि में उपलब्धता और लाभ का पुर्वानुमान लगाया जाता है जिससे अनिश्चितता और उक्त परिसंपत्ति की अनुचित मान्यता के अंतर्निहित जोखिम में कमी होती है. | बैंक पर लागू कर कानूनों और प्रासंगिक नियमों की समझ हासिल करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में जोखिम मूल्यांकन को शामिल किया गया है.अपनी समझ के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक मुख्य नियंत्रणों और वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दोनों परीक्षण किए हैं. हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है:<br>• आय पर करों के लिए लेखांकन एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की पहचान और माप के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन;<br>• प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए बजट और मध्यावधि अनुमानों के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली पद्धति, मान्यताओं जैसे एकरूपता, प्रबंधन अभ्यावेदन, सामंजस्य और निरंतरता और अन्य मापदंडों का आकलन किया गया, जिसमें आय वृद्धि और लागू कर दरें शामिल हैं और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया है.<br>• मुनाफे की उपलब्धता और दृश्यता की संभावना का आकलन किया गया जिसके सापेक्ष बैंक भविष्य में इस आस्थगित कर संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा. |

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचनाएं**

5. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं. अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट के अंदर वर्ष की मुख्य बातें, परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय अनुपात, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एवं उसके उपर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं, जो हमें इन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासेल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पीलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी केवल चिन्हित अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से विरोधाभासी है या लेखापरीक्षा में जानकारी ली गई है, या महत्वपूर्ण रूप से मेल नहीं होता है.

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले, यदि हमारे कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य सूचनाओं में बड़ी विसंगतियाँ हैं, तो हमें इस बात को रिपोर्ट करना होगा. इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है.

जब हम अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष पर पंहुचते है निकालें कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है.

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और गवर्नेंस के प्रभारियों की जिम्मेदारियाँ :**

6. बैंक के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारियों में बैंक के सही एवं निष्पक्ष वित्तीय स्थिति एवं नकद प्रवाह देने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किये जाने वाले लेखा नियमों, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानदंड एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 29 के प्रावधान एवं समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र एवं दिशानिर्देश के अनुरूप हों. इस जिम्मेदारी में बैंकों की आस्तियों के सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने एवं उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन करना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आतंरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही विचार देते हैं तथा महत्वपूर्ण गलत बयानी चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, से मुक्त हैं.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू है, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो.

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी होगा.

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ**

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समूचे तौर पर महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त है चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से, एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हमारा मत शामिल करना है. तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गयी लेखापरीक्षा हमेशा महत्वपूर्ण गलत बयानी को पकड़ लेगी. गलतबयानी धोखाधडी या त्रुटि की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के विवेकपूर्ण आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सके.

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम साथ हीः

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारे मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है. धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न धोखाधड़ी को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, साभिप्राय चूक, गलतबयानी या आतंरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें जो सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो.

- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन.

- लेखांकन की कार्यशील संस्था आधारित प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की सामर्थ्य पर संदेह बना सकती है. अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचते है कि ठोस अनिश्चितता नज़र आती है तो स्टैंडअलोन वितीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हैं. हालाँकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती हैं.

- प्रकटीकरण सहित, संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन एवं क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्हित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि उसे उचित प्रस्तुतिकरण माना जाए.

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, ऐसे मामलों में भी उनसे सम्प्रेषण करते हैं जो गवर्नेंस से प्रभारित हैं, नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा का समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आतंरिक नियंत्रण में अन्य महत्वपूर्ण कमियों, जिन्हें हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं.

हम गवर्नेंस के प्रभारी को भी वचन देते हैं कि हमने वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं की अनुपालना और अन्य ऐसे मामलों में सुरक्षा से संबन्धित उचित विवरण भी प्रदान करते हैं, जो हमें उचित प्रतीत होते हैं.

चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, गवर्नेंस के प्रभारी को संप्रेषित मामलों में से हम केवल उन्हीं मामलों को रिपोर्ट करते हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण हों, इसलिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ये विशेष हैं. हम इन मामलों को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं, जब तक कानून या विनियमन द्वारा मामले के बारे में लोकप्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या अत्यधिक दुर्लभ मामलों में हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारे रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हों.

**अन्य मामले:**

8. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 2694 घरेलू शाखाओं और प्रोसेसिंग केंद्रों सहित 3 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनका वित्तीय विवरण यह बताता है कि कुल आस्तियां 31 मार्च, 2023 को ₹ 2,66,41,76,397.19 (हजार में) है एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 25,17,25,101.73 (हजार में) है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लिया गया है. दिनांक 31 मार्च, 2023 को ये शाखाएं और कार्यालय 36.86% अग्रिम, 58.04% जमाओं, 48.89% गैर निष्पादक आस्तियों को कवर करती हैं और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के राजस्व में इन शाखाओं का योगदान 26.39% है. ये शाखाएं वित्तीय विवरण शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित हैं और जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गयी है, एवं हमारे विचार में जहाँ तक इसका संबंध राशियों एवं प्रकटीकरण से है जिन्हें शाखाओं के संबंध में जोड़े गए हैं, पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

   हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है.

**अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

9. तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.

   उपर्युक्त अनुच्छेद 5 एवं 8 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980, तथा उनमें अपेक्षित प्रकटनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं:

   ए. हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है.

   बी. हमारे विचार से, हमारी जानकारी में आये बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार में किये गए हैं; तथा

   सी. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

10. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संवैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से संवैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के लिए रिपोर्टिंग प्रतिबद्धता" के संबंध में पत्र क्र.डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 में अपेक्षित तथा जिसे उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई, 2020 को जारी सम्प्रेषण के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट विशेष मामलों के संबंध में हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

    ए) हमारे मत में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बनाने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है, बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों में कोई भिन्नता हो.

    बी) हमारे मत में, ऐसे वित्तीय संव्यवहारों या मामले, जिनका विपरीत प्रभाव बैंक की कार्यप्रणाली पर पड़ता हो, के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है.

सी) चूंकि बैंक कंपनीज़ अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनीज़ अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) में बैंक का निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं है.

डी) खातों के रख-रखाव तथा इनसे संबन्धित मामलों में, हमारी कोई विशेष या विपरीत टिप्पणी नहीं है.

ई) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ए** में दिए गए हैं. दिनांक 31 मार्च, 2023 को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी परिचालन के संबंध में हमारे रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं है.

11. **इनके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि:**

(ए) हमारे मत में, बैंक के द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुरूप विधिवत लेखे रखे गए हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक बहियाँ और विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां का दौरा हमने नहीं किया है.

(बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकद प्रवाह विवरण बैंक के खातों से मेल खाते हैं और संबन्धित विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां का दौरा हमने नहीं किया है.

(सी) बैंकिग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन बैंक की शाखाओं के लेखापरीक्षकों द्वारा खातों से संबन्धित रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं तथा यह रिपोर्ट उन्हीं के आधार पर तैयार की गई है. और

(डी) हमारे मत में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप है, और वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों की सीमा से असंगत नहीं हैं.

**कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S

**सीए पी. एम. वीरामणि**
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएनः 23023933BGVFVB8763

**कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673

**सीए निरंजन जोशी**
भागीदार
सदस्य सं.102789
यूडीआईएनः 23102789BGWREB5291

**कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W

**सीए सचिन वी लूथरा**
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएनः 23109127BGQVHR6655

**कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C

**सीए रूचि अग्रवाल**
भागीदार
सदस्य सं. 504134
यूडीआईएनः 23504134BGWTPP4106

**कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C

**सीए अभिषेक शर्मा**
भागीदार
सदस्य सं. 079224
यूडीआईएनः 23079224BGTKQO2274

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

**सीए प्रदीप जे. शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएनः 23046940BGPTTS7892

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 मई, 2023

**अनुलग्नक "ए" स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (नियत तारीख को हमारे रिपोर्ट के 'अन्य संवैधानिक और नियामक अपेक्षाओं' के अनुभाग के तहत अनुच्छेद 10(ए) के संदर्भ में) भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र क्र.डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 को जारी सम्प्रेषण (यथा संशोधित) ("आरबीआई संसूचना") की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट.**

हमने 31 मार्च, 2023 तक बैंक की वित्तीय रिर्पोटिग पर आंतरिक्त वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें बैंक शाखाओं की इस तारीख के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी लेखापरीक्षा शामिल है.

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शी नोट के आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए, बैंक प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व है कि वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित कर उन्हें लागू करे. इन उत्तरदायित्वों में, पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण मानदंड बनाना, लागू करना और उन्हें संचालित करना शामिल है, जिससे इसके कारोबार विधिवत और प्रभावी संचालित हो सके और बैंक की नीतियों का अनुपालन हो सके, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखा जा सके, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान की जा सके, लेखांकन रिकार्ड में सटीकता और पूर्णता हो और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएँ प्राप्त की जा सके, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और दिशानिर्देशों में अपेक्षित हैं.

### लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

अपने लेखापरीक्षा में, बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है. हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर यथासंभव लागू भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशानिदेश नोट")पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शी नोट के आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा की है, हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के उचित अनुपालना में नैतिक अपेक्षाओं के लिए मानक दिशानिर्देश नोट में इस बात का ध्यान रखना कि उनका अनुपालन हो रहा है और सभी प्रमुख मामलों में प्रभावी परिचालन हो रहा है या नहीं.

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनका प्रभावी परिचालन के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, यदि कोई कमी हो, तो उसके जोखिम का निर्धारण करना, निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जांच करना और प्रभावी परिचालन के लिए उपाय सुझाना शामिल है. इस प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर होगा, इसमें वित्तीय विवरणों की विसंगतियों के जोखिमों का मूल्यांकन भी शामिल है, भले ही धोखाधड़ी या त्रुटि से हुए हों.

हमारा विश्वास है कि निम्न अनुच्छेद के अनुसार अन्य मामलों में, जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें मिले हैं तथा शाखा लेखापरीक्षकों को उनके रिपोर्ट में मिले हैं, वे बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं.

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बैंक में एक प्रक्रिया है, जिसमें सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरणों की विश्वस्नीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना शामिल है. बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्न नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है. (1) बैंक की आस्तियों से संबंधित संव्यवहारों का विस्तृत रूप से सटीक और उचित रिकाड्र्स का रख-रखाव करना; (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उचित आश्वासन कि वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए आवश्यक संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है तथा प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप बैंक प्राप्तियाँ और व्यय किए गए हैं; तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा प्रवृत्ति को समय रहते रोकना और वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली बैंक की आस्तियों का पता लगाना.

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाओं, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण की अवहेलना, त्रुटियों के कारण तथ्य दोष या धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है. इसके साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पूर्वानुमान परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से भविष्य के जोखिमों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट हो सकती है.

**अभिमत**

हमारे मत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा अन्य मामलों के तहत निम्न अनुच्छेदों में शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त रिपोर्टों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तहत सभी प्रमुख तत्वों में पर्याप्त परिचालन हो रहा है, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा दिये गए मार्गदर्शी नोट के अनुदेशों का अनुपालन बैंक द्वारा किया जा रहा है.

**अन्य मामले :**

हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का, जहां तक 2691 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी परिचालन प्रभावशीलता से संबंध है वह उन शाखाओं से संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है.

हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है.

**कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S

**सीए पी. एम. वीरामणि**
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएनः 23023933BGVFVB8763

**कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673

**सीए निरंजन जोशी**
भागीदार
सदस्य सं.102789
यूडीआईएनः 23102789BGWREB5291

**कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W

**सीए सचिन वी लूथरा**
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएनः 23109127BGQVHR6655

**कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C

**सीए रूचि अग्रवाल**
भागीदार
सदस्य सं. 504134
यूडीआईएनः 23504134BGWTPP4106

**कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C

**सीए अभिषेक शर्मा**
भागीदार
सदस्य सं. 079224
यूडीआईएनः 23079224BGTKQO2274

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

**सीए प्रदीप जे. शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएनः 23046940BGPTTS7892

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 मई, 2023

# स्टैंडअलोन तुलन पत्र

**यथा 31 मार्च, 2023**

(₹ 000' में)

| विवरण | अनुसूची क्रमांक | यथा 31 मार्च, 2023 | यथा 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|---|
| **पूंजी एवं देयताएं** | | | |
| पूंजी | 1 | 6,83,47,475 | 6,83,47,475 |
| आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष | 2 | 71,49,94,658 | 63,74,13,875 |
| शेयर आवेदन राशि | | - | - |
| जमाराशियाँ | 3 | 11,17,71,63,220 | 10,32,39,26,349 |
| उधार | 4 | 43,13,74,686 | 51,17,90,975 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | 5 | 41,56,44,474 | 33,44,31,936 |
| **कुल** | | **12,80,75,24,513** | **11,87,59,10,609** |
| **आस्तियां** | | | |
| नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष | 6 | 50,25,42,741 | 46,11,25,911 |
| बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष | 7 | 61,89,61,793 | 73,38,77,672 |
| निवेश | 8 | 3,39,29,90,482 | 3,48,50,73,915 |
| अग्रिम | 9 | 7,61,84,54,577 | 6,61,00,46,627 |
| अचल आस्तियां | 10 | 8,82,56,071 | 7,19,13,038 |
| अन्य आस्तियां | 11 | 58,63,18,849 | 51,38,73,446 |
| **कुल** | | **12,80,75,24,513** | **11,87,59,10,609** |
| आकस्मिक देयताएं | 12 | 6,07,80,94,194 | 6,50,24,77,545 |
| संग्रहण के लिए बिल | | 43,56,67,177 | 66,08,94,129 |
| प्रमुख लेखा नीतियाँ | 17 | | |
| खातों से संबंधित नोट | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

**(पंकज कुमार)**
उप महाप्रबंधक

**(प्रफुल्ल कुमार सामल)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

**कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से**

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(निधु सक्सेना)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(अरुण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S
**सीए पी. एम. वीरामणि**
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएन: 23023933BGVFVB8763

**कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673
**सीए निरंजन जोशी**
भागीदार
सदस्य सं.102789
यूडीआईएन: 23102789BGWREB5291

**कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W
**सीए सचिन वी लूथरा**
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 23109127BGQVHR6655

**कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C
**सीए रुचि अग्रवाल**
भागीदार
सदस्य सं. 504134
यूडीआईएन: 23504134BGWTPP4106

**कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C
**सीए अभिषेक शर्मा**
भागीदार
सदस्य सं. 079224
यूडीआईएन: 23079224BGTKQO2274

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
**सीए प्रदीप जे. शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 23046940BGPTTS7892

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 मई, 2023

# स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

| | विवरण | अनुसूची क्रमांक | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| I. | **आय** | | | |
| | अर्जित ब्याज | 13 | 80,74,33,386 | 67,94,39,508 |
| | अन्य आय | 14 | 14,63,31,530 | 12,52,48,172 |
| | **कुल** | | **95,37,64,916** | **80,46,87,680** |
| II. | **व्यय** | | | |
| | व्यय किया गया ब्याज | 15 | 47,97,79,957 | 40,15,74,864 |
| | परिचालन व्यय | 16 | 21,93,13,319 | 18,43,80,735 |
| | प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय | | 17,03,38,863 | 16,64,11,123 |
| | **कुल** | | **86,94,32,139** | **75,23,66,722** |
| III. | **वर्ष का लाभ/(हानि)** | | **8,43,32,777** | **5,23,20,958** |
| | निवेश आरक्षिति खाते से अंतरण | | 58,32,008 | |
| | जोड़ें : आगे लाया गया लाभ/(हानि) | | - | - |
| | **कुल** | | **9,01,64,785** | **5,23,20,958** |
| IV. | **विनियोजन** | | | |
| | सांविधिक आरक्षिति में अंतरण | | 2,10,83,194 | 1,30,80,240 |
| | पूंजी आरक्षिति में अंतरण | | 9,45,461 | 1,22,12,675 |
| | निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरित | | - | 65,68,682 |
| | राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | 3,40,30,807 | 22,53,341 |
| | धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित में अंतरण | | 60,00,000 | 52,20,000 |
| | निवेश आरक्षिति खाता | | 17,69,006 | - |
| | प्रस्तावित लाभांश | | 2,05,04,309 | 1,29,86,020 |
| | लाभ एवं हानि लेखे में शेष | | 58,32,008 | - |
| | **कुल** | | **9,01,64,785** | **5,23,20,958** |
| | प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (अंकित मूल्य रु.10) | | 12.34 | 7.73 |
| | प्रमुख लेखा नीतियां | 17 | | |
| | खातों से संबंधित नोट्स | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

**(पंकज कुमार)**
उप महाप्रबंधक

**(प्रफुल्ल कुमार सामल)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

**कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से**

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(निधु सक्सेना)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(अरुण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S
**सीए पी. एम. वीरामणि**
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएन: 23023933BGVFVB8763

**कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673
**सीए निरंजन जोशी**
भागीदार
सदस्य सं.102789
यूडीआईएन: 23102789BGWREB5291

**कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W
**सीए सचिन वी लूथरा**
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 23109127BGQVHR6655

**कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C
**सीए रुचि अग्रवाल**
भागीदार
सदस्य सं. 504134
यूडीआईएन: 23504134BGWTPP4106

**कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C
**सीए अभिषेक शर्मा**
भागीदार
सदस्य सं. 079224
यूडीआईएन: 23079224BGTKQO2274

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
**सीए प्रदीप जे. शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 23046940BGPTTS7892

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 मई, 2023

# स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

## यथा 31 मार्च, 2023

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | यथा 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 1 – पूंजी :** | | |
| **I. प्राधिकृतः** | | |
| रू.10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रू.10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर) | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 |
| **II. निर्गमित, अभिदत्त, कॉल्ड अप एवं प्रदत्त :** | | |
| i. रू.10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 570,66,60,850 इक्विटी शेयर) | 5,70,66,609 | 5,70,66,609 |
| ii. रू.10 प्रति शेयर की दर से 112,80,86,616 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 112,80,86,616 इक्विटी शेयर) | 1,12,80,866 | 1,12,80,866 |
| घटाएँ: काल्स अप्रदत्त | - | - |
| जोडें: जब्त शेयर | - | - |
| **कुल** | **6,83,47,475** | **6,83,47,475** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | | यथा 31 मार्च, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 2 – आरक्षिति एवं अधिशेष :** | | | | |
| **I. सांविधिक आरक्षितिः** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 14,62,88,901 | | 13,32,08,662 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 2,10,83,194 | 16,73,72,095 | 1,30,80,239 | 14,62,88,901 |
| **II. पूंजी आरक्षितिः** | | | | |
| i) पुनर्मूल्यांकन आरक्षितिः | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 4,75,70,741 | | 4,89,84,778 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,51,92,862 | | 79,201 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 14,39,378 | | 14,93,238 | |
| | **6,13,24,225** | | **4,75,70,741** | |
| ii) पूंजी आरक्षितिः | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 5,89,24,839 | | 4,67,12,164 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 9,45,461 | | 1,22,12,675 | |
| | **5,98,70,300** | | **5,89,24,839** | |
| iii) समामेलन समायोजन आरक्षिति | 1,30,95,979 | 13,42,90,504 | 1,30,95,979 | 11,95,91,559 |
| **III. शेयर प्रीमियम :** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 18,34,11,800 | | 17,32,70,019 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | 1,01,92,652 | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | 18,34,11,800 | 50,871 | 18,34,11,800 |
| **IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षिति :** | | | | |
| i) राजस्व आरक्षिति : | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 10,83,72,439 | | 9,64,54,761 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 3,64,81,537 | | 1,31,16,426 | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | 11,98,748 | |
| कुल | **14,48,53,976** | | **10,83,72,439** | |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | | यथा 31 मार्च, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 6,02,98,789 | | 5,50,78,789 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 60,00,000 | | 52,20,000 | |
| **कुल** | **6,62,98,789** | | **6,02,98,789** | |
| iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 30,319 | | 10,42,370 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 40,439 | | 23,859 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 24,92,338 | | 10,35,910 | |
| **कुल** | **(24,21,580)** | | **30,319** | |
| iv) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 1,93,61,583 | | 1,27,92,901 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | 65,68,682 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 58,32,008 | | - | |
| **कुल** | **1,35,29,575** | | **1,93,61,583** | |
| v) निवेश आरक्षिति | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | - | | - | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 17,69,006 | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| **कुल** | **17,69,006** | | **-** | |
| vi) एफ़एक्स स्वैप पर विशेष आरक्षिति लाभ | 58,485 | 22,40,88,251 | 58,485 | 18,81,21,615 |
| vii) लाभ हानि खाते में शेष | | **58,32,008** | | **-** |
| **कुल** | | **71,49,94,658** | | **63,74,13,875** |
| **अनुसूची 3 – जमाराशियां :** | | | | |
| ए) | | | | |
| I. मांग जमाराशियां | | | | |
| i) बैंकों से | 1,75,66,930 | | 81,32,959 | |
| ii) अन्य से | 72,22,34,695 | 73,98,01,625 | 71,83,91,699 | 72,65,24,658 |
| II. बचत बैंक जमाराशियां | | 3,20,07,52,745 | | 3,04,54,07,826 |
| III. मीयादी जमाराशियां | | | | |
| i) बैंकों से | 17,64,32,725 | | 2,27,87,325 | |
| ii) अन्य से | 7,06,01,76,125 | 7,23,66,08,850 | 6,52,92,06,540 | 6,55,19,93,865 |
| **कुल** | | **11,17,71,63,220** | | **10,32,39,26,349** |
| बी) | | | | |
| i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | 11,06,08,94,903 | | 10,32,10,23,919 |
| ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | 11,62,68,317 | | 29,02,430 |
| **कुल** | | **11,17,71,63,220** | | **10,32,39,26,349** |
| **अनुसूची 4 – उधार :** | | | | |
| ए) भारत में उधार | | | | |
| ए. भारतीय रिजर्व बैंक | 13,38,20,000 | | 14,20,90,000 | |
| बी. अन्य बैंक | - | | 1,99,29,833 | |
| सी. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | 2,30,94,294 | | 2,98,96,073 | |
| डी. शाश्वत बॉन्डस- टियर I | 9,68,80,000 | | 8,70,50,000 | |
| ई. अधीनस्थ बॉन्डस- टियर II | 9,95,00,000 | 35,32,94,294 | 10,05,00,000 | 37,94,65,906 |
| बी) भारत से बाहर उधार | | 7,80,80,392 | | 13,23,25,069 |
| **कुल** | | **43,13,74,686** | | **51,17,90,975** |
| उपर I और II मे शामिल प्रतिभूत उधार | | 13,90,42,858 | | 14,70,29,470 |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | | यथा 31 मार्च, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान :** | | | | |
| I. देय बिल | | 2,64,97,502 | | 2,68,90,202 |
| II. उपचित ब्याज | | 5,97,92,681 | | 4,52,33,997 |
| III. अन्य (प्रावधान सहित) | | 32,93,54,291 | | 26,23,07,737 |
| **कुल** | | **41,56,44,474** | | **33,44,31,936** |
| *मानक आस्तियों हेतु प्रावधान सहित रु. 5,57,95,524 (पिछले वर्ष रु.6,56,67,690) | | | | |
| **अनुसूची 6 –नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष:** | | | | |
| I. धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित) | | 2,83,88,225 | | 3,78,19,394 |
| II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा | | | | |
| (ए) चालू खाते में | | 47,41,54,516 | | 42,33,06,517 |
| (बी) अन्य खातों में | | 0,000 | | 0,000 |
| कुल | | **50,25,42,741** | | **46,11,25,911** |
| **अनुसूची 7 – बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन :** | | | | |
| **I. भारत में स्थित बैंकों में जमा शेष** | | | | |
| i) बैंकों में शेष | | | | |
| ए) चालू खातों में | 56,30,727 | | 22,24,274 | |
| बी) अन्य जमा खातों में | 5,77,33,962 | | 6,08,75,196 | |
| ii. मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन | | | | |
| ए) बैंकों से | 5,00,000 | | 0,000 | |
| बी) अन्य संस्थाओं से | 31,23,03,614 | 37,61,68,303 | 55,41,14,877 | 61,72,14,347 |
| **II. भारत के बाहर** | | | | |
| i) चालू खातों में | 39,25,300 | | 29,80,253 | |
| ii) अन्य जमा खातों में | 23,88,68,190 | | 11,36,83,072 | |
| iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन | 0,000 | 24,27,93,490 | 0,000 | 11,66,63,325 |
| **कुल** | | **61,89,61,793** | | **73,38,77,672** |
| **अनुसूची 8 – निवेश:** | | | | |
| **I. भारत में निवेश** | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियों में | | 2,60,25,15,576 | | 2,64,16,37,956 |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ | | 0,000 | | 0,000 |
| iii) शेयरों में | | 2,04,13,250 | | 2,30,53,036 |
| iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड में | | 63,15,34,188 | | 69,38,31,055 |
| v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में | | 38,88,095 | | 33,86,095 |
| vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में) | | 10,55,57,112 | | 9,51,30,775 |
| **कुल** | | **3,36,39,08,221** | | **3,45,70,38,917** |
| **II. भारत से बाहर निवेश** | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) | | 1,72,90,809 | | 1,61,01,880 |
| ii) अन्य निवेश (बॉण्डों में) | | 3,35,490 | | 4,60,268 |
| iii) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में | | 1,14,55,962 | | 1,14,72,850 |
| **कुल** | | **2,90,82,261** | | **2,80,34,998** |
| **कुल** | | **3,39,29,90,482** | | **3,48,50,73,915** |

(₹ 000' में)

| विवरण | | यथा 31 मार्च, 2023 | | यथा 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| III. i) **भारत में निवेश** | | | | |
| सकल मूल्य | | 3,44,22,02,551 | | 3,51,85,30,523 |
| मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान | | 7,82,94,330 | | 6,14,91,606 |
| निवल मूल्य | | 3,36,39,08,221 | | 3,45,70,38,917 |
| ii) **भारत से बाहर निवेश** | | | | |
| सकल मूल्य | | 2,93,43,600 | | 2,83,51,221 |
| मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान | | 2,61,339 | | 3,16,223 |
| निवल मूल्य | | 2,90,82,261 | | 2,80,34,998 |
| **कुल** | | **3,39,29,90,482** | | **3,48,50,73,915** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | यथा 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)** | | |
| ए. | | |
| i) खरीदे और भुनाए गए बिल | 3,29,53,001 | 3,87,09,874 |
| ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण | 3,48,54,48,344 | 2,87,88,96,001 |
| iii) मीयादी ऋण | 4,10,00,53,232 | 3,69,24,40,752 |
| **कुल** | **7,61,84,54,577** | **6,61,00,46,627** |
| बी. | | |
| i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत* | 6,23,77,30,877 | 5,34,44,92,520 |
| ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत | 12,26,93,689 | 13,06,61,251 |
| iii) अप्रतिभूत | 1,25,80,30,011 | 1,13,48,92,856 |
| **कुल** | **7,61,84,54,577** | **6,61,00,46,627** |
| (* बही ऋण के सापेक्ष रु. 88,79,31,907 के अग्रिम सहित (पिछले वर्ष रु. 61,83,30,066) | | |
| **सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण** | | |
| **I. भारत में अग्रिम:** | | |
| i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | 2,85,85,94,969 | 2,59,52,39,457 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र | 81,73,80,496 | 72,72,96,155 |
| iii) बैंक | 6,33,569 | 2,22,975 |
| iv) अन्य | 3,71,91,49,598 | 3,13,82,79,933 |
| **कुल** | **7,39,57,58,632** | **6,46,10,38,520** |
| **II. भारत के बाहर अग्रिम:** | | |
| i) बैंकों से प्राप्य | 4,91,50,582 | 5,31,10,677 |
| ii) अन्य से प्राप्य | | |
| ए) खरीदे एवं भूनाए गए बिल | 3,86,506 | 12,11,011 |
| बी) सिंडीकेटेड ऋण | 0,000 | 5,47,141 |
| सी) अन्य | 17,31,58,857 | 9,41,39,278 |
| **कुल** | **22,26,95,945** | **14,90,08,107** |
| **कुल** | **7,61,84,54,577** | **6,61,00,46,627** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | | यथा 31 मार्च, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 10 – अचल आस्तियां :** | | | | |
| ए. **मूर्त आस्तियां** | | | | |
| I. **परिसर** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 8,08,71,144 | | 8,15,36,732 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 2,16,56,329 | | 6,10,204 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 67,16,482 | | 12,75,792 | |
| | 9,58,10,991 | | 8,08,71,144 | |
| घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन | 2,75,63,468 | **6,82,47,523** | 2,63,31,743 | **5,45,39,401** |
| II. **प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | 3,60,997 | | 6,22,879 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,08,106 | | 1,26,601 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 2,63,665 | **2,05,438** | 3,88,483 | **3,60,997** |
| III. **भूमि** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | 24,98,636 | | 12,45,683 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 12,33,904 | | 13,08,678 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 97,572 | | 55,725 | |
| | 36,34,968 | | 24,98,636 | |
| घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन | 7,02,457 | **29,32,511** | 4,52,022 | **20,46,614** |
| IV. **अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित)** | | | | |
| ए) **पट्टे पर दी गयीं आस्तियां** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | 2,65,352 | | 2,65,352 | |
| घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन | 2,65,352 | - | 2,65,352 | - |
| बी) **अन्य** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 6,86,74,933 | | 6,46,03,010 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 69,39,880 | | 48,67,443 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 12,39,295 | | 7,95,520 | |
| | 7,43,75,518 | | 6,86,74,933 | |
| घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन | 5,93,53,695 | **1,50,21,823** | 5,60,79,797 | **1,25,95,136** |
| बी. **अमूर्त आस्तियां** | | | | |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | 1,20,83,338 | | 1,12,22,581 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 8,77,862 | | 8,72,637 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 11,50,741 | | 11,880 | |
| | 1,18,10,459 | | 1,20,83,338 | |
| घटाएं: आज की तारीख तक परिशोधित | 99,61,683 | 18,48,776 | 97,12,448 | 23,70,890 |
| **कुल** | | **8,82,56,071** | | **7,19,13,038** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | | यथा 31 मार्च, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां :** | | | | |
| I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल) | | 2,20,20,700 | | 1,79,97,045 |
| II. उपचित ब्याज | | 9,08,48,858 | | 7,68,96,049 |
| III. स्रोत पर प्रदत्त कर/कर की कटौती(निवल प्रावधान) | | 6,73,41,164 | | 5,39,12,604 |
| IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप | | 62,780 | | 63,349 |
| V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां | | 1,334 | | 1,334 |
| VI. अन्य* | | 27,43,38,697 | | 21,24,01,949 |
| VII. आस्थगित कर आस्तियां (निवल) | | 8,65,97,447 | | 12,29,23,747 |
| VIII. एमएटी क्रेडिट पात्रता | | 4,51,07,869 | | 2,96,77,369 |
| **कुल** | | **58,63,18,849** | | **51,38,73,446** |
| *नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गयी राशि रु. 10,61,55,991 सहित (पिछले वर्ष रु. 9,64,56,088) | | | | |
| **अनुसूची 12 – संभाव्य देयताएं :** | | | | |
| I. बैंक के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है | | 3,02,01,462 | | 3,31,30,212 |
| II. अंशतों प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं | | 0,000 | | 0,000 |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं | | 4,13,13,28,582 | | 4,36,34,96,833 |
| IV. संघटकों की ओर दी गयी गारंटी | | | | |
| ए) भारत में | 66,40,64,012 | | 65,35,08,697 | |
| बी) भारत से बाहर | 1,42,21,966 | **67,82,85,978** | 1,65,75,655 | **67,00,84,352** |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं | | 99,64,00,071 | | 1,26,92,16,524 |
| VI. अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग | | 20,98,89,819 | | 13,77,78,737 |
| VII. डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि | | 3,19,88,282 | | 2,87,70,887 |
| **कुल** | | **6,07,80,94,194** | | **6,50,24,77,545** |
| उगाही हेतु बिल | | 43,56,67,177 | | 66,08,94,129 |

# स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाते के रूप में अनुसूचियां

## यथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000’ में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज :** | | | |
| I. | अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ बट्टा | 56,76,01,357 | 45,23,55,006 |
| II. | निवेशों से आय | 21,35,50,354 | 19,94,28,382 |
| III. | भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज | 2,11,68,449 | 2,14,08,267 |
| IV. | अन्य | 51,13,226 | 62,47,853 |
| | **कुल** | **80,74,33,386** | **67,94,39,508** |
| **अनूसूची 14 – अन्य आय :** | | | |
| I. | कमीशन, विनिमय और दलाली | 2,15,14,101 | 1,73,98,170 |
| II. | निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल) | 79,80,536 | 3,41,11,874 |
| III. | निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल) | 28,51,483 | (10,70,995) |
| IV. | भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/ हानि - (निवल) | (14,860) | (3,489) |
| V. | विनिमय संव्यवहारों से लाभ (निवल) | 81,30,829 | 60,80,630 |
| VI. | विदेश / भारत में सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय | 3,250 | 24,700 |
| VII. | विविध आय | 10,58,66,191 | 6,87,07,282 |
| | **कुल** | **14,63,31,530** | **12,52,48,172** |
| **अनूसूची 15 –व्यय किया गया ब्याज :** | | | |
| I. | जमाराशियों पर ब्याज | 44,34,00,344 | 37,45,42,117 |
| II. | भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारी पर ब्याज | 1,84,28,879 | 1,05,59,953 |
| III. | अन्य | 1,79,50,734 | 1,64,72,794 |
| | **कुल** | **47,97,79,957** | **40,15,74,864** |
| **अनुसूची 16 – परिचालन व्यय :** | | | |
| I. | कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान | 12,38,97,058 | 10,11,46,061 |
| II. | किराया, कर और बिजली | 1,06,77,413 | 1,07,06,732 |
| III. | प्रिंटिंग और स्टेशनरी | 11,38,303 | 9,67,655 |
| IV. | विज्ञापन और प्रचार | 11,70,445 | 6,13,743 |
| V. | बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास | 73,71,511 | 73,81,013 |
| VI. | निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय | 14,278 | 8,287 |
| VII. | लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) | 6,89,129 | 6,30,321 |
| VIII. | विधि प्रभार | 16,29,256 | 14,08,632 |
| IX. | डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि | 32,04,977 | 31,10,629 |
| X. | मरम्मत एवं रखरखाव | 36,09,658 | 32,71,779 |
| XI. | बीमा | 1,53,61,120 | 1,28,77,009 |
| XII. | अन्य व्यय | 5,05,50,171 | 4,22,58,874 |
| | **कुल** | **21,93,13,319** | **18,43,80,735** |

# महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (स्टैंडअलोन) : अनुसूची 17

## 1. प्रस्तुति का आधार

वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै), द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है.

## 2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन से अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) में रिपोर्ट किए गए राशियों एवं रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय के संबंध में अनुमान/आकलन लगाएं. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर की पहचान ज्ञात परिणाम अवधि के दौरान होती है.

## 3. राजस्व की पहचान

3.1. जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है.

3.2. गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है. पिछले वर्ष अप्राप्त आय की गणना और बची हुई अप्राप्त आय की गणना वर्ष के दौरान एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत आस्ति के रूप में की गई है.

3.3. गारंटी पत्र/साख पत्र पर कमीशन की गणना उपचय के आधार पर की गई है.

3.4. विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

3.5. "परिपक्वता तक धारित"(एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

3.5.1. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.

3.5.2. शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है.

3.6. जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है.

3.7. भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए बिक्री को लेखांकित किया गया है.

3.8. आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर वापसी पर ब्याज की गणना की गई है.

## 4. वसूली का विनियोजन :

ओटीएस/एनसीएलटी के अलावा अन्य माध्यमों से वसूली निम्नानुसार विनियोजित होगी:

4.1. जब देनदार और लेनदार के बीच कोई समझौता नहीं होता है कि देनदार द्वारा भुगतान किए गए धन को लेनदार द्वारा कैसे विनियोजित किया जाना आवश्यक है, तो विनियोजन का क्रम निम्नानुसार होगा :

**मियादी ऋण हेतु :**

- ➢ व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- ➢ एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
- ➢ छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज).
- ➢ वसूली की तिथि तक मूलधन / ईएमआई की बकाया राशि के लिए.
- ➢ चल रहे खाता-बही शेष के लिए.

**चल रहे खातों के लिए:**

- ➢ व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- ➢ छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज) सहित एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
- ➢ मूलधन के लिए

4.2. यदि उधारकर्ता उपर्युक्त से भिन्न विनियोजन की शर्तों का अनुबंध करता है और यदि विनियोजन की ऐसी भिन्न शर्तें बैंक द्वारा स्वीकार की जाती हैं तो वसूली का विनियोजन स्वीकृत शर्तों के अनुसार होगा.

4.3. ओटीएस एवं सभी एनसीएलटी खातों के मामले में, वसूली या संकल्प/परिसमापन के माध्यम से

वसूली का विनियोजन निम्नानुसार विचार विमर्श किए गए या मंजुरी नियमों के अनुसार किया जाना है.

- मूल में
- एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज सहित.
- छद्म खाता-बही में धारित ब्याज में (अनप्रयुक्त ब्याज)
- व्यय एवं लागत आदि सहित.

4.4. गैर निषादित निवेश वसूली के मामले में वितरण निम्नानुसार किया जाएगा :

ए. व्यय एवं लागत आदि के लिए.

बी. एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.

सी. छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज)

डी. वसूली की तिथि तक मूलधन/ईएमआई की बकाया राशि के लिए

ई. चल रहे खाता-बही शेष के लिए

## 5. नकदी प्रवाह विवरण:

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण एएस-3. के अनुसार तैयार किया जाता है. नकदी प्रवाह विवरण मुख्य रूप से वर्गीकृत है :

5.1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह : इस गतिविधि में परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

5.2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह : इस गतिविधि में निवेश से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

5.3. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह : इस गतिविधि में वित्तीय लिखत से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

## 6. निवेश

6.1. बैंककारी विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

6.1.1. सरकारी प्रतिभूतियां

6.1.2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

6.1.3. शेयर

6.1.4. ऋण पत्र एवं बांड

6.1.5. अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं

6.1.6. अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र क्र. डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/201-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के दिशानिर्देशों के अधीन (दिनांक 23 मार्च, 2022, 31 मार्च, 2022, 08 अप्रैल 2022 तथा 08 दिसंबर 2022 को अद्यतित) पुनः निम्नलिखित 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

6.2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं

6.2.1. "एचटीएम" में धारित प्रतिभूतियां अधिग्रहण लागत पर

6.2.1.1. अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित हैं तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.

6.2.1.2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

6.2.1.3. अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

6.2.1.4. सहायक/संयुक्त उपक्रमों में अपने निवेश मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य कमी, जिन्हें एचटीएम में शामिल किया गया है, को प्रदान किया जाएगा.

6.2.2. "एएफएस" तथा "एचएफटी" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियां

6.2.2.1. "एएफएस" (बिक्री के लिए उपलब्ध) एवं "एचएफटी" (व्यापार के लिए धारित) श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्धह्रास, लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.

6.2.2.2. प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:

| | | |
|---|---|---|
| ए | भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां) | फाइनैन्शल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) के कोटेशन के अनुसार |
| बी | राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार प्रतिभूतियां, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड | एफआईएमएमडीए के दिशानिदेशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर |
| सी | इक्विटी शेयर | यदि उल्लिखित हों, तो बाज़ार मूल्य पर, अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (18 माह से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों की अनुपस्थिति में ₹1/- प्रति कंपनी के अनुसार. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर बही मूल्य की गणना जाती है. |
| डी | वरीयता शेयर | यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा-निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं |
| इ | ऋण पत्र/ बांड्स | यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर |
| एफ | म्युचुअल फंड (एमएफ़) | स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की स्थिति में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार |
| जी | राजकोषीय बिल /जमा प्रमाणपत्र /वाणिज्यिक पत्र | संवहन लागत पर |
| एच | उद्यम पूंजी निधियाँ (वीसीएफ) | घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुरानी न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हों, तो ₹1/- प्रति वीसीएफ के अनुसार |
| आई | प्रतिभूति रसीदें | सका मूल्यांकन 25 अगस्त, 2021 के वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के स्थान, मूल्यांकन और संचालन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों (आरबीआई/ डीओआर/ 2021-22/ 81 डीओआर.एमजीआर. 42/ 21.04.141/ 2021-22) के अनुसार किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित किया जाएगा. |

6.3. अंतर बैंक/ भारिबैं रेपो तथा अंतर बैंक/ भारिबैं रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

6.4. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

6.4.1. एएफ़एस/ एचएफ़टी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में यथा शिफ्ट की तिथि पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर. यदि कोई ह्रास है, तो लगाया गया है

6.4.2. एचटीएम श्रेणी से एएफ़एस/ एचएफ़टी श्रेणी में

6.4.2.1. यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य पर

6.4.2.2. यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.

इस प्रकार शिफ्ट की गई प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांमकन किया गया है और इसके परिणाम रूप मूल्य में होने वाली कमी के लिए पूरा प्रावधान किया गया है.

6.4.3. एएफ़एस (विक्रय के लिये उपलब्ध) से एचएफ़टी (ट्रेडिंग के लिये धारित) श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

6.5. गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य ह्रास/ प्रावधान किया गया है (निवल मूल्यवृद्धि की उपेक्षा).

6.6. किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/ हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, एचएमटी (परिपक्वता तक धारित) श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

6.7. प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

6.8. इक्विटी की खरीद और बिक्री पर भुगतान किए गए ब्रोकरेज और एसटीटी को सौदे की कीमत में शामिल किया गया है.

6.9. एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के परिशोधन की गणना सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके की गई है.

6.10. निवेश पोर्टफोलियो के लेखांकन के लिए बैंक भारित औसत मूल्य (डबल्यूएपी) का अनुसरण कर रहा है.

6.11. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा 'निपटान तिथि' का पालन किया जाता है.

6.12. म्यूचुअल फंड जोखिम पूंजी और प्रतिभूति रसीद की इकाइयों से होने वाली आय को नकदी आधारी माना जाता है.

**6.13. डेरीवेटिव संविदा**

6.13.1. वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

6.13.2. ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं (यदि कोई लाभ हो तो अनदेखा किया जाए)

6.13.3. विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

6.13.4. विदेशी मुद्रा स्वैप लेनदेन पर अर्जित अंतरपणन आय की गणना विनिमय लेनदेन श्रेणी पर लाभ/हानि में की जाती है

**7. अग्रिम**

7.1. सभी अग्रिमों को 4 श्रेणीयों में वर्गीकृत किया गया है :

7.1.1. मानक

7.1.2. अवमानक

7.1.3. संदिग्ध और

7.1.4. हानि आस्तियां

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र आरबीआई/2022-2023/15डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2022-23 दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के शर्तानुसार विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है.

7.2. भारिबै द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही अग्रिमों एवं ऋणों को निष्पादित एवं गैरनिष्पादित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है. ऋण आस्तियां गैरनिष्पादित आस्तियां (एनपीए) में तभी वर्गीकृत होती है जब :

7.2.1. मियादी ऋण के संबंध में, जब मूलधन का ब्याज और/अथवा किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो;

7.2.2. ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण अग्रिम के संबंध में यदि खाता "अनिमियत रहता'' है यथा

7.2.2.1. यदि नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर 90 दिनों की अवधि के लिए अधिक हो

7.2.2.2. यदि निरंतर 90 दिनों की अवधि हेतु तुलन पत्र की अवधि तक कोई जमा न हों अथवा यदि उक्त अवधि हेतु खाते में देय ऋण को चुकाने हेतु खाते में पर्याप्त ऋण उपलब्ध न हों, या

7.2.2.3. नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/आहरण शक्ति से कम हो लेकिन पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त न हो.

7.2.3. खरीदे गए/रियायती बिलों के संदर्भ में, 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बिल अतिदेय रहते है.

7.2.4. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां दो मौसमी फसलों के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं.

7.2.5. लंबी अवधि की फसल की लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां एक मौसमी फसल के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं.

7.2.6. एक कार्यशील पूंजी उधार खाता एनपीए हो जाएगा यदि खाते में इस तरह के अनियमित आहरण को 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए अनुमति दी गई हो भले ही इकाई कार्यशील हो या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो.

7.2.7. एक खाता जहां नियत तिथि/तदर्थ मंजूरी की तिथि से 180 दिनों के भीतर नियमित/तदर्थ क्रेडिट सीमा की समीक्षा/नवीकरण नहीं किया गया है, उसे एनपीए माना जाएगा.

7.2.8. भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) के निर्देश 2021 के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में

चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है.

7.2.9. डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में, अतिदेय प्राप्तियां डेरिवेटिव अनुबंध के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, यदि भुगतान के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि से 90 दिनों की अवधि तक भुगतान नहीं किया गया है.

7.2.10. ऐसे खाते जहां उधारकर्ता द्वारा प्रतिभूति के मूल्य में कमी / धोखाधड़ी की गई है.

7.2.10.1. उन खातों के संबंध में जहां प्रतिभूति के मूल्य में कमी या प्रतिभूति की अनुपलब्धता और उधारकर्ता द्वारा की गई धोखाधड़ी जैसे अन्य कारणों की मौजूदगी के कारण वसूली के लिए संभावित खतरे हैं उन खातों को आस्ति वर्गीकरण के विभिन्न चरणों से गुजरना विवेकपूर्ण नहीं होगा. ऐसी गंभीर ऋण हानि के मामलों में आस्ति को सीधे तौर पर उपयुक्त रूप में संदिग्ध या हानि वाली आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए.

7.2.10.2. प्रतिभूति के मूल्य में कमी को महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा मूल्यांकित या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार अंतिम निरीक्षण जैसा भी मामला हो, के समय निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत से कम हो, जैसा भी मामला हो. ऐसे एनपीए को सीधे तौर पर संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है.

7.2.10.3. यदि बैंक/अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य उधार खातों में बकाया के 10 प्रतिशत से कम है, तो प्रतिभूति की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए और आस्ति को सीधे तौर पर हानि वाली आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए.

7.2.11. एमएसएमई खातों के संबंध में, जो भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीओआर. सं. बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और परिपत्र क्र. डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के अनुसार पुनर्गठित किए जाएंगे एवं मानक श्रेणी में रखे जाएंगे, पहले से किए गए प्रावधान के अतिरिक्त 5% का प्रावधान बैंक मेंटेन करेगा. उक्त परिपत्र के अनुसार इस प्रावधान में परिवर्तन किया जाएगा.

7.2.12. आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण पर कोविड 19 विनियामक पैकेज से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर सं बीपी. बीसी/3/21.04.048/2020-21 एवं परिपत्र क्र. डीबीआर सं बीपी. बीसी /4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020, डीओआर. एसटीआर. आर ईसी12/21.04.048/2021-22 एवं डीओआर. एसटीआर. आरईसी 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार कॉर्पोरेट एवं रिटेल ऋण के पुनर्गठन के संदर्भ में बैंक इस संबंध में आवश्यक प्रावधान बनाए रखेगा.

7.3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में बांटा गया है :

7.3.1. अवमानकः ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक या उससे कम अवधि के लिए गैर-निष्पादक रही है.

7.3.2. संदिग्धः ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में रही है.

7.3.3. हानिः ऐसी ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की जा चुकी है, लेकिन ऋण राशि पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं की गई है.

7.4. विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए न्यूनतम किए जाने वाली राशि निम्नानुसार है :

| | | |
|---|---|---|
| अवमानक आस्तियां: | i. | कुल बकाया राशि का सामान्य 15% |
| | ii. | ऐसी ऋण राशि पर 10% अतिरिक्त प्रावधान, जो आरंभ से ही असुरक्षित हो. |
| | iii. | आरंभ से, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों के असुरक्षित भाग के लिए 20% प्रावधान, जिसमें एस्क्रो खाते जैसी कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हों (उपर्युक्त के अनुसार 25% के स्थान पर) |
| संदिग्ध-सुरक्षित भाग | i. | एक वर्ष तक 25% |
| | ii. | एक से तीन वर्ष 40% |
| | iii. | तीन वर्ष से अधिक 100% |
| संदिग्ध-असुरक्षित भाग | 100% | |
| हानि आस्ति | 100% | |

7.5. अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

7.6. विदेशी कार्यालयों के संबंध में, एनपीए के लिए ऋणों और अग्रिमों में वर्गीकरण या प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों या स्थानीय नियमों के अनुसार, जो भी अधिक उपयुक्त हो, किए गए हैं.

7.7. पुनर्गठित/पुनर्निर्धारण आस्तियों में प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसमें एनपीए हेतु प्रावधान के अलावा, पुनर्गठन के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्यों के बीच का अंतर होना आवश्यक होता है.

7.8. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामलों में, यदि खाता नियामक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है, तो खाते को निष्पादक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.

7.9. पिछले वर्षों में राइट ऑफ किए गए ऋणों के मुक़ाबले वसूली गई राशि वसूली के वर्ष में आय के रूप में चिन्हित की गई है.

7.10. मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को `अन्य देयताओं और प्रावधानों' में रखा गया है, जिन्हें तुलन पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों की गणना में नहीं लिया गया है. मानक आस्ति प्रावधान आईआरएसी आरबीआई मास्टर परिपत्र आरबीआई/2022-2023/15 डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 4/21.04.048/2022-23 दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं तदनंतर समय समय पर जारी परिपत्र के अनुसार बनाए गए हैं.

7.11. छः महीने से अधिक समय से बकाया उचंत खातों की प्रविष्टियों पर सरकार / सरकारी निकायों से प्राप्त होने वाले दावे जैसे फसल ऋण / निर्यात अग्रिम पर ब्याज सब्सिडी, प्राप्य पेंशन आदि को छोड़कर 100% पर प्रावधान किया जाता है.

## 8. संपत्ति, प्लांट और उपकरण

8.1. परिसर एवं अन्य स्थायी आस्तियों को, संचित मूल्यह्रास का शुद्ध और संचित क्षतियों की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत और सीधे व्यापार छूट और छूट का उपयोग करने के लिए एसेट को इसकी कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है. उपयोग करने के लिए रखी गई सम्पत्तियों पर किए गए उप-व्यय पर केवल तभी पूंजी लगाई जाती है जब यह ऐसी परिसंपतियों या उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है. जमीन और इमारतों, यदि पुनर्मूल्यांकन को पुनर्गठित राशि कहा जाता है. "संपत्ति", प्लांट और "उपकरण" पर संशोधित एएस-10 के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन पर प्रशंसा का श्रेय रेवल्यूशन रिजर्व को दिया जाता है और उसके द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास को वहाँ से घटा दिया जाता है और इसे रेवल्यूशन रिजर्व में जमा कर दिया जाता है.

8.2. बैंक की व्यय नीति में समय-समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेथड पर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है. मूल्यह्रास की लागू दरें निम्नानुसार हैं :

| क्र. सं | पूंजी आस्ति | उपयोग हेतु वर्ष(वर्ष) | प्रतिशत में दर |
|---|---|---|---|
| 1 | अचल संपत्ति- भूमि | गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यह्रास नहीं | शून्य |
| 2 | आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों) | 60 | 1.67 |
| 3 | फर्नीचर | 10 | 10.00 |
| 4 | फिक्सचर | 10 | 10.00 |
| 5 | वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/ वातानुकूलित डक्टेबल) | 10 | 10.00 |
| 6 | स्प्लिट एवं विंडो वातानुकूलन | 5 | 20.00 |
| 7 | विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण | 5 | 20.00 |
| 8 | सौर ऊर्जा उपकरण | 15 | 6.67 |
| 9 | एलिवेटर एवं लिफ्ट | 15 | 6.67 |
| 10 | पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य | 5 | 20.00 |
| 11 | दूरभाष उपकरण | 5 | 20.00 |
| 12 | मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड | 10 | 10.00 |
| 13 | मोटर कार, मोटर लॉरी एवं पावर बैट्री सहित विद्युत परिचालित या ईंधन सेल संचालित वाहन | 8 | 12.50 |
| 14 | मोबाइल फोन | 3 | 33.33 |
| 15 | जेनेरेटर | 15 | 6.67 |
| 16 | कार्यालय उपकरण | 5 | 20.00 |
| 17 | कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के अन्तरिम भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 3 | 33.33 |
| 18 | एटीएम एवं संबद्ध आइटम | 5 | 20.00 |
| 19 | यूपीएस एवं संबद्ध आइटम | 5 | 20.00 |
| 20 | सर्वर एवं नेटवर्क | 6 | 16.66 |
| 21 | कम्प्यूटर के अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, आई-पैड, टेबलेट्स प्रिंटर एवं स्कैनर, डिजिटल घड़ी आदि | 3 | 33.33 |

| क्र. सं | पूंजी आस्ति | उपयोग हेतु वर्ष(वर्ष) | प्रतिशत में दर |
|---|---|---|---|
| 22 | एसडीवी लॉकर, स्ट्रॉग रूम के दरवाजे, कैश सेफ आदि. (फिक्सचर के साथ) | 20 | 5.00 |
| 23 | स्टाफ को प्रदान किए जाने वाले (फर्नीचर/ इलेक्ट्रिकल आदि) सामग्री | 5 | 20.00 |

8.3. भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगने पर, परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

8.4. पट्टे पर ली गई आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यह्रास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है.

## 9. आस्तियों में क्षति

अचल आस्ति (पुनर्मूल्यांकित अस्ति सहित) पर हासित हानि (यदि कोई हो) का निर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी "आस्ति की हास" पर एएस-28 के अनुरूप होता है एवं लाभ एवं हानि खाते में चार्ज ऑफ किया जाता है. आंतरिक/ बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर ह्रास हानि मानी जाती है. ह्रास हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर-पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. ह्रास के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई ह्रास हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो ह्रास न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती है.

## 10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

## 11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय से जुड़े लेनदेन के लिए लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" पर एएस-11 के अनुसार किया जाता है. एएस-11 की शर्तों के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन को ए) एकीकृत परिचालन एवं बी) गैर एकीकृत परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

सभी विदेशी शाखाओं, अपतटीय बैंकिंग इकाइयों, अंतर्देशीय सहायक संस्थाओं को गैर एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है एवं विदेशी विनिमय और प्रतिनिधि कार्यालयों में घरेलू परिचालन को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है.

**एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन :**

11.1. वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित मौद्रिक और गैर मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को संशोधित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते से निर्धारित किया जाता है.

11.2. आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तिथि पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

11.3. वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तिथि को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में किया गया है.

11.4. गारंटी, स्वीतिकरण, अनुमोदन और अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर वर्णित हैं.

## 12. गैर एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन :

12.1. राजस्व की पहचान

संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार आय और व्यय का निर्धारण/लेखांकन किया जाता है.

12.2. आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण

आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी उच्च हो, के अनुसार किए जाते हैं

12.3. अचल आस्ति और मूल्यह्रास

12.3.1. अचल आस्ति का ऐतिहासिक लागत पर हिसाब लगाया जाता है.

12.3.2. संबंधित देशों के लागू कानूनों के अनुसार अचल आस्ति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है.

12.4. आस्ति एवं देयताएं (मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक के साथ अनुषंगी देयताएं) वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दर पर अनूदित की जाती है.

12.5. आय एवं व्यय संबंधित तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर अनुदित की जाती है.

12.6. सभी परिणामी विनमय अंतरों को विदेशी मुद्रा अनुवाद रिज़र्व में संचित किया जाता है.

## 13. कर्मचारी लाभ :

13.1. अल्पावधि रोजगार लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है

13.2. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

13.2.1. निर्धारित अंशदान योजनाएं :

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

13.2.2. निर्धारित लाभ योजना :

ग्रेच्यूटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 'कर्मचारी लाभ' के अनुरुप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

## 14. खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखामानक 17- "खंडवार रिपोर्टिंग" के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है. कारोबार खंडों को वर्गीकृत किया गया है

14.1. ट्रेजरी परिचालन,

14.2. कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,

14.3. रिटेल बैंकिंग परिचालन और

(साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट जहां और जब कहीं लागू हो)

14.4. अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है

## 15. लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये परिसंपत्तियों के लिए लीज भुगतान को लीज अवधि के आधार पर लाभ और हानि खाते में एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है.

## 16. प्रति शेयर आय

बैंक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल एवं डायल्यूटेड आय की रिपोर्ट को सूचित करता है. प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की गई है. प्रति शेयर डायल्यूटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्यूटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है.

## 17. कराधान :

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एएस-22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं. चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं स्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है.

आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक `उचित निश्चितता' न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थिगत कर का निर्धारण होगा. गैर-मूल्यह्रास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल "आभासी निश्चिता" होने पर मान्यता दी जाती है.

## 18. प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों, ऐसी संभावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है; क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है.

## 19. शेयर निर्गम व्यय:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किए गए हैं.

## 20. खातों का समेकन :

बैंक की पांच सहायक कंपनियां यथा यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एवं यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड है.

बैंक के तीन संयुक्त उद्यम यथा स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड एवं इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद हैं.

बैंक की एक सहयोगी चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक है.

समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर बनाया गया है:

20.1. मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

20.2. सहायक कंपनियों का समेकन : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एएस-21 के क्रम में अंतर-समूह संव्यवहारों, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मुख्य बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयतायों को पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण करेंगे.

20.3. एसोसिएट्स का समेकन : एसोसिएट में निवेश भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन के आधार पर लेखांकित किया गया है.

20.4. संयुक्त उपक्रम का समेकन : भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन- 27 के अनुसार संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का आनुपातिक समेकन किया गया है.

# अनुसूची 18: लेखों पर नोट्स (स्टैंडअलोन)

**भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन**

## 1. विनियामक पूंजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है. 01 अक्तूबर, 2021 तक बासेल III कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन अनुसूची दिशानिर्देशों में दी गयी है. भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, बासेल III को दिनांक 01 अक्तूबर, 2021 से पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टियर-I पूँजी, कॉमन इक्विटी टियर-I (सीईटी-I) एवं अतिरिक्त टियर- I पूंजी (एटी 1) से बनी है.

बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2023 तक पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी I के 8.00% और न्यूनतम टियर I सीआरएआर के 9.50% (दोनों में 2.50% पूंजी संरक्षण बफर को शामिल करते हुए) तक बनाए रखना आवश्यक है. .

वर्ष के दौरान, बैंक ने ट्रांच में रु. 2,200 करोड़ के बासेल III अनुपालक टियर-2 बॉन्ड तथा रु. 1,983 करोड़ के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड जारी किए हैं और रु. 2,300 करोड़ के बासेल III अनुपालक टियर-2 बॉन्ड तथा रु. 1,000.00 करोड़ के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड के मोचन के लिए कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है.

### ए) नियामक पूंजी का संगठन:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| i. | सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौतियों के निवल, यदि कोई हो) | 71,491.90 | 58,048.85 |
| ii. | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | 8,985.99 | 8,539.83 |
| iii. | टियर 1 पूंजी (i + ii) | 80,477.89 | 66,588.68 |
| iv. | टियर 2 पूंजी | 12,300.56 | 12,692.32 |
| v. | कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2) | 92,778.45 | 79,281.00 |
| vi. | कुल जोखिम भारांक आस्तियां (आरडबल्यूए) | 5,78,454.82 | 5,45,922.81 |
| vii. | सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीई 1)/ | 12.36 | 10.63 |
| viii. | टियर 1 अनुपात (आर डब्लू ए के प्रतिशत के रूप में टियर 1) | 13.91 | 12.20 |
| ix. | टियर 2 अनुपात (आर डब्लू ए के प्रतिशत के रूप में टियर 2) | 2.13 | 2.32 |
| x. | जोखिम भारांक आस्ति अनुपात को पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्लूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) | 16.04 | 14.52 |
| xi. | लीवरेज अनुपात | 5.73 | 5.17 |
| xii. | शेयरधारिता का प्रतिशत | | |
| | ए) भारत सरकार | 83.49 | 83.49 |
| | बी) राज्य सरकार (नाम स्पष्ट करें) | -- | -- |
| | सी) प्रायोजक बैंक | -- | -- |
| xiii. | वर्ष के दौरान उगाही किए गए इक्विटी पूँजी में से भुगतान राशि | -- | 1,447.17 |
| xiv. | वर्ष के दौरान उगाही की गई गैर-इक्विटी टियर-1 पूँजी की राशि, जिसमें से: | | |
| | ए) बासेल III अनुपालक जारी गैर-संचयी अधिमानित शेयर | -- | -- |
| | बी) बासेल III अनुपालक जारी ऋण लिखतें | 1,983.00 | 5,000.00 |
| xv. | वर्ष के दौरान उगाही की गई टियर-2 पूंजी की राशि, जिसमें से | | |
| | ए) जारी संचयी अधिमानित शेयर | -- | -- |
| | बी) विमोचन योग्य गैर-संचयी अधिमानित शेयर | -- | -- |
| | सी) बासेल III अनुपालक प्रतिदेय गैर प्रर्वतनीय टीयर 2 बॉण्ड | 2,200.00 | 2,000.00 |

### बी) आरक्षित से आहरण में कमी:

वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने अपरिशोधित धोखाधड़ी के लिए अन्य आरक्षित निधि से कोई राशि नहीं निकाली है. हालांकि, बैंक ने निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि से ₹ 583.20 करोड़ निकाले हैं.

2. आस्ति देयता प्रबंधन

ए) आस्तियों तथा देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न

चालू वर्ष 2022-23

(₹ करोड़ में)

| | 1 दिन | 2-7 दिन | 8-14 दिन | 15-30 दिन | 31 दिन -2 महीने | >2-3 महीने | >3-6 महीने | >6 महीने -1 वर्ष | >1-3 वर्ष | >3-5 वर्ष | > 5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा राशि | 16,719.54 | 24,897.19 | 17,582.29 | 15,386.37 | 27,291.25 | 46,680.66 | 82,771.68 | 1,63,434.74 | 1,61,274.09 | 80,204.10 | 4,81,474.41 | 1117716.32 |
| अग्रिम | 19,713.45 | 31,128.05 | 23,916.23 | 49,224.70 | 18,235.92 | 31,896.75 | 50,852.13 | 54,002.81 | 3,36,508.35 | 47,328.90 | 99,038.17 | 7,61,845.46 |
| निवेश | 87,469.35 | 10,712.95 | 888.30 | 2,993.82 | 5,506.13 | 17,324.42 | 5,710.88 | 8,220.90 | 68,822.45 | 17,556.16 | 1,14,093.69 | 3,39,299.05 |
| उधार | 963.24 | 8,333.29 | 4,085.78 | 1,996.21 | 572.85 | 254.44 | 2,123.29 | 3,610.00 | 2,310.97 | 1,996.06 | 16,891.33 | 43,137.47 |
| विदेशी मुद्रा की आस्तियां | 5,317.26 | 5,843.41 | 1,016.52 | 10,915.50 | 3,748.05 | 3,259.63 | 13,035.32 | 5,403.49 | 11,913.15 | 9,366.84 | 187.01 | 70,006.19 |
| विदेशी मुद्रा की देयताएं | 4,984.28 | 1,553.01 | 998.49 | 2,717.99 | 2,947.61 | 4,647.05 | 3,478.54 | 3,586.05 | 8,792.19 | 6,039.50 | 315.07 | 40,059.79 |

विगत वर्ष 2021-22

(₹ करोड़ में)

| | 1 दिन | 2-7 दिन | 8-14 दिन | 15-30 दिन | 31 दिन -2 महीने | >2-3 महीने | >3-6 महीने | >6 महीने -1 वर्ष | >1-3 वर्ष | >3-5 वर्ष | >5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा राशि | 12,750.62 | 22,568.14 | 15,505.37 | 24,224.17 | 31,592.76 | 34,111.25 | 77,995.40 | 1,47,057.37 | 1,20,848.10 | 86,172.71 | 4,59,566.76 | 1032392.63 |
| अग्रिम | 6,038.86 | 11,250.55 | 9,483.94 | 21,912.53 | 4,709.33 | 17,723.78 | 34,326.71 | 62,738.47 | 2,98,295.75 | 71,329.79 | 1,23,194.95 | 6,61,004.66 |
| निवेश | 1,44,407.71 | 18,199.02 | 1,748.39 | 5,135.88 | 1,441.91 | 22,859.62 | 26,503.85 | 25,831.24 | 13,504.34 | 20,494.70 | 68,380.73 | 3,48,507.39 |
| उधार | 803.30 | 778.30 | 602.84 | 1,132.91 | 831.74 | 1,104.87 | 1,713.57 | 5,643.17 | 19,676.78 | 3,676.24 | 15,215.38 | 51,179.10 |
| विदेशी मुद्रा की आस्तियां | 4,900.56 | 2,797.74 | 2,961.84 | 2,339.01 | 3,635.01 | 5,975.17 | 4,771.74 | 5,434.65 | 10,170.15 | 7,449.49 | 27.23 | 50,462.59 |
| विदेशी मुद्रा की देयताएं | 2,921.98 | 927.90 | 1,638.95 | 1,650.41 | 1,661.87 | 3,276.05 | 3,395.36 | 5,638.17 | 6,322.48 | 6,492.50 | 265.12 | 34,190.79 |

### बी) तरलता कवरेज अनुपात

एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर की भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का रखरखाव सुनिश्चित करना है, ताकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर तरलता दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके.

एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह है.

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{एचक्यूएलए}}{\text{30 दिनों में शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह}}$$

**उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए):**

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पार्श्विक के रुप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है. उन्हें भार रहित अर्थात विधिक, नियामक अथवा परिचालानात्मक अवरोधों के बिना होना चाहिए. ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती है, जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं. एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर-1 आस्तियां, एवं बी) स्तर- 2 आस्तियां होती हैं. स्तर-2 आस्तियों को तरलता एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर पुनः दो भाग स्तर 2ए आस्तियों एवं स्तर 2बी आस्तियों में विभाजित किया जाता है.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता कैलेंडर वर्ष 2019 के बाद के लिए 100% है. एलसीआर बैंक के घरेलू परिचालनों के साथ-साथ विदेशी परिचालनों पर भी लागू होता है.

स्तर 1 बिना किसी मार्जिन के एचक्यूएलए में शामिल स्टॉक आस्तियां हैं. स्तर 1 आस्तियों में मुख्य रुप से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का आधिक्य सहित नकदी, एसएलआर (सांविधिक चलनिधि अनुपात) का आधिक्य, सीमांत स्टैंडिंग सुविधा (दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रभावी निवल मांग एवं मियादी देयताएं का 2%) एवं एफएएलएलसीआर (निवल मांग एवं मियादी देयताएं का 16%) शामिल है.

स्तर 2 ए आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 15% नकद कटौती की गई है. स्तर 2ए आस्तियों में मुख्य रूप से 20% जोखिम भारित के साथ प्रतिभूतियां शामिल हैं. स्तर 2 बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% नकद कटौती की गई है. स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए. स्तर 2बी आस्तियां जिनका जोखिम भार मुख्य रुप से 20% से अधिक, परन्तु 50% से अधिक नहीं है जोखिम भार वाली प्रतिभूतियां होती हैं.

**शुद्ध नकदी प्रवाह**

कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह में से कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह को घटाने पर कुल शुद्ध नकदी प्रवाह परिभाषित होता है. नकद प्रवाह सुनिश्चित करने के क्रम में, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी जमा पूंजी को ग्राहकों के विभिन्न संवर्गों में जैसे रिटेल (जिसमें आम जन से जमा लेना शामिल है), लघु कारोबार ग्राहकों (जिनका सकल निधियन रु. 7.5 करोड़ है) एवं गैर वित्तीयन ग्राहकों (एनएफ़सी) से जमा तथा अन्य विधिक अस्तित्व वाले ग्राहकों (ओएलई) को पृथक करता है. कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह के 75% तक की समग्र कैप तक, अपेक्षित प्रवाह के दर से संविदात्मक प्राप्तियों के विभिन्न श्रेणियों के बकाया राशियों को गुणा कर कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह का आकलन किया जाता है.

**बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त जानकारी**

कवर की गई संस्थाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड हैं. दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्ति पर तीन महीने के दौरान बैंक ने औसत एचक्यूएलए रु. 2,70,381 करोड़ को बनाए रखा है. बैंक के लिए स्तर 1 आस्तियां एचक्यूएलए की मुख्य संचालक हैं. इनमें एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 97% योगदान है. दिनांक 31 मार्च, 2023 की समाप्त तिमाही के दैनिक औसत के आधार पर, एचक्यूएलए का अधिकतम भाग अर्थात कुल एचक्यूएलए का लगभग 64% चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता की सुविधा उपलब्ध है, स्तर 2 आस्तियां जो, स्तर 1 की तुलना में गुणवत्ता में कम है, उनमें 40% की अधिकतम स्वीकार्य / अनुमत स्तर के सापेक्ष एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 3% है.

बैंक का एक्सपोजर मुख्यतः भारतीय रूपए में है. कुल निधियन स्रोतों का बड़ा भाग असुरक्षित सम्पूर्ण निधियन से बना है. रिटेल जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा, कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का क्रमशः लगभग 22% और 4% है. कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का लगभग 43% गैर वित्तीयन कॉर्पोरेट से जमा है. बैंक के ग्राहकों की ओर से जमा की गई राशि में मूलतः बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटी (बीजी) एवं साख पत्र (एलसी) शामिल है. कुल भारित नकद अंतर्प्रवाह में लगभग 77% विभिन्न प्रतिपक्षकारों के अंतर्प्रवाह का योगदान है.

बैंक ने मार्च, 2023 तिमाही के सभी कार्य दिवसों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना की है. 66 डाटा पॉइंट्स के दैनिक अवलोकन के औसत की गणना की गई है. दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए 157.20% औसत एलसीआर के सापेक्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 167.42% है तथा कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 100% वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है.

**वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान औसत एलसीआर का संचलन**

| तिमाही | जून 2022 | सितंबर 2022 | दिसंबर 2022 | मार्च 2023 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| एलसीआर अनुपात | 177.23 | 176.29 | 157.20 | 167.42 | 169.45 |

## मात्रात्मक प्रकटीकरण (तिमाही वार)

(₹ करोड़ में)

| | | मार्च 2022 तिमाही | | जून 2022 तिमाही | | सितंबर 2022 तिमाही | | दिसंबर 2022 तिमाही | | मार्च 2023 तिमाही | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) |
| **उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां** | | | | | | | | | | | |
| 1 | कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) | **2,80,230.24** | **2,77,655.44** | **2,85,874.82** | **2,83,471.76** | **2,72,796.14** | **2,70,526.80** | **2,54,845.43** | **2,52,755.92** | **2,72,365.27** | **2,70,381.26** |
| **नकदी बहिर्प्रवाह** | | | | | | | | | | | |
| 2 | खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से: | **6,14,334.98** | **47,119.13** | **6,25,940.05** | **48,160.84** | **6,31,943.26** | **48,711.45** | **6,36,133.95** | **49,080.23** | **6,46,869.46** | **49,883.30** |
| (i) | स्थिर जमा राशियां | 2,86,287.44 | 14,314.37 | 2,88,663.30 | 14,433.17 | 2,89,657.58 | 14,482.88 | 2,90,663.22 | 14,533.16 | 2,96,072.85 | 14,803.64 |
| (ii) | घटाई गई स्थिर जमा राशियां | 3,28,047.54 | 32,804.75 | 3,37,276.75 | 33,727.67 | 3,42,285.68 | 34,228.57 | 3,45,470.73 | 34,547.07 | 3,50,796.61 | 35,079.66 |
| 3 | बेजमानती थोक निधियां, जिसमें से: | **2,00,598.22** | **1,01,620.62** | **2,06,251.79** | **1,03,380.30** | **2,00,358.09** | **1,01,590.06** | **2,15,331.51** | **1,10,366.55** | **2,43,570.32** | **1,20,721.42** |
| (i) | परिचालनात्मक जमाराशियां (सभी काऊंटर पार्टियां) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (ii) | गैर-परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काऊंटर पार्टियां) | 2,00,598.22 | 1,01,620.62 | 2,06,251.79 | 1,03,380.30 | 2,00,358.09 | 1,01,590.06 | 2,15,331.51 | 1,10,366.55 | 2,43,570.32 | 1,20,721.42 |
| (iii) | बेजमानती ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | जमानती थोक निधियां | **422.26** | **7.72** | **3,620.07** | **9.50** | **1,260.89** | **1.93** | **3,979.56** | **-** | **3,663.14** | **-** |
| 5 | अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से | **1,32,737.42** | **21,653.42** | **1,43,767.95** | **22,850.08** | **1,37,798.14** | **20,531.91** | **1,35,207.29** | **18,972.06** | **1,31,809.13** | **15,033.14** |
| (i) | डेरीवेटिव एक्सपोज़र एवं अन्य सम्पार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह | 27.26 | 27.26 | 20.31 | 20.31 | 44.51 | 44.51 | 75.97 | 75.97 | 79.02 | 79.02 |
| (ii) | ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (iii) | ऋण एवं तरलता सुविधाएं | 1,32,710.16 | 21,626.16 | 1,43,747.64 | 22,829.76 | 1,37,753.63 | 20,487.40 | 1,35,131.32 | 18,896.09 | 1,31,730.11 | 14,954.11 |
| 6 | अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता | **3,201.84** | **3,201.84** | **3,710.09** | **3,710.09** | **3,620.63** | **3,620.63** | **2,971.14** | **2,971.14** | **3,609.33** | **3,609.33** |
| 7 | अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता | **90,030.40** | **2,700.94** | **86,943.70** | **2,608.34** | **88,357.30** | **2,650.75** | **88,203.10** | **2,646.10** | **91,305.09** | **2,739.15** |
| **8** | **कुल नकदी बहिर्प्रवाह** | **10,41,325.12** | **1,76,303.67** | **10,70,233.64** | **1,80,719.15** | **10,63,338.31** | **1,77,106.72** | **10,81,826.55** | **1,84,036.09** | **11,20,826.48** | **1,91,986.34** |
| **नकदी अंतर्प्रवाह** | | | | | | | | | | | |
| 9 | जमानती अग्रिम (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो) | **36,175.58** | **0.02** | **18,836.01** | **0.00** | **2,302.80** | **-** | **1,217.00** | **-** | **4,103.18** | **-** |
| 10 | पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोज़र से अंतर्प्रवाह | 18,458.03 | 13,489.62 | 21,684.25 | 16,347.74 | 24,872.09 | 17,871.82 | 25,867.34 | 18,316.49 | 32,328.30 | 23,567.09 |
| 11 | अन्य नकद अंतर्प्रवाह | **4,499.09** | **4,499.09** | **4,427.01** | **4,427.01** | **5,782.78** | **5,782.78** | **4,938.06** | **4,938.06** | **6,917.47** | **6,917.47** |
| **12** | **कुल नकद अंतर्प्रवाह** | **59,132.70** | **17,988.73** | **44,947.27** | **20,774.75** | **32,957.67** | **23,654.60** | **32,022.40** | **23,254.54** | **43,348.96** | **30,484.56** |
| **13** | **कुल एचक्यूएलए** | | **2,77,655.44** | | **2,83,471.76** | | **2,70,526.80** | | **2,52,755.92** | | **2,70,381.26** |
| **14** | **कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह** | | **1,58,314.93** | | **1,59,944.41** | | **1,53,452.12** | | **1,60,781.54** | | **1,61,501.78** |
| **15** | **तरलता कवरेज अनुपात (%)** | | **175.38%** | | **177.23%** | | **176.29%** | | **157.20%** | | **167.42%** |

### सी) निवल स्थिर निधियन अनुपात

#### i) गुणानात्मक प्रकटीकरण:

निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफ़आर) का उद्देश्य बैंक की तरलता जोखिम प्रोफ़ाइल की प्रतिरोध क्षमता को प्रोत्साहित करना तथा लंबे समय के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिरोध क्षमता को और अधिक संवर्धित करना है. एनएसएफ़आर के अनुसार बैंकों को उनके तुलन पत्रेत्तर गतिविधियों के संगठन संबंधी पूंजी तथा आस्तियों के रूप में स्थिर निधियन प्रोफ़ाइल को बनाए रखने की आवश्यकता है.

एनएसएफ़आर को आवश्यक स्थिर निधियन की राशि से संबंधित उपलब्ध स्थिर निधियन की राशि के रूप में उल्लिखित किया गया है.

$$\text{एनएसएफ़आर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ़)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधियन (आरएसएफ़)}}$$

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2018 में लगभग 100% के बराबर न्यूनतम आवश्यकता के साथ निवल स्थिर निधियन अनुपात के कार्यान्वयन पर विनियमों को जारी किया. यह कार्यान्वयन 1 अक्तूबर, 2021 से प्रभावी है. एनएसएफ़आर बैंक के देशी परिचालनों के साथ ही विदेशी परिचालनों में भी लागू है तथा स्टैंडअलोन तथा समेकित स्तर पर गणनीय है.

उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ़) को विश्वास करने योग्य पूंजी तथा देयताओं के अंश के रूप में वर्णित किया जाता है जो 100 भारांक प्राप्त करने वाले 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाले देयताओं सहित उनके प्रकार तथा देयताओं की परिपक्वता के अनुसार विविध कारक के भारांकों द्वारा वर्णित किया जाता है.

आवश्यक स्थिर निधियन (आरएसएफ़) को तुलन पत्र तथा तुलन पत्रेत्तर के एक्सपोजरों के अंश के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे नियमित आधार पर निधियन की आवश्यकता है. स्थिर निधियन आवश्यकता की राशि, धारित विविध आस्तियों की तरलता विशेषताओं तथा अवशिष्ट परिपक्वताओं का कार्य हैं.

**बैंक के एनएसएफ़आर का संक्षिप्त परिचय**

कवर की गई संस्थाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड हैं. उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ़) के मुख्य घटक पूंजी आधार, रिटेल जमाराशि आधार तथा गैर-वित्तीय कंपनियों से निधियन तथा संस्थागत ग्राहकों से दीर्घ-अवधि निधियन है. संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल उपलब्ध स्थिर निधियन का पूंजी आधार लगभग 10%, रीटेल जमा (लघु आकार के कारोबार ग्राहकों से जमाराशि सहित) 69% तथा थोक निधीयन 21% हुआ है.

आवश्यक स्थिर निधियन में प्रारम्भ में कॉर्पोरेट, रिटेल ग्राहकों तथा वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करना शामिल है, जिसमें संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल आरएसएफ़ का 85% होता है. उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के स्टॉक में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद और आरक्षित शेषराशि भी शामिल हैं. सरकारी ऋण जारी करने के पश्चात परिणामतः उनके उच्च गुण तथा तरल विशेषता के कारण शून्य या निम्न राशि की स्थिर निधियन को आकर्षित करती है. तदनुसार, संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात एचक्यूएलए में आवश्यक स्थिर निधियन का केवल 2% शामिल है. आवश्यक स्थिर निधियन में अन्य आस्तियों तथा आकस्मिक निधियन दायित्व जैसे समर्पित ऋण सुविधाएं, गारंटी तथा साख पत्र के 13% शामिल हैं.

बैंक ने आवश्यकता स्थिर निधियन के ₹ 6,76,671 करोड़ के सापेक्ष समेकित स्तर के ₹ 9,42,399 करोड़ के उपलब्ध स्थिर निधियन सहित संतोषजनक स्थिर निधियन बफर को बरकरार रखा है, जिसके परिणामतः 31 मार्च, 2023 तक समेकित एनएसएफ़आर 139.27% हुआ है.

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

**मार्च, 2023 तक समेकित एनएसएफ़आर का प्रकटीकरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य | | | | भारांकित मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोई परपिक्वता नहीं | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्षे | ≥ 1 वर्षे | |
| | **एएसएफ़ मद** | | | | | |
| 1 | पूंजी: (2+3) | 73472.52 | 0.00 | 2000.00 | 18565.48 | 92038.00 |
| 2 | विनियामक पूंजी | 73472.52 | 0.00 | 0.00 | 927.48 | 74400.00 |
| 3 | अन्य पूंजी लिखतें | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 17638.00 | 17638.00 |
| **4** | **छोटे कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमा तथा जमाराशि: (5+6)** | **326162.46** | **113777.94** | **260622.47** | **2539.51** | **646702.81** |
| 5 | स्थिर जमा | 40994.80 | 29833.11 | 202307.84 | 1869.82 | 261348.79 |
| 6 | अल्प स्थिर जमा | 285167.66 | 83944.83 | 58314.64 | 669.69 | 385354.02 |
| **7** | **थोक निधियन: (8+9)** | **74748.93** | **154529.84** | **173378.83** | **14931.52** | **200097.63** |
| 8 | परिचालनात्मक जमा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | अन्य थोक निधियन | 74748.93 | 154529.84 | 173378.83 | 14931.52 | 200097.63 |
| **10** | **अन्य देयताएं: (11+12)** | **47026.01** | **18329.10** | **1610.00** | **3560.37** | **3560.37** |
| 11 | एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी | 46993.27 | 18329.10 | 1610.00 | 3560.37 | 3560.37 |
| **13** | **कुल एएसएफ़ (1+4+7+10)** | | | | | **942399.71** |
| | **आरएसएफ़ मद** | | | | | |
| **14** | **उच्च गुण तरल आस्ति के कुल एनएसएफ़आर (एचक्यूएलए)** | | | | | **15865.86** |
| **15** | **परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि** | **53.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26.49** |
| **16** | **निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)** | **1330.58** | **154093.90** | **61825.48** | **635915.07** | **576113.75** |
| 17 | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को असंरक्षित निष्पादित ऋण | 0.00 | 81215.04 | 15206.23 | 19712.90 | 34141.10 |
| 19 | गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, रिटेल तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से: | 0.00 | 67617.10 | 39686.95 | 506522.55 | 458900.37 |
| 20 | ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | निष्पादित आवसीय बंधक, जिनमें से: | 0.00 | 62.09 | 186.77 | 80496.34 | 52447.05 |
| 22 | ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित | 0.00 | 62.09 | 186.77 | 80496.34 | 52447.05 |

| क्र. सं. | विवरण | परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य | | | | भारांकित मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोई परपिक्वता नहीं | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | |
| 23 | विनिमय-ट्रेडेड इक्विटियों सहित प्रतिभूतियां जो संदिग्ध नहीं हैं तथा एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं | 1330.58 | 5199.67 | 6745.54 | 29183.29 | 30625.23 |
| **24** | **अन्य आस्तियां: (25 से 29 की पंक्ति तक योग)** | **65903.32** | **14408.88** | **0.00** | **1261.18** | **75473.33** |
| **25** | **स्वर्ण सहित भौतिक ट्रेडेड उत्पाद** | **0.00** | | | | **0.00** |
| 26 | व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी के संदिग्ध निधि को अंशदान | | 3040.96 | 0.00 | 0.00 | 2584.82 |
| 27 | एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसए. फआर व्युत्पन्न आस्तियां | | 80.96 | 0.00 | 0.00 | 80.96 |
| 29 | उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियां | 65903.32 | 11286.96 | 0.00 | 1261.18 | 72807.56 |
| **30** | **तुलन पत्रेत्तर मदें** | | **221871.20** | **0.00** | **0.00** | **9191.06** |
| 31 | कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30) | | | | | 676671.20 |
| 32 | निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%) | | | | | 139.27% |

**मार्च, 2022 तक समेकित एनएसएफ़आर का प्रकटीकरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य | | | | भारांकित मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोई परपिक्वता नहीं | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | |
| | एसएफ मद | | | | | |
| **1** | **पूंजी: (2+3)** | **65,865.83** | **500.00** | **2,800.00** | **16,317.85** | **82,183.68** |
| 2 | विनियामक पूंजी | 65,865.83 | 0.00 | 0.00 | 862.85 | 66,728.68 |
| 3 | अन्य पूंजी लिखतें | 0.00 | 500.00 | 2800.00 | 15,455.00 | 15,455.00 |
| **4** | **छोटे कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमा तथा जमाराशि: (5+6)** | **3,06,015.13** | **1,23,377.43** | **1,12,229.03** | **1,18,948.30** | **6,15,904.72** |
| 5 | स्थिर जमा | 1,57,204.34 | 16,642.91 | 16,092.51 | 19,955.67 | 2,00,398.44 |
| 6 | अल्प स्थिर जमा | 1,48,810.80 | 1,06,734.52 | 96,136.52 | 98,992.63 | 4,15,506.28 |
| **7** | **थोक निधीयन: (8+9)** | **71,238.13** | **1,52,239.14** | **1,04,620.69** | **45,879.68** | **1,88,062.72** |
| 8 | परिचालनात्मक जमा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | अन्य थोक निधीयन | 71,238.13 | 1,52,239.14 | 1,04,620.69 | 45,879.68 | 1,88,062.72 |
| **10** | **अन्य देयताएं: (11+12)** | **38,317.01** | **6,967.54** | **4,843.17** | **20,613.39** | **20,613.39** |
| 11 | एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी | 38,317.01 | 6,967.54 | 4,843.17 | 20,613.39 | 20,613.39 |
| **13** | **कुल एएसएफ़ (1+4+7+10)** | | | | | **9,06,764.50** |
| | **आरएसएफ़ मद** | | | | | |
| **14** | **उच्च गुण तरल आस्ति के कुल एनएसएफ़आर (एचक्यूएलए)** | | | | | **15,873.09** |
| **15** | **परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि** | **39.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19.52** |
| **16** | **निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)** | **2,238.58** | **1,71,639.17** | **36,535.76** | **5,58,433.59** | **5,05,993.64** |

| क्र. सं. | विवरण | परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य | | | | भारांकित मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोई परपिक्वता नहीं | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | |
| 17 | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को असंरक्षित निष्पादित ऋण | 0.00 | 97,166.19 | 1,253.47 | 24,561.57 | 28,446.79 |
| 19 | गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, रिटेल तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से: | 0.00 | 70,851.92 | 28,600.27 | 4,25,903.02 | 3,89,150.15 |
| 20 | ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित | 0.00 | 40,631.05 | 3,716.58 | 1,12,683.89 | 95,418.35 |
| 21 | निष्पादित आवसीय बंधक, जिनमें से: | 0.00 | 53.30 | 127.95 | 59,707.96 | 38,900.80 |
| 22 | ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या 35% तक के जोखिम भारांक सहित | 0.00 | 53.30 | 127.95 | 59,707.96 | 38,900.80 |
| 23 | ऐसी प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप में नहीं हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं है. | 2,238.58 | 3,567.75 | 6,554.07 | 48,261.04 | 49,495.90 |
| **24** | **अन्य आस्तियां: (25 से 29 की पंक्ति तक योग)** | **78,600.04** | **11,828.54** | **0.00** | **1,996.47** | **87,378.54** |
| **25** | **स्वर्ण सहित भौतिक ट्रेडेड उत्पाद** | **0.00** | | | | **0.00** |
| 26 | व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी के संदिग्ध निधि को अंशदान | | 2,012.38 | 0.00 | 0.00 | 1,710.52 |
| 27 | एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्तियां | | 173.75 | 0.00 | 0.00 | 173.75 |
| 28 | पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां | | 87.04 | 0.00 | 0.00 | 87.04 |
| 29 | उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियां | 78,600.04 | 9,555.37 | 0.00 | 1,996.47 | 85,407.22 |
| **30** | **तुलन पत्रेत्तर मदें** | | **1,17,104.57** | **0.00** | **0.00** | **5,855.23** |
| 31 | कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30) | | | | | 6,15,120.01 |
| 32 | निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%) | | | | | 147.41% |

## 3. निवेश

### ए) निवेश संविभाग का संगठन

यथा 31.03.2023

(₹ करोड़ में)

| | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | | कुल निवेश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियां | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | शेअर | डिबेंचर एव बॉन्ड | सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित) | सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत के बाहर कुल निवेश | |
| परिपक्वता तक धारित | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 2,22,125.35 | - | - | 52,161.68 | 393.80 | 3,998.21 | 2,78,679.04 | - | 1,148.71 | 0.40 | 1,149.11 | 2,79,828.15 |
| घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) | - | - | - | (200.00) | (5.00) | - | (205.00) | - | (3.11) | | (3.11) | (208.11) |
| निवल | 2,22,125.35 | - | - | 51,961.68 | 388.80 | 3,998.21 | 2,78,474.04 | - | 1,145.60 | 0.40 | 1,146.00 | 2,79,620.04 |
| बिक्री के लिए उपलब्ध | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 37,798.39 | - | 5,007.44 | 13,388.83 | - | 8,994.58 | 65,189.24 | 1,739.88 | - | 45.37 | 1,785.25 | 66,974.49 |
| घटाएं: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | - | - | (2,966.26) | (2,221.01) | - | (2,437.08) | (7,624.35) | (10.80) | - | (12.21) | (23.01) | (7,647.36) |
| निवल | 37,798.39 | - | 2,041.18 | 11,167.82 | - | 6,557.50 | 57,564.89 | 1,729.08 | - | 33.16 | 1,762.24 | 59,327.13 |
| ट्रेडिंग के लिए धारित | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 327.82 | - | 0.15 | 24.00 | - | - | 351.97 | - | - | - | - | 351.97 |
| घटाएं: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | - | - | - | (0.08) | - | - | (0.80) | -- | - | - | - | (0.80) |
| निवल | 327.82 | - | 0.15 | 23.92 | - | - | 351.89 | - | - | - | - | 351.89 |
| कुल निवेश | 2,60,251.56 | - | 5,007.59 | 65,574.51 | 393.80 | 12,992.79 | 3,44,220.25 | 1,739.88 | 1,148.71 | 45.77 | 2,934.36 | 3,47,154.61 |
| | | | | | | | | | | | | |
| घटाएं: एनपीआई के लिए प्रावधान | - | - | - | (200.00) | (5.00) | - | (205.00) | - | (3.11) | - | (3.11) | (208.11) |
| घटाएं: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | - | - | (2,966.26) | (2,221.09) | - | (2,437.08) | (7,624.43) | (10.80) | - | (12.21) | (23.01) | (7,647.44) |
| निवल | 2,60,251.56 | 0.00 | 2,041.33 | 63,153.42 | 388.80 | 10,555.71 | 3,36,390.82 | 1,729.08 | 1,145.60 | 33.56 | 2,908.24 | 3,39,299.06 |

**नोट :**

1. सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यम (भारत में एवं भारत के बाहर) में दर्शाया गया प्रावधान मानक एमटीएम पर निर्धारित है और न कि एनपीआई पर
2. गैर-कार्यनिष्पादन निवेशों हेतु प्रावधान में केवल परिपक्वता तक धारित संवर्ग शामिल है.
3. मूल्यह्रास और एनपीआई के प्रावधान में बिक्री के लिए उपलब्ध एवं ट्रेडिंग संवर्ग के लिए धारित शामिल है.

**यथा 31.03.2022**

(₹ करोड़ में)

| | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | | कुल निवेश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियां | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | शेअर | डिबेंचर एव बॉन्ड | सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्दम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित | सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्दम | अन्य | भारत के बाहर कुल निवेश | |
| **परिपक्वता धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 1,99,238.04 | - | 59.71 | 56,762.49 | 343.61 | 346.90 | 2,56,750.75 | -- | 1,148.71 | 0.40 | 1,149.11 | 2,57,899.86 |
| घटाएं गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) | - | - | - | (80.00) | (5.00) | - | (85.00) | -- | (1.43) | - | (1.43) | (86.43) |
| निवल | 1,99,238.04 | - | 59.71 | 56,682.49 | 338.61 | 346.90 | 2,56,665.75 | -- | 1,147.28 | 0.40 | 1,147.68 | 2,57,813.43 |
| **बिक्री के लिए उपलब्ध** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 65,341.29 | - | 5,085.76 | 14,182.17 | - | 10,908.61 | 95,517.83 | 1,640.39 | - | 45.62 | 1,686.01 | 97,203.84 |
| घटाएं मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | - | - | (2,840.17) | (1,481.55) | - | (1,742.43) | (6,064.15) | (30.20) | - | - | (30.20) | (6,094.35) |
| निवल | 65,341.29 | - | 2,245.59 | 12,700.62 | - | 9,166.18 | 89,453.68 | 1,610.19 | - | 45.62 | 1,655.81 | 91,109.49 |
| **ट्रेडिंग के लिए धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | (415.53) | - | - | - | - | - | (415.53) | -- | - | - | - | (415.53) |
| घटाएं मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान | - | - | - | - | - | - | 0.00 | -- | - | - | - | - |
| निवल | (415.53) | - | - | - | - | - | (415.53) | -- | - | - | - | (415.53) |
| **कुल निवेश** | **2,64,163.80** | **-** | **5,145.47** | **70,944.66** | **343.61** | **11,255.51** | **3,51,853.04** | **1,640.39** | **1,148.71** | **46.02** | **2,835.12** | **3,54,688.16** |
| **घटाएं एनपीआई के लिए प्रावधान** | **-** | **-** | **-** | **(80.00)** | **(5.00)** | **-** | **(85.00)** | **-** | **(1.43)** | **-** | **(1.43)** | **(86.43)** |
| **घटाएं: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान** | **-** | **-** | **(2,840.17)** | **(1,481.55)** | **-** | **(1,742.43)** | **(6,064.15)** | **(30.20)** | **-** | **-** | **(30.20)** | **(6,094.35)** |
| **निवल** | **2,64,163.80** | **0.00** | **2,305.30** | **69,383.11** | **338.61** | **9,513.08** | **3,45,703.90** | **1,610.19** | **1,147.28** | **46.02** | **2,803.49** | **3,48,507.39** |

**नोट :**

1. सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यम (भारत में एवं भारत के बाहर) में दर्शाया गया प्रावधान मानक एमटीएम पर निर्धारित है और न कि एनपीआई पर
2. गैर-कार्यनिष्पादन निवेशों हेतु प्रावधान में केवल परिपक्वता तक धारित संवर्ग शामिल है.
3. मूल्यह्रास और एनपीआई के प्रावधान में बिक्री के लिए उपलब्ध एवं ट्रेडिंग संवर्ग के लिए धारित शामिल है.

बी) मूल्यह्रास तथा निवेश अस्थिर आरक्षित के लिए प्रावधानों का विचलन

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| i) | निवेशों पर मूल्यह्रास के धारित प्रावधान का विचलन | | |
| | ए) प्रारम्भिक शेषराशि | 6,180.78 | 6,227.42 |
| | बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 2,119.77 | 631.43 |
| | सी) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते डालना | 444.98 | 678.07 |
| | **डी) अंतिम शेषराशि** | **7,855.57** | **6,180.78** |
| ii) | निवेश अस्थिर आरक्षित का विचलन | | |
| | ए) प्रारम्भिक शेषराशि | 1,936.16 | 1,279.29 |
| | बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि | -- | 656.87 |
| | सी) घटाएं: आहरण द्वारा कमी | 583.20 | 0.00 |
| | **डी) अंतिम शेषराशि** | **1,352.96** | **1,936.16** |
| iii) | एएफ़एस तथा एएफ़टी/वर्तमान श्रेणी में निवेशों की अंतिम शेषराशि के प्रतिशत के रूप में आईएफ़आर में अंतिम शेषराशि | 2.00 | 2.00 |
| iv) | निवेश आरक्षित निधि का प्रवाह | | |
| | ए) प्रारम्भिक शेषराशि | -- | -- |
| | बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि | 176.90 | -- |
| | सी) घटाएं: आहरण द्वारा कमी | -- | -- |
| | **डी) अंतिम शेषराशि** | **176.90** | **--** |

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निवेश आरक्षित निधि को सृजित किया गया है क्योंकि बैंक के पास वर्तमान में एएफ़ और एचएफ़टी श्रेणी के अंतर्गत ₹ 362.56 करोड़ का प्रावधान आधिक्य है और राशि को कर एवं वैधानिक आरक्षित निधि में अंतरण के निवल को अंतरित किया गया है.

**सी) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री व अंतरण**

बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक के बही मूल्य के निवेश का एचटीएम श्रेणी से विक्रय एवं उसमें अंतरण किया है. उपर्युक्त से 5% प्रारंभिक सीमा अलग होगी:

i. प्रतिभूतियों के एकबारगी हस्तांतरण को / एचटीएम श्रेणी से निदेशक मण्डल के अनुमोदन से लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों के द्वारा किए जाने की अनुमति है.

ii. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में अधोगामी संशोधन के तदनुसार एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कम करने के लिए एचटीएम से प्रत्यक्ष विक्रय.

iii. भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन परिचालनों जैसे खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) तथा सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को विक्रय.

iv. भारत सरकार द्वारा वापस खरीदने/परिचालन अंतरण के अंतर्गत बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों को पुनः खरीदना.

v. बायबैक/स्विच परिचालन के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों को पुनः खरीदना.

vi. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त अंतरण

## डी) गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| ए) | प्रारंभिक शेष | 4,431.69 | 4,811.06 |
| बी) | 1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,910.06 | 566.54 |
| सी) | उपरोक्त अवधि के दौरान कमी | 416.15 | 945.91 |
| डी) | अंतिम शेष | 5,925.60 | 4,431.69 |
| ई) | कुल धारित प्रावधान | 5,737.00 | 4,036.84 |

ii) गैर- एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों में निवेशों के जारीकर्ता संमिश्र निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | जारीकर्ता | राशि | | निजी आबंटन की मात्रा | | निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियों की मात्रा | | गैर- निर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा | | गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की मात्रा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| ए) | पीएसयू | 4,193.09 | 4,087.05 | 1,418.66 | 1,170.10 | -- | -- | 3,080.52 | 3,197.29 | 0.58 | 22.83 |
| बी) | वित्तीय संस्थाएं | 4,046.13 | 2,680.13 | 1,765.47 | 595.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| सी) | बैंक | 2,816.78 | 2,057.83 | 2,177.16 | 1,850.15 | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
| डी) | निजी कॉर्पोरेट | 24,269.13 | 29,301.27 | 20,609.27 | 24,005.23 | 20.00 | 456.28 | 448.37 | 413.54 | 126.16 | 138.94 |
| ई) | सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम | 1,542.52 | 1,492.32 | 1,542.52 | 1,492.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| एफ़) | अन्य | 50,035.42 | 50,905.77 | 46,481.31 | 47,310.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| जी) | मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान | (7,855.57) | (6,180.78) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | **कुल** | **79,047.49** | **84,343.59** | **73,994.39** | **76,424.19** | **20.00** | **456.28** | **3,533.89** | **3,610.83** | **126.74** | **161.77** |

## ई) रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के अनुसार)

इंगित अवधि के लिए निर्धारित निम्नलिखित सारणी, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) व सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) में संव्यवहार सहित क्रमशः रेपो व रिवर्स रेपो संव्यवहार के तहत खरीदे एवं बेचे गए प्रतिभूतियों के विवरण दिए गए है.

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | यथा दिनांक 31.03.2023 तक बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| i) | **रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां** | | | | |
| | ए) सरकारी प्रतिभूतियां | 14,129.54 | 21,902.81 | 15,874.76 | 14,509.54 |
| | बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- |
| | सी) अन्य कोई प्रतिभूतियां | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |

| | विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | यथा दिनांक 31.03.2023 तक बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| ii) | **रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां** | | | | |
| | ए) सरकारी प्रतिभूतियां | 255.00 | 60,605.07 | 6,067.94 | 763.49 |
| | बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- |
| | सी) अन्य कोई प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- |

एफ़) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के प्रतिभूतियों के बिक्री पर ₹ 193.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,120.13 करोड़) के लाभ को शुरुआत में लाभ तथा हानि खाते में लिया गया.

जी) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के संबंध में, वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत के अतिदेय ₹ 723.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 719.79 करोड़) हुआ है.

एच) शेयर परिवर्तनीय डिबेंचर तथा म्यूचुअल फ़ंड/ वेंचर पूंजी फ़ंड इक्विटी की इकाइयों और साथ ही अग्रिमों में भी किए गए कुल निवेश के सापेक्ष शेयर का योग ₹ 2,353.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,523.77 करोड़) है

## 4. आस्ति गुणवत्ता

### ए) अग्रिमों तथा धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

| वित्त वर्ष 2022-23 | मानक | गैर-निष्पादित | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिमों | उप-मानक | संदिग्ध | हानि | कुल गैरनिष्पादित अग्रिमों | |
| **सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेषराशि | 6,36,820.81 | 11,040.55 | 49,449.47 | 19,097.04 | 79,587.07 | 7,16,407.87 |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान किए गए नए जोड़ | | | | | 12,518.60 | 12,518.60 |
| **घटाएं: वर्ष के दौरान गिरावट*** | | | | | **31,118.38** | **31,118.38** |
| अंतिम शेषराशि | 7,48,918.02 | 7,118.16 | 34,950.72 | 18,918.41 | 60,987.29 | 8,09,905.31 |
| *सकल एनपीए में गिरावट के कारण: | | | | | 31,118.38 | 31,118.38 |
| i) उन्नयन | | | | | 4,666.03 | 4,666.03 |
| ii) वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर) | | | | | 7,277.35 | 7,277.35 |
| iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालना | | | | | 16,805.74 | 16,805.74 |
| iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा अन्य को बट्टे खाते डालना | | | | | 2,369.26 | 2,369.26 |
| प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर) | | | | | | |
| धारित प्रावधान की प्रारंभिक शेषराशि | 6,566.77 | 2,377.63 | 33,650.81 | 18,628.10 | 54,656.55 | 61,223.30 |
| जोड़ेः वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | | | | | 12,478.97 | 12,478.97 |
| घटाएं: प्रवर्तन किया गया अतिरिक्त प्रावधान बट्टे खाते डालना | 987.21 | | | | 19,506.32 | 20,493.53 |
| धारित प्रावधान की अंतिम शेषराशि | 5,579.56 | 1,892.61 | 27,035.25 | 18,701.32 | 47,629.18 | 53,208.74 |

| वित्त वर्ष 2022-23 | मानक | गैर-निष्पादित | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिमों | उप-मानक | संदिग्ध | हानि | कुल गैरनिष्पादित अग्रिमों | |
| विविध जमाराशि में रखी गई राशि प्राप्त ईसीजीसी दावे/वाद दायर खातों में वसूली/एनपीए खातों में पुर्नसंरचित छोड़ी गई राशि | | | | | 430.68 | 430.68 |
| **निवल एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेषराशि | | 8,659.30 | 15,524.13 | 119.87 | 24,303.30 | 24,303.30 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान नए शामिल किए गए जोड़ | | | | | 12,048.29 | |
| घटाए: वर्ष के दौरान घटाव | | | | | 23,424.15 | |
| अंतिम शेषराशि | | 5,199.52 | 7,727.92 | 0.00 | 12,927.44 | 12,927.44 |
| **अस्थिर प्रावधान** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेषराशि | | | | | | शून्य |
| जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नवीन प्रावधान | | | | | | शून्य |
| घटाएं: वर्ष के दौरान आहरण में गिरावट राशि | | | | | | शून्य |
| अस्थिर प्रावधानों की अंतिम शेषराशि | | | | | | शून्य |
| **तकनीकी बट्टे-खाते डालना तथा उसमें की गई वसूलियाँ** | | | | | | |
| तकनीकी बट्टे-खाते डालने/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालने के खातों का प्रारंभिक शेषराशि | | | | | | 68,680.43 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डालना | | | | | | 16,805.73 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डाले गए खातों से की गई वसूलियाँ | | | | | | 12,693.64 |
| अंतिम शेषराशि | | | | | | 72,792.52 |

(₹ करोड़ में)

| वित्त वर्ष 2021-22 | मानक | गैर-निष्पादित | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिमों | उप-मानक | संदिग्ध | हानि | कुल गैरनिष्पादित अग्रिमों | |
| **सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष राशि | 5,63,896.13 | 13,489.56 | 50,540.50 | 25,758.14 | 89,788.20 | 6,53,684.33 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए जोड़ | | | | | 22,877.39 | 22,877.39 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान गिरावट | | | | | 33,078.53 | 33,078.53 |
| अंतिम शेष राशि | 6,36,820.81 | 11,040.55 | 49,449.47 | 19,097.04 | 79,587.07 | 7,16,407.87 |
| *सकल एनपीए में गिरावट के कारण: | | | | | 33,078.53 | 33,078.53 |
| i) उन्नयन | | | | | 7,742.82 | 7,742.82 |

| वित्त वर्ष 2021-22 | मानक | गैर-निष्पादित | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिमों | उप-मानक | संदिग्ध | हानि | कुल गैरनिष्पादित अग्रिमों | |
| ii) वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर) | | | | | 5,851.28 | 5,851.28 |
| iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालना | | | | | 18,025.70 | 18,025.70 |
| iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा अन्य को बट्टे खाते डालना | | | | | 1,458.73 | 1,458.73 |
| **प्रावधानों (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)** | | | | | | |
| धारित प्रावधान की प्रारंभिक शेष राशि | 5,112.97 | 2,272.67 | 34,896.24 | 24,679.04 | 61,847.95 | 66,960.92 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | | | | | 11,919.46 | 11,919.46 |
| घटाएं: प्रवर्तन किया गया अतिरिक्त प्रावधान बट्टे खाते डालना | | | | | 19,110.88 | 19,110.88 |
| धारित प्रावधान की अंतिम शेष राशि | 6,566.77 | 2,377.63 | 33,650.81 | 18,628.10 | 54,656.53 | 61,223.30 |
| विविध जमाराशि में रखी गई राशि प्राप्त ईसीजीसी दावे/वाद दायर खातों में वसूली/एनपीए खातों में पुर्नसंरचित छोड़ी गई राशि | | | | | 522.65 | 522.65 |
| **निवल एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष राशि | | 11,197.34 | 15,165.99 | 917.19 | 27,280.52 | 27,280.52 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान नए शामिल किए गए जोड़ | | | | | 10,986.46 | 10,986.46 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान घटाव | | | | | 13,963.68 | 13,963.68 |
| अंतिम शेषराशि | | 8,659.30 | 15,524.13 | 119.87 | 24,303.30 | 24,303.30 |
| **अस्थिर प्रावधान** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेषराशि | | | | | | 306.20 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नवीन प्रावधान | | | | | | -- |
| घटाएं: वर्ष के दौरान आहरण में गिरावट राशि | | | | | | 306.20 |
| अस्थिर प्रावधानों की अंतिम शेषराशि | | | | | | शून्य |
| **तकनीकी बट्टे-खाते डालना तथा उसमें की गई वसूलियाँ** | | | | | | |
| तकनीकी बट्टे-खाते डालने/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालने के खातों का प्रारंभिक शेषराशि | | | | | | 55,877.88 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डालना | | | | | | 17,611.07 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डाले गए खातों से की गई वसूलियाँ | | | | | | 4,808.52 |
| अंतिम शेष राशि | | | | | | 68,680.43 |

| अनुपात (प्रतिशत में) | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| सकल एनपीए से सकल अग्रिमों | 7.53 | 11.11 |
| सकल एनपीए से सकल अग्रिमों | 1.70 | 3.68 |
| प्रावधान कवरेज अनुपात | 90.34 | 83.61 |

**बी) क्षेत्र-वार अग्रिम एवं सकल एनपीए**

(₹ करोड़ में)

| क्र. | क्षेत्र | 2022-23 | | | 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का % | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का % |
| **i)** | **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** | | | | | | |
| ए) | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | 1,43,493.24 | 13,691.94 | 9.54 | 1,24,395.26 | 13,543.61 | 10.89 |
| बी) | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रुप में पात्र क्षेत्र के उद्योग को ऋण | 39,428.37 | 5,576.86 | 14.14 | 39,765.31 | 8,167.11 | 20.54 |
| सी) | सेवाएं | 85,855.21 | 10,104.78 | 11.77 | 75,149.63 | 13,349.25 | 17.76 |
| डी) | वैयक्तिक ऋण | 38,088.39 | 2,808.90 | 7.37 | 39,275.53 | 2,098.46 | 5.34 |
| | **उप-योग (i)** | **3,06,865.21** | **32,182.48** | **10.49** | **2,78,585.73** | **37,158.43** | **13.34** |
| **ii)** | **गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** | | | | | | |
| ए) | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | 7,736.63 | 1,117.94 | 14.45 | 8,696.56 | 1,863.22 | 21.42 |
| बी) | उद्योग | 1,08,328.10 | 10,001.65 | 9.23 | 1,43,378.04 | 20,574.40 | 14.35 |
| सी) | सेवाएं | 1,89,560.91 | 9,178.30 | 4.84 | 1,65,324.21 | 13,950.23 | 8.44 |
| डी) | वैयक्तिक ऋण | 1,97,414.46 | 8,506.92 | 4.31 | 1,20,423.35 | 6,040.79 | 5.02 |
| | **उप-योग (ii)** | **5,03,040.10** | **28,804.81** | **5.73** | **4,37,822.16** | **4,24,28.64** | **9.69** |
| | **कुल (i+ii)** | **8,09,905.31** | **60,987.29** | **7.53** | **7,16,407.88** | **79,587.07** | **11.11** |

उद्यमों के विवरण, जिसमें उप-क्षेत्र अग्रिम उद्योग क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 10% से अधिक है:

| क्र. सं. | उद्यम | 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|
| | उप-क्षेत्र | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का % |
| i | मूल मेटल एवं मेटल उत्पाद | 25,124.64 | 1,689.75 | 6.73% |
| ii | इंफ्रा | 94,202.45 | 7,569.17 | 8.04% |

| क्र. सं. | उद्यम | 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|
| | उप-क्षेत्र | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का % |
| i | मूल मेटल एवं मेटल उत्पाद | 16,014 | 4,557 | 28.46 |
| ii | निर्माण | 40,734 | 8,898 | 21.84 |
| iii | फूड विनिर्माण एवं प्रोसेसिंग | 18,758 | 5,101 | 27.19 |

### सी) समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| कुल आस्तियां | 31,540.79 | 26,418.31 |
| कुल एनपीए | 2,357.98 | 2,265.25 |
| कुल राजस्व | 1,096.75 | 426.24 |

### डी) (i) आरबीआई परिपत्र क्र. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/31.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के तहत संकल्प योजना एवं पुनर्निर्माण का विवरण:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | खातों की संख्या | निवेश मूल्य | धारित प्रावधान |
|---|---|---|---|
| आरबीआई जून, 2019 परिपत्र के आधार पर ऋण का इक्विटी में परिवर्तन | 6 | 104.77 | 54.25 |

(ii) पुनर्गठन के अधीन खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| | | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | | कॉर्पोरेट (एमएसएमई को छोड़कर) | | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी (एमएसएमई) | | खुदरा (कृषि एवं एमएसएमई को छोड़कर) | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मार्च-23 | मार्च-22 | मार्च-23 | मार्च-22 | मार्च-23 | मार्च-22 | मार्च--23 | मार्च-22 | मार्च-23 | मार्च-22 |
| मानक | उधारकर्ताओं की संख्या | 3,108 | 6,883 | 26 | 32 | 46,871 | 1,05,979 | 56,303 | 70,032 | 1,06,308 | 1,82,926 |
| | सकल राशि | 223.74 | 332.44 | 6,638.44 | 9,246.36 | 3,335.35 | 5,707.11 | 8,185.46 | 9,533.55 | 18,383.00 | 24,819.45 |
| | धारित प्रावधान | 21.29 | 32.64 | 397.38 | 673.44 | 290.72 | 435.10 | 786.35 | 949.69 | 1,495.75 | 2,090.87 |
| उपमानक | उधारकर्ताओं की संख्या | 1,308 | 579 | -- | 2 | 23,973 | 34,772 | 3,802 | 3,088 | 29,083 | 38,441 |
| | सकल राशि | 38.46 | 14.45 | -- | 72.94 | 639.22 | 1,008.81 | 359.88 | 298.33 | 1,037.56 | 1,394.52 |
| | धारित प्रावधान | 5.86 | 2.24 | -- | 13.15 | 100.31 | 160.32 | 55.12 | 46.61 | 161.28 | 222.32 |
| संदिग्ध | उधारकर्ताओं की संख्या | 1,479 | 1,224 | 17 | 67 | 47,300 | 21,852 | 2,718 | 1,202 | 51,514 | 24,345 |
| | सकल राशि | 92.52 | 207.61 | 1,787.82 | 10,144.05 | 1,748.85 | 2,032.77 | 230.10 | 153.34 | 3,859.30 | 12,537.77 |
| | धारित प्रावधान | 78.07 | 172.95 | 985.82 | 8,817.41 | 873.33 | 1,349.91 | 117.60 | 88.94 | 2,054.82 | 10,429.20 |
| हानि | उधारकर्ताओं की संख्या | 101 | 54 | 13 | 59 | 3,449 | 2,144 | 4,588 | 1814 | 8,151 | 4071 |
| | सकल राशि | 49.00 | 171.34 | 2,149.74 | 6,972.99 | 184.16 | 564.96 | 146.99 | 89.14 | 2,529.88 | 7,798.43 |
| | धारित प्रावधान | 49.00 | 171.31 | 2,149.74 | 6,968.74 | 182.01 | 567.01 | 146.99 | 89.00 | 2,527.73 | 7,796.06 |
| कुल | उधारकर्ताओं की संख्या | 5,996 | 8,740 | 56 | 160 | 1,21,593 | 1,64,747 | 67,411 | 76,136 | 1,95,056 | 2,49,783 |
| | सकल राशि | 403.72 | 725.83 | 10,576.00 | 26,436.34 | 5,907.58 | 9,313.65 | 8,922.44 | 10,074.36 | 25,809.74 | 46,550.18 |
| | धारित प्रावधान | 154.22 | 379.13 | 3,532.94 | 16,472.75 | 1,446.37 | 2,512.33 | 1,106.06 | 1,174.23 | 6,239.58 | 20,538.45 |

### ई) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई / 2022-23 / 130 डीओआर.एसीसी.आरईसी.नं.74 / 21.04.018 / 2022-23 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है.

एफ़) **ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण:**

i) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने किसी भी ऋण को संदिग्ध में अंतरित नहीं किया है.

ii) समनुदेशन के माध्यम से प्राप्त उन ऋणों के विवरण जिन्हें संदिग्ध में शामिल नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| अर्जित ऋणों की कुल राशि | 2772.99 | 1,962.42 |
| अवशिष्ट परिपवक्ता का कुल भारांक (माह में) | 74.59 | 144.00 |
| प्रवर्तक द्वारा धारित अवधि का कुल भारांक (माह में) | 12.47 | 20.42 |
| प्रवर्तक द्वारा लगभग आर्थिक ब्याज का प्रतिधारण | 10.00% | 10.00% |
| मूर्त प्रतिभूति कवरेज | 72.13% | 273.96% |

प्राप्त ऋणों को निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए है.

iii) बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई भी अनर्जक आस्ति प्राप्त नहीं की है.

iv) अंतरित किए गए अनर्जक ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

**वित्त वर्ष 2022-23** (राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | एआरसी को | अनुमत अंतरिती को | अन्य अंतरिती को (कृपया स्पष्ट करें) |
|---|---|---|---|
| खातों की संख्या | 10 | शून्य | शून्य |
| अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन | 3,248.82 | | |
| अंतरित किए गए ऋणों के अवशिष्ट अवधि के कुल भारांक | 119.42 | | |
| अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) | शून्य | | |
| कुल प्रतिफल | 1,472.76 | | |
| पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल | 45.09 | | |

**वित्त वर्ष 2021-22** (राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | एआरसी को | अनुमत अंतरिती को | अन्य अंतरिती को (कृपया स्पष्ट करें) |
|---|---|---|---|
| खातों की संख्या | 8 | शून्य | शून्य |
| अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन | 1,181.38 | | |
| अंतरित किए गए ऋणों के अवशिष्ट अवधि के कुल भारांक | शून्य | | |
| अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) | 108.59 | | |
| कुल प्रतिफल | 623.60 | | |
| पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल | 28.52 | | |

v) 31 मार्च, 2023 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण निम्नानुसार है:

| वसूली रेटिंग बैंड | बही मूल्य (₹ करोड़ में) | |
|---|---|---|
| | यथा 31.03.2023 | यथा 31.03.2022 |
| आरआर 1+ | 222.25 | 12.33 |
| आरआर 1 | 384.06 | 878.44 |
| आरआर 2 | 186.16 | 303.07 |
| आरआर 3 | 53.27 | 148.63 |
| आरआर 4 | 181.07 | 382.41 |
| आरआर 5 | 391.09 | 376.79 |
| आरआर 6 | -- | 25.30 |
| गैर-चिन्हित | 815.86 | 78.23 |
| **कुल** | **2,233.76** | **2,205.20** |

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, पोर्टफोलियो में ₹ 342.68 करोड़ के दो नए एसआर जोड़े गए हैं और सुरक्षा प्राप्तियों के बही मूल्य पर 100% प्रावधान किया गया है.

**जी) धोखाधड़ी खाते**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी की संख्या | 366 | 638 |
| धोखाधड़ी में शामिल राशि | 5,504.38 | 3,942.37 |
| धोखाधड़ी खातों में शेष राशि | 5,418.30 | 3,674.70 |
| ऐसे धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि | 5,418.30 | 3,554.83 |
| वर्ष के अंत तक "अन्य आरक्षित" से डेबिट किए गए अमूर्त प्रावधान की राशि | 0.00 | 119.87 |

**एच)** कोविड-19 संबंधी तनाव के लिए समाधान ढांचे के अनुसार आरबीआई परिपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2020 तथा 05 मई, 2021 के अंतर्गत कार्यान्वित की गई समाधान योजना के विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

| उधारकर्ता के प्रकार | (ए) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर (ए) 30.09.2022 तक स्थिति | (बी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से एनपीए में स्लिप हुए कुल ऋण | (सी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से बट्टेखाते डाली गई राशि | (डी) अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि | (ई) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर 31.03.2023 तक स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| व्यक्तिगत ऋण | 8467.55 | 248.64 | 0.00 | 504.10 | 7714.81 |
| कॉर्पोरेट व्यक्ति | 3924.88 | 30.93 | 0.00 | 157.85 | 3736.10 |
| जिसमें से, एमएसएमई | 270.18 | 30.93 | 0.00 | 20.76 | 218.49 |
| अन्य | 251.17 | 27.47 | 0.00 | 16.36 | 207.34 |
| **कुल** | **12,643.60** | **307.04** | **-** | **678.31** | **11,658.25** |

**आई)** "अग्रिमों की पुनरसंरचना सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र (एकबारगी पुनरसंरचना) पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर.बीपी.बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020, डीओआर.एसटीआर.आरईसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 तथा डीओआर. एसटीआर.आरईसी. 12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के क्रम में बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ता खातों को निम्नानुसार पुनर्संरचित किया है:

| पुर्नसंरचित किए गए खातों की संख्या | ₹ करोड़ में |
|---|---|
| 1,21,122 | 5,052.85 |

जे) वैयक्तिक तथा छोटे करोबार के लिए समाधान ढांचा 2.0 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के क्रम में, विवरण निम्नानुसार है:

| क्षेत्र | यथा 31.03.2023 तक स्थिति | |
|---|---|---|
| | उधारकर्ताओं की संख्या | राशि ₹ करोड़ में |
| वैयक्तिक तथा छोटे कारोबार | 42,860 | 5,914.65 |
| कृषि/संबद्ध | 4,997 | 269.71 |
| **कुल** | **47,857** | **6,184.36** |

के) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के क्रम में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक 16 खातों में प्रावधान धारित किया है, जो निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| आरबीआई परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋणों की राशि | एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों की राशि | (बी) में से यथा 31.03.2023 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि | (ए) में से आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत कवर किए गए अपेक्षित प्रावधान | 31.03.2023 तक धारित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|
| (ए) | (बी) | (सी) | (डी) | (ई) |
| 4,003.90 | 2,588.58 | 2,588.58 | 678.09 | 678.09 |

आई) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआरक्र.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआरक्र.बीपी. 1906/21.04.048/2016-17 क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 और 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर किए गए खातों के लिए दिनांक 31 मार्च, 2023 तक बैंक ने 100% शेष राशि ₹ 10,568.54 करोड़ (तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए ₹ 10,510.66 करोड़ के खातों सहित) का प्रावधान किया है.

## 5. एक्सपोजर

ए) रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| i) | **प्रत्यक्ष एक्सपोजर** | 99,387.40 | 91,038.56 |
| ए) | आवासीय बंधक-<br>आवासीय संपत्तियों पर ऋण पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित है और ये सम्पत्तियां ऋण लेने वालों के कब्जे में हैं या किराये पर हैं; | 84,322.00 | 76,189.00 |
| | उपर्युक्त में से, प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण | 32,831.00 | 34,702.00 |
| बी) | वाणिज्यिक रियल इस्टेट-<br>वाणिज्यिक अचल सम्पदा (कार्यालय भवन, फुटकर स्थल, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-पट्टेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) के ऋण बंधक द्वारा सुरक्षित. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं. | 15,065.40 | 14,849.56 |
| सी) | बंधक समर्थित/ प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोज़र -<br>i. आवासीय,<br>ii. वाणिज्यिक रियल इस्टेट. | <br>शून्य<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य |

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| ii) | **अप्रत्यक्ष एक्सपोजर**<br>राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र. | 46,693.51 | 44,862.16 |
| | **रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र** | **1,46,080.91** | **1,35,900.72** |

बी) पूँजी बाजार में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| i) | इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है. | 1,208.79 | 1,364.85 |
| ii) | शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम | 1.35 | 1.32 |
| iii) | किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है | 299.20 | 319.28 |
| iv) | शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्ड्स / परिवर्तनीय डिबेचरों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः सुरक्षित नहीं करती है. | 1,198.71 | 825.61 |
| v) | स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां | 1,058.30 | 393.50 |
| vi) | शेयरों/ बॉन्डो /डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कॉर्पोरेट्स को मंजूर ऋण | -- | -- |
| vii) | संभावित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण | -- | |
| viii) | शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना. | -- | |
| ix | मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण | -- | |
| x) | वेंचर पूंजी निधियों के सभी एक्सपोजर (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) इक्विटी के समान माने जाएगें और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूंजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोंनो) के साथ हिसाब में लिया जाएगा. | 1,144.62 | 1,158.92 |
| | **पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर** | **4,910.97** | **4,063.48** |

सी) जोखिम संवर्ग-वार कंट्री एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

| जोखिम संवर्ग | शुद्ध एक्सपोज़र 31.03.2023 | धारित प्रावधान 31.03.2023 | शुद्ध एक्सपोज़र 31.03.2022 | धारित प्रावधान 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|
| अपर्याप्त | 31,603.27 | शून्य | 16,345.90 | शून्य |
| अल्प | 22,760.29 | शून्य | 13,396.01 | शून्य |
| सामान्य रूप से अल्प | 513.30 | शून्य | 74.41 | शून्य |
| सामान्य | 227.78 | शून्य | 181.59 | शून्य |
| सामान्य रूप से उच्च | 670.21 | शून्य | 134.84 | शून्य |
| उच्च | 101.17 | शून्य | 1.18 | शून्य |
| अत्यधिक उच्च | 0.00 | शून्य | 5.28 | शून्य |
| **कुल** | **55,876.02** | **शून्य** | **30,139.21** | **शून्य** |

कन्ट्री जोखिम नीति 2022-23 के अनुसार, भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैंक द्वारा ईसीजीसी कंट्री जोखिम वर्गीकरण का उपयोग भारत तथा विदेश दोनों में स्थित शाखाओं के अतिरिक्त व्यापार जोखिम के लिए किया गया है.

बैंक केवल उस देश के संबंध में ही कंट्री जोखिम नीति का प्रावधान करेगा, जहां निवल वित्त पोषित जोखिम अपनी कुल संपत्ति का 1% या उससे अधिक है

**डी) बेजमानती अग्रिम**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| बैंक के कुल प्रतिभूति रहित अग्रिम | 1,25,803.00 | 1,13,489.29 |
| अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, अथॉरिटी आदि पर प्रभार के पेटे बकाया ऋण राशि | शून्य | शून्य |
| ऐसी अमूर्त सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य | शून्य | शून्य |

सड़क / राजमार्ग / परियोजनाओं और टोल संग्रह अधिकारों के संबंध में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल के तहत वार्षिकी द्वारा समर्थित अग्रिमों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र ओडी.बीपी.बीसी.न. 83/08.12.014/2012-13 दिनांक 18 मार्च, 2013 के अनुसार सुरक्षित माना गया है.

**ई) फेक्टरिंग एक्सपोजर**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | यथा 31.03.2023 | यथा 31.03.2022 |
|---|---|---|
| डीबीआर.नं.एफ़एसडी.बीसी.32/24.01.007/2015-16 दिनांक 30 जुलाई, 2015 (पैरा 8) के अनुसार टीआरईडी एक्सपोजर. | 523.83 | 543.54 |

एफ़) इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि | 539.98 | 490.44 |
| 20 बड़े इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि | 539.98 | 490.44 |
| बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र में 20 बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत | 0.05 | 0.05 |
| इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं नियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई. | शून्य | शून्य |

जी) अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

यूएफ़सीई के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशनिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए ग्राहक के अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर एक नीति अनुमोदित की है. बैंक नीति बनाते समय, फोरेक्स मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा गया है एवं तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं. बैंक ने अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से होने वाली क्रेडिट जोखिमों को ध्यान में रखा है एवं तदनुसार अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को शामिल कर जोखिम को कम करने के उपायों को अपनाया है. मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान यूएफसीई के साथ कम्पनियों के एक्सपोज़र के लिए कुल प्रावधान रु. 16.83 करोड़ किया गया.

## 6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र एवं एनपीए का केन्द्रीकरण:

ए) जमाराशियों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि | 89,178.87 | 97,755.30 |
| बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत | 7.98 | 9.47 |

बी) अग्रिमों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम | 1,35,080.37 | 1,04,418.65 |
| बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत. | 16.46 | 14.35 |

सी) एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र | 1,43,096.26 | 1,39,132.22 |
| बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोज़र में बीस बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के एक्सपो. जर का प्रतिशत | 13.41 | 14.57 |

## डी) एनपीए का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| बीस बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र | 10,510.60 | 11,098.86 |
| कुल सकल एनपीए में अधिकतम बीस एनपीए के एक्सपोजर का प्रतिशत | 17.23 | 13.95 |

## 7. डेरीवेटिव्स

### ए) वायदा दर अनुबंध / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| i) | स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि प्रतिपक्षों | 42,093.16 | 17,840.00 |
| ii) | अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरुप होने वाली हानि | 136.65 | 110.71 |
| iii) | स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति | शून्य | शून्य |
| iv) | स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण | बैंकिंग उद्योग | बैंकिंग उद्योग |
| v) | स्वैप बही का उचित मूल्य | 4.65 | 4.96 |

**नोट:**

I. भारतीय रुपये में ब्याज दर स्वैप की परस्पर हेजिंग ऋण व्यवस्था की गई.

II. बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.

III. हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित, उपचय के आधार पर है.

### बी) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2022 | | 31.03.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| i) | वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखत-वार) | खरीद | बिक्री | खरीद | बिक्री |
| | ए) 577GS2030 | -- | -- | 70.00 | 70.00 |
| | बी) 585GS2030 | -- | -- | 1,963.00 | 1,963.00 |
| | सी) 664GS2035 | -- | -- | 428.00 | 428.00 |
| | डी) 610GS2031 | 1,215.04 | 1,215.04 | 3,035.02 | 3,035.02 |
| | इ) 654GS2032 | 1,074.28 | 1,074.28 | -- | -- |
| | एफ़) 726GS2032 | 1,180.76 | 1,180.74 | -- | -- |
| ii) | 31 मार्च, 2022 तक बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार) | 0.02 | | शून्य | |
| iii) | किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और "अत्यंत प्रभावी" न हुई कल्पित मूल राशि (लिखत-वार) | शून्य | | शून्य | |
| iv) | किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और "अत्यंत प्रभावी" न हुई मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार)* | शून्य | | शून्य | |

सी) डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

**i) गुणात्मक प्रकटन:**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के ढांचे के अधीन बैंक दो समूहो में डेरीवेटिव्स संव्यवहार करता है.

i) काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार

ii) एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप और करेंसी ऑप्शन में संव्यवहार करता है.

एक्सचेज में ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह, में बैंक करेंसी वायदा और वायदा ब्याज दर में कारोबार करता है. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएससी), बाम्बे स्टॉक एक्सजेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपौलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसईआईएल) का उनकी करेंसी डेरेविटव सेगमेंट में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है. बैंक इन एक्सचेंजों में करेंसी वायदा में स्वामित्व ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है.

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वायदा ब्याज दर पर व्यापार करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है.

बैंक लागू विनियमों के अंतर्गत स्वामित्व ट्रेडिग/मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलनपत्र की हेजिंग और अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है. स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वैप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती है. हालांकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर-ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं, किन्तु इससे बैंक की विविध जोखिमें भी बढ़ जाती है. बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी हैं.

ए) आवश्यक मूलभूत संरचना के क्रम में ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है.

I) फ्रंट ऑफिस- (डीलिंग रुम) बैंक की नीति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है.

II) मिड कार्यालय - जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन

III) बैक ऑफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन.

मिड ऑफिस ट्रेडिंग बही में संव्यवहारों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है. मिड ऑफिस मार्क टू मार्केट के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में संव्यवहारों के लिए वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है. आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक मार्क टू मार्केट पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है.

कॉर्पोरेट ग्राहकों के मामले में संव्यवहार केवल अंतर्निहित क्रेडिट एक्सपोजर करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पॉलिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं. आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं. बैंक ने ऋण एक्सपोजर के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है.

बैंक कुछ बैंकों के साथ ऋण सहायक अनुबंध (सीएसए) में शामिल हुआ है. सीएसए नियम एवं शर्तों को विनियमित करने वाला विधिक दस्तावेज़ है जिसके अंतर्गत द्विपक्षीय डेरीवेटिव संव्यवहार में प्रतिपक्षों के ऋण जोखिम को कम करने के लिए संपार्श्विक पोस्ट किया गया है.

बी) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरीवेटिव लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश एवं अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज सीमा और स्टॉप-लॉस सीमा तथा प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी सीमाओं का भी उल्लेख है.

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है.

ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं. जोखिम मानदण्डों यथा पीवी01, स्टॉप-लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए हैं. आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है और यदि कोई उल्लंघन है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर ऑप्शन डेरीवेटिव संविदाओं से कुल पीवी01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे.

सी) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव लेनदेनों का भी प्रयोग करता है. बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है. हेज लेनदेनों का नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है. इन लेनदेनों पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकल्पित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है. हेज प्रभाविता वह डिग्री है, जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है. हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय- समय पर की जाती है.

डी) हेज्ड/ अन-हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है. हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है. सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क-टू-मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकॉर्ड की जाती है.

ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट के मामले में, आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय-समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है.

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है. बैंक आवधिक अंतराल पर प्रति पक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है. डेरीवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक/ मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं. अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरीवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है.

ग्राहक से संबंधित डेरीवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ, प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है.

ii) **मात्रात्मक प्रकटन:**

(₹ करोड़ में)

| मात्रात्मक प्रकटन | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | विवरण | 31-03-2023 | | 31-03-2022 | |
| | | करेंसी डेरीवेटिव्स | ब्याज दर डेरीवेटिव्स | करेंसी डेरीवेटिव्स | ब्याज दर डेरीवेटिव्स |
| (ए) | डेरीवेटिव (कल्पित मूल राशि) | | | | |
| | (i) हेजिंग के लिए | 3,994.00 | 3,165.00 | 370.64 | 2,180.00 |
| | (ii) ट्रेडिंग के लिए | 4,13,578.41 | 38,928.18 | 4,44,008.28 | 15,660.00 |
| (बी) | बाजार स्थिति को अंकित | | | | |
| | (i) आस्तियां (+) | 1,430.12 | 135.51 | 1,818.71 | 88.38 |
| | (ii) देयताएं (-) | (1,326.16) | (130.46) | (1,683.63) | (88.67) |
| (सी) | ऋण एक्सपोज़र (*) | 10,364.27 | 493.24 | 11,041.95 | 267.08 |
| (डी) | ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित प्रभाव (100* पीवी01) (₹ लाख में) | | | | |
| | (i) हेजिंग डेरीवेटिव पर | -20,888.16 | 3,686.11 | 0.00 | 4,392.29 |
| | (ii) ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर | -16.62 | 47.77 | 0.00 | 134.01 |
| (ई) | वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100* पीवी01 (₹लाख में) | | | | |
| | I. अधिकतम | | | | |
| | (i) हेजिंग पर | (10,744.86) | 4,652.40 | 0.00 | 5,454.20 |
| | (ii) ट्रेडिंग पर | 1,023.14 | 2,548.55 | 0.00 | 2,345.28 |
| | II. न्यूनतम | | | | |
| | (i) हेजिंग पर | (23,138.00) | 3,686.11 | 0.00 | 1,407.51 |
| | (ii) ट्रेडिंग पर | (25.97) | 14.82 | 0.00 | 22.40 |

***टिप्पणी:**

1. ब्याज दर डेरिवेटिव्स के क्रेडिट एक्सपोजर में बचाव सौदों पर एक्सपोजर भी शामिल है.

2. करेंसी डेरिवेटिव्स के क्रेडिट एक्सपोजर में बचाव सौदों पर एक्सपोजर भी शामिल है.

**डी) क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप:**

वित्त वर्ष 22-23 के दौरान बैंक ने कोई भी क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप संव्यवहार नहीं किया.

## 8. सिक्युरीटाइजेशन संबंधी प्रकटन: शून्य

## 9. बैंक द्वारा प्रायोजित ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी: शून्य

## 10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारम्भिक शेष | 2,877.09 | 2,375.24 |
| जोड़ा : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित की गयी राशि | 387.59 | 545.18 |
| घटाया : डीईएएफ द्वारा दावे के रुप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि | 65.85 | 43.33 |
| डीईएएफ को अंतरित राशि का अन्तिम शेष | 3,198.83 | 2,877.09 |

## 11. शिकायतों का प्रकटन:

**बैंकों को ग्राहकों एवं बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी**

| विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र.** | **बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें** | | **2022-23** | **2021-22** |
| 1. | | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित) | 1,395 | 10,780 |
| 2. | | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित) | 2,52,086 | 3,28,216 |
| 3. | | वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या | 2,52,954 | 3,37,601 |
| | 3.1 | जिनमें से कुल शिकायत बैंक द्वारा अस्वीकृत किए गए | 610 | 415 |
| 4. | | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्याा (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित) | 527 | 1,395 |
| **बैंकिंग लोकपाल ओबीओ से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतें** | | | | |
| 5. | | से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतों की संख्या | 6,167 | 7,971 |
| | 5.1 | 5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के पक्ष में समाधान की गई शिकायतों की संख्या | 2,241 | 7,229 |
| | 5.2 | 5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/ सलाह के माध्यम से समाधान की गई शिकायतों की संख्या | 3,924 | 740 |
| | 5.3 | 5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरुद्ध में निर्णय पास किए जाने पर निपटान की गई शिकायतें. | 2 | 2 |
| 6. | | निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णय के अलावा) | 0 | 0 |

**नोट:-** रखरखाव योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती है. हालांकि, सीएमएस साइट से एकत्रित उपरोक्त डेटा में खंड 11 के अनुसार समझौते द्वारा निपटान किया गया है एवं साथ ही साथ लोकपाल योजना 2006 के खंड 13 के अनुसार अस्वीकृत शिकायतों को भी शामिल किया गया है, जो कि पत्र व्यवहार के अधीन है.

(₹ करोड़ में)

| बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के प्रथम 5 कारण (बैंकिंग लोकपाल शिकायतें सहित) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| शिकायतों के प्रकार, (अर्थात संबद्ध शिकायतें) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | पिछले वर्ष की तुलना में लंबित शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी % | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 5 में कितनी शिकायतों 30 दिनों से अधिक समय से लंबित है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| चालू वर्ष (2022-23) | | | | | |
| | 01.04.2022 | 2022-23 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | |
| एटीएम/ डेबिट कार्ड | 324 | 203453 | (4.91%) | 98 | 0 |
| इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग | 213 | 23432 | (62.25%) | 50 | 0 |
| बिना पूर्व सूचना/ अत्यधिक प्रभार/ फोर्क्लोजर प्रभारों के प्रभार लगाना | 47 | 3860 | (62.72%) | 1 | 0 |
| चेक/ ड्राफ्ट/ बिल | 11 | 765 | (77.56%) | 8 | 0 |
| क्रेडिट कार्ड | 32 | 1892 | (40.76%) | 0 | 0 |
| अन्य | 768 | 18684 | (46.97%) | 370 | 2 |
| **कुल** | **1395** | **252086** | **(23.19%)** | **527** | **2** |
| पिछला वर्ष (2021-22) | | | | | |
| | **01.04.2021** | **2021-22** | **31.03.2022** | **31.03.2022** | |
| एटीएम/ डेबिट कार्ड | 4,583 | 2,13,956 | (26.73%) | 324 | 50 |
| इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग | 344 | 62,068 | 1.61% | 213 | - |
| बिना पूर्व सूचना/ अत्यधिक प्रभार/ फोर्क्लोजर प्रभारों के प्रभार लगाना | 2,389 | 10,355 | 23.19% | 47 | 71 |
| चेक/ ड्राफ्ट/ बिल | 52 | 3,410 | (36.03%) | 11 | - |
| क्रेडिट कार्ड | 27 | 3,194 | (17.10%) | 32 | 17 |
| अन्य | 3,385 | 35,233 | (20.51%) | 768 | 60 |
| **कुल** | **10,780** | **3,28,216** | **(20.92%)** | **1,395** | **198** |

## 12. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

| विनियामक का नाम | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि |
| बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| अन्य विनियामक | 0 | 0.00 | 1 | 0.46 |

## 13. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक भुगतान किया गया पारिश्रमिक.

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 0.49 | 0.37 |
| कार्यपालक निदेशकगण | 1.28 | 1.21 |
| **कुल** | **1.77** | **1.58** |

## 14. अन्य प्रकटन

### ए) कारोबार अनुपात

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| i) | कार्यशील निधियों में ब्याज आय के रुप में प्रतिशत | 6.60 | 6.11 |
| ii) | कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय के रुप में प्रतिशत | 1.20 | 1.13 |
| iii) | जमा राशि की लागत | 4.37 | 4.12 |
| iv) | शुद्ध ब्याज मार्जिन | 2.90 | 2.71 |
| v) | कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ के रुप में प्रतिशत | 2.08 | 1.97 |
| vi) | आस्तियों पर प्रतिफल | 0.69 | 0.47 |
| vii) | प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (रु. करोड़ में) | 23.14 | 20.48 |
| vi) | प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में) | 0.11 | 0.07 |

### बी) बैंकाश्योरेंस कारोबार:

बैंक के एश्योरेंस कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

| क्र. | आय का स्वरूप | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | जीवन बीमा पॉलिसी | 233.39 | 170.24 |
| 2. | गैर-जीवन बीमा पॉलिसी | 50.76 | 48.14 |
| 3. | स्वास्थ्य बीमा | 49.13 | 38.03 |

### सी) विपणन एवं संवितरण

विपणन तथा संवितरण के संदर्भ में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक का विवरण (बैंकाश्योरेंस कारोबार को छोड़कर):

(₹ करोड़ में)

| क्र. | आय का स्वरूप | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | म्यूचुअल फंड कारोबार का संवितरण | 19.76 | 17.66 |

## डी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रमाणपत्र

अन्य बातों के साथ-साथ बैंक के अन्य आय में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्र की बिक्री से रु. 167.16 करोड़ का कमीशन आय शामिल है. पीएससीएल प्रमाणपत्र का व्यापारित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| श्रेणी | व्यापारित मूल्य |
|---|---|
| पीएसएलसी-सामान्य | -- |
| पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत किसान | 15,450.00 |
| **कुल** | **15,450.00** |

## ई) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

| प्रावधान तथा आकस्मिकताओं का ब्रेक अप: | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| निवेश पर एनपीआई के लिए प्रावधान/(प्रवर्तन) | 1,915.18 | 214.61 |
| एनपीए पर प्रावधान | 12,478.98 | 11,613.25 |
| मानक आस्तियों पर प्रावधान/(प्रवर्तन) | (992.73) | 1,449.02 |
| आय कर (आईटी)/आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) पर किए गए निवल प्रावधान | 3,704.45 | 3,347.31 |
| **अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं:** | | |
| - स्थानांतरण हानि | -- | -- |
| - पुर्नसंरचित अग्रिम | (96.98) | (32.94) |
| - अन्य | 24.98 | 49.83 |
| **कुल** | **17,033.88** | **16,641.08** |

## एफ़) आईएफ़आरएस के तहत भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप (आईएनडी- एएस)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.-76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से बैंकों में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी- एएस) के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप निर्धारित किया तथा बैंकों को इस संबंध में हुए प्रगति सहित अपनी आईएनडी- एएस के कार्यान्वयन की रणनीति का प्रकटन करना था. तदनुसार बैंक द्वारा आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा, बैंक ने आवश्यक सॉफ्टवेयर खरीदे हैं एवं भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) के सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन हेतु वेंडर को शामिल किया है. बैंक द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति का निरीक्षण करने हेतु संचालन समिति का भी गठन किया गया है तथा निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति को समय-समय पर इससे अवगत कराया जाता है. इसके अतिरिक्त, डीओ.डीबीआर.बीपी.नं.2535/21.07.001/2017-18 दिनांक 13 सितंबर 2017 के अनुसार, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को तिमाही आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक आईएनडी-एएस वित्तीय विवरण प्रोफॉर्मा प्रस्तुत किया है. तदुपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक (विनियमन विभाग) के दिनांक 08 अगस्त, 2021 के मेल के क्रम में, बैंक को अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रोफॉर्मा आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया. 30 सितंबर, 2022 को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के लिए पिछले प्रोफॉर्मा वित्तीय को भारतीय रिजर्व बैंक को 22 नवंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से जमा किया गया.

### जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

| क्र. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| i) | डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान (जीएसटी सहित) | 1,448.90 | 1,278.48 |
| ii) | डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में एरियर (जीएसटी सहित) | -- | -- |

## 15. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

### ए. राजस्व पहचान (एएस 9)

आय के कुछ मदों को छोड़कर उपचय आधार पर आय एवं व्यय की गणना महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसूची 17 के लेखांकन नीति क्र. 3.4 के अनुसार वास्तविक आधार पर की गई, जो कि मूर्त नहीं मानी जाएगी.

### बी. कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित)

**i) अल्पावधि रोजगार लाभ:**

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है.

**ii) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:**

**ए) निर्धारित अंशदान योजनाएं:**

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है. यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेंट अथारिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है. एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी को नियुक्त किया गया है. वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में रु. 0.12 करोड़ एरियर सहित रु. 525.36 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 501.51 करोड़) का अंशदान किया है.

**बी) निर्धारित लाभ योजना:**

ग्रेच्यूटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरुप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

**परिभाषित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना:**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है. प्रकटीकरण इस प्रकार है.

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं | विवरण | 31.03.2023 | | 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्रैच्युटी | पेंशन | ग्रैच्युटी | पेंशन |
| i) | **पारिभाषित लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाली सारणी:** | | | | |
| | वर्ष के आरंभ में देयता | 3,197.81 | 28,650.99 | 3,355.82 | 26,011.41 |
| | ब्याज लागत | 233.76 | 2,120.17 | 232.56 | 1,797.39 |
| | चालू सेवा लागत | 163 | 184.38 | 161.12 | 212.30 |
| | पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) | शून्य | शून्य | शून्य | 1902.02 |
| | देयता अंतरण आवक | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | देयता अंतरण जावक | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (प्रदत्त लाभ) | (334.38) | (2,120.73) | (465.84) | (2,341.52) |
| | **परिवर्तन के कारण - बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि** | | | | |
| | वित्तीय धारणा में | (63.88) | (278.47) | (119.57) | (1,446.34) |
| | जनसांख्यिकी धारणा में | शून्य | शून्य | 2.86 | 63.46 |
| | बाध्यताओं पर बीमांकिक(अर्जन)/हानि | 29.55 | 614.25 | 30.86 | 2,452.27 |
| | वर्ष के अंत में देयताएं | 3,225.86 | 29,170.59 | 3,197.81 | 28,650.99 |
| ii) | **योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:** | | | | |
| | वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3,367.60 | 27,043.50 | 2,746.43 | 26,720.88 |
| | योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ | 246.17 | 2,001.22 | 190.33 | 1,846.41 |
| | अंशदान | शून्य | 1,780.29 | 843.37 | 551.42 |
| | अन्य कंपनी से अंतरण | 0.29 | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य कंपनी को अंतरण | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (लाभ भुगतान) | (334.38) | (2,120.73) | (465.84) | (2,341.52) |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि) | (17.33) | 49.96 | (53.31) | (266.31) |
| | वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य अभिज्ञात किया जाने वाला | 3,262.35 | 28,754.24 | 3,367.60 | 27,043.50 |
| | अवधि के लिए बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि | (34.33) | 335.78 | (85.85) | 1,069.39 |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि) | 17.33 | (49.96) | (53.31) | (266.31) |
| | कुल चिन्हित बीमांकिक अर्जन/(हानि) | (17.00) | 285.82 | (139.16) | 803.08 |
| iii) | **संक्रमणकालीन देयता की पहचानी** | | | | |
| | प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अंत में संक्रमणकालीन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| iv) | **योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:** | | | | |
| | योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ | 246.17 | 2,001.22 | 190.33 | 1,846.41 |
| | योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि) | (17.33) | 49.96 | 53.31 | 266.31 |
| | योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ | 228.84 | 2,051.18 | 243.64 | 2,112.72 |

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं | विवरण | 31.03.2023 | | 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्रैच्युटी | पेंशन | ग्रैच्युटी | पेंशन |
| v) | **आय विवरण में चिन्हित व्यय:** | | | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 163 | 184.38 | 161.12 | 212.30 |
| | ब्याज लागत | (12.41) | 118.95 | 42.23 | (49.02) |
| | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (संवर्धित पारिवारिक पेंशन का 1/5) | शून्य | 1,521.62 | शून्य | 380.40 |
| | संक्रमण देयता की पहचान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | बीमांकिक (लाभ) या हानि | (17.00) | 285.82 | (139.16) | 803.08 |
| | लाभ एवं हानि खाते में चिन्हित व्यय | 133.59 | 2,110.77 | 64.19 | 1346.76 |
| vi) | **तुलन पत्र समाधान:** | | | | |
| | प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि) | (169.79) | 85.87 | 609.39 | (709.47) |
| | उपर्युक्त के अनुसार व्यय | 133.59 | 2,110.77 | 64.19 | 1,346.76 |
| | अन्य कंपनियों से अंतरित (निवल) | (0.29) | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य कंपनियों को अंतरित (निवल) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (नियोक्ता का अंशदान) | शून्य | (1,780.29) | (843.37) | (551.42) |
| | तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध (आस्ति)/ देयता राशि | (36.49) | 416.35 | (169.79) | 85.87 |
| vii) | **अन्य ब्यौरे:** | | | | |
| | पेंशन सेवा के प्रत्येक साल के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्यधीन है. | | | | |
| | ग्रैच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹ 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो. | | | | |
| | वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/ हानि की गणना की गई है. | | | | |
| | वेतन वृद्धि कम्पनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है. | | | | |
| | सदस्यों की संख्या | 75,618 | 21,138 | 75,201 | 23,216 |
| | वेतन प्रति माह | 513.88 | 513.88 | 354.44 | 182.95 |
| | अगले वर्ष के लिए अंशदान | 139.74 | 587.94 | - | 592.76 |

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं | विवरण | 31.03.2023 | | 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्रैच्युटी | पेंशन | ग्रैच्युटी | पेंशन |
| viii) | **आस्तियां का संवर्ग:** | | | | |
| | भारत सरकार की आस्तियां | 61.47 | 565.13 | 63.45 | 585.14 |
| | कॉर्पोरेट बॉन्ड/एफ़डीआर | 25.75 | 720.80 | 36.15 | 721.81 |
| | विशेष जमा योजना | - | - | - | - |
| | राज्य सरकार | 82.81 | 1,379.39 | 101.17 | 1,185.78 |
| | संपत्ति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य | 64.13 | 454.17 | 244.10 | 1,733.36 |
| | बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां | 3,028.18 | 25,634.75 | 2,897.20 | 22,492.80 |
| | म्युच्युअल फंड | शून्य | शून्य | 25.53 | 324.61 |
| | **कुल** | **3,262.34** | **28,754.24** | **3,367.60*** | **27,043.50*** |

*नोट: वित्तीय वर्ष 2021-22 के पेंशन एवं उपादान जो 7.25% माना गया था, के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में पेंशन एवं उपादान देयताएं का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए, एलआईसी एवं अन्य बीमा कंपनियों में निवेश पर रिटर्न को 7.50% माना गया है.

(₹ करोड़ में)

| योजना में अधिशेष/कमी : | ग्रैच्युटी योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि | **31.03.23** | **31.03.22** | **31.03.21** | **31.03.20*** | **31.03.19*** |
| वर्ष के अंत में देयताएं | 3,225.86 | 3,197.81 | 3,355.82 | 1,291.94 | 1,222.64 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3,262.35 | 3,367.60 | 2,746.43 | 1,219.01 | 1,202.14 |
| अंतर | 36.49 | 169.79 | (609.39) | (72.93) | (20.50) |
| पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| तुलन पत्र में पहचान की गई राशि | 36.49 | 169.79 | (609.39) | (72.93) | (20.50) |

*केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

| **तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि** | ग्रैच्युटी योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अनुभव समायोजन | **31.03.23** | **31.03.22** | **31.03.21** | **31.03.20*** | **31.03.19*** |
| योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि | 29.55 | 30.86 | 752.31 | 25.87 | 7.91 |
| योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ | (17.33) | 53.31 | 34.41 | 7.20 | (13.03) |

*केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

| **योजना में अधिशेष/ कमी:** | पेंशन योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि** | **31.03.23** | **31.03.22** | **31.03.21** | **31.03.20*** | **31.03.19*** |
| वर्ष के अंत में देयताएं | 29,170.59 | 28,650.99 | 26,011.41 | 12,746.69 | 12,158.43 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 28,754.24 | 27,043.50 | 26,720.88 | 12,607.16 | 12,308.84 |
| अंतर | (416.35) | (1,607.49) | 709.47 | (139.53) | 150.41 |
| पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत | शून्य | 1,521.62 | शून्य | शून्य | शून्य |
| पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि | (416.35) | (85.87) | 709.47 | (139.53) | 150.41 |

*केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

| तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि | पेंशन योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20* | 31.03.19* |
| **अनुभव समायोजन** | | | | | |
| योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि | 614.25 | 2,452.27 | 1,456.27 | 938.90 | 125.22 |
| योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ | 49.96 | 266.31 | 81.65 | 75.23 | 7.18 |

*केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

| मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%) | 2022-23 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|
| | ग्रेच्युटी | पेंशन | ग्रेच्युटी | पेंशन |
| पिछली छूट दर | 7.31 | 7.40 | 6.93 | 6.91 |
| पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर | 7.31 | 7.40 | 6.93 | 6.91 |
| पिछली वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| पिछली एट्रीशन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| चालू छूट दर | 7.49 | 7.53 | 7.31 | 7.40 |
| वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर | 7.49 | 7.53 | 7.31 | 7.40 |
| वर्तमान वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| वर्तमान एट्रीशन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

iii) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:**

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

| क्र. | अन्य दीर्घकालिक लाभ | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | पेंशन | 2,110.77 | 1,346.76 |
| 2. | अवकाश यात्रा रियायत | 3.66 | 13.41 |
| 3. | अवकाश नकदीकरण | 149.30 | 48.70 |

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमार अवकाश के लिए रु. 268.76 करोड़ का प्रावधान किया है हालांकि इसमें कोई बड़ा भुगतान नहीं है.

iv) **अपरिशोधित पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएं:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| **पेंशन** | | |
| ए ) आगे की गई शेष राशि | 1,521.62 | शून्य |
| बी) सकल देयता | शून्य | 1,902.02 |
| सी) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया | 1,521.62 | 380.40 |
| डी) आगे ली गई शेष राशि | शून्य | 1,521.62 |
| **ग्रेच्युटी** | | |
| ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया | शून्य | शून्य |
| बी) आगे ले जाया गया | शून्य | शून्य |

ए. 11 वें द्वि-पक्षीय समझौते और 11 नवंबर, 2020 के संयुक्त नोट के तहत कवर किए गए बैंक के कर्मचारियों को देय पारिवारिक पेंशन में संशोधन के अनुसार, बैंक के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ₹ 1,902.02 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी थी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के अनुसार ₹ 380.40 करोड़ की राशि का परिशोधन किया गया एवं 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 1,521.62 करोड़ के अपरिशोधित भाग को लाभ एवं हानि खाते में पूरी तरह से प्रभारित किया गया है. अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के कारण बैलेंस शीट में कोई अपरिशोधित व्यय नहीं है.

V) **क्षेत्रवार रिपोर्ट (एएस-17)**

(₹ करोड़ में)

| **कारोबार क्षेत्र** | | **स्टैंडअलोन** | |
|---|---|---|---|
| | | **वर्ष की समाप्ति** | |
| | | **(लेखापरीक्षित)** | **(लेखापरीक्षित)** |
| | | **31.03.2023** | **31.03.2022** |
| **(ए)** | **क्षेत्रवार राजस्व** | | |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 26,442.90 | 26,815.66 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 31,078.66 | 26,198.04 |
| | (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 569.38 | लागू नहीं |
| | (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 30,509.28 | लागू नहीं |
| 3 | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 35,941.71 | 25,776.79 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | 1,979.37 | 1,397.64 |
| 5 | गैर आबंटित | 496.71 | 403.35 |
| | कुल क्षेत्रवार राजस्व | 95,939.35 | 80,591.48 |
| | घटाया अंतर-क्षेत्रवार राजस्व | (562.86) | (122.70) |
| | परिचालन से आय | 95,376.49 | 80,468.78 |
| **(बी)** | **क्षेत्रवार परिणाम** | - | - |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 2,426.80 | 6,002.74 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 5,059.25 | 4,508.68 |
| | (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | (43.07 ) | लागू नहीं |
| | (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 5,102.32 | 4,508.68 |
| 3 | कॉर्पोरेट बैंकिंग | 3,091.44 | (3,093.72) |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | 1,063.52 | 758.37 |
| 5 | गैर आबंटित | 496.71 | 403.35 |
| | कर पूर्व कुल लाभ/(हानि) | 12,137.72 | 8,579.42 |
| **(सी)** | **कर हेतु प्रावधान** | **3,704.45** | **3,347.31** |
| **(डी)** | **कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)** | 8,433.27 | 5,232.11 |
| **(ई)** | **क्षेत्रवार आस्तियां** | - | - |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 4,64,788.70 | 4,78,735.97 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 3,59,680.33 | 3,18,913.60 |
| | (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 42,263.05 | लागू नहीं |

(₹ करोड़ में)

| कारोबार क्षेत्र | | स्टैंडअलोन | |
|---|---|---|---|
| | | वर्ष की समाप्ति | |
| | | (लेखापरीक्षित) | (लेखापरीक्षित) |
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| | (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 3,17,417.28 | 3,18,913.60 |
| 3 | कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग | 4,26,011.76 | 3,68,181.73 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| 5 | गैर आबंटित | 30,271.66 | 21,759.76 |
| | **कुल** | **12,80,752.45** | **11,87,591.06** |
| (एफ़) | **क्षेत्रवार देयताएं** | - | - |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 4,56,704.84 | 4,70,252.54 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 3,28,812.17 | 2,90,449.81 |
| | (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 38,724.27 | लागू नहीं |
| | (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 2,90,087.90 | 2,90,449.81 |
| 3 | कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग | 3,88,190.19 | 3,35,313.11 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| 5 | गैर आबंटित | 28,711.04 | 20,999.47 |
| | **कुल** | **12,02,418.24** | **11,17,014.93** |
| (जी) | **नियोजित पूंजी** | - | - |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 8,083.86 | 8,483.43 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 30,868.16 | 28,463.79 |
| | (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 3,538.78 | लागू नहीं |
| | (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 27,329.38 | लागू नहीं |
| 3 | कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग | 37,821.57 | 32,868.62 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| 5 | गैर आबंटित देयताएं | 1,560.62 | 760.29 |
| | **कुल** | **78,334.21** | **70,576.13** |

**नोट:**

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफ़ाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रावार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस -17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं. अत: बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.

2. सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य आय, व्यय, प्रयुक्त पूंजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं.

3. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

4. डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीओआर.एयूटी.आरईसी. 12 / 22.01.001 / 2022-23 दिनांक 7 अप्रैल, 2022 के अनुसार, बैंक ने पहली बार 'डिजिटल बैंकिंग' को खुदरा बैंकिंग खंड के उप-खंड के रूप में प्रकट किया है.

vi) आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (20 फरवरी, 2023 को अद्यतन) के संदर्भ में, निम्नलिखित प्रकटीकरण आवश्यक हैं:

ए. अन्य देयताओं एवं प्रावधानों के मामले में, "अन्य (प्रावधानों सहित)" शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आस्ति से एक प्रतिशत से अधिक है,

बी. अन्य आस्तियों के मामले में, अन्य शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आस्ति से एक प्रतिशत अधिक है,

सी. अन्य आय के मामले में, "विविध आय'' शीर्षक के अंतर्गत कोई मद कुल आय से एक प्रतिशत अधिक है,

डी. परिचालन व्यय के मामले में, "अन्य आय'' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय से एक प्रतिशत अधिक है,

अनुसूची 14 में दर्शाए गए विवरण की मदें- अन्य आय उप शीर्ष- विविध आय

| उप शीर्ष के अंतर्गत मदें | (₹ करोड़ में) | कुल आय का % |
|---|---|---|
| अग्रिमों हेतु प्रसंस्करण भार | 1,178.18 | 1.24 |
| विविध अर्जन/ आमदनी | 1,004.21 | 1.05 |
| बट्टे खाते में डाली गई वसूली | 5,549.49 | 5.82 |

ऊपर उल्लिखित अन्य शीर्षों से संबंधित कोई अन्य प्रकटीकरण नहीं है.

## डी. संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस -18)

### i. संबंधित पार्टियों की सूची

**ए) समनुषंगी**

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
- यूनियन ट्रस्टी कं. प्रा. लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड.
- आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड.
- यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड.

**बी) संयुक्त उद्यम**

- स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड.
- इंडिया फस्ट लाइफ इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड

**सी) सहायक संस्था**

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

डी) **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

(₹ करोड़ में)

| नाम | पदनाम | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु भुगतान की गई पारिश्रमिक |
|---|---|---|
| श्री राजकिरण रै जी@ | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 0.19 |
| सुश्री ए मणिमेखलै # | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 0.30 |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल ## | कार्यपालक निदेशक | 0.11 |
| श्री नितेश रंजन | कार्यपालक निदेशक | 0.39 |
| श्री रजनीश कर्नाटक | कार्यपालक निदेशक | 0.34 |
| श्री निधु सक्सेना | कार्यपालक निदेशक | 0.32 |
| श्री रामसुब्रमणियन एस ^ | कार्यपालक निदेशक | 0.12 |

@ 31.05.2022 तक

# 03.06.2022 से

## 30.04.2022 तक

^ 21.11.2022 से

**पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए**

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उच्चम'' के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 6 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार, केएमपी को बैंक का पूर्णकालिक निदेशक माना जाता है.

ई. **"लीज" परिचालन लीज (एएस-19) पर लिया गया परिसर:**

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के पास कोई भी अस्वीकार किए जाने वाले परिचालन लीज नहीं है. अतः एएस-19 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है. हालांकि, लाभ एवं हानि खाते में परिचालन लीज के लिए लीज भुगतान राशि रु. 801.99 करोड़ (पिछला वर्ष रु. 816.15 करोड़) मानी गई है..

एफ़. **प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)**

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गयी है.

प्रति शेयर अर्जन की गणना निम्नलिखित है:

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या | 6,83,47,47,466 | 6,40,68,44,355 |
| वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या | शून्य | 42,79,03,111 |
| वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या | 6,83,47,47,466 | 6,83,47,47,466 |
| प्रति शेयर मूल अर्जन आकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 6,83,47,47,466 | 6,77,26,13,590 |

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन के परिकलन लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 6,83,47,47,466 | 6,77,26,13,590 |
| शुद्ध लाभ / (हानि) ₹ करोड़ में | 8,433.28 | 5,232.11 |
| प्रति शेयर मूल अर्जन (₹) | 12.34 | 7.73 |
| प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन (₹) | 12.34 | 7.73 |
| प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (₹) | 10.00 | 10.00 |

**जी. कर हेतु प्रावधान:**

**i. आस्थगित कर (एएस-22)**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| | **आस्थगित कर आस्ति** | | |
| 1 | कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण) | 534.18 | 474.78 |
| 2 | अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास | 395.89 | 358.42 |
| 3 | अन्य प्रावधानों के कारण | 11405.67 | 14,069.38 |
| 4 | विदेशी मुद्रा अंतरण अधिशेष (रिजर्व) | -84.48 | 1.14 |
| 5 | मानक आस्ति | 0.00 | 588.37 |
| | कुल | **12251.26** | **15,492.08** |
| | **आस्थगित कर देयताएं** | | |
| 1 | प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज | 1274.79 | 1,092.63 |
| 2 | धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व | 2316.74 | 2,107.08 |
| 3 | निवेश पर मूल्यह्रास | | -- |
| | **कुल** | **3,591.53** | **3,199.71** |
| | **शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां** | **8,659.73** | **12,292.37** |
| | **शुद्ध आस्थगित कर देयताएं** | | **शून्य** |

**ii. प्रत्यक्ष कर**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित) | 3,704.45 | 3,347.31 |

**कॉर्पोरेट कर निर्धारण:**

विद्यमान और लंबित दोनों ही करों के लिए कर प्रावधान किया जाता है. लागू कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर कर योग्य आय पर विद्यमान कर प्रदान किया जाता है. समयान्तर के कारण उत्पन्न लंबित कर आस्तियों एवं लंबित कर देयताएं, जो आने वाले अवधि में परिवर्तनीय होते हैं, उनकी पहचान लागू किए गए या तुलन पत्र की तिथि तक पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर की जाती है.

लंबित कर आस्तियों की पहचान तभी दी जाती है, जब भविष्य में ऐसे आस्तियों की वसूली लगभग निश्चित हो. वर्ष के दौरान हुई प्रगति के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को लंबित कर आस्तियों/ देयताओं की समीक्षा की जाती है.

**एच. संयुक्त उपक्रम में निवेश (एएस–27)**

निवेश के अंतर्गत रु. 286.88 करोड़ (गत वर्ष रु. 236.68 करोड़) शामिल हैं, जो स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी में बैंक की हित राशि है.

**आई. संपत्ति का पुनःमुल्यांकन**

बैंक की भूमि और भवन का 31.12.2019 को उचित बाजार मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन निर्धारित अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा किया गया एवं इसके बाद अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा उचित बाजार मूल्य पर 31.12.2022 को पुनर्मूल्यांकन किया गया है. 31.12.2022 को परिसर के लिए ₹ 1,418.26 करोड़ और रिक्त भूमि के लिए ₹ 101.02 करोड़ की राशि के ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर परिणामी वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया. एएस-10 (संशोधित) के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन हिस्से के मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से वसूल किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में ₹ 125.20 करोड़ की कमी आई है.

**जे. आस्तियों की हानि (एएस–28)**

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो.

**के. आकस्मिक देयतायेँ (एएस–29)**

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची-12 के क्र. (I) व (VI) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ विवेचन/ न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है.

**एल.** चालू वर्ष के दौरान, कोई मद अवधि से पहले की नहीं है (एएस 5 के अनुसार) एवं परिचालनों को बंद नहीं किया गया है (एएस-24 के अनुसार).

**एम. पर्यावरण नियंत्रण**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की "सतत विकास एवं कारोबार उत्तरदायित्व नीति'' नामक नीति विद्यमान है, जिसकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है और पिछली बार 02.03.2023 को बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी. इस नीति के जरिए, बैंक पर्यावरण की रक्षा एवं उसकी बहाली के प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है. बैंक द्वारा विद्युत संरक्षण, पैकेज्ड पेयजल हेतु प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग न करने आदि जैसे अनेक उपाय किए गए हैं. पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) एवं जलवायु जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, बैंक के बोर्ड ने ठईएसजी जोखिम ढांचा और जलवायु जोखिम नीतिठ प्रस्तुत की है. बैंक में ईएसजी स्ट्रेटजी एवं परिवर्तन तैयार करने और लागू करने हेतु बैंक ने ईएसजी परिचालक समिति का गठन किया है.

**एन. बहियों का मिलान, अंतरशाखा/ बैंक लेनदेनों का मिलान**

(i) विदेशी बैंकों व अन्य बैंकों में राशि की पुष्टि/ मिलान प्राप्त कर लिया गया है/ किया गया है.

(ii) उचंत खाता, विविध जमाखाता, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतरशाखा/ कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों का समायोजन निरंतर आधार पर जारी है.

(iii) उसकी (i) एवं (ii) की लंबित अंतिम मंजूरी का खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई होता है, तो वह प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा.

### ओ. एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन

बैंक एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित मूल राशि पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान संबंधी कोई भी मामले रिपोर्ट नहीं किए गए है.

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो पुनः समूहित/पुनः समेकित किया गया है.

**(पंकज कुमार)**
उप महाप्रबंधक

**(प्रफुल्ल कुमार सामल)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(निधु सक्सेना)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(अरुण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S
**सीए पी. एम. वीरामणि**
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएन: 23023933BGVFVB8763

**कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673
**सीए निरंजन जोशी**
भागीदार
सदस्य सं.102789
यूडीआईएन: 23102789BGWREB5291

**कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W
**सीए सचिन वी लूथरा**
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 23109127BGQVHR6655

**कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C
**सीए रूचि अग्रवाल**
भागीदार
सदस्य सं. 504134
यूडीआईएन: 23504134BGWTPP4106

**कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C
**सीए अभिषेक शर्मा**
भागीदार
सदस्य सं. 079224
यूडीआईएन: 23079224BGTKQO2274

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
**सीए प्रदीप जे. शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 23046940BGPTTS7892

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 मई, 2023

# स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**

(₹ लाख में)

| क्र.स. | विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| ए | **परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | कर से पहले निवल लाभ | 12,13,772 | 8,57,941 |
| | निम्न के लिए समायोजन : | | |
| | अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास | 73,715 | 73,809 |
| | निवेशों के लिए प्रावधान | 1,67,478 | 21,461 |
| | गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल) | 12,47,897 | 11,61,326 |
| | अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल) | (1,16,241) | 1,36,521 |
| | अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि | 9,770 | 10,072 |
| | उधारी पर ब्याज : पूंजीगत साधन | 149 | 35 |
| | अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि | 1,58,601 | 1,55,133 |
| | संयुक्त उपक्रम कंपनी से प्राप्त लाभांश | (6,968) | (3,019) |
| | आरक्षित से/में अंतरण | (67,520) | 72,382 |
| | **उप योग** | **26,80,653** | **24,85,662** |
| | **निम्न के लिए समायोजन:** | | |
| | जमाराशियों में वृद्धि / (कमी) | 85,32,369 | 1,08,58,729 |
| | अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) | 10,48,458 | (90,800) |
| | निवेशों में (वृद्धि) / कमी | 7,63,829 | (17,40,928) |
| | अग्रिमों में वृद्धि / (कमी) | (1,13,31,977) | (81,63,505) |
| | अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी | (7,67,147) | 4,45,843 |
| | प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल) | (3,27,752) | (1,73,612) |
| | **परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)** | **5,98,433** | **36,21,389** |
| बी | **निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :** | | |
| | अचल संपत्तियों की खरीद | (3,05,524) | (73,970) |
| | अचल आस्तियों की बिक्री / समायोजन के आगम | 68,230 | 15,382 |
| | सहायक कंपनी में निवेश में (वृद्धि) /कमी | (10,473) | 19,907 |
| | निवेशों से प्राप्त लाभांश | 6,968 | 3,019 |
| | **निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)** | **(2,40,799)** | **(35,662)** |
| सी | **वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम | - | 1,44,208 |
| | पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि | 98,300 | 7,00,000 |
| | पूंजीगत लिखतों की चुकौती | (10,000) | (5,40,000) |
| | पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि | (8,92,463) | (2,25,801) |
| | उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत | (1,58,601) | (1,55,133) |
| | वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश | (1,29,861) | - |
| | **वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)** | **(10,92,624)** | **(76,726)** |
| | नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी) | (7,34,990) | 35,09,001 |
| | वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष | 1,19,50,036 | 84,41,035 |
| | वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष | 1,12,15,045 | 1,19,50,036 |

# स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**

(₹ लाख में)

| क्र.स. | विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| | **नकदी एवं नकदी समकक्ष के घटक** | | |
| डी | **वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 46,11,259 | 37,88,046 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा | 73,38,777 | 46,52,989 |
| | वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष | **1,19,50,036** | **84,41,035** |
| ई | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 50,25,427 | 46,11,259 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा | 61,89,618 | 73,38,777 |
| | वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष | **1,12,15,045** | **1,19,50,036** |

जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

**(पंकज कुमार)**
उप महाप्रबंधक

**(प्रफुल्ल कुमार सामल)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(निधु सक्सेना)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(अरुण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :**

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3 "नकदी प्रवाह विवरण" के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 06 मई, 2023 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप हैं.

**कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S
**सीए पी. एम. वीरामणि**
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएन: 23023933BGVFVB8763

**कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673
**सीए निरंजन जोशी**
भागीदार
सदस्य सं.102789
यूडीआईएन: 23102789BGWREB5291

**कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W
**सीए सचिन वी लूथरा**
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 23109127BGQVHR6655

**कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C
**सीए रूचि अग्रवाल**
भागीदार
सदस्य सं. 504134
यूडीआईएन: 23504134BGWTPP4106

**कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C
**सीए अभिषेक शर्मा**
भागीदार
सदस्य सं. 079224
यूडीआईएन: 23079224BGTKQO2274

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
**सीए प्रदीप जे. शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 23046940BGPTTS7892

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 मई, 2023

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

**प्रति**

**भारत के राष्ट्रपति/**

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य**

**मुंबई**

**समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट**

**अभिमत**

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ('बैंक') के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 का समेकित तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण खाता नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

ए. बैंक का लेखा-परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

बी. 2 घरेलू सहायक कंपनियों, 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सहायक) 1 विदेशी सहायक इकाई एवं 1 विदेशी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण.

सी. 2 घरेलू सहायक कंपनियों एवं 2 घरेलू संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण.

बैंक के साथ उपरोक्त इकाइयों को "समूह" के रूप में संदर्भित किया जाता है.

हमारी राय व सर्वोतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सहायक, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों एवं सहयोगियों के संबंध में अन्य वित्तीय जानकारी एवं अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप है और उसमें निम्न समाहित है -

ए. यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक के मामलों की दशा में समेकित तुलन पत्र के मामले में सही व निष्पक्ष;

बी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता के मामले में लाभ की वास्तविक राशि; एवं

सी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में नकदी प्रवाह का सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाया गया है.

**अभिमत का आधार :**

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीटयूट ऑफ़ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित हैं. हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता एवं हमारे वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए नैतिक आवश्यकताओं सहित, प्रासंगिक समूह बैंक से स्वतंत्र हैं एवं हमने अपनी इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता सहित अन्य नैतिक जिम्मेदारियों के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

**मामलों का प्रभाव**

3. हम आपका ध्यान अनुसूची 18 के नोट संख्या 8(सी)(ii)(ए) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों की ओर आकर्षित करते हैं जिसके अनुसार पिछले वर्ष के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 1521.62 करोड़ की राशि की अतिरिक्त देयता के अपरिवर्तित भाग के संबंध में इसे 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से प्रभारित कर लिया गया है. अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के कारण बैलेन्स शीट में कोई भी परिशोधित व्यय नहीं है.

हमारा अभिमत इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है.

**मुख्य लेखा परीक्षा मामले :**

4. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे. इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में बताया गया था, और उसके बाद हमारा अभिमत बनाने तथा इन मामलों पर हम एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| 1 | **विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेश पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा प्रावधान** | |
| | ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश जो कि आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है 31 मार्च, 2023 तक कुल आस्तियों का 85.98% रहा है. नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदंडों एवं अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार) द्वारा निर्धारित उद्देश्यात्मक मापदंडों पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान आधारित है. हमारे बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैन्युअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) पर अधिक निर्भर करता है.<br><br>बैंक में आईआरएसी मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है. | हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है. हमारे लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसके संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में तर्क एवं मान्यताओं पर नियंत्रण, एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आंकलन, ऋणों के संवितरण एवं निगरानी शामिल है.<br><br>इनमें निम्नलिखित के मूल्यांकन और समझ शामिल हैं:<br><br>• आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली.<br><br>• गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैन्युअल नियंत्रण;<br><br>• आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता;<br><br>• अग्रिमों के मामलों में ऋण अनुमोदन के समग्र नियंत्रण, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया और निवेश के मामले में खरीददारी पर नियंत्रण, बिक्री तथा नियंत्रण में रखने की निर्णय प्रणाली<br><br>• हमने ऋण/निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया.<br><br>• हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहां कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है.<br><br>• हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न और उनके कार्य पर विश्वास किया है. जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षा का उपयोग कर रहा है. |

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| | | • हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं तथा जो एक लेखा परीक्षक का कार्य करते हुए एसए 620 के अनुसार बैंक को सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके कार्यों की समीक्षा की है.<br>• इसके अतिरिक्त हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है.<br>• हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट के रिपोर्टों एवं उक्त हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है.<br>• अंक संबंधी सटीकता, डाटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन. हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है.<br>हमारे द्वारा प्रणाली आधारित एनपीए की पहचान की दक्षता को टेस्ट चेक तथा विश्लेषण किया गया है. |
| 2 | **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण** | |
| | कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में, बैंक की वित्तीय लेखा अवधि एवं रिपोर्टिंग सिस्टम कोर बैंकिंग सोल्युशन के प्रभावी कार्यनिष्पादन पर एवं सीबीएस से जुड़े हुए या स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे अन्य आईटी सिस्टम पर उच्च स्तरीय रूप से निर्भर है. लेनदेन की व्यापक मात्रा, विविधता एवं जटिलता को दैनिक रूप में संसाधित किया जाता है तथा वहां एक जोखिम है जो स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएँ तथा इससे संबंधित आंतरिक नियंत्रण सही ढंग से डिजाइन तथा प्रभावी रूप से संचालन नहीं हो सकते हैं. विशेष क्षेत्र का फोकस लॉजिक से संबंधित है, जो कि सिस्टम में डाटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एसेस प्रबंधन तथा कर्तव्यों के पृथक्करण को भरा जाता है. ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि आवेदन एवं डाटा उचित, अधिकृत, शोधित तथा जांचे गए हैं ताकि सिस्टम वास्तविक एवं विश्वसनीय रिपोर्ट/रिटर्न तथा अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सूचना जेनरेट कर सके जिसे वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति हेतु उपयोग किया जा सके.<br>हमने निम्नलिखित के लिए सीबीएस एवं अन्य आईटी प्रणालियों के निरंतर एवं सटीक कामकाज पर विश्वास जताया है:<br>• भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं आय निर्धारण;<br>• अग्रिम संविभाग पर प्रावधान; | हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में परीक्षण जांच के आधार पर सिस्टम से जेनरेट अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सूचना का सत्यापन कर आईटी प्रणाली के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है.<br>हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में निम्न शामिल है:<br>• यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण जांच आधार पर हमारे सत्यापन में कमियों को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रबंधन को सूचित किया गया है ;<br>• क्षेत्रों में कमियों को देखा गया है कि मौलिक परीक्षण की तरह स्वतंत्र वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ;<br>• अनुपात विश्लेषण, ट्रेंड विश्लेषण, उचित परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण की तरह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया;<br>• सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित कार्य पर विश्वास एवं शाखा लेखा के परीक्षण के आधार पर सुधारक प्रविष्टियाँ (एमओसी) पारित की गई;<br>• बाह्य विक्रेता जांच रिपोर्ट, जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो, पर अभिमत<br>• आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा एवं मुख्य आईटी कंट्रोल के अनुपालन के संबंध में आईटी विभाग से परिचर्चा. |

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया |
|---|---|---|
| | • विभिन्न वर्गों में अग्रिमों एवं देयता मदों की पहचान एवं इसकी परिपक्वता का स्वरूप<br>• उचंत एवं विविध खातों, अवैयक्तिक खाता एवं पुराने तथा अंतर-शाखा शेष तथा अन्य ऐसे खातों का समाधान<br>• निवेश लेनदेनों की रिकॉर्डिंग<br>• जमा एवं अन्य देयताओं पर ब्याज व्यय; | |
| 3 | **आस्तिगत करों की पहचान करना एवं मापना** | |
| | बैंक ने 31 मार्च, 2023 को ₹ 8,65,97,447 ('000 में) शुद्ध आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान की है. मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है. हाल ही में आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान. | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल है. हमारे समझौते के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों टेस्टों का कार्य निष्पादन किया है. हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ हमने निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्यनिष्पादन किया है, लेकिन यह सीमित नहीं है:<br>• आय पर "करों के लिए लेखांकन" एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन.<br>• एकरूपता, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया.<br>• लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में ऐसा आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा. |

**समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचनाएं**

5. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं. अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष की मुख्य बातें, परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय अनुपात, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट एवं कोर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं, जो हमें इन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पीलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं.

हमारे समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना एकल वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से परिवर्तनशील है या हमारी जानकारी लेखापरीक्षा में प्राप्त या अन्यथा ही तात्विक रूप से गलत बयान की गई है.

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले, यदि हमारे कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य सूचनाओं में बड़ी विसंगतियाँ हैं, तो हमें इस बात को रिपोर्ट करना होगा. इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है.

जब हम अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालें कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है.

**प्रबंधन एवं गवर्नेंस द्वारा प्रभारित समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारियां**

6. बैंक के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय परिणामों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण के लिए जिम्मेदार हैं जो समूह, उसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के समेकित वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह एवं अन्य वित्तीय जानकारी का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21- "समेकित वित्तीय विवरणों", लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन" एवं लेखा मानक 27- संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा नियमों के अनुरूप है एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, दिशानिर्देशों एवं निर्देशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत हैं.

समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई अधिनियम के प्रावधानों/ बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसार लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं ताकि समूह की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनिमियतताओं की पहचान एवं बचाव, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन बनाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वे धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, से मुक्त हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई, समूह एवं इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है ताकि वह कार्यशील क्षमता के रूप में बने रहे एवं लागू अनुरूप प्रकटीकरण, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक निदेशक मंडल या तो समूह का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है.

समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई, समूह एवं इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के जांच-पड़ताल के लिए जिम्मेदार होंगे.

**समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां**

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समुचित तौर पर चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना है. तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गई लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी. गलतबयानी धोखाधड़ी या गलती की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है, यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रभावित कर पाते.

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम साथ ही:

- वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकित करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारा मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है. धोखाधड़ी से उत्पन्न एक तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम गलती से उत्पन्न को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें जो कि सभी परिस्थितियों में उपयुक्त हो.

- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का

मूल्यांकन एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण.

- लेखांकन की कार्यशील संस्था के आधार के प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की समार्थ्य पर संदेह बना सकती है. अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नजर आती है, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो अब तक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्राप्त किए गए हैं. हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती है.

- संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण सहित, वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, एवं क्या वित्तीय वितरण अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वह एक उचित प्रदर्शन हासिल करें.

अन्य मामलों के अलावा, हम लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी किन्हीं महत्वपूर्ण कमियों को गवर्नेंस के संबंध में उनसे संप्रेषण करते हैं.

हम गवर्नेंस से प्रभारित को भी वचन देते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, एवं उनसे संप्रेषण करने के लिए सभी रिश्ते एवं अन्य मामले जिनके बारे में माना जाता है कि वह विवेकपूर्ण तरीके से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, एवं सुरक्षोपाय संबंधी, जहां लागू है.

गवर्नेंस से प्रभावित संपोषित मामलों से, हमने ऐसे मामलों को निर्धारित किया है जो कि वर्तमान अवधि की एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के सबसे अधिक महत्व के हैं एवं इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम इन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में लोक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या जब, अत्यधिक दुर्लभ मामलों में, हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हो.

**अन्य मामले:**

8. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में, निर्दिष्ट 3 सहायक कंपनियां एवं 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरणों में यथा 31 मार्च, 2023 को कुल संपत्ति ₹ 4,47,55,068 (हजार में) एवं कुल राजस्व ₹ 22,11,654 (हजार में) एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष में कर राशि के बाद शुद्ध हानि ₹ 4,33,866 (हज़ार में), समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में माना गया है. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 8,13,202 (हज़ार में) के कर के बाद शुद्ध लाभ का समूह हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है, एक सहयोगी के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है. इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है. जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के संबंध में हमारा मत यह है कि समेकित वित्तीय विवरणों में निर्दिष्ट राशि एवं प्रकटीकरण मात्र अन्य लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है.

समेकित वित्तीय विवरणों में 2 सहायक एवं 2 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी यथास्थिति 31 मार्च, 2023 को कुल संपत्ति ₹ 5,20,44,943 (हजार में), समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 1,77,52,017 (हज़ार में) समूह का हिस्सा एवं कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ ₹ 4,04,522 (हजार में) समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, जैसा कि समेकित वित्तीय परिणामों में निर्दिष्ट है. ये अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी हमें बैंक के प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रदान की गयी है एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित हैं, पूर्ण रूप से इस तरह की समीक्षा/अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी पर आधारित है. हमारे मत में एवं बैंक प्रबंधन द्वारा प्रदत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी समूह के महत्व लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

समूह की इकाइयों जिनके वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, को अनुसूची 18 के लेखों पर

नोट्स में सूचीबद्ध किया गया है, जो समूह के समय के समेकित वित्तीय विवरण का एक भाग है.

उक्त संदर्भित मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत एवं किए गए कार्य के संबंध में हमारा विश्वास तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें एवं अशोधित नहीं है.

**अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

9. समेकित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.

10. ऊपर दिए गए पैरा 5 और 8 में इंगित ऑडिट की सीमा और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 के अधीन, सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के बयान जैसा कि लागू सीमा तक "अन्य मामले" पैरा में उल्लेखित है और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी है और अन्य वित्तीय जानकारी हमारी लेखा परीक्षा एवं अलग-अलग वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आवश्यक है और हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त की गई जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

बी) हमारे विचार से हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन, बैंक के अधिकार में किए गए हैं; तथा

सी) बैंक के कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी राय में, बैंक द्वारा अब तक की विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, उन पुस्तकों की जांच से यह प्रतीत होता है कि हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिन का हमने दौरा नहीं किया है;

बी) समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खाता बही के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाते हैं जिन का हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा और कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटाया गया है;

डी) हमारी राय में, समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यह अपनी सीमा में है व आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

| | | |
|---|---|---|
| **कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>एफ़आरएन 002785S | **कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी**<br>सनदी लेखाकार<br>एफ़आरएन 109262W/W100673 | **कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>एफ़आरएन 108959W |
| **सीए पी. एम. वीरामणि**<br>भागीदार<br>सदस्य सं.023933<br>यूडीआईएन: 23023933BGVFVB3602 | **सीए निरंजन जोशी**<br>भागीदार<br>सदस्य सं.102789<br>यूडीआईएन: 23102789BGWREB1919 | **सीए सचिन वी लूथरा**<br>भागीदार<br>सदस्य सं. 109127<br>यूडीआईएन: 23109127BGQVHR54391 |
| **कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स**<br>सनदी लेखाकार<br>एफ़आरएन 005223C | **कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>एफ़आरएन 002803C | **कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>एफ़आरएन 110100W |
| **सीए रुचि अग्रवाल**<br>भागीदार<br>सदस्य सं. 504134<br>यूडीआईएन: 23504134BGWTPQ8986 | **सीए अभिषेक शर्मा**<br>भागीदार<br>सदस्य सं. 079224<br>यूडीआईएन: 23079224BGTKQP5499 | **सीए प्रदीप जे. शेट्टी**<br>भागीदार<br>सदस्य सं. 046940<br>यूडीआईएन: 23046940BGPTTT2512 |

हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई
रिपोर्ट की तारीख : 06.05.2023

# समेकित तुलन पत्र

**यथा 31 मार्च, 2023**

(₹ 000' में)

| विवरण | अनुसूची क्रमांक | यथा 31 मार्च, 2023 | यथा 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|---|
| **पूंजी एवं देयताएं** | | | |
| **पूंजी** | 1 | **6,83,47,475** | **6,83,47,475** |
| सहायक कंपनी द्वारा जारी अधिमान्य शेयर पूंजी | 1ए | 10,40,035 | 10,40,035 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | 2 | 71,86,47,629 | 63,92,23,739 |
| अल्पमत हित | 2ए | - | - |
| जमाराशियाँ | 3 | 11,20,32,19,225 | 10,34,36,77,535 |
| उधार | 4 | 42,73,65,947 | 51,24,51,999 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | 5 | 46,49,50,783 | 37,29,15,316 |
| **कुल** | | **12,88,35,71,094** | **11,93,76,56,099** |
| **आस्तियां** | | | |
| **नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष** | 6 | 50,25,81,072 | 46,11,58,920 |
| बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष | 7 | 62,34,07,568 | 73,64,23,289 |
| निवेश | 8 | 3,43,72,69,559 | 3,51,83,90,437 |
| अग्रिम | 9 | 7,64,27,66,793 | 6,63,35,56,506 |
| अचल आस्तियां | 10 | 8,84,79,756 | 7,20,83,095 |
| अन्य आस्तियां | 11 | 58,90,66,347 | 51,60,43,852 |
| समेकन पर साख | | - | - |
| **कुल** | | **12,88,35,71,094** | **11,93,76,56,099** |
| आकस्मिक देयताएं | 12 | 6,08,09,92,755 | 6,51,14,68,340 |
| संग्रहण के लिए बिल | | 43,56,67,177 | 66,08,94,128 |
| प्रमुख लेखा नीतियाँ | 17 | | |
| खातों से संबंधित नोट | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

**(पंकज कुमार)**
उप महाप्रबंधक

**(प्रफुल्ल कुमार सामल)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

**कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से**

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(निधु सक्सेना)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(अरुण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S

**सीए पी. एम. वीरामणि**
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएन: 23023933BGVFVC3602

**कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673

**सीए निरंजन जोशी**
भागीदार
सदस्य सं.102789
यूडीआईएन: 23102789BGWREC1919

**कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W

**सीए सचिन वी लूथरा**
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 23109127BGQVHRS4391

**कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C

**सीए रुचि अग्रवाल**
भागीदार
सदस्य सं. 504134
यूडीआईएन: 23504134BGWTPQ8986

**कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C

**सीए अभिषेक शर्मा**
भागीदार
सदस्य सं. 079224
यूडीआईएन: 23079224BGTKQP5499

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

**सीए प्रदीप जे. शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 23046940BGPTTT2512

हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई
रिपोर्ट की तारीख : 06.05.2023

# समेकित लाभ एवं हानि खाता

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

| | विवरण | अनुसूची क्रमांक | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| i. | **आय** | | | |
| | अर्जित ब्याज | 13 | 81,16,31,823 | 68,22,96,573 |
| | अन्य आय | 14 | 15,91,53,525 | 13,52,44,131 |
| | **कुल** | | **97,07,85,348** | **81,75,40,704** |
| ii. | **व्यय** | | | |
| | व्यय किया गया ब्याज | 15 | 48,03,28,447 | 40,17,84,651 |
| | परिचालन व्यय | 16 | 23,48,73,032 | 19,70,26,117 |
| | प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय | | 17,12,80,436 | 16,66,44,918 |
| | **कुल** | | **88,64,81,915** | **76,54,55,686** |
| iii. | **सहायक कंपनियों में अल्पमत हित और अर्जन के अंश से पहले समेकित निवल लाभ/(हानि)** | | **8,43,03,433** | **5,20,85,018** |
| | जोड़ें : सहायक कंपनियों में लाभ/(हानि) का अंश | | 8,13,202 | 5,68,187 |
| | पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा घटाने से | | 8,51,16,635 | 5,26,53,205 |
| | (घटाएँ):-अल्पमत हित | | - | - |
| | **वर्ग विशेष हेतु समूह के लिए वर्ष का समेकित निवल लाभ/(निवल हानि)** | | **8,51,16,600** | **5,26,53,205** |
| | निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति से अंतरण | | 58,32,008 | 00,00,000 |
| | जोड़े : आगे लाया गया लाभ/(हानि) | | 35 | 35 |
| | **विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि** | | **9,09,48,643** | **5,26,53,240** |
| iv. | **विनियोजन** | | | |
| | सांविधिक आरक्षिति में अंतरण | | 2,10,83,194 | 1,31,93,989 |
| | पूंजी आरक्षिति में अंतरण | | 9,45,461 | 1,22,12,675 |
| | निवेश उतार चढ़ाव जोखिम आरक्षिति में अंतरित | | - | 65,68,682 |
| | राजस्व और अन्य आरक्षिति निधियों में अंतरण | | 3,48,14,630 | 24,71,838 |
| | विशेष आरक्षिति में अंतरण [आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(I)(viii)] | | 60,00,000 | 52,20,000 |
| | निवेश आरक्षिति खाते में अंतरण | | 17,69,006 | - |
| | प्रस्तावित लाभांश | | 2,05,04,309 | 1,29,86,021 |
| | लाभ हानि खाते में शेष | | 58,32,043 | 35 |
| | **कुल** | | **9,09,48,643** | **5,26,53,240** |
| | प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड (अंकित मूल्य रु.10) | 18(13) | 12.45 | 7.77 |
| | प्रमुख लेखा नीतियां | 17 | | |
| | खातों से संबंधित नोट्स | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

**(पंकज कुमार)**
उप महाप्रबंधक

**(प्रफुल्ल कुमार सामल)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

**कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से**

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(निधु सक्सेना)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(अरुण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S
**सीए पी. एम. वीरामणि**
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएन: 23023933BGVFVC3602

**कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673
**सीए निरंजन जोशी**
भागीदार
सदस्य सं.102789
यूडीआईएन: 23102789BGWREC1919

**कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W
**सीए सचिन वी लूथरा**
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 23109127BGQVHRS4391

**कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C
**सीए रुचि अग्रवाल**
भागीदार
सदस्य सं. 504134
यूडीआईएन: 23504134BGWTPQ8986

**कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C
**सीए अभिषेक शर्मा**
भागीदार
सदस्य सं. 079224
यूडीआईएन: 23079224BGTKQP5499

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
**सीए प्रदीप जे. शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 23046940BGPTTT2512

हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई
रिपोर्ट की तारीख : 06.05.2023

# समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

## यथा 31 मार्च, 2023

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | यथा 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 1 – पूंजी :** | | |
| **I. प्राधिकृत:** | | |
| रू.10 प्रति शेयर की दर से 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 |
| **II. निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :** | | |
| i. रू.10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित | 5,70,66,609 | 5,70,66,609 |
| ii. रू.10 प्रति शेयर की दर से 112,80,86,616 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित | 1,12,80,866 | 1,12,80,866 |
| कुल | **6,83,47,475** | **6,83,47,475** |
| **अनुसूची 1ए – सहायक कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयर पूंजी :** | | |
| 17 मई, 2018 को दाई ईची लाइफ होल्डिंग इंक को 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रति ₹ 10/- (यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक सहायक कंपनी द्वारा जारी) के 10,40,03,544 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय गैर - मोचनीय अधिमानित शेयर | 10,40,035 | 10,40,035 |
| कुल | **10,40,035** | **10,40,035** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | | यथा 31 मार्च, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 2 – आरक्षिति निधियां एवं अधिशेष :** | | | | |
| **I. सांविधिक आरक्षिति:** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 14,68,21,655 | | 13,36,27,665 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 2,10,83,194 | 16,79,04,849 | 1,31,93,989 | 14,68,21,655 |
| **II. पूंजी आरक्षिति:** | | | | |
| **ए) पूंजी आरक्षिति :** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 5,89,33,239 | | 4,67,20,564 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 9,45,461 | | 1,22,12,675 | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| | **5,98,78,700** | | **5,89,33,239** | 5,89,33,239 |
| **बी) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति:** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 4,75,70,740 | | 4,89,84,778 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,51,92,863 | | 79,201 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 14,39,378 | | 14,93,238 | |
| | **6,13,24,225** | | **4,75,70,741** | 4,75,70,740 |
| **सी) समामेलन आरक्षिति** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 1,30,95,979 | | 1,30,95,979 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| | **1,30,95,979** | 13,42,98,904 | **1,30,95,979** | 11,95,99,958 |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | | यथा 31 मार्च, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| III. **समेकन पर पूंजी आरक्षिति** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 4,21,351 | | 6,63,498 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | 3,01,200 | | 2,42,147 | |
| | | 1,20,151 | | 4,21,351 |
| IV. **शेयर प्रीमियम :** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 18,39,26,860 | | 17,37,85,077 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 3,01,198 | | 1,01,92,652 | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | 18,42,28,058 | 50,870 | 18,39,26,860 |
| V. **राजस्व एवं अन्य आरक्षिति :** | | | | |
| i) **राजस्व एवं अन्य आरक्षिति :** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 10,74,30,020 | | 9,53,58,032 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 3,75,80,223 | | 1,36,44,810 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 25,786 | | 15,72,823 | |
| | 14,49,84,457 | | 10,74,30,020 | |
| घटाएँ:- अल्पमत हित | | | - | |
| | 14,49,84,457 | | 10,74,30,020 | |
| ii) **धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 6,02,98,789 | | 5,50,78,789 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 60,00,000 | | 52,20,000 | |
| | 6,62,98,789 | | 6,02,98,789 | |
| iii) **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 58,485 | | 58,485 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 843 | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| | 59,328 | | 58,485 | |
| iv) **निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 1,93,61,583 | | 1,27,92,901 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | 65,68,682 | |
| वर्ष के दौरान कमी | **58,32,008** | | | |
| | 1,35,29,575 | | 1,93,61,583 | |
| v) **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 12,73,628 | | 20,15,886 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 8,11,962 | | 2,95,338 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 24,94,495 | | 10,37,597 | |
| | (04,08,905) | | 12,73,628 | |
| vi) **डिबेंचर मोचन आरक्षिति** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | 31,375 | | | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | | | 31,375 | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | | |
| | 31,375 | | 31,375 | |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | | यथा 31 मार्च, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| vi. **निवेश आरक्षिति खाता** | | | | |
| पिछले तुलनपत्र के अनुसार | - | | - | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 17,69,006 | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| | 17,69,006 | 22,62,63,624 | - | 18,84,53,880 |
| VII. **लाभ हानि खाते में शेष** | | | | |
| लाभ हानि खाते में शेष | | 58,32,043 | | 35 |
| **कुल** | | **71,86,47,629** | | **63,92,23,739** |
| **अनुसूची 2 ए अल्पमत हित** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | | - | | - |
| जोड़े/ (घटाएँ):- वर्ष के दौरान वृद्धि/ (घटाएँ) | | - | | - |
| **कुल अल्पमत हित** | | - | | - |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | | यथा 31 मार्च, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 3 – जमाराशियां :** | | | | |
| I. **मांग जमाराशियां** | | | | |
| i) बैंकों से | 1,75,66,930 | | 81,32,959 | |
| ii) अन्य से | 72,24,22,466 | 73,99,89,396 | 71,90,31,754 | 72,71,64,713 |
| II. **बचत बैंक जमाराशियां** | | 3,20,10,49,443 | | 3,04,57,69,582 |
| III. **मीयादी जमाराशियां** | | | | |
| i) बैंकों से | 17,64,32,725 | | 2,27,87,325 | |
| ii) अन्य से | 7,08,57,47,660 | 7,26,21,80,385 | 6,54,79,55,915 | 6,57,07,43,240 |
| **कुल** | | **11,20,32,19,225** | | **10,34,36,77,535** |
| भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां | | 11,05,94,29,728 | | 10,31,96,69,265 |
| भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमा राशियां | | 14,37,89,497 | | 2,40,08,270 |
| **कुल** | | **11,20,32,19,225** | | **10,34,36,77,535** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | | यथा 31 मार्च, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 4 – उधार :** | | | | |
| ए) **भारत में उधार** | | | | |
| i. भारतीय रिजर्व बैंक | 13,38,20,000 | | 14,20,90,000 | |
| ii. अन्य बैंक | 75,821 | | 1,98,28,213 | |
| iii. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | 2,34,63,987 | | 3,02,20,231 | |
| iv. शाश्वत बॉन्डस | 9,68,80,000 | | 8,70,50,000 | |
| v. अधीनस्थ बॉन्डस | 9,95,00,000 | | 10,05,00,000 | |
| vi. 7 वर्षीय इन्फ्रा बॉन्डस | - | 35,37,39,808 | | 37,96,88,444 |
| बी) **भारत से बाहर उधार** | | 7,36,26,139 | | 13,27,63,555 |
| **कुल** | | **42,73,65,947** | | **51,24,51,999** |
| उपर्युक्त बी (I) एवं (II) में सम्मिलित प्रतिभूति उधार | | **13,90,42,858** | | **14,70,29,470** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | यथा 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान :** | | |
| I. देय बिल | 2,64,97,502 | 2,68,90,202 |
| II. उपचित ब्याज | 6,03,43,341 | 4,54,94,112 |
| III. अन्य (प्रावधान सहित)* | 37,81,09,940 | 30,05,31,002 |
| **कुल** | **46,49,50,783** | **37,29,15,316** |

* मानक आस्तियों हेतु, प्रावधान ₹ 5,59,63,289 (विगत वित्तीय वर्ष ₹ 6,57,86,258) सहित

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | यथा 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 6 –नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष:** | | |
| I. धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित) | 2,84,16,340 | 3,78,48,706 |
| II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष | | |
| i. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष चालू खाते में | 47,41,54,986 | 42,33,09,768 |
| ii. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष अन्य खाते में | 9,747 | 446 |
| **कुल** | **50,25,81,072** | **46,11,58,920** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | यथा 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 7 – बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन :** | | |
| I. **भारत में** | | |
| i) बैंकों में शेष | | |
| ए) चालू खातों में | 61,55,270 | 24,07,403 |
| बी) अन्य जमा खातों में | 5,85,95,898 | 6,15,83,178 |
| ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन | | |
| ए) बैंकों से | 5,00,000 | - |
| बी) अन्य संस्थाओं से | 31,23,03,614 | 55,41,14,877 |
| | **37,75,54,782** | **61,81,05,458** |
| II. **भारत के बाहर** | | |
| i) चालू खातों में | 54,81,900 | 33,72,152 |
| ii) अन्य जमा खातों में | 23,88,70,885 | 11,36,93,769 |
| iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन | 15,00,001 | 12,51,910 |
| **कुल** | 24,58,52,785 | 11,83,17,831 |
| | **62,34,07,568** | **73,64,23,289** |
| **अनुसूची 8 – निवेश:** | | |
| **I. भारत में निवेश** | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियों में | 2,62,25,87,764 | 2,65,82,89,693 |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में | 91,11,365 | 58,64,924 |
| iii) शेयरों में | 2,45,33,686 | 2,62,42,463 |
| iv) डिबेंचर एवं बाण्डस में | 64,33,93,358 | 70,34,90,650 |
| v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों / एसोसिएट में | 35,02,148 | 26,88,946 |
| vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में) | 11,10,88,502 | 10,05,44,011 |
| **कुल** | **3,41,42,16,823** | **3,49,71,20,687** |

(₹ 000' में)

| विवरण | | | यथा 31 मार्च, 2023 | यथा 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| II. | **भारत से बाहर निवेश** | | | |
| | i) | सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) | 1,86,90,375 | 1,85,57,542 |
| | ii) | शेयरों में | 3,35,490 | 6,810 |
| | iii) | अन्य निवेश (बाण्डस में) | 40,26,870 | 27,05,398 |
| | iv) | सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में | 0 | 0 |
| | **कुल** | | **2,30,52,736** | **2,12,69,750** |
| | **कुल** | | **3,43,72,69,559** | **3,51,83,90,437** |
| III. | i) | **भारत में निवेश** | | |
| | | सकल मूल्य | 3,49,25,11,153 | 3,55,86,12,295 |
| | | घटाएं: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान | 7,82,94,330 | 6,14,91,607 |
| | | भारत में निवेश निवल मूल्य | **3,41,42,16,823** | **3,49,71,20,688** |
| | ii) | **भारत से बाहर निवेश** | | |
| | | सकल मूल्य | 2,33,14,075 | 2,15,85,972 |
| | | घटाएं: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान | 2,61,339 | 3,16,223 |
| | | भारत से बाहर निवेश निवल मूल्य | **2,30,52,736** | **2,12,69,749** |
| **कुल** | | | **3,43,72,69,559** | **3,51,83,90,437** |

(₹ 000' में)

| विवरण | | | | यथा 31 मार्च, 2023 | यथा 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 9 – अग्रिम (निवल)** | | | | | |
| I | i) | खरीदे और भुनाए गए बिल | | 3,29,74,692 | 3,87,31,665 |
| | ii) | कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण | | 3,48,61,71,808 | 2,87,95,84,813 |
| | iii) | मीयादी ऋण | | 4,12,36,20,293 | 3,71,52,40,028 |
| | | **कुल** | | **7,64,27,66,793** | **6,63,35,56,506** |
| II | i) | मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित) | | 6,25,80,98,735 | 5,36,44,78,377 |
| | ii) | बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत | | 12,26,93,689 | 13,07,52,505 |
| | iii) | अप्रतिभूत | | 1,26,19,74,369 | 1,13,83,25,624 |
| | **कुल** | | | **7,64,27,66,793** | **6,63,35,56,506** |
| ए. | **भारत में अग्रिम:** | | | | |
| | i) | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | | 2,85,85,94,969 | 2,59,52,39,457 |
| | ii) | सार्वजनिक क्षेत्र | | 81,73,80,496 | 72,72,96,155 |
| | iii) | बैंक | | 6,33,569 | 2,22,975 |
| | iv) | अन्य | | 3,71,92,11,698 | 3,13,83,22,359 |
| | **कुल** | | | **7,39,58,20,732** | **6,46,10,80,946** |
| बी. | **भारत के बाहर अग्रिम:** | | | | |
| | i) | बैंकों से प्राप्य | | 5,39,13,567 | 5,45,65,135 |
| | ii) | अन्य से प्राप्य | | - | - |
| | | ए) | खरीदे एवं भुनाए गए बिल | 4,08,197 | 12,32,802 |
| | | बी) | सिंडीकेटेड ऋण | - | 5,47,141 |
| | | सी) | अन्य | 19,26,24,296 | 11,61,30,482 |
| | | | | **24,69,46,060** | **17,24,75,560** |
| | **कुल** | | | **7,64,27,66,793** | **6,63,35,56,506** |

(₹ 000' में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2023 | | यथा 31 मार्च, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 10 – अचल आस्तियां :** | | | | |
| ए. **मूर्त आस्तियां** | | | | |
| I. **परिसर** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 8,09,82,724 | | 8,16,49,772 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 2,16,26,582 | | 6,12,275 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 67,17,063 | | 12,79,323 | |
| | 9,58,92,243 | | 8,09,82,724 | |
| घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन | 2,76,06,610 | 6,82,85,633 | 2,64,08,228 | 5,45,74,496 |
| II. **प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | 3,70,133 | | 6,30,768 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 3,25,262 | | 1,87,638 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 4,73,766 | 2,21,629 | 4,48,273 | 3,70,133 |
| III. **भूमि** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 24,98,636 | | 12,45,683 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 12,33,904 | | 13,08,678 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 97,572 | | 55,725 | |
| | 36,34,968 | | 24,98,636 | |
| घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन | 7,02,457 | 29,32,511 | 4,52,022 | 20,46,614 |
| IV. **अन्य अचल आस्तियां** | | | | |
| (फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित) | | | | |
| ए) पट्टे पर दी गयीं आस्तियां | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | 2,68,478 | | 2,68,478 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 45,920 | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | - | | - | |
| | 3,14,398 | | 2,68,478 | |
| घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन | 3,12,863 | 1,536 | 2,68,478 | - |
| बी. अन्य | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर | 6,90,59,835 | | 6,49,59,025 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 70,01,866 | | 49,20,419 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 12,54,203 | | 8,19,609 | |
| | 7,48,07,497 | | 6,90,59,835 | |
| घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन | 5,96,87,939 | 1,51,19,558 | 5,63,82,534 | 1,26,77,301 |
| बी. **अमूर्त आस्तियां** | | | | |
| (i) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | 1,23,74,205 | | 1,14,93,797 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 9,41,715 | | 9,10,278 | |
| वर्ष के दौरान कमी | 11,51,692 | | 29,870 | |
| | 1,21,64,227 | | 1,23,74,205 | |
| आज की तारीख तक परिशोधित | 1,02,45,338 | 19,18,889 | 99,59,654 | 24,14,551 |
| **कुल** | | **8,84,79,756** | | **7,20,83,095** |

(₹ 000’ में)

| विवरण | | यथा 31 मार्च, 2023 | यथा 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां :** | | | |
| I. | अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल) | 2,20,20,700 | 1,79,97,046 |
| II. | उपचित ब्याज | 9,19,16,723 | 7,77,68,178 |
| III. | स्रोत पर प्रदत्त कर/कर की कटौती (निवल प्रावधान) | 6,75,66,225 | 5,41,13,751 |
| IV. | लेखन सामग्री एवं स्टांप | 62,780 | 63,349 |
| V. | दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां | 1,334 | 1,334 |
| VI. | अन्य | 27,57,45,972 | 21,34,52,492 |
| VII. | आस्थगित कर आस्तियां (निवल) | 8,66,27,845 | 12,29,53,434 |
| VIII. | एमएटी क्रेडिट | 4,51,24,768 | 2,96,94,268 |
| | **कुल** | **58,90,66,347** | **51,60,43,852** |
| **अनुसूची 12 – संभाव्य देयताएं :** | | | |
| I. | बैंक के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है | 3,02,43,174 | 3,32,70,455 |
| II. | अंशतों प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं | - | - |
| III. | बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं | 4,13,37,63,836 | 4,37,12,08,481 |
| IV. | संघटकों की ओर दी गयी गारंटी | | |
| | i) भारत में | 66,40,64,012 | 65,35,08,697 |
| | ii) भारत से बाहर | 1,42,33,661 | 1,65,87,098 |
| V. | स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं | 99,64,20,847 | 1,26,99,57,903 |
| VI. | संभाव्य देयताओं की अन्य मदें | - | - |
| VII. | अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग | 21,02,78,944 | 13,81,64,819 |
| VIII. | डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि | 3,19,88,282 | 2,87,70,887 |
| **कुल** | | **6,08,09,92,755** | **6,51,14,68,340** |

# समेकित लाभ एवं हानि खाते के भाग के रूप में अनूसुचियां

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

| विवरण | | | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज :** | | | | |
| I. | अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा | | 56,87,45,745 | 45,29,33,293 |
| II. | निवेशों से आय | | 21,63,56,463 | 20,15,94,684 |
| III. | भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज | | 2,13,17,912 | 2,14,39,537 |
| IV. | अन्य | | 52,11,704 | 63,29,059 |
| | **कुल** | | **81,16,31,823** | **68,22,96,573** |
| **अनूसूची 14 – अन्य आय :** | | | | |
| I. | कमीशन, विनिमय और दलाली | | 2,18,70,990 | 1,71,90,485 |
| II. | निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल) | | 86,24,178 | 3,52,44,503 |
| III. | निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल) | | 25,73,612 | (13,43,760) |
| IV. | स्थायी आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि - (निवल) | | (14,860) | (3,489) |
| V. | विनिमय संव्यवहारों से लाभ - (निवल) | | 81,33,570 | 60,83,678 |
| VI. | ए) | पट्टा वित्त आय | - | - |
| | बी) | पट्टा प्रबंधन शुल्क | | - |
| | सी) | अतिदेय शुल्क | | - |
| | डी) | प्राप्य पट्टा किराया पर ब्याज | | - |
| VII. | विविध आय | | 11,79,66,035 | 7,80,72,713 |
| **कुल** | | | **15,91,53,525** | **13,52,44,131** |
| **अनूसूची 15 –व्यय किया गया ब्याज :** | | | | |
| I. | जमाराशियों पर ब्याज | | 44,38,31,965 | 37,47,18,766 |
| II. | भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज | | 1,85,04,007 | 1,05,60,975 |
| III. | अन्य | | 1,79,92,476 | 1,65,04,910 |
| | **कुल** | | **48,03,28,447** | **40,17,84,651** |
| **अनूसूची 16 – परिचालन व्यय :** | | | | |
| I. | कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान | | 12,52,40,040 | 10,26,36,661 |
| II. | किराया, कर और बिजली | | 1,08,23,277 | 1,08,29,331 |
| III. | प्रिंटिंग और स्टेशनरी | | 11,55,291 | 9,75,942 |
| IV. | विज्ञापन और प्रचार | | 13,34,511 | 6,94,846 |
| V. | ए) | पट्टा आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास | 74,45,671 | 74,48,149 |
| | बी) | पट्टा आस्तियों पर मूल्यह्रास | - | - |
| VI. | निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय | | 61,641 | 48,608 |
| VII. | लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) | | 7,44,948 | 6,70,847 |
| VIII. | विधि प्रभार | | 17,37,120 | 15,25,868 |
| IX. | डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि | | 32,23,483 | 31,25,474 |
| X. | मरम्मत एवं रखरखाव | | 37,33,263 | 33,75,669 |
| XI. | बीमा | | 1,37,50,448 | 1,16,58,849 |
| XII. | साख पर परिशोधन, यदि कोई हो | | - | - |
| XIII. | अन्य व्यय | | 6,56,23,339 | 5,40,35,874 |
| **कुल** | | | **23,48,73,032** | **19,70,26,117** |

# महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (समेकित) : अनुसूची 17

## 1 प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हों, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं. इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, गोइंग कंसर्न अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै), द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है. विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित पद्धत्ति और सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है.

## 2 अनुमानों का उपयोग

जीएएपी के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से जाना जाता है.

## 3. समेकन का आधार

ए) बैंक की 5 सहायक कंपनियां, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी इकाई है. इसकी जानकारी निम्नानुसार है : -

| क्र. | प्रकृति | इकाई | स्टेक |
|---|---|---|---|
| 1 | सहायक कंपनी | यूनियन आस्ति प्रबंधन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | 100% |
| 2 | सहायक कंपनी | यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | 100% |
| 3 | सहायक कंपनी | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड | 100% |
| 4 | सहायक कंपनी | आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड | 100% |
| 5 | सहायक कंपनी | यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड | 100% |
| 6 | संयुक्त उद्यम | स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 25.10% |
| 7 | संयुक्त उद्यम | एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड | 26.02% |
| 8 | संयुक्त उद्यम | इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी | 25.00% |
| 9 | सहयोगी इकाई | चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक | 35% |

समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर बनाया गया है:

1) मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

2) **सहायक कंपनियों का समेकन** : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एएस-21 के क्रम में अंतर-समूह संव्यवहारों, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मुख्य बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयतायों के पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण करेंगे.

3) **एसोसिएट्स का समेकन:** एसोसिएट में निवेश इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट में निवेश का लेखांकन से संबंधित मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इक्विटी पद्धति के आधार पर समेकन हेतु लेखांकित किया गया है.

4) **संयुक्त उपक्रम का समेकन:** इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का मानक लेखांकन- 27 के अनुसार संयुक्त उद्यम में आनुपातिक शेयर का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है.

बी) घरेलू एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम के मामले में, मूल बैंक द्वारा पालन किए गए भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण, लेखांकन समायोजन बढ़ रहे हैं और एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम की व्यवहारिक समस्याओं के कारण एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि राशियां प्राप्त नहीं हुई.

सी) सहायकों में निवेश के समूह की लागत एवं सहायकों में इक्विटी के मुख्य भाग के बीच के अंतर को सीएफएस में साख/ पूंजी रिजर्व, जैसा भी मामला हो के रुप में पहचाना गया है.

डी) समेकित सहायक कंपनी के शुद्ध परिसम्पत्तियों में निम्न अल्प संख्यक हित शामिल हैं:

i) सहायक कंपनी में किए गए निवेश की तिथि पर अल्पसंख्यक को स्त्रोतजन्य इक्विटी की राशि

ii) मूल सहायक कंपनी का संबंध आस्तित्व में आए दिनांक से, राजस्व रिजर्व / हानि में अल्पसंख्यक शेयरों में गतिविधि एवं इक्विटी.

iii) अल्पसंख्यक को लागू आधिक्य एवं कोई अग्रतर हानि, को बहुसंख्यक हित के सापेक्ष केवल उस हद तक समायोजित किया जाता है जहां अल्पसंख्यक के लिए बाध्यकारी दायित्व है, और नुक़सानों में अच्छा कर सकता है.

## 4 राजस्व निर्धारण

### ए) बैंकिंग निकाय

i) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैर निषादित आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है. गत वर्ष में दर्ज की गई आय और वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत आस्तियां के संबंध में शेष अप्राप्ति की मान्यता समाप्त कर दी गई है.

iii) गारंटी पत्र / साख पत्र पर कमीशन की गणना उपचित आधार पर की गई है.

iv) विनिमय एवं ब्रोकरेज अर्जित, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय, न्यूनतम जमाशेष आदि वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

v) **"परिपक्वता तक धारित"** (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.

बी) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए लेखांकन किया गया है.

vi) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है.

vii) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए की बिक्री का लेखांकन किया गया है.

viii) आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर रिफ़ंड पर ब्याज की गणना की जाती है.

### बी) गैर – बैंकिंग संस्था

**जीवन बीमा**

i) **प्रीमियम आय**

प्रीमियम (जीएसटी निवल) जब देय है, तब आय के रुप में मान्य है. लिंक्ड कारोबार हेतु जब एसोसिएटेड यूनिट सृजित की जाती है, तब प्रीमियम के रुप में मान्य है. टॉप-अप प्रीमियम को एकल आय के रुप में लिया जाता है. कालातीत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रुप में पहचाना जाता है, जब पॉलिसियां पुनर्स्थापित हुई हैं. पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रुप में तब परिवर्तित किया जाता है, जब पुनर्बीमा प्रीमियम के रुप में परिवर्तित किया गया है.

ii) **लिंक्ड फंड से आय**

लिंक्ड फंड से आय, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, कोष प्रबंधन प्रभार आदि शामिल है, को जारी पॉलिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंक्ड कोष से वसूल किया गया है.

iii) **पुनर्बीमा प्रीमियम**

पुनर्बीमा की लागत को प्रीमियम आय की पहचान के समय समझौते या पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार गणना की गई है. पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध प्राप्त है.

iv) **लाभों का भुगतान (दावों सहित)**

लाभ के भुगतान में पॉलिसी लाभ व दावा निपटान लागत, यदि कोई है, शामिल है, के लिए मृत्यु, राइडर व समर्पण

दावों की सूचना प्राप्त होने पर गणना की गई है. उत्तरजीवी लाभ दावों व परिपक्वता दावों की देय होने पर गणना की गई है. एसोसिएट यूनिट्स निरस्त होने पर लिंक्ड पॉलिसी के अंतर्गत निकासी व समर्पण की संबंधित योजना में गणना की जाती है. दावों पर पुनर्बीमा वसूली की उसी अवधि में गणना की गई है, जिस अवधि से संबंधित दावें हैं.

v) **अधिग्रहण लागत**

अधिग्रहण लागतें ऐसी लागतें हैं जिसमें परिवर्तन जारी रहता है और जो प्राथमिक तौर पर बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित हैं एवं उसी अवधि में खर्च किए गए हैं, जिस अवधि से संबंधित है.

vi) **जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता**

जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमांकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है, लेकिन देयता आस्तित्व में है, का निर्धारण नियुक्त बीमांकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में, अनर्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति द्वारा स्वीकृत बीमांकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमों और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्च्युरिस ऑफ इंडिया के अनुसार किया गया है.

**आस्ति प्रबंधन**

i) निवेश प्रबंधन शुल्क को कर के साथ उपचय आधार पर म्युचुअल फण्ड योजनाओं (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के प्रतिशत के रुप में इस प्रकार पहचान की गई है कि यह सेबी (म्युचुअल फण्ड) विनियम, 1996 और उसके पश्चात कोई संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो.

ii) निवेश सलाहकारी शुल्क की पहचान ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर की गई है.

iii) ब्याज उपचित आय की पहचान समयानुपात पद्धति का उपयोग करते हुए, संव्यवहार में निहित दर के आधार पर की गई है

iv) लाभांश आय की पहचान तब की गई है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया हो.

5 **निवेश**

i) **वर्गीकरण**

बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र एवं बॉन्ड

ई) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र डीओआर. एमआरजी.42/21.04.141/201-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 (23 मार्च, 2022, 31 मार्च, 2022, 08 अप्रैल, 2022 एवं 08 दिसंबर, 2022 को अद्यतित) के अनुसार तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा:

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

ii) **मूल्यांकन का आधार**

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं:

ए) "एचटीएम" में धारित प्रतिभूतियां- अधिग्रहण लागत पर : अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.

बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

सी) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

डी) ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में अस्थायी के अलावा ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

ई) "एएफएस" व "एचएफटी" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप्ट वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास, यदि है, तो लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि शुद्ध वृद्धि, यदि कोई हों, को अनदेखा किया गया है.

एफ़) अन्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

| | | |
|---|---|---|
| ए | भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ) | फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) के कोटेशन के अनुसार |
| बी | राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉन्ड | एफआईएमएमडीए के दिशानिदेशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर. |
| सी | इक्विटी शेयर | यदि उल्लेखित हो, तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (18 माह से अधिक पुराना न हो) के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य पर. दोनों नहीं होने पर, रु.1/- प्रति कंपनी के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोडकर ब्रेक-अप मूल्य की गणना की जाए. |
| डी | वरीयता शेयर | यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए/ के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं. |
| ई | ऋण पत्र/बॉन्ड्स | यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर. |
| एफ़ | म्युचुअल फंड (एमएफ़) | स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की दशा में, संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार. |
| जी | राजकोषीय बिल /जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र | संवहन लागत पर |
| एच | उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ) | घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुराना न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो रु.1/- प्रति वीसीएफ. |
| आई | प्रतिभूति रसीदें | इसका मूल्यांकन वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों (आरबीआई/डीओआर/2021-22/81डीओआर.एमजीआर.42/21.04.141/2021-22) दिनांक 25 अगस्त, 2021 तथा समय-समय पर संशोधनों के अनुसार किया जाएगा. |

**iii)** अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

**iv)** भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

ए) विक्रय के लिए उपलब्ध(एएफ़एस)/ट्रेडिंग के धारित(एचएफ़टी) से परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर बही मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर, यदि कोई, ह्रास है, तो लगाया गया है.

बी) परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध(एएफ़एस)/ट्रेडिंग के लिए धारित(एचएफ़टी) श्रेणी में

- यदि परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर.
- यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.

सी) विक्रय के लिए उपलब्ध(एएफ़एस) से ट्रेडिंग के लिये धारित(एचएफ़टी) श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

डी) इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.

**v)** गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि एवं निवेश पर निवल मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है (निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज़ किया जाता है). तथापि, परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

viii) सौदे की कीमत के हिसाब से इक्विटी की खरीद एवं बिक्री पर ब्रोकरेज तथा एसटीटी का भुगतान किया जाएगा.

ix) एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के परिशोधन की गणना स्ट्रेट-लाइन पद्धति का उपयोग करके की जाती है.

x) निवेश संविभाग की संगणना के लिए बैंक, भारित औसत मूल्य (डबल्यूएपी) का अनुसरण कर रहा है.

xi) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा "निपटान तारीख" का पालन किया जाता है.

xii) म्यूचुअल फंड, वेंचर केपिटल एवं प्रतिभूति रसीद की इकाइयों से होने वाली आय को नकद आधार पर माना जाएगा.

## 6. डेरीवेटिव संविदा

ए) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाई गई है, सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों या देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य या लागत से कम या बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

बी) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं (लाभ यदि कोई है, को अनदेखा किया जाए).

सी) विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

डी) विदेशी मुद्रा स्वैप लेनदेन पर अर्जित अंतरपणन आय की गणना विनिमय लेनदेन श्रेणी पर लाभ/हानि में की जाती है.

## 7 अग्रिम

i) भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ए) मानक,

(बी) अवमानक,

(सी) संदिग्ध तथा

(डी) हानि आस्तियों.

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों पर मास्टर परिपत्र आरबीआई/2022-2023/15डीओआर.एसटीआर.आरईसी.04/21.04.048/2022-23 दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है. विदेशी शाखाओं में स्थित अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय विधि, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं, द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त हो लागू होंगे.

ii) अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/ निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को "अन्य देयताओं और प्रावधानों" में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल गैर निष्पादक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है. आईआरएसी आरबीआई/2022-2023/15 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2022-23 दिनांक 01 अप्रैल, 2022 तथा उसके बाद के समय-समय पर . जारी किसी भी परिपत्र के अनुसार मानक आस्तियों का प्रावधान किया जाना है.

iv) बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में माना जाएगा.

v) छह महीने से अधिक समय से बकाया उचंत खातों की प्रविष्टियों पर प्रावधान 100% किया गया है, सिवाय सरकार/ सरकारी निकायों से प्राप्त दावे जैसे फसल ऋण पर ब्याज अनुदान/निर्यात अग्रिम, पेंशन आदि को छोड़कर.

## 8. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

i) परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों को लागत, संचित मूल्यह्रास के निवल तथा संचित हानि पर लिया गया है, यदि कोई है. लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत और परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से लागत कम व्यापार छूट और रिबेट शामिल है. इस तरह की आस्तियों से इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है तथा ह्रास की राशि को उसमें से घटाया गया है और "संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण" पर संशोधित लेखा मानक-10 के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा.

ii) बैंक की व्यय नीति में समय समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेथड पर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है. मूल्यह्रास की लागू दरें निम्नानुसार हैं:

| क्र.सं | पूंजी आस्ति | उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष) | प्रतिशत में दर |
|---|---|---|---|
| 1 | अचल संपत्ति- भूमि | गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यह्रास नहीं | शून्य |
| 2 | आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों) | 60 | 1.67 |
| 3 | फर्नीचर | 10 | 10.00 |
| 4 | फिक्सचर | 10 | 10.00 |
| 5 | वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/वातानुकूलित डक्टेबल) | 10 | 10.00 |
| 6 | स्प्लिट एवं विंडो एयर वातानुकूलन | 5 | 20.00 |
| 7 | विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण | 5 | 20.00 |
| 8 | सौर ऊर्जा उपकरण | 15 | 6.67 |
| 9 | एलिवेटर एवं लिफ्ट | 15 | 6.67 |
| 10 | पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य | 5 | 20.00 |
| 11 | दूरभाष उपकरण | 5 | 20.00 |
| 12 | मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड | 10 | 10.00 |
| 13 | मोटर कार, मोटर लॉरी एवं इलेक्ट्रिक से संचालित वाहन जिसमें पावर बैट्री सहित या ईंधन सेल संचालित वाहन शामिल है. | 8 | 12.50 |
| 14 | मोबाइल फोन | 3 | 33.33 |
| 15 | जेनेरेटर | 15 | 6.67 |
| 16 | कार्यालय उपकरण | 5 | 20.00 |
| 17 | कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के एकीकृत भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 3 | 33.33 |
| 18 | एटीएम एवं संबद्ध आइटम | 5 | 20.00 |

| क्र.सं | पूंजी आस्ति | उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष) | प्रतिशत में दर |
|---|---|---|---|
| 19 | यूपीएस एवं संबद्ध आइटम | 5 | 20.00 |
| 20 | सर्वर एवं नेटवर्क | 6 | 16.66 |
| 21 | अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, आई-पैड, टैब्लेट प्रिंटर एवं स्कैनर, डिजिटल घड़ियाँ आदि | 3 | 33.33 |
| 22 | एसडीवी लॉकर, स्ट्रॉंग रूम डोर, कैश सेफ आदि (फिक्चर सहित). | 20 | 5.00 |
| 23 | स्टाफ को उपलब्ध कराई गई वस्तुएं (फ़र्निचर/इलेक्ट्रिकल एवं आदि) | 5 | 20.00 |

iii) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

iv) पट्टे पर ली गई आस्तियां तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर का उपयोग कर स्ट्रेट-लाइन के आधार पर लगाया गया है.

v) देश के बाहर स्थित अचल आस्तियों एवं सहायक कंपनी/एसोसियेट्स की अचल सम्पत्तियों पर नियामक की आवश्यकतानुसार/अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप मूल्यह्रास लगाया गया है.

## 9. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती.

## 10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

काउंटर साइक्लिक बफर प्रावधानीकरण करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा का मूल्यांकन किया जाता है. काउंटर साइक्लिक प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

## 11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11 (विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाइयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है.

### ए) एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

i) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर लिया गया गया है.

ii) विदेशी मुद्रा मौदिक एवं गैर- मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

iii) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गई हैं.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान आय अथवा व्यय के रुप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है.

v) वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और "अंतरिम" परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है.

परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

बी) गैर - एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण

i) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

ii) विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा आकस्मिक देयताओं बकाया का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर पर किया जाता है.

iii) आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नही की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग "विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व" खाते में रखा जाता है.

**12. कर्मचारी लाभ**

**(ए) अल्पावधि रोजगार लाभ:**

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्ण देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है.

**(बी) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:**

**i. निर्धारित अंशदान योजनाएं:**

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा उतना ही बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

**ii. निर्धारित लाभ योजना:**

ग्रेच्यूटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

**13. खंड–वार रिपोर्ट करना :**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 "खडं-वार रिपोर्टिंग" के अनुसार, बैंक ने कारोबार संवर्ग को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में माना है. कारोबार खंड को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

13.1 ट्रेजरी परिचालन,
13.2 कॉर्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,
13.3 रिटेल बैंकिंग परिचालन और
(जिसमें से, जहां भी एवं जब भी डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट लागू हो)
13.4 अन्य बैंकिंग परिचालन में

**14. लीज़ संव्यवहार**

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है. बैंक द्वारा लीज/ किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/ लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय माना जाता है.

### 15. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है. प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है, जो किया जाता है यदि वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम का अनुबंध अथवा परिवर्तित किया गया था. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर के भारित औसत संख्या और बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की जाती है.

### 16. कराधान

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एएस -22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच समय अंतराल के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं. चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर कर नियमों के अनुसार वर्तमान कर का प्रावधान किया गया है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियों एवं अस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं स्थापित कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक "उचित निश्चितता" न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थिगत कर का निर्धारण होगा. गैर-मूल्यह्रास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल "आभासी निश्चितता" होने पर मान्यता दी जाती है.

### 17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों. ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नही की गयी है, क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रुप में परिणित हो सकती है.

### 18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं.

## अनुसूची 18 लेखों पर नोट्स (समेकित)

1. बैंक (पैरेंट) के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है, वे निम्नानुसार है:

| सहायक कंपनियों के नाम | निगमन का देश | 31.03.2023 को पैरेंट के स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|
| यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | भारत | 100% |
| यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | भारत | 100% |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड | यूनाइटेड किंगडम | 100% |
| आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि. | भारत | 100% |
| यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड | भारत | 100% |

2. समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं :

| संयुक्त उपक्रम के नाम | निगमन का देश | स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|
| स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर-बैंकिंग) | भारत | 25.10% |
| एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड | भारत | 26.02% |
| इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी | भारत | 25.00% |

3. समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के विवरण निम्नानुसार हैं:

| एसोसिएट का नाम | निगमन का देश | स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|
| चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक | भारत | 35% |

31 मार्च, 2023 को बैंक द्वारा किए गए निवेश का मूल्य ₹1542.52 करोड़ रहा, जिसे दीर्घावधि निवेश के रूप में माना गया है.

4 सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण जिनका उपयोग समेकन के लिए किया गया है, वे पैरेंट की रिपोर्टिंग तिथि, अर्थात 31 मार्च, 2023, तक के हैं, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के वित्तीय विवरण जिनका उपयोग समेकन के लिए किया गया है, वे दिनांक 31 दिसंबर, 2022 के लिए हैं.

5 यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक के दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के दिनांक 31.12.2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तथा स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं.

6 निरंतर आधार पर उचंत खातों, विविध जमाराशि, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर-शाखा / कार्यालय खातों में लंबित प्रविष्टियों का समायोजन प्रगति पर है. उसी के अंतिम मंजूरी के बावजूद, प्रबंधन की राय में खातों पर कुल प्रभाव, यदि कोई हो, तो वह उल्लेखनीय नहीं है.

**7 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है**

**7.1. ए. पूंजी**

बैंक 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के पालन के अधीन है. 1 अक्तूबर 2021 तक बासेल III के कार्यान्वयन के लिए एक संक्रमण अनुसूची दिशानिर्देश में दी गई हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अक्तूबर 2021 से बासेल III का सम्पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टीयर I पूंजी कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी I) और अतिरिक्त टियर I (एटी I) से बनी है.

बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2023 तक पूंजी का जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी-I 8% (2.50% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) और न्यूनतम टीयर I सीआरएआर 9.50% तक बनाए रखना आवश्यक है.

वर्ष के दौरान, बैंक ने बासेल III अनुपालन में खंडवार रुपये 2,200 करोड़ की टीयर-2 बॉन्ड एवं अतिरिक्त रुपये 1,983 करोड़ की टीयर-1 जारी किया है और बासेल III अनुपालन में मोचन (रिडम्पशन) हेतु ₹ 2,300 करोड़ की टीयर-2 बॉन्ड एवं अतिरिक्त ₹ 1,000 करोड़ की टीयर-1 बॉन्ड के लिए कॉल विकल्प का अभ्यास प्रारम्भ किया है.

संरचना के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| i. | सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी अनुपात (सीईटी 1) / पेड अप शेयर पूंजी एवं आरक्षित ( निवल कटौती, यदि कोई हो) | 71,879.53 | 58,205.98 |
| ii. | अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी / अन्य टीयर 1 पूंजी | 8,985.99 | 8,539.83 |
| iii. | टीयर 1 पूंजी (i + ii) | 80,865.52 | 66,745.81 |
| iv. | टीयर 2 पूंजी | 12,299.90 | 12,692.32 |
| v. | कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2) | 93,165.42 | 79,438.12 |
| vi. | कुल जोखिम-भरित आस्तियां (आरडबल्यूए) | 5,82,024.83 | 5,48,469.51 |
| vii. | सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)/ आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में प्रदत्त शेयर एवं आरक्षित | 12.35 | 10.61 |
| viii. | टीयर 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी) | 13.89 | 12.17 |
| ix. | टीयर 2 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी) | 2.11 | 2.31 |
| x. | जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) | 16.01 | 14.48 |
| xi. | लीवरेज अनुपात | 5.74 | 5.17 |
| xii. | शेयर धारिता का प्रतिशत | | |
| | ए) भारत सरकार | 83.49 | 83.49 |
| | बी) राज्य सरकार (नाम का उल्लेख करें) | -- | -- |
| | सी) स्पोंसर बैंक | | |
| xiii. | वर्ष के दौरान प्रदत्त इक्विटि पूंजी के माध्यम से जुटाई गयी राशि | -- | 1,447.17 |
| xiv. | वर्ष के दौरान जुटाई गयी गैर-इक्विटि टीयर 1 पूंजी की राशि जिसमें: | | |
| | ए) बासल III अनुपालन शाश्वत गैर संचयी अधिमान शेयर | -- | -- |
| | बी) बासल III अनुपालन स्थायी/ बेमियादी कर्ज लिखत | 1,983.00 | 5,000.00 |
| xv. | वर्ष के दौरान जुटाई गयी टीयर 2 पूंजी की राशि जिसमें | | |
| | ए) शाश्वत गैर संचयी अधिमानी शेयर | -- | -- |
| | बी) प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर | -- | -- |
| | सी) बासल III अनुरूप प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय टीयर 2 बॉन्ड | 2,200.00 | 2,000.00 |

## 7.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

| लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप: | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि) | 1,915.53 | 200.48 |
| एनपीए के लिए प्रावधान | 12,506.77 | 11931.44 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (प्रति प्रविष्टि) | (988.37) | 1451.35 |
| आयकर / आस्थगित कर के लिए निवल प्रावधान | 3,716.20 | 3357.84 |
| अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं: | (22.08) | (276.62) |
| **कुल** | **17,128.04** | 16664.49 |

7.3 काउंटर साईक्लिकल प्रावधान बफ़र / फ्लोटिंग प्रावधान

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| i) | प्रारंभिक शेष | शून्य | 306.20 |
| ii) | लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | शून्य | शून्य |
| iii) | लेखा वर्ष के दौरान ड्रा डाउन की गई राशि | शून्य | 306.20 |
| iv) | लेखाबंदी शेष | शून्य | शून्य |

8 कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित) (मूल बैंक)

i) **अल्पावधि रोजगार के लाभ:**

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि को अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान मान्य होती है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की थी.

ii) **दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:**

ए) **निश्चित अंशदान योजनाएं:**

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अधिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक ( पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है. यह योजना पेंशन फ़ंड रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेंट अथॉरिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है. एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉज़िटॉरि को नियुक्त किया गया है. वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में रु. 0.12 करोड़ एरिअर सहित रु. 525.36 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 501.51 करोड़) का अंशदान किया है.

बी) **निश्चित लाभ योजना:**

ग्रेच्युटी, पेंशन और अवकाश नकदीकरण निश्चित लाभ योजनाएं हैं. इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा मानक -15 'कर्मचारी लाभ' के अनुरूप बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

सी) **निश्चित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना:**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है.

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2023 | | 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपदान | पेंशन | उपदान | पेंशन |
| i) | **परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाती तालिका:** | | | | |
| | वर्ष के आरंभ में देयता | 3,197.81 | 28,650.99 | 3,355.82 | 26,011.41 |
| | ब्याज लागत | 233.76 | 2,120.17 | 232.56 | 1,797.39 |
| | चालू सेवा लागत | 163.00 | 184.38 | 161.12 | 212.30 |
| | पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) | शून्य | शून्य | शून्य | 1902.02 |
| | देयता अंतरण आवक | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | देयता अंतरण जावक | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (प्रदत्त लाभ) | (334.38) | (2,120.73) | (465.84) | (2,341.52) |
| | बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि- परिवर्तन के कारण | | | | |
| | वित्तीय धारणा में | (63.88) | (278.47) | (119.57) | (1,446.34) |
| | जनांकिक धारणा में | शून्य | शून्य | 2.86 | 63.46 |
| | बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि | 29.55 | 614.25 | 30.86 | 2,452.27 |
| | **वर्ष के अंत में देयताएं** | 3,225.86 | 29,170.59 | 3,197.81 | 28,650.99 |
| ii) | **योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी::** | | | | |
| | वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3,367.60 | 27,043.50 | 2,746.43 | 26,720.88 |
| | योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ | 246.17 | 2,001.22 | 190.33 | 1,846.41 |
| | अंशदान | शून्य | 1,780.29 | 843.37 | 551.42 |
| | अन्य कंपनी से अंतरण | 0.29 | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य कंपनी को अंतरण | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (प्रदत्त लाभ) | (334.38) | (2,120.73) | (465.84) | (2,341.52) |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि | (17.33) | 49.96 | (53.31) | (266.31) |
| | वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3,262.35 | 28,754.24 | 3,367.60 | 27,043.50 |
| | अवधि के लिए बाध्यताओं पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि | (34.33) | 335.78 | (85.85) | 1,069.39 |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि | 17.33 | (49.96) | (53.31) | (266.31) |
| | **अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन/(हानि** | (17.00) | 285.82 | (139.16) | 803.08 |
| iii) | **संक्रमणकालीन देयता की पहचान:** | | | | |
| | प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | **अंत में संक्रमणकालीन देयता** | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| iv) | **योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :** | | | | |
| | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | 246.17 | 2,001.22 | 190.33 | 1,846.41 |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि) | (17.33) | 49.96 | 53.31 | 266.31 |
| | **योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ** | 228.84 | 2,051.18 | 243.64 | 2,112.72 |
| v) | **आय विवरण में चिन्हित व्यय :** | | | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 163.00 | 184.38 | 161.12 | 212.30 |
| | ब्याज लागत | (12.41) | 118.95 | 42.23 | (49.02) |
| | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (बढ़ी हुयी फॅमिली पेंशन का 1/5) | शून्य | 1,521.62 | शून्य | 380.40 |
| | संक्रमण देयता की पहचान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | बीमांकिक (अर्जन) या हानि | (17.00) | 285.82 | (139.16) | 803.08 |
| | **लाभ व हानि खाते में चिन्हित व्यय** | 133.59 | 2,110.77 | 64.19 | 1346.76 |

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2023 | | 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपदान | पेंशन | उपदान | पेंशन |
| vi) | **तुलन पत्र समाधान:** | | | | |
| | प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि) | (169.79) | 85.87 | 609.39 | (709.47) |
| | उपर्युक्त के अनुसार व्यय | 133.59 | 2,110.77 | 64.19 | 1,346.76 |
| | अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध) | (0.29) | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (नियोक्ता का अंशदान) | शून्य | (1,780.29) | (843.37) | (551.42) |
| | **तुलन-पत्र में शुद्ध (आस्ति)/देयता चिन्हित राशि** | (36.49) | 416.35 | (169.79) | 85.87 |
| vii) | **अन्य विवरण :** | | | | |
| | पेंशन सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्यधीन है. | | | | |
| | उपदान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि रुपये 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो. | | | | |
| | वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/हानि की गणना की गई है. | | | | |
| | वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है. | | | | |
| | सदस्यों की संख्या | 75,618 | 21,138 | 75,201 | 23,216 |
| | वेतन प्रति माह | 513.88 | 513.88 | 354.44 | 182.95 |
| | **आगामी वर्ष के लिए अंशदान** | 139.74 | 587.94 | - | 592.76 |
| viii) | **आस्तियों का संवर्ग:** | | | | |
| | भारत सरकार की आस्तियां | 61.47 | 565.13 | 63.45 | 585.14 |
| | कॉर्पोरेट बांड/एफ़डीआर | 25.75 | 720.80 | 36.15 | 721.81 |
| | विशेष जमा योजना | - | - | - | - |
| | राज्य सरकार | 82.81 | 1,379.39 | 101.17 | 1,185.78 |
| | सम्पत्ति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य | 64.13 | 454.17 | 244.10 | 1,733.36 |
| | बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां | 3,028.18 | 25,634.75 | 2,897.20 | 22,492.80 |
| | म्यूचुअल फंड | शून्य | शून्य | 25.53 | 324.61 |
| | **कुल** | **3,262.34** | **28,754.24** | **3,367.60*** | **27,043.50*** |

* नोट : वित्तीय वर्ष 2021-22 के पेंशन एवं उपादान जो 7.25% माना गया था, के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में पेंशन एवं उपादान देयताएं का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए, एलआईसी एवं अन्य बीमा कंपनियों में निवेश पर रिटर्न को 7.50% माना गया है.

(₹ करोड़ में)

| **योजना में अधिशेष/कमी:** | उपदान योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **तुलन पत्र में पहचानी गई राशि** | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20* | 31.03.19* |
| वर्ष के अंत में देयता | 3,225.86 | 3,197.81 | 3,355.82 | 1,291.94 | 1,222.64 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3,262.35 | 3,367.60 | 2,746.43 | 1,219.01 | 1,202.14 |
| अंतर | 36.49 | 169.79 | (609.39) | (72.93) | (20.50) |
| पिछली पहचान न की गई सेवा लागत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| पहचान न की गई संक्रमण देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| तुलन पत्र में पहचान की गई राशि | 36.49 | 169.79 | (609.39) | (72.93) | (20.50) |

* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

| तुलन पत्र में पहचान की गई राशि | उपदान योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अनुभव समायोजन | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20* | 31.03.19* |
| योजना देयता पर (लाभ)/हानि | 29.55 | 30.86 | 752.31 | 25.87 | 7.91 |
| योजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ | (17.33) | 53.31 | 34.41 | 7.20 | (13.03) |

* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

| योजना में अधिशेष/कमी : | पेंशन योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| तुलन पत्र में पहचान की गई राशि | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20* | 31.03.19* |
| वर्ष के अंत में देयताएं | 29,170.59 | 28,650.99 | 26,011.41 | 12,746.69 | 12,158.43 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 28,754.24 | 27,043.50 | 26,720.88 | 12,607.16 | 12,308.84 |
| अंतर | (416.35) | (1,607.49) | 709.47 | (139.53) | 150.41 |
| पहचान न की गई पूर्व सेवा लागत | शून्य | 1,521.62 | शून्य | शून्य | शून्य |
| पहचान न की गई संक्रमण देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| तुलन पत्र में पहचानी गई राशि | (416.35) | (85.87) | 709.47 | (139.53) | 150.41 |

* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

| तुलन पत्र में पहचानी गई राशि | पेंशन योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20* | 31.03.19* |
| अनुभव समायोजन | | | | | |
| योजनागत देयताएं (लाभ)/हानि | 614.25 | 2,452.27 | 1,456.27 | 938.90 | 125.22 |
| योजनागत आस्तियों (हानि) /लाभ | 49.96 | 266.31 | 81.65 | 75.23 | 7.18 |

* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

| मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमान का उपयोग (%) | 2022-23 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान | पेंशन | उपदान | पेंशन |
| पिछली छूट दर | 7.31 | 7.40 | 6.93 | 6.91 |
| पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर | 7.31 | 7.40 | 6.93 | 6.91 |
| पिछली वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| पिछली एट्रीशन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| वर्तमान छूट दर | 7.49 | 7.53 | 7.31 | 7.40 |
| वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर | 7.49 | 7.53 | 7.31 | 7.40 |
| वर्तमान वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| वर्तमान एट्रीशन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

i) **अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:**

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालिक अवधि कर्मचारी लाभ हेतु तैयार किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | पेंशन | 2,110.77 | 1,346.76 |
| 2. | अवकाश किराया रियायत | 3.66 | 13.41 |
| 3. | अवकाश नकदीकरण | 149.30 | 48.70 |

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी अवकाश के लियए रु. 268.76 करोड़ का प्रावधान किया है, हालांकि इसमें कोई बड़ा भुगतान नहीं है.

ii) **फॅमिली पेंशन एवं उपदान देयताएं अपरिशोधित :**

(₹ करोड़ में)

| | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| **पेंशन** | | |
| ए) पूर्ववर्ती शेष राशि | 1,521.62 | शून्य |
| बी) सकल देयताएं | शून्य | 1,902.02 |
| सी) लाभ एवं हानि पर प्रभार | 1,521.62 | 380.40 |
| डी) अग्रेषित शेष राशि | शून्य | 1,521.62 |
| **उपदान** | | |
| ए) लाभ एवं हानि पर प्रभार | शून्य | शून्य |
| बी) अग्रेषित | शून्य | शून्य |

ए) 11 वें द्वि-पक्षीय समझौते और 11 नवंबर, 2020 के संयुक्त नोट के तहत कवर किए गए बैंक के कर्मचारियों को देय पारिवारिक पेंशन में संशोधन के अनुसार, बैंक के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ₹ 1,902.02 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी थी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के अनुसार ₹ 380.40 करोड़ की राशि का परिशोधन किया गया एवं 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 1,521.62 करोड़ के अपरिशोधित भाग को लाभ एवं हानि खाते में पूरी तरह से प्रभारित किया गया है. अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के कारण बैलेंस शीट में कोई अपरिशोधित व्यय नहीं है.

बी) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई / डीओआर / 2021-22 / 83 डीओआर. एसीसी.आरईसी.न.45/ 21.04.018 / 2021-22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 के संदर्भ में (20 फरवरी, 2023 को अद्यतित), निम्नलिखित प्रकटीकरण आवश्यक हैं (मूल बैंक):

ए. अन्य देनदारियों और प्रावधानों के मामले में, ''अन्य (प्रावधानों सहित)'' शीर्ष के तहत कोई भी मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक है,

बी. अन्य आस्तियों के मामले में, ''अन्य'' शीर्ष के तहत कोई भी मद कुल आस्ति के एक प्रतिशत से अधिक है,

सी. अन्य आय के मामले में, ''विविध आय'' के तहत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है,

डी. परिचालन व्यय के मामले में, ''अन्य व्यय'' के तहत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है,

(रु. करोड़ में)

| **अनुसूची 14 – अन्य आय उप शीर्ष – विविध आय की मदों का विवरण** | | |
|---|---|---|
| **उप शीर्ष के अंतर्गत मद** | **(₹ करोड़ में)** | **कुल आय का %** |
| अग्रिमों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क | 1,178.18 | 1.24 |
| विविध आय | 1,004.21 | 1.05 |
| बट्टे खाते में वसूली | 5,549.49 | 5.82 |

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, अन्य शीर्षों से संबंधित कोई अन्य प्रकटीकरण नहीं है.

## 10. क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)

10.1. कारोबार क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | कारोबार क्षेत्र | समेकित | |
|---|---|---|---|
| | | समाप्त वर्ष | |
| | | (लेखापरीक्षित) | (लेखापरीक्षित) |
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| (ए) | **क्षेत्रवार राजस्व** | | |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 26,442.90 | 26,815.66 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 31,078.66 | 26,198.04 |
| | (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 569.38 | लागू नहीं |
| | (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 30,509.28 | 26,198.04 |
| 3 | कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग | 35,941.71 | 25,776.79 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | 1,979.37 | 1,397.64 |
| 5 | गैर आबंटित | 2,198.75 | 1,688.64 |
| | **कुल क्षेत्रवार राजस्व** | **97,641.39** | **81,876.77** |
| | घटाया अंतर-क्षेत्रवार राजस्व | (562.86) | (122.70) |
| | **परिचालन से आय** | **97,078.53** | **81,754.07** |
| (बी) | **क्षेत्रवार परिणाम** | | |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 2,426.80 | 6,002.74 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 5,059.25 | 4,508.68 |
| | (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | (43.07) | लागू नहीं |
| | (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 5,102.32 | 4,508.68 |
| 3 | कॉर्पोरेट बैंकिंग | 3,091.44 | (3,093.72) |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | 1,063.52 | 758.37 |
| 5 | गैर आबंटित | **505.46** | **390.27** |
| | **कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)** | 12,146.47 | 8,566.34 |
| (सी) | **कर हेतु प्रावधान** | 3,716.12 | 3,357.84 |
| (डी) | कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) | 8,430.35 | 5,208.50 |
| | जोड़ाः एसोसिएट में लाभ का शेयर | 81.32 | 56.82 |
| (ई) | **समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)** | **8,511.67** | **5,265.32** |
| (एफ़) | **क्षेत्रवार आस्तियां** | | |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 4,64,788.70 | 4,78,735.97 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 3,59,680.33 | 3,18,913.60 |
| | (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 42,263.05 | लागू नहीं |
| | (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 3,17,417.28 | 3,18,913.60 |
| 3 | कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग | 4,26,011.76 | 3,68,181.73 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| 5 | गैर आबंटित | 37,876.32 | 27,934.31 |
| | **कुल** | **12,88,357.11** | **11,93,765.61** |

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | कारोबार क्षेत्र | समेकित | |
|---|---|---|---|
| | | समाप्त वर्ष | |
| | | (लेखापरीक्षित) | (लेखापरीक्षित) |
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| (जी) | **क्षेत्रवार देयताएं** | | |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 4,56,704.84 | 4,70,252.54 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 3,28,812.17 | 2,90,449.81 |
| | (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 38,724.27 | लागू नहीं |
| | (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 2,90,087.90 | 2,90,449.81 |
| 3 | कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग | 3,88,190.19 | 3,35,313.11 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| 5 | गैर आबंटित | 35,846.39 | 26,889.03 |
| | **कुल** | **12,09,553.60** | **11,22,904.49** |
| (एच) | **नियोजित पूंजी** | | |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 8,083.86 | 8,483.43 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 30,868.16 | 28,463.79 |
| | (ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन | 3,538.78 | लागू नहीं |
| | (बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन | 27,329.38 | 28,463.79 |
| 3 | कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग | 37,821.57 | 32,868.62 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| 5 | गैर आबंटित देयताएं | 2,029.92 | 1,045.28 |
| | **कुल** | **78,803.51** | **70,861.12** |

**नोट:**

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफ़ाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रावार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस -17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं. अत: बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.

2. सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य आय, व्यय, प्रयुक्त पूंजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं.

3. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

4. डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीओआर.एयूटी.आरईसी. 12 / 22.01.001 / 2022-23 दिनांक 7 अप्रैल, 2022 के अनुसार, बैंक ने पहली बार 'डिजिटल बैंकिंग' को खुदरा बैंकिंग खंड के उप-खंड के रूप में प्रकट किया है.

## 11. संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस-18) (मूल बैंक)

### 11.1 संबंधित पार्टियों की सूची

**ए. सहायक कंपनियां**

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
- आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.
- यूबीआई सर्विसेस लि

**बी. संयुक्त उद्यम**

- स्टार यूनियन दाई-इची इंश्योरेंस कं. लि.
- एएसआरईसी (इंडिया) लि.
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद

**सी. एसोसिएट**

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

**डी. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

| नाम | पदनाम | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु भुगतान की गई पारिश्रमिक |
|---|---|---|
| श्री राजकिरण रै जी@ | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 0.19 |
| सुश्री ए मणिमेखलै # | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 0.30 |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल ## | कार्यपालक निदेशक | 0.11 |
| श्री नितेश रंजन | कार्यपालक निदेशक | 0.39 |
| श्री रजनीश कर्नाटक | कार्यपालक निदेशक | 0.34 |
| श्री निधु सक्सेना | कार्यपालक निदेशक | 0.32 |
| श्री रामसुब्रमणियन एस ^ | कार्यपालक निदेशक | 0.12 |

@ 31.05.2022 तक

# 03.06.2022 से

## 30.04.2022 तक

^ 21.11.2022 से

**पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए**

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 6 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक संबंधी भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार, केएमपी को बैंक का पूर्णकालिक निदेशक माना जाता है.

ई) **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक – प्रदत्त पारिश्रमिक राशि**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| सीईओ एवं प्रबंध निदेशक | 0.49 | 0.37 |
| कार्यपालक निदेशक | 1.28 | 1.21 |
| **कुल** | **1.77** | **1.58** |

**पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए**

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक संबंधी भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है.

12. **प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)**

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गई है.

प्रति शेयर आय की गणना नीचे दी गई है:

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या | 6,83,47,47,466 | 640,68,44,355 |
| वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या | शून्य | 42,79,03,111 |
| वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या | 6,83,47,47,466 | 6,83,47,47,466 |
| मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर की भारित औसतन संख्या | 6,83,47,47,466 | 6,77,26,13,590 |
| विघटित अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले शेयर की भारित औसतन संख्या | 6,83,47,47,466 | 6,77,26,13,590 |
| निवल लाभ/(हानि) रुपए करोड़ में | 8,511.67 | 5,265.32 |
| मूल अर्जन प्रति शेयर (रु) | 12.45 | 7.77 |
| विघटित अर्जन प्रति शेयर (रु) | 12.45 | 7.77 |
| मौद्रिक मूल्य प्रति शेयर (रु) | 10 | 10 |

13. **करों के लिये प्रावधान:**

**आस्थगित कर (एएस-22)**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| **आस्थगित कर आस्तियां** | | | |
| 1 | कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण) | 534.18 | 474.78 |
| 2 | स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास | 395.67 | 358.12 |
| 3 | अन्य प्रावधानों के कारण | 11,408.93 | 14,072.58 |
| 4 | विदेशी मुद्रा अंतरण अधिशेष | -84.48 | 1.14 |
| 5 | मानक आस्तियां | 0.00 | 588.37 |
| 6 | अन्य | -0.01 | 0.07 |
| | **कुल** | **12,254.30** | **15,495.05** |

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| **आस्थगित कर देयताएं** | | | |
| 1 | प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज | 1,274.79 | 1,092.63 |
| 2 | 36(i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां | 2,316.74 | 2,107.08 |
| 3 | निवेश पर मूल्यह्रास | -- | -- |
| | **कुल** | **3,591.53** | **3,199.71** |
| | **शुद्ध आस्थगित कर आस्ति** | **8,662.77** | **12,295.34** |
| | **शुद्ध आस्थगित कर देयता** | **शून्य** | **शून्य** |

14. **आस्तियों की हानि (एएस-28)**

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो.

15. पैरेंट और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त जानकारियों का समेकन वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचनाएं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, का सीएफएस में इसका प्रकटन नहीं किया गया है.

16. प्रबंधन का मानना है कि भविष्य में बैंक के कार्यनिष्पादन और सतत कारोबार अवधारणा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.

17. पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

**(पंकज कुमार)**
उप महा प्रबंधक

**(प्रफुल्ल कुमार सामल)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(निधु सक्सेना)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(अरुण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

**कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S
**सीए पी. एम. वीरामणि**
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएनः 23023933BGVFVC3602

**कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673
**सीए निरंजन जोशी**
भागीदार
सदस्य सं.102789
यूडीआईएनः 23102789BGWREC1919

**कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W
**सीए सचिन वी लूथरा**
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएनः 23109127BGQVHRS4391

**कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C
**सीए रुचि अग्रवाल**
भागीदार
सदस्य सं. 504134
यूडीआईएनः 23504134BGWTPQ8986

**कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C
**सीए अभिषेक शर्मा**
भागीदार
सदस्य सं. 079224
यूडीआईएनः 23079224BGTKQP5499

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
**सीए प्रदीप जे. शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएनः 23046940BGPTTT2512

हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई
रिपोर्ट की तारीख : 06.05.2023

# समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| क्र.स. | विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| ए | **परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | कर से पहले निवल लाभ | 12,14,647 | 8,56,634 |
| | निम्न के लिए समायोजन : | | |
| | अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास | 74,457 | 73,809 |
| | निवेशों के लिए प्रावधान | 1,67,478 | 20,048 |
| | गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल) | 12,50,677 | 11,62,524 |
| | मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | (1,15,806) | 1,36,754 |
| | अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल) | 14,760 | 11,339 |
| | अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि | (149) | 35 |
| | उधारी पर ब्याज : पूंजीगत लिखत | 1,58,601 | 1,55,133 |
| | एसोसिएट में लाभ का शेयर | 8,132 | 5,682 |
| | आरक्षित से/में अंतरण | (56,928) | 63,465 |
| | **कुल योग** | **27,15,870** | **24,85,426** |
| | **निम्न के लिए समायोजन:** | | |
| | जमाराशियों में वृद्धि / (कमी) | 86,00,976 | 1,08,71,383 |
| | अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) | 11,51,603 | (5,55,146) |
| | निवेशों में (वृद्धि) / कमी | 6,61,560 | (12,92,420) |
| | अग्रिमों में वृद्धि / (कमी) | (1,14,16,687) | (81,66,081) |
| | अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी | (7,74,427) | 3,45,116 |
| | प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल प्रतिपूर्ति) | (3,27,752) | (54,388) |
| | **परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)** | **6,11,143** | **36,33,890** |
| बी | **निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :** | | |
| | अचल संपत्तियों की खरीद | (3,06,555) | (74,953) |
| | अचल आस्तियों की बिक्री/समायोजन के आगम | 68,280 | 30,788 |
| | सहायक कंपनी के निवेश में (बढ़ोतरी) / कमी | (17,830) | (11,606) |
| | **निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)** | **(2,56,105)** | **(55,771)** |
| सी | **वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | शेयर प्रीमियम (निवल) सहित सहायक कंपनियों के अधिमानित शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम | - | - |
| | शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम | - | 1,44,208 |
| | पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि | 98,300 | 7,00,000 |
| | पूंजीगत लिखतों की चुकौती | (10,000) | (5,40,000) |
| | पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि | (8,65,254) | (2,27,704) |
| | उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत | (1,58,601) | (1,55,133) |
| | वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश | (1,29,861) | - |
| | **वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)** | **(10,65,416)** | **(78,629)** |
| | नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी) | (7,10,377) | 34,99,488 |
| | वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष | 1,19,75,822 | 84,76,334 |
| | वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष | 1,12,65,445 | 1,19,75,822 |

# समेकित नकदी प्रवाह विवरण

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**

(₹ लाख में)

| क्र.स. | विवरण | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| | **नकदी एवं नकदी समकक्ष के घटक** | | |
| डी | **वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 46,11,589 | 37,88,571 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा | 73,64,233 | 46,87,762 |
| | वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष | **1,19,75,822** | **84,76,334** |
| ई | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 50,25,811 | 46,11,589 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा | 62,39,634 | 73,64,233 |
| | **वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष** | **1,12,65,445** | **1,19,75,822** |

जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

**(पंकज कुमार)**
उप महा प्रबंधक

**(प्रफुल्ल कुमार सामल)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

**(रामसुब्रमणियन एस)**
कार्यपालक निदेशक

**(निधु सक्सेना)**
कार्यपालक निदेशक

**(नितेश रंजन)**
कार्यपालक निदेशक

**(अरुण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(सूरज श्रीवास्तव)**
निदेशक

**(लक्ष्मण एस उप्पर)**
निदेशक

**(जयदेव मदुगुला)**
निदेशक

**(प्रीति जय राव)**
निदेशक

**(ए. मणिमेखलै)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(श्रीनिवासन वरदराजन)**
अध्यक्ष

## लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3 "नकदीप्रवाह विवरण" के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 06 मई, 2023 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के समेकित लाभ हानि खाते तथा समेकित तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप हैं.

**कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S
**सीए पी. एम. वीरामणि**
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएन: 23023933BGVFVC3602

**कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673
**सीए निरंजन जोशी**
भागीदार
सदस्य सं.102789
यूडीआईएन: 23102789BGWREC1919

**कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W
**सीए सचिन वी लूथरा**
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 23109127BGQVHRS4391

**कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C
**सीए रुचि अग्रवाल**
भागीदार
सदस्य सं. 504134
यूडीआईएन: 23504134BGWTPQ8986

**कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C
**सीए अभिषेक शर्मा**
भागीदार
सदस्य सं. 079224
यूडीआईएन: 23079224BGTKQP5499

**कृते मेसर्स एन बी एस & कं.**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
**सीए प्रदीप जे. शेट्टी**
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 23046940BGPTTT2512

हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई
रिपोर्ट की तारीख : 06.05.2023

# पूंजी नियमन बासेल III के अंतर्गत प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III, पूंजी नियमन पर जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को यथा संशोधित के अनुसार बैंकों के लिए बासेल III, पूंजी अपेक्षाओं के तहत पिलर 3 प्रकटन करना आवश्यक है. बैंक द्वारा ये प्रकटन किए गए हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.unionbankofindia.co.in/english/basel-disclosures-iii.aspx

# कारोबारी उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट

सेबी द्वारा आवश्यक, कारोबारी उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट बैंक की वेबसाईट www.unionbankofindia.co.in पर उपलब्ध है. यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो वे बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं.

## हरित पहल – शेयरधारकों से अपील

नोटिस/ वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य
पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना

**डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है** कि वे अपने डिमेट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करवाएँ.

**भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि:**

वे फॉर्म आईएसआर-1 को भरकर उसके साथ संबंधित दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें :

केएफ़आईएन टेक्नालजी लिमिटेड
यूनिटः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट नं 31-32,
गच्चीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा,
हैदराबाद - 500032
फोन नंः 040- 67162222
टोल फ्री : 1800 309 4001
वेबसाइटः www.kfintech.com

उपर्युक्त आईएसआर-1 फॉर्म बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx पर उपलब्ध है

फॉर्म आईएसआर 1, प्राप्त करने हेतु क्यूआर कोड

**लाभांश अधिदेश :**

**डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि :**

बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने हेतु, डिपॉजिटरी पार्टिसीपेंट के पास अपने बैंक खाते के विवरण को प्रस्तुत/अद्यतन करें.

**भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि :**

बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने हेतु, संबंधित दस्तावेज़ों के साथ उक्त फॉर्म आईएसआर-1 को भरकर हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ बैंक खाता विवरण प्रस्तुत/ अद्यतन करें.

नोट

# आपके व्यवसाय की जरूरतों का रखे ख्याल. आपके व्यवसाय की उन्नति को दे रफ़्तार.

**यूनियन एमएसएमई सुविधा**

- व्यापार/निर्माण/सेवा गतिविधियों से जुड़ी एमएसएमई के लिए ऋण सुविधाएँ
- अधिकतम सीमा - ₹ 50 करोड़
- आंतरिक रेटिंग और प्रतिभूति कवरेज से संबद्ध ब्याज दर
- अंतर्निहित टॉप-अप ऋण का प्रावधान
- वित्तीय मानदंडों में शिथिलता

शर्तें लागू

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking

हेल्पलाइन नं.: **1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555** | **www.unionbankofindia.co.in**

@unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube @unionbankofindia

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हम एक उज्ज्वल, हरित और सशक्त भारत में विश्वास करते हैं, जहाँ हर कोई नवाचार एवं वित्तीय पहुँच का लाभ उठाकर समृद्ध हो सकता है.*

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking

हेल्पलाईन नंबर : 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555
**www.unionbankofindia.co.in**

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2022-23
डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

@unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta UnionBankofIndiaUtube @unionbankofindia

अवांछित ईमेल से सतर्क रहे जो तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं

www.dickensonworld.com DICKENSON